लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग दो)
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'Q'
Acc. No. 87-75
Dated 2nd July 2012

(खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य · अस्सी रुपये

विषय	कॉलम
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
34वां और 35वां प्रतिवेदन	855
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
36वां से 38वां प्रतिवेदन	855–856
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
134वां से 136वां प्रतिवेदन	856
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
211वां प्रतिवेदन	856
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
192वां और 193वां प्रतिवेदन	857
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 30वां और 31वां प्रतिवेदन	857
(दो) साक्ष्य	858
मंत्री द्वारा वक्तव्य	858
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 177वें और 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	858–859
समितियों के लिए निर्वाचन	859–862
(एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड	859–860
(दो) कयर बोर्ड	860
(तीन) रबड़ बोर्ड	860–861
(चार) तम्बाकू बोर्ड	861
(पांच) मसाला बोर्ड	862
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2008-09	862
नियम 377 के अधीन मामले	862
(एक) हज यात्रियों का कोटा युक्तिसंगत बनाए जाने तथा तमिलनाडु राज्य के लिए पर्याप्त कोटा का उपबंध किए जाने की आवश्यकता	
श्री जे.एम. आरून रशीद	863

विषय	कॉलम
(दो) तमिलनाडु को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति किए जाने तथा राज्य में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में तेजी लाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	863–864
(तीन) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. नरबुला	864–865
(चार) राजस्थान की "मेव" जनजाति को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	865
(पांच) गुजरात में एक सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एस. गढ़वी	865–866
(छह) महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में 'आर्मीवर्म' के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उन्हें आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हंसराज गं. अहीर	866–867
(सात) विमुक्त और घुमंतु जनजाति संबंधी रेंके आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाऊ राठौड़	867–868
(आठ) राष्ट्रीय सिंधी टेलीविजन चैनल शुरू किए जाने तथा देश में सिंधी-आधारित कार्यक्रमों के टेलीविजन पर प्रसारण को बढ़ावा देने की आवश्यकता	
श्री श्रीचंद कृपलानी	868–869
(नौ) गुजरात समुद्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	869
(दस) देश में नकली दवा का प्रसार रोकने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	869–870
(ग्यारह) रबड़ की कीमतों को गिरने से रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.वी. बेल्लारमिन	870
(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य सुविधाओं से युक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता	
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	870
(तेरह) कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के हमीरपुर-छतरपुर और देवरी डैम-बांदा खण्डों में पुलों के निर्माण की स्वीकृति देने तथा कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	870–871

विषय	कॉलम
(चौदह) पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर रेलवे जोन में रेलवे द्वारा जिन किसानों की जमीन अर्जित की गई है, उनके परिवारों को रेलवे में नौकरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	871
(पन्द्रह) मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भदोही क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेश दूबे	871–872
(सोलह) पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना जिले से होकर गुजरने वाली इच्छामती नदी से गाद निकालने और उसके प्रवाह को विनियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय चक्रवर्ती	872–873
(सत्रह) पांच हेक्टेर तक के भू-स्वामी इलायची उत्पादक किसानों को ऋण माफी योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री फ्रांसिस के. जार्ज	873
लोक सभा की सदस्यता से श्री बाबू भाई के. कटारा को निष्कासित करने के बारे में प्रस्ताव	873–875
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	875
बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को कथित रूप से धमकी दिए जाने के बारे में मामला	875–887
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2008-2009	882–947
श्री पी. चिदम्बरम	889–891
श्री अनंत कुमार	891–899
श्री भर्तृहरि महताब	899–906
प्रो. एम. रामदास	906–908
श्री रामजीलाल सुमन	909–910
श्री खारबेल स्वाईं	910–920
श्री अनंत गंगाराम गीते	921–922
श्री वरकला राधाकृष्णन	923–929
श्री एम. शिवन्ना	929–930
श्री गणेश सिंह	930–931
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	931–940
श्री शरद पवार	940–941
श्री तापिर गाव	941–942

विषय	कॉलम
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	942–943
श्री पी.सी. थामस	943
श्री एन.एन. कृष्णदास	943
श्री विक्रम केशरी देव	944
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	944–945
श्री के.एस. राव	945
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	945–946
सरकारी विधेयक	
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2008.	947–949
विचार करने के लिए प्रस्ताव	948
खंड 2, 3 और 1	948
पारित करने के लिए प्रस्ताव	948
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008.	949
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2008 के बारे में विवरण.	949
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	949–950
राष्ट्रीय जूट बोर्ड, विधेयक, 2006.	950–974
विचार करने के लिए प्रस्ताव	950
श्री एस.के. खारवेनथन	950–952
श्री सांताश्री चटर्जी	952–956
श्री ब्रह्मानन्द पंडा	956–958
श्री महेश कनोडीया	958–959
श्री अधीर चौधरी	959–962
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	962–965
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	965–967
श्री शंकरसिंह वाघेला	967–971
खंड 2 से 26 और 1	971–974
पारित करने के लिए प्रस्ताव	974
भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007.	974–1019

विषय	कॉलम
विचार करने के लिए प्रस्ताव	974
श्री टी.आर. बालू	974–978
श्री संतोष गंगवार	979–980
श्री जे.एम. आरून रशीद	980–981
श्री समिक लाहिरी	981–987
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	987–990
श्री भर्तृहरि महताब	990–993
श्री खारबेल स्वाईं	993–995
प्रो. एम. रामदास	995–999
श्री पी.सी. थामस	1000–1001
श्री पी.एस. गढ़वी	1001–1003
खंड 2 से 50 और 1	1010–1018
पारित करने के लिए प्रस्ताव	1018–1019
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1045
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1046–1052
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1053–1054
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1053–1054

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 21 अक्तूबर, 2008/29 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, उड़ीसा में ईसाई अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)* ये हमले अब भी हो रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे एक-एक करके बोलने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपा कर आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपने-अपने स्थानों पर जाने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया पल भर के लिए अपने स्थान पर जाइए। मैं आप सबकी बात सुनूंगा। आप एक वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। आप सभी अत्यंत सम्मानित सदस्य हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. कृष्णन, कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। आपने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है। मैं यहां नहीं बैठना चाहता। कृपया मुझे एक निवेदन करने दें। मैं आप सब का आदर करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): हम श्रीलंका के तमिलों के लिए न्याय चाहते हैं। *...(व्यवधान)* केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे साथ न्याय कीजिए। क्या मैं अपने लिए न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुसामी, कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे बैठने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठते क्यों नहीं हैं? मैं सभा को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप बैठ जाएंगे? इस तरह व्यवहार न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे बैठने की अपील करता हूं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मुझे प्रश्न काल के निलंबन के लिए पांच नोटिस मिले हैं। यदि सही सामान्य शिष्टाचार है तो मैं क्या कह सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में एक शब्द भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि आपको क्या लाभ हो रहा है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं सदस्यों को सभी अवसर देना चाहता था। लेकिन आप तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आप बोलने का अच्छा अवसर नहीं लेना चाहते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की वार्ता

***41. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की वार्ता का ब्यौरा और उसकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन की वार्ता विफल हो गई क्योंकि वह भारत और अन्य विकसित देशों के पक्ष में नहीं है और इसमें किसानों, लघु/कुटीर/कृषि आधारित उद्योगों और घरेलू उद्योग के लिए थोड़े ही अवसर दिए गए हैं;

(ग) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन के पाठ का विरोध किया है;

(घ) विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के ऊपर लगाए जा रहे निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने किसानों, लघु/कुटीर/कृषि आधारित उद्योगों आदि को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की एक लघु मंत्रिस्तरीय बैठक जुलाई, 2008 में जेनेवा में आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 30 व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। कृषि तथा गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देना इस बैठक का उद्देश्य था। इसके साथ-साथ सेवाओं (''सांकेतिक'' सम्मेलन) के संबंध में भी एक बैठक आयोजित की गई। महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के वर्ष के अंत तक सेवा, नियम, व्यापार सुगमीकरण, व्यापार तथा पर्यावरण, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दों आदि सहित सभी क्षेत्रों में दोहा दौर की वार्ताओं को पूरा करना शामिल था। लेकिन यह लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक किसी भी मुद्दे पर सहमति बने बिना समाप्त हो गई।

जहां मंत्री कृषि तथा एनएएमए दोनों में कुछ मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए तैयार थे बशर्ते उनके हित के कुछ अन्य मुद्दों का संतोषजनक समाधान होता, वहीं अनेक ऐसे मुद्दे थे जिन पर लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक में या तो चर्चा नहीं हो सकी अथवा जिन पर निरंतर जारी मतभेदों के कारण सहमति नहीं बन सकी। यद्यपि इनमें से अनेक मुद्दे विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण थे तथापि कई मुद्दे विकसित देशों के हितों से संबंधित थे।

बातचीत में गतिरोध को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच सामान्य विचार यह था कि शीघ्रातिशीघ्र वार्ताएं बहाल की जानी चाहिए। तब से कृषि तथा एनएएमए दोनों मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ में विचार-विमर्श की बहुपक्षीय प्रक्रिया बहाल की जा चुकी है।

(ग) से (ङ) डब्ल्यूटीओ में वार्ताएं वार्ताकारी दलों के संबंधित अध्यक्षों द्वारा कृषि तथा एनएएमए के संबंध में समय-समय पर निर्धारित रूपरेखा के मसौदे के आधार पर होती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सब्सिडी तथा टैरिफ आदि में कमी लाने संबंधी प्रस्ताव शामिल होते हैं। दिनांक 10 जुलाई, 2008 को जारी रूपरेखा का मसौदा और डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2008 को दिए गए अनुवर्ती प्रस्ताव लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान हुई चर्चा का आधार थे। जब कभी भारत ने यह अनुभव किया कि रूप-रेखाओं के प्रारूप में उल्लिखित प्रस्ताव उसकी आशाओं तथा अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, तब उसने बैठक में पूरी दृढ़ता से अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त किया।

न्यूनतम विकसित देशों सहित विकासशील देशों की आवश्यकताएं एवं हित वार्ताओं के वर्तमान दौर, जो एक आरंभिक दौर है, का केन्द्रीय बिंदु हैं। इनमें विकासशील देशों के लिए विशेष और विशिष्ट व्यवहार संबंधी प्रावधान शामिल हैं। वार्ताओं में अपने निम्न आय एवं न्यून संसाधनों वाले निर्धन किसानों के हितों के

लोक सभा

मंगलवार, 21 अक्तूबर, 2008/29 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, उड़ीसा में ईसाई अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)* ये हमले अब भी हो रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे एक-एक करके बोलने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपा कर आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपने-अपने स्थानों पर जाने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया पल भर के लिए अपने स्थान पर जाइए। मैं आप सबकी बात सुनूंगा। आप एक वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। आप सभी अत्यंत सम्मानित सदस्य हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. कृष्णन, कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। आपने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है। मैं यहां नहीं बैठना चाहता। कृपया मुझे एक निवेदन करने दें। मैं आप सब का आदर करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): हम श्रीलंका के तमिलों के लिए न्याय चाहते हैं। *...(व्यवधान)* केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे साथ न्याय कीजिए। क्या मैं अपने लिए न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुसामी, कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे बैठने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठते क्यों नहीं हैं? मैं सभा को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप बैठ जाएंगे? इस तरह व्यवहार न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संरक्षण में विकासशील देशों को सक्षम बनाते हुए विकसित देशों द्वारा कृषि में घरेलू सहायता और टैरिफों में पर्याप्त तथा प्रभावी कटौती से संबंधित मुद्दा भारत के लिए प्राथमिकता रखता है। अत: विशेष उत्पाद (एसपी) तथा विशेष रक्षोपाय तंत्र (एसएसएम) के दो उपाय महत्वपूर्ण हैं और भारत तथा उसके साझेदार संभावित सर्वाधिक लाभप्रद परिणाम सुनिश्चित करने के लिए वार्ताओं में पूरी सतर्कता एवं सावधानी बरत रहे हैं। एनएएमए वार्ताओं के अंतर्गत भारत उन लोचशीलताओं के लिए बातचीत करता रहा है जो उसके कुटीर, सूक्ष्म, लघु और कृषि आधारित उद्योगों की संवेदनशील औद्योगिक टैरिफ लाइनों को टैरिफ कटौतियों अथवा बाध्यताओं के दायरे से संरक्षित करने के लिए समुचित तथा पर्याप्त हैं। इन लोचशीलताओं का उद्देश्य भारत के नए व कमजोर उद्योगों को संरक्षित करना है।

विकसित देशों ने विकासशील देशों में बेहतर बाजार पहुंच की मांग करते समय अपने वाणिज्यिक हितों फिर वह चाहे टैरिफ हो या व्यापार को विकृत करने वाली रियायतें, पर अत्यधिक जोर दिया है। दूसरी तरफ विकासशील देश दोहा दौर के विकास संबंधी पहलू को केंद्र में रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। भारत किसी ऐसे परिणाम को प्राप्त करने के लिए, जो दोहा अधिदेश की आकांक्षा के स्तर तथा विकासशील देशों के हितों को पूर्णत: प्रतिबिंबित करे, जी 33, जी 20, तथा एनएएमए 11 जैसे विकासशील देशों के समूहों में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करता रहा है।

आपदाओं के लिए राहत

*42. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री उदय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से हुई जान-माल की क्षति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आपदाओं के कारण पैदा हुई विनाशकारी स्थितियों का आकलन करने के लिए कोई दल भेजा है/भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन दलों द्वारा दी गई रिपोर्टों का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा देश में ऐसे विनाश को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा चालू वर्ष 2008-09 के दौरान हुई मानव क्षति, गुमशुदा जानवरों तथा फसलों एवं घरों को हुई क्षति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

2. प्राकृतिक आपदा आने पर जमीनी स्तर के राहत उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है भारत सरकार संभारतंत्र संबंधी एवं वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

3. प्राकृतिक आपदा आने पर राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए राज्यों के पास निधियों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि बनाई गई है जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए सभी राज्यों की आपदा राहत निधि में 16,729.02 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जिसमें 12,546.76 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंशदान तथा 4182.26 करोड़ रुपये राज्यों का अंशदान है। वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि के दौरान कुल आबंटन तथा सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से से जारी की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

4. गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा आने पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस प्रक्रिया के अनुरूप राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा द्वारा क्षति के सेक्टर-वार विवरण तथा निधियों की आवश्यकता को दर्शाने वाला ज्ञापन देना होता है। राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर स्थिति का मौके पर जाकर जायजा लेने तथा राहत कार्यों के लिए निधियों की जरूरत का आकलन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय दल का गठन किया जाता है। इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप द्वारा विचार किया जाता है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, उस पर आई.एम.जी. की सिफारिश तथा सहायता की मदों एवं मानदण्डों की सीमा के आधार पर कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति विचार करती है तथा एन.सी.सी.एफ. से सहायता की प्रमात्रा का अनुमोदन करती है।

5. वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (आज की तारीख तक) वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा एन.सी.सी.एफ. से मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

6. बाढ़ सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी एवं प्रशमन के लिए उपाय किए जा रहे हैं जिनमें राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना, आम जनता के हितार्थ "क्या करें"; "क्या न करें" को कवर करते हुए जन

जागरण अभियान चलाना, भूकम्प प्रशमन तकनीक में इंजीनियरों एवं वास्तुविदों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित करना, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के विशेषज्ञ अनुक्रिया दलों का गठन करना, सीस्मिक जोन III, IV और V में निर्माण के लिए बी.आई.एस. कोड निगमित करने के लिए भवन उप विधियों में संशोधन करने, मौजूदा महत्वपूर्ण भवनों के भूकम्पीय सुरक्षा का मूल्यांकन करने, स्थानीय स्व-शासन संस्थानों की समुदायों की अन्तर्ग्रस्तता सहित स्थायी पहल करने के उद्देश्य से 17 राज्यों के 169 अति जोखिम बहुल जिलों में आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, कार्यान्वित करना, राहत आयुक्तों/सचिवों की वार्षिक बैठक आयोजित करना, दक्षिण-पश्चिम मानसून आने से पहले तैयारी की स्थिति की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समीक्षा करना तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करना, आपदा अनुक्रिया को पेशेवर रूप देने के लिए घटना कमाण्ड प्रणाली का कार्यान्वयन करना शामिल है।

7. आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने तथा उनके कार्यान्वयन को मानीटर करने, आपदा के प्रभावों को कम करने एवं उनका निवारण करने तथा आपदा की किसी भी स्थिति में व्यापक, समन्वित एवं त्वरित अनुक्रिया करने और राज्यों की विभिन्न विंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया तथा उसे 26 दिसम्बर, 2005 में अधिसूचित किया गया।

8. इस अधिनियम के अनुरूप केन्द्रीय सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश बनाने के उत्तरदायित्व सहित एक राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना पहले ही कर दी है। एन.डी.एम.ए. ने भूकम्प, बाढ़, चक्रवात और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।

9. बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना का निर्माण, वित्तपोषण और निष्पादन से संबंधित कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका तकनीकी, कैटालिटिक और सम्वर्धनात्मक प्रवृत्ति की है। बाढ़ प्रबंधन में राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न उपाय शुरू किए हैं जिनमें शामिल हैं:-

(1) बाढ़ की समस्या को देखने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना करना। इसकी सिफारिशों के आधार पर देश में बाढ़ नियंत्रण रणनीति बनाई गई और संबंधित राज्यों को भेजी गई;

(2) गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों को कवर करते हुए गंगा बेसिन राज्यों के लिए वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन करना;

(3) ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी प्रमुख सहायक नदियों को कवर करते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन करना;

(4) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 बनाना, जिसने बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन करने तथा जलाशय परियोजना में पर्याप्त बाढ़ कुशन प्रदान करने के लिए बेसिन-वार मास्टर प्लान तैयार करने की सिफारिश की है।

(5) असम और उसके पड़ोसी राज्य तथा बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन एवं भूक्षरण नियंत्रण के लिए वर्ष 2004 में कृतिक बल बनाना। इस कृतिक बल की रिपोर्ट सभी राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को भेज दी गई है।

विवरण I

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़/भूस्खलन आदि से हुई राज्यवार क्षति का विवरण

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06				2006-07				2007-08				2008-09 (13.10.08 तक)			
		मानव हानि (सं.)	पशु हानि (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान (सं.)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टर)	मानव हानि (सं.)	पशु हानि (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान (सं.)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टर)	मानव हानि (सं.)	पशु हानि (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान (सं.)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टर)	मानव हानि (सं.)	पशु हानि (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान (सं.)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	114	4956	120404	3.34	247	366308	322074	8.14	296	56112	658072	6.67	148	6692	47239	4.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	636	6572	0.12	-	-	-	-	4	14736	12987	0.28	-	8	75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	असम	27	–	735	0.33	7	20	2367	0.11	142	1660	414444	6.75	35	4257	52290	2.12
4.	बिहार	51	–	4266	0.56	25	19	17447	0.75	976	988	690466	16.62	282	877	387189	3.4
5.	छत्तीसगढ़	37	470	22155	0.41	37	9653	15820	0.15	15	53	12482	0.026	2	2	5752	0.016
6.	गुजरात	213	7563	161622	3.66	293	8421	161625	7.47	486	9707	41756	4.68	94	240	907	–
7.	गोवा	0	0	0	0.00	–	–	5	0.00	3	–	1100	नेग	10	2	218	–
8.	हरियाणा	11	66	3647	0.12	6	–	–	–	–	–	–	–	15	29	390	0.53
9.	हिमाचल प्रदेश	15	3081	2872	0.58	48	846	4379	0.94	98	3087	10820	1.13	50	2780	16838	1.55
10.	जम्मू-कश्मीर	1339	4525	112911	0.01	25	2677	11835	0.61	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	–	–	5	101	3011	0.03	2	2	986	0.01	1	1	1411	नेग
12.	कर्नाटक	160	13000	110498	2.43	123	236	20440	1.55	248	15589	249046	7.45	167	568	17665	1.4
13.	केरल	131	1509	20527	0.60	180	2269	114435	0.24	281	2813	60129	1.77	76	8	9754	0.06
14.	मध्य प्रदेश	86	45638	223022	0.05	168	6107	129998	–	76	307	18321	0.04	16	1138	10039	–
15.	महाराष्ट्र	1108	31251	591224	10.00	423	13417	594516	12.59	155	1477	47045	–	98	–	–	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	1	115	67	–	–	–	–	नेग	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	2	8	27	0.08	–	–	–	–	12	8	2243	0.04	–	–	–	–
19.	नागालैंड	15	–	214	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	22	–	5410	3.45	90	1656	120356	3.09	91	662	104712	3.19	107	1013	206691	5.98
21.	पंजाब	25	116	268	1.04	8	16	224	0.02	7	18	527	0.28	38	90	13170	0.83
22.	राजस्थान	82	435	12981	0.34	146	42253	254844	17.36	63	5114	10058	नेग	68	18	4129	–
23.	सिक्किम	10	63	390	0.26	–	–	–	–	12	911	1440	नेग	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	252	1468	757852	4.47	23	67	444	17.37	95	1189	25998	5.86	50	75	92	–
25.	त्रिपुरा		–	–	–	4	–	–	–	8	–	3	–	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	203	259	72729	3.67	508	588	–	–	261	157	165064	5.13	1209	1798	415114	4.98
27.	उत्तराखंड	113	277	1712	–	–	–	–	–	83	275	979	–	104	–	850	–
28.	पश्चिम बंगाल	7	–	461	–	36	697	160575	0.45	348	4154	996948	24.91	288	3924	439982	1.25
1.	पुडुचेरी	–	–	–	–	–	268	285	नेग	2	199	1415	0.3	–	–	11	–

नेग = नगण्य

विवरण II

वर्ष 2005-06 से 2008-09 (आज की तारीख तक) के दौरान आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से के कुल राज्य-वार आबंटन और जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	सी.आर.एफ. के अंतर्गत आवंटन (कुल)				जारी सी.आर.एफ. का केन्द्रीय अंशदान			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (आज तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	344.08	361.28	379.35	398.31	258.06	335.48	219.99	298.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.30	29.12	29.97	30.87	21.23	21.84	22.48	11.575
3.	असम	193.06	198.62	204.48	210.63	72.395#	221.37	153.36	78.99
4.	बिहार	148.93	153.23	157.74	162.48	55.85*	55.845*	233.235#	121.86
5.	छत्तीसगढ़	111.75	114.98	118.35	121.91	41.91*	150.325#	65.57	0.00
6.	गोवा	2.11	2.21	2.32	2.44	0.79*	2.45#	1.74	0.92
7.	गुजरात	246.00	258.30	271.22	284.77	184.50	246.865	48.57*	208.495#
8.	हरियाणा	124.38	130.60	137.13	143.99	83.95*	107.28	102.85	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	100.69	103.60	106.65	109.87	75.52	77.70	79.99	82.40
10.	जम्मू-कश्मीर	86.46	88.96	91.57	94.33	64.84	66.72	68.68	35.375
11.	झारखंड	126.07	129.71	133.53	137.55	94.56	48.64	148.79#	0.00
12.	कर्नाटक	114.66	120.39	126.41	132.73	86.00	113.98	71.11	49.775
13.	केरल	85.50	89.77	94.26	98.98	64.13	67.33	70.70	37.115
14.	मध्य प्रदेश	254.23	261.58	269.29	277.39	190.67	246.67	151.48	104.02
15.	महाराष्ट्र	222.90	234.05	245.75	258.04	167.18	220.00	47.695	0.00
16.	मणिपुर	5.56	5.72	5.89	6.05	0.00*	0.00*	10.67#	4.48#
17.	मेघालय	11.29	11.61	11.95	12.31	4.24*	12.945	8.96	4.615
18.	मिजोरम	6.58	6.77	6.97	7.19	2.47	5.01	7.77#	0.00
19.	नागालैंड	3.83	3.94	4.05	4.16	1.435	0.00*	7.415#	0.00
20.	उड़ीसा	301.54	310.24	319.38	328.97	226.16	291.34	180.87	310.30@@
21.	पंजाब	146.03	153.33	160.99	169.04	54.76*	112.26	178.24#	63.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	415.64	436.42	458.25	481.16	311.73	413.66	257.34	180.435
23.	सिक्किम	17.53	18.04	18.57	19.13	13.15	0.00*	27.46#	0.00
24.	तमिलनाडु	209.08	219.53	230.51	242.03	78.405*	243.06#	172.88	90.76
25.	त्रिपुरा	12.85	13.22	13.61	14.03	0.00*	14.60#	10.065#	10.365#
26.	उत्तर प्रदेश	295.94	304.48	313.45	322.87	221.95	228.36	235.10	121.075
27.	उत्तराखंड	94.69	96.59	98.58	100.67	71.02	36.22*	73.185#	74.715#
28.	पश्चिम बंगाल	234.73	241.50	248.62	256.09	176.05	181.12	186.47	96.035
	कुल	3944.41	4097.79	4258.84	4427.99	2622.94	3521.07@	2842.665	1985.42

*विगत में जारी निधियों की क्रेडिटिंग, उपभोग प्रमाणपत्र और वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित जानकारी के अभाव में सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से की राशि जारी नहीं की गई।

#विगत वर्षों के लिए सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से के एरियर की किस्त सहित।

@इसमें वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय हिस्से की 25 प्रतिशत की राशि

@@इसमें वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय हिस्से की 25 प्रतिशत की राशि अग्रिम रूप जारी की गई।

विवरण III

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 (आज तक) के दौरान राज्यों द्वारा मांगी गई एच.एल.सी. द्वारा अनुमोदित तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से जारी सहायता राशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/आपदा	राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता	एचएलसी द्वारा अनुमोदित कुल सहायता	एनसीसीएफ से जारी की गई सहायता*			
				2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (आज तक)
1		2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश						
	(1) बाढ़/चक्रवाती तूफान-05	903.63	172.44	72.29			
	(2) वास्तविक आधार पर-2001 की बाढ़ हेतु एयरलिफ्टिंग प्रभार	3.06	3.06		3.06		
	(3) बाढ़ (अक्तू.-नव. 05) अनंतपुर	112.93	17.80			17.80	
	(4) बाढ़ (अगस्त-06)	877.32	152.10				
	(5) बाढ़ (सितम्बर-06)	115.16	30.58		75.99		
	(6) बाढ़/ओगनी साइक्लोन अक्तू.-नव.-06)	404.49	119.85				

1		2	3	4	5	6	7
	(7) सूखा-06-07	628.56	56.56			0.00	
	(8) सूखा-06-07	194.57	19.71			19.71	
	(9) सूखा-07 (1 ज्ञापन)	394.38	136.053			124.00	29.82
	(10) बाढ़-07 (2 ज्ञापन)	584.32	174.86				
	(11) बाढ़-फर.-मार्च 08 (3 और 4 ज्ञापन)	105.16	47.65				0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश						
	(1) खाद्यान्नों का परिवहन बिल बाढ़-04	76.29	76.29	76.29			
	(2) बाढ़/भूस्खलन-05	561.31	48.18		36.53		
	(3) बाढ़/भूस्खलन-07	294.88	47.30				26.40
3.	असम						
	(1) बाढ़-07	879.86	263.74			0.00	
	(2) बाढ़-08	Ad hoc					300.00
4.	बिहार						
	(1) बाढ़-07	2489.02	745.26			0.00	
	(2) बाढ़-08	Ad hoc					1000.00
5.	छत्तीसगढ़						
	बाढ़-06	376.36	23.32		0.00		
6.	गुजरात						
	(1) बाढ़-05	988.89	413.32	304.31			
	(2) बाढ़-06	2694.36	305.77		350.00#		
7.	हिमाचल प्रदेश						
	(1) बाढ़-05	1014.00	74.86	74.86			
	(2) वास्तविक आधार पर-2000 की बाढ़ हेतु एयरलिफ्टिंग प्रभार	38.11	38.11	38.11			
	(3) सूखा-06	377.00	39.02		0.00		
	(4) सूखा-06	3932.32	26.02			24.58	
	(5) बाढ़-07	1234.12	59.89				9.84

1		2	3	4	5	6	7
8.	जम्मू-कश्मीर						
	(1) भूकम्प-05	1351.19	170.20	170.20			
	(2) बाढ़-06	645.48	58.91			13.51	
9.	झारखंड						
	सूखा-06	880.70	107.37		0.00		
10.	कर्नाटक						
	(1) बाढ़-05	3640.07	225.05	198.85			
	(2) बाढ़-05 (सित.-अक्तू.)	1256.90	160.52	160.52			
	(3) बाढ़-06	858.37	125.67		89.26		
	(4) सूखा-06	1406.01	74.48				
	(5) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	406.42	117.45			201.45	
	(6) बाढ़-07 (2 ज्ञापन)	1434.02	121.80				
	(7) सूखा-06	74.48	4.48			4.48	
	(8) बाढ़-07 (3 ज्ञापन)	838.78	140.40				109.91
	(9) बाढ़-मार्च-अप्रैल-08 (4 ज्ञापन)	1068.96	99.52				77.33
11.	केरल						
	(1) बाढ़-05	196.40	26.98	5.22			
	(2) बाढ़-06	149.08	23.00		0.00		
	(3) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	787.75	134.396			50.81	9.47
	(4) बाढ़-मार्च-अप्रैल-08 (2 ज्ञापन)	309.39	46.255			0.00	
12.	मध्य प्रदेश						
	(1) बाढ़-05	628.21	70.83		15.34		
	(2) ओलावृष्टि-05	117.34	15.51		15.51		
	(3) ओलावृष्टि-06	657.80	87.56		0.00		
	(4) बाढ़-06	744.62	43.37		0.00		
	(5) सूखा-07-08	1883.81	34.34			0.00	
13.	महाराष्ट्र						
	(1) सूखा-05	1117.99	174.66	91.07			
	(2) ओलावृष्टि-05	79.45	12.00	12.00			
	(3) बाढ़-05	8740.66	697.45	554.18			
	(4) बाढ़ (सित.-अक्तू.-05)	206.13	47.67		47.67		
	(5) बाढ़-6	5423.28	418.92		348.92		

1		2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर						
	कीट हमला (बांस और फूल)-07	50.02	16.67				5.44
15.	मिजोरम						
	(1) कीट हमला (बांस और फूल)-07 (1 ज्ञापन)	43.92	12.98			8.81	
	(2) कीट हमला (बांस और फूल) 2007-08 (2 ज्ञापन)	591.63	49.37				39.82
	(3) बाढ़/भूस्खलन-07	129.34	23.53				9.78
16.	नागालैंड						
	बाढ़-05	8.81	0.81		0.81		
17.	उड़ीसा						
	(1) बाढ़-06	2384.08	115.24		25.00#		
	(2) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	306.70	59.33			0.00	
	(3) बाढ़-07 (2 ज्ञापन)	1093.53	139.69			0.00	
	(4) बाढ़-08	Ad hoc					98.87
18.	राजस्थान						
	(1) सूखा-05	939.37	106.30	0.00			
	(2) ओलावृष्टि-05	210.85	49.57	0.00			
	(3) सूखा-06	1544.63	146.50		0.00		
	(4) बाढ़-06	3309.93	240.04		100.00#		
19.	सिक्किम						
	(1) बाढ़-भूस्खलन-05	64.11	5.59		2.22		
	(2) भूकम्प-05	30.16	2.98		2.98		
	(3) बाढ़/भूस्खलन-07	104.92	17.26				8.36
20.	तमिलनाडु						
	(1) सुनामी-मछुवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना	131.91	131.91	131.91			
	(2) बाढ़-05 (1-3 दौर अक्तू.-नव.)	13457.62	808.35	808.35			
	(3) बाढ़-05 (4 दौर)						
	(4) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	564.19	197.49				72.46
	(5) बाढ़-मार्च-अप्रैल-08 (2 ज्ञापन)	509.55	93.18				2.49

1		2	3	4	5	6	7
21.	उत्तर प्रदेश						
	(1) बाढ़-06	713.66	36.34		0.00		
	(2) बाढ़-07	1640.75	142.52			0.00	
22.	उत्तराखंड						
	(1) सूखा-06	287.80	38.99		7.05		
	(2) सूखा-07-08	220.04	27.78			0.00	

*तात्कालिक आपदाओं के लिए सी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत समायोजन की शर्त पर एच.एल.सी. धनराशि का अनुमोदन करता है। ऐसे में एच.एल.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि तथा एन.सी.सी.एफ. से जारी वास्तविक धनराशि में अंतर होता है। कई मामलों में एच.एल.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि राज्य के सी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध धनराशि के 75 प्रतिशत से कम होती है, इसलिए एन.सी.सी.एफ. से कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। (0.00 के रूप में विनिर्दिष्ट)

#यह धनराशि एन.सी.सी.एफ. से तदर्थ आधार पर जारी की गई है।

टेलीविजन की विषय-सामग्री का विनियमन

*43. **श्री सर्वे सत्यनारायण:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन पर हिंसा, अश्लीलता एवं अभद्रता का चित्रांकन बढ़ रहा है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने टेलीविजन पर ऐसी विषय-सामग्री के प्रसारण की जांच हेतु कोई पैनल गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में चैलनवार ऐसी आपत्तिजनक सामग्री के चित्रांकन की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा उक्त अवधि के दौरान सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार की योजना उचित प्रमाणीकरण के बाद ही टेलीविजन पर विषय-सामग्री दिखाने के लिए विषय-सामग्री प्रमाणीकरण नियम लागू करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। यद्यपि, समय-समय पर इलैक्ट्रानिक मीडिया में दिखाए गए दृश्यों के विरुद्ध जनता से अनेक संदर्भ/शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथापि, ऐसा कोई औपचारिक अध्ययन सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के विशिष्ट उल्लंघन की जांच करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति गठित की है। अन्तर-मंत्रालयीय समिति स्व-प्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर उल्लंघनों की जांच करती है और तत्पश्चात सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने मौजूदा संहिताओं के प्रावधानों को अधिक विशिष्टता प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन एवं कार्यक्रम संहिताओं (विषय-वस्तु संहिता) की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने दिनांक 5.3.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर शीर्षक "संहिताएं एवं दिशा-निर्देश", उपशीर्षक "स्व-विनियमन दिशा-निर्देश 2008" के अंतर्गत उपलब्ध है।

विवरण

उन टीवी चैनलों के नामों तथा संख्या को दर्शाने वाला विवरण जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा चालू वर्ष 2008-09 के दौरान हिंसा तथा अश्लीलता इत्यादि के मामले प्राप्त हुए

वर्ष	हिंसा तथा अश्लीलता के सूचित मामलों की संख्या	टीवी चैनलों के नाम		
2005-06	15	इंडिया टीवी (दो बार) स्टार वन इन-डिजीटल मै. स्पैक्ट्रा नेट लि. ईटीसी	फैशन टीवी (दो बार) एनडीटीवी तेजा टीवी मां टीवी	ट्रैंड्ज टीवी सहारा टीवी जी गुजराती जूम चैनल
2006-07	13	एमटीवी (दो बार) सहारा समय बिहार चैनल यो म्यूजिक स्टार प्लस	एमएच-1 चैनल सन टीवी जी तेलुगु एफटीवी	चैनल 7 एएक्सएन वीएच-1 सोनी मैक्स चैनल
2007-08	11	आईबीएन 7 (तीन बार) एमटीवी एनईटीवी	जी न्यूज इंडिया टीवी (दो बार)	स्टार न्यूज (दो बार) एनडीटीवी
2008-09	11	इंडिया न्यूज ईटीवी बांग्ला बिंदास चैनल [वी]	हैडलाइंस टुडे आज तक स्टार मूवीज	एमटीवी डिस्कवरी (दो बार) हंगामा टीवी

प्रसारण शाखा

16.10.2008 की अद्यतन स्थिति

विषय: आपत्तिजनक विषय-वस्तु के लिए टीवी चैनलों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की स्थिति।

क्र.सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
वर्ष 2005-06				
1.	इंडिया टीवी	कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते हुए 27.2.2005 को सांसदों और विधायकों के व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में कार्यक्रम का प्रसारण	23.03.2005	इंडिया टीवी को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।

1	2	3	4	5
2.	इंडिया टीवी	दिनांक 16.3.2005 को अपराह्न 9.00 बजे स्वामीनारायण मंदिर के पुजारी के यौन संबंधों के बारे में न्यूज आइटम का प्रसारण	19.05.2005	इंडिया टीवी को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
3.	फैशन टीवी	कई अश्लील कार्यक्रमों का प्रसारण	25.05.2005	दिनांक 13.4.2006 को चैनल के लिए अडवाइजरी जारी की गई। मामला बंद कर दिया गया।
4.	ट्रेंड्स टीवी (जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड)	''लिंगरी शो'' नामक कार्यक्रमों आदि का प्रसारण	25.08.2005	चैनल को अडवाइजरी जारी करने का निर्णय लिया गया है। अडवाइजरी अभी जारी की जानी है।
5.	स्टाव वन चैनल	''जैन-एक्स'' के अधोवस्त्रों के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	12.08.2005	21.09.2005 को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
6.	एनडीटीवी	''जैन-एक्स'' और ''फ्रेंचीएक्स'' के अधोवस्त्रों के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	12.08.2005	21.09.2005 को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
7.	सहारा टीवी	''जैन-एक्स'' के अधोवस्त्रों के अश्लील विज्ञापनों का प्रसारण	12.08.2005	21.09.2005 को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
8.	इन डिजीटल चैनल	27.09.2005 को व्यस्क फिल्म ''ख्वाहिश'' का प्रसारण	30.09.2005	दिनांक 12.07.2006 के आदेश के तहत चैनल को चेतावनी दे दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
9.	तेजा टेवी	अश्लील कार्यक्रम ''कामसूत्र'' का प्रसारण	19.10.2005	दिनांक 23.03.2006 के आदेश द्वारा चैनल को क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन कर दिया। मामला बंद कर दिया गया।
10.	जी-गुजराती चैनल/जीटीवी	''आइटम बम'' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	19.10.2005	03.04.2006 को चैनल को अंतिम आदेश जारी कर दिया गया जिसमें उन्हें विज्ञापन को प्रसारित/पुन: प्रसारित न करने के निदेश दिए गए थे। मामला बंद कर दिया गया।
11.	एफटीवी	09.12.2005 को अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	13.12.2005	एफटीवी को अडवाइजरी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।

1	2	3	4	5
12.	मैसर्स स्प्रैक्ट्रा नेट लिमिटेड/ट्रिनिटी पावर (म्युजिक चैनल)	''लेके पहला पहला प्यार, कभी आर कभी पार, कांटा लगा, मेरी बेरी के बेर, चढ़ती जवानी, बिन तेरे सनम'' गानों का प्रसारण	10.03.2005/ 5.5.2005	मामला बंद कर दिया गया।
13.	मां टीवी	''कामसूत्र'', ''मनमथ साम्राज्यम'', ''समारम सामयम'' और ''सरस्म'' नामक कार्यक्रमों का प्रसारण	29.12.2005	उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई। मामला बंद कर दिया गया।
14.	जूम चैनल	''फन, शीशा, शब्द और चाहत'' फिल्मों के अश्लील ट्रेलरों का प्रसारण	5.01.2006	चैनल को अडवाइजरी जारी करने का निर्णय लिया गया है।
15.	ईटीसी	''फन, शीशा, शब्द और चाहत'' फिल्मों के अश्लील ट्रेलरों का प्रसारण	5.01.2006	चैनल को अडवाइजरी जारी करने का निर्णय लिया गया है।
वर्ष 2006-2007				
16.	एमटीवी	''जहर'' फिल्म के गाने का प्रसारण	16.3.2006	उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई। मामला बंद कर दिया गया।
17.	एमएच-1 चैनल	आशिक बनाया आपने वयस्क फिल्म के ''आशिक बनाया आपने'' नामक अश्लील गाने का प्रसारण	10.4.2006	गाने के प्रसारण की कोई तारीख नहीं दी गई अत: मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। मामला बंद कर दिया गया।
18.	एमटीवी	आशिक बनाया आपने व्यस्क फिल्म के ''आशिक बनाया आपने'' नामक अश्लील गाने का प्रसारण	10.4.2006	28.06.2006 के आदेश द्वारा चैनल को क्षमायाचना-स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया। मामला बंद कर दिया गया।
19.	चैनल 7	''लक्स जैन-एक्स'' अधोवस्त्रों के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	18.04.2006	मामला बंद कर दिया गया।
20.	सहारा समय बिहार चैनल	''लक्स जैन-एक्स'' अधोवस्त्रों के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	18.04.2006	मामला बंद कर दिया गया।
21.	सनटीवी	''लक्स जैन-एक्स'' अधोवस्त्रों के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	10.01.2006	मामला बंद कर दिया गया।

1	2	3	4	5
22.	एएक्सएन	''वर्ल्ड्स सैक्सिएक्स्ट एडवरटाइजमेंट्स'' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	26.06.2006	17.01.2007 से 2 माह के लिए एएक्सएन चैनल को बैन कर दिया गया। दिनांक 01.03.2007 से बैन उठा लिया गया है। मामला बंद कर दिया गया।
23.	यो म्यूजिक	11.5.2006 को अश्लील गानों का प्रसारण	27.07.2006	उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई। मामला बंद कर दिया गया।
24.	जी तेलुगु 804/2/2005-बीसी-3 (पार्ट 31)	अश्लील कार्यक्रम 'सोयागम' का प्रसारण	27.07.2006	चैनल को 17.10.2006 को चेतावनी जारी कर दी गई है। मामला बंद कर दिया गया।
25.	वीएच 1	चाकलेट फैक्ट्री एल्बम से गायक आर. केल्ली द्वारा गाए गए गाने स्नेक का 10.6.2006 को प्रसारण	28.07.2006	उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई। मामला बंद कर दिया गया।
26.	स्टार प्लस	व्यस्क प्रमाणित फिल्म 'अपहरण' का प्रसारण	04.08.2006	उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई। मामला बंद कर दिया गया।
27.	एफटीवी	'मिडनाइट हाट' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	09.08.2006	29.03.2007 के आदेश के तहत चैनल को दो माह के लिए बैन कर दिया गया था। मामला बंद कर दिया गया।
28.	सोनी मैक्स चैनल	'फ्लेवर्ड कंडोम' के विज्ञापन का प्रसारण	03.11.2006	चैनल को 05.02.2007 को चेतावनी जारी की गई। मामला बंद कर दिया गया।
वर्ष 2007-08				
29.	आईबीएन-7	'किस पर रोक नहीं' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	28.03.2007	दिनांक 14.11.2007 के आदेश द्वारा आईबीएन-7 चैनल को तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका पालन किया। मामला बंद कर दिया गया।
30.	जी न्यूज	'जुम्मा चुम्मा दे दे' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	28.03.2007	दिनांक 14.11.2007 के आदेश द्वरा जी न्यूज चैनल को तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका पालन किया। मामला बंद कर दिया गया।
31.	स्टार न्यूज	'सेंक्स में ट्विस्ट' और 'किस करो' नामक अश्लील कार्यक्रमों का प्रसारण	28.03.2007	चैनल को 25.06.2008 को अडवाइजरी जारी की गई। मामला बंद कर दिया गया।

1	2	3	4	5
32.	इंडिया टीवी	सुश्री जाह्न्वी कपूर पर आपत्तिजनक कार्यक्रम का प्रसारण	02.07.2007	सुश्री जाह्न्वी ने भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जो लंबित है। विधि और न्याय मंत्रालय की राय मांगी गई है।
33.	आईबीएन-7	'किस्सा किस का' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	06.07.2007	चैनल को दिनांक 06.12.2007 को चेतावनी जारी कर दी गई है। मामला बंद कर दिया गया।
34.	इंडिया टीवी	'इंडिया बोल' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें व्यस्क भाषा थी।	31.10.2007	चैनल को दिनांक 19.12.2007 को अडवाइजरी जारी की गई। मामला बंद कर दिया गया।
35.	एनडीटीवी	गुवाहाटी में भीड़ हिंसा आदिवासी महिलाओं की पिटाई पर न्यूज आइटम का प्रसारण	19.12.2007	चैनल को दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
36.	आईबीएन-7	गुवाहाटी में भीड़ हिंसा और पुरुषों द्वारा आदिवासी महिलाओं की पिटाई पर न्यूज आइटम का प्रसारण।	19.12.2007	चैनल को दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
37.	एनईटीवी	गुवाहाटी में भीड़ हिंसा और पुरुषों द्वारा आदिवासी महिलाओं की पिटाई पर न्यूज आइटम का प्रसारण।	19.12.2007	चैनल को दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
38.	एमटीवी	'न्यू एक्स डियोड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22.02.2008	एमटीवी चैनल को दिनांक 02.05.2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया है। चैनल ने इसका पालन किया। मामला बंद कर दिया गया।
39.	स्टार न्यूज	'न्यू एक्स डियोड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22.02.2008	स्टार न्यूज चैनल को दिनांक 02.05.2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया है। चैनल ने इसका पालन किया। मामला बंद कर दिया गया।

1	2	3	4	5
वर्ष 2008-09				
40.	इंडिया न्यूज	आरुषि और हेमराज के यौन क्रियाकलापों वाले एमएमएस पर आधारित न्यूज आइटम का प्रसारण	09.06.2008	चैनल को दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी कर दी गई। मामला बंद कर दिया गया।
41.	हैडलाइंस टुडे	बिकिनी के 62 वर्ष पूरे होने पर 'बर्थ डे स्यूट' नामक अश्लील न्यूज आइटम का प्रसारण	11.08.2008	चैनल ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा है। लंबित
42.	एमटीवी	'स्प्लिट्सविला' नामक अश्लील रियल्टी शो का प्रसारण	11.08.2008	चैनल ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा है। लंबित
43.	ईटीवी बांग्ला	एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट के अशिष्ट और अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22.08.2008	चैनल से उत्तर प्राप्त हो गया है। लंबित
44.	आज तक	एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट के अशिष्ट और अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22.08.2008	चैनल से उत्तर प्राप्त हो गया है। लंबित
45.	डिस्कवरी	एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट के अशिष्ट और अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22.08.2008	चैनल से उत्तर प्राप्त हो गया है। लंबित
46.	बिंदास	'दादागीरी' नामक अशिष्ट कार्यक्रम का प्रसारण	11.09.2008	चैनल से उत्तर प्राप्त हो गया है। लंबित
47.	स्टार मूवीज	'विर्जिन मोबाइल' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	19.09.2008	चैनल से उत्तर प्राप्त हो गया है। लंबित
48.	डिस्कवरी	'विर्जिन मोबाइल' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	19.09.2008	चैनल से उत्तर प्राप्त हो गया है। लंबित
49.	हंगामा	'शिन-चान' नामक कार्टून शो का प्रसारण जिसमें अश्लील दृश्य थे और उसने बच्चों को बदनाम किया।	23.09.2008	चैनल से उत्तर नहीं आया है। लंबित
50.	चैनल [वी]	'गैट गोर्जियस 5' नामक अश्लील रियल्टी ब्यूटी शो का प्रसारण	08.10.2008	चैनल से उत्तर नहीं आया है। लंबित

[हिन्दी]

देश में आतंकवादी गतिविधियां

*44. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान हुए सीरियल बम धमाकों सहित आतंकवादी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मारे गए और घायल हुए नागरिकों, सुरक्षा कार्मिकों की संख्या तथा क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति के मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक घटना में पुलिस विफलता, अपराधियों की पहचान, उनके वित्तपोषण के स्रोत सहित कराई गई छानबीन/जांच का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) आतंकवाद तथा सीरियल बम धमाकों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के कारण साइबर निगरानी सहित खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या इस खतरे पर काबू पाने के लिए विद्यमान आतंकवाद-रोधी कानून अपर्याप्त हैं;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ज) इन आतंकवादी गतिविधियों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) चालू वर्ष (30 सितम्बर 2008 तक) में जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में घटनाओं, मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों, सिविलियनों तथा आतंकवादियों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा 2008 (30 सितम्बर तक)

राज्य	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी/उग्रवादी
जम्मू और कश्मीर	518	67	82	265
असम	311	11	134	86
मणिपुर	557	13	101	254
नागालैंड	267	03	63	124
त्रिपुरा	55	00	08	12
मेघालय	09	01	01	03
अरुणाचल प्रदेश	25	00	03	07
मिजोरम	01	04	00	00

नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसा

राज्य	2008 (30 सितम्बर, 2008 तक)			
	घटनाएं	मारे गए पुलिस कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए नक्सली
1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	408	56	114	48
झारखंड	337	31	115	44

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	65	01	33	24
बिहार	123	17	35	11
उड़ीसा	79	72	22	06
महाराष्ट्र	39	01	13	08
मध्य प्रदेश	06	00	00	01
उत्तर प्रदेश	03	00	00	00
पश्चिम बंगाल	28	05	12	00

ऐसी घटनाओं में घायल सिविलियनों और सुरक्षा बल कार्मिकों के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से संकलित तथा अनुरक्षित नहीं की जाती।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान देश के कुछ भागों में आतंकवादी हमले/हिंसा की कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं अर्थात् 1.1.2008 को रामपुर (उ.प्र.) स्थित सुरक्षा बल शिविर पर हमला तथा 13.5.2008 को जयपुर में, 25.7.2008 को बंगलुरु में, 26.7.2008 को अहमदाबाद में, 13.9.2008 तथा 27.9.2008 को दिल्ली में तथा 29.9.2008 को मोदसा (गुजरात) तथा मालेगांव (महाराष्ट्र) में बम विस्फोट। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इन घटनाओं में 7 सुरक्षा कार्मिकों सहित 163 व्यक्ति मारे गए तथा 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 704 व्यक्ति घायल हुए।

इन घटनाओं में क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किए जाते।

(ग) ''लोक व्यवस्था'' राज्य का विषय होने के कारण संचालित जांच/पूछताछ, दोषियों की पहचान/उनको पकड़ने, प्रत्येक घटना में वित्त पोषण के स्रोत के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किए जाते। इसके अलावा जांच के ब्यौरे बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के स्तर पर आसूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर संकेन्द्रित ध्यान दिया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है; अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर पहल के अलावा मानवशक्ति का गुणात्मक उन्नयन तथा मात्रात्मक संवर्धन। राज्य विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण पर अपेक्षित ध्यान प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकारें इस उद्देश्यार्थ राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) हेतु स्कीम के अंतर्गत अपने वार्षिक आवंटनों का कम से कम 5 प्रतिशत विनिर्दिष्ट करने की पहले सलाह दी गई थी। हाल ही में एमपीएफ के अंतर्गत इस उद्देश्यार्थ एक अलग उप स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। परिचालनात्मक स्कीम के स्तर पर राज्यों के साथ केन्द्र की एजेंसियों द्वारा आसूचना आदानों को नियमित रूप से बांटा जाता है तथा इस उद्देश्यार्थ तंत्र स्थापित किए गए हैं। उनकी नापाक कार्यसूची का पीछा करने के लिए आतंकवादी समूहों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का मुकाबला करने सहित राज्य सरकारों तथा एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ङ) और (च) गैर कानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को 2004 में संशोधित किया गया था तथा आतंकवाद के वित्त पोषण सहित आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए इसमें विभिन्न उपबंधों को शामिल किया गया था। आतंकवादियों और विध्वंसकारी तत्वों की गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न अन्य कानूनों में भी उपबंध मौजूद हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, काले धन का अवैध व्यापार अधिनियम आदि। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए वैधानिक कार्य रचना तथा संबंधित उपायों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जा रही है।

(छ) राजनैतिक, सुरक्षात्मक और विकासात्मक मंचों सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों/विद्रोहियों/उग्रवादियों की गतिविधियों द्वारा थोपी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति अपना रही है। सुरक्षात्मक मंच पर उठाए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, घुसपैठ और अवैध सीमा पार गतिविधियों की रोकथाम के लिए सीमा पर सतर्कता और गश्त, आतंकवादी हिंसा सापेक्ष क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती करना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास संवर्द्धित सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था विशेषकर

निम्नतम स्तर पर आसूचना एकत्रीकरण और विनिमय क्षमताओं को सुदृढ़ करना, केन्द्र और राज्य पुलिस बलों का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण करना, भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन के लिए सहायता देना, राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरआई) की प्रतिपूर्ति करना, आतंकवाद के वैश्विक परिप्रेक्ष्यों से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग हेतु विभिन्न पहल करना।

(ज) आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही अनुग्रहपूर्वक राहत और सहायता के अलावा इस उद्देश्यार्थ केन्द्र सरकार ने 2008 में एक स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम का व्यापक लक्ष्य आतंकवादी हिंसा और साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत उस पीड़ित जो परिवार की रोजी रोटी कमाने वाला/मुखिया था की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अशक्त होने पर उसके परिवार के सदस्य 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के पात्र हैं। स्कीम में हैल्थ कार्ड का भी प्रावधान है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा स्थायी रूप से अशक्त को प्रदान किया जाएगा जिससे कि हिंसा के कारण उत्पन्न चोटों के संबंध में निःशुल्क उपचार में वे सक्षम हो सके।

[अनुवाद]

गुमशुदा व्यक्ति

*45. **श्री रनेन बर्मन:**
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुम हुए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का (बालिकाओं/बालकों का अलग-अलग) राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कुल कितने व्यक्ति खोज निकाले गए और गुमशुदा व्यक्तियों को खोज निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने ऐसे गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जानकारी दी है और क्या इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी किसी संगठित निगरोह की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया;

(ङ) क्या मानव अधिकार आयोग और इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) वर्ष 2005 से 2007 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को दी गई सूचना के अनुसार गुम हुए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

वर्ष 2005 से 2007 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एन सी आर बी को दी गई सूचना के अनुसार खोज निकाले गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध निवारण करने, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच-पड़ताल करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, संघ सरकार, अपराध निवारण को सर्वोच्च महत्व देती है और समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय की सलाह जारी करती रहती है कि वे अपराध निवारण और नियंत्रण पर जोर देते हुए दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर और अधिक ध्यान दें।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), ''तलाश'' नामक एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली के तहत, जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों अर्थात् गुमशुदा व्यक्ति, अपहृत व्यक्ति, छोड़ दिए गए व्यक्ति, वांछित व्यक्ति, भागे हुए व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, पहचाने न गए व्यक्ति, पहचाने न गए शव, खोज निकाले गए व्यक्ति और भगोड़े व्यक्तियों का समन्वय करने और संबंधित राज्यों को सूचना प्रसारित करने के प्रयोजनार्थ जोड़ने की एकीकृत प्रणाली है, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के माध्यम से सूचना एकत्र करता है। सभी आयु समूहों के गुमशुदा व्यक्तियों का कंप्यूटरीकृत डाटाबेस, एनसीआरबी की वेबसाइट http://ncrb.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनसीआरबी को दी गई सूचना के अनुसार अपहरण और व्यपहरण के अपराध के तहत गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-V में दी गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संयुक्त राष्ट्र महिला विकास निधि (यूएनआईएफईएम) और समाज विज्ञान संस्थान (आईएसएस), नई दिल्ली के साथ मिल कर भारत में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार पर कार्रवाई अनुसंधान अध्ययन (2002-2003) किया था। यह रिपोर्ट 24.8.2004 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में ''गुमशुदा व्यक्तियों'' और

''व्यक्तियों के अवैध व्यापार'' के बीच संबंधों का विशेष उल्लेख किया गया था। ''गुमशुदा बच्चों'' के संबंध में एनएचआरसी द्वारा गठित एक समिति ने भी कुछ सिफारिशें/सुझाव दिए थे। संघ सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे एक संपूर्ण योजना बनाएं जिसमें अवैध व्यापार रोकने, बचाव करने और इसके शिकार हुए व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने को शामिल किया जाए और इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए एक विस्तृत रणनीति भी तैयार करें। सभी स्तरों पर पुलिस पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने और प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया गया तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे अत्यंत कमजोर क्षेत्रों में तत्काल अभियान चलाएं।

''गुमशुदा बच्चों'' के संबंध में एनएचआरसी द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट (जुलाई, 2007) में भी कई सिफारिशें/सुझाव दिए हैं। एमडब्ल्यूसीडी, यूएनआईसीईएफ और राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र की सहायता से गुमशुदा बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय वेबसाइट तैयार कर रहा है। एमडब्ल्यूसीडी ने पहले ही इस प्रयोजनार्थ एक कोर समिति का गठन कर दिया है। यूएनआईसीईएफ की सहायता से पश्चिम बंगाल में गुमशुदा बच्चों के संबंध में पाइलट आधार पर मई, 2007 में वेबसाइट शुरू की गई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे गुमशुदा व्यक्तियों के लिए वेबसाइट तैयार करें और गुमशुदा बच्चों से संबंधित आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करें।

विवरण I

वर्ष 2005-2007 के दौरान गुम हुए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005		2006		2007	
		एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	51	29	75	42	78	91
2.	आंध्र प्रदेश	2235	1959	2870	2598	826	844
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	4	1	45	105
4.	असम	540	587	834	853	एनआर	एनआर
5.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6.	चंडीगढ़	222	117	153	125	0	0
7.	छत्तीसगढ़	2391	2732	2594	3277	1165	1547
8.	दादरा और नगर हवेली	20	14	20	20	एनआर	एनआर
9.	दमन और दीव	20	18	14	23	13	27
10.	दिल्ली	9156	5827	8912	6289	1074	869
11.	गोवा	414	407	419	404	449	466
12.	गुजरात	2555	2507	2697	3026	0	0
13.	हरियाणा	914	327	1009	414	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	321	404	329	376	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	777	348	781	371	0	0
16.	झारखंड	329	198	430	251	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	कर्नाटक	4035	3913	4278	4344	0	0
18.	केरल	1321	1629	1546	2381	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3	0
20.	मध्य प्रदेश	8817	9157	9228	9555	3	0
21.	महाराष्ट्र	18986	16808	19389	18142	एनआर	एनआर
22.	मणिपुर	6	4	12	7	एनए	एनए
23.	मेघालय	29	26	29	14	43	39
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	2	0	0	0
26.	उड़ीसा	1476	1399	1297	1728	एनआर	एनआर
27.	पुडुचेरी	65	61	38	55	0	0
28.	पंजाब	1021	330	1163	435	1551	693
29.	राजस्थान	2789	1797	3101	2143	1551	0
30.	सिक्किम	27	128	95	190	एनआर	एनआर
31.	तमिलनाडु	1911	1953	1738	1622	एनए	एनए
32.	त्रिपुरा	133	191	173	253	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	5695	1930	5538	2283	एनआर	एनआर
34.	उत्तराखंड	743	426	705	474	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	4887	6607	3455	4520	13022	15514

टिप्पणी: एन ए - आंकड़े उपलब्ध नहीं
एन आर - आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

विवरण II

वर्ष 2005-2007 के दौरान गुम हुए बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005		2006		2007	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	1	12	10	10	25
2.	आंध्र प्रदेश	818	962	984	1328	348	426

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	0	4	3
4.	असम	254	319	470	419	एनआर	एनआर
5.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6.	चंडीगढ़	118	45	75	29	105	67
7.	छत्तीसगढ़	1096	1253	1072	1541	460	711
8.	दादरा और नगर हवेली	5	4	12	5	एनआर	एनआर
9.	दमन और दीव	9	6	3	12	5	6
10.	दिल्ली	4222	2704	4121	2904	98	133
11.	गोवा	104	144	87	138	103	169
12.	गुजरात	966	886	990	1006	1175	1207
13.	हरियाणा	371	90	346	115	567	187
14.	हिमाचल प्रदेश	120	89	108	89	163	116
15.	जम्मू-कश्मीर	320	119	335	121	287	158
16.	झारखंड	151	90	199	129	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	1625	1730	1683	1812	1347	2283
18.	केरल	347	360	500	547	447	521
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	4110	3609	4151	3928	4413	4439
21.	महाराष्ट्र	6883	5945	7062	6341	एनआर	एनआर
22.	मणिपुर	0	2	5	2	29	10
23.	मेघालय	12	13	9	8	9	27
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	1	0	0	0
26.	उड़ीसा	696	686	593	805	एनआर	एनआर
27.	पुडुचेरी	35	40	15	29	30	38
28.	पंजाब	311	79	296	108	433	131
29.	राजस्थान	1356	719	1375	780	1480	945
30.	सिक्किम	6	114	22	171	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	तमिलनाडु	758	857	691	703	एनए	एनए
32.	त्रिपुरा	59	96	74	127	56	137
33.	उत्तर प्रदेश	2843	972	2822	1152	एनआर	एनआर
34.	उत्तराखंड	307	155	303	155	240	116
35.	पश्चिम बंगाल	1835	3853	1301	2166	4740	6957

टिप्पणी: एन ए - आंकड़े उपलब्ध नहीं
एन आर - आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

विवरण III

वर्ष 2005-2007 के दौरान पता लगाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005		2006		2007	
		एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	51	29	75	42	65	81
2.	आंध्र प्रदेश	1901	1779	1942	2219	558	540
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	4	1	45	78
4.	असम	368	358	352	382	एनआर	एनआर
5.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6.	चंडीगढ़	194	100	140	107	0	0
7.	छत्तीसगढ़	1968	2285	2059	2697	813	1042
8.	दादरा और नगर हवेली	13	14	19	17	एनआर	एनआर
9.	दमन और दीव	20	18	12	21	10	13
10.	दिल्ली	6893	3633	7280	4531	658	472
11.	गोवा	323	337	323	306	327	363
12.	गुजरात	2364	2164	2452	2863	0	0
13.	हरियाणा	389	132	468	213	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	198	250	209	214	0	300
15.	जम्मू-कश्मीर	542	246	551	262	0	0
16.	झारखंड	108	72	130	99	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	3458	3494	3337	3586	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	केरल	1109	1459	1218	2108	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	8166	8243	8400	8486	0	0
21.	महाराष्ट्र	15090	13774	15070	14426	एनआर	एनआर
22.	मणिपुर	2	2	3	2	एनए	एनए
23.	मेघालय	0	0	0	0	23	11
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	2	0	0	0
26.	उड़ीसा	695	849	613	717	एनआर	एनआर
27.	पुडुचेरी	65	61	38	55	0	0
28.	पंजाब	442	153	447	163	1969	849
29.	राजस्थान	2606	1692	2833	1985	1969	0
30.	सिक्किम	26	73	66	118	एनआर	एनआर
31.	तमिलनाडु	1769	1867	1561	1532	एनए	एनए
32.	त्रिपुरा	133	191	173	253	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	4778	1594	4608	1714	एनआर	एनआर
34.	उत्तराखंड	612	317	594	344	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	एनए	एनए	एनए	एनए	6186	6832

टिप्पणी: एन ए - आंकड़े उपलब्ध नहीं
एन आर - आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

विवरण IV

वर्ष 2005-2007 के दौरान पता लगाए गए बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005		2006		2007	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	1	12	10	10	25
2.	आंध्र प्रदेश	763	900	715	1161	254	281
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	0	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	151	129	177	134	एनआर	एनआर
5.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6.	चंडीगढ़	106	42	69	26	86	53
7.	छत्तीसगढ़	965	1065	925	1240	364	471
8.	दादरा और नगर हवेली	5	4	12	4	एनआर	एनआर
9.	दमन और दीव	9	6	3	12	5	3
10.	दिल्ली	3192	1633	3485	2295	65	63
11.	गोवा	88	128	78	103	85	134
12.	गुजरात	916	921	938	966	964	1026
13.	हरियाणा	230	49	229	65	303	97
14.	हिमाचल प्रदेश	77	65	85	59	102	60
15.	जम्मू-कश्मीर	225	86	244	77	207	112
16.	झारखंड	59	41	81	57	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	1440	1549	1362	1550	1075	1947
18.	केरल	313	329	448	477	372	457
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	3883	3355	3851	3565	4050	3775
21.	महाराष्ट्र	5764	4942	5691	5143	एनआर	एनआर
22.	मणिपुर	0	1	2	0	16	9
23.	मेघालय	0	0	0	1	4	8
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	1	0	0	0
26.	उड़ीसा	337	457	349	336	एनआर	एनआर
27.	पुडुचेरी	35	40	15	29	30	38
28.	पंजाब	188	49	178	66	613	179
29.	राजस्थान	1308	696	1342	731	1327	830
30.	सिक्किम	6	60	20	104	एनआर	एनआर
31.	तमिलनाडु	719	822	638	672	एनए	एनए

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	त्रिपुरा	59	96	74	127	54	135
33.	उत्तर प्रदेश	2480	820	2544	857	एनआर	एनआर
34.	उत्तराखंड	261	110	264	104	168	84
35.	पश्चिम बंगाल	एनए	एनए	एनए	एनए	2433	3292

टिप्पणी: एन ए - आंकड़े उपलब्ध नहीं
एन आर - आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

विवरण V

वर्ष 2005-2007 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2156	2106	2605
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	70	66
3.	असम	2846	2162	2170
4.	बिहार	5218	5506	5261
5.	छत्तीसगढ़	339	322	286
6.	गोवा	32	22	12
7.	गुजरात	1627	1441	1768
8.	हरियाणा	531	757	860
9.	हिमाचल प्रदेश	143	130	124
10.	जम्मू-कश्मीर	793	934	1018
11.	झारखंड	721	799	845
12.	कर्नाटक	690	669	776
13.	केरल	367	405	379
14.	मध्य प्रदेश	1557	1361	1435
15.	महाराष्ट्र	2046	1900	1949
16.	मणिपुर	81	57	95
17.	मेघालय	43	93	46

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	6	6	2
19.	नागालैंड	30	22	34
20.	उड़ीसा	685	737	859
21.	पंजाब	568	779	840
22.	राजस्थान	1597	1661	1554
23.	सिक्किम	3	0	3
24.	तमिलनाडु	1268	1405	1465
25.	त्रिपुरा	105	107	126
26.	उत्तर प्रदेश	5098	5806	7890
27.	उत्तराखंड	391	384	397
28.	पश्चिम बंगाल	1841	1886	1986
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	10	6
30.	चंडीगढ़	46	65	50
31.	दादरा और नगर हवेली	17	18	12
32.	दमन और दीव	13	1	3
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	873	684	614
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुडुचेरी	14	34	26

(स्रोत: भारत में अपराध)

[हिन्दी]

माडल स्कूल

*46. **श्री मो. ताहिर:**
डा. अरुण कुमार शर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 6000 ब्लाकों में माडल स्कूल खोलने/उन्हें बढ़ावा देने की योजना पर पुनर्विचार करने का है, जैसा कि 1 अगस्त, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना में राज्य सरकारों/अन्य एजेंसियों की भागीदारी के स्वरूप का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अच्छी गुणवत्तायुक्त माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता के एक अंश के रूप में और प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ब्लाक स्तर पर 6000 माडल विद्यालय स्थापित करने संबंधी योजना को अंतिम रूप दे रही है। इस योजना

में राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की भागीदारी का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा

*47. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए, महिलाओं के प्रति दांडिक अपराध की कितनी घटनाएं हुईं तथा धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं की कुल कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल अथवा अल्पसंख्यक आयोग/ मानवाधिकार आयोग आदि जैसे निकायों के सदस्यों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संबंधित राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में ऐसी हिंसा को रोकने के लिए कोई निदेश जारी किया गया है तथा पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने और राहत देने/उनका पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार चालू वर्ष (सितम्बर 2008 तक) के दौरान देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा की कुल 695 घटनाएं हुईं जिनमें 116 व्यक्ति मारे गए तथा 1680 व्यक्ति घायल हुए। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन घटनाओं में सम्पत्ति आदि को हुए नुकसान का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से संकलित एवं अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

विवरण में दी गई जानकारी में हाल ही में दिनांक 23.08.2008 को उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानन्दा सरस्वती तथा 4 अन्यों की हत्या के पश्चात् ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर फैली हिंसा की घटनाओं तथा कर्नाटक में सितम्बर 2008 के दौरान ईसाईयों तथा धार्मिक स्थानों पर हमलों तथा बर्बरता की घटनाओं को शामिल किया गया है।

उड़ीसा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उपर्युक्त घटनाओं के दौरान 39 व्यक्तियों की जानें गई तथा 126 व्यक्ति घायल हुए एवं गिरिजाघरों को मिलाकर 1463 घरों और 97 धार्मिक भवनों को जला दिया गया/क्षतिग्रस्त किया गया। राज्य सरकार ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इन घटनाओं के संबंध में 1147 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 740 मामले दर्ज किए गए।

जहां तक कर्नाटक का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार साम्प्रदायिक हिंसा की हाल में हुई घटनाओं में लगभग 100 व्यक्ति घायल हुए तथा गिरिजाघरों/प्रार्थना सभाओं को शामिल करते हुए 16 धार्मिक स्थानों पर हमला किया गया/क्षतिग्रस्त किया गया। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन घटनाओं के संबंध में 242 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 77 मामले दर्ज किए गए।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित दलों ने 25.08.2008 को उड़ीसा तथा सितम्बर 2008 में कर्नाटक का दौरा किया, राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने 11-13 सितम्बर 2008 के बीच उड़ीसा का दौरा किया, एन.सी.एम. के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 16-18 सितम्बर 2008 को कर्नाटक का दौरा किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने 24 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 2008 के बीच उड़ीसा का दौरा किया। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने दिनांक 27.08.2008 को और केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने दिनांक 03.09.2008 को उड़ीसा का दौरा किया तथा विशेष सचिव (आन्तरिक सुरक्षा) के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने 22-24 सितम्बर, 2008 के बीच कर्नाटक का दौरा किया। गृह मंत्रालय ने, उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर, राज्य सरकार को सहायता देने के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की समय-समय पर 53 अतिरिक्त कम्पनियां मुहैय्या कराई। इसी तरह कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 4 कम्पनियां उपलब्ध कराई गई।

(ङ) और (च) इन राज्यों में साम्प्रदायिक हिंसा की सूचना मिलने से लेकर अब तक गृह मंत्रालय उड़ीसा और कर्नाटक राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सरकार को 25.08.2008 और 10.10.2008 के बीच गृह मंत्री तथा गृह सचिव सहित विभिन्न स्तरों से 7 परामर्शी/पत्र तथा कर्नाटक

सरकार को 15 सितम्बर और 15 अक्तूबर, 2008 के बीच 4 परामर्शी/पत्र भेजे गए। इन परामर्शियों/पत्रों में उड़ीसा राज्य सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ साम्प्रदायिक हिंसा/घृणा की भावनाओं को भड़काने और बढ़ावा देने वाले तत्वों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने सहित साम्प्रदायिक हिंसा में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने, अल्प संख्यक समुदाय के लोगों और उनके पूजा स्थलों आदि को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, हिंसा के दौरान जलाए गए/क्षतिग्रस्त किए गए आवासों तथा अन्य ढांचों का पुनर्निर्माण/मरम्मत करने सहित, पीड़ितों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यापक राहत एवं पुनर्वास के उपाय करने तथा ऐसा माहौल बनाने के प्रभावी कदम उठाने जिससे अपना घर छोड़कर पलायन किए परिवार यथाशीघ्र अपने घरों को वापस आ सकें, को कहा गया/निदेश दिया गया है। इसी तरह कर्नाटक के मामले में राज्य सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय तथा उनके पूजास्थलों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा को रोकने, इन हमलों से उनको सुरक्षा मुहैया कराने, साम्प्रदायिक हिंसा अथवा नफरत भड़काने अथवा फैलाने में अन्तर्ग्रस्त सभी को गिरफ्तार करने और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें न्यायालय में लाने तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने को कहा गया/निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त उड़ीसा तथा कर्नाटक में हिंसा की घटनाओं के होने पर और त्यौहारों के मौके पर विभिन्न समुदाय की धार्मिक गतिविधियों के संदर्भ में सभी राज्य सरकारों को सभी जरूरी पूर्वोपाय करने और सतर्कता बनाए रखने का निदेश दिया गया/कहा गया।

विवरण

वर्ष 2008 के दौरान (सितम्बर तक) देश में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उनमें मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

राज्य का नाम	2008 (सितम्बर तक)*		
	घटनाएं	मृतक	घायल
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
आंध्र प्रदेश	6	1	17
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	8	3	40
बिहार	19	5	40
चंडीगढ़	0	0	80
छत्तीसगढ़	5	0	1
दिल्ली	1	0	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
गोवा	1	0	1
गुजरात	61	4	194
हरियाणा	4	0	5
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	0

1	2	3	4
झारखंड	26	7	94
कर्नाटक	76	3	
केरल	12	5	26
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	99	19	231
महाराष्ट्र	74	11	265
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	0	0	0
उड़ीसा	159	41	76
पुडुचेरी	0	0	0
पंजाब	1	0	0
राजस्थान	26	4	88
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	28	2	71
त्रिपुरा	1	0	0
उत्तर प्रदेश	1	0	14
उत्तराखंड	78	11	314
पश्चिम बंगाल	9	0	63
कुल	695	116	1680

*अनंतिम आंकड़े

[हिन्दी]

संघीय जांच एजेंसी की स्थापना

***48. श्री कीरेन रिजीजू:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अपराध तथा आतंकवाद की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए एक संघीय जांच एजेन्सी स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई बैठक की है; और

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य संघीय जांच एजेंसी की स्थापना करने पर सहमत हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) विभिन्न समितियों ने अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ वाले अपराधों की जांच और अभियोजन केन्द्रीय एजेंसी द्वारा करवाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह और अन्यों बनाम भारत संघ की रिट याचिका (सिविल) में सितम्बर, 2006 में दिए गए निर्णय में इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तथा गृह मंत्रालय की अभियुक्तियां मांगी हैं। गृह मंत्रालय मामले में राज्य सरकारों से परामर्श कर रहा है। संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में पुलिस और लोक व्यवस्था के होने के कारण अधिकतर राज्य जिनसे अभियुक्तियां प्राप्त हो गई हैं, ने इस मुद्दे पर संदेह/आशंका प्रकट की है। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने भी आतंकवाद के चुने हुए मामलों जिनका अंतर-राज्यीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तथा जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा उत्पन्न करते हैं तथा जासूसी, अपहरण, देश के बाहर से शस्त्रों और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी आदि जैसे संबंधित अपराधों की केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जांच के लिए मामला दर मामला आधार पर राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। नई दिल्ली में 20.12.2007 को आयोजित आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर हुए विचार-विमर्श के दौरान उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। इन प्रस्तावों पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ भी बाद में अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है। सरकार को उक्त प्रस्ताव पर 5 राज्यों से प्रति उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें से 2 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र और सिक्किम ने संयुक्त परामर्श तंत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की समीक्षा

*49. **श्री प्रसन्न आचार्य:***
श्री काशीराम राणा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्यवार, स्थानवार तथा तारीखवार कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को स्वीकृति प्रदान की गयी, वहां कितना निवेश किया गया, कितने क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया तथा कितने अभी भी लंबित हैं और कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(ख) क्या सामाजिक, आर्थिक और/अथवा अन्य किसी बात के मद्देनजर विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की समीक्षा करने की मांग करने संबंधी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) औपचारिक रूप से अनुमोदित/अधिसूचित एसईजेडों का राज्य-वार विवरण, निवेश एवं लंबित आवेदनों के साथ संलग्न है। इस संबंध में आगे और जानकारी वेबसाइट www.sezindia.nic.in पर देखी जा सकती है।

(ख) से (ङ) अधिगृहीत भूमि हेतु अपर्याप्त मुआवजा, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण, एसईजेड के प्रयोजनों हेतु कृषि से भूमि का अपवर्तन, एसईजेडों की पर्याप्त अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं की आवश्यकता, गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यकलापों हेतु उपयोग में लाई गई भूमि, एसईजेडों हेतु अनुमत्य भूमि के अधिकतम आकार सहित अनेक मुद्दों पर विभिन्न पणधारकों से निवेदन प्राप्त हुए हैं।

मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईजीओएम) एसईजेडों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर विचार-विमर्श करती है और उचित निर्णय लेती है। ईजीओएम द्वारा लिए गए निर्णयों में शामिल हैं: बहु उत्पाद एसईजेडों हेतु क्षेत्र संबंधी अपेक्षा का 5000 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा पर निर्धारण, एसईजेडों हेतु ऐसी भूमि को प्राथमिकता दिया जाना जो कृषि योग्य नहीं है; अथवा एक फसली भूमि अन्यथा द्विफसली भूमि के केवल 10 प्रतिशत का ही बहु-उत्पाद एसईजेडों हेतु अधिग्रहण किया जाना, उन एसईजेडों में जहां राज्य सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2007 के पश्चात एसईजेडों हेतु भूमि का अनिवार्य अर्जन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है वहां एसईजेडों हेतु अनुमोदन बोर्ड (बीओए) निकासी की आवश्यकता नहीं होगी आदि। सरकार ने भूमि की उचित बाजार कीमत प्राप्त करने तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु एक नीति के निर्धारण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में एसईजेड अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	राज्य वार निवेश (करोड़ रु.)	अनुमोदन हेतु लंबित प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	96	56	4589.905	22
2.	चंडीगढ़	2	2	264.93	2
3.	अंडमान और निकोबार	–	–	–	2
4.	छत्तीसगढ़	1	–	–	–
5.	दिल्ली	2	1	–	6
6.	दादरा और नगर हवेली	4	–	–	–
7.	गोवा	7	3	296.59	11
8.	गुजरात	47	23	43522.936	19
9.	हरियाणा	44	24	2498.85	24
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
11.	झारखंड	1	1	–	–
12.	कर्नाटक	48	24	5647.62	28
13.	केरल	16	8	1239.715	17
14.	मध्य प्रदेश	13	4	105.13	2
15.	महाराष्ट्र	100	38	5743.569	43
16.	नागालैंड	2	–	–	–
17.	उड़ीसा	10	4	58.51	5
18.	पुडुचेरी	1	–	–	–
19.	पंजाब	9	2	706.09	–
20.	राजस्थान	8	5	157.98	–
21.	तमिलनाडु	62	42	6554.82	18
22.	उत्तर प्रदेश	31	13	1472.23	10
23.	उत्तराखण्ड	3	2	–	1
24.	पश्चिम बंगाल	24	8	489.43	12
	कुल	531	260	73348.305	222

भेषज कंपनियों द्वारा कच्चे माल का आयात

*50. **मो. मुकीम:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) भेषज कंपनियों को गैर-उल्लंघनकारी प्रक्रिया के दावों के आधार पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-उल्लंघनकारी प्रक्रिया के लिए दावाकृत सामग्री लागत-उत्पादन मानदण्डों के अंतर्गत प्रकाशित की गई सामग्री से काफी अधिक है;

(ग) किन-किन कंपनियों को गैर-उल्लंघनकारी प्रक्रिया के आधार पर कच्चे माल के आयात की अनुमति प्रदान की गई है और निर्यात उत्पादों तथा निर्यात के देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सामग्री के निर्यात के लिए इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और इन कंपनियों द्वारा सीमाशुल्क मुक्त कच्चे माल की भारतीय बाजार में बिक्री कर मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) कुछेक भेषज कंपनियों को गैर-उल्लंघनकारी प्रक्रिया के आधार पर कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गई है। ये लागत-उत्पादन मानदण्ड उस प्रक्रिया पर आधारित हैं जिसके अंतर्गत भेषज उत्पादों का उत्पादन किया जाता है तथा वे उक्त उत्पाद हेतु मानक लागत उत्पादन मानदण्डों (एसआईओएन) से अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।

(ग) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

फर्म का नाम	निर्यात उत्पाद	निर्यात का देश
मै. ल्यूपिन लि.	(क) सेफोटैक्सिम सोडियम	अमरीका
	(ख) स्टराइल सेफट्राइएक्सोन सोडियम	अमरीका
मै. कैडिला फार्मा प्रा.लि.	कार्बिनोक्सामाइन टैन्नेट	अमरीका
मै. मेडिकार्प टेक्नोलाजीज इंड. लि.	क्लैरिथ्रोमाइसिन	कनाडा, अमरीका एवं यूरोप

(घ) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत आयात, वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति के अध्यधीन होते हैं। अग्रिम प्राधिकार धारक द्वारा प्रत्येक प्राधिकार हेतु शुल्क मुक्त लागत की खपत एवं उपयोग का एक सही एवं उचित लेखा रखा जाना अपेक्षित होता है। केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों एवं डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों दोनों द्वारा यादृच्छिक जांच की जा सकती है। लाइसेंस संबंधी शर्तों के उल्लंघन के मामले में, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। घरेलू बाजार में सीमाशुल्क मुक्त सामग्री की बिक्री का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है।

शिक्षा क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति

*51. **श्री के.एस. राव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योग्य, प्रशिक्षित तथा उच्च कुशल तकनीकी श्रमशक्ति तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण/इंजीनियरिंग/उच्च शिक्षा संस्थानों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) आदि की राज्य-वार, क्षेत्र-वार वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कौशल अंतराल को पाटने तथा समुचित प्रशिक्षित श्रमशक्ति तैयार करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी से व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग, उच्च शिक्षा तथा आई.आई.टी. संस्थानों की पहचान को बढ़ावा देने के लिए एक उदार नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.6.2008 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित कुल 3972 इंजीनियरी संस्थाएं (डिग्री और डिप्लोमा स्तर की) हैं जिनकी वार्षिक दाखिला क्षमता 12,84,090 है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा इनकी वर्ष 2008-09 की दाखिला क्षमता के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की कुल वार्षिक दाखिला क्षमता 6992 सीटें और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की वार्षिक दाखिला क्षमता 11570 सीटें हैं। माध्यमिक शिक्षा को

व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत लगभग 10 लाख विद्यार्थियों की वार्षिक दाखिला क्षमता सर्जित की गई है।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंजीनियरी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने में प्रोत्साहन देने के लिए किये गये कुछ उपायों में शामिल हैं- (1) पालीटेक्निकों में द्वितीय पाली की अनुमति प्रदान करना, (2) नई डिप्लोमा संस्थाओं की स्थापना संबंधी मानदण्डों में छूट प्रदान करना, (3) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के साथ-साथ वास्तविक और स्पष्ट रूप से परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया, (4) पूर्वोत्तर राज्यों में नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग शुल्क में छूट देना और (5) केवल महिलाओं के लिए नई तकनीकी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए मानदण्डों में छूट देना।

पालीटेक्निकों से संबंधित उप-मिशन स्कीम के तहत 600 पालीटेक्निकों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है जिनमें से 300 पालीटेक्निकों को सार्वजनिक-प्राइवेट सहभागिता पद्धति के तहत स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1000 पालीटेक्निकों का नवीकरण करने की सामुदायिक पालीटेक्निक स्कीम भी शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे प्रति वर्ष लगभग 6 लाख युवाओं को रोजगार कौशल प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। सार्वजनिक-प्राइवेट सहभागिता पद्धति के तहत 20 नये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-2009 (दिनांक 30.6.2008 की स्थिति के अनुसार) के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी (डिग्री और डिप्लोमा) संस्थाओं का ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिग्री		डिप्लोमा	
		संस्थानों की संख्या	दाखिला क्षमता	संस्थानों की संख्या	दाखिला क्षमता
1	2	3	4	5	6
केन्द्र	मध्य प्रदेश	146	53267	55	17601
	छत्तीसगढ़	33	10624	16	3355
	गुजरात	54	19598	68	20270
पश्चिम	मिजोरम	1	120	4	369
	सिक्किम	1	498	0	0
	उड़ीसा	67	21895	44	12380
	पश्चिम बंगाल	70	19493	51	11285
	त्रिपुरा	3	36	1	100
	मेघालय	1	240	3	380
	अरुणाचल प्रदेश	1	264	2	370
	अण्डमान और निकोबार	0	0	2	334
	असम	7	1496	13	2173
	मणिपुर	1	115	1	170
	नागालैंड	1	240	0	0
	झारखंड	11	3710	10	3490

1	2	3	4	5	6
उत्तर	बिहार	14	3060	13	3585
	उत्तर प्रदेश	239	78134	93	16083
	उत्तराखंड	18	6237	30	4019
उत्तर पश्चिम	चण्डीगढ़	5	788	3	615
	हरियाणा	112	36853	102	36980
	जम्मू-कश्मीर	7	2181	14	3420
	दिल्ली	19	7283	17	5080
	पंजाब	69	26263	68	25970
	राजस्थान	77	27853	67	12811
	हिमाचल प्रदेश	9	2292	9	1650
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	494	183223	126	29765
	पुडुचेरी	9	3624	5	1200
	तमिलनाडु	344	145268	324	114109
दक्षिण पश्चिम	कर्नाटक	154	66603	240	61077
	केरल	94	29355	60	11855
पश्चिम	महाराष्ट्र	233	67067	216	63155
	गोवा	3	629	8	1860
	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	2	270
	कुल योग	2297	818309	1675	465781

संस्थानों की संख्या

विदेशी विश्वविद्यालयों को विनियमित करना

*52. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
श्री महेश कनोडीया:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संस्थान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से स्वीकृति प्राप्त किए बिना विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की गई डिग्रियां अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं होती हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को विनियमित करने तथा इन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता/स्तर को बनाए रखने हेतु कोई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा विशेषकर चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों का शोषण रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार ऐसी 68 संस्थानों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है जो परिषद के अनुमोदन के बिना विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत स्थापित अथवा इस अधिनियम की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय घोषित संस्था से भिन्न कोई विश्वविद्यालय भारत में डिग्री प्रदान नहीं कर सकता।

(ग) और (घ) इस समय केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के लिए विनियम बनाए हैं। सरकार भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के लिए विधायी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अग्रणी समाचार पत्रों में आम सूचनाएं प्रकाशित कराई हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अनुमोदित न की गई संस्थाओं की सूची प्रदर्शित की है जिसमें ऐसी संस्थाओं के बारे में विद्यार्थियों को सचेत किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद भी समय-समय पर अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाती है और आम जनता को भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमोदित न की गई किसी विदेशी संस्था में दाखिला न लेने के बारे में सतर्क किया जाता है और ऐसे भ्रमित विज्ञापनों से प्रभावित न होने की सलाह दी जाती है।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी 17 जून, 2008 को प्रिंट मीडिया में आम अपील की है जिसमें अभिभावकों/संरक्षकों तथा विद्यार्थियों को इस बारे में सतर्क किया गया है कि वे उच्चतर शिक्षा संस्था में दाखिला लेते समय स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लें कि इस प्रकार की संस्था प्रासंगिक कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है और वह अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के मामले में भी अभिभावकों और विद्यार्थियों को यह सलाह दी गई है कि जिन पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले किए जा रहे हैं/विज्ञापन दिए जा रहे हैं वे विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हैं और इसके साथ-साथ कि वे परिसर जिनमें दाखिले प्रदान किए जा रहे हैं, भी इस प्रकार की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के मान्यता प्राप्त परिसर हैं। किसी प्रकार के संदेह के मामले में उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इत्यादि जैसे सांविधिक निकायों से प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने की सलाह दी गई है। इन सांविधिक निकायों को भी यह निदेश दिया गया है कि वे अप्राधिकृत और गैर-मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कारगर अभियान शुरू करें और कानून के तहत उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई करें। मीडिया से भी यह अपील की गई है कि वह अपने विज्ञापन राजस्व की हानि के बावजूद इस प्रकार के भ्रमित विज्ञापनों का प्रचार-प्रसार न करें।

दिनांक 22 और 23 जुलाई, 2008 को आयोजित किए गए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वह ऐसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें जिन्होंने आवश्यक कानूनों अथवा विनियमों का अनुपालन नहीं किया है और विद्यार्थियों को भ्रमित विज्ञापनों अथवा अन्य तरीकों से धोखा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

जेलों की स्थिति

*53. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेलों की क्षमता से अधिक कैदी होने की वजह से देश में विभिन्न जेलों और उनके कैदियों की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जेलों की स्थिति में सुधार करने और नई जेलों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को निधियां स्वीकृत की हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गयी; और

(घ) इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार कारागार में 2,63,911 की क्षमता की जगह 2006 के अंत तक देश में कैदियों की कुल संख्या 3,73,271 थी। इस तरह 41.4 प्रतिशत की सीमा तक अधिक भीड़भाड़ है। इससे जेलों में उपलब्ध सुविधाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है।

(ख) और (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 के अंतर्गत "कारागार" राज्य का विषय है तथा कारागार प्रशासन, राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, कारागारों और कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने भीड़-भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त जेलों/बैरकों के निर्माण, मौजूदा जेलों की मरम्मत और पुनरुद्धार, साफ सफाई तथा जलापूर्ति और कैदियों की रहने की परिस्थिति में सुधार करने सहित कारागार स्टाफ के लिए आवास हेतु 2002-03 में एक गैर-योजना स्कीम शुरू की थी। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत अंशदान आधार पर 1800 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ स्कीम को पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम को 31.3.2009 तक बढ़ा दिया गया है। विगत तीन वर्षों सहित चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को आवंटित धनराशि तथा राज्य सरकारों को जारी धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) स्कीम के द्वितीय चरण को शुरू करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कारागारों के तकनीकी उन्नयन, कारागार स्टाफ को प्रशिक्षण तथा सुधारात्मक सेवाओं पर पहल जैसे अन्य अवयवों के अलावा नई जेलों/अतिरिक्त बैरकों के निर्माण पर मुख्य बल दिया जा रहा है जिससे कि स्कीम के अंत में जेलों में भीड़-भाड़ को कम करके न्यूनतम किया जा सके।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार आबंटित/जारी धनराशि का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आवंटन (केन्द्रीय अंशदान)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	आज की तारीख तक जारी कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	79.73	15.95	0.00	15.95	0.00	79.73
2.	असम	29.38	0.00	0.00	16.92	0.00	28.66
3.	बिहार	134.57	0.00	20.55	59.62	.0.00	134.57
4.	छत्तीसगढ़	28.03	8.43	2.16	0.00	0.00	21.80
5.	गोवा	10.22	0.00	8.15	0.00	0.00	10.19
6.	गुजरात	49.41	0.00	16.68	9.91	3.06	49.41
7.	हरियाणा	77.07	23.12	23.13	0.00	0.00	77.07
8.	हिमाचल प्रदेश	15.16	3.56	5.52	0.00	0.00	15.14
9.	जम्मू-कश्मीर	23.18	2.82	0.00	6.48	0.00	21.66
10.	झारखंड	31.68	0.00	0.00	0.00	19.01	31.68
11.	कर्नाटक	40.43	8.01	8.31	0.00	0.00	40.35
12.	केरल	24.57	0.00	0.00	14.73	0.00	24.56
13.	मध्य प्रदेश	116.36	18.69	16.60	19.05	0.00	106.82
14.	महाराष्ट्र	96.87	20.69	3.94	19.37	0.00	96.87

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मणिपुर	11.79	0.00	7.07	1.23	0.96	11.61
16.	मेघालय	12.28	0.00	4.91	1.84	0.62	12.27
17.	मिजोरम	13.33	2.66	0.00	2.66	0.00	13.32
18.	नागालैंड	11.89	1.58	0.79	2.37	0.00	11.85
19.	उड़ीसा	80.55	16.10	16.14	0.00	0.00	80.55
20.	पंजाब	55.85	0.00	11.17	22.34	0.00	44.67
21.	राजस्थान	48.86	5.47	2.17	11.88	0.00	48.84
22.	सिक्किम	13.64	0.00	0.00	5.45	0.00	13.64
23.	तमिलनाडु	71.51	12.50	20.73	0.00	0.00	69.29
24.	त्रिपुरा	20.99	5.28	0.00	5.32	1.99	20.99
25.	उत्तर प्रदेश	173.44	22.50	42.33	6.59	0.00	174.44
26.	उत्तराखंड	22.74	4.55	4.55	0.00	0.00	22.74
27.	पश्चिम बंगाल	53.93	8.09	0.00	8.31	4.08	51.23
	कुल	1347.40	180.00	214.89	230.00	29.73	1312.91

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना

*54. **योगी आदित्यनाथ:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) जारी करने के संबंध में सरकार ने कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या यह संतोषजनक रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पूरे देश में एमएनआईसी कब तक जारी कर दिए जाएंगे; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) देश के 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के चयनित क्षेत्रों में 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 12 लाख से अधिक पहचान (स्मार्ट) कार्ड वितरित करके बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य 31.03.2008 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। प्रायोगिक क्षेत्रों में प्रत्येक तहसील/ब्लाक में 20 एम.एन.आई.सी. केन्द्र 31.03.2009 तक कार्य करते रहेंगे जोकि डाटाबेस के रखरखाव और इसे अद्यतन करने तथा इस अवधि के दौरान 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने का कार्य करेंगे।

(घ) और (ङ) वर्ष 2011 में आगामी दशकीय जनगणना के समय जनसंख्या की गणना के साथ-साथ प्रत्येक निवासी के संबंध में विशिष्ट मदों संबंधी जानकारी एकत्रित करके राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है। योजना आयोग ने 11वीं योजना में इस कार्य के लिए 300.00 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन

*55. **श्री चन्द्रभान सिंह:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में संस्कृति शिक्षा को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना करके संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दे रही है। जैसे- (1) वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के संरक्षण, रखरखाव एवं विकास और पाठशालाओं के माध्यम से वेदों के अध्ययन हेतु उज्जैन में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (2) संस्कृत शिक्षण के आधुनिकीकरण हेतु शोध एवं बुनियादी सुविधाओं के सृजन तथा प्रोन्नयन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, एक सम विश्वविद्यालय (3) संस्कृत अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करने वाले 3 सम विश्वविद्यालय तथा 8 राज्य विश्वविद्यालय हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नियमित रूप से निधियां प्राप्त कर रहे हैं (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर संस्कृत एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

लब्धप्रतिष्ठ संस्कृत विद्वानों को सम्मानित करने के लिए एक राष्ट्रपति पुरस्कार योजना मौजूद है जिसके तहत युवा विद्वानों को 16 सम्मान प्रमाणपत्र और 5 महर्षि बादरायण व्यास सम्मान-कुल 21 पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्कृत भाषा में गुणवत्तायुक्त शिक्षण/शोध को प्रोत्साहित करने हेतु वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार प्रदान करता है। भारत सरकार संस्कृत के प्रचार-प्रसार तथा विकास हेतु कई योजनाओं जैसे संस्कृत शिक्षकों और पारम्परिक संस्कृत पाठशालाओं में आधुनिक विषयों के शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता अभावग्रस्त परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे लब्ध प्रतिष्ठ संस्कृत पंडितों और संस्कृत को प्रोत्साहन देने, संस्कृत पुस्तकें खरीदने, स्कूलों, पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों में छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रु. लाख में)

संगठन का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
	आबंटित निधि	व्यय	आबंटित निधि	व्यय	आबंटित निधि	व्यय
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	3207	3870.80	4414	4925.20	5219.67	5414.95
महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	250	025	170	170	520	520
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1900.00	1040.09	1600.00	1329.47	संस्कृत विकास योजना का मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अंतरित किया गया	

उपर्युक्त के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न सम विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों जिनका मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा का विकास एवं शिक्षण है, को वर्ष 2005-06 के दौरान 2067.07 लाख रु., वर्ष 2006-07 के दौरान 2107.39 लाख रु. और वर्ष 2007-08 के दौरान 2550.06 लाख रु. का अनुदान जारी किया था।

[अनुवाद]

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश

***56. श्री के. सुब्बारायणः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुदरा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है;

(ख) खुदरा क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमति प्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) का ब्यौरा क्या है तथा वे किन-किन राज्यों में कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में उनके कार्य-निष्पादन के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) 'सिंगल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार को छोड़कर, जहां सरकार के पूर्व अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है, खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

(1) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'सिंगल ब्रांड' के होने चाहिएं।

(2) उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाना चाहिए।

(3) 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में केवल उन्हीं उत्पादों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्रांड प्रदान किया जाता है।

(ख) सिंगल ब्रांड के खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफ.डी.आई. के लिए प्रदान किये गये अनुमोदनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सिंगल ब्रांड के खुदरा व्यापार क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसीएस) के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन प्रारंभ नहीं किया गया है।

विवरण

बेहतर खुदरा व्यापार प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम/विदेशी निवेशक का नाम	पता	गतिविधियां	खुदरा व्यापार के लिए ब्राण्ड
1	2	3	4	5
1.	मै. मोजा शूज मै. टानों इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 1/और अथवा इसकी सहायक कंपनियां, मोरीशस	एसएसआईपीएल रिटेल लि. बी 1/एफ 4, मोहन को-आप इंडस्ट्रीयल एरिया मथुरा रोड, नई दिल्ली-44	"नाइक ब्रांड" के सभी प्रकार के फुटवियर, स्पोर्टस वीयर, बूट्स स्लीपर, सैंडिल, खेलकूद के जूते और परिधान आदि का कंपनी द्वारा धारित खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से खुदरा व्यापार	नाइक ब्रांड
2.	मै. एल.बी. ट्रेडिंग इंडिया मै. ल्युइस ल्यूटोन मैलेटियर, फ्रांस	एलबी ट्रेडिंग (इ) प्रा.लि. 2 ई कालकोट, दूसरा तल टाइरिंग लेन, फोर्ट, मुम्बई-400001	डेरीरिफिल पेपर 2. पैन और पैन रिफिल 3. जूते 4. ट्रंक ट्रैवल बैग/पर्स 5. चमड़े की अन्य वस्तुए 6. सनग्लासिस 7. घड़ियां 8. प्लास्टिक की अन्य वस्तुए 9. नकली आभूषण 10. टाइयां 11. कपड़ा (स्कार्फ और शाल) 12. छाते 13. सिले-सिलाए वस्त्र सहित एलवीएम उत्पादों का खुदरा व्यापार	एलवीएम
3.	मै. लाड्रो कमर्शियल एस.ए. मै. लाड्रो कमर्शियल एस.ए., स्पेन	मै एसपीए एजन्सिज (इं) प्रा.लि., 164/3 लाडो सराय, नई दिल्ली-110030	लाड्रो के उत्पादों के विपणन के लिए नैटवर्क बुटीक की स्थापना हेतु मै. लाड्रो और एसपीए एजेंसीस द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करना	लाड्रो

1	2	3	4	5
4.	मै. फनफैशन इंडिया प्रा.लि. मै. फैंडी इंटरनैशनल, एसए फ्रांस	मै. चोरडिया फेशन्स प्रा.लि. डी ब्लाक, शिवसागर एस्टेट डा. एनी बेसेन्ट रोड, वर्ली, मुम्बई	जूतों, पहनने के परिधान ट्रंक ट्रैवल बैग, पर्स सनग्लासिस, घड़ियों, नकली आभूषणों वस्त्र सहित फैंडी उत्पादों का खुदरा व्यापार	फैंडी
5.	मै. डैमरो एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. मै. डैमरो एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., श्रीलंका	150 (पुराना नं. 39/19) आरकोट रोड, कोडामबाक्कम, चेन्नई-600024	डैमरो के नाम से सिंगल ब्रांड के अधीन नोड डाउन फर्नीचर का खुदरा व्यापार	डैमरो
6.	मै. रिनो ग्रेगियो अर्जेंटेरी एसपीए मै. रिनो ग्रेगियो अर्जेंटेरी एसपीए, इटली	मै. केआर चावला एंड कं. सातवां तल, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-01	रिटेल ट्रेडिंग आफ सिल्वर आइटम	अर्जेंटेरी ग्रीगियो
7.	मै. मित्सुई आटोमोटिव इंवैस्टमैंट बीवी मै. मित्सुई आटोमोटिव इंवैस्टमैंट बीवी, नीदरलैंड	मै. टीसीआई इंडिया लि. प्लाट नं. 69 टीसीआई हाउस, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32 गुड़गांव	टोयटा मेक कारों का खुदरा व्यापार	टोयटा
8.	मै. एलमैनेगिल्डो जैगना मै. एलमैनिग्लोड जैगना होल्डो जैगना होल्डी टाल्या एसपीए, इटली	135, मेरिन ड्राइव, मुम्बई-400020	(क) सिले-सिलाए वस्त्रों (ख) फुटवियर (ग) चमड़े का सामान (घ) इत्र (ङ) क्रिसमिस उपहार आदि के विपणन के लिए जैगना खुदरा स्टोरों की स्थापना करना	जैगना
9.	मै. इटामिंट, बेल्जियम मै. इटामिंट, बेल्जियम	मै. इटाम फ्यूचर फैशन्स प्रा.लि. नोलेज हाउस श्याम नगर, आफ जोगेश्वरी विक्रोली, लिंक रोड जोगेश्वरी (ईस्ट) मुम्बई-400060	ईटीएएम उत्पादों का खुदरा व्यापार। महिलाओं के फैशन में (सिलेसिलाए, लिंगेरी और अन्य असैसरीज)	इटाम
10.	मै. ली. कूपर इंटरनैशनल लि. मै. ली. कूपर इंटरनैशनल लि.	मै. ली. कूपर इंडिया प्रा.लि. 16/2, अली आस्कर रोड, बंगलौर-560052	फैशन श्रेणी (पुरुषों के लिए सिलेसिलाए) में ली कूपर उत्पादों का खुदरा व्यापार	ली. कूपर
11.	मै. फैबइंडिया ओवरसीज प्रा.लि. मै. फैबइंडिया इंक, यूएसए मै. डब्ल्युसीपी मारिशस होल्डिंग्स	मै. फेबइंडिया ओवरसीज प्रा.लि./14, एन ब्लाक मार्केट, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048	हस्तशिल्प, कपड़ों, एसैसरील, होम फर्निशिंग आदि सहित फैब इंडिया उत्पादों का खुदरा व्यापार	फेबइंडिया
12.	मै. सोकोमैक एसए मै. सोकोमैक एस.ए., फ्रांस	मै. सोकोमैक एसए न्यूमेरिक हाउस, सं. 5, सर पीएस सिवासामी साय, माइटापोर, चैन्नई-600004	सिंगल सोकोमैक ब्रांड यूपीएस सिस्टम्स संबंधित असैसरीज का खुदरा व्यापार	सोकोमैक
13.	मै. ग्रोटो एसपीए मै. ग्रोटो एसपीए, इटली	मार्फत मै. फोक्स मंडल एंड कं. एफएम हाउस, ए-9, सेक्टर-9, नोयडा-20131	फैशन श्रेणियों में गैस ब्रांड के सिंगल ब्रांड के अंतर्गत खुदरा व्यापार	गैस
14.	मै. महतानी फैशन प्रा.लि. मै. सिन रोंग प्रा.लि. सिंगापुर	मै. महतानी फैशन्स प्रा.लि. रजि. आफिस ई-534, जीके-2 कार्पोरेट आफिस ए-26, सेक्टर-3, नोयडा	फुटवियर में 6-जी ए के ब्रांड के अंतर्गत खुदरा व्यापार	वीआई-जीए
15.	मै. वाह ल्यून इलैक्ट्रानिक टूल्स कं. लि. मै. वाह ल्यून इलैक्ट्रनिक टूल्स कं. लि., चीन	विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) जसबीर एस. चड्ढा, 84 ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-65	"सीटी ब्रांड" में नाम एकल ब्रांड के अंतर्गत बेचे गये इलैक्ट्रानिक वस्तुओं तथा औजारों का खुदरा व्यापार	सीटी ब्रांड

1	2	3	4	5
16.	मै सिग्नेचर किचन्स इंडिया प्रा.लि. मै. सिग्नेचर किचन कुआलालामपुर, मलेशिया	मै. सिग्नेचर किचन्स इंडिया प्रा.लि., 8 अलसूर रोड, बंगलौर-560042	मोड्लर किचन तथा किचन केबिनेट, सिग्नेचर किचन एक्सेसरीज, कुकिंग रेंज उपकरण, ओवन्स, चिमनी, वार्डरोब्स, सोलर पावर्ड तथा अन्य गैर परम्परागत ऊर्जा उपकरण का खुदरा व्यापार	सिग्नेचर किचन
17.	मै. क्रिश्चियन डायोर ट्रेडिंग इं. प्रा.लि. मै. क्रिश्चियन डायोर कोचूर पेरिस, फ्रांस	मै. क्रिश्चियन डायोर ट्रेडिंग इं प्रा.लि. कमरा नं. 10, चौथा तल, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग 55, एमजी रोड, फोर्ट-मुम्बई-03	लग्जरी रेडी टू फैशन, मैन वियर, वुमेज वियर, एक्सेसरीज तथा "क्रिश्चियन डायोर ब्रांड की लग्जरी वस्तुएं"	क्रिश्चियन डायोर
18.	मै. फेरएवर न्यू एप्रेल्स प्रा.लि. मै. फोरएवर न्यू एप्रेल्स प्रा.लि., आस्ट्रेलिया	मै. भारत कुमार गोयनका, फूडस फेटल एंड फर्टीलाइजर्स लि. सातवां तल, फाउंटेन प्लाजा, पेंडेयोन रोड, इग्मोर, चैन्नई-600008	"फारएवर न्यू" नामक एकल ब्रांड के अंतर्गत फेशन कल्लोथिंग हैंडबैग, बेल्ट ज्वेलरी तथा अन्य एक्सेसरीज	फारएवर न्यू
19.	मै. खन्ना स्पेशियलटी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. हमर्स इन्टरनेशनल फ्रांस	मै. खन्ना स्पेशियलटी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. न. 2 अशोका एवेन्यू, डीलएफ छत्तरपुर, नई दिल्ली-110030	हर्मस एकल ब्रांड के अंतर्गत चमड़े की वस्तुएं, पुरुषों व महिलाओं के लिए रेडी टू वियर, परफ्यूमस व कास्मेटिक, स्टेशनरी तथा डेयरीज, फुटवियर तथा संबद्ध एक्सेसरीज, इनेमल प्रोडक्ट, आर्ट आफ लिविंग प्रोडक्ट्स, टेबलवेयर, जीनसाबी व घुड़सवारी गियर, ज्वेलरी तथा एक्सेसरीज, सिल्क तथा टेक्सटाइल की वस्तुएं व एक्सेसरीज, पेटस मर्दे, बेबीज रेडी टू वियर एवं एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	हमर्स
20.	मै. ट्रिओ स्पोर्टस वियर प्रा.लि. मै. ट्रिओ सलेक्शन इंक कनाडा	मै. टियो स्पोटर्स वियर प्रा.लि. डी 18/1, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020	"ग्रोजी" ट्रेड नाम के अंतर्गत सभी प्रकार की खेल के सामान एप्परल, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, गार्मेन्टस, एक्सेसरीज तथा अन्य मर्चेंडाइजिंग मदों का खुदरा व्यापार	"ग्रोजी"
21.	मै. टोडस रिटेल इंडिया प्रा.लि. मै. टोडस हांग कांग लि. मै. टोडस इंटरनेशनल बीवी	मै. बुखानवाला होल्डिंग प्रा.लि. तीसरा तल, बुखानवाला चैम्बर्स, बी-28-वीरा इंडस्ट्रीयल एस्टेट, मुम्बई-400053	"टोड" नामक ब्रांड के अंतर्गत पुरुषों तथा महिलाओं के लिए रेडी टु वियर, शूज, लेदर की जैकेट्स तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	टोड
22.	मै. डीजल फैशन इंडिया अरविंद प्रा.लि. डीजल इंटरनेशनल बीवी	मै. डीजल फैशन इंडिया अरविंद प्रा.लि., अरविंद मिल्स परिसर, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380025	डीजल नामक ब्रांड के अंतर्गत पुरुषों व महिलाओं के लिए रेडी टू वियर तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	डीजल
23.	मै. डोइस एंड गब्बाना मै. डोइस एंड गब्बाना, मिलान इटली	मै. डीएलएफ लि. शापिंग माल, तीसरा तल, अर्जन मार्ग फेस-1, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव-122002	डोइस एंड गब्बना, तथा डी एंड जी डोइस एंड गब्बाना दो ब्रांडो का खुदरा व्यापार	डोइस एंड गब्बाना तथा डी एंड जी डोइस एंड गब्बाना
24.	मै. एलए सोवरेन बाइसिकल्स प्रा.लि. मै. एलए बाइसकिल्स (थाइलैंड) मै. इण्डस ट्रेडिंग कं., थाइलैंड	मै. एलए सोवरेन बाइसिकल्स प्रा.लि. 168 बी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट लुधियाना-141003 पंजाब	एलए सोवरेन नामक ब्रांड के अंतर्गत बाइसाइकिलों, खिलौनों ई-बाइक तथा उनके पुर्जों तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	एलए सोवरेन

1	2	3	4	5
25.	मै. क्रिस्टल बाल फैशन प्रा.लि. मै. रेने डेरही, फ्रांस	मै. क्रिसटल बाल फैशन प्रा.लि. सी-49, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2, नई दिल्ली	'डेरही' नामक ब्रांड के अंतर्गत एप्पल तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	डेरही
26.	मै. क्रोक्स इंक मै. क्रोक्स इंक, यूएसए	मै. चोगोरी रिटेल प्रा.लि. 511, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-11	'क्रोक्स' एकल ब्रांड के अंतर्गत फुटवियर, एप्पेरल तथा जामर्स का व्यापार	क्रोक्स
27.	मै. रिचमोंट सर्विसेस बीवी	मै. नरत्न भारत रिटेल प्रा.लि. 46, अराधना चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110066	'कार्टियर' नामक ब्रांड के अंतर्गत ज्वेलरी, घड़ियां गिफ्ट आर्टिकल्स आदि का व्यापार	कार्टियर
28.	मै. पावर प्लेट इंडिया होल्डिंग लि.	मै. पावर प्लेट इंडिया प्रा.लि. 603 इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	पावर प्लेट नामक एकल ब्रांड के अंतर्गत फिटनेस उपकरण का खुदरा व्यापार	पावर प्लेट
29.	मै. जोरजियो अरमानी होल्डिंग बीवी	मै. डीएलएफ लि., डीएलएफ शापिंग माल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेस-1, गुड़गांव-120002 डीएलएफ लि., डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	क्लाथिंग फुटवियर, चमड़े की वस्तुओं आदि सहित अरमानी उत्पादों का खुदरा व्यापार	अरमानी
30.	मै. गियोरडानो मारिशस लि.	मै. गियोरडानो फैशन्स (इं) प्रा.लि. 58/17, श्रीरंगम एवेन्यु पेन्थेआन रोड, इग्मोर, चेन्नई-60008	गियोरडानो नामक ब्रांड के अंतर्गत मर्चेन्डाइज का खुदरा व्यापार	गियोरडानो
31.	मै. पियर्ल यूरोप मै. पियर्ल यूरोप, नीदरलैंड	मै. एबकस रिटेल प्रा.लि. दूसरा तल, चिक्कूट, श्रीराम मिल्स परिसर, गनपात्रो कदम मार्ग, वर्ली, मुम्बई	'विजन एक्सप्रेस' नामक एकल ब्रांड के अंतर्गत आप्टिकल उत्पादों का खुदरा व्यापार	विजन एक्सप्रेस
32.	मै. मार्कस एंड स्पेन्सर पीएलसी	मै. मार्क्स एंड स्पेन्सर रिलायन्स (इं) लि. दूसरा तल, चिक्कूट श्रीराम मिल्स परिसर, गनपात्रो कदम मार्ग, वर्ली, मुम्बई	मार्क्स एंड स्पेन्सर नामक ब्रांड के अंतर्गत क्लाथिंग, लिंगरीज, इलैक्ट्रिकल उपकरण तथा एप्लाइंसेस का खुदरा व्यापार	मार्क्स एंड स्पेन्सर
33.	मै. हालमार्क ग्रुप. लि.	श्री अजय सचदेवा, डी-10/10 न्यू फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली-110065	प्रमुख राष्ट्रीय स्टेंपस तता एनग्रेवड सोलिड के रूप में रिक्रिएटिड तथा गोल्ड से प्लेटिड रेपीलयस का खुदरा व्यापार	हालमार्क
34.	मै. पिकूयाड्रो एसपीए मै. पिकूयाड्रो एसपीए, इटली	मै. डीएलएफ लि., डीएलएफ शापिंग माल, तीसरा तल अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेस-1, गुड़गांव डीएलएफ लि. डीएलएफ सेंटर संसद मार्ग, नई दिल्ली-110011	'पिकूयाड्रो'' एकल ब्रांड के अंतर्गत ब्रीफकेस, हैंडबेग, कम्प्यूटर (केसेस/ट्राली) डेयरीज, शूज, स्पोर्टस वियर आदि का खुदरा व्यापार	पिकूयाड्रो
35.	मै. फेरागामों इंटरनेशनल बीवी मै. फेरागामों इंटरनेशनल बीवी नीदरलैंड	एसएसआईपीएल लग्जरी फैशन प्रा.लि. बी-1/एफ 4, मोहन को आप-इंडस्ट्रीयल एरिया मथुरा रोड, नई दिल्ली-44	सालवात्रो फेरागामो नामक ब्रांड के अंतर्गत क्लाथिंग, बेग, शूज, एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	सालवात्रो फेरागामो
36.	मै. आरन किचन वर्ल्ड प्रा.लि. मै. आरन वर्ल्ड एसआरएल, इटली	मै. आरन किचन वर्ल्ड प्रा.लि. डा. केनरान स्मिथ रोड, गोपालपुरम, चैन्नई-600086	आरन नामक ब्रांड के अंतर्गत मोडलुर फर्नीचर, किचन तथा एक्ससेसरीज का खुदरा व्यापार	आरन
37.	मै. सीलियो इंटरनेशनल	मै. सीलियो फ्यूचर फैशन लि. नोलेज हाउस, श्याम नगर आफ जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड जोगेश्वरी (ईस्ट) मुम्बई-400060	सीलियो नामक ब्रांड के अंतर्गत पुरुषों के फैशन का खुदरा व्यापार	सीलियो

सर्व शिक्षा अभियान में अनियमितताएं

***57. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को सर्व शिक्षा अभियान में धनराशि के दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मामलों में लिप्त पाए जाने के कारण राज्य-वार कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए अमस्त, 2006 में भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों द्वारा उसमें उठाए गए बिन्दुओं की जांच के आधार पर पाया गया कि लगभग 53 करोड़ रुपए की राशि सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत व्यय नहीं की गई। भारत सरकार ने राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों में अमान्य व्यय की पूर्ति हेतु राज्यों को निदेश जारी किए हैं और अभी तक 32.38 करोड़ रु. की राशि की पूर्ति कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान लेखा के तहत 14.98 करोड़ रुपये के गबन के बारे में रिपोर्ट दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और मामले की जांच राज्य सी.आई.डी. द्वारा की गई। राज्य सरकार द्वारा 3 लेखा कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया और अन्य 3 को सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। हरियाणा (2005-07) में, वित्तीय अनियमितताओं में शामिल 11 कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया जिसमें से 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कर्नाटक में 21 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे 8.58 लाख रुपये की राशि की पुनर्वसूली की गई। पश्चिम बंगाल के एक जिले में आठ कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी से 5.14 करोड़ रुपये की राशि निकाली गई, वहां सी.आई.डी. ने सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। गुजरात (2007-08) में, वित्तीय अनियमितताओं में शामिल दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 15.98 लाख रुपये की राशि की पुनर्वसूली की गई।

(घ) भारत सरकार ने अस्वीकार्य खर्च को वापस करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने वित्तीय प्रबंधन पद्धति को कारगर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में एक वित्तीय एवं अधिप्राप्ति नियमावली बनाई है और वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लेखापरीक्षा, 41 सामाजिक विज्ञान संस्थानों के द्वारा समवर्ती वित्तीय समीक्षा एवं क्षेत्र मानीटरिंग के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान की निधियों के प्रयोग की मानीटरिंग भी कर रही है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

***58. श्री परसुराम माझी:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार के अवसरों के सृजन और राजस्व अर्जन में लघु उद्योगों का योगदान कितना है;

(ख) क्या लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु सहित देश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) की तृतीय अखिल भारतीय गणना (2001-02) के आधार पर वर्ष 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान एमएसई क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया रोजगार अनुमानत: 312.52 लाख है। एमएसई द्वारा अर्जित राजस्व के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के संवर्धन और विकास को सुगम बाने के लिए सरकार 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)' तथा 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज' का कार्यान्वयन कर रही है जिसका उद्देश्य क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, आधारभूत संरचना आदि के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना है। इनमें अन्य बातों के साथ-

साथ विभिन्न उपाय शामिल हैं जिनका लक्ष्य एमएसई क्षेत्र को लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है। इसके अलावा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है जिसे 2 अक्तूबर, 2006 से लागू किया गया है और जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास की व्यवस्था की गई है।

(घ) एमएसई के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के संबंध में निधियों का आबंटन योजना-वार किया जाता है न कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार। वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्रमुख योजनाओं के तहत निर्धारित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित, जारी और उपयोग की गई धनराशि

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

योजना/कार्यक्रम का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
I. विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का कार्यालय						
1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का संवर्धन	14.66	13.09	14.54	11.95		
2. विज्ञान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान व विकास	9.94	9.70	16.75	16.08		
3. प्रशिक्षण एवं मानवशक्ति विकास	6.58	6.09	8.67	6.94		
4. ट्रीड स्कीम	0.50	0.43	1.11	0.45		
5. अनुषंगी विकास के लिए सबकान्ट्रेक्टिंग एक्सचेंज	1.10	1.03	1.11	0.91		
6. टूल रूम के लिए योजना	30.00	29.96	29.34	28.84		
7. विपणन सहायता व ई पी योजना	2.32	2.46	2.96	2.99		
8. क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र व फील्ड टेस्टिंग स्टेशन	4.05	2.54	4.05	2.98		
9. तकनीकी उन्नयन	32.25	27.80	50.43	33.05		
10. एकीकृत आधारभूत विकास योजना	20.35	20.68	22.00	19.67		
11. आंकड़ों का संग्रहण	5.00	4.38	6.05	4.73		
12. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम	200.00	205.90	118.10	126.10		
13. माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम	5.00	2.75	32.28	10.00		
14. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम	27.94	25.88	76.55	73.64		
15. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज	0.00	0.00	5.90	0.01		
उपयोग-1 (वि.आ.-सू.ल. एवं म.उ. की योजनाएं)	359.69	352.69	389.84	338.34	437.65	396.51

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.आ. (सू.ल. एवं म.उ.) के कार्यालय की योजनाएं 6 प्रमुख समूहों में बांट दी गई है। इन योजनाओं के समूहों में निर्धारित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे की सारणी में दर्शाया गया है।

	1	2	3	4	5	6	7
II.	**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)**						
1.	निवेश (इक्विटी शेयर कैपीटल)	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2.	निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम	13.80	12.97	18.45	18.45	10.00	10.00
3.	विपणन सहायता योजना	8.20	9.83	9.50	9.50	10.00	10.00
4.	एनटीएससीस-जीआईए के व्ययों को रिएम्बर्समेंट	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	उपयोग-2 (एनएसआईसी की योजनाएं)	41.00	41.80	44.95	44.95	20.00	20.00
III.	**सू.ल. एवं म.उ. मंत्रालय की अन्य योजनाएं**						
1.	सर्वेक्षण, अध्ययन एवं नीति अनुसंधान	0.50	0.23	1.50	0.18	0.40	0.40
2.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	1.20	1.20	1.75	1.75	0.70	0.66
3.	राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड (एनईडीबी)	0.50	0.59	0.60	1.00	0.00	0.00
4.	प्रशिक्षण संस्थाएं (निसिएट, निसबड ईडीआई, आईआईई)	4.57	4.85	6.55	5.11	4.40	3.73
5.	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25
6.	असंगठित क्षेत्र उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग	4.80	2.96	24.74	5.60	5.00	4.06
	उपयोग-3 (अन्य योजनाएं)	11.57	9.83	35.14	13.64	11.50	9.10
IV.	**कृषि एवं ग्रामीण योजनाएं (एआरआई)**						
1.	खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी)	560.82	558.56	677.75	672.62	737.97	707.59
2.	कयर बोर्ड	35.51	35.43	25.81	25.71	39.51	38.51
3.	परंपरागत उद्योगों के रिजनरेशन के लिए निधियों की योजना (स्फूर्ति)	1.50	1.50	25.97	25.53	21.00	15.31
4.	पीएमआरवाई	273.69	272.54	252.60	248.51	320.00	318.78
	उपयोग-4 (एआरआई योजनाएं)	871.52	868.03	982.13	972.37	1118.48	1080.19
	कुल योग	1283.87	1272.35	1452.06	1369.30	1587.63	1505.80

सारणी-1 वर्ष 2007-08 के दौरान वि.आ. (सू.ल. एवं म.उ.) योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित, जारी और उपयोग की गई धनराशि

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	योजना/कार्यक्रम का नाम	2007-08	
		संशोधित अनुमान	व्यय
	1	2	3
1.	गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान एवं कार्यक्रम	153.95	139.25
2.	उन्नयन सेवाएं संस्थान एवं कार्यक्रम	34.75	25.79

1		2	3
3.	एमएसएमई कलस्टर विकास कार्यक्रम एवं एमएसएमई विकास स्तंभ	19.00	16.95
4.	क्रेडिट सपोर्ट प्रोग्राम	207.70	207.52
5.	एमडीए प्रोग्राम	1.60	1.36
6.	डाटा बेस का अद्यतनीकरण	20.65	5.64
	योग	437.65	396.51

*वर्ष 2005-06 में कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय एक अलग मंत्रालय था। इसे वर्ष 2006-07 में लघु उद्योग मंत्रालय में विलय कर एक नया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय (एमएसएमई) बनाया गया है।

जीनोम और जीवन विज्ञान अनुसंधान

***59. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीनोम अनुसंधान और अन्य जीवन विज्ञान अनुसंधान में अपने निवेश में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान और विकास पर भारत द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किया जाने वाला व्यय अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अनुसंधानों हेतु वित्तपोषण राशि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। जीवन विज्ञान अनुसंधान में जीनोम अनुसंधान शामिल है जिसको जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी जीवन विज्ञान में जीनोमी अनुसंधान की सहायता करता है। 10वीं योजना (2002-2007) के दौरान उपगत कुल व्यय 2151.56 करोड़ रुपये की राशि 11वीं योजना (2007-2012) के दौरान जीवन विज्ञान अनुसंधान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी विकास के संवर्धन के लिए कुल वितरण का 7579.00 करोड़ रुपये सहित 3.5 गुणा की वृद्धि की गई है। इसी तरह, जीनोमी अनुसंधान के लिए 10वीं योजना में लगभग 250.00 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 11वीं योजना के दौरान वितरण की 1077.00 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा दी गई है।

(ग) 10वीं योजना के दौरान 25301.35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11वीं योजना के दौरान सरकार ने 75304.00 करोड़ रुपये की राशि वैज्ञानिक विभागों के विकास के लिए आवंटित की है। फिर भी, उपलब्ध सरकारी सांख्यकीय के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी(की प्रतिशतता के संदर्भ में भारत में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में चीन जैसे कुछ उन विकासशील देशों की तुलना में निम्नतर है, लेकिन अर्जेन्टीना, ब्राजील, मिस्र और श्रीलंका जैसे अनेक अन्य विकासशील देशों की तुलना में यह उच्चतर है। वर्ष 2005-2006 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के स्वरूप अनुसंधान एवं विकास पर किया गया लगभग 0.88 प्रतिशत था।

(घ) सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय बढ़ाए जाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर उच्चतर आवंटन वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान; उत्कृष्टता केन्द्रों के सृजन और अकादमियों और राष्ट्रीय संस्थाओं में उभरते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ानें; नवीन और आकर्षक छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहनों को लागू किए जाने; विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास के लिए आधारिक संरचना को सुदृढ़ करना; सार्वजनिक-निजी अनुसंधान एवं विकास भागीदारी को प्रोत्साहित करने; और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की पहचान किए जाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का गठन और अकादमी संबंधी पदों को योजना दर योजना से नवीन अनुसंधानों की स्थापना करना शामिल है।

[हिन्दी]

खनिज संसाधनों का संरक्षण

***60. श्री रामदास आठवले:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विशाल खनिज भंडारों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) जी, हां। दसवीं योजना अवधि के दौरान, उच्च मूल्य के खनिजों के गवेषण तथा सतत औद्योगिक वृद्धि में मुख्य भूमिका वाले खनिजों के संसाधन आधार को बढ़ाने पर प्रमुख जोर दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दसवीं योजना अवधि में नई खोजों से राष्ट्रीय मालसूची में 12.177 मिलियन टन कोयला, 941 मिलियन टन लिग्नाइट, 8.2 मिलियन टन ताम्र अयस्क, 0.8 मिलियन टन सीसा-जस्ता अयस्क, 37.42 मिलियन टन लौह अयस्क, 14.38 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क, 5.70 मिलियन टन बाक्साइट, 1883 मिलियन टन चूना पत्थर, 42.49 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क, 5.56 बिलियन घन मीटर कोयला तल मिथेन की वृद्धि की है। जीएसआई ने कई किम्बरलाइट पाइपों की भी खोज की है जिनमें से आंध्र प्रदेश में 4 पाइपें हीरे धारी हैं। खनिज गवेषण निगम लि. (एमईसीएल) ने खनिज सूची में 10,651 मिलियन टन कोयला, 4667 मिलियन टन लिग्नाइट, 137 मिलियन टन आधार धातुएं तथा 3.35 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क की वृद्धि की है। खनिज क्षेत्र की सतत वृद्धि एवं विकास के लिए गवेषण तथा खनन हेतु ग्यारहवीं (11वीं) योजना में प्रस्तावित निवेश नीचे दिया गया है:-

सर्वेक्षण एवं मानचित्रण	खनिज गवेषण	विशिष्ट अन्वेषण	आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन
251.54 करोड़ रुपए	116.57 करोड़ रुपए	12.44 करोड़ रुपए	827.66 करोड़ रुपए

देश मे खनिज संसाधनों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने खनिजों के सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विकास और संरक्षण के लिए खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एमसीआर) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (एमसीडीआर) बनाए हैं।

सरकारी कालोनियों में अप्राधिकृत गतिविधियां

393. श्री नकुल दास राई: क्या **गृह मंत्री** सरकारी कालोनियों में अप्राधिकृत गतिविधियों के बारे में 15 अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3253 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अब तक जानकारी इकट्ठी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह जानकारी कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। इस संबंध में सूचना संबंधित विभागों से एकत्रित की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खाद्यान्नों का निर्यात

394. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों के बढ़ते भावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चावल तथा खाद्य तेलों एवं तिलहनों सहित खाद्यान्नों के निर्यात पर कतिपय प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किस सीमा तक खाद्य पदार्थों के मूल्य रोके गए हैं तथा नीचे लाए गए हैं;

(घ) क्या अमेरिका ने भारत को खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाने की सलाह दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, हां। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार ने चावल, खाद्य तेलों तथा तिलहनों सहित खाद्यान्नों के निर्यातों को विनियमित किया है। विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के कार्यालय द्वारा दिनांक 3 सितंबर, 5 सितंबर और 16 सितंबर, 2008 को जारी की गई क्रमश: अधिसूचना सं. 37, 38 और 39 के तहत चावल के निर्यात विनियमित किए जाते हैं जबकि डीजीएफटी द्वारा दिनांक 17 मार्च, 1 अप्रैल, 11 अप्रैल और 19 अगस्त, 2008 को जारी की गई अधिसूचना सं. 85, 92, 3 और 33 के तहत खाद्य तेलों के निर्यात विनियमित किए जाते

हैं। इन उपायों से खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि पर नियंत्रण रखने में मदद मिली है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। सरकार को अमरीकी सरकार से ऐसी कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई है।

अधिमानताप्राप्त शुल्क मुक्त बाजार पहुंच का प्रभाव

395. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 50 सबसे कम विकसित देशों की अधिमानता प्राप्त शुल्क मुक्त बाजार पहुंच के संबंध में प्रधानमंत्री की हाल में घोषणा का कोई प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन, ब्राजील तथा अन्य विकसित देश भी सबसे कम विकसित देशों को उसी प्रकार बाजार पहुंच प्रदान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 8 अप्रैल, 2008 को भारत-अफ्रीका मंच के शिखर सम्मेलन के अवसर पर अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए घोषित शुल्क मुक्त व्यापार अधिमान (डीएफटीपी) स्कीम का अल्प विकसित देशों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें अल्प विकसित देशों के निर्यात हित के उत्पादों के लिए संवर्धित बाजार पहुंच का प्रावधान है जिससे उनके आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। इस स्कीम में भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 94 प्रतिशत पर समस्त अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त तथा अधिमानी बाजार पहुंच का प्रावधान है। इन टैरिफ लाइनों में समस्त अल्प विकसित देशों के वैश्विक निर्यातों का 92.5 प्रतिशत हिस्सा कवर हो जाता है।

(ग) और (घ) चीन द्वारा उन अल्प विकसित देशों, जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध हैं, को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) अधिमानी बाजार पहुंच प्रदान की जाती है यद्यपि यह स्कीम अभी डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित की जानी है। ब्राजील द्वारा अभी अल्प विकसित देशों के लिए डीएफयूएफ अधिमानी बाजार पहुंच स्कीम तैयार करने की प्रक्रिया चलायी जा रही है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के कई अन्य देशों द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए अधिमानी बाजार पहुंच प्रदान की जाती है। इन स्कीमों में से कुछेक के ब्यौरे इस उत्तर के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

देश	अधिमानी बाजार पहुंच स्कीमों का ब्यौरा
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया द्वारा अल्प विकसित देशों के मूल के सभी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की जाती है।
कनाडा	कुछेक मदों को छोड़कर कनाडा द्वारा अल्प विकसित देशों से होने वाले सभी आयातों पर शुल्क और कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की जाती है।
यूरोपीय संघ	"एवरीथिंग बट आर्म्स" (ईबीए) पहल के अंतर्गत यूरोपीय समुदाय द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की जाती है।
जापान	जापान द्वारा जीएसपी स्कीम के अंतर्गत अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त व्यवहार प्रदान किया जाता है।
स्विट्जरलैंड	स्विट्जरलैंड द्वारा नई स्विस जीएसपी स्कीम के अंतर्गत अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त व्यवहार प्रदान किया जाता है।
अमरीका	अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपारच्यूनिटी एक्ट (एजीओए) के अंतर्गत अमरीका द्वारा अल्प विकसित देशों सहित उपसहारा अफ्रीकी देशों के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की जाती है।
कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य द्वारा अल्प विकसित देशों के मूल की चुनिंदा मदों पर अधिमानी शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जाती है।

वैश्विक तापन संबंधी अनुसंधान

396. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक तापन संबंधी मामले को निपटाने के लिए अनुसंधान संस्थान समन्वित तरीके से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमनद पिघलने, चक्रवात बार-बार होने, अचानक तेज बाढ़, बादल फटने इत्यादि पर कर्नाटक सहित देश में अनुसंधान अध्ययन कराए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। भारतीय ऊष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.), पुणे, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.), राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान (एन.आई.ओ.), सैन्टर फार मैथेमैटिकल माडलिंग एण्ड कम्प्यूटर सिमुलेसन (सी.एम.एम.ए.सी.एस.); बंगलूरू, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) सैण्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फार ड्राई-लैण्ड एग्रीकल्चर (सी.आर.आई.डी.ए.), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.), भारतीय विज्ञान अनुसंधान (आई.आई.एस.सी.), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ए.सी.), अहमदाबाद; वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान (डब्ल्यू.आई.एच.जी.); भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण आदि जैसे अनेक अनुसंधान संस्थानों और अनेक गैर-सरकारी एजेंसियों जैसे कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टी.इ.आर.आई.) द्वारा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े अनुसंधान किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी हां। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के अध्ययन अभियान के रूप में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ए.सी.), अहमदाबाद, वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और अन्य ऐसे संस्थानों के समूह द्वारा अनुसंधान किए जा रहे हैं। भारत मौसम-विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) तथा मंत्रालय के अनेक संस्थानों तथा देश के अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों द्वारा कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों को प्रभावित करने वाले चक्रवातों, तेज बाढ़ आने, बादल फटने इत्यादि जैसी घटनाओं को मानीटर करने और पूर्वानुमान लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, अनुसंधान प्रयासों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अभी राज्य-वार निश्चायक परिणाम नहीं निकले हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पोस्को संयंत्र

397. श्री तथागत सत्पथी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में पोस्को संयंत्र के लिए रक्षित खानों के आबंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) उड़ीसा में पोस्को के लिए खानों के आबंटन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मेट्रो स्टेशनों को धमकी

398. श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में मेट्रो स्टेशनों पर हमले की कोई धमकी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को कुछ एजेंसियों/संगठनों के माध्यम से जैश-ए-मोहम्मद, एलईटी और हुजी जैसे आतंकवादी संगठनों से दिल्ली मैट्रो पर हमला किए जाने की धमकियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त 7 धमकियां जाली पाई गईं। सीआईएसएफ ने दिल्ली मैट्रो के लिए सुरक्षा की निम्नलिखित योजना अपनाई है:-

(क) डीएफएमडी के माध्यम से एक्सेस कंट्रोल;

(ख) जामा-तलाशी;

(ग) सामान की 100 प्रतिशत जांच;

(घ) स्टेशनों की हाथ से सफाई;

(ङ) बम का पता लगाने और निष्क्रिय करने वाले दस्ते द्वारा तोड़-फोड़ विरोधी जांच;

(च) स्वान गश्ती;

(छ) माननीय और इलैक्ट्रानिक चौकसी (सीसीटीवी);

(ज) क्विक रियेक्शन टीमें;

(झ) मॉक ड्रिल;

(ण) आकस्मिक ड्रिल।

[अनुवाद]

कॉफी प्लांटेशन

399. श्री ए. साई प्रताप: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में कॉफी प्लांटेशन हेतु उपलब्ध भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पादित तथा निर्यात की गई कॉफी की राज्य-वार तथा देश-वार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में कॉफी प्लांटेशन के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 2007-08 की स्थिति के अनुसार देश में कॉफी की खेती के अंतर्गत भूमि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	कॉफी की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2
पारंपरिक क्षेत्र:	
कर्नाटक	225458
केरल	84716
तमिलनाडु	31344
उप-योग	341518
अपारंपरिक क्षेत्र:	
आंध्र प्रदेश	37773
उड़ीसा	3143
उप-योग	40916
पूर्वोत्तर क्षेत्र	
अरुणाचल प्रदेश	198
असम	756
मणिपुर	375
मिजोरम	1019
मेघालय	899
नागालैंड	2271
त्रिपुरा	243
उप-योग	5761
सर्वयोग	388195

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित कॉफी के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा मी. टन में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
कर्नाटक	196275	206025	191575	214170
केरल	56825	59475	49000	57200
तमिलनाडु	18825	18225	18100	16625
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	1825	4085	3175	4880
पूर्वोत्तर क्षेत्र	250	190	150	125
कुल	274000	288000	262000	293000

*पुष्पणोत्तर अनुमान

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कॉफी के निर्यातों के देश-वार (प्रमुख देश) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा मी. टन में)

देश	वि.व. 2005-06 (भारतीय एवं पुनर्निर्यातित कॉफी, दोनों का निर्यात)	वि.व. 2006-07	वि.व. 2007-08 (भारतीय एवं पुनर्निर्यातित कॉफी दोनों के लिए जारी परमिट)	वि.व. 2008-09 (अनं.) (16.10.2008 तक)
इटली	53142.5	62806.5	53803.5	31533.0
रूसी परिसंघ	29431.7	27446.9	25182.9	10058.0
जर्मनी	16741.5	21835.0	14235.6	8538.0
बेल्जियम	11190.2	13989.4	10614.5	6085.0
स्पेन	10292.1	11090.5	8802.1	5229.0
अन्य	80757.3	111861.1	106345.0	59820.0
कुल	201555.3	249029.4	218983.6	121263.0

(ग) और (घ) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक कॉफी उत्पादक राज्यों ने कॉफी क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव है। तथापि, 11वीं योजना अवधि के दौरान अपारंपरिक क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी के विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में
अपारंपरिक क्षेत्र:	
आंध्र प्रदेश	16000
उड़ीसा	1100
उप-योग	17100
पूर्वोत्तर क्षेत्र:	
असम	200
मिजोरम	200
मेघालय	150
नागालैंड	150
त्रिपुरा	150
उप-योग	850
सर्वयोग	17950

[हिन्दी]

टेलीविजन चैनलों की पुनरीक्षा

400. श्री महावीर भगोरा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परिचालन कर रहे विभिन्न टेलीविजन चैनलों की आवश्यकता के संबंध में सरकार ने कोई पुनरीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा मंजूर किए गए टी.वी. चैनलों का चैनलवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार के पास इस समय लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस संबंध में कोई जरूरत महसूस नहीं की गई है।

(घ) अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2005 के दौरान 25, वर्ष 2006 के दौरान 37, वर्ष 2007 के दौरान 72 और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 13.10.2008 तक 91 निजी उपग्रह टी.वी. चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी तथा वर्ष 2006 के दौरान 02, वर्ष 2007 के दौरान 05 और चालू वर्ष के दौरान 13.10.2008 तक 53 विदेश से अपलिंक किए गए टी.वी. चैनलों को भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे चैनलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) अभी तक की स्थिति के अनुसार, भारत से टी.वी. चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 180 टी.वी. चैनलों के आवेदन तथा विदेश से अपलिंक किए गए 32 टी.वी. चैनलों को भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने संबंधी आवेदन, मौजूदा अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इन चैनलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि इस प्रक्रिया में अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ अन्तर-मंत्रालयीय परामर्श निहित है।

विवरण I

क्र.सं.	वर्ष 2005 के दौरान भारत से अपलिंकिंग किए जाने हेतु अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	एशियानेट प्लस
2.	जागरण यूएसए
3.	जागरण यूके
4.	क्लासिक सिनेमा यूएसए
5.	क्लासिक सिनेमा यूके
6.	एक्शन सिनेमा यूएसए
7.	एक्शन सिनेमा यूके
8.	जी सिनेमा यूएसए
9.	अल्फा गुजराती यूएसए
10.	अल्फा गुजराती यूके
11.	एनडीटीवी मेट्रो नेशन
12.	एनई-हाई-फाई
13.	स्टार आनंदो
14.	आईबीएन-7
15.	सुदर्शन
16.	झंकार मुवीज
17.	सीएनएन-आईबीएन
18.	सत्या टीवी
19.	संगीत बंगला
20.	यो म्यूजिक
21.	कस्तूरी
22.	पावर विजन
23.	टाइम्स नाउ
24.	प्ले टीवी
25.	लाइव इंडिया

क्र.सं.	वर्ष 2006 के दौरान भारत से अपलिंकिंग किए जाने हेतु अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	जया मैक्स
2.	डब्ल्यू ई
3.	बिजनेस टुडे
4.	एशियनेट कन्नड़
5.	उदय वार्थेगालू
6.	उदय मूवीज
7.	जैमिनी न्यूज
8.	जैमिनी म्यूजिक
9.	सुर संगीत-2

1	2
10.	एनई-बंगला
11.	टीवी 9 कन्नड़
12.	टीवी 9 मुंबई
13.	एस-1 तड़का
14.	जी तेलुगू
15.	जी कन्नड़
16.	लेमन टीवी
17.	म्यूजिक इंडिया
18.	केबीसी न्यूज
19.	इमायाम टीवी
20.	वृंदावन टीवी
21.	मनोरमा न्यूज साउथ
22.	मनोरमा न्यूज नार्थ
23.	मनोरमा न्यूज सेंट्रल
24.	कोलकाता टीवी
25.	24 घंटा
26.	मक्काल टीवी
27.	टीवी-100
28.	प्राज्ञ टीवी
29.	नियो स्पोर्ट्स
30.	नियो क्रिकेट
31.	ओ टीवी
32.	सीटीवीएन-एकेडी-प्लस
33.	पीबीसी-टीवी
34.	चैनल नं. 1
35.	साधना न्यूज
36.	मेगा टीवी
37.	धालीवाल टीवी

क्र.सं.	वर्ष 2007 के दौरान भारत से अपलिंकिंग किए जाने हेतु अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	सितारा
2.	सुवर्ण
3.	एसटीवी गोवा न्यूज
4.	एसटीवी यूपी न्यूज
5.	एसटीवी हरियाणा न्यूज
6.	जी टीवी रशिया
7.	मूवी ऑन डिमांड-हिंदी
8.	मूवी ऑन डिमांड-अंग्रेजी
9.	एमएच वन श्रद्धा
10.	एमएच वन न्यूज
11.	स्टार माझा
12.	जी 24 तास
13.	रियल इस्टेट
14.	एमआई-मराठी
15.	टीवी 5
16.	जय हिंद
17.	स्पेस
18.	स्टैंडर्ड वर्ल्ड
19.	चार्दीकला टाइम टीवी
20.	एनटीवी
21.	भक्ति
22.	आजाद
23.	टीएमएल वाइस आफ इंडिया
24.	मनोरंजन टीवी
25.	शुभ वार्ता
26.	वीस्सा

1	2
27.	राज म्यूजिक
28.	राज न्यूज तेलुगू
29.	राज न्यूज
30.	न्यूज लाइव
31.	संस्कृति
32.	एनडीटीवी गुड टाइम्स
33.	मनोरमा न्यूज इंटरनेशनल
34.	बिंदास
35.	बिंदास मूवीज
36.	श्री वेंकटेश्वर
37.	लाइफ 24
38.	ई 24
39.	जे मूवी
40.	इंडिया न्यूज
41.	न्यूज एक्स
42.	न्यूज 42
43.	बीज 24
44.	9 एक्स
45.	9 एक्स एम
46.	मा न्यूज
47.	मा पूजा
48.	मा म्यूजिक
49.	चैनल 10
50.	चैनल 8
51.	कलैगनार टीवी
52.	तुलसी
53.	महुआ
54.	एनडीटीवी इमैजिन
55.	टीएमएल वायस आफ इंडिया लाइफस्टाइल
56.	टीएमएल वायस आफ इंडिया म्यूजिक
57.	टीएमएल वायस आफ इंडिया मध्य प्रदेश
58.	टीएमएल वायस आफ इंडिया बंगला
59.	टीएमएल वायस आफ इंडिया गुजराती
60.	टीएमएल वायस आफ इंडिया राजस्थान
61.	आशीर्वाद
62.	होम शॉप 8
63.	आई न्यूज
64.	न्यूज 9
65.	लहरें
66.	आर टीवी
67.	विरसा टीवी
68.	वसंत
69.	वर्ल्ड मूवीज
70.	राज
71.	तहकीकात
72.	यूटीवी मूवीज

क्र.सं.	वर्ष 2008 के दौरान 13.10.2008 तक भारत से अपलिंकिंग किए जाने हेतु अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	टीवी 9 गुजरात
2.	एनडीटीवी मीडिल ईस्ट
3.	समय
4.	कलैगनार ईसाद आरूवी
5.	सौभाग्य
6.	एएम टीवी

1	2
7.	फोकस टीवी
8.	सहारा फिरंगी
9.	एनडीटीवी मेट्रोनेशन चेन्नई
10.	एनडीटीवी मेट्रोनेशन मुंबई
11.	एनडीटीवी मेट्रोनेशन बंगलोर
12.	एनडीटीवी मेट्रोनेशन कोलकाता
13.	नक्षत्र टीवी
14.	इरा चैनला
15.	वेलनेस
16.	शाम टीवी
17.	यूटीवीआई
18.	टॉपर
19.	एचबीएन
20.	माल-ए-माल
21.	आईबीएन लोकमत
22.	सीएनईबी
23.	आईटीवी न्यूज
24.	पौलिमर
25.	टी टीवी
26.	गंगा
27.	संगीत भोजपुरी
28.	टीवी 20
29.	हमारा टीवी
30.	एचवाई टीवी
31.	जूम
32.	डीएनएन
33.	म्यूजिक च्वाइस

1	2
34.	एम टीवी
35.	वीएच वन
36.	निक
37.	कलर्स
38.	एमटीवी 2
39.	कलैगनार सेठीगल
40.	स्टार तेलुगू
41.	आर प्लस
42.	स्टार जलसा
43.	स्टार मराठी
44.	स्टार गुजराती
45.	जी टाकीज
46.	सीएनएन आईबीएन चैनल 1
47.	सीएनएन आईबीएन चैनल 2
48.	सीएनएन आईबीएन चैनल 3
49.	स्टूडियो 1
50.	स्टूडियो एन
51.	डीवाई 365
52.	पीएनसी न्यूज
53.	पीटीसी पंजाबी
54.	पीटीसी सिक्ख वर्ल्ड
55.	वनीता टीवी
56.	श्री शंकर
57.	जी तमिल
58.	तरंग
59.	एनडीटीवी लूमियर
60.	इमैजीन शोबीज

1	2
61.	खोज इंडिया
62.	पहली खबर
63.	महुआ गीत
64.	जी 24 घंटे-छत्तीसगढ़
65.	रोज टीवी
66.	ली म्यूजकि
67.	बिग फैमिली
68.	बिग बंधन
69.	बिन सांझा
70.	बिग गौरव
71.	बिग उल्लास
.72.	बिग मैजिक
73.	बिग हालीवुड
74.	बिग चोबी
75.	बिग मौज
76.	बिग चित्रपट
77.	बिग हिट्स
78.	बिग जूस
79.	बिग ईसाई
80.	बिग संगीत
81.	जपक टीवी (हिन्दी)
82.	जपक टीवी (ई)
83.	बिग फूड
84.	बिग फिटनेस 24×7
85.	बिग हेल्थ
86.	बिग स्पिरिट्यूअल
87.	मून टीवी
88.	अपॉर्च्यूनिटी टीवी
89.	विव्य
90.	बिज न्यूज
91.	365 दिन

क्र.सं.	वर्ष 2006 के दौरान विदेशों से अपलिंकिंग किए गए तथा भारत में डाउनलिंकिंग हेतु अनुमत चैनलों के नाम
1.	पीटीसी पंजाबी न्यूज
2.	बी-टीवी

क्र.सं.	वर्ष 2007 के दौरान विदेशों से अपलिंकिंग किए गए तथा भारत में डाउनलिंकिंग हेतु अनुमत चैनलों के नाम
1.	सीबीबीज
2.	बीबीसी इंटरटेनमेंट
3.	स्टार क्रिकेट
4.	मराइन बिज टीवी
5.	टीबीएन चैनल

क्र.सं.	वर्ष 2008 के दौरान 13.10.2008 तक विदेशों से अपलिंकिंग किए गए तथा भारत में डाउनलिंकिंग हेतु अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	सीसीटीवी-9
2.	केबीएस वर्ल्ड
3.	जी स्टूडियो
4.	जी ट्रेण्ड्ज
5.	जी कैफे
6.	बी4यू म्यूजकि
7.	बी4यू मूविज
8.	गौड टीवी

1	2
9.	डीडब्ल्यू टीवी
10.	द एमजीएम चैनल
11.	डेस्टार टेलीविजन नेटवर्क
12.	आस्ट्रेलिया नेटवर्क
13.	माना तेलुगू
14.	एनएचके वर्ल्ड टीवी
15.	एनएचके वर्ल्ड प्रीमियम
16.	टेन स्पोर्टस
17.	चैनल न्यूज एशिया इंटरनेशनल
18.	डिस्कवरी चैनल
19.	डिस्कवरी ट्रैवल एंड लिविंग
20.	एनिमल प्लैनेट
21.	नेशनल जियाग्राफिक चैनल
22.	हिस्ट्री चैनल
23.	स्टार प्लस
24.	सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन (एसईटी)
25.	एसईटी मैक्स
26.	एसईटी पिक्स
27.	एसएबी
28.	एएक्सट्रन
29.	एनिमैक्स
30.	स्टार उत्सव
31.	स्टार वन
32.	चैनल (वी)
33.	स्टार मूविज
34.	स्टार वर्ल्ड
35.	चैनल (वी) इंटरनेशनल
36.	स्टार गोल्ड
37.	टीवी 5 माण्डे
38.	विजय
39.	कार्टून नेटवर्क
40.	बूमरैंग
41.	पोगो
42.	टीसीएम टर्नर क्लासिक मूविज
43.	सीएनएन इंटरनेशनल
44.	ईएसपीएन
45.	स्टार स्पोर्ट्स
46.	डिजनी चैनल
47.	टून डिजनी
48.	बीबीसी वर्ल्ड
49.	एचबीओ
50.	आरिरंग
51.	ब्लूमबर्ग टेलीविजन एशिया-पैसिफिक फीड
52.	वाइजेज टेलीविजन
53.	एफटीवी डाट काम इंडिया

विवरण II

क्र.सं.	भारत से अपलिंकिंग हेतु चैनलों के नाम
1	2
1.	स्वैन टीवी
2.	सीएनबीसी-टीवी 18-1
3.	सीएनबीसी-टीवी-2
4.	सीएनबीसी-3
5.	यूनिटी
6.	यूनिटी-एमपी
7.	यूनिटी-राजस्थान

1	2
8.	यूनिटी-एमपी
9.	कोलकाता प्लस
10.	राज न्यूज कन्नड़
11.	राज न्यूज मलयालम
12.	राज न्यूज तेलुगू
13.	राज म्यूजिक कन्नड़
14.	राज म्यूजिक मलयालम
15.	राज म्यूजिक तेलुगू
16.	राज किड्स कन्नड़
17.	राज किड्स मलयालम
18.	राज किड्स तेलुगू
19.	राज किड्स तमिल
20.	वीसीएनएल
21.	सृष्टि
22.	वुमेंस वर्ल्ड
23.	आहा
24.	ए टू जेड एंड
25.	साई टीवी
26.	ए टू जेड डाक्यूमेंटरी
27.	वाई टीवी
28.	हम भोजपुरिया
29.	विजन टीवी एंटरटेन
30.	विजन टीवी म्यूजिक
31.	विजन टीवी शिक्षा
32.	थाई टीवी
33.	एसएएन
34.	भक्ति टीवी कन्नड़
35.	सिम्पली स्पाईस
36.	एक्सपलोर टीवी
37.	वाउ
38.	लाइफ स्टाइल एशिया
39.	हालीडेज
40.	सिटी प्लस इंटरटेनमेंट
41.	अरिहंत
42.	फूड-फूड टीवी
43.	जी-24 घंटालू
44.	जी-वेदर
45.	जी-बंगला सिनेमा
46.	जी-24 घंटे-उत्तर प्रदेश
47.	जी सिनेमा अफ्रीका
48.	जी सी
49.	जी मी
50.	जी आस्ट्रो
51.	जी बालीवुड
52.	जी पंजाब प्लस
53.	कामयाब टीवी
54.	सीबीसी तेलुगू
55.	एंटर 10 मूवीज
56.	टीवी 24
57.	वेल्नेस
58.	डब्ल्यू टीवी
59.	लाइफ टीवी
60.	एचबीएन
61.	सितारा न्यूज
62.	टाइम्स मनी
63.	9 एक्स मराठी

1	2
64.	9 एक्स बंगला
65.	9 एक्स गुजराती
66.	9 एक्स पंजाबी
67.	9 एक्स एम वेलवेट
68.	फिर से 9 एक्स एम
69.	9 एक्स एम बंगला
70.	9 एक्स एम गुजराती
71.	9 एक्स एम पंजाबी
72.	मनोरमा विजन
73.	मनोरमा युवा
74.	संकल्प एमडीएलआर
75.	कृष्णा टीवी
76.	डेली न्यूज नेटवर्क
77.	अलीफ टीवी
78.	आवा
79.	समाज
80.	मुंबई न्यूज
81.	दिल्ली न्यूज
82.	स्पाइस टीवी
83.	टीएमएल वाइज आफ इंडिया एनसीआर
84.	टीएमएल वाइज आफ इंडिया गुजराती
85.	टीएमएल वाइज आफ इंडिया पंजाब, हरियाणा/एचपी
86.	टीएमएल वाइज आफ इंडिया आमची मुंबई
87.	बंगलूरू 080
88.	जूम दिव्या
89.	जिनवानी
90.	एंगल टीवी
91.	रिदम

1	2
92.	टीवी 99
93.	विजय टीवी
94.	पाजीटिव न्यूज
95.	महा टीवी
96.	
97.	विन टीवी यूपी
98.	विन टीवी हिंदी
99.	विन टीवी अंग्रेजी
100.	टापर जूनियर
101.	वन न्यूज
102.	जी टीवी
103.	विचार टीवी
104.	आस्कर भोजपुरी नेटवर्क
105.	बीएनटी
106.	सहारा मराठी
107.	सहारा बंगला
108.	सहारा भोजपुरी
109.	सहारा गुजराती
110.	सहारा इंग्लिस
111.	360
112.	डे एन नाइट
113.	सनातन
114.	रफ्तार मीडिया
115.	सेतु टीवी
116.	मुंबई 022
117.	दिल्ली 011
118.	टाइम्स टुडे
119.	आर.एक्स. वर्ल्ड

1	2
120.	कनक संबंध
121.	एस.के. चैनल
122.	हिट्स
123.	संगीत मराठी
124.	सुभारती
125.	आराधना
126.	गोल्डविन टीवी
127.	एनडी इमेजिन (मिडिल ईस्ट)
128.	क्लाइंगर श्रीपोली
129.	क्लाइंगर चित्रम
130.	आरटीवी 2
131.	आरटीवी 3
132.	तरंग म्यूजिक
133.	बिग न्यूज बंगलौर
134.	बिग न्यूज बंगलौर
135.	बिग न्यूज भोजपुरी
136.	बिग न्यूज ब्रांड मार्केटिंग
137.	बिग न्यूज बिजनेस अंग्रेजी
138.	बिग न्यूज बिजनेस गुजराती
139.	बिग न्यूज बिजनेस हिंदी
140.	बिग न्यूज चेन्नई
141.	बिग न्यूज क्राइम
142.	बिग न्यूज दिल्ली
143.	बिग न्यूज एजुकेशनल
144.	बिग न्यूज अंग्रेजी
145.	बिग न्यूज इंटरटेनमेंट
146.	बिग न्यूज गुजराती
147.	बिग न्यूज हिंदी
148.	बिग न्यूज हैदराबाद
149.	बिग न्यूज कन्नड़
150.	बिग न्यूज कोलकाता
151.	बिग न्यूज मलयालम
152.	बिग न्यूज मराठी
153.	बिग न्यूज मुंबई
154.	बिग न्यूज नार्थ ईस्ट
155.	बिग न्यूज उड़ीया
156.	बिग न्यूज पोलीटिकल
157.	बिग न्यूज पंजाबी
158.	बिग न्यूज रियल इस्टेट
159.	बिग न्यूज रूरल
160.	बिग न्यूज सोशल इशुज
161.	बिग न्यूज स्पोर्ट्स
162.	बिग न्यूज तमिल
163.	बिग न्यूज तेलुगू
164.	बिग न्यूज उर्दू
165.	बिग न्यूज वेदर एंड ट्रैफिक
166.	केबीसी गोल्ड
167.	कोलकाता 033
168.	साथियम

क्र.सं.	डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति हेतु लंबित विदेशी अपलिंक्ड टीवी चैनलों के नाम
1	2
1.	एबीसी न्यूज नाउ
2.	मिराकलनेट
3.	अल जाजिरा इंटरनेशनल

1	2
4.	क्यू टीवी
5.	फाक्स न्यूज
6.	एंजल टीवी
7.	हालमार्क
8.	बेबी फर्स्ट टीवी
9.	टेली विवा
10.	यूरो न्यूज
11.	लक्स टीवी
12.	सी म्यूजिक
13.	करियर टीवी
14.	टेन स्पोर्ट्स-2
15.	नेशनल जीओग्राफीक एचडी
16.	एनएटी जीओ म्यूजिक
17.	एनएटी जीओ म्यूजिक
18.	एनएटी जीओ एंडवेंचर
19.	फॉक्स लाइफ चैनल
20.	बेबी टीवी
21.	एफएक्स चैनल
22.	फाक्स क्राइम चैनल
23.	रशिया टूडे
24.	टेन गौल्फ
25.	डब्ल्यू बी
26.	रियल
27.	एफई टीवी
28.	फ्रैश टीवी
29.	हंगामा टीवी
30.	हंगामा टीवी (साउथ)
31.	डिस्कवरी साइंस
32.	डिस्कवरी टर्बो
33.	डिस्कवरी एचडी

पाकिस्तान में आतंकवादी अवसंरचना

401. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा में 4 दिसंबर, 2007 के अता. प्र.सं. 2486 के लिखित उत्तर के अनुसार पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादी अवसंरचना विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने पाकिस्तान के समक्ष इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवादी आधारभूत ढांचा निरन्तर मौजूद है तथा पाकिस्तान में आधारित विभिन्न आतंकवादी समूह और संगठन, भारत के विभिन्न भागों में हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार, आपूर्ति, घुसपैठ और अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान से सीमा पार के आतंकवाद के संबंध में भारत, पाकिस्तान को निरन्तर अपनी गंभीर चिन्ता से अवगत करवाता रहता है। हम 6.1.2004 और 24.9.2008 के संयुक्त वक्तव्यों में उल्लिखित प्रतिबद्धता के बारे में पाकिस्तान के उस बयान के महत्व पर भी बार-बार बल देते रहते हैं कि जिसमें कहा गया था पाकिस्तान अपने क्षेत्र और अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र को किसी भी तरीके से आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा।

[अनुवाद]

निकेल खनन संयंत्र

402. श्री जुएल ओराम: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में एक निकेल खनन संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) वर्तमान में उड़ीसा राज्य में निकल निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में भूकंप

403. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में सतारा जिले में हाल में कितने भूकंप के झटके रिपोर्ट किए गए;

(ख) हाल में विगत में इस क्षेत्र में भूकंप के तीव्रतम झटके कब रिपोर्ट किए गए;

(ग) क्या इस क्षेत्र का कोई भूकंप संबंधी अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली अधिष्ठापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) महाराष्ट्र के सतारा जिले में जनवरी, 2008 से 3.0 तथा उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के 4 झटके रिकार्ड किए गए।

(ख) सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप का झटका 17 सितंबर, 2008 को रिकार्ड किया गया, इसकी तीव्रता 4.8 थी।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग, महाराष्ट्र में छः स्टेशनों (कराड़, लातूर, अकोला, पुणे, मुंबई तथा नागपुर) के नेटवर्क के साथ चौबीसों घंटे पूरे क्षेत्र में भूकंप क्रियाओं को मानीटर किया जा रहा है। इसके अलावा, कोयना वर्ना क्षेत्र के चारों ओर प्रायोजित मोड में राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) द्वारा स्थापित 8 भूकंपी स्टेशनों का एक नेटवर्क कार्य कर रहा है। उपर्युक्त नेटवर्क द्वारा तैयार किए गए डेटा के आधार पर भूकंप के स्रोत तन्त्र को समझने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं।

(घ) वर्तमान में, पूरे विश्व में कहीं भी भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी पूर्व चेतावनी प्रणाली को अधिष्ठापित करना संभव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए सहायता

404. **श्री सुब्रत बोस:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी तथा सरकारी सहायताप्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1987-88 में 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटें उपलब्ध कराने, विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना अथवा उनका स्तरोन्नयन करने तथा माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय सुविधाओं हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार की पूर्व स्कीम जो कि ''स्कूलों में गुणवत्ता सुधार'' नामक एक समग्र स्कीम का एक घटक थी, वर्ष 2005-06 के दौरान संशोधित हो रही थी और इसलिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई। इसके पश्चात् स्कीम को दिनांक 1.4.2006 से राज्यों को एक राज्य सेक्टर स्कीम के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन तथा सेवा शर्तें

405. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों की पुनरीक्षा हेतु प्रो. चड्डा की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समिति उच्चतर शोध तथा शिक्षण व्यवसाय को आकर्षक बनाने जैसी विभिन्न अन्य मामलों को भी देखेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो समिति रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

मानव संसाधन विकास में मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। समिति के गठन के ब्यौरे तथा इसके विचाराधीन विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) वेतन पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर दी हैं।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों की समीक्षा हेतु एक समिति नियुक्त की है। आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से समिति के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया है, जो निम्नलिखित अनुसार हैं:-

(क) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में, विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा कार्मिकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ हेतु अनुमोदित वेतनमानों की संशोधन की स्कीम के अंतर्गत सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले निर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए तथा इसके साथ-साथ योग्यताओं, सेवा शर्तों तथा वेतनमानों आदि के बारे में कार्यान्वित की जा चुकी पहली सिफारिशों का मूल्यांकन करना।

(ख) विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा कार्मिकों तथा विश्वविद्यालय व कालेज में अन्य शैक्षिक स्टाफ की उपलब्धियों तथा सेवा शर्तों के वर्तमान ढांचे की जांच करना तथा न्यूनतम योग्यताओं कैरियर प्रोन्नति अवसर तथा उन्हें उपलब्ध लाभ के कुल पैकेज को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में संशोधन सुझाना (जैसे सेवानिवृत्ति लाभ, मेडिकल, हाउसिंग सुविधाएं आदि)।

(ग) अध्यापन व्यावसाय में उत्कृष्ट व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा बनाए रखने एवं विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से अध्यापन तथा समकक्ष पदों पर उनकी कैरियर प्रोन्नति के लिए तरीके तथा साधनों की सिफारिश करना।

(घ) पिछली वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों के संशोधन के अनुसरण में शैक्षिक स्टाफ की किन्हीं भी श्रेणियों के लिए वेतन ढांचे तथा कैरियर प्रोन्नति अवसरों के मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं, यदि कोई हैं, को देखना तथा सुधारात्मक उपाय सुझाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत अधिकारियों तथा स्टाफ सहित केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा प्रशासित गैर-शैक्षिक स्टाफ के वेतनढांचा व सेवाशर्तें वेतन समीक्षा समिति के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होगा।

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की मांगों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति विचारार्थ विषयों के संबंध में आवश्यक अध्ययन व विश्लेषण आरंभ कर सकता है।

वेतन समीक्षा आयोग का संगठन निम्न प्रकार होगा:

(1) प्रो. जी.के. चन्दा, अध्यक्ष
सचिव,
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद,
विज्ञान भवन एनेक्सी,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली

(2) प्रो. अतुल शर्मा, सदस्य
(भूतपूर्व कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय)
भूतपूर्व सलाहकार, वित्त आयोग,
52, कला विहार,
मयूर विहार फेज-1 विस्तार, नई दिल्ली

(3) प्रो. जी. पदमनाभन, सदस्य
भूतपूर्व निदेशक,
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

(4) श्री सुदीप बनर्जी, सदस्य
कुलाधिपति,
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन
विश्वविद्यालय, 17-बी, श्री अरबिन्दो मार्ग,
एनसीईआरटी परिसर, नई दिल्ली-110016

(5) प्रो. मणिमाला दास, सदस्य
प्रधानाचार्य,
बायुने कालेज,
181, बिधान सरानी, कोलकाता

(6) उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (संयुक्त सचिव पद से नीचे के नहीं) — सदस्य

(7) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002 — सदस्य-सचिव

आयोग, सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक भुगतान करेगा।

समिति अपने गठन के एक वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(पंकज मित्तल)
संयुक्त सचिव

मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन

406. श्री ई. दयाकर राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग-अलग मुस्लिम छात्रों की राज्य-वार नामांकन दर क्या है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके नामांकन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) वर्ष 2006 में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली में एकत्रित किए गए और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में पहली बार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर मुस्लिम बच्चों के नामांकन से संबंधित सूचना शामिल की गई थी। प्राथमिक स्तर पर दाखिल कुल छात्रों में 9.39 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर दाखिल कुल छात्रों में 7.52 प्रतिशत मुस्लिम थे। आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली डाटा बेस में मुस्लिमों पर श्रेणीवार सूचना प्रदान नहीं की गई है।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, शैक्षणिक रूप से लाभांवित समूहों वाले जिलों में स्कूलों तक पहुंच और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में बालिका शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। लाभवंचित समूह के बच्चों के दाखिले में वृद्धि के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, और उपचारी शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

विवरण

2006-07 के डीआईएसई आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन की तुलना में मुस्लिम बच्चों के नामांकन की प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राथमिक स्तर मुस्लिम	उच्च प्राथमिक स्तर मुस्लिम
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.26	3.01
2.	आंध्र प्रदेश	10	9.11
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.02
4.	असम	30.42	17.39
5.	बिहार	8.95	6.6
6.	चण्डीगढ़	2.87	2.39
7.	छत्तीसगढ़	0.56	0.84
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.01
9.	दमन और दीव	0.12	0.55
10.	दिल्ली	5.40	7.36
11.	गोवा	4.59	3.67
12.	गुजरात	4.11	4.25
13.	हरियाणा	0.55	0.41
14.	हिमाचल प्रदेश	1.17	1.09
15.	जम्मू-कश्मीर	62.52	60.55
16.	झारखंड	7.29	6.3
17.	कर्नाटक	13.54	12.39
18.	केरल	10.13	9.59

1	2	3	4
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2.3	2.3
21.	महाराष्ट्र	7.94	5.83
22.	मणिपुर	0.8	0.69
23.	मेघालय	0.04	0.02
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैण्ड	0.03	0.02
26.	उड़ीसा	7.26	6.48
27.	पाण्डिचेरी	5.1	5.13
28.	पंजाब	0.22	0.11
29.	राजस्थान	2.3	1.38
30.	सिक्किम	0.33	0.28
31.	तमिलनाडु	3.82	3.95
32.	त्रिपुरा	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	9.24	7.18
34.	उत्तरांचल	0.31	0.2
35.	पश्चिम बंगाल	27.92	19.63
	सभी राज्य	9.39	7.52

*राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

407. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत व्यस्क शिक्षा विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में दर्ज की गई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत और सफलता पाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अल्पसंख्यकों तथा ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या का विवरण संलग्न है। साक्षरता कार्यक्रम से लाभान्वितों में लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं हैं।

(ख) और (ग) राज्यों को शिक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि स्थानीय रूप से संगत एवं परिप्रेक्ष्य विशिष्ट आडियो एवं वीडियो कार्यक्रमों के माध्यम से साक्षरता अध्ययन में वृद्धि की जा सके।

(घ) और (ङ) ग्यारहवीं योजना में कम साक्षरता वाले क्षेत्रों पर नए सिरे से विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा इनमें भी ग्रामीण महिलाओं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि क्षेत्रीय, सामाजिक एवं महिला-पुरुष असमानता की खाई को पाटा जा सके।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	199.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.76
3.	असम	29.34
4.	बिहार	113.83
5.	छत्तीसगढ़	27.91
6.	गोवा	0.71
7.	गुजरात	61.31

1	2	3
8.	हरियाणा	8.12
9.	हिमाचल प्रदेश	5.60
10.	जम्मू-कश्मीर	2.70
11.	झारखंड	24.90
12.	कर्नाटक	71.66
13.	केरल	16.77
14.	मध्य प्रदेश	98.66
15.	महाराष्ट्र	76.73
16.	मणिपुर	2.54
17.	मेघालय	1.66
18.	मिजोरम	0.76
19.	नागालैंड	1.90
20.	उड़ीसा	46.97
21.	पंजाब	10.82
22.	राजस्थान	88.07
23.	सिक्किम	0.27
24.	तमिलनाडु	82.15
25.	त्रिपुरा	5.69
26.	उत्तराखंड	5.36
27.	उत्तर प्रदेश	160.39
28.	पश्चिम बंगाल	117.25
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14
30.	चंडीगढ़	0.42
31.	दादरा और नगर हवेली	0.074
32.	दमन और दीव	0.035
33.	दिल्ली	4.56
34.	लक्षद्वीप	0.01
35.	पांडिचेरी	1.11
	कुल	1269.37

विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन

408. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान की शिक्षा की स्थिति काफी बुरी है जिससे विद्यार्थी डिग्री स्तर पर इसे लेने से हतोत्साहित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिश की है कि विज्ञान शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाए तथा भारत को वैज्ञानिक ज्ञान का केन्द्र बनाने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान तथा गणित मिशन शुरू किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा देश में विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्कूल स्तर पर परीक्षा सुधार तथा वैज्ञानिक सोच तथा सामान्य धारणाओं को ठीक ढंग से समझने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रही है। यह सभी स्तरों पर गुणवत्तायुक्त विज्ञान सामग्री सुलभ कराने हेतु शिक्षकों तथा बच्चों दोनों के लिए सहायक सामग्री तैयार कर रही है। कक्षा 1 से 3 के स्तर पर आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को विज्ञान के तंत्र में उनके अध्ययन तथा कैरियर हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। पाठ्यचर्या तथा राष्ट्रीय चिंता के विषयों से संबंधित एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार राष्ट्रीय फोकस समूह ने सिफारिश की है कि माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान को समेकित विषय के रूप में पढ़ने में शामिल होना चाहिए। जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को अलग विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए जिसमें प्रयोग/प्रौद्योगिकी तथा समस्या के हल पर अधिक बल दिया जाए।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ''प्रतिभावान विद्यार्थियों को गणित तथा विज्ञान की ओर आकर्षित करने'' संबंधी अपनी रिपोर्ट में गणित तथा विज्ञान मिशन की स्थापना सहित सिफारिशों का एक सैट तैयार किया है। सिफारिशों पर विचारों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की घटती गुणवत्ता तथा मात्रा को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया। सरकार द्वारा कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कार्यबल की सिफारिशों को

कार्यान्वित करने हेतु कार्यबल को एक अधिकार प्राप्त समिति में परिवर्तित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संसाधनों और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु पहल की है।

आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी

409. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भूकंप की पूर्व चेतावनी की योग्यता प्राप्त करने के लिए देश में टैक्टोनिक स्थान परिवर्तन की निगरानी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाया है;

(घ) क्या सरकार ने इसके जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आंधी/चक्रवातों की पूर्व चेतावनी की योग्यता प्राप्त करने के लिए समुद्र की सतह की निगरानी/अनुसंधान करने के संबंध में कोई प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार ने देश में चयनित स्थानों पर स्फाटीय विरूपण को मानीटर करने के लिए भूगणितीय वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) वाली अनुसंधान परियोजनाएं चलाई हैं, जो टैक्टोनिक स्थान परिवर्तन पैटर्न को समझने में सहायता करती है। हालांकि, अभी तक ज्ञान का स्तर भूकंप के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करने तक नहीं पहुंचा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूकंप-रोधी ढांचे का डिजाइन तैयार करने और उसका निर्माण करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) और भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी प्रौन्नति परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को अपनाने से भूकंप से होने वाली जान-माल की हानि को कम करने में मदद मिलेगी।

(घ) और (ङ) जी हां। समुद्र सतह मौसम विज्ञानी (डाटा ब्वाय; अवसर के अनुसार उपयोगी जहाज; वायु चालित उपग्रह; वर्षावृष्टि आदि) तथा समुद्र विज्ञानी (तरंग; समुद्र सतह तापमान आदि) डेटा को मानीटर करने के लिए सरकार ने प्रेक्षणात्मक प्रणाली स्थापित की है। आंधी/चक्रवातों के बढ़ने और उनकी गति से उपयुक्त चेतावनियां और परामर्श सूचनाएं तैयार करने के लिए प्रचालनात्मक डेटा सुदृढ़ीकरण पूर्वानुमान प्रणाली में भूमि और समुद्र से किए गए इन सभी अवलोकनों को डाला गया है।

यूरोपीय यूनियन तथा जापान के साथ मुक्त व्यापार वार्ता

410. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की यूरोपीय यूनियन तथा जापान के साथ मुक्त व्यापार वार्ता चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन वार्ताओं के क्या परिणाम रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एक व्यापक आधार वाले द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधी करार तथा जापान के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर वार्ताएं कर रही है।

आर्थिक संबंधों को सुविस्तृत एवं व्यापक बनाने के लिए तथा एक व्यापार एवं निवेश करार की संभावना का पता लगाने के लिए भारत एवं ईयू के बीच सितम्बर, 2005 में नई दिल्ली में आयोजित छठी भारत-ईयू शिखर वार्ता के दौरान एक भारत-ईयू उच्चस्तरीय व्यापार दल (एचएलटीजी) का गठन किया गया था। एचएलटीजी ने अक्तूबर, 2007 में हेलसिंकी में आयोजित 7वीं भारत-ईयू शिखर वार्ता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शिखर वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों को वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार की तकनीकी बाधाओं, व्यापार उपचारों, सीमाशुल्क सहयोग एवं व्यापार सुविधा, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक आधार वाला व्यापार एवं निवेश करार करने हेतु वार्ताएं करनी चाहिए। अब तक भारत एवं यूरोपीय आयोग के बीच वार्ताओं के पांच दौर आयोजित किए जा चुके हैं। वार्ताएं अब भी प्रारंभिक दौर में है।

जहां तक जापान के साथ सीईपीए का संबंध है, वस्तु, सेवा, निवेश, उद्गम नियमावली, सीमाशुल्क सुविधा तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों के व्यापार को शामिल करते हुए वार्ताएं जनवरी, 2007 से जारी हैं। अब तक वार्ताओं के 10 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। वार्ताएं अब तक संपन्न नहीं हुई हैं अत: उसके परिणाम के बारे में कुछ कहना असामयिक होगा।

भ्रामक विज्ञापन

411. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों द्वारा व्यावसायिक विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को गुमराह किए जाने से परिचित है जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउन्सिल आफ इंडिया के मापदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों के खिलाफ उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) निजी टी.वी. चैनलों के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के कुछ मामले नामत: 'रूप अमृत (वर्ष 2005 में)', ' हाइको गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस', 'योको हाइट इंक्रिज डिवाइस', 'हर्बल स्लिम टी', 'ओका गुड हाइट इनक्रिजिंग डिवाइस', 'डी' केयर प्लस (आयुर्वेदिक) (वर्ष 2006 में), गारनियर लाइट फेयरसन' (वर्ष 2007 में), 'पंच मुखी रूद्राक्ष माला' (वर्ष 2007 में), 'मैक्सोसायक्लोथ्रिन क्वायल'' (वर्ष 2007 में), '7 अप' (वर्ष 2007 में) सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। चूंकि इन विज्ञापनों का प्रसारण राष्ट्रीय चैनलों द्वारा किया गया था इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ) केबल सेवा के जरिए प्रसारित या पुन: प्रसारित उपग्रह टी.वी. चैनलों के सभी विज्ञापनों को केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अन्तर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति स्व: प्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संहिताओं के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करती है। यदि समिति द्वारा कोई उल्लंघन पाया जाता है तो टी.वी. चैनल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ता माल की कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने के लिए 100 टी.वी. चैनलों के विरुद्ध कुल 256 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें से 64 चैनलों को आदेश/चेतावनी/सलाह पत्र जारी किए गए हैं जिनमें ''वल्ड्र्स सैक्सियस्ट एडवर्टाइजमेंट्स'' नामक कार्यक्रम के लिए 'ए एक्स एन' नामक चैनल शामिल है।

लघु उद्योग क्षेत्र से उत्पाद

412. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में लघु क्षेत्र से उत्पाद खरीदने वाले सरकारी विभागों/एजेंसियों का मद-वार तथा मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन वस्तुओं की गुणवत्ता की तुलना निजी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पादों से की जा सकती है; और

(ग) यदि नहीं, तो लघु क्षेत्र द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एण्ड डी) सरकारी खरीद नीति एवं प्रक्रिया के लिए नोडल अभिकरण है। पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय केन्द्र/राज्य सरकारें तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीयूसी) द्वारा जरूरी सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं के लिए आवर्तन आधार पर रेट कांट्रेक्ट के लिए प्रवेश करता है। डीजीएस एंड डी द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) क्षेत्र से विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा डीजीएस एंड डी कांट्रेक्ट के लिए वस्तुवार खरीद का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) डीजीएस एंड डी के कांट्रेक्ट उत्पादों के लिए संचालित विनिर्देशन को निर्धारित करते हैं। डीजीएस एंड डी ने सूचित किया है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित सभी आपूर्तिकर्ता इन कांट्रेक्टों के लिए कांट्रेक्ट/बेंचमार्क्स के संचालित विनिर्देशन की अपेक्षायें पूरी करते हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान मदों के व्यापक समूह द्वारा डीजीएस एंड डी द्वारा एमएसई को दिए गए आर्डर का मूल्य

(मूल्य करोड़ रु.)

क्र.सं.	मदों के बड़े समूह	2005-06	2006-07	2007-08
1.	वस्त्र	229	216	252
2.	वैद्युत मशीनरी, एपैराटस, उपकरण आदि	350	0	386
3.	गैर-मेटालिक खनिज उत्पाद (पैट्रोलियम एवं कोल उत्पादों सहित)	14	95	15
4.	रसायन एवं रसायानिक उत्पाद	154	176	170
5.	धातु उत्पाद (वैद्युत मशीनरी आदि को छोड़कर)	11	115	12
6.	परिवहन उपकरण	8	43	9
7.	मशीनरी (विद्युत मशीनों के अलावा)	108	0	119
8.	कागज एवं कागज उत्पाद	3	19	4
9.	फुटवियर (रबड़ फुटवियर को छोड़कर)	14	24	15
10.	मेडिकल स्टोर और वैज्ञानिक उपकरण	11	2	12
11.	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	7	7	8
12.	रबड़ और रबड़ उत्पाद	4	14	4
13.	विविध उद्योग	19	9	21
	कुल	932	720	1027

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों को हेलिकाप्टर सुविधाएं

413. श्री संतोष गंगवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सहित अर्ध-सैनिक बलों को हेलिकाप्टर उपलब्ध कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सशस्त्र सीमा बल सहित अर्ध सैनिक बलों (पीएमएफ) द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए हेलीकाप्टरों के प्रापण हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस मामले पर यथाशीघ्र अन्तिम निर्णय लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

महिला वैज्ञानिकों के लिए सुविधाएं

414. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष सुविधाएं तथा रियायत देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सभी संस्थानों में महिला आवासीय परिसर तथा क्रेच सुविधाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी, हां। एक कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ संस्थानों में क्रेच सुविधा स्थापित करने तथा महिला आवासीय ब्लाक के निर्माण के लिए और उन महिला वैज्ञानिकों, जो आईएनएसए की युवा एसोसिएट्स हैं, को 5 वर्षों की अवधि के लिए एक वर्ष में 10.00 लाख रुपये तक का शोध अनुदान उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

दिल्ली पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि

415. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में दिल्ली पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये कर्मियों की भर्ती कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा की तैयारी के संबंध में दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त 8213 पदों के सृजन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया और सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। 8213 पदों के रैंक वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन पदों के अतिरिक्त, 3044 पदों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है या जारी है। अन्य पदों के संबंध में, भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने से पहले ही पूरी कर ली जाएगी।

विवरण

इकाई	रैंक								
	डीसीपी/अति डीसीपी	एसीपी	निरीक्षक	उपनिरीक्षक	सहायक उपनिरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल	अन्य	कुल
ट्रैफिक	2	6	12	100	60	400	1000	0	1580
पीसीआर	0	2	8	100	310	719	1865	0	3004
आईजीआई एयरपोर्ट	0	0	6	28	15	90	308	12	459
संचार	0	1	10	26	112	622	17	0	788
विभिन्न जगहों पर पुलिस व्यवस्था हेतु	0	0	7	27	0	106	696	0	836
सुरक्षा	0	3	7	249	25	276	986	0	1546
	2	12	50	530	522	2213	4872	12	8213

कृषि आधारित उद्योगों का संवर्धन

416. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सब्जी तथा जड़ी बूटी उत्पाद आधारित कृषि उद्योगों सहित कृषि आधारित उद्योगों को पूरे देश में संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण नियोजन सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जड़ी-बूटी तथा सब्जी आधारित उत्पादों सहित कृषि आधारित उद्योग को संवर्धन देने के लिए राज्यवार आवंटित/जारी तथा उपयोग में लायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान आर.ई.जी.पी. के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से 20,000 की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1.4.1995 से 31.3.2008 तक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम कर रही ही थी। आरईजीपी के तहत पात्र उद्यमियों को सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय प्रणाली बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण और 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) प्राप्त करके ग्रामोद्योग स्थापित करने में सहायता दी गई थी जिसमें सब्जी एवं हर्बल उत्पाद आधारित उद्योगों सहित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयां शामिल हैं। आरईजीपी को वर्ष 2008-09 के से बंद कर दिया गया है और हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

(ग) आरईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना थी और इस योजना के लिए केवीआईसी को अनुमोदित अनुदान जारी किए गए थे जिसने बदले में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को निधियां (मार्जिन मनी सहायता के लिए) जारी कीं। आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योगों के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समूह जिसमें सब्जी में हर्बल उत्पाद आधारित उद्योग भी शामिल हैं, के लिए 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चूंकि, आरईजीपी को वर्ष 2008-09 से बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर पीएमईजीपी को शुरू किया गया है, अत: वर्ष 2008-09 के लिए आरईजीपी के तहत कोई निधियां प्रदान नहीं की गई हैं।

(घ) वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत अनुमानत: सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योगों के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समूह के लिए प्रदान की गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्जिन मनी सहायता (लाख रु.)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	1.20		2.00
2.	दिल्ली	5.60	4.84	4.46
3.	हरियाणा	623.22	256.92	516.10
4.	हिमाचल प्रदेश	176.78	234.58	321.86
5.	जम्मू-कश्मीर	300.08	172.42	701.53
6.	पंजाब	301.39	556.78	1116.44
7.	राजस्थान	964.76	681.86	504.86

1	2	3	4	5
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	78.79	7.97	8.36
9.	बिहार	205.39	352.75	616.39
10.	झारखण्ड	126.40	50.23	84.40
11.	उड़ीसा	281.96	422.21	406.88
12.	पश्चिम बंगाल	735.00	907.34	2547.08
13.	अरुणाचल प्रदेश	13.37	57.78	53.62
14.	असम	979.19	686.94	773.37
15.	मणिपुर	15.51	38.57	16.80
16.	मेघालय	84.29	56.32	255.46
17.	मिजोरम	358.39	417.44	260.19
18.	नागालैंड	103.03	37.31	40.38
19.	त्रिपुरा	42.89	60.58	125.20
20.	सिक्किम	50.23	39.55	57.84
21.	आंध्र प्रदेश	957.44	918.91	1021.62
22.	कर्नाटक	611.15	969.70	775.54
23.	केरल	577.22	285.85	448.10
24.	लक्षद्वीप	5.67	0.00	0.00
25.	पुदुचेरी	4.55	7.59	24.86
26.	तमिलनाडु	196.24	511.95	732.50
27.	गोवा	36.58	20.18	45.09
28.	गुजरात	317.90	82.86	249.57
29.	महाराष्ट्र	586.01	716.36	622.95
30.	छत्तीसगढ़	440.57	410.51	412.28
31.	मध्य प्रदेश	401.15	469.36	775.45
32.	उत्तराखंड	159.29	98.67	151.60
33.	उत्तर प्रदेश	909.08	1230.34	1857.70
	कुल	10650.32	10764.67	15530.48

विवरण II

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	36	50	199
2.	दिल्ली	112	267	215
3.	हरियाणा	26541	28339	45185
4.	हिमाचल प्रदेश	12276	17102	26848
5.	जम्मू-कश्मीर	18284	23274	43865
6.	पंजाब	16654	35604	37412
7.	राजस्थान	59596	44168	94468
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4495	323	273
9.	बिहार	11445	12334	20057
10.	झारखण्ड	3756	7289	9064
11.	उड़ीसा	9670	16311	21857
12.	पश्चिम बंगाल	36853	42834	120126
13.	अरुणाचल प्रदेश	1857	2106	1783
14.	असम	49595	30912	48303
15.	मणिपुर	416	1881	1105
16.	मेघालय	1962	2174	3509
17.	मिजोरम	18255	16455	17299
18.	नागालैंड	5549	3358	6910
19.	त्रिपुरा	5616	5851	14178
20.	सिक्किम	1750	2208	2260
21.	आंध्र प्रदेश	66050	59750	98449
22.	कर्नाटक	27129	42420	58855
23.	केरल	30586	30144	48668

1	2	3	4	5
24.	लक्षद्वीप	292	0	36
25.	पुडुचेरी	187	854	2099
26.	तमिलनाडु	20055	25216	54634
27.	गोवा	801	1389	809
28.	गुजरात	17947	13520	19271
29.	महाराष्ट्र	30928	27182	33266
30.	छत्तीसगढ़	17348	17719	25933
31.	मध्य प्रदेश	15365	22332	42793
32.	उत्तराखंड	10948	10962	19270
33.	उत्तर प्रदेश	45322	51123	56652
	कुल	567676	595451	975651

[हिन्दी]

हथियार लाइसेंस कार्यालय में रिकार्ड से छेड़छाड़

417. श्री अशोक अर्गल:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** 11 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1723 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस मामले में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल कितने अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(ग) जारी जांच, जिसमें पुराने एवं विस्तृत रिकार्ड अपेक्षित हैं, को नियत अवधि में पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

कयर उत्पादों का घरेलू व्यापार

418. डा. के.एस. मनोज: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कयर उत्पादों के निर्यात तथा घरेलू व्यापार का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कायर तथा कयर उत्पादों के घरेलू व्यापार में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कयर और कयर उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कुल कितनी राशि प्रदान की गयी है;

(घ) क्या सरकार का घरेलू व्यापार बढ़ाने के लिए कयर तथा कयर उत्पादों के लिए "छूट योजना" शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कयर और कयर उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये)
2005-06	508.45
2006-07	605.17
2007-08	592.88
2008-09 (अप्रैल-सितम्बर 2008)	301.23

पिछले तीन वर्षों के दौरान कयर और कयर उत्पादों के घरेलू व्यापार के अनुमानित ब्योरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये)
2005-06	1022
2006-07	1140
2007-08	1335

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कयर और कयर उत्पादों के घरेलू व्यापार में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) भारत सरकार सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय को इसकी विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान फंड जारी करती है। कयर और कयर उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कयर बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

कयर और कयर उत्पादों के उत्पादन में उछाल लाने के लिए 2005 से सितम्बर, 2008 तक के दौरान कयर बोर्ड द्वारा राज्य-वार प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सित. 2008 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6
केरल	1641.80	304.38	914.45	51.81	2912.44
तमिलनाडु	185.65	209.02	770.10	52.86	1217.63
आंध्र प्रदेश	52.33	48.58	133.36	74.23	308.50
कर्नाटक	258.43	100.67	313.74	107.48	780.32
उड़ीसा	58.49	37.49	119.08	22.91	237.97
गोवा	3.48	13.10	13.75	2.60	32.93
पुडुचेरी	0	16.42	30.80	2.72	49.94
पश्चिम बंगाल	5.08	17.26	48.05	3.45	73.84
दिल्ली	41.77	29.69	23.28	0	94.74
गुजरात	2.10	12.41	46.00	18.05	78.56

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	13.36	2.09	3.85	3.60	22.90
राजस्थान	1.34	5.09	6.71	7.00	20.14
झारखंड	1.23	0.40	0	0	1.63
पंजाब	0	0.04	0	0	0.74
मध्य प्रदेश	1.63	0.26	0.37	0	2.26
उत्तर प्रदेश	5.29	13.15	14.09	0.25	32.78
बिहार	1.38	0	1.00	0	2.38
जम्मू	2.00	0	2.50	0	4.50
पूर्वोत्तर	113.13	92.01	152.13	1.16	358.43
संघ राज्य क्षेत्र	0	21.31	89.30	23.09	133.70
कुल	2388.49*	924.07	2682.56**	371.21	6366.33

*2005-06 के दौरान विपणन विकास सहायता योजना के लिए राज्य सरकारों के लंबित दावों को क्लियर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कयर बोर्ड को अतिरिक्त फंड (लगभग 5 करोड़ रु.) की स्वीकृति सहित

**ग्यारहवीं योजना के दौरान वार्षिक अनुदान में सामान्य बढ़ोतरी के अलावा 2007-08 के दौरान कयर उद्योग के पुनर्जीवन, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण की एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना आरंभ की है।

विदेश जा रहे छात्र

419. श्री मिलिन्द देवरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा के लिए अमरीका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या अमरीका में दी जा रही उच्च शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के कारण वहां जा रहे छात्रों की संख्या बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विदेशी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(च) अमरीका में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। संघ राज्य-भारत शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान वीजा प्राप्त विद्यार्थियों और इन देशों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	वीजा प्राप्त विद्यार्थियों की सं.	नामांकित भारतीय विद्यार्थियों की सं.
2004	16,891	79736
2005	18,653	80466
2006	24,622	76503
2007	32,652	83833

उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के संबंध में अलग से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थियों को अपना अध्ययन करने के लिए विदेश जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस प्रकार विदेश जाना विभिन्न प्रकार के कारणों जैसे व्यय को वहन करने, बैंक ऋणों की उपलब्धता, विदेशी सोसाइटी की जानकारी, अध्ययन की विशेष विधाओं के प्रति दृष्टिकोण, क्षमता सीमा के कारण

सर्वोत्कृष्ट भारतीय संस्थाओं में दाखिला प्राप्त न करने की वजह इत्यादि से हो सकता है। इसका एक अन्य कारण अमरीका में कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने में विद्यार्थियों की रुचि भी हो सकती है जिनका शताब्दियों से शिक्षा और अनुसंधान में लम्बा इतिहास रहा है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और वैश्विक शिक्षा पद्धति के साथ भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ पहल की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा सुधारों के संबंध में सलाह दी है जिनमें सत्र पद्धति, ग्रेड पद्धति, क्रेडिट ट्रान्सफर, सतत आंतरिक मूल्यांकन, पी.एच.डी. के लिए दाखिला प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, पाठ्यचर्या/पाठ्य विवरणिका को नियमित रूप से अद्यतन बनाने के लिए कारगर तंत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाना, शिक्षण पद्धतियों में सुधार तथा तथा शिक्षकों की योग्यता में सुधार करने, बाह्य और आंतरिक दोनों में लचीलेपन की अनुमति प्रदान करने के लिए क्रेडिट पद्धति शुरू करना, सम विश्वविद्यालय के दर्जे की मांग करने वाले तथा सार्वजनिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की मांग करने वाली संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाना और मूल विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को सुदृढ़ करना शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8 नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 नये भारतीय प्रबन्ध संस्थान, तीन नये विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, दो नये आयोजना और वास्तुकला विद्यालय और 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 14 अन्य विश्वस्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है ताकि भारतीय उच्चतर शिक्षा पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सके। राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को भी गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि नये अवसर सृजित किए जा सकें।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50,000 विदेशी विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।

(च) जबकि अमरीकी उच्चतर शिक्षा पद्धति में नामांकित विद्यार्थियों की प्रतिशतता के रूप में भारतीय विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि अमरीका में शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय विद्यार्थियों की प्रतिशतता भारतीय शिक्षा पद्धति में नामांकित कुल विद्यार्थियों की प्रतिशतता की तुलना में नगण्य है।

के.वी.आई.सी. में रोजगार के अवसर

420. **श्री मदन लाल शर्मा:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सृजित रोजगार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) निकट भविष्य में के.वी.आई.सी. द्वारा विभिन्न राज्यों में रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किये जाने के प्रस्ताव हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योगों के संवर्धन तथा विकास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में सृजित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है जिसके लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 4735 करोड़ रुपये (मार्जिन मनी के लिए 4485 करोड़ रुपये तथा बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेज के लिए 250 करोड़ रुपये) का अनुमानित व्यय रखा गया है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी ग्राम/कुटीर उद्योगों की स्थापना केवीआईसी/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों केवीआईबी/डीआईसी से मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करके तथा कार्यान्वयक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों आदि से सेवा/व्यापार क्षेत्र में प्रत्येक में अधिकतम 10 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्येक में 25 लाख रुपये

की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करके भी कर सकते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 6,16,937 अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए 823.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से सितम्बर, 2008 में नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी को 411.50 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 42.50 करोड़ रुपये सहित) की निधियां जारी की गई हैं।

विवरण

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान केवीआईसी क्षेत्र में रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार (लाख व्यक्ति)					
		खादी			ग्रामोद्योग		
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.00	0.00	#	0.15	0.15	0.18
2.	दिल्ली	0.04	0.04	0.04	0.27	0.27	0.31
3.	हरियाणा	0.38	0.38	0.39	1.79	2.07	2.92
4.	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.08	0.08	1.38	1.55	1.89
5.	जम्मू-कश्मीर	0.24	0.24	0.25	1.41	1.65	2.35
6.	पंजाब	0.42	0.41	0.42	2.09	2.45	3.25
7.	राजस्थान	0.60	0.62	0.65	5.99	6.42	8.05
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20
9.	बिहार	1.02	1.02	1.02	1.81	1.96	3.08
10.	झारखण्ड	0.03	0.03	0.03	0.25	0.32	0.44
11.	उड़ीसा	0.03	0.03	0.03	2.41	2.58	2.85
12.	पश्चिम बंगाल	0.63	0.69	0.72	5.32	5.75	7.65
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	#	0.05	0.07	0.09
14.	असम	0.11	0.12	0.14	2.04	2.36	2.98
15.	मणिपुर	0.01	0.01	0.01	0.63	0.65	0.65
16.	मेघालय	0.00	0.00	#	0.33	0.35	0.39
17.	मिजोरम	0.00	0.00	#	0.48	0.64	0.81
18.	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.40	0.43	0.52

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	सिक्किम	0.00	0.00	#	0.17	0.19	0.22
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	#	0.39	0.45	0.59
21.	आंध्र प्रदेश	0.24	0.26	0.27	5.32	5.92	7.18
22.	कर्नाटक	0.28	0.29	0.31	2.91	3.33	4.25
23.	केरल	0.15	0.12	0.13	3.20	3.51	4.13
24.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	#
25.	पुदुचेरी	0.00	0.00	#	0.08	0.08	0.09
26.	तमिलनाडु	0.38	0.40	0.43	12.55	12.81	13.85
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
28.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.15	0.16	0.16
29.	गुजरात	0.27	0.28	0.29	1.10	1.24	1.77
30.	महाराष्ट्र	0.02	0.02	0.03	6.18	6.45	6.95
31.	छत्तीसगढ़	0.02	0.03	0.04	0.63	0.80	1.11
32.	मध्य प्रदेश	0.05	0.05	0.05	2.82	3.04	3.53
33.	उत्तराखंड	0.27	0.28	0.30	0.46	0.58	1.07
34.	उत्तर प्रदेश	3.40	3.43	3.52	11.11	11.63	15.75
	कुल	8.68	8.84	9.16	74.09	80.08	99.27

#500 व्यक्तियों से कम।

उच्च शिक्षा वित्त निगम का स्थापित किया जाना

421. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए एक उच्चतर शिक्षा वित्त निगम की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निगम के लिए बजटीय समर्थन जुटा लिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त निगम को गठित करने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) यद्यपि, उच्चतर शिक्षा वित्त निगम गठित करने का एक प्रस्ताव था, इसको अभी स्थगित कर दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अवारा पशुओं का पुनर्वास

422. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष दस्ता नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुल कितने पशु पकड़े गये हैं; और

(ग) ऐसे पशुओं को आश्रय प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इन पशुओं को किन स्थानों पर रखे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष सहित विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान क्रमशः दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली केन्टोंमेन्ट बोर्ड द्वारा पकड़े गए पशुओं की संख्या नीचे दी गई है:-

(1) दिल्ली नगर निगम

वर्ष	पकड़े गए/हटाए गए पशुओं की संख्या
2005-06	12899
2006-07	11996
2007-08	12851
2008-09 (30.9.2008 तक)	11440

(2) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

वर्ष	पकड़े गए पशुओं की संख्या
2005-06	175
2006-07	151
2007-08	104
2008-09 (15.10.2008 तक)	80

(3) दिल्ली केन्टोंमेन्ट बोर्ड

वर्ष	पकड़े गए पशुओं की संख्या
2005	53
2006	109
2007	80
2008 (16.10.2008 तक)	12

(ग) दिल्ली में नगर निकायों द्वारा पकड़े गए पशुओं को उनके रखरखाव और अनुरक्षण हेतु निम्नलिखित गोसदनों/गौशालाओं में भेजा जाता है:-

क्र.सं.	गोसदनों/गौशालाओं के नाम	गौसदनों/गौशालाओं के स्थान
1.	गोपाल गोसदन, हरेवली	नरेला जोन
2.	श्री कृष्ण (सुरभी) गोसदन, सुल्तानपुर डबास	नरेला जोन
3.	मानव गोसदन, रेवला खानपुर	नजफगढ़ जोन
4.	डाबर हरे कृष्णा गोसदन, सुरेहरा	नजफगढ़ जोन
5.	आचार्य सुशील मुनि गौसदन, घुम्मनखेड़ा	नजफगढ़ जोन

जीएम चावल का खेतों में परीक्षण

423. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माह्यको सीड कंपनी ने जेनेटिकली मोडिफाइड फसलों के खेतों में परीक्षण के संबंध में निर्धारित विनियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए देश के विभिन्न भागों में बीटी चावल का खेतों में परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जेनेटिकली मोडिफाइड बीटी चावल के खेतों में परीक्षण पर प्रतिबंध की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिकोण से, कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभाग ने देश में जेनेटिकली मोडिफाइड बीटी चावल के खेतों में परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में किसी भी संगठन/अभिकरण से कोई पहुंच नहीं की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विनियामक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है जेनेटिकली अभियंत्रित (जीई) खेतों के परीक्षण के लिए सभी परिव्याप्त विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानक परिचालन क्रियाविधियों (एसओपीएस) का अनुमत पक्षों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

डीटीएच सेवा की निगरानी

424. डा. आर. सेनथिल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में नि:शुल्क तथा सशुल्क चैनल हेतु डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा की मासिक प्रभार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नि:शुल्क और सशुल्क चैनलों के प्रसारण की निगरानी/नियंत्रण हेतु कोई नियम तथा उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर डीटीएच सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन (डीडी) की डीटीएच सेवा द्वारा उपलब्ध चैनलों की वर्तमान संख्या को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीडी के डीटीएच सेवा द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे चैनलों की संख्या कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) निजी डी.टी.एच. आपरेटरों द्वारा प्रदत्त डी.टी.एच. सेवा के बहु-शुल्क पैकेजों की रेंज उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए फ्री-टु-एयर और सशुल्क चैनलों के लिए प्रति माह 60/- रुपये से लेकर 424/- रुपये तक है। तथापि, दूरदर्शन की डीडी डायरेक्ट-प्लस डी.टी.एच. सेवा का लाभ लेने के लिए कोई मासिक शुल्क नहीं है।

(ख) डी.टी.एच. और प्रसारण क्षेत्र के संबंध में समग्र रूप से कवरेज और कीमत-निर्धारण संबंधी मुद्दों को ट्राई द्वारा विनियमित किया जाता है। नियमों को बनाने के संबंध में सरकार के स्तर पर विचार नहीं किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। दूरदर्शन द्वारा नवम्बर, 2008 से अपनी डीडी डायरेक्ट-प्लस डी.टी.एच. सेवा पर चैनलों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 59 करने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक पार्क योजना

425. **श्री हरिन पाठक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न भागों में स्थापित औद्योगिक पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उद्योगों के लिए अवसंरचना विकास की तुलना में उचित प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 80 आईए के तहत कर में छूट का दावा करने के लिए 1.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान सोलह औद्योगिक पार्कों को अनुमोदन दिया है। इन पार्कों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें मुख्यत: उद्योगों के लिए अवसंरचना का विकास करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

विवरण

पिछले एक वर्ष (1.4.2007 से 31.3.2008 तक) के दौरान औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों के ब्यौरे

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	उपक्रम का नाम और पार्क का स्थान	अनुमोदन की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	91/एसआईए/आईपी/06	मै. वी आई टी पी प्रा. लिमिटेड-पार्क रंगारेड्डी जिले में	10.4.07	

1	2	3	4	5
2.	112/एसआईए/आईपी/06	मै. वी आई टी पी प्रा. लिमिटेड-पार्क रंगारेड्डी जिले में	10.4.07	
3.	136/एसआईए/आईपी/06	मै. प्रिमल प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. - पार्क बंगलौर में	10.4.07	मै. परलटैक पार्क ट्रस्ट के लिए आईपी का हस्तान्तरण 27.06.2007 के पत्र द्वारा रिकार्ड में लिया गया।
4.	58/एसआईए/आईपी/06	मै. हीरानंदानी बिल्डर्स - पार्क-मुंबई में	10.4.07	
5.	110/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि. - पार्क अजमेर में	10.4.07	
6.	141/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि. - पार्क सिरोही में	10.4.07	
7.	142/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि. - पार्क	10.4.07	
8.	147/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि. - पार्क श्रीगंगानगर में	10.4.07	
9.	194/एसआईए/05	मै. रिको लि. - पार्क जयपुर में	10.4.07	
10.	116/एसआईए/आईपी/06	मै. एल एंड टी इन्फोसिटी लि. - पार्क रंगारेड्डी जिले में	11.4.07	
11.	69/एसआईए/आईपी/05/ दिनांक 29.6.05 और 126/एसआईए/आईपी/06	मै. दिव्यश्री वलडेल वेन्चर; दिव्यश्री टावर्स, सं. 55/ए बनारघाटा रोड, गुरुपनपाल्या बंगलौर	8.12.05 और संशोधित किया गया 10.4.07 को	मै. दिव्यश्री वलडेल वेन्चर, को आई पी का हस्तांतरण 19.10.2006 के पत्र द्वारा रिकार्ड में लिया गया।
12.	13/एसआईए/आईपी/05 05 दिनांक 10.2.05 और 12/एसआईए/आईपी/06 7.1.06	मै. मीनाक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. ई. पार्क, सर्वे नं. 5, 15, 17 ग्राम कोंडापुर, सेरलिंगमपल्ली जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	17.2.05 और संशोधित किया गया 10.4.07 को	मै. विजय इन्फोटैक वैंचर्स को औद्योगिक पार्क का हस्तांतरण दिनांक 9.08.2006 और 3.8.07 के पत्रों द्वारा रिकार्ड में लिया गया।
13.	48/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 6.12.04 संशोधित 52/एसआईए/ आईपी/05 के द्वारा	मै. पंचशील टैकपार्क प्रा.लि., क्र.सं. 191, ए/2ए/1/2सीटीएस सं. 2175 एयरपोर्ट रोड यरदवा, पुणे	7.1.05 और संशोधित किया 13.4.06, 5.12.06 तथा 10.4.07 को	
14.	24/एसआईएआईपी/04 दिनांक 3.9.04 और 13/ एसआईए/आईपी/06 दिनांक 7.1.06	मै. एसडीई इंजीनियर्स लि. एसडीई प्रमीला टैक्नोपार्क, सर्वे सं. 12 पी, ग्राम कोंडापुर सेरलिंगमपल्ली, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	22.9.04 और संशोधित किया गया 10.4.07 को	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	26/एसआईए/आईपी/03 दिनांक 6.10.2003 और 104/एसआईए/आईपी/06	मै. साइबर पार्क डैवलपमैंट एंड कन्स्ट्रक्शन लि., प्लाट सं. 76, 77 और पार्ट 78 (सर्वे सं. 66 और 67) डोडा थागुर इलैक्ट्रोनिक सिटी, बंगलौर		15.3.2004 और संशोधित किया गया 31.12.04 और 11.4.07 को			
16.	47/एसआईए/आईपी/07	मै. सारा इन्डस्ट्रियल एस्टेट लि. पार्क देहरादून में		30.8.07			

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं

426. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों का ध्यान रखने के लिए स्थाई चिकित्सकों, नर्सों तथा वार्डन का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक विद्यालय में उक्त पदों को स्थाई तौर पर भरने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में पूर्णकालिक नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नर्स का प्रावधान है। विद्यालय में एक चिकित्सा कक्ष भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय के नियमित निरीक्षण हेतु एक सलाहकार चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति मानदेय आधार पर की जाती है। वर्तमान में 554 कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और 520 स्टाफ नर्सों के पदों को नियमित आधार पर भर दिया गया है।

असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निधि

427. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसके लिए कितना आवंटन निर्धारित किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को दो रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं अर्थात् "असंगठित क्षेत्र में उद्यमों का वित्तपोषण" और "असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निधि का सृजन" (एनएएफयूएस)। इन रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कारण उठे विशिष्ट कार्रवाई संबंधी मुद्दों को निर्धारित करने और इन कार्रवाई संबंधी मुद्दों के कार्यान्वयन हेतु तौर-तरीकों/समय रेखाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से इन रिपोर्टों की जांच करने तथा विशिष्ट कार्रवाई संबंधी मुद्दों को चिन्हित करने के लिए सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

बेरोजगार युवकों का नक्सलवाद की ओर भटकाव

428. **श्री गिरिधारी यादव:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सहित देश के विभिन्न भागों में युवकों के बीच बेरोजगारी की लगातार बढ़ती समस्या उन्हें नक्सलवाद तथा आतंकवाद की ओर धकेल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) नक्सलवादी प्रशासन की कमियों, बेरोजगारी और विकास की कमी के संबंध में लोगों की वास्तविक और अनुभूत शिकायतों का संदोहन करते हैं।

''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय होने के कारण इस संबंध में कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है। केन्द्र सरकार तथापि, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखती है और विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों में सहायता प्रदान करती है। इन उपायों में शामिल है - नक्सलवादियों द्वारा इस क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के बारे में युवाओं को जागरूक बनाना। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को भी समन्वित किया जा रहा है ताकि शैक्षणिक, रोजगार सृजन और अन्य विकास स्कीमों के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षिकाओं का उत्पीड़न

429. **श्री नरहरि महतो:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं ने विद्यालय प्राचार्यों तथा संगठन अधिकारियों के विरुद्ध उत्पीड़न की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(ग) कितने मामलों में शिकायतों को उचित पाया गया है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार की शिकायतों को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और संगठन कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न के संबंध में सूचित की गई केन्द्रीय विद्यालयों की महिला शिक्षिकाओं की शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2005	06
2006	01
2007	06
2008	04
कुल	17

(ग) इन 17 मामलों में से एक मामले को सही पाया गया था और दोषी प्रधानाचार्य को सेवा से हटा दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 59 में केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनुपालनार्थ विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किये गये हैं इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यदि यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 3-ग के तहत कार्यवाही की जाती है और शिकायत निवारण समिति के माध्यम से यौन उत्पीड़न के संबंध में जांच की जाती है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और इसके मुख्यालय के लिए ऐसी समितियां गठित की गई हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का कार्यकरण

430. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री मो. ताहिर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने में एनसीटीई कितना सफल रहा है;

(घ) क्या एनसीटीई के चेयरपर्सन तथा वाइस चेयरपर्सन के पद रिक्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और एनसीटीई के लिए चेयरपर्सन/वीसी की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) तत्कालीन सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्री सुदीप बैनर्जी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित एक समिति ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्यकरण की एक व्यापक समीक्षा करके अप्रैल, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा प्रणाली से संबंधित सभी विनियामक कार्यकलापों को विश्वविद्यालय प्रणाली में निहित कर दिया जाना चाहिए और देश में शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए शैक्षिक सहायता राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से प्रदान की जाए। मूल्यांकन/मान्यता के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालयों एवं अन्य निकाय स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों को शामिल करते हुए शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या हेतु नियम एवं मानदंड विकसित करेंगे।

(ग) शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण की रोकथाम करने की दृष्टि से एनसीटीई ने वर्ष 2002 में गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले ट्यूशन शुल्क एवं अन्य शुल्क के निर्धारण के लिए विनियम अधिसूचित किए थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु सहायता

431. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कतिपय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मदद देने के लिए एकमुश्त सहायता देने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना में उन कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को जो एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं करते उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत पात्र बनाने के लिए एक स्कीम की शुरूआत की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ''उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों'', ''उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्रों'' और ''उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों'' के नाम से योजनाएं हैं जिनके तहत चयनित संस्थाओं/केन्द्रों को शिक्षण और शोध कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय

432. **श्री निखिल कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के कार्यकरण को विनियमित करने हेतु कड़े मानदण्ड अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी नए नीति दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के कार्यकरण का अन्य प्रसिद्ध राष्ट्रीय विद्यालयों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2006 में अन्य बातों के साथ भारत में विदेशी बोर्डों से संबद्ध स्कूलों की स्थापना तथा ऐसे स्कूलों में विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नीतिगत सुझाव देने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों तथा विख्यात शिक्षाविदों की एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ किसी स्कूल को 'अंतर्राष्ट्रीय' स्कूल के रूप में नामकरण करने, विदेशी बोर्डों को संबंधन, विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमत्य सीमा आदि से संबंधित है। सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

अपराधों में वृद्धि

433. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री हेमंत खंडेलवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री अनन्त नायक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में विभिन्न अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में महिलाओं/बालिकाओं/पुरुषों के अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती, रोडरेज, चेन छीनना और जानलेवा दुर्घटनाओं सहित एनसीआरबी द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों की राज्य-वार/अपराध-वार अलग-अलग कुल कितनी संख्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में उक्त अवधि के दौरान कुल कितने दोषी व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और दोषसिद्धि दर कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने तथा गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपराधों की प्रवृत्ति मिश्रित रही है। कुछ राज्यों में जहां इनमें वृद्धि हुई है वहीं अन्य राज्यों में इनमें कमी भी हुई है।

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो वार्षिक आधार पर अपराध आंकड़ा संकलित करता है। अत: विगत तीन वर्षों के दौरान अपराध वार अपराध के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा दोषसिद्धि दर निम्नलिखित है:-

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दोषसिद्धि दर
2005	2621547	34.4
2006	2653683	36.2
2007	2780559	35.8

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसीलिए अपराधों की रोकथाम करना, उनका पता लगाना, दर्ज करना, अन्वेषण और अभियोजन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, संघ सरकार अपराधों की रोकथाम के मामले को बहुत अधिक महत्व देती है और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति अपराध की रोकथाम के संबंध में विशेष जोर देते हुए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों पर समय-समय पर जोर देती रहती है।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हत्या	हत्या करने का प्रयास	आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	डकैती	डकैती की तैयारी एवं डकैती के लिए इकट्ठा होना	लूट	सेंधमारी	चोरी	दंगा	आपराधिक विश्वास भंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2750	1724	111	935	1612	250	4	794	7954	23778	2026	948
2.	अरुणाचल प्रदेश	81	37	5	35	58	23	0	77	263	531	23	36
3.	असम	1194	503	117	1238	1751	334	22	451	2255	6369	2760	487
4.	बिहार	3471	3307	259	1147	2693	1212	165	2374	3117	10812	7671	1181
5.	छत्तीसगढ़	1013	660	41	990	246	204	25	401	3621	5600	893	110
6.	गोवा	45	15	5	20	17	2	0	28	265	495	45	50
7.	गुजरात	1033	452	27	324	1164	282	15	966	5332	13964	1628	1370
8.	हरियाणा	784	513	57	461	492	88	138	390	3437	8694	899	562
9.	हिमाचल प्रदेश	110	79	22	141	118	6	0	22	696	696	558	82
10.	जम्मू-कश्मीर	647	905	37	201	748	13	0	116	1397	1901	1222	117
11.	झारखंड	1523	1084	87	753	621	592	49	732	1610	6195	2524	243
12.	हरियाणा	1609	1406	80	343	589	208	119	1202	5986	17008	6151	434
13.	केरल	388	341	88	478	226	110	158	621	4110	5454	6535	361
14.	मध्य प्रदेश	2405	2512	134	2921	847	147	130	1557	11192	20685	2573	613
15.	महाराष्ट्र	2621	1614	98	1545	1194	641	307	2411	15615	46851	6779	1720
16.	मणिपुर	256	252	4	25	106	4	0	8	62	243	35	52
17.	मेघालय	134	35	2	63	48	81	1	95	148	476	42	18
18.	मिजोरम	24	24	5	37	13	3	0	6	442	777	35	11
19.	नागालैंड	87	26	8	17	26	12	0	80	93	294	8	17
20.	उड़ीसा	1079	1279	48	799	641	184	50	998	3029	6743	1515	301
21.	पंजाब	713	723	216	398	478	27	103	85	1933	2924	1	306
22.	राजस्थान	1221	1920	59	993	1993	41	79	590	5227	17898	2290	613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	सिक्किम	8	16	2	18	3	2	0	4	85	81	19	4
24.	तमिलनाडु	1440	1759	28	571	1029	73	0	437	3738	15851	2551	239
25.	त्रिपुरा	121	56	1	162	85	22	0	61	170	325	148	32
26.	उत्तर प्रदेश	5711	5637	1520	1217	2955	286	89	2049	4556	20695	3926	2524
27.	उत्तराखंड	279	202	30	133	203	48	0	159	521	1630	433	144
28.	पश्चिम बंगाल	1453	434	408	1686	1207	211	1221	426	739	12124	2635	528
	कुल राज्य	32200	27515	3499	17651	21163	5106	2675	17140	87593	253094	55925	13103
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	3	3	4	2	0	0	4	68	92	4	8
30.	चंडीगढ़	18	15	4	33	54	0	2	12	223	1373	43	41
31.	दादरा और नगर हवेली	7	5	0	5	13	3	0	2	25	74	18	12
32.	दमन और दीव	5	2	0	2	4	4	0	0	37	50	19	6
33.	दिल्ली संघ शासित	455	467	64	658	1590	27	157	510	2093	17955	61	394
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	0
35.	पुडुचेरी	19	24	8	6	6	1	0	5	67	466	159	8
	कुल संघ शासित	519	516	79	708	1669	35	159	533	2515	20017	310	469
	कुल अखिल भारत	32719	28031	3578	18359	22832	5141	2834	17673	90108	273111	56235	13572

स्रोत: भारत में अपराध

वर्ष 2005 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना	दहेज हत्या	छेड़छाड़	यौन प्रताड़ना	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	लड़कियों का व्यापार	लापरवाही से निधन	अन्य आईपीसी अपराध	कुल आईपीसी अपराध
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	7909	257	967	42179	443	3595	2508	8696	3	9973	37707	157123
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	4	13	383	0	67	0	9	0	69	562	2304
3.	असम	873	103	423	5906	99	899	19	2206	3	2695	11299	42006
4.	बिहार	1829	50	760	11939	1014	451	13	1574	74	2680	40057	97850
5.	छत्तीसगढ़	431	73	214	3734	100	1450	132	732	0	2004	20959	43633

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6.	गोवा	58	6	12	155	2	30	8	11	0	209	641	2119
7.	गुजरात	1541	447	320	10503	48	802	104	4090	0	4120	60882	113414
8.	हरियाणा	1204	31	119	4569	212	380	597	2075	0	1083	15879	42664
9.	हिमाचल प्रदेश	163	6	97	1359	2	286	29	228	0	480	7165	12345
10.	जम्मू-कश्मीर	403	29	240	355	5	830	371	76	0	462	10040	20115
11.	झारखंड	643	19	202	3078	257	293	36	590	4	1490	12550	35175
12.	हरियाणा	2909	133	238	20883	261	1585	71	1883	0	243	54239	117580
13.	केरल	3261	79	456	18302	21	2339	175	3283	0	34	57530	104350
14.	मध्य प्रदेश	1292	51	817	33803	739	6426	792	2989	3	4593	91951	189172
15.	महाराष्ट्र	6391	385	1123	30017	341	3228	919	6233	0	9608	47386	187027
16.	मणिपुर	122	10	155	295	0	25	0	20	0	5	1234	2913
17.	मेघालय	39	3	70	135	1	44	0	3	0	61	381	1880
18.	मिजोरम	58	5	20	77	4	49	4	0	0	4	558	2156
19.	नागालैंड	41	5	4	35	0	7	0	0	0	37	252	1049
20.	उड़ीसा	1040	31	386	5919	334	2238	184	1671	0	3034	20182	51685
21.	पंजाब	2934	73	55	4267	99	308	43	729	0	2283	8438	27136
22.	राजस्थान	8341	88	648	22606	361	2503	28	5997	0	5872	61549	140917
23.	सिक्किम	44	2	3	99	0	38	0	4	0	53	67	552
24.	तमिलनाडु	2694	40	495	31725	215	1764	665	1650	0	8902	86494	162360
25.	त्रिपुरा	59	16	35	429	34	161	1	439	0	188	811	3356
26.	उत्तर प्रदेश	4556	261	398	10379	1564	1835	2881	4505	0	7406	37158	122108
27.	उत्तराखंड	396	22	24	745	63	100	89	272	0	462	2078	8033
28.	पश्चिम बंगाल	1760	107	92	4125	446	1572	54	6936	61	2737	25444	66406
	कुल राज्य	51019	2336	8386	268001	6665	33305	9723	56901	148	76787	713493	1757428
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	0	6	79	0	11	1	5	0	3	362	682
30.	चंडीगढ़	161	0	1	57	3	31	9	75	0	9	969	3133
31.	दादरा और नगर हवेली	10	4	1	33	0	5	0	5	0	17	195	434
32.	दमन और दीव	3	7	1	16	1	1	0	3	0	24	58	243

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33.	दिल्ली संघ शासित	2378	36	47	1814	114	762	225	1324	1	634	24299	56065
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	22	42
35.	पुडुचेरी	41	0	9	857	4	60	26	6	0	224	2579	4575
	कुल संघ शासित	2686	47	65	2860	122	879	261	1418	1	911	28484	65174
	कुल अखिल भारत	53625	2383	8451	276861	6787	34175	9984	58319	149	71698	741977	1822602

वर्ष 2006 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हत्या	हत्या करने का प्रयास	आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	डकैती	डकैती की तैयारी एवं डकैती के लिए इकट्ठा होना	लूट	सेंधमारी	चोरी	दंगा	आपराधिक विश्वास भंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2766	1860	123	1049	2030	178	3	679	8304	23510	2916	1007
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	33	3	37	75	28	0	74	257	451	6	61
3.	असम	1207	414	32	1244	1825	319	12	544	2911	7820	2684	461
4.	बिहार	3249	3303	326	1232	2619	1001	140	2169	3531	11752	8259	1054
5.	छत्तीसगढ़	1098	825	15	995	239	160	24	439	3507	5262	905	137
6.	गोवा	39	17	1	21	16	7	0	17	252	494	63	35
7.	गुजरात	1165	471	24	354	1128	290	12	970	5530	18475	1534	1246
8.	हरियाणा	873	585	59	608	635	104	224	410	4001	10518	1142	750
9.	हिमाचल प्रदेश	111	78	20	113	130	7	0	29	754	812	566	137
10.	जम्मू-कश्मीर	487	854	40	250	789	10	0	112	1351	1937	1197	123
11.	झारखंड	1492	1078	97	799	635	536	45	779	1428	6173	2650	319
12.	हरियाणा	1627	1484	68	400	563	202	247	1349	5967	14901	6183	471
13.	केरल	393	347	87	601	294	129	125	691	4245	5431	6365	299
14.	मध्य प्रदेश	2309	2370	138	2900	808	151	121	1770	10960	21733	2308	519
15.	महाराष्ट्र	2656	1680	100	1500	1261	663	323	2574	15877	46473	7453	1726
16.	मणिपुर	205	265	4	40	130	2	27	8	55	290	60	40
17.	मेघालय	157	42	8	74	57	57	4	65	140	470	7	16
18.	मिजोरम	25	19	7	72	6	7	0	10	422	758	0	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	नागालैंड	123	46	8	23	31	16	0	84	70	327	7	18
20.	उड़ीसा	1159	752	36	985	704	239	76	1184	3120	6567	1535	313
21.	पंजाब	817	898	165	442	591	35	90	142	2277	3946	3	281
22.	राजस्थान	1209	1694	79	1085	1970	37	97	641	5085	17889	1767	694
23.	सिक्किम	21	16	2	20	8	0	0	9	84	113	12	10
24.	तमिलनाडु	1363	1599	20	457	906	95	4	450	3300	13651	1838	194
25.	त्रिपुरा	154	52	1	189	105	18	1	71	182	392	154	23
26.	उत्तर प्रदेश	5480	4997	1543	1314	3318	218	86	2024	4577	20447	3774	2509
27.	उत्तराखंड	274	215	40	147	212	31	2	157	470	1696	489	95
28.	पश्चिम बंगाल	1425	672	401	1731	1355	177	1263	426	601	12532	2385	519
	कुल राज्य	31944	26666	3447	18682	22440	4717	2926	17867	89258	254820	56262	13087
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	1	6	5	0	0	5	82	101	10	3
30.	चंडीगढ़	12	21	8	19	65	1	3	34	189	1234	44	59
31.	दादरा और नगर हवेली	9	0	1	6	18	5	0	5	41	61	8	30
32.	दमन और दीव	6	3	0	3	3	8	0	1	60	63	24	9
33.	दिल्ली संघ शासित	476	510	75	623	1442	14	200	541	1950	17498	87	442
34.	लक्षद्वीप	0	2	0	0	0	0	0	0	2	17	12	0
35.	पुडुचेरी	30	24	3	9	18	2	0	3	84	560	194	6
	कुल संघ शासित	537	564	88	666	1551	30	203	589	2408	19534	379	549
	कुल अखिल भारत	32481	27230	3535	19348	23991	4747	3129	18456	91666	274354	56641	13636

वर्ष 2006 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना	दहेज हत्या	छेड़छाड़	यौन प्रताड़ना	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	लड़कियों का व्यापार	लापरवाही से निधन	अन्य आईपीसी अपराध	कुल आईपीसी अपराध
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	8363	324	1012	47946	519	4534	2411	9164	0	11489	43722	173909
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	9	20	415	1	63	2	14	0	82	565	2294

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.	असम	905	98	488	5290	105	1290	10	2548	0	3022	10444	43673
4.	बिहार	2171	97	785	12674	1188	530	53	1689	42	2860	39941	100665
5.	छत्तीसगढ़	507	33	262	6722	103	1598	143	717	1	2239	19246	45177
6.	गोवा	55	9	38	170	0	18	7	14	0	233	698	2204
7.	गुजरात	1529	196	321	10685	50	736	138	4977	0	4339	66802	120972
8.	हरियाणा	1424	35	156	5135	255	486	491	2254	0	1350	19014	50509
9.	हिमाचल प्रदेश	129	4	115	1261	3	275	31	259	0	499	7760	13093
10.	जम्मू-कश्मीर	463	35	203	376	10	960	347	135	0	222	10886	20787
11.	झारखंड	833	34	178	3055	281	414	44	668	5	1154	13667	36364
12.	हरियाणा	2910	139	268	19488	244	1683	38	2129	0	534	56815	117710
13.	केरल	3316	68	435	19105	25	2543	222	3708	0	49	56777	105255
14.	मध्य प्रदेश	1522	38	815	34709	764	6243	762	2989	0	4823	95959	194711
15.	महाराष्ट्र	6234	317	1188	29407	387	3479	984	6738	1	10933	49834	191788
16.	मणिपुर	82	9	109	296	0	42	0	10	0	3	1207	2884
17.	मेघालय	83	7	28	138	6	57	0	13	0	68	438	1935
18.	मिजोरम	78	10	25	72	0	51	0	1	0	26	454	2073
19.	नागालैंड	37	10	16	50	0	3	2	3	0	28	201	1103
20.	उड़ीसा	1364	16	371	6226	457	2415	247	694	12	2945	21375	52792
21.	पंजाब	3393	66	68	5104	130	314	60	801	2	2919	9524	32068
22.	राजस्थान	10191	56	551	21296	394	2582	31	7038	3	6234	61379	141992
23.	सिक्किम	37	1	1	96	0	14	0	6	0	39	214	703
24.	तमिलनाडु	2116	63	460	14067	187	1179	852	1248	0	10792	94131	148972
25.	त्रिपुरा	84	17	35	464	35	207	0	471	0	199	1091	3940
26.	उत्तर प्रदेश	5142	278	299	10412	1798	2096	2714	5204	0	7235	41536	127001
27.	उत्तराखंड	514	14	39	854	80	153	113	358	0	524	1935	8412
28.	पश्चिम बंगाल	1947	135	111	6299	445	1837	63	7414	1	3039	23274	68052
	कुल राज्य	55467	2113	8397	261812	7467	35802	9765	61264	67	77879	748889	1811038

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	4	9	78	0	14	4	7	0	2	322	676
30.	चंडीगढ़	232	3	5	55	10	20	13	102	0	14	983	3126
31.	दादरा और नगर हवेली	10	1	5	35	1	5	1	5	0	16	172	435
32.	दमन और दीव	3	4	5	18	0	2	0	2	0	26	48	288
33.	दिल्ली संघ शासित	2313	42	33	1818	137	718	144	1728	0	367	26805	57963
34.	लक्षद्वीप	0	0	4	5	0	0	0	1	0	0	37	80
35.	पुडुचेरी	36	2	22	927	3	56	39	19	0	209	2441	4687
	कुल संघ शासित	2609	56	83	2936	151	815	201	1864	0	634	30808	67255
	कुल अखिल भारत	58076	2169	8480	264748	7618	36617	9966	63128	67	78513	779697	1878293

वर्ष 2007 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों का विवरण*

क्र.सं.	राज्य	हत्या	हत्या करने का प्रयास	आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	डकैती	डकैती की तैयारी एवं डकैती के लिए इकट्ठा होना	लूट	सेंधमारी	चोरी	दंगा	आपराधिक विश्वास भंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2665	1885	135	1070	2097	170	6	614	7677	24391	1998	869
2.	अरुणाचल प्रदेश	68	29	2	48	68	16	0	75	240	513	16	41
3.	असम	1374	451	109	1437	1971	299	12	496	2603	7754	2601	653
4.	बिहार	3034	3113	257	1555	2530	686	78	1787	3259	11795	7962	1326
5.	छत्तीसगढ़	1097	747	26	982	244	115	13	427	3632	5381	881	150
6.	गोवा	33	23	7	20	12	7	0	22	292	494	79	36
7.	गुजरात	1166	494	21	316	1312	245	10	1095	4870	18164	1668	1139
8.	हरियाणा	911	592	72	488	801	139	266	502	4231	11047	1173	726
9.	हिमाचल प्रदेश	127	57	9	159	171	5	0	23	877	1092	649	132
10.	जम्मू-कश्मीर	318	669	23	288	758	18	0	111	1460	2086	1209	121
11.	झारखंड	1617	1076	92	855	762	524	40	771	1495	7091	2565	448
12.	हरियाणा	1538	1251	55	436	680	178	242	1313	5449	14351	57834	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	367	402	92	512	255	121	157	869	4100	5609	7358	394
14.	मध्य प्रदेश	2244	2423	155	3010	922	143	109	1975	11230	22396	2648	531
15.	महाराष्ट्र	2693	1615	113	1451	1312	716	405	2770	15607	47681	7993	1715
16.	मणिपुर	240	377	2	20	150	3	146	11	70	454	70	19
17.	मेघालय	114	49	8	82	52	55	1	56	203	500	33	17
18.	मिजोरम	43	21	4	83	4	0	0	5	457	808	1	20
19.	नागालैंड	111	50	8	13	17	7	0	75	118	360	15	13
20.	उड़ीसा	1210	1105	22	939	801	247	42	1273	3073	6830	1983	319
21.	पंजाब	760	893	170	519	760	37	92	138	2616	5173	1	329
22.	राजस्थान	1303	1772	64	12238	2177	71	81	778	5164	19345	1626	825
23.	सिक्किम	9	14	3	24	9	0	0	6	83	118	15	7
24.	तमिलनाडु	1633	2078	28	523	1270	88	33	495	3717	13217	2375	261
25.	त्रिपुरा	138	58	2	157	113	14	2	64	193	411	142	42
26.	उत्तर प्रदेश	5000	4424	1616	1648	4478	437	82	2169	5057	22816	4495	3639
27.	उत्तराखंड	268	228	50	117	253	46	6	173	548	1593	459	163
28.	पश्चिम बंगाल	1652	877	394	2106	1800	146	1150	427	399	13747	3727	672
	कुल राज्य	31733	26773	3539	20096	25779	4533	2973	18520	88720	265217	59516	15007
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	19	1	3	12	5	0	9	90	112	17	7
30.	चंडीगढ़	19	26	8	22	52	2	0	37	191	1740	79	38
31.	दादरा और नगर हवेली	10	2	0	7	9	1	0	3	28	87	39	17
32.	दमन और दीव	12	7	0	1	1	3	1	2	46	43	31	5
33.	दिल्ली संघ शासित	495	530	94	598	1688	34	229	557	2055	17037	87	451
34.	लक्षद्वीप	0	2	0	1	0	0	0	0	2	20	1	0
35.	पुडुचेरी	34	42	2	9	20	1	2	8	86	787	145	6
	कुल संघ शासित	585	628	105	641	1782	46	232	616	2498	19826	399	524
	कुल अखिल भारत	32318	27401	3644	20737	27561	4579	3205	19136	91218	285043	59915	15531

*अनन्तिम आंकड़े

वर्ष 2007 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना	दहेज हत्या	छेड़छाड़	यौन प्रताड़ना	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	लड़कियों का व्यापार	लापरवाही से निधन	अन्य आईपीसी अपराध	कुल आईपीसी अपराध
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	8103	224	1176	46122	613	4406	3316	11335	0	12629	43586	175087
2.	अरुणाचल प्रदेश	33	10	22	375	0	72	1	20	0	82	555	2286
3.	असम	895	115	380	5175	100	789	10	3000	0	2875	12183	45282
4.	बिहार	2358	79	865	16288	1172	853	12	1635	56	3789	44931	109420
5.	छत्तीसगढ़	467	64	253	6801	100	1549	111	824	0	2476	19505	45845
6.	गोवा	55	10	24	150	2	20	7	14	0	247	934	2479
7.	गुजरात	1116	286	330	10989	42	822	120	5827	0	4831	68332	123195
8.	हरियाणा	1232	33	142	5031	269	417	409	2412	0	1545	19159	51597
9.	हिमाचल प्रदेश	212	11	141	1318	8	322	33	342	0	597	7937	14222
10.	जम्मू-कश्मीर	489	31	186	374	9	986	353	176	0	243	11535	21443
11.	झारखंड	814	19	160	3783	303	342	15	801	0	1019	13897	38489
12.	हरियाणा	3600	124	262	18962	251	1828	28	2507	0	514	60853	120606
13.	केरल	4215	54	398	18975	27	2624	262	3999	0	59	57681	108530
14.	मध्य प्रदेश	1661	38	909	36643	742	6772	780	3294	0	5754	98007	202386
15.	महाराष्ट्र	6235	270	1267	29622	436	3306	1039	7356	0	11946	50159	195707
16.	मणिपुर	93	4	63	377	0	70	0	15	0	1	1074	3259
17.	मेघालय	164	12	36	124	2	45	1	19	0	68	438	2079
18.	मिजोरम	66	16	38	85	0	66	0	2	0	34	330	2083
19.	नागालैंड	34	8	5	52	0	8	1	0	0	43	242	1180
20.	उड़ीसा	1263	30	411	748	461	2775	241	728	0	3771	19870	54872
21.	पंजाब	3581	68	96	5663	133	427	48	971	0	2801	10517	35793
22.	राजस्थान	11919	56	675	19720	439	2477	28	8170	0	7096	63846	148870
23.	सिक्किम	34	3	1	95	0	13	0	7	0	34	192	667
24.	तमिलनाडु	2510	74	653	16967	208	1540	875	1976	0	11485	110748	172754

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25.	त्रिपुरा	85	10	23	546	36	244	4	545	0	203	1241	4273
26.	उत्तर प्रदेश	8399	337	268	10694	2076	2522	2882	7650	0	7655	51914	150258
27.	उत्तराखंड	697	39	37	886	70	146	63	463	0	608	2686	9599
28.	पश्चिम बंगाल	2406	127	121	6909	451	2281	99	9900	5	3803	27903	81102
	कुल राज्य	62736	2152	8942	270205	7950	37722	10738	73988	61	86208	800255	1923363
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	1	11	99	1	21	2	18	0	4	337	807
30.	चंडीगढ़	170	2	9	78	1	32	11	112	0	15	999	3643
31.	दादरा और नगर हवेली	10	1	10	25	0	0	0	3	0	12	161	425
32.	दमन और दीव	6	6	3	20	1	0	0	3	0	32	37	260
33.	दिल्ली संघ शासित	2336	41	31	1736	138	868	167	1787	0	252	24854	56065
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	26	56
35.	पुडुचेरी	45	1	18	904	2	89	32	17	0	267	2537	5054
	कुल संघ शासित	2590	52	82	2862	143	1012	212	1942	0	582	28951	66310
	कुल अखिल भारत	65326	2204	9024	273067	8093	38734	10950	75930	61	86790	829206	1989673

[अनुवाद]

'पोन्नी' चावल हेतु संरक्षण

434. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल मलेशियाई रिटेल चेन ने चावल की एक उत्तम किस्म के रूप में ट्रेड मार्क, 'पोन्नी' पंजीकृत करवाया है जबकि इस चावल को तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में उगाया जाता है;

(ख) क्या 'पोन्नी' नाम को जो तमिलनाडु कावेरी डेल्टा में उगाये जाने वाले चावल की एक किस्म के लिए प्रयुक्त होता है, भारत द्वारा सामानों के भौगोलिक संकेतन के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1997 में एक अमरीकी फर्म ने बासमती की प्रीमियम खुशबूदार चावल के रूप में पेटेंट करवाया था जिसे निरस्त करवाने में भारत सरकार को चार वर्ष लग गए थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ट्रेडमार्क के रूप में पोन्नी के मलेशियाई पंजीकरण को चुनौती देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) मै. स्यारिकट फैजा एस डी एन, बी एच डी जो कि मलेशिया की एक चावल आयात करने वाली एजेंसी है, ने पोन्नी को मलेशियाई ट्रेड मार्क अधिनियम के अंतर्गत एक ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत किया है। भारत सरकार ने चिन्ता व्यक्त करते हुए मामले को मलेशिया सरकार के साथ उठाया और रजिस्ट्रार से ट्रेड मार्क के रूप में पोन्नी के पंजीकरण को निरस्त कराने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने का उनसे अनुरोध किया है।

भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के रिकार्ड के अनुसार वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 के अंतर्गत पोन्नी के बारे में पंजीकरण की मांग करने के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक फर्म, राइसटेक कार्पोरेशन को संयुक्त राष्ट्र पेटेंट तथा ट्रेड मार्क आफिस (यूएसपीटीओ) द्वारा पेटेंट संख्या यू एस 5663484 शीर्षक बासमती चावल लाइन्स एंड ग्रेन्स, जिसमें 20 दावे निहित हैं, के अंतर्गत दिनांक 2 सितंबर, 1997 को पेटेंट प्रदान किया गया था, जिनका संबंध अन्य बातों के साथ-साथ सुगंधित चावल से तथा ऐसे चावल ग्रेन्स से है जिनकी गुणवत्ता कथित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल के समान अथवा उनसे बेहतर है। इस पेमेंट के प्रदान करने का भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2000 के पुन: जांच से 90/005/709 हेतु अनुरोध द्वारा किया गया था और यूएएसपीटीओ द्वारा पुन: जांच की कार्रवाई करने पर 20 दावों में से 15 दावे रद्द किये गये थे और उक्त पेटेंट का शीर्षक भी संशोधित करके 29 जनवरी, 2002 को जारी किये गये पुन: जांच प्रमाणपत्र के तहत चावल लाइन्स बास 867 आरटी 1117 आरटी 112 कर दिया गया था।

नए केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

435. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री हितेन बर्मन:
श्री रामदास आठवले:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जे.एन.वी.) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्यालयों की स्थापना के परिणामस्वरूप कितने नए शिक्षकों को नियुक्त किए जाने की संभावना है;

(घ) इन विद्यालयों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इनके सुचारू कार्यकरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए कुल कितनी निधियां मुहैया कराई गई हैं; और

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों और जे.एन.वी. में. अ.जा./अ.ज.जा. में विद्यार्थियों को मुहैया कराए जाने वाले आरक्षण और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना प्रायोजक संस्थान अर्थात् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्ताव जिसमें नि:शुल्क भूखण्ड तथा अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल हो, अभिनिर्धारित श्रेणी के पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों की उपलब्धता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय का खोला जाना राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर होता है जिसमें स्थायी भवन का निर्माण होने तक अस्थायी भवन के प्रावधान सहित नि:शुल्क उपयुक्त भूखण्ड उपलब्ध कराना शामिल है। नवोदय विद्यालय की वर्तमान योजना में प्रत्येक जिले में एक विद्यालय की परिकल्पना की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संचालित किए गए केन्द्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) कक्षा-1 से 12 में दो सेक्शनों वाले केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता संबंधी मानदण्ड इस प्रकार हैं:-

पद	संस्वीकृत क्षमता
प्रधानाचार्य	01
स्नातकोत्तर शिक्षक	07
अवर स्नातक शिक्षक	06
प्राथमिक शिक्षक	11
विविध श्रेणी शिक्षक	05
कुल	30

इसी प्रकार, कक्षा 6 से 12 में दो सेक्शनों वाले जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता संबंधी मानदण्ड इस प्रकार हैं:-

पद	संस्वीकृत क्षमता
प्रधानाचार्य	01
स्नातकोत्तर शिक्षक	01
अवर स्नातक शिक्षक	11
प्राथमिक शिक्षक	10
विविध श्रेणी शिक्षक	05
कुल	28

(घ) विवरण-I तथा II में उल्लिखित सभी केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय संचालित किए जा चुके हैं। इन नए विद्यालयों हेतु निधियों की आवश्यकता केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति हेतु किए गए कुल प्रावधानों में से पूरी की गई है।

(ङ) अनु.जा./अनु.ज.जा. श्रेणियों के बच्चों हेतु सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में अनु.जा./अनु.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है परंतु यह अनु.जा. हेतु 15 प्रतिशत तथा अनु.ज.जा. हेतु 7.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय अनुपात से कम नहीं होता है और जवाहर नवोदय विद्यालयों के मामले में यह आरक्षण कुल 50 प्रतिशत तक सीमित होता है। इसी प्रकार संबंधित राज्य में अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों के बच्चों हेतु सीटों का आरक्षण अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है परंतु यह अनु.जा. हेतु 15 प्रतिशत तथा अ.ज.जा. हेतु 7.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होता है और केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में यह आरक्षण कुल 50 प्रतिशत तक सीमित होता है। अनु.जा./अनु.ज.जा. श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय विद्यालयों में कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है और उनके बोर्ड परीक्षा संबंधी शुल्क भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन वहन करता है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के मामले में, नवोदय विद्यालय समिति छात्रों हेतु बोर्डिंग, लाजिंग, पाठ्यपुस्तक, वर्दी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, लेखन-सामग्री आदि से संबंधित सम्पूर्ण व्यय वहन करती है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों के राज्य-वार ब्यौरे प्रदर्शित करने वाली सूची (16.10.2008 की स्थिति के अनुसार)

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
1. नेवल बेस, कारवार (कर्नाटक)	1. डांग (गुज.)	1. सैक्टर 12 द्वारका (दिल्ली	1. माहे (पुद्दुचेरी)
2. मुंगाओली, जिला अशोक नगर (मध्य प्रदेश)	2. पंचमहल (गुज.)	2. वेंकटगिरी, जिला नेल्लौर (आंध्र प्रदेश)	2. तंगधार, जिला कुपवाड़ा (जम्मू एवं कश्मीर)
	3. कोडागु (कर्नाटक)	3. पन्ना (मध्य प्रदेश)	3. दातिया (मध्य प्रदेश)
	4. बड़वानी (मध्य प्रदेश)	4. माती अकबरपुर, कानपुर देहात जिला (उत्तर प्रदेश)	4. गुमला (झारखंड)
	5. डिंडोरी (मध्य प्रदेश)	5. नम्बर 11 आरसीएफ कपूरथला (पंजाब)	5. पेन्नाड, इडुकी जिला (केरल)
	6. बोध (उड़ीसा)	6. शिवगंगा (तमिलनाडु)	6. नागरकोइल, कन्याकुमारी जिला (तमिलनाडु)
	7. परालखेमुंडी	7. ओ.एफ. स्टेट नालंदा (बिहार)	7. खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
	8. गजपती जिला (उड़ीसा)	8. गढ़ा, जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश)	8. आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)
	9. मल्कानगिरी (उड़ीसा)	9. एसएपी कैम्पस तिरूवनंतपुरम (केरल)	9. महबूबनगर (आंध्र प्रदेश)
	10. नवरंगपुर (उड़ीसा)	10. तिसता लो डैम प्रोजेक्ट-3, दार्जलिंग, (पश्चिम बंगाल)	
	11. रायगढ़ (उड़ीसा)	11. एएफएस तंजावुर (तमिलनाडु)	
	12. मधुपुर, देवघर जिला, (झारखंड)	12. नं. 111 बेगाम (कर्नाटक)	

1	2	3	4
	13. गढ़वा (झारखंड)	13. दिरंग, पश्चिम कामेंग जिला	
	14. गोड्डा (झारखंड)	14. बागालकोट डंगले, जिला (कर्नाटक)	
	15. जामतारा (झारखंड)	15. प्रकाशम	
	16. पलामू (झारखंड)	16. कंधमाल (उड़ीसा)	
	17. साहेबगंज (झारखंड)	17. धर्मपुरी तमिलनाडु)	
	18. सिमडेगा (झारखंड) लातेहार (झारखंड)	18. पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)	
	19. लाहौल एवं स्पीती (हिमाचल प्रदेश)	19. शिवपुर (मध्य प्रदेश)	
	20. तिरूवन्नमलाई (तमिलनाडु)	20. चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	
	21. कोल्लम (केरल)	21. गांधीग्राम, डिंडीगुल (तमिलनाडु)	
	22. पूर्वी गारो हिल (मेघालय)	22. भद्रक (उड़ीसा)	
	23. जयंतीया हिल (मेघालय)		
	24. गोलपारा (असम)		
	25. गोलाघाट (असम)		
	26. नालबारी (असम)		
	27. कुड्डपा (आंध्र प्रदेश)		
	28. खम्माम (आंध्र प्रदेश)		
	29. विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)		
	30. वारांगल (आंध्र प्रदेश)		
	31. पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)		
	32. धामतरी (छत्तीसगढ़)		
	33. कांकेर (छत्तीसगढ़)		
	34. डुंगरपुर (राजस्थान)		
	35. दक्षिणी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)		
	36. वीरभूम (पश्चिम बंगाल)		
	37. राणाघाट, नादिया जिला (पश्चिम बंगाल)		
	38. दक्षिणी सिक्किम (सिक्किम)		

1	2	3	4
	39. बादाम (उत्तर प्रदेश)		
	40. बहराइच (उत्तर प्रदेश)		
	41. लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)		
	42. धुले (महाराष्ट्र)		
	43. यवतमाल (महाराष्ट्र)		
	44. अररिया (बिहार)		
	45. मधुबनी (बिहार)		
	46. शिवहर (बिहार)		
	47. सुपौल (बिहार)		
	48. चलाई (त्रिपुरा)		
	49. तामेंगलोंग (मणिपुर)		
	50. उखरूल (मणिपुर)		

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों के राज्य-वार ब्यौरे प्रदर्शित करने वाली सूची (16.10.2008 की स्थिति के अनुसार)

2005-06		2006-07		2007-08		2008-09
1	2	3		4		5
1.	पौढ़ी गढ़वाल	1.	उमरिया (मध्य प्रदेश)	1.	अमरेली (गुजरात)	-शून्य-
2.	पूर्व सिक्किम	2.	अरवाल (बिहार)	2.	दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल)	
3.	जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल)	3.	पेरेन (नागालैंड)			
4.	बांकुरा (पश्चिम बंगाल)	4.	पुरूलिया (पश्चिम बंगाल)	3.	बरनाला (पंजाब)	
5.	साहिआ (मिजोरम)	5.	धुब्री (असम)			
6.	नयागढ़ (उड़ीसा)	6.	उडलगुरी (असम)			
7.	पश्चिम कामेंग (अरुणाचल प्रदेश)	7.	धूले (महाराष्ट्र)			
8.	चम्फाई (मिजोरम)	8.	मेक्सट (हरियाणा)			
9.	उत्तरी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)	9.	लोंगलेंग (नागालैंड)			

1	2	3	4
10. खिपायर (नागालैंड)	10. अमृतसर (पंजाब)		
11. वीरभूम (पश्चिम बंगाल)			
12. फैतहाबाद (हरियाणा)			
13. कांकेर (चंडीगढ़)			
14. हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)			
15. बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)			
16. भद्रक (उड़ीसा)			
17. जजपुर (उड़ीसा)			
18. सीमडेगा (केडी)			
19. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)			
20. बारगढ़ (उड़ीसा)			
21. अंजवा (आंध्र प्रदेश)			
22. अपर दिबांग घाटी (आंध्र प्रदेश)			
23. बोंगाई गांव (असम)			
24. कोरिया (छत्तीसगढ़)			
25. पश्चिम मिदनानगर (पश्चिम बंगाल)			
26. नागांव (असम)			
27. देवगढ़ (उड़ीसा)			
28. हावड़ा (पश्चिम बंगाल)			
29. जसपुर (छत्तीसगढ़)			
30. कवरधा (चंडीगढ़)			
31. कुरूंग कुमे (अरुणाचल प्रदेश)			
32. दीमापुर (नागालैंड)			
33. जुन्हेबोटो (नागालैंड)			
34. बक्सा (असम)			
35. एन कचार हिल्स (असम)			
36. कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)			

[हिन्दी]

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा

436. श्री हेमंत खंडेलवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान का कार्यकरण महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय के कार्यकरण से किस प्रकार से भिन्न होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा को 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने हेतु आगे की कार्रवाई केन्द्र सरकार द्वारा केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान संबंधी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

437. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा अभियान पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए अगस्त, 2006 के भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और भारत सरकार और राज्य/संघ क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों द्वारा उसमें उठाए गए बिन्दुओं की जांच के आधार पर पाया गया कि लगभग 53 करोड़ रुपए की राशि सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत व्यय नहीं की गई।

भारत सरकार ने राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों में अमान्य व्यय की पूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कड़े निदेश जारी किए हैं। भारत सरकार वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लेखा परीक्षाओं, स्वतंत्र समवर्ती वित्तीय समीक्षाओं और 41 सामाजिक विज्ञान संस्थाओं के माध्यम से फील्ड मानीटरिंग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की निधियों के उपयोग की मानीटरिंग कर रही है।

अनुसंधान संस्थान की स्थापना

438. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों और अन्य संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार तिरूवनंतपुरम में सिलिकन जैसे पदार्थों के अनुप्रयुक्त अनुसंधान विकास और उत्पादन से संबंधित एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली, पंजाब; राष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली, पंजाब; और स्टेम सेल संस्थान, बेंगलूरू जैसे नए संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास सिलिकन जैसे पदार्थों के अनुप्रयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन से संबंधित एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फर्जी विश्वविद्यालय

439. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री जुएल ओराम:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री ई. दयाशंकर राव:
श्री देविदास पिंगले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने फर्जी विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं (व्यावसायिक और तकनीकी) की पहचान की गई;

(ख) ऐसी फर्जी शैक्षणिक संस्थाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के आगे और फैलाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माध्यम से उन जाली विश्वविद्यालय/संस्थाओं के जघन्य कार्यकलापों की निगरानी कर रही है जो कि व्यावसायोन्मुख व तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं (व्यावसायिक तथा तकनीकी) एक दिल्ली व एक उत्तर प्रदेश में पता लगाया है। इस अवधि के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 203 जाली तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का पता लगाया है जिसमें 74 महाराष्ट्र में, 25 दिल्ली में, 22 कर्नाटक में, 15 तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल प्रत्येक में, 14 उत्तर प्रदेश में 9 हरियाणा व चण्डीगढ़ में, 8 आंध्र प्रदेश में, 3 राजस्थान व गुजरात प्रत्येक में, 2 केरल व पंजाब प्रत्येक में, 1 मध्य प्रदेश व गोवा प्रत्येक में है।

(ख) से (घ) ऐसी तकनीकी संस्थाओं के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची में शामिल किए गए हैं और उन्हें छात्रों एवं आम जनता की सूचना हेतु उनके संबंधित कार्यालयों की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है। इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रति वर्ष प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया और उनके कार्यकलापों की वेबसाइटों पर बृहद प्रचार करती है जिसमें छात्रों और अभिभावकों को ऐसी गैर अनुमोदित संस्थाओं में दाखिला न लेने की सलाह दी जाती है। इन गैर अनुमोदित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए सक्षम निकाय से अनुमोदन प्राप्त करें या उन्हें बंद करें।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य मंत्रियों से 6 जून, 2008 को अनुरोध किया गया है कि वे फर्जी विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर दंडात्मक कार्रवाई हेतु कानून एवं व्यवस्था प्रणाली को दिशा-निर्देश जारी करें। इस संबंध में इस मंत्रायलय द्वारा एक सार्वजनिक अपील दिनांक 17 जून, 2008 को जारी की गई थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करते समय छात्र इस बात की संतुष्टि कर लें कि ऐसी संस्थाएं तथा उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम संबंधित कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं गुणवत्ता वाले और प्रतिष्ठित हैं तथा किसी भी संदेह की स्थिति में सांविधिक निकायों जैसे यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. आदि से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इन सांविधिक निकायों को यह निदेश भी दिया गया है कि वे ऐसी संस्थाओं जो के विरुद्ध कारगर प्रचार करे जो गैर-मान्यताप्राप्त तथा अनाधिकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत यथावश्यक दण्डात्मक कार्रवाई करें। मीडिया से भी अपील की गई है कि वे भ्रामक विज्ञापनों को छापने से इनकार करें बेशक इससे उन्हें विज्ञापन के जरिए होने वाली आय का नुकसान ही हो।

अनुसंधान कार्यक्रम में विदेशी सहायता

440. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में अनुसंधान कार्यक्रम/परियोजनाएं चलाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में प्राप्त की गयी विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) सहायता प्रदाताओं द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं/निकायों के सामने रखी गई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुसंधान के किन क्षेत्रों हेतु उक्त विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में देश में अनुसंधान कार्यक्रम/परियोजनाएं संचालित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अपने द्वारा हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय करारों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

441. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का एक केन्द्र शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है तथा केरल में ऐसे संस्थान की स्थापना में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने इस प्रस्ताव पर अपना ''सैद्धान्तिक'' अनुमोदन प्रदान कर दिया है बशर्ते कि वाणिज्य विभाग द्वारा 11वीं योजना परिव्यय की समग्र सीमा के भीतर वित्तीय अपेक्षाओं को समायोजित किया जाए और अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत की पूर्ति मौजूदा केन्द्रों में सृजित राजस्व से की जाए। व्यय विभाग के निर्देशानुसार आईआईएफटी द्वारा व्यय वित्त समिति के विचारार्थ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

सलवा जुडुम समाप्त करना

442. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के एक विशेषज्ञ समूह ने छत्तीसगढ़ में ''सलवा जुडुम'' को तत्काल समाप्त करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ समूह के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) असंतोष, अशान्ति और उग्रवाद के कारणों से निपटने हेतु विकासात्मक समस्याओं पर 2006 में योजना आयोग द्वारा एक विशेष समूह गठित किया गया था। 2008 में प्रस्तुत इसकी रिपोर्ट में इसने इन क्षेत्रों में शान्ति स्थापित करने तथा इसमें समग्र विकास के लिए कई उपाय सुझाए थे। प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादियों की गतिविधियों के विरुद्ध स्थानीय निवासियों द्वारा बनाए गए विद्रोही समूहों जैसे कि छत्तीसगढ़ में सलवा जुडुम के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ टिप्पणी की गई थी तथा इसके सम्भावित नकारात्मक परिणामों के बारे में इसमें चेतावनी दी गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार योजना आयोग में रिपोर्ट पर उचित रूप से विचार किया जा रहा है।

सरकार की नीति नक्सलवादी समस्या पर समग्र और समेकित तरीके से विचार करने की है न कि केवल सुरक्षा समस्या के रूप में। इस उद्देश्यार्थ क्षेत्रों में विकासात्मक स्कीमों के संकेन्द्रित कार्यान्वयन के साथ विकासात्मक और शासनात्मक समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नाल्को की निधि में अनियमितताएं

443. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. की निधि में हुई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी एजेंसी द्वारा इस मामले की जांच की गई है और किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो एजेंसी द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) ने सूचित किया है कि नालको में 'नाल्को कोष' नामक कोई कोष नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय

444. श्री डी.बी. पाटिल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सरकार के अपने क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में ऐसे कितने कार्यालय हैं;

(ग) क्या ऐसे कार्यालयों में कोई पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में पुणे में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का एक (01) क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई में पत्र सूचना कार्यालय का एक (01) क्षेत्रीय कार्यालय है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय सूचना सेवा संवर्ग में स्टाफ की कमी के कारण रिक्तियां हैं। संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से इन पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत: प्रवाह

445. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री अजीत जोगी:
श्री महावीर भगोरा:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु स्वीकृत प्रस्तावों सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंत: प्रवाह का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत:प्रवाह चीन की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्राण्ट थार्नटन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत निवेश और विकास हेतु दूसरा शीर्ष अनुकूल गन्तव्य बाजार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंत:प्रवाह को बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे निवेशों से हुए लाभों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पिछले तीन वर्ष हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्यवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु दो प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है जिनमें 8.70 मिलियन अमेरिकी डालर का एफडीआई अन्तर्ग्रस्त है।

(ख) और (ग) अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट (वि.नि.दि.), 2008 ने चीन तथा भारत में निम्नलिखित एफडीआई अन्तर्वाह की रिपोर्ट दी है:-

	2005	2006	2007 (राशि अमेरिकी बिलियन डालर में)
चीन	72.4	72.7	83.5
भारत	7.6	19.6	22.9

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसके स्थान सहित विदेशी निगमों की निवेश नीति वृहद आर्थिक नीति और मेजबान देश के निवेश के वातावरण जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) ग्राण्ट थार्नटन आईबीआर उभरते हुए बाजार सूचकांक के अनुसार भारत को दूसरा सबसे बड़े बाजार का दर्जा दिया गया है। यह सूचकांक जीडीपी, जनसंख्या आकार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा प्रक्षेपणों जैसे प्रमुख संकेतकों की भारित गणना पर आधारित है।

(च) और (छ) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। इस नीति के योक्तिकरण/उदारीकरण के उद्देश्य से एफडीआई संबंधी नीति की समीक्षा अन्त: मंत्रालयीय परामर्श प्रक्रिया के जरिए सतत् आधार पर की जाती है। वर्ष 2008 में अधिसूचित नीति परिवर्तनों को संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

एफडीआई अन्तर्वाह वर्ष 2005-06 में 5.5 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 24.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है।

विवरण I

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों वार अप्रैल, 2005 से जुलाई 2008 तक वित्तीय वर्षवार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह का विवरण

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य सम्मिलित	2005-06 अप्रैल-मार्च यूएस डालर में एफ.डी.आई.	2006-07 अप्रैल-मार्च यूएस डालर में एफ.डी.आई.	2007-08 अप्रैल-मार्च यूएस डालर में एफ.डी.आई.	2008-09 अप्रैल-मार्च यूएस डालर में एफ.डी.आई.	संचयी योग योग यूएस डालर में एफ.डी.आई.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	238.20	594.24	990.71	880.85	2,704.00
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा	0.00	0.00	2.73	41.54	44.26
3.	पटना	बिहार, झारखण्ड	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13
4.	अहमदाबाद	गुजरात	150.83	368.92	1,799.71	706.77	3,026.23
5.	बंगलौर	कर्नाटक	412.37	714.34	1,615.63	1,011.16	3,753.50
6.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	13.09	13.56	36.32	68.44	131.40
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	9.67	29.09	37.79	3.26	79.81
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	969.25	3,599.13	10,383.07	4,286.53	19,237.98
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	70.59	10.62	7.47	0.00	88.68
10.	जयपुर	राजस्थान	0.70	50.20	41.10	20.80	112.85
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	268.15	1,311.94	557.56	1,023.89	3,161.54
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	0.00	12.83	3.53	0.00	16.36
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	91.81	57.89	453.19	400.57	1,003.47

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और हरियाणा के हिस्से	1,040.77	2,446.12	3,410.36	1,642.12	8,539.37
15.	पणजी	गोवा	7.62	74.78	45.84	4.96	133.20
16.	*क्षेत्र जो दर्शाये नहीं गये		2,181.10	3,186.16	5,148.25	2,229.94	12,745.46
	कुल योग		5,539.72	12,491.77	24,575.43	12,320.81	54,927.73

पाद-टिप्पण:

1. केवल 'इक्विटी पूंजी संघटक' शामिल है।
2. उपरोक्त राज्यवार अन्तर्वाहों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रवार अन्तर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

विवरण II

वर्ष 2008 में अधिसूचित एफडीआई नीति संबंधी परिवर्तन

क्षेत्र	वर्तमान नीति	संशोधित नीति
1	2	3
नागर विमानन हवाई परिवहन सेवाएं	स्वत: मार्ग के तहत 49 प्रतिशत एफडीआई और 100 प्रतिशत तक एनआरआई निवेश की अनुमति है बशर्ते विदेशी एयरलाइन्सों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भागीदारी न हो।	अनुसूचित घरेलू एयरलान्सों एवं गैर-अनुसूचित एयरलाइन्सों आदि में उप-विभाजित हवाई परिवहन सेवाएं नीचे दिए अनुसार हैं: (1) 100 प्रतिशत एनआरआई सहित घरेलू एयरलाइन्सों में 49 प्रतिशत की इक्विटी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं तथा विदेशी एयरलाइन्सों की भागीदारी नहीं। (2) गैर अनुसूचित एयरलाइन्सों, चार्टर्ड एयरलाइन्सों तथा कार्गो एयरलाइन्सों के लिए (हेलीकाप्टर सेवाएं/समुद्री जहाज सेवाओं को छोड़कर) स्वत: *मार्ग पर 74 प्रतिशत एफडीआई* – गैर अधिसूचित एयरलाइन्सों तथा चार्टर्ड एयरलाइन्सों में विदेशी एयरलाइन्सों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भागीदारी – कार्गो एयरलाइन्सों को विदेशी एयरलाइन्सों की भागीदारी पर प्रतिबंध नहीं है। – उपर्युक्त सभी श्रेणियों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एनआरआई निवेश को अनुमति होगी।

1	2	3
		(3) क्षेत्रीय विनियमों तथा सुरक्षा संबंधी स्वीकृति के अध्यधीन ग्राउण्ड हैण्डलिंग सेवाओं के लिए स्वत: मार्ग पर 74 प्रतिशत तक एफडीआई। (4) विमानन क्षेत्र के अनुरक्षण एवं मरम्मत संगठनों; फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थानों; तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों तथा हेलीकाप्टर सेवाओं/समुद्री जहाज 100 प्रतिशत एफडीआई जिसके लिए डीजीसीए का अनुमोदन अपेक्षित है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पैट्रोलियम उत्पादों का वास्तविक व्यापार एवं विपणन	स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई जो भारतीय साझीदार/जनता के पक्ष में 5 वर्ष के भीतर 26 प्रतिशत इक्विटी के निवेश की शर्त के अध्यधीन है।	पैट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक व्यापार एवं विपणन के लिए 5 वर्ष के भीतर 26 प्रतिशत इक्विटी के अनिवार्य निवेश की शर्त हटा दी गई।
पैट्रोलियम रिफाइनिंग	निजी कम्पनियों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। पैट्रोलियम रिफाइनिंग में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केवल 26 प्रतिशत एफडीआई की ही अनुमति दी जाती है।	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पैट्रोलियम रिफाइनिंग में एफआईपीबी के पूर्व अनुमोदन से 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक इक्विटी सीमा में बढ़ोत्तरी। इसमें मौजूदा पी.एस.यू. में घरेलू निवेश नहीं अथवा कम नहीं हैं।
उपयोगी विनियम	मौजूदा नीति उपयोगी वस्तु विनियम में एफडीआई न तो विशेष रूप से मना करती है और न ही इसे क्षेत्र विशेष नीति में शामिल करती है। इसलिए मौजूदा नीति के अनुसार मौजूदा स्थिति यह है कि उपयोगी वस्तु विनियम में स्वत: मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति मानी गई है।	49 प्रतिशत की एफडीआई+एफआईआई में एफआईआई निवेश 23 प्रतिशत तक सीमित है और एफडीआई 26 प्रतिशत तक सीमित है। एफडीआई की अनुमति एफआईपीबी के पूर्व अनुमोदन से होगी। एफआईआई खरीददारी केवल गौण बाजार तक ही सीमित होंगी। इन कंपनियों में कोई भी एकल सत्ता इक्विटी के 5 प्रतिशत से ज्यादा धारण नहीं कर सकेगी। अनुमत स्तर से अधिक विदेशी निवेश रखने वाली मौजूदा उपयोगी वस्तु विनिमयों को पारगमन/अनुपालन/सही समय की अनुमति है। ऐसी उपयोगी वस्तु विनियमों को उस राशि के बराबर विदेशी इक्विटी विनिवेश करना अपेक्षित होगा जिस राशि की उच्चतम सीमा प्रेस नोट 2 (2008) के अनुसरण में बढ़ाया जा रहा था और दिनांक 30 जून, 2008 तक प्रेस नोट-2 (2008) की शर्तों का अनुपालन करेंगे।

1	2	3
क्रेडिट सूचना कंपनियां	मौजूदा एफडीआई नीति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 19 अनुमोदित कार्यकलापों में से एक के रूप में क्रेडिट संदर्भ एजेंसी शामिल करती है जहां निर्धारित न्यूनतम पूंजी मानदण्डों की शर्त के अध्यधीन स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। एफडीआई नीति मे क्रेडिट सूचना कंपनियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।	(1) 49 प्रतिशत तक एफडीआई + एफआईआई सरकार के अनुमोदन तथा भारतीय रिजर्व बैंक से विनियामक स्वीकृति के साथ अनुमोदित है। (2) 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की समग्र सीमा के भीतर स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीआईसीएस में केवल 24 प्रतिशत तक एफआईआई निवेश की अनुमति है ऐसे एफआईआई निवेश इन शर्तों के अध्यधीन होने चाहिए कि (क) कोई एकल सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 5 प्रतिशत इक्विटी से अधिक नहीं रखेगा। (ख) 1 प्रतिशत से अधिकता में किसी अधिग्रहण की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी जानी होगी; तथा (ग) सीआईसीएस में एफआईआई निवेशक अपनी अंशधारिता के आधार पर बोर्ड के निदेशकों में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करेंगे। (3) क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एफडीआई विनियमों के अध्यधीन होगी। स्वत: मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई हेतु अनुमोदित एनबीएफसी कार्यकलापों की सूची में क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों को हटाना।
टिटेनियम वाले खनिजों का उत्खनन	मौजूदा नीति परमाणु ऊर्जा विभाग बीच सेंड खनिज नीति द्वारा प्रशासित है चूंकि लिग्नाइट (टिटेनियम वाले खनिज/कच्ची धातु (ओर) को एक परमाणु खनिज के रूप में सम्मिलित किया गया था। शुद्ध मूल्य वर्धन तथा एकीकृत कार्यकलापों में 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है बशर्ते कि मूल्य वर्धन का स्तर खनन के उत्पादों तथा बीच सेंड मिनरल के खनिज पृथक्करण तक मूल्यवर्धन के मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों/स्तरों के अनुसार अधिकतम	खनन तथा टिटेनियम वाले खनिजों और कच्ची धातु के खनिज पृथक्करण में क्षेत्रीय विनियमों तथा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की शर्त के अध्यधीन सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। (क) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित भारत के मूल्य वर्धन सुविधाओं की स्थापना करने के लिए केवल खनिज पृथक्करण के लिए।

1	2	3
	हो। जहां मूल्यवर्धन मध्यवर्ती अवस्था तक है। 74 प्रतिशत तक एफडीआई की इस शर्त पर अनुमति होगी कि उन्हें 26 प्रतिशत की इक्विटी के साथ केन्द्र अथवा राज्य सरकार क्षेत्र उपक्रम को सहयोग के रूप में लाना चाहिए। इस क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन से है।	(ख) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 तथा परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गये विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
औद्योगिक पार्क	औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने में तथा स्थापित औद्योगिक पार्कों दोनों में स्वत: मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।	यह स्पष्टीकरण कि प्रेस नोट-2 (2005) के उपबंध उन औद्योगिक पार्कों पर लागू नहीं होंगे जो न्यूनतम 10 यूनिट रखते हों और कोई भी एक यूनिट आवंटनीय क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक स्थान नहीं घेरेगी तथा औद्योगिक कार्यकलाप हेतु आवंटित किए जाने वाले क्षेत्रों का न्यूनतम प्रतिशत कुल आवंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

446. **श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:**
श्री एस. अजय कुमार:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री हरिन पाठक:
श्री खाडिगा रामकृष्णा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने, महानगरों और मरुभूमि क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निधियां मुहैया करायी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितनी निधियां स्वीकृत की गयी हैं और जारी की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों और नक्सली हिंसा के मद्देनज़र पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त निधियां स्वीकृत करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त निधियां जारी की हैं; और

(च) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितनी निधियां जारी की गयी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राज्य सरकारों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ योजना) नामक एक योजनेतर स्कीम का कार्यान्वयन करती रही है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ अन्य राज्यों में मांग और सुरक्षा परिदृश्य, संबंधित राज्य द्वारा निधियों के उपयोग और वित्त मंत्रालय से प्राप्त आवंटन के अनुसार योजना के तहत निधियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

योजना के तहत पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मेगासिटी पोलिसिंग, डेजर्ट पोलिसिंग, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा के जिलों पर पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए निधियां प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के गत तीन वर्षों और 2008-09 (30 सितम्बर तक) के दौरान योजना के तहत जारी की गई राज्य-वार केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड राज्य सरकारों ने आवंटित निधियों के कमोवेश अतिरिक्त निधियों की मांग की है। राज्य सरकारों को योजना के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान की जा सकती हैं बशर्ते वित्त मंत्रालय से संशोधित अनुमान 2008-09 के चरण में निधियों का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हो। तथापि, वित्तीय वर्ष 2006-2007 तक जारी की गई निधियों का राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने पर निधियां जारी किया जाना निर्भर करेगा।

विवरण

राज्यों के नाम	वर्ष के दौरान जारी कई गई केन्द्रीय निधियां (करोड़ रुपए में)			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (30 सितम्बर तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	101.41	88.12	87.34	57.96
अरुणाचल प्रदेश	7.00	11.53	10.70	8.63
असम	56.68	52.18	87.82	55.08
बिहार	39.87	51.62	16.24	10.14
छत्तीसगढ़	40.74	57.06	41.72	7.61
गोवा	1.06	1.00	2.00	1.81
गुजरात	39.85	45.52	51.90	6.67
हरियाणा	14.95	19.69	35.75	22.00
हिमाचल प्रदेश	6.78	3.92	10.27	7.24
जम्मू-कश्मीर	109.22	88.13	115.34	81.06
झारखंड	40.74	47.00	50.95	33.97
कर्नाटक	65.85	64.15	78.13	35.32
केरल	18.84	24.53	40.00	22.90
मध्य प्रदेश	31.65	43.24	57.68	27.91
महाराष्ट्र	88.78	105.10	78.87	12.50
मणिपुर	16.97	14.09	32.07	18.01
मेघालय	6.57	8.59	15.44	5.98
मिजोरम	6.00	10.48	11.00	11.34
नागालैंड	17.52	22.68	30.72	24.02

1	2	3	4	5
उड़ीसा	35.08	38.00	45.80	19.84
पंजाब	20.31	15.00	34.94	16.53
राजस्थान	34.81	40.47	49.60	37.94
सिक्किम	2.43	3.46	4.42	5.00
तमिलनाडु	65.5	61.65	75.75	37.73
त्रिपुरा	11.83	11.34	14.47	8.77
उत्तर प्रदेश	98.12	94.28	115.44	79.71
उत्तराखंड	16.76	5.28	9.89	8.40
पश्चिम बंगाल	29.67	37.11	44.45	21.85
कुल	1025.00	1065.22	1248.70	685.92

नई एफएम रेडियो नीति

447. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एफएम रेडियो नीति में स्वामित्व प्रणाली के परिवर्तन संबंधी पांच वर्ष की सीमा को हटाने का है जैसा कि सितंबर, 2008 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) नई नीति के कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) रेडियो व्यवसाय के स्वस्थ विकास को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी एजेंसियों के जरिए एफ.एम. प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण-2) से संबधित नीतिगत दिशा-निर्देशों के खण्ड 8.3 में हाल ही में आशोधन किया है। आशोधन के अनुसार, किसी सहायक कम्पनी की स्थापना करने, एक ही समूह की कम्पनियों का एकीकरण करने, कम्पनी को विसम्बद्ध करने आदि के प्रयोजन से अंशों के स्थानान्तरण संबंधी अनुरोध को कतिपय शर्तों की पूर्ति करने के अध्यधीन पांच वर्ष की अवधि के भीतर अनुमति दी जा सकती है। ये कतिपय शर्तें इस प्रकार हैं- अधिसंख्यक अंशधारक/संवर्धक कुल अंशों का कम से कम 51 प्रतिशत भाग धारित करते रहेंगे, नयी कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अपनी निर्धारित सीमा/न्यूनतम निर्धारित निवल राशि बनाये रखना, सदृश निबंधन एवं शर्तों पर सरकार के साथ नये करार पर हस्ताक्षर करना आदि। आशोधन का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

(घ) आशोधित खण्ड दिनांक 24.09.2008 से प्रभावी हुआ है।

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड

448. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगाथी में लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (एलडीसीएल) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निगम ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस निगम का कार्यकरण प्रारंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय अगाथी द्वीपसमूह में है।

(ख) निगम ने अपेक्षित स्टाफ के साथ-साथ पहले प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने के बाद वर्ष 1990 में अपना कार्य शुरू किया। प्रशासनिक सुविधाओं हेतु कार्यालय कालीकट में है हालांकि पंजीकृत कार्यालय अगाथी में ही है। बाद में, वर्ष 1997 के दौरान, 24 सितम्बर, 1997 को आयोजित असाधारण आम बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद, मुख्यालय को कावारती द्वीपसमूह में स्थानांतरित कर दिया गया।

(ग) निगम ने टूना केनिंग फैक्ट्री का कार्यभार 1990 में संभाल लिया था। इस फैक्ट्री को पहले मछली विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चल रहा था। इसने वर्ष 1993 में कदमत द्विपसमूह में नारियल निर्जलीकरण प्लांट की और उसके बाद इसी वर्ष कलपेनी द्वीपसमूह पर चकारी एवं सिरका संशोधित इकाई की भी स्थापना की। वर्ष 1994 में, निगम ने अंदरोथ में नारियल नर्सरी की स्थापना की। 1995 में, केनिंग फैक्ट्री, मिनीकोम पर संग्रहण सुविधाओं हेतु व्यापक विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया। वर्ष 1996 में कम्पनी, द्वीपसमूह में उद्यमशीलता को बढ़ाने हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए एक नोडल एजेंसी बन गई।

वर्ष 2000 में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दो यात्री वाहनों को अधिकार में लेकर पोत विंग की स्थापना की। वर्ष 2001-02 में, संघ क्षेत्र प्रशासन की चार कार्गो नौकाओं को पोत विंग में जोड़ा गया था। वर्ष 2003 में अंदरोथ द्वीपसमूह में नारियल दूध प्लांट की स्थापना की गई। वर्ष 2004 में, पूर्ववर्ती आपरेटर शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया से प्रबंधन हेतु यूटी के एक सभी मौसमों के यात्री वाहन एमवी भारत सीमा को अधिकार में लिया गया। वर्ष 2006-08 से और अधिक जहाजों को अभियानों एवं प्रबंधन हेतु बेड़े में शामिल किया गया और निगम अब लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में प्रशासन को पूर्ण पोत सेवा प्रदान करने वाला बन गया है। निगम इस समय प्रशासन से संबंधित 18 पोतों को ओपरेट कर रहा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता है।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे

449. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 70 लाख से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार शिक्षा का अधिकार कानून को अधिनियमित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) घरेलू सर्वेक्षणों/अद्यतन किए गए आंकड़ों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 6-14 आयु वर्ग समूह में मार्च, 2008 तक स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या कम होकर 45 लाख तक रह गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे बच्चों, जो कठिनाइयों तथा अभाव का सामना करते हैं, को औपचारिक स्कूल/वैकल्पिक स्कूलों में लाने के प्रयास किए जाते हैं।

अभियांत्रिकी और प्रबंधन संस्थानों द्वारा 'डोनेशन' लिया जाना

450. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी अभियांत्रिकी और प्रबंधन संस्थानों द्वारा 'डोनेशन' लिए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो जांच के दौरान कितनी शिकायतों को सही पाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) निजी इंजीनियरों/प्रबंधन संस्थाओं द्वारा लिये जा रहे डोनेशन के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	संस्थान का नाम
1.	बिहार	श्री राम सुमिरन सिंह, पटना	पीपल एजुकेशनल सोसाइटी, बंगलौर
2.	गुजरात	श्री वर्गीस थोमस	बाबरिया प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा
3.	नई दिल्ली	श्री ज्योति कुमार भाटिया, नई दिल्ली	द्रोणाचार्य इंजीनियरी एवं प्रबंध कालेज, नोएडा
4.	कर्नाटक	श्री राहुल कुमार सुमन, बंगलौर	आचार्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
5.	तमिलनाडु	श्री पी.आर. रामकृष्ण, मदुरै	राजा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, मदुरै

उपर्युक्त के अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सूचित किया है कि तमिलनाडु राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित काफी संख्या में इंजीनियरिंग कालेज कैपिटेशन फीस वसूल कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार बिहार एवं गुजरात राज्यों से संबंधित शिकायतें प्रथम दृष्टया साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं। इन शिकायतों में लगाए गए आरोपों की जांच करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र

451. श्री प्रहलाद जोशी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दूरदर्शन के नए कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र (पीजीएफसी) स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के धारवाड़ में पीजीएफसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परिचालित नए स्टूडियो केन्द्रों (कार्यक्रम निर्माण सुविधा) की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	राज्य	परिचालित स्टूडियो केन्द्रों की संख्या
2005-06	आंध्र प्रदेश	1
	पंजाब	1
	तमिलनाडु	2
2006-07	-	-
2007-08	जम्मू-कश्मीर	1
	केरल	1
2008-09 (सितम्बर 2008 तक)	-	-

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध

452. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के कुछ ऐसे विदेशी नागरिकों की एक काली सूची तैयार की है जिनके भारत प्रवेश पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसकी समीक्षा करने संबंधी कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) विदेशी राष्ट्रिकों का भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध है।

अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित ऐसे जो वीसा उपबंधों के उल्लंघन में संलिप्त पाए जाते हैं अथवा जो भारतीय कानूनों के अंतर्गत विभिन्न आरोपों से दोषसिद्ध हैं/अथवा देशहित के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं।

(ग) से (ङ) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित विदेशी राष्ट्रिकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बारे में विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है जिसके अंतर्गत सतत् आधार पर ऐसे मामलों की आवधिक समीक्षा की जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता

453. श्री अमिताभ नन्दी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के सहायतार्थ भारत के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकार को विश्व बैंक से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है और इस बारे में क्या उपलब्धियां रहीं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ-साथ दो अन्य विदेशी एजेंसियों नामत: यूनाइटेड किंगडम डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) तथा यूरोपियन कमीशन ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान का आंशिक रूप से वित्तपोषण किया है। ये एजेंसियां वर्ष 2007-10 की अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए पुन: सहमत हो गई हैं।

विदेशी निधीयन एजेंसियां विद्यमान संरचना, दिशा-निर्देशों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन तंत्र को स्वीकार करते हुए एक सतत कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान का निधीयन करने के लिए सहमत हुई हैं।

(ग) और (घ) इन विदेशी एजेंसियों से निधियां प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होती हैं। वर्ष 2004-05 में 621.71 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 1133.71 करोड़ रुपये तथा 2006-07 में 477.76 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं।

उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन

454. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री गणेश सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उच्च शिक्षा के समग्र विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार ने अन्य विकसित देशों के समकक्ष उच्च शिक्षा में सुधार के लिए पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) 11वीं योजना की उच्चतर शिक्षा के लिए निर्धारित की गई नीति में मुख्य ध्यान समानता को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता मूलक उच्चतर शिक्षा की सुलभता को बढ़ाने पर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं, सामाजिक अंतरों को कम करने और समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की एक नई स्कीम शुरू की है जो ग्रामीण क्षेत्रों और जन-जातीय क्षेत्रों के लिए कार्य करेगी। जन-जातीय बाहुल्य राज्यों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं इसके अतिरिक्त 11वीं योजना के दौरान ऐसे प्रत्येक राज्य में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिनमें अभी तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात वाले प्रत्येक जिले में नए कालेज अर्थात् 374 नये कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय और कालेज सहित ऐसे विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को हिस्सेदारी आधार पर अनुदान प्रदान करने के लिए एक स्कीम भी बनाई गई है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। जन-जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने और उच्चतर शिक्षा की कम सुलभता वाले क्षेत्रों में कार्य कर रहे कालेजों और विश्वविद्यालयों में बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए भी कुछ स्कीमें हैं। इसके अतिरिक्त देश की जन-जातीय जनसंख्या को मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय अमर कंटक, मध्य प्रदेश में है। विश्वविद्यालय को यथा-उपयुक्त जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय केन्द्र और परिसर स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

11वीं योजना में 18-24 वर्ष की आयु समूह के पात्र विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 11वीं योजना के अंत तक 5 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों से इस उद्देश्यार्थ बुनियादी सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान करने की अपेक्षा की गई है। उच्चतर शिक्षा में समानता को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता मूलक उच्चतर शिक्षा में सुलभता में वृद्धि करने के लिए 11वीं योजना में विभिन्न स्कीमों के लिए केन्द्र सरकार ने उपलब्ध संसाधनों की कमी के बावजूद 84,943 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। सत्र पद्धति, क्रेडिट डान्सफर, पी.एस.डी. कार्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया को औचित्य पूर्ण बनाने जैसे विभिन्न सुधारात्मक उपाय भी किये गये हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग का वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 के दौरान योजनागत आबंटन इस प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रुपये में
2005-06	1817.00
2006-07	2530.50
2007-08	6483.00
2008-09	7600.00

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

455. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के कुल कितने कार्मिकों के विरुद्ध संपत्ति पर अवैध कब्जों में संलिप्तता सहित अपराध के रैंक-वार अपराध मामले दर्ज किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निपटान किए गए/लंबित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) सभी मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) विवरण-I के अनुरूप।

(ख) विवरण-II के अनुसार।

(ग) और (घ) पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा मामलों का अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण करके त्वरित निपटान किया जाता है। दिल्ली पुलिस में अपराध/भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल है। पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए और पुलिस पिकेटों में तैनात कार्मिकों के क्रियाकलापों की वरिष्ठ

अधिकारियों द्वारा औचक जांच, संदिग्ध चरित्र के कार्मिकों पर निगरानी रखना, आपराधिक प्रवृत्ति के कार्मिकों का गैर संवेदनशील पदों पर स्थानान्तरण करना, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए कार्मिकों के खिलाफ कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई करना, पुलिस कार्मिकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा सीधे देखा जाना, पुलिस कार्मिकों पर गहन निगरानी रखने के लिए जिलों/यूनिटों में लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना, संवेदनशील पदधारी कार्मिकों की आपराधिक गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा चौकसी रखना, जिलों में पुलिस आयुक्त द्वारा शिकायत रजिस्टर रखना और भ्रष्ट पुलिस कार्मिक के खिलाफ आम आदमी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजने की सुविधा दिलाना।

विवरण I

वर्ष 2005

हत्या/हत्या का प्रयास

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	1	2	2	3

जबरन धन वसूली/लूट

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	1

धोखधड़ी/चोरी

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	1	3

बलात्कार/छेड़छाड़

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	1

चोट

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	1	3	4	11

विविध

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
1	2	2	–	5	23

भ्रष्टाचार

पुलिस उपायुक्त	सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
1	1	2	11	4	3	10

वर्ष 2006

हत्या एवं हत्या का प्रयास

भ्रष्टाचार

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	1	1	10

धोखाधड़ी/चोरी

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	1	–

बलात्कार/छेड़छाड़

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	2	–	–	1

अपहरण

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	1	–

विविध

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	1	8	7	20	36

भ्रष्टाचार

डीसीपी	सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	1	2	6	9	7	9

वर्ष 2007

हत्या/हत्या का प्रयास

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	1	–

धोखाधड़ी/चोरी

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	1

बलात्कार/छेड़छाड़

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	1

अपहरण

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	1	–	–	–

विविध

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
1	–	1	6	14	39

भ्रष्टाचार

डीसीपी	सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	1	1	10	8	9	19

वर्ष 2008 (30.9.2008 तक)

हत्या/हत्या का प्रयास

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	2	1	3

जबरन धन वसूली/चोरी

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	1	–	1	3	7

धोखाधड़ी/चोरी

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	1	–	–	2

बलात्कार/छेड़छाड़

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	2	–	–	1

अपहरण

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	–	–	1	1

विविध

सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	1	2	4	11	26

भ्रष्टाचार

डीसीपी	सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
–	–	1	2	2	4	6

विवरण II

वर्ष 2005

अपराध शीर्ष	दर्ज मामले	जांच लम्बित	परीक्षण लम्बित	डिस्चार्ज किया गया	मुक्त कर दिए गए	दोष सिद्ध किया गया	रद्द किया गया	समझौता किया गया	समापन	निरस्त किया गया
हत्या/हत्या का प्रयास	6	0	4	–	2	–	–	–	–	–
लूट/जबरन धन वसूली	1	0	1	–	–	–	–	–	–	–
धोखाधड़ी और चोरी	4	0	3	–	1	–	–	–	–	–
बलात्कार/छेड़छाड़	1	0	–	–	1	–	–	–	–	–
चोट पहुंचाना	17	0	13	–	2	–	–	2	–	–
विविध	30	2	17	3	4	–	3	–	–	1
भ्रष्टाचार	27	3	21	–	–	1	–	–	2	–
कुल	86	5	59	3	10	1	3	2	2	1

वर्ष 2006

अपराध शीर्ष	दर्ज मामले	जांच लम्बित	परीक्षण लम्बित	डिस्चार्ज किया गया	चेतावनी दी गई	दोष सिद्ध किया गया	क्वैश किया गया	समझौता किया गया	ट्रेस नहीं किया गया	निरस्त किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हत्या/हत्या का प्रयास	4	–	3	–	–	1	–	–	–	–
धोखाधड़ी और चोरी	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बलात्कार/छेड़छाड़	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
अपहरण	1	0	1	–	–	–	–	–	–	–
विविध	72	11	49	2	1	–	2	1	2	4
भ्रष्टाचार	26	4	22	–	–	–	–	–	–	–
कुल	107	16	78	2	1	1	2	1	2	4

वर्ष 2007

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट मामले	जांच लम्बित	परीक्षण लम्बित	मुक्त किया गया	समझौता कराया गया	निरस्त किया गया
हत्या/हत्या का प्रयास	1	1	–	–	–	–
धोखाधड़ी और चोरी	1	1	–	–	–	–
बलात्कार/छेड़छाड़	1	1	–	–	–	–
अपहरण	1	–	1	–	–	–
विविध	52	21	28	1	1	1
भ्रष्टाचार	30	15	15	–	–	–
कुल	86	39	44	1	1	1

वर्ष 2008

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किये गये मामले	जांच लम्बित	परीक्षण लम्बित	डिस्चार्ज किया गया	रिहा किया गया	दोष सिद्ध किया गया	क्वैश्ड	समझौता किया गया	समापन	निरस्त
हत्या/हत्या का प्रयास	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
लूट/जबरन धन वसूली	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
धोखाधड़ी और चोरी	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
बलात्कार/छेड़छाड़	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
अपहरण	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
विविध	44	40	3	–	–	–	–	1	–	–
भ्रष्टाचार	15	13	2	–	–	–	–	–	–	–
कुल	85	79	5	–	–	–	–	1	–	–

[अनुवाद]

साफ्टा के अंतर्गत पाकिस्तान को रियायतें

456. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान तथा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा) को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा सहित कई अन्य रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने भी ऐसा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास पाकिस्तान को दी गई रियायतों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान ने भारत को अभी परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा प्रदान नहीं किया है और इसके लिए उसने बाह्य राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य कारणों का उल्लेख किया है। यद्यपि भारत ने अपनी संवेदनशील सूची में निहित मदों को छोड़कर सभी मदों के लिए पाकिस्तान को दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार के अंतर्गत टैरिफ रियायतें प्रदान की हैं तथापि पाकिस्तान ने भारत को साफ्टा के तहत केवल भारत से आयात योग्य मदों की अपनी सूची, जिसे सकारात्मक सूची कहा जाता है, में शामिल मदों के लिए ही रियायतें प्रदान की हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एस्बेस्टॉस का खनन

457. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्बेस्टॉस के खनन से कामगारों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या अध्ययन दल ने एस्बेस्टॉस खनन पर लगाए प्रतिबंध को खत्म करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) एस्बेस्टॉस खनन तथा नए खनन पट्टा स्वीकृत किए जाने पर प्रतिबंध को कब तक खत्म किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अध्ययन में कार्य स्थल पर्यावरण में प्रदूषण स्तर पर रक्षोपाय लागू करने तथा दूसरे उपचारात्मक उपाय करने की सिफारिश की थी जिसके अध्यधीन खनन पट्टों की मंजूरी तथा नवीकरण और खनन के विस्तार पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा सके।

(घ) और (ङ) अध्ययन की सिफारिशों की सभी स्टेक होल्डरों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की गई है। कुछ स्टेक होल्डरों ने सुझाव दिया है कि एस्बेस्टॉस के खनन को उपयुक्त रक्षोपायों के साथ अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में एस्बेस्टॉस के खनन पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।

[अनुवाद]

उत्तरी महाराष्ट्र के लिए सांविधिक विकास बोर्ड

458. **श्री वसंतराव भोरे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तरी महाराष्ट्र के लिए एक पृथक सांविधिक विकास बोर्ड हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधान सभा के दोनों सदनों में दिनांक 13.7.2006 को सर्वसम्मति से पारित एक संकल्प के आधार पर धुले, ननदरबार जलगांव, नासिक और अहमदाबाद नामक पांच जिलों को शामिल करते हुए उत्तर महाराष्ट्र के लिए एक पृथक सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन करने हेतु जरूरी उपाय करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रसार भारती कर्मचारियों का दर्जा

459. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार का कर्मचारी मानती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रसार भारती को और अधिक पेशेवर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) प्रसार भारती अधिनियम के लागू होने की तारीख अर्थात् दिनांक 15.9.2007 को आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को प्रसार भारती में समवत् प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में समझा जाता है।

(ख) मंत्री समूह की रिपोर्ट में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) (1) प्रसार भारती विभिन्न क्षेत्रों/विषयों नामत: विपणन, न्यूज कास्टिंग, विधि, चलचित्रिकी, वीडियो संपादन आदि के व्यावसायिकों को नियुक्त करने के लिए ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

(2) प्रसार भारती के पास कार्यक्रम और अभियांत्रिकी दोनों शाखाओं के अपने कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपना स्वयं का आंतरिक ढांचा है। कार्यक्रम व्यावसायिकों को कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) के जरिए नियमित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि अभियांत्रिकी व्यावसायिकों को कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(3) प्रसार भारती का फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के साथ भी सहयोग करार है जो कि दूरदर्शन के व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है।

(4) प्रसार भारती अपने कर्मचारियों को उन्नत प्रशिक्षण देने के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टिट्यूट फार ब्राडकास्ट डिवेलपमेंट (एआईबीडी) कुआलालम्पुर भेजता है। एआईबीडी के प्रशिक्षण व्यावसायिक भी भारत आते हैं और प्रसारण के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं जिससे कर्मचारियों को नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है।

दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा

460. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन की डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) सेवा तथा निजी प्रदाताओं की डी.टी.एच. सेवा के ग्राहकों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या निजी डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं की तुलना में दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा के ग्राहकों की संख्या कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्राहकों को शुल्क के भुगतान के उपरांत दूरदर्शन डी.टी.एच. के माध्यम से निजी डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रचालित चैनलों को डाउनलोड करने के लिए सक्षम बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निजी डी.टी.एच. सेवा के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा के उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग 3.91

मिलियन प्राक्कलित की गई है। तीन निजी डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं के लिए लगभग 5.01 मिलियन उपभोक्ता हैं। राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा के लिए उपभोक्ताओं की संख्या कम है क्योंकि निजी डी.टी.एच. सेवा प्रदाता सशुल्क चैनलों के साथ-साथ शुल्क आधारित सेवाएं मुहैया कराते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) डी.डी.-डायरेक्ट प्लस डी.टी.एच. प्लेटफार्म देश में एकमात्र फ्री-टु-एयर प्लेटफार्म है जबकि अन्य डी.टी.एच. प्लेटफार्म शुल्क-आधारित हैं। चैनल समूह को आकर्षक एवं हितकारी बनाने के लिए कई फ्री-टु-एयर निजी चैनलों को भी डी.डी.-डायरेक्ट प्लस प्लेटफार्म में शामिल किया गया है।

एन.डी.एफ.बी. के साथ वार्ता

461. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एन.डी.एफ.बी. के साथ शांति वार्ता शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो विचार-विमर्श किए गए मुद्दे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या असम सरकार ने एन.डी.एफ.बी. पर कोई रिपोर्ट भेजी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) दिनांक 1.6.2005 को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट आफ बोडोलैंड के साथ आप्रेशन निलंबित रखने के विषय में एक त्रिपक्षीय समझौता (एसओ) किया गया था। इसे देखते हुए एनडीएफबी के साथ बैठकों और वार्ताओं के विभिन्न दौर किए गए हैं। हाल ही में एनडीएफबी द्वारा एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्तर पर ब्यौरे प्रगट करना जल्दबाजी करना होगा।

(ङ) और (च) त्रिपक्षीय एस.ओ. समझौते तथा इस बारे में समीक्षा बैठकों के संदर्भ में सतत् प्रक्रिया के हिस्से के एक रूप में समय-समय पर राज्य सरकार से रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं।

[हिन्दी]

रत्न और आभूषण उद्योग का विकास

462. श्री पुन्नुलाल मोहले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रत्न और आभूषण उद्योग के विकास के लिए किसी एजेंसी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एजेंसी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में निर्यातों का संवर्धन करने के लिए सरकार ने वर्ष 1966 में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) की स्थापना की थी। सरकार द्वारा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में निर्यात संवर्धन की नीतियों में सुधार करने/उन्हें सुसंगत बनाने के लिए समय-समय पर परिषद के साथ बातचीत की जाती है।

[अनुवाद]

पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण के संबंध में पुलिस प्रमुखों की बैठक

463. श्रीमती जयाप्रदा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राज्यों में खुफिया जानकारी जुटाने वाली मशीनरी को सुदृढ़ करने संबंधी उपायों पर विचार करने के लिए इन राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन राज्यों ने भाग लिया और उनकी केन्द्रीय बलों की मांग तथा पुलिस विभाग में विशेष शाखाओं को सुदृढ़ किए जाने सहित कुल विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) पुलिस बलों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी, हां। राज्यों में आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने पर चर्चा करने हेतु गृह मंत्रालय में जून, 2008 में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और असम के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था।

इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली पुलिस के पुलिस महानिदेशकों को मिलाकर एक समिति बनाने का निश्चय किया गया जिसका समन्वयन एवं संयोजन विशेष निदेशक आईबी द्वारा किया जाएगा जो राज्यों में आसूचना मशीनरी को सुदृढ़ करने के विभिन्न मुद्दों की जांच करेगी और इसका उद्देश्य राज्यों को इस उद्देश्य के लिए सहायता देने हेतु पृथक स्कीम का निर्माण करना है, जिसपर सिद्धान्त रूप में सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है।

(ग) उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर इस स्तर पर राज्य सरकारों को दी गई सहायता का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय खनिज नीति

464. डा. राजेश मिश्रा: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई राष्ट्रीय खनिज नीति (एन.एम.पी.), 2008 तैयार करने के लिए डांग समिति तथा होदा समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में वर्तमान लौह-अयस्क भंडारों के बारे में उनके आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति (एन.एम.पी.) समिति के अनुमानों के आधार पर तैयार की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) श्री अनवरूल होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने तथा एम.एम.डी.आर. अधिनियम में संभावित संशोधनों की सिफारिश करने के लिए किया गया था, जबकि इस्पात मंत्रालय द्वारा श्री आर.के. डांग की अध्यक्षता में गठित "विशेषज्ञ दल" का गठन केवल राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क तथा क्रोम के लिए तरजीही खनन पट्टा मंजूर करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए किया गया था। तथापि, डांग समिति तथा होदा समिति की रिपोर्टों में उल्लिखित लौह अयस्क भंडारों के आंकड़ों में अंतर है क्योंकि डांग समिति ने लौह अयस्क भंडारों का आकलन 'प्री-यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन" मानकों के आधार पर जिन्हें आईबीएम द्वारा अपनाया गया है तथा 3 जून, 2003 से जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर किया है। इसके अलावा डांग समिति ने 1480 मिलियन टन के संभावित संसाधनों को हिसाब में नहीं लिया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में न केवल लौह अयस्क के लिए अपितु सम्पूर्ण खनिज क्षेत्र के लिए नीतिगत निर्देशन निर्धारित किए गए हैं। अत: एनएमपी केवल समिति के लौह अयस्क के आकलन पर आधारित नहीं है अपितु खनिज क्षेत्र में विकसित डायनेमिक माहौल के आकलन पर है। होदा समिति की सिफारिश और स्टैक होल्डरों के साथ परामर्श के आधार पर सरकार ने 13 मार्च, 2008 को नई राष्ट्रीय खनिज नीति को संसद में प्रस्तुत कर दिया है और यह खान मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mines.nic.in पर उपलब्ध है।

खादी का उत्पादन

465. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उत्पादित खादी उत्पादों का राज्य-वार तथा उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छूट दावों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण खादी के उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान खादी उत्पादों के उत्पादन मूल्य के संबंध में मूल्यों का राज्यवार और उत्पादवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। वर्ष 2008-09 के संबंध में इसी प्रकार का ब्यौरा वर्ष समाप्त होने के पश्चात् ही उपलब्ध होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

2005-06 के दौरान खादी उत्पादों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन की मात्रा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खादी के उत्पादन की मूल्य (लाख रु.)			
		सूती	ऊनी	सिल्क	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0.35	0.00	0.00	0.35
2.	दिल्ली	140.77	13.48	0.00	154.25
3.	हरियाणा	1777.19	1580.89	0.00	3358.08
4.	हिमाचल प्रदेश	67.05	256.55	0.00	323.60
5.	जम्मू-कश्मीर	9.09	691.60	0.21	700.90
6.	पंजाब	788.88	217.05	0.00	1005.93
7.	राजस्थान	1341.42	1389.27	0.00	2730.69
8.	बिहार	372.03	118.56	169.97	660.56
9.	झारखण्ड	40.56	14.58	243.17	298.31
10.	उड़ीसा	47.68	0.00	180.68	228.36
11.	पश्चिम बंगाल	1050.77	0.00	3742.03	4792.80
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.45	0.00	5.51	5.96
13.	असम	36.97	0.00	436.67	473.64
14.	मणिपुर	21.02	0.00	34.80	55.82
15.	मेघालय	1.00	1.01	2.07	4.08
16	मिजोरम	0.31	0.00	58.52	58.83
17.	नागालैंड	6.75	10.00	55.25	72.00
18.	सिक्किम	2.24	1.70	0.00	3.94
19.	त्रिपुरा	8.13	0.00	0.00	8.13
20.	आंध्र प्रदेश	1031.76	20.40	464.28	1516.44
21.	कर्नाटक	1663.01	746.23	894.67	3303.91
22.	केरल	1140.45	0.00	49.64	1190.09
23.	पुडुचेरी	0.05	0.00	5.26	5.31
24.	तमिलनाडु	2242.04	0.00	3366.01	5608.05

1	2	3	4	5	6
25.	गुजरात	1898.30	150.63	732.68	2781.61
26.	महाराष्ट्र	279.38	0.00	4.72	284.10
27.	छत्तीसगढ़	54.44	6.43	692.70	753.57
28.	मध्य प्रदेश	136.28	215.56	197.28	549.12
29.	उत्तराखंड	672.66	388.50	0.00	1061.16
30.	उत्तर प्रदेश	13169.03	1405.55	266.15	14840.73
	कुल	28000.06	7227.99	11602.27	46830.32

विवरण II

2006-07 के दौरान खादी उत्पादों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन की मात्रा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खादी के उत्पादन का मूल्य (लाख रु.)			
		सूती	ऊनी	सिल्क	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0.35	0.00	0.00	0.35
2.	दिल्ली	166.06	13.48	0.00	179.54
3.	हरियाणा	1895.50	1791.51	0.00	3687.01
4.	हिमाचल प्रदेश	69.77	286.73	0.00	356.50
5.	जम्मू-कश्मीर	9.30	709.95	0.29	719.54
6.	पंजाब	793.39	215.86	0.00	1009.25
7.	राजस्थान	1479.49	1408.50	0.00	2887.99
8.	बिहार	462.03	128.16	174.07	764.26
9.	झारखण्ड	43.46	15.05	253.27	311.78
10.	उड़ीसा	55.32	0.00	196.67	251.99
11.	पश्चिम बंगाल	1095.70	0.00	3759.70	4855.40
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.00	6.20	6.76
13.	असम	51.00	0.00	439.86	490.86
14.	मणिपुर	23.21	0.00	39.29	62.50
15.	मेघालय	1.04	1.05	2.12	4.21

1	2	3	4	5	6
16	मिजोरम	0.32	0.00	59.50	59.82
17.	नागालैंड	0.00	10.00	64.85	74.85
18.	सिक्किम	4.14	2.14	0.00	6.28
19.	त्रिपुरा	8.46	0.00	0.00	8.46
20.	आंध्र प्रदेश	1100.56	23.40	415.88	1539.84
21.	कर्नाटक	1748.41	778.20	919.05	3445.66
22.	केरल	1457.28	0.00	54.94	1512.22
23.	पुडुचेरी	0.06	0.00	6.50	6.56
24.	तमिलनाडु	2540.29	0.00	3705.07	6245.36
25.	गुजरात	1992.81	182.84	732.68	2908.33
26.	महाराष्ट्र	287.20	0.00	4.98	292.18
27.	छत्तीसगढ़	61.11	4.27	632.12	697.50
28.	मध्य प्रदेश	143.54	218.75	199.08	561.37
29.	उत्तराखंड	670.13	381.54	0.00	1051.67
30.	उत्तर प्रदेश	13415.79	1458.96	278.85	15153.60
	कुल	29576.28	7630.39	11944.97	49151.64

विवरण III

2007-08 के दौरान खादी उत्पादों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन की मात्रा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खादी के उत्पादन का मूल्य (लाख रु.)			
		सूती	ऊनी	सिल्क	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0.39	0.00	0.00	0.39
2.	दिल्ली	205.43	13.30	0.00	218.73
3.	हरियाणा	2195.52	2301.07	0.00	4496.59
4.	हिमाचल प्रदेश	78.61	314.26	0.00	392.87
5.	जम्मू-कश्मीर	18.50	1197.16	7.60	1223.26
6.	पंजाब	888.40	239.60	0.00	1128.00

1	2	3	4	5	6
7.	राजस्थान	1876.55	1289.10	1.29	3166.94
8.	बिहार	481.51	198.68	176.75	856.94
9.	झारखण्ड	48.00	17.15	269.36	334.51
10.	उड़ीसा	89.56	0.00	204.95	294.51
11.	पश्चिम बंगाल	1192.40	0.00	4297.95	5490.35
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.83	0.00	8.58	9.41
13.	असम	30.22	0.00	554.48	584.70
14.	मणिपुर	25.25	0.00	42.64	67.89
15.	मेघालय	2.60	0.00	3.72	6.32
16	मिजोरम	33.64	0.00	0.00	33.64
17.	नागालैंड	0.00	0.00	55.95	55.95
18.	त्रिपुरा	2.67	0.00	0.00	2.67
19.	आंध्र प्रदेश	1714.62	33.46	463.75	2211.83
20.	कर्नाटक	1956.25	870.44	1028.15	3854.84
21.	केरल	1512.07	0.00	62.15	1574.22
22.	पुडुचेरी	0.08	0.00	6.87	6.95
23.	तमिलनाडु	2901.89	0.00	3414.50	6316.39
24.	गुजरात	2265.35	207.10	836.88	3309.33
25.	महाराष्ट्र	395.52	0.00	0.00	395.52
26.	छत्तीसगढ़	93.36	8.00	868.26	969.62
27.	मध्य प्रदेश	232.28	145.52	510.30	888.10
28.	उत्तराखंड	732.80	433.09	0.00	1165.89
29.	उत्तर प्रदेश	13419.57	1641.23	221.70	15282.50
	कुल	32393.87	8909.16	13035.83	54338.86

निजी प्रसारकों के विनियमन के लिए तंत्र

466. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसारकों ने स्व-विनियमन संबंधी एक निकाय का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निकाय में मंत्रालय की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार के पास निजी प्रसारकों के कार्यकलापों के विनियमन के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां। समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.) ने अपने स्व-विनियमन के लिए "न्यूज ब्राडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स डिस्प्यूट्स रिड्रेसल अथारिटी" (एन.बी.एस.डी.आर.ए.) नामक एक निकाय का गठन किया है।

(ख) यह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित एक नौ सदस्यीय प्राधिकरण है। चूंकि एन.बी.ए. एक निजी संगठन है और उन्होंने स्व-विनियमन के लिए एन.बी.एस.डी.आर.ए. का गठन किया है, इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय, निजी प्रसारकों (टी.वी. चैनलों) के कार्यकलापों को उन निबंधन एवं शर्तों के द्वारा विनियमित किया जा रहा है जिनके अंतर्गत अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति दी जाती है। उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन भी करना होता है। सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति स्व-प्रेरणा से अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर संहिताओं के उल्लंघन संबंधी जांच करती है। यदि समिति किसी प्रकार का उल्लंघन पाती है तो टी.वी. चैनल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। मौजूदा संहिताओं के प्रावधानों को अति विशिष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं संहिताओं (विषय वस्तु संहिता) की समीक्षा करने के लिए एक समिति भी गठित की गयी थी। समिति की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर शीर्षक "संहिताएं एवं दिशा-निर्देश" और उप-शीर्षक 'प्रसारण क्षेत्र के लिए स्व-विनियमन दिशा-निर्देश (2008)' के अंतर्गत उपलब्ध है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

467. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट कंपनियों ने हाल ही में सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि की है और इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए उत्पादन में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट के मूल्यों में कमी करने के लिए सीमेंट विनिर्माता कंपनियों को कोई नए निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में सीमेंट मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इन उपायों के परिणामस्वरूप सीमेंट के मूल्यों में किस हद तक कमी हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान सीमेंट के औसत अखिल भारत खुदरा मूल्य में 3.98 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से अगस्त 2007 की तुलना में अप्रैल से अगस्त 2008 तक की अवधि के दौरान सीमेंट के उत्पादन में 5.87 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

वाचनालय योजना

468. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ राज्यों के विद्यालयों में "वाचनालय योजना" का विस्तार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। स्कूलों में 'वाचनालय योजना' नाम की कोई सरकारी योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों में आई.आई.टी. की शाखा

469. श्री गणेश सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देशों ने अपने यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को सिंगापुर और सीरिया सरकारों तथा मैसर्स टेकाग इन्वेस्टमेंट, दुबई से अपने देशों में आई.आई.टी./आई.आई.टी. परिसरों की स्थापना करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। वर्तमान में स्थापित सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संकाय सदस्यों की काफी कमी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का निश्चय किया है, जिनमें से छः ने वर्तमान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के परामर्श से पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। इससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की सीमित मानव शक्ति और अन्य संसाधनों में और कमी होगी। चूंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली को अपने स्तर को बनाए रखते हुए इस प्रणाली को घरेलू विस्तार हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अतः इस स्तर विदेशों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इसके परिसर खोलना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

दूरदर्शन की विपणन प्रणाली में सुधार

470. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए देश में दूरदर्शन की विपणन प्रणाली को मान्यता देने/इसमें सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की विपणन प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्होंने भारत के नौ प्रमुख शहरों नामतः नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, हैदराबाद, बैंगलूरू, तिरूवनंतपुरम, गुवाहाटी और जालंधर में विपणन प्रभागों की स्थापना की है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध

471. श्री मित्रसेन यादव:
श्री ई. दयाकर राव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में अपराध-वार लिंग वार दर्ज किए ऐसे मामलों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दोषसिद्ध दर में वृद्धि करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति किए गए अपराध/अत्याचार के मामलों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति रही जब कि 2005 और 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में अनुसूचित जनजाति पर किए जाने वाले अत्याचारों की प्रवृत्ति में कमी आई है।

(ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो वार्षिक आधार पर अपराध आंकड़े संकलित करता है। एनसीआरबी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अपराध-वार दर्ज किए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है तथापि एनसीआरपी लिंगवार सूचना नहीं रखता है।

(ग) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान गिरफ्तार किए गए, चार्जशीट किए गए तथा दोष सिद्ध पाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	गिरफ्तार किए गए	आरोपित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
2005	49416	46936	12691
2006	47872	45016	13626
2007	56245	51705	13871

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" तथा "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है इसलिए अपराध की रोकथाम, संसूचना, पंजीयन, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि केन्द्रीय सरकार अपराध रोकने के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने क्षेत्राधिकारों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित समाज के कमजोर वर्गों पर किए जाने वाले अपराधों पर विशेष बल देने सहित अपराध नियंत्रण तथा प्रशमन पर विशेष ध्यान देने के लिए समय-समय पर जोर देती रहती है।

विवरण

वर्ष/अपराध	अनुसूचित जाति के लोगों पर किए गए अपराध			अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किए गए अपराध		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
हत्या	669	673	674	164	195	140
बलात्कार	1172	1217	1349	640	699	627
अपहरण एवं व्यपहरण	258	280	332	72	88	89
डकैती	26	30	23	27	12	9
लूट	80	90	86	49	29	21
आगजनी	210	226	238	38	46	54
चोट पहुंचाना	3847	3760	3814	767	838	855
अन्य अपराध	110077	11808	13490	2511	2603	2628
पीसीआर अधिनियम	291	405	206	162	49	5
अ.जा./अ.ज.जा./(पी.ओ.ए.) अधिनियम	8497	8581	9819	1283	1232	1104
कुल	26127	27070	30031	5713	5791	5532

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा के लिए प्राध्यापकों की कमी

472. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्राध्यापक वर्ग की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ए.आई.सी.टी.ई./सरकार के पास देश के इंजीनियरिंग कालेजों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापक वर्ग की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां। उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण संकाय की कमी है।

(ख) और (ग) रिक्त शिक्षण पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की संभावना के साथ शिक्षक संकाय की अधिवर्षिता की आयु को पहले ही 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक शिक्षा

473. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को पूर्ण रूप से एक विषय के रूप में शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए सरकारी विद्यालयों के चयन के मानदण्ड क्या हैं;

(घ) इसे कब तक शुरू कर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित आबंटन कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण स्कीम के तहत, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अलग से व्यावसायिक विषय का प्रावधान है। स्कीम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है तथा स्कूलों का चयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। 11वीं योजना अवधि के लिए 2000.00 करोड़ रुपये परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाएं

474. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कक्षा 8 के आस-पास किशोरावस्था में पहुंचने वाली बालिकाओं की बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर 50 प्रतिशत तक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में सरकार द्वारा 12 से 15 वर्ष की उम्र की बालिकाओं के लिए उन्हें विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने के लिए माता-पिता को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं को भोजन उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को लागू करने के लिए क्या तौर-तरीके बनाए गए हैं तथा इस पर कितनी लागत आएगी एवं इसके लिए वित्त पोषण के स्रोत/तरीके क्या होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान प्रारंभिक स्तर (कक्षा 1 से 8) पर बालिकाओं के अध्ययन बीच में ही छोड़ देने की दर 48.98 प्रतिशत है। कुछ सामाजिक-आर्थिक और विद्यालय संबंधी घटक अध्ययन बीच में ही छोड़ने की दर 48.98 प्रतिशत है। कुछ सामाजिक-आर्थिक और विद्यालय संबंधी घटक अध्ययन बीच में ही छोड़ने की दर को प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ) केवल 12 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं को भोजन प्रदान करने के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई है क्योंकि मंत्रालय की भोजन स्कीम के तहत सरकारी, सीनियर और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के अधीन संचालित केन्द्रों के कक्षा 1 से 8 में अध्ययन कर रहे सभी बच्चों को उनकी आयु और लिंग पर ध्यान दिए बिना शामिल किया जाता है।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

475. श्री रेवती रमन सिंह:
योगी आदित्यनाथ:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा नेपाल को जोड़ने वाले कुछ अवैध मार्गों का पता चला है जिनका खाद्यान्नों सहित विभिन्न वस्तुओं की तस्करी के लिए उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का वस्तु-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमांकन स्तंभों के नष्ट हो जाने के कारण नो मेन्स लैण्ड पर भी कब्जा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले को नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनके हाल ही के भारत दौरे पर उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) भारत और नेपाल की 1751 किमी की साझा सीमा है। सीमा काफी लम्बी और सुभेद्य है। भारत-नेपाल संधि के तहत दोनों देशों के नागरिकों की निर्बाध आवाजाही अनुमत है। तस्करी और सीमा पार आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई विशिष्ट अवैध मार्ग नहीं है।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों के पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा भारत नेपाल सीमा की रक्षा की जाती है। एसएसबी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005-2008 के दौरान विभिन्न मदों की जब्ती तथा गिरफ्तारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (च) एसएसबी की सूचना के अनुसार भारत-नेपाल सीमा पर ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। वहां पर 5311 सीमा पीलर स्थित हैं। 862 लुप्त हैं तथा 517 क्षतिग्रस्त हैं।

(ङ) और (च) नेपाल के प्रधान मंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचण्ड के सितम्बर 8-14, 2008 के हाल के भारत दौरे के दौरान समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। नेपाल के साथ अन्य बातों के साथ-साथ सभी द्विपक्षीय तंत्रों को पुन: बहाल करने का निर्णय लिया गया। सीमा पार अपराध तथा सुरक्षा चिंताओं से निपटने में सहयोग में वृद्धि करने के बारे में दोनों पक्षों ने सहमति प्रकट की। इस संबंध में गृह सचिवों के शीघ्र मिलने की सम्भावना है।

विवरण

2005-2006 में की गई मद-वार जब्ती तथा गिरफ्तारी

मद	2005	2006	2007	2008 (30.9.08)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
निषद्ध माल रुपए में	20650744	37725469	84275802	111004792	253656807
खाद्यान्न रुपए में	2294530	2694680	6019700	4683520	15692430
स्वापक पदार्थ रुपए में	24569005	60481848	91245550	223225000	399521403
जाली भारतीय मुद्रा रुपए में	19000	150700	238640	125500	533840
भारतीय मुद्रा रुपए में	292900	3103771	782266	812650	4991587
नेपाली मुद्रा रुपए में	2670404	115154	1150849	150463	4086870
नेपाल जाली मुद्रा रुपए में	0	1000	0	6500	7500
भूटानी मुद्रा रुपए में	0	0	35000	17847	52847
बांग्लादेशी मुद्रा रुपए में	0	0	680	550	1230
चांदी रुपए में	300200	273845	44733	43000	661778
वन उत्पाद रुपए में	962976	2929185	38178565	57772989	99843715
पुरावशेष रुपए में	10000000	0	10000000	0	20000000
कुल	61759759	107475652	231971785	397842811	799050007

1	2	3	4	5	6
नकली अमेरिकी डालर 100 नोट	0	0	10	0	10
नकली अमेरिकी डालर 20	0	0	2	0	2
नकली अमेरिकी डालर 10	0	0	1	0	1
कुवैती मुद्रा 10 दिनार	0	0	2	0	2
कुवैती मुद्रा 20 दिनार	0	0	3	0	3
शस्त्र					
ए.के. 47 की संख्या	1	0	0	0	1
ए.के. 56 राइफल	0	0	0	1	1
संख्या में एस एल आर	3	0	0	0	3
बी.ए. राइफल की संख्या	3	0	2	0	5
जापानी रिवाल्वर (संख्या)	1	0	0	0	1
रिवाल्वर (चीनी निर्मित) संख्या में	1	0	0	0	1
रिवाल्वर (अमेरिकी निर्मित) संख्या में	0	2	0	0	2
पिस्तौल (ईटली निर्मित)	0	1	3	1	5
पिस्तौल (जापान निर्मित)	0	0	1	0	1
लघु शस्त्र (संख्या में)	48	44	.52	47	191
डबल बैरल बंदूक (संख्या में)	2	0	0	1	3
सिंगल बैरल बंदूक (संख्या में)	102	37	42	78	259
पिस्तौल (चीनी निर्मित) संख्या में	1	1	0	0	2
पिस्तौल (अमरीकी निर्मित)	0	0	2	1	3
रिवाल्वर (जर्मनी निर्मित)	0	0	1	1	2
रिवाल्वर 0.38 (ब्रिटेन में निर्मित)	0	0	1	0	1
स्टैनगन	0	0	0	2	2
कुल	162	85	104	132	483
गोला बारुद/विस्फोटक					
कारतूस (संख्या में)	12920	159	212	435	13726
कामचलाऊ बम (संख्या में)	12	31	6	6	43

1	2	3	4	5	6
आरडीएक्स (किलोग्राम में)	0	0	3.1	0	3.1
जैलेटिन छड़ें (संख्या में)	0	0	0	21	21
कोर डैक्स (फीट में)	0	0	22	0	22
सैफ्टी फ्यूज मीटर में	0	0	94.20	7.45	101.65
सैफ्टी फ्यूज फीट में	0	0	12.5	26.1	38.6
डेटोनेटर (प्रीसमैटिक) संख्या में	397	0	211	827	1435
मोनपास प्रीसमैटिक संख्या	0	1	0	0	1
लो एक्सथ (पटाका) बंडल में	0	0	7	0	7
मैगजीन	0	5	9	4	18
गिरफ्तारियों					
तस्कर (संख्या)	343	823	12	1333	3711
माओवादी (सीपी) संख्या में	14	4	0	0	18
माओवादी (सीपीएम) संख्या में	21	5	3	0	29
कुल	378	832	1215	1333	3758

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

476. श्री अनन्त नायक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय निकाय गठित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 के दौरान प्राकृतिक रबड़ (एनआर) का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

(टन में)

राज्य	2005-06	2006-07अ.	2007-08अ.
केरल	739225	783275	753135
तमिलनाडु	23555	24020	23820
त्रिपुरा	16322	18705	20299
कर्नाटक	14940	16125	16545
अन्य	8583	10770	11546
कुल	802625	852895	825345

अ.-अनंतिम

वर्ष 2008-09 के लिए अनुमानित उत्पादन 875,000 टन का है और अप्रैल से सितम्बर, 2008 के दौरान अनुमानित उत्पादन 393,000 टन है। चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के राज्य-वार उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी हां। खासकर अपूर्वानुमेय जलवायु परिवर्तन, अनियमित एवं कम वर्षा होने के कारण प्राकृतिक रबड़ की वृद्धि और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्षा की स्थिति में परिवर्तन होने से पत्तियों में फफूंदी का संक्रमण होता है जिससे उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदम थे: (1) रबड़ बोर्ड के अधीन भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा रबड़ के सभी प्रकार के रोगों के लिए नियंत्रणकारी उपायों का विकास जहां कहीं मौसम की अनुकूल स्थितियों के परिणामस्वरूप रोग का भयंकर प्रभाव होता है वहां बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान कार्यक्रम सक्रिय रूप से चलाए जाते हैं कि रबड़ उत्पादकों द्वारा पौध संरक्षण उपायों का पालन किया जाता है, (2) रोपण हेतु बेहतर जड़ीय वृद्धि के साथ जड़ ट्रेनर कपों में तैयार की गई रोपण सामग्री की सिफारिश की गई है। अपनी बेहतर जड़ीय वृद्धि के कारण ऐसे पौधों में सूखे को सहन करने की अच्छी क्षमता होती है और (3) खेत में सूखे की लम्बी अवधि का प्रबंधन करने के लिए मृदा आद्रता के संरक्षण (अर्थात् मल्चिंग प्लांट बेसिन) के लिए, नव पौधों में ताप एवं भार को कम करने (अर्थात् छाया, केले के साथ अंतरफसल उगाना) आदि के लिए प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय में नामांकन

477. **श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत बच्चों को कक्षा 5 तक विद्यालयों में अध्ययनरत रखने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार वर्ष 2015 तक सभी को शिक्षा प्रदान करने की अपनी समय-सीमा को पूरा कर पाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2015 तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए तथा छात्रों द्वारा बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की दर में तेजी से कमी आयी है। यह दर वर्ष 2000-01 में 40.7 प्रतिशत थी जो वर्ष 2005-06 में कम होकर 25.7 प्रतिशत हो गई है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार राज्यों की सहभागिता से प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की पहुंच तथा उन्हें वहां रोक कर रखने में बढ़ोत्तरी करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन कर रही है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए सकल नामांकन अनुपात (2005-06) 109 प्रतिशत था जो सकारात्मक रुझान दिखा रहा है।

[हिन्दी]

कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा

478. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कृषि तथा ग्रामीण आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई धनराशि प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार के पास कृषि तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए कोई नई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा कितनी सफलता हासिल की गई है;

(च) क्या सरकार द्वारा इन उद्योगों द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों का निर्यात करने के लिए कोई धनराशि प्रदान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार द्वारा (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से सरकार द्वारा 01.04.1995 से 31.03.2008 तक कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 02.10.1993 से 31.03.2008 तक कार्यान्वित किए गए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), नामक दो क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देती रही है। पीएमआरवाई (ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित) के तहत स्थापित इकाइयों का लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में होने का अनुमान है। आरईजीपी के तहत स्थापित परियोजनाओं तथा पीएमआरवाई के तहत स्थापित स्व-रोजगार उद्यमों का उनकी कार्यान्वयन की समस्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) आरईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना थी और योजना के लिए अनुमोदित अनुदान का उपयोग केवीआईसी को जारी किए जाने के लिए किया जाता था जो बदले में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को फंड (मार्जिन मनी सहायता के लिए) जारी करता था। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत केवीआईसी द्वारा आबंटित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा साथ ही साथ उपयोग की गई मार्जिन मनी का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पीएमआरवाई के तहत सब्सिडी का आबंटन और फंडों की रिलीज राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों पर आधारित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सब्सिडी राशि प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती है जो बदले में कार्यान्वयन बैंकों को आवश्यक सब्सिडी जारी करते हैं। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई सब्सिडी की राशि निम्नोक्त है:-

वर्ष	पीएमआरवाई के तहत जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रु.)
2005-06	251.36
2006-07	228.82
207-08	283.20

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत उद्यमिता विकास एवं आकस्मिकताओं तथा साथ ही साथ उपयोग किए गए फंडों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित फंडों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है जिसके लिए 4735 करोड़ रुपए (मार्जिन मनी के लिए 4485 करोड़ रुपये तथा बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेज के लिए 250 करोड़ रुपये) का अनुमानित परिव्यय रखा गया है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी क रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी ग्रामोद्योगों की स्थापना केवीआईसी/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों केवीआईबी/डीआईसी से मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करके तथा कार्यान्वयक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों आदि से अधिकतम 10 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्येक में 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करके भी कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए स्वीकृत मार्जिन मनी सामान्य वर्ग के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं, भूतपूर्व सेवाकर्मियों, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर प्रदेश, पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्रों, आदि सहित विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को स्वीकृत मार्जिन मनी सामान्य वर्ग के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं, भूतपूर्व सेवाकर्मियों, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर प्रदेश, पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्रों, आदि सहित विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत है।

(च) केवीआईसी के साथ पंजीकृत निर्यात संस्थानों और वैयक्तिक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात में उछाल लाने के लिए केवीआईसी 'निर्यात प्रोत्साहन योजना' कार्यान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए व्यय किए गए फंडों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नोक्त तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	राशि (लाख रु.)
2005-06	50.00
2006-07	44.29
2007-08	32.32
2008-09 (सितंबर 2008 तक)	18.44

(छ) कृषि आधारित ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए केन्द्र सरकार फंडों का आबंटन उनकी निर्यात संभावनाओं और विदेशी बाजार में उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अत: इन फंडों का आबंटन राज्य-वार नहीं है।

विवरण I

31.03.2008 तक आरईजीपी और पीएमआरवाई के आरंभ से इन योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(इकाइयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमआरवाई के तहत 'स्व-रोजगार उद्यमों की संख्या	आरईजीपी के तहत सहायता प्राप्त ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	1649	170
2.	दिल्ली	11989	268
3.	हरियाणा	102298	9522
4.	हिमाचल प्रदेश	34225	4994
5.	जम्मू-कश्मीर	13736	13673
6.	पंजाब	114007	13554
7.	राजस्थान	159106	34064
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1656	1244
9.	बिहार	144472	3568
10.	झारखण्ड	31905	1735
11.	उड़ीसा	108137	6769
12.	पश्चिम बंगाल	61187	31509
13.	अरुणाचल प्रदेश	4397	772
14.	असम	82852	10253
15.	मणिपुर	8939	1121
16.	मेघालय	5514	4073
17.	मिजोरम	4176	3715
18.	नागालैंड	6361	5875
19.	त्रिपुरा	16064	624
20.	सिक्किम	764	1792
21.	आंध्र प्रदेश	244105	22354
22.	कर्नाटक	197445	19324
23.	केरल	198810	12868
24.	लक्षद्वीप	245	42
25.	पांडिचेरी	4186	1556
26.	तमिलनाडु	203783	10962
27.	दादरा और नगर हवेली	630	0
28.	दमन और दीव	196	0
29.	गोवा	3103	2807
30.	गुजरात	107617	2938
31.	महाराष्ट्र	342595	29617
32.	छत्तीसगढ़	24364	4311
33.	मध्य प्रदेश	284951	22887
34.	उत्तराखंड	42165	4376
35.	उत्तर प्रदेश	503230	23390
	विनिर्दिष्ट नहीं	7102	-
	सकल योग	3077961	306727

विवरण II

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत उपयोग की गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपयोग की गई राशि		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	3.63	3.47	12.30
2.	दिल्ली	16.66	18.37	13.23
3.	हरियाणा	1782.18	1749.31	2949.39
4.	हिमाचल प्रदेश	889.90	1165.42	1799.85
5.	जम्मू-कश्मीर	883.56	1565.20	1753.83
6.	पंजाब	837.21	1826.00	3273.35
7.	राजस्थान	2679.91	2106.77	3871.78
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	218.87	22.15	34.84
9.	बिहार	570.54	715.67	1163.37
10.	झारखण्ड	351.12	357.92	461.04
11.	उड़ीसा	837.22	1055.54	1456.41
12.	पश्चिम बंगाल	2100.06	2396.03	6367.70
13.	अरुणाचल प्रदेश	126.54	144.45	325.67
14.	असम	2719.99	1717.35	2887.94
15.	मणिपुर	43.85	128.99	82.39
16.	मेघालय	234.14	255.06	512.55
17.	मिजोरम	995.54	1043.60	1125.97
18.	नागालैंड	286.22	192.13	471.18
19.	सिक्किम	289.95	151.47	681.83
20.	त्रिपुरा	139.54	278.41	273.58
21.	आंध्र प्रदेश	3627.58	3674.06	5456.10
22.	कर्नाटक	1697.66	2424.27	3315.64

1	2	3	4	5
23.	केरल	1603.41	1567.36	2358.49
24.	लक्षद्वीप	16.39	0.00	7.78
25.	पांडिचेरी	12.66	42.76	132.25
26.	तमिलनाडु	1217.13	1438.04	3163.38
27.	गोवा	103.68	95.25	112.73
28.	गुजरात	883.08	756.10	1075.28
29.	महाराष्ट्र	1596.48	1837.03	2770.70
30.	छत्तीसगढ़	1152.87	1215.03	1788.20
31.	मध्य प्रदेश	1114.33	1531.38	2291.58
32.	उत्तराखंड	617.86	601.44	1074.43
33.	उत्तर प्रदेश	2495.99	2903.32	4994.83
	सकल योग	32095.75	34979.35	58059.59

विवरण III

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत प्रशिक्षण एवं आकस्मिकता के लिए दिए गए/जारी किए गए तथा उपयोग किए गए फंड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08*	
		जारी किए गए गए फंड	प्रयुक्त फंड	जारी किए गए गए फंड	प्रयुक्त फंड	जारी किए गए गए फंड	प्रयुक्त फंड
1		2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	176.72	188.78	191.95	एनआर	199.28	एनआर
2.	असम	77.80	25.73	1.73	एनआर	5.38	एनआर
3.	अरुणाचल प्रदेश	4.54	5.83	0.42	0.42	6.00	6.15
4.	बिहार	0.00	19.56	0.00	6.64	56.38	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	41.02	34.73	38.06	33.92	57.11	एनआर
6.	दिल्ली	0.00	एनआर	0.00	एनआर	2.63	एनआर
7.	गोवा	0.00	0.12	0.00	0.12	0.38	0.13

1		2	3	4	5	6	7
8.	गुजरात	13.38	28.90	0.00	34.64	69.89	69.50
9.	हरियाणा	45.64	60.04	38.60	68.18	182.74	159.04
10.	हिमाचल प्रदेश	15.03	10.67	26.77	18.05	24.62	25.58
11.	जम्मू-कश्मीर	11.71	0.00	10.30	एनआर	1.00	एनआर
12.	झारखण्ड	0.06	33.28	14.62	14.99	41.81	31.84
13.	कर्नाटक	124.08	139.09	165.91	159.10	306.22	320.85
14.	केरल	176.63	211.27	202.33	205.31	377.94	एनआर
15.	मध्य प्रदेश	226.32	152.79	209.89	230.91	115.45	194.98
16.	महाराष्ट्र	128.04	146.74	112.62	132.67	198.93	457.34
17.	मणिपुर	1.23	5.11	8.24	0.48	16.18	एनआर
18.	मेघालय	8.22	10.61	5.52	5.88	15.59	8.93
19.	मिजोरम	8.22	4.75	0.00	एनआर	7.59	एनआर
20.	नागालैंड	22.03	19.51	6.79	10.12	30.62	30.54
21.	उड़ीसा	135.46	134.26	128.31	122.67	167.99	216.91
22.	पंजाब	55.67	52.75	0.00	0.00	64.92	68.58
23.	राजस्थान	109.97	126.83	124.90	127.14	244.11	244.60
24.	तमिलनाडु	155.27	168.16	156.28	एनआर	311.79	एनआर
25.	त्रिपुरा	22.70	20.44	20.39	20.56	33.69	35.92
26.	उत्तर प्रदेश	422.85	446.25	388.87	388.87	659.39	625.47
27.	उत्तराखंड	64.16	56.63	83.49	78.26	81.14	एनआर
28.	पश्चिम बंगाल	29.10	41.01	4.96	21.60	256.85	248.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.55	0.49	0.89	0.09	1.17	0.27
30.	चंड़ीगढ़	3.98	1.43	1.15	0.87	1.03	2.30
31.	दमन और दीव	0.03	एनआर	0.11	एनआर	0.10	एनआर
32.	दादरा और नगर हवेली	0.19	एनआर	0.12	एनआर	0.45	एनआर
33.	लक्षद्वीप	0.05	एनआर	0.04	एनआर	0.07	एनआर
34.	पुडुचेरी	0.57	2.22	3.38	3.51	8.63	एनआर
35.	सिक्किम	0.89	0.46	0.52	एनआर	3.08	एनआर
	कुल	2082.12	2148.42	1947.16	1684.99	3550.12	2746.92

एनआर - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई।

*नए घटक 'चयन पूर्व अभिप्रेरण अभियान' के लिए जारी एवं प्रयुक्त फंड सहित

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता

479. श्री विजय कृष्ण: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए प्रयोजनार्थ कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि भारत सरकार क्रेडिट, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, सरकार द्वारा खरीद में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को अधिप्राप्ति वरीयता के लिए सहायता, एमएसई को विलंबित भुगतान की स्थानिक समस्या को कम करने के लिए संस्थानिक सहायता प्रदान करना, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों का समर्थन एवं अनुपूरण करती है। यह योजनाएं एमएसई क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए हैं और देश भर में कार्यान्वित की जाती हैं। फिर भी, जहां संभव हो, सरकार समाज के लाभ वंचित वर्गों, विशेष रूप से वे जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं, की सहायता के लिए विशिष्ट आबंटन करती है तथा विशिष्ट लक्ष्य निर्दिष्ट करती है। भारत सरकार कुछ योजनाओं के मांग आधारित एवं स्रोतों के राज्य-वार आबंटन पर आधारित न होने के कारण उनसे संबंधित लाभार्थियों की संख्या का अनुरक्षण नहीं करती है। तथापि, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्ति कुछ योजनाओं के तहत लाभान्वित होते हैं।

उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम/उद्यमिता विकास कार्यक्रम/प्रबंध विकास कार्यक्रम की योजना के तहत 2007-08 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 5028 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए थे। यह आंकड़े 2007-08 से पूर्व अनुरक्षित नहीं किए जाते थे।

2007-08 के दौरान क्रेडिट, गारंटी फंड योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 1419 उद्यमी लाभान्वित हुए थे। यह आंकड़े 2007-08 से पूर्व अनुरक्षित नहीं किए जाते थे।

क्र.सं.	योजना का नाम	बजटीय प्रावधान	
		2007-08 (लाख रु.)	2008-09
1.	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम/ उद्यमिता विकास कार्यक्रम	50.00	कोई विशिष्ट आबंटन नहीं अपितु 50.00 लाख रु. व्यय होने की आशा है।
2.	क्रेडिट गारंडी फंड योजना/एमएफपी के तहत पोर्टफोलियो रिस्क फंड का परिवर्धन	50.00	योजना के तहत भारत सरकार का अंशदान कॉरपस के लिए प्रदान किया गया है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

480. श्री नवीन जिन्दल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए अपना आबंटन लेने में असफल रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इसका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या ऐसे मामलों में आबंटन व्यपगत हुआ माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) पिछले तीन वर्ष नामत:

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आबंटित खाद्यान्नों को उठा लिया था। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने वर्ष 2005-06 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न नहीं उठाए थे। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लक्षद्वीप प्रशासन की योजनेत्तर निधियों से खाद्यान्न खरीदकर किया गया था। तथापि, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र ने अपने आवंटित खाद्यान्न उठा लिए।

एकीकृत सीमा प्रबन्धन

481. श्री एल. राजगोपाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली विकसित किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) देश की सीमाओं के कारगर प्रबंधन की रणनीति के एक भाग के रूप में सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: देश की सीमाओं पर रात दिन निगरानी और गश्त करना; बाड़ लगाना, फल्ड लाइटिंग करना और सड़कों का निर्माण करना, उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों की शुरूआत करना आसूचना सेटअप का उन्नयन करना तथा राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

इसके अतिरिक्त, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा वहां रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना विकसित करने हेतु सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में पता लगाए गए सीमावर्ती ब्लाकों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार ने पड़ौसी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्यक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और इसे सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना स्कीम के रूप में देश में पता लगाए गए 13 स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) विकसित करने का भी निर्णय लिया है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए सहायता

482. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की प्रारंभिक शिक्षा के समग्र विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बच्चों और बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्नाटक में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2008-09 के लिए 95971.43 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

स्वर्ण तथा हीरे के भण्डारों का सर्वेक्षण

483. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री किरेन रिजीजू:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में स्वर्ण तथा हीरे के नए भण्डार खोजने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे भण्डारों का दोहन करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ निजी कंपनियों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखण्ड राज्यों में

स्वर्ण के लिए क्षेत्रीय गवेषण किया है। जीएसआई ने किम्बरलाइट/लेम्प्रोआइट चट्टानों, जो कि हीरे की स्रोत चट्टान हैं, के लिए भी खोज की है।

(ख) गत पांच वर्षों (2003-04 से 2007-08) के दौरान जीएसआई द्वारा स्वर्ण और हीरे के लिए किए गए अन्वेषण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सभी खनिजों के भण्डारों, चाहे उनका सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया हो, का विदोहन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है जो भारतीय नागरिकों अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकरण कम्पनियों को खनन पट्टे प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के संबंध में केन्द्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन का प्रावधान करता है और उक्त सूची में स्वर्ण और हीरा भी शामिल है। खनन पट्टे राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

(ङ) उन व्यक्तियों और कम्पनियों का ब्यौरा जिन्हें गत 10 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का पूर्व-अनुमोदन दिया गया है, मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mines.nic.in में उपलब्ध है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान जीएसआई द्वारा स्वर्ण तथा हीरे हेतु किए गए अन्वेषण (फील्ड सीजन 2003-04 से फील्ड सीजन 2007-08)

राज्य	अन्वेषण का क्षेत्र	अन्वेषणों की संख्या
1	2	3
स्वर्ण		
आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, कुडप्पा, नैल्लोर, वारंगल एवं कर्नुल जिले	11
कर्नाटक	रायचूर, तुमकूर, चित्रदुर्गा, गडग, बेल्लारी, दावणगेरे, धारवाड़, बेलगांव, उत्तरी कन्नारा जिले	35
तमिलाडु	नीलगिरी, कृष्णागिरी एवं थिरूवन्नामलाई जिले	4
राजस्थान	बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर एवं डूंगरपुर जिले	19
झारखंड	रांची एवं पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला एवं खारसवान	17
मध्य प्रदेश	कटनी, जबलपुर एवं बालाघाट जिले	5
छत्तीसगढ़	कांकेर, महासमुंद एवं रायपुर जिले	7
केरल	पलक्कड़, मलापुरम एवं वायनाड जिले	3
पश्चिम बंगाल	बांकुरा जिला	3
उत्तर प्रदेश	सोनभद्र एवं झांसी जिले	6
महाराष्ट्र	भंडारा एवं नागपुर जिले	2
गुजरात	जामनगर जिला	2
उत्तराखण्ड	चमोली जिला	1
हीरा		
उड़ीसा	बारगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर एवं नुआपारा जिले	5
आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, खम्माम, नालगोंडा, महबूबनगर, वारंगल एवं कर्नुल जिले	22
कर्नाटक	रायचूर एवं बेल्लारी जिले	5
छत्तीसगढ़	कांकेर, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ एवं महासमुंद जिले	6
मध्य प्रदेश	दतिया जिला	1

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

484. योगी आदित्यनाथ:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े उक्त जिलों के लिए कोई योजना बनाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित/आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश के 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले अभिनिर्धारित किए हैं जिनकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में पांच प्रतिशत प्वाइंटों के द्वारा सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए 374 अभिनिर्धारित शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में उत्कृष्ट नए डिग्री कालेज स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की जा रही है। नया कालेज स्थापित करने की अनुमानित लागत 8.00 करोड़ रु. है। प्रस्तावित योजना के तहत, पूंजीगत लागत (2.67 करोड़ रु.) की $^{1}/_{3}$ सीमा तक की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी बशर्ते राज्य शेष $^{2}/_{3}$ पूंजीगत लागत या तो स्वयं अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से पूरी करे। संबंधित राज्य को नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराना होगा और इन कालेजों के आवर्ती व्यय को भी पूरा करना होगा। 11वीं योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ 782 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

विवरण

1. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**
   - अंडमान
   - निकोबार
2. **आंध्र प्रदेश**
   - आदिलाबाद
   - अनन्तपुर
   - पूर्वी गोदावरी
   - कर्नुल
   - महबूब नगर
   - मेडक
   - निजामाबाद
   - प्रकाशम
   - श्रीकाकुलम
   - विजयनगरम
   - पश्चिमी गोदावरी
3. **अरुणाचल प्रदेश**
   - चांगलांग
   - दीवेंगवेली
   - पूर्वी कमांग
   - लोहित
   - लोअर सुबनसिरी
   - तवांग
   - तीराप
   - अपर सियोंग
   - अपर सुबनसिरी
   - पश्चिम कामेंग
   - पश्चिम सियांग
4. **असम**
   - बोंगाईगांव
   - कछार
   - दारांग
   - धुबरी
   - गोलपाड़ा
   - हैलाकांडी
   - कार्बी अंगलांग
   - करीमगंज
   - मारीगांव
   - नौगांव
   - सोनितपुर
   - तिनसुखिया
5. **बिहार**
   - अरेरिया
   - औरंगाबाद

बंका

बेगूसराय

दरभंगा

गोपालगंज

जमुई

कैमूर (भबुआ)

कटिहार

खगरिया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

नवादा

पश्चिमी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण

पूर्णिया

सहरसा

समस्तीपुर

श्योहर

सीतामढ़ी

सीवान

सुपौल

वैशाली

6. **छत्तीसगढ़**

बस्तर

बिलासपुर

दांतेवाड़ा

धामतरी

दुर्ग

जांजगीर-चम्पा

जसपुर

कानकेर

कावर्धा

कोरिया

महासमुंद

रायगढ़

रायपुर

राजनंदगांव

सरगूजा

7. **दादरा और नगर हवेली**

दादरा और नगर हवेली

8. **दमन और दीव**

दमन

दीव

9. **गुजरात**

अमरेली

बनासकांठा

भरौच

भावनगर

दाहोद

जामनगर

जूनागढ़

कच्छ

खेड़ा

मेहसाना

नर्मदा

पंचमहल

पाटन

पोरबन्दर

राजकोट

साबरकांठा

सूरत

सुरेन्द्रनगर

दाडांग

वलसाड

10. **हरियाणा**

फतेहबाद

गुड़गांव

जींद

कैथल

करनाल

पानीपत

सिरसा

11. **हिमाचल प्रदेश**

चम्बा

किन्नौर (पू.)

लाहौल तथा स्पीति

सिरमौर

12. **जम्मू-कश्मीर**

अनन्तनाग

बडगाम

बारामूला

डोडा

कारगिल

कठुआ

कुपवाड़ा

लेह (लद्दाख)

पुंछ

राजौरी

ऊधमपुर

13. **झारखण्ड**

छतरा

देवघर

दुमका

गरहवा

गिरडिह

गोड्डा

गुमला

कोडरमा

पाकुर

पलामू

पश्चिमी सिंहभूम

साहिबगंज

14. **कर्नाटक**

बगलकोट

बंगलौर ग्रामीण

बेलगाम

बेल्लारी

बीजापुर

चामराजनगर

चिकमंगलूर

चित्रदुर्ग

दक्षिण कन्नड

गडग

गुलबर्गा

हसन

हवेरी

कोडागु

कोलार

कोप्पल

मंड्या

रायचूर

टुमकुर

उदुपी (उडुपी)

उत्तर कन्नड़

15. केरल

कासरगोड

मालापुरम

पलाक्कड

वेनाड

16. लक्षद्वीप

लक्षद्वीप

17. मध्य प्रदेश

बालाघाट

बरवानी

बेतुल

भिंड

छतरपुर

छिंदवाड़ा

दमोह

दतिया

देवास

धार

डिंडोरी

ईस्ट नीमर

गुना

हरदा

झाबुआ

कटनी

मांडला

मंदसौर

मोरेना

नरसिंहपुर

नीमच

पन्ना

रायसेन

रायगढ़

रतलाम

सागर

सतना

सिहोर

सिओनी

शहडोल

शाजापुर

शिओपुर

शिवपुरी

सिधी

टीकमगढ़

उज्जैन

उमरिया

विदिशा

वेस्ट नीमर

18. महाराष्ट्र

बुल्डाना

गढ़चिरोली

हिंगोली

जालना

रायगढ़

रत्नागिरी

सिंद्धदुर्ग

19. मेघालय
ईस्ट गारो हिल्स
जैंतिया हिल्स
रीभोई
साउथ गारो हिल्स
वेस्ट खासी हिल्स

20. मिजोरम
चम्फाई
कोलासिब
लांगतलाई
लंगलई
माभित
सेहा
सरचिप

21. नागालैण्ड
मोन

22. उड़ीसा
अंगुल
बोलांगीर
बारगढ़
बौद्ध
देवगढ़
धेनकनाल
गजपति
गंजम
कालाहाण्डी
कंधामल
क्यौंझार
कोरापुट
मल्कानगिरी
नवरंगपुर
नयागढ़
नूपाडा
रायगाड़ा
सोनपुर

23. पाण्डिचेरी
यनम

24. पंजाब
अमृतसर
भटिंडा
फरीदकोट
फतेहगढ़ साहिब
फिरोजपुर
गुरुदासपुर
कपूरथला
मांसा
मोगा
मुक्तसर
नवांशहर
पटियाला
संगरूर

25. राजस्थान
अजमेर
अलवर
बांसवाड़ा
बारन
बाड़मेर
भरतपुर
भीलवाड़ा
बीकानेर

बुन्दी
चित्तौड़गढ़
चुरू
डोसा
धौलपुर
डुंगरपुर
गंगानगर
हनुमानगढ़
जैसलमेर
जालोर
झालावर
झुनझुनु
जौधपुर
करौली
नागौर
पाली
राजसमन्द
सवाई माधोपुर
सिकर
सिरोही
टोंक
उदयपुर

26. **सिक्किम**

पूर्व
उत्तर
दक्षिण
पश्चिम

27. **तमिलनाडु**

अरियालुर
कोयम्बटूर
कुडालूर
धर्मपुरी
डिण्डीगुल
इरोड
कांचीपुरम
कन्याकुमारी
करूर
मदुरई
नागापट्टीनम
पैरमबल्लूर
पुडुकोट्टई
रामानाथापुरम
सलेम
शिवगंगा
तंजावुर
दा नीलगिरीस
थणी
थिरूवल्लूर
थूवरूर
थूथुकुकडी
तिरूनेलवेली
तिरूमन्नमलई
वेलोर
वेलुपुरम
विरुद्धनगर

28. **त्रिपुरा**

धलाइ
उत्तर त्रिपुरा
दक्षिण त्रिपुरा
पश्चिम त्रिपुरा

29. उत्तर प्रदेश

बहराइच

बलरामपुर

बांदा

बाराबंकी

बरेली

बस्ती

बिजनौर

बदायूं

बुलन्दशहर

चित्रकूट

एटा

फरूखाबाद

फतेहपुर

गोंडा

हमीरपुर

हरदोई

हाथरस

ज्योतिवा फूल्ले नगर

कन्नौज

कानपुर देहात

कौशाम्बी

खीरी

कुशीनगर

ललीतपुर

महाराजगंज

महोवा

मथुरा

मुरादाबाद

मुजफ्फरनगर

पीलीभीत

रायबरेली

रामपुर

सहारनपुर

संत कबीर नगर

शाहजहांपुर

श्रावस्ती

सिद्धार्थ नगर

सीतापुर

सोनभद्र

सुल्तानपुर

उन्नाव

30. उत्तराखण्ड

बागेश्वर

चम्पावत

31. पश्चिम बंगाल

बांकुरा

बर्धमान

बीरभूम

दक्षिण दिनाजपुर

दार्जीलिंग

हावड़ा

हुगली

जलपाइगुडी

कोच बिहार

मालदा

मीदनापुर

मुर्शीदाबाद

नाडिया

उत्तरी 24 परगना

पुरूलिया

दक्षिण 24 परगना

उत्तर दिनाजपुर

कुल जिले - 374

क्रिकेट मैचों का प्रसारण

485. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के एक दिवसीय तथा टेस्ट क्रिकेट मैचों का नियमित रूप से दूरदर्शन पर प्रसारण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मैचों के प्रसारण अधिकारों की बिक्री निजी चैनलों को करने के कारण आम आदमी को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इन मैचों का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई विशेष नियम/कानून बनाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) दूरदर्शन, खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत इस संबंध में जारी दिनांक 3.10.2007 की अधिसूचना के अनुसार क्रिकेट मैचों का प्रसारण करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जन सामान्य द्वारा महसूस की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 में अंतर्विष्ट प्रावधानों और टीवी चैनलों के डाउनलिंकिंग के लिए जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के खेल अधिकार धारकों द्वारा प्रसार भारती के साथ खेल सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है। सरकार ने उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से दिनांक 3.10.2007 और 8.02.2008 की अधिसूचनाओं के तहत राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को अधिसूचित किया है।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 का अधिनियमन किया है और उसके अंतर्गत नियम बनाए हैं जिनमें ऐसे खेल आयोजनों के अधिकार धारकों द्वारा प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी का प्रावधान है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन तथा निर्यात

486. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन हुआ तथा देश-वार कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त का चाय की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा तथा उक्त अवधि में चाय की कीमतें क्या रहीं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले वर्ष की समान अवधि के तुलना में चालू वर्ष में अब तक की अवधि के साथ गत तीन वर्षों के दौरान भारत से चाय का उत्पादन और निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	
	(मि.कि.ग्रा. में)	मात्रा (मि.कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रु.)
2005	945.97	199.05	1830.98
2006	981.80	218.73	2006.53
2007*	944.68	178.75	1810.11
2008 (जन.-अगस्त)*	599.73	124.04	1314.55

*अनंतिम

गत तीन वर्षों के दौरान चाय का राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भारत से विभिन्न देशों को निर्यातित चाय की मात्रा संलग्न विवरण-II तथा III में दी गई है।

(ख) वर्ष 2005 के मध्य से घरेलू नीलामियों में चाय की कीमतों में सुधार आया है और चालू वर्ष में यह रूझान जारी है। वर्ष 2005 से अगस्त 2008 तक का कीमत परिदृश्य निम्नानुसार है-

भारत की समस्त नीलामियों में चाय की कीमतें

वर्ष	समस्त भारत	
	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत कीमत (रु./कि.ग्रा.)
2005	510.23	58.05
2006	499.07	66.01
2007	514.38	67.40
2008 (जन.-अगस्त)	298.77	79.26

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान चाय का राज्य-वार उत्पादन

राज्य	उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)		
	2005	2006	2007
असम	487.49	502.04	479.92
पश्चिम बंगाल	217.55	237.11	231.44
अन्य@	13.38	14.09	13.33
सकल उत्तर भारत	718.42	753.24	724.69
तमिलनाडु	163.68	163.66	153.13
केरल	58.50	59.46	61.83
कर्नाटक	5.37	5.44	5.03
सकल दक्षिण भारत	227.55	228.56	219.99
कुल	945.97	981.81	944.68

@त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा जैसे छोटे राज्य शामिल हैं।

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान भारत से विभिन्न देशों को निर्यातित चाय की मात्रा

(आंकड़े मिलियन कि.ग्रा. में)

देशों के नाम	जन.-दिस. 2007 (अनुमानित)	जन.-दिस. 2006 (वास्तविक)	जन.-दिस. 2005 वास्तविक)
1	2	3	4
रूसी परिसंघ	42.08	37	35.89
कजाकिस्तान	9.57	10.39	10.93

1	2	3	4
यूक्रेन	1.54	0.85	0.89
उज्बेकिस्तान	0.03	0.41	0.08
अन्य राष्ट्रकुल देश	0.27	0.46	0.34
सभी राष्ट्रकुल देश	53.49	49.11	48.13
युनाइटेड किंगडम	17.87	23.21	21.36
नीदरलैंड्स	2.72	2.93	2.90
जर्मनी	5.83	4.36	4.85
आयरलैंड	2.01	2.42	2.21
पोलैंड	4.39	3.67	4.12
यूएसए	9.55	8.54	9.08
कनाडा	0.04	1.13	1.61
यूएई	24.55	21.88	26.54
ईरान	13.13	8.67	6.62
इराक	2.53	41.33	35.82
सऊदी अरब	1.56	1.06	1.15
ए.आर.ई.	5.14	2.75	0.37
तुर्की	0.14	0.16	0.06
अफगानिस्तान	8.26	7.41	3.06
सिंगापुर	0.4	0.51	0.60
श्रीलंका	3.93	3.19	2.09
केन्या	3.25	8.74	1.54
जापान	2.40	2.66	3.05
पाकिस्तान	5.47	14.73	11.00
आस्ट्रेलिया	4.87	4.46	4.91
अन्य देश	7.22	5.81	7.98
कुल	178.75	218.73	199.05

विवरण III

चालू वर्ष में भारत से चाय के प्रमुख देशवार निर्यात

देशों के नाम	जन.-जून 2008 (अनुमानित)		
	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)	यू.पी. (रु./कि.ग्रा.)
1	2	3	4
रूसी परिसंघ	21.61	190.62	88.21
कजाकिस्तान	5.21	57.10	109.60
यूक्रेन	0.64	5.07	79.22
उज्बेकिस्तान	0.06	0.80	133.33
अन्य राष्ट्रकुल देश	0.18	2.64	146.67
सभी राष्ट्रकुल देश	27.7	256.23	92.5
युनाइटेड किंगडम	4.31	41.89	97.19
नीदरलैंड्स	0.83	17.68	213.01
जर्मनी	1.50	26.95	179.67
आयरलैंड	0.34	13.13	386.18
पोलैंड	1.93	19.65	101.81
यूएसए	4.73	67.24	142.16
कनाडा	0.44	6.15	139.77
यूएई	12.21	120.63	98.80
ईरान	5.99	64.84	108.25
इराक	0.02	0.15	75.00
सऊदी अरब	1.12	10.16	90.71
ए.आर.ई.	7.15	48.39	67.68
तुर्की	0.05	0.42	84.00
अफगानिस्तान	5.54	35.8	64.62
सिंगापुर	0.13	2.70	207.69

1	2	3	4
श्रीलंका	2.47	19.80	80.16
केन्या	1.25	7.26	58.08
जापान	0.71	16.46	231.83
पाकिस्तान	3.43	20.41	59.50
आस्ट्रेलिया	2.38	47.35	198.95
अन्य देश	3.18	40.04	125.91
कुल	87.41	883.33	101.05

जनवरी से जून, 2008 में जनवरी से मार्च, 2008 तक के वास्तविक आंकड़े शामिल हैं।

[हिन्दी]

मदरसों को मुक्त विद्यालय शिक्षा से जोड़ा जाना

487. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मदरसों को मुक्त विद्यालय शिक्षा से जोड़े जाने की योजना के प्रथम चरण में बिहार को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना में शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत मदरसों के पाठ्यक्रम बदले जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) मदरसा आधुनिकीकरण की पूर्ववर्ती योजना को ग्यारहवीं योजनावधि के लिए "मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना" के रूप में नवीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के अवसर के लिए इच्छुक मदरसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा आदि विषयों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से अनुबंध कर सकते हैं।

सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों के लिए राज्य सरकारों को नवीकृत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव भेजने होंगे।

[अनुवाद]

महिला शिक्षा केन्द्र

488. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात सहित देश में निरक्षर महिलाओं के लिए राज्य-वार स्थापित किए गए महिला शिक्षा केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई; और

(ग) गुजरात सहित देश में राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई एवं उपयोग में लाई गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी किशोर बालिकाओं जो कभी स्कूल नहीं गई और जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को संग्राही, गुणवत्ता और महिला संवेदी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महिला शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार खोले गए महिला शिक्षण केन्द्रों, लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या और जारी एवं उपयोग की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	स्थापित महिला शिक्षण केन्द्रों की संख्या			लाभार्थियों की संख्या			जारी और काम में ली गई राशि (राशि लाख में)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06		2006-07		2007-08	
							जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
आंध्र प्रदेश	11	13	11	1441	1770	2112	350.00	346.14	312.00	395.00	500.00	440.77
असम	6	6	6	180	365	553	249.00	294.43	353.00	308.83	350.00	314.46
बिहार	7	9	22	1621	1969	2775	-	-	300.00	257.40	500.00	380.54
गुजरात	6	4	4	126	141	120	180.00	189.00	100.00	168.00	230.00	171.00
झारखंड	5	2	4	237	66	137	-	-	100.00	72.33	105.00	111.64
कर्नाटक	1	-	2	41	34	74	375.00	357.54	400.00	759.57	550.00	509.11
केरल	2	4	4	58	58	78	85.00	110.00	210.00	72.00	50.00	74.24
उत्तर प्रदेश	12	12	15	514	514	605	475.00	521.09	600.00	612.89	735.00	692.32
उत्तराखंड	3	6	6	67	99	180	180.00	185.85	200.00	207.03	335.00	326.06

नीलगिरी चाय

489. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दार्जिलिंग चाय की तर्ज पर नीलगिरि चाय को भौगोलिक सूचक दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में और अधिक संख्या में चाय विपणन त्यौहार आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। चाय बोर्ड ने भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत नीलगिरि परंपरागत चाय के पंजीकरण हेतु एक आवेदन दायर किया है।

(ग) और (घ) चाय के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित करने की मांग की गई है। चाय की पत्तियों और निर्मित चाय की गुणवत्ता जलवायु तथा मृदा की स्थितियों, विनिर्माण की पद्धति आदि के आधार पर चाय उत्पादक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग-अलग होती है। अपरिष्कृत चाय पत्तियों और प्रसंस्कृत चाय की कीमत, उसकी गुणवत्ता, श्रेणीकरण एवं घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग पर निर्भर होती है। ऐसी स्थिति में अपरिष्कृत चाय पत्तियों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, हरी चाय पत्ती के उत्पादकों और चाय विनिर्माताओं के बीच कीमत भागीदारी फार्मूला पहले से ही विद्यमान है, जिसके अंतर्गत दोनों को निर्मित चाय की बिक्री आय के आधार पर उचित कीमत प्राप्त होती है।

(ङ) और (च) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष नवंबर, 2007 में गुवाहाटी में किया गया था। अगले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 फरवरी, 2009 तक कोचीन में किया जाएगा। भारतीय चाय बोर्ड तथा युनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया (उपासी) द्वारा बागान एसोसिएशन की परामर्शदात्री समिति (सीसीपीए) के तत्वावधान में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

[हिन्दी]

पुष्प निर्यात

490. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य के पुष्प उत्पादों का वस्तु-वार निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इनका निर्यात बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों से पुष्प का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित पुष्पोत्पादों की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मी. टन में, मूल्य: करोड़ रुपये में)

2005-06		2006-07		2007-08*	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
35186.00	299.41	42016.60	649.83	33407.03	304.44

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस *अप्रैल-फरवरी, 2008 के लिए अनंतिम

(2) भारतीय उत्पादों के प्रमुख आयातक देशों को पुष्पोत्पादों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मी. टन में, मूल्य: करोड़ रुपये में)

	2005-06		2006-07		2007-08*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	3,384.51	56.41	8,323.46	325.53	1625.65	29.84
संयुक्त राज्य अमरीका	13,175.83	75.88	9,652.08	74.98	8883.91	66.06
नीदरलैंड	2,233.16	27.41	4,334.18	44.72	4347.82	38.59
यूनाइटेड किंगडम	3,791.80	360.85	4,297.69	36.00	3880.76	35.00
जर्मनी	2,986.43	24.33	3,848.71	30.97	3903.67	31.73
इथोपिया	55.01	3.22	36.84	11.27	1228.69	18.00
इटली	1,224.60	9.07	1,765.20	11.14	1094.98	8.15
संयुक्त अरब अमीरात	651.45	6.29	960.4	8.56	518.49	5.43
बेल्जियम	557.45	5.31	646.16	7.15	446.86	4.52
स्पेन	481.65	4.77	687.55	6.71	733.79	7.36
आस्ट्रेलिया	226.95	4.65	252.59	6.61	498.93	5.93

*अप्रैल-फरवरी, 2008 के लिए अनंतिम

(3) भारतीय उत्पादों के प्रमुख आयातक देशों को पुष्पोत्पादों के निर्यात का मद-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मी. टन में, मूल्य: करोड़ रुपये में)

	2005-06		2006-07		2007-08	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
टहनीयुक्त पुष्प एवं कलियां						
जापान	3121.79	53.51	8,188.69	288.98	1,747.73	30.99
संयुक्त अरब अमीरात	240.86	2.30	465.31	4.57	356.85	3.51
यूनाइटेड किंगडम	165.80	1.28	132.28	1.67	244.07	1.99
नीदरलैंड	297.57	3.39	911.15	4.83	998.51	1.95
अलंरण प्रयोजनों के लिए सूखे, रंजित या अन्यथा तैयार टहनीयुक्त पुष्प एवं कलियां						
संयुक्त राज्य अमेरिका	3408.48	18.16	2057.07	13.73	2891.71	16.96
जर्मनी	747.31	7.25	1565.93	11.90	1114.52	7.79
इटली	422.20	2.89	468.89	3.62	409.45	3.01
नीदरलैंड	747.46	7.11	1141.77	9.49	1356.83	13.00
यूनाइटेड किंगडम	1318.61	10.31	981.67	8.56	934.83	9.13
अलंकरण प्रयोजनों के लिए बेल बूटे, शाखाएं जो ताजी न हों तथा पौधों के पुष्प विहीन अन्य भाग						
संयुक्त राज्य अमेरिका	9363.57	51.26	7382.64	52.92	6302.31	46.85
यूनाइटेड किंगडम	2290.47	18.27	3131.58	24.74	2953.47	25.82
नीदरलैंड	1129.37	10.52	2215.16	20.06	2163.46	18.38
जर्मनी	2090.40	14.79	2176.36	16.38	3009.55	23.00
फ्रांस	2838.09	2.88	371.29	3.51	459.06	4.13
अन्य जीवित पौधे						
चीन	717.89	1.75	5.06	0.30	164.64	0.65
संयुक्त अरब अमीरात	34.47	0.86	19.60	0.23	63.63	0.73
जर्मनी	6.04	0.39	21.23	1.27	2.56	0.37
नीदरलैंड	9.33	0.7	21.67	0.55	0.60	0.11

चालू वर्ष के लिए निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा पुष्पोत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद तथा तिरूवनंतपुरम में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों की स्थापना।

(2) बंगलौर, मुम्बई, नोएडा तथा कोलकाता में थोक बाजार-सह-पुष्प नीलामी केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता।

(3) पुष्पोत्पादों हेतु एई जेडो की स्थापना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी।

(5) अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु वित्तीय सहायता के लिए अपनी स्कीमों के तहत अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता।

(6) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के तहत टहनी युक्त पुष्पों के निर्यातों पर शुल्क ऋण स्क्रिप लाभ उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अग्निशमन तथा बचाव सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

491. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अग्निशमन तथा बचाव सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है/प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 2006-07 में राज्यों से अपेक्षित कुल धनराशि 19174.04 करोड़ रुपए थी तथा 2007-08 में दो राज्यों की राशि 88.75 करोड़ थी, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता से अग्निशमन और राहत सेवाओं को सुदृढ़ करने का एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा चालू वर्ष (2008-09) के दौरान अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा पूर्वानुमानित तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि की आवश्यकता के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश		123.77			शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश			57.95		शून्य
3.	असम		104.75			शून्य
4.	बिहार		3831.90			शून्य
5.	छत्तीसगढ़					शून्य
6.	गोवा		17.45			शून्य
7.	गुजरात		164.03			शून्य
8.	हरियाणा			30.80		शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश		87.15			शून्य

1	2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू-कश्मीर		480.00			शून्य
11.	झारखंड		49.95			शून्य
12.	कर्नाटक		1169.11			शून्य
13.	केरल		92.39			शून्य
14.	महाराष्ट्र		5239.37			शून्य
15.	मध्य प्रदेश					शून्य
16.	मणिपुर		28.58			शून्य
17.	मेघालय		27.45			शून्य
18.	मिजोरम		17.85			शून्य
19.	नागालैंड		211.00			शून्य
20.	उड़ीसा		5268.20			शून्य
21.	पंजाब		320.80			शून्य
22.	राजस्थान		203.10			शून्य
23.	सिक्किम		33.91			शून्य
24.	त्रिपुरा		33.68			शून्य
25.	तमिलनाडु		499.69			शून्य
26.	उत्तर प्रदेश		493.06			शून्य
27.	उत्तराखंड		172.38			शून्य
28.	पश्चिम बंगाल		504.47			शून्य
	जोड़		19174.04	88.75		

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार समझौता

492. श्री संतोष गंगवार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एसोसिएशन आफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

24 घण्टे का मौसम संबंधी चैनल

493. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 24 घण्टे का मौसम संबंधी चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त चैनल को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या देश के सभी मौसम कार्यालयों को नेटवर्क के जरिए इस चैनल से जोड़े जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई मौसम निगरानी प्रणाली विकसित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के तहत एक विशिष्ट मौसम चैनल शुरू करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। तदनुसार, बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राइवेट पार्टनर के रूप में एक उपयुक्त प्रसारणकर्ता का चयन किया जाएगा। मौसम और जलवायु संबंधी, सभी सूचनाओं और उनके पूर्वानुमान के मूल्यांकनों को प्रसारित करने की योजना है ताकि जनता, विशिष्ट प्रयोक्ताओं और विभिन्न सेक्टरों को कवर करने वाली एजेंसियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) एक तीन चरणों वाली कार्यान्वयन नीति तैयार की जा रही है ताकि अगले वर्ष के शुरू में 6 घंटे के प्रसारण वाले चैनल को शुरू किया जा सके।

(घ) और (ङ) जी, हां। मौसम सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के तहत चल रही आधुनिकीकरण योजना के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग के सम्पूर्ण प्रेक्षण नेटवर्क और पूर्वानुमान कार्यालयों को मौसम चैनल से जोड़ने की योजना है ताकि प्रस्तावित मौसम चैनल के लिए वास्तविक समय के प्रेक्षण और पूर्वानुमान उपलब्ध हो सकें।

(च) जी, हां।

(छ) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए स्थान विशिष्ट मौसम मानीटरिंग और पूर्वानुमान प्रणाली की सहायता के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आस-पास विभिन्न प्रकार की प्रेक्षण प्रणालियों का स्तर बढ़ाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

हथियारों के लाइसेंस

494. **श्री अशोक अर्गल:**
श्री भानुप्रताप सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह हथियारों के लाइसेंस के बारे में 20 नवम्बर के अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मत्रालय को अभी तक दिल्ली से पूरे देश के लिए जारी हथियारों के लाइसेंसों की वैधता अवधि में विस्तार किए जाने के मामलों से संबंधित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या मंत्रालय को दिल्ली से पूरे देश के लिए जारी हथियारों के लाइसेंसों की वैधता अवधि में विस्तार किए जाने के संबंध में जारी अनधिकृत दिशानिर्देशों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या पूरे देश में लाइसेंसों की वैधता अवधि में विस्तार किए जाने हेतु सरकार द्वारा 1995 में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इन आरोपों की जांच की थी और यह निष्कर्ष निकाला था कि आरोप निराधार हैं और शिकायकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गृह विभाग में कदाचार या भ्रष्ट तरीके जानकारी में नहीं आए हैं। शिकायतकर्ता के मामले को अखिल

भारतीय आधार पर हथियारों के लाइसेंसों की क्षेत्रीय वैधता मंजूर किए जाने के दिशानिर्देशों के तहत शामिल किए जाने योग्य नहीं पाया गया।

(ङ) से (ज) केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हथियारों के लाइसेंसों की वैधता का विस्तार किए जाने के मामले में 1989 में जारी किए गए पहले के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कहा गया है कि वह 11.10.1995 को जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करें।

चेन्नई-बंगलौर औद्योगिक गलियारा

495. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई-बंगलौर गलियारे को एक औद्योगिक गलियारा घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित गलियारे को खोलने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) उपर्युक्त गलियारे के विकास से व्यापार में कितनी वृद्धि होने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) चेन्नई-बैंगलोर-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना अभी विचाराधीन चरण में है। चेन्नई-बंगलौर-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर संबंधी मसौदा संकल्पना दस्तावेज को तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके संशोधित किया जा रहा है।

रेलवे को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों की आपूर्ति

496. श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को भारतीय रेल से लाइनेन, वर्दी, अपहोल्स्ट्री और कुल्हड़ इत्यादि की आपूर्ति का कोई आदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त प्रत्येक मद की कितनी मात्रा का आदेश दिया गया है और भारतीय रेल द्वारा इस संबंध में विहित गुणवत्ता मानदंड, यदि कोई हैं, क्या हैं;

(ग) क्या गुणवत्ता मानदंडों और आदेश में विहित मात्रा के संदर्भ में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पास आर्डर दिए गए उत्पादों की आपूर्ति की क्षमता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को भारतीय रेलवे को समय-समय पर खादी मदों पोलीवस्त्र बैडशीट और तकिए के गिलाफों की आपूर्ति करने के आर्डर प्राप्त हुए हैं। हालांकि, केवीआईसी यह आर्डर प्रत्यक्ष रूप से पूरा नहीं करता अपितु इन्हें इसके अधीन आने वाले विभिन्न खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों के माध्यम से पूरा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान (सितम्बर 2008 तक) आपूर्ति की गई मदों का विवरण-निम्नोक्त है:

क्र.सं.	मदें	राशि (करोड़ रुपयों में)			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1.	खादी मदें	15.32	16.09	18.50	–
2.	पोली वस्त्र, बैडशीट, तकिये	2.06	6.78	7.93	4.95
3.	ग्रामोद्योग उत्पाद	1.76	1.45	–	–
4.	कुल्हड़	0.15	0.16	0.72	–
	कुल	19.29	24.48	27.15	4.95

*केवल सितम्बर, 2008 तक के आंकड़े

कुछ गुणवत्ता मानक हैं, (1) पालिएस्टर और सूती को 67:33 के अनुपात में मिलाया जाना, (2) वार्प और वेफ्ट का धागा/डीएम क्रमशः 260 प्रतिशत और 190 प्रतिशत है, (3) चौड़ाई 70 सें.मी., (4) 240 पर तीन बार धुलाई करने के बाद क्रीज रिकवरी एन्कल, और (5) कलर फास्टनेस।

(ग) और (घ) केवीआईसी मदों का प्रत्यक्ष उत्पादन/आपूर्ति नहीं करता है और इस प्रकार का उत्पादन/आपूर्ति इसके सहायता प्राप्त संस्थानों, जिनके पास रेलवे की विशिष्टताओं के अनुसार सामान की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना हैं, से प्रभावित होती हैं। केवीआईसी द्वारा इन संस्थानों को सरकारी आपूर्ति तथा साथ ही साथ आईएसआई के तहत विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार मदों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

मिनी चाय प्रसंस्करण कारखानों की स्थापना

497. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गैर-परम्परागत चाय उत्पादक क्षेत्रों में लघु और मध्यम चाय उत्पादकों के लिए मिनी चाय प्रसंस्करण कारखानों की स्थापना के लिए कोई नई योजना अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-परम्परागत चाय उत्पादक क्षेत्रों में चाय की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार ने गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण स्कीम के अंतर्गत सहायता समूहों द्वारा लघु-अति लघु कारखानों की स्थापना हेतु कुल लागत के 40 प्रतिशत की दर से सब्सिडी अनुमोदित की है। प्रसंस्करण कारखानों के आधुनिकीकरण हेतु मशीनों की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) चाय बागानों की उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से पुनर्रोपण तथा चाय की पुरानी झाड़ियों के नवीकरण हेतु वित्त पोषण करने के लिए सरकार ने विशेष प्रयोजन चाय निधि की स्थापना की है। इस स्कीम के अंतर्गत कर्जदारों के लिए लागत के 25 प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित होता है, लागत के 25 प्रतिशत का ऋण शेष प्रयोजन चाय निधि से प्रदान किया जाएगा और लागत के विशेष 25 प्रतिशत को सरकार से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्कीम के परिणामस्वरूप पैदावार में वृद्धि होने, उत्पादन लागत में कमी आने और चाय की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है जिससे उच्च कीमत प्राप्ति होगी।

झींगा मछली का निर्यात

498. श्री जुएल ओराम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश से विभिन्न किस्मों की झींगा मछलियों का देशवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में झींगा मछली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसके निर्यात में वृद्धि के मद्देनजर झींगा मछलीपालन में वृद्धि करने का है;

(ग) क्या किसी राज्य में निर्यात के प्रयोजनार्थ झींगा मछली की किसी नई किस्म का पालन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) सरकार एम्पीडा के माध्यम से हमारे जल कृषकों के लिए विभिन्न तकनीकी एवं वित्तीय सहायता स्कीमों का कार्यान्वयन करके निर्यात हेतु श्रिम्प/स्कैम्पी उत्पादन में वृद्धि हेतु तटीय राज्यों में जलकृषि के विकास पर फोकस कर रही है। एम्पीडा ने गुणवत्तायुक्त श्रिम्प के सतत उत्पादन हेतु आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में राष्ट्रीय सततजीवी जलकृषि केन्द्र (एनएसीएसए) नामक एक सोसाइटी की स्थापना भी की है। "मिशन मोड कार्य योजना" के तहत एम्पीडा श्रिम्प/स्कैम्पी की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा के तटीय राज्यों पर विशेष जोर दे रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। आरम्भ में कृषि मंत्रालय ने प्रशांत के श्रिम्प लिटोपेनियस वान्नामेई का प्रायोगिक उत्पादन करने हेतु एसपीएफ वान्नामेई अंडज शावक स्टाक के आयात के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के केवल दो फर्मों को अनुमति दी थी। इस प्रजाति के संवर्धन के परिणामों के आधार पर विचार-विमर्श एवं व्यापक

परामर्शों के पश्चात कृषि मंत्रालय ने देश में इस प्रजाति की नियमित खेती हेतु तटीय जलकृषि अधिनियम 2005 के तहत लिटोपेनियस वान्नामेई के प्रजनन, पालन एवं खेती हेतु संगरोधन संबंधी दिशानिर्देशों को हाल ही में अधिसूचित किया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (अप्रैल-अगस्त, 2008) के दौरान सफेद श्रिम्प एवं ब्लैक टाइगर के देशवार निर्यात

(मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य लाख रुपये में, डा: मिलियन अमरीकी डालर)

देश		सफेद श्रिम्प का निर्यात				ब्लैक टाइगर का निर्यात			
		अप्रैल-अगस्त 2008	2007-08	2006-07	2005-06	अप्रैल-अगस्त 2008	2007-08	2006-07	2005-06
जापान	मा	1027	3275	3349	3467	4487	11980	12735	11299
	मू	3914.73	11922.48	13899.89	13248.46	16200.61	43258.15	53965.54	40480.67
	डा	9.35	29.73	30.55	30.16	38.99	107.58	118.61	92.22
यूएसए	मा	0	2	79	114	1952	10563	11810	18440
	मू	0.00	5.53	211.43	324.15	6873.17	40197.74	51818.27	70293.12
	डा	0.00	0.01	0.47	0.74	16.54	99.91	113.60	160.23
यूरोपीय संघ	मा	714	2421	1975	2196	4387	20061	15953	11323
	मू	1578.59	5274.51	5522.63	5933.48	13411.12	62274.42	57120.44	34403.22
	डा	3.77	13.10	12.15	13.46	32.58	155.10	125.89	78.15
चीन	मा	27	47	0	51	9	171	47	251
	मू	111.111	183.83	0.00	90.48	42.43	525.18	170.86	815.74
	डा	0.26	0.44	0.00	0.21	0.11	1.31	0.38	1.87
दक्षिण पूर्व एशिया	मा	47	82	10	119	181	2233	2304	4326
	मू	184.06	306.65	25.25	379.65	603.38	7214.74	8457.15	14837.91
	डा	0.44	0.77	0.06	0.87	1.46	17.93	18.69	33.69
मध्य पूर्व	मा	181	719	544	800	415	1663	1256	922
	मू	592.74	2535.53	2051.79	3066.82	1386.59	5683.73	4758.03	3049.70
	डा	1.44	6.26	4.55	6.99	3.38	14.15	10.58	6.89
अन्य	मा	157	575	440	139	1463	9038	7558	5708
	मू	374.90	1512.77	1062.11	324.89	3981.93	26137.62	25594.58	16589.70
	डा	0.91	3.76	2.33	0.74	9.64	64.95	56.47	37.71
कुल	मा	2152	7122	6397	6886	12895	55709	51663	52269
	मू	6756.12	21741.30	22773.10	23367.93	42499.22	185291.59	201884.86	180470.04
	डा	16.17	54.07	50.10	53.18	102.69	460.94	444.22	410.76

विवरण II

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (अप्रैल-अगस्त, 2008) के दौरान स्कैम्पी एवं अन्य श्रेणियों के श्रिम्पों के देशवार निर्यात

(मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य लाख रुपये में, डा: मिलियन अमरीकी डालर)

देश		स्कैम्पी का निर्यात				अन्य श्रेणियों के श्रिम्प का निर्यात			
		अप्रैल-अगस्त 2008	2007-08	2006-07	2005-06	अप्रैल-अगस्त 2008	2007-08	2006-07	2005-06
जापान	मा	1	153	196	200	3334	11724	10143	11460
	मू	5.02	569.73	482.80	427.92	11730	31473.79	30390.51	32336.71
	डा	0.01	1.44	1.06	0.97	28	78.34	67.26	73.28
यूएसए	मा	261	643	1333	1973	4726	8322	11475	15219
	मू	1269.80	2755.22	6328.87	8464.65	18150	32392.35	49721.84	57189.55
	डा	3.10	6.83	14.02	19.24	43	80.51	109.72	129.79
यूरोपीय संघ	मा	1026	2508	3488	2942	13991	34532	34892	35171
	मू	4172.58	10264.54	15277.60	11286.15	30947	69583.93	76060.29	67890.40
	डा	10.18	25.49	33.82	25.57	74	173.45	168.82	153.85
चीन	मा	1	0	0	9	439	2372	3235	3713
	मू	5.00	0.00	0.18	24.00	985	4852.65	5762.77	5929.32
	डा	0.01	0.00	0.00	0.06	2	11.99	15.61	13.59
दक्षिण पूर्व एशिया	मा	104	384	89	177	219	926	1008	1716
	मू	378.16	1366.21	328.58	680.85	691	2604.85	2683.55	3907.16
	डा	0.92	3.38	0.73	1.56	2	6.50	5.93	8.86
मध्य पूर्व	मा	164	307	350	281	2184	4949	5222	4807
	मू	611.61	1141.17	1635.01	1256.82	5920	11902.23	12307.94	10260.02
	डा	1.50	2.83	3.64	2.83	14	29.48	27.37	23.25
अन्य	मा	252	578	672	739	2426	5995	7233	7619
	मू	966.29	2259.45	3098.93	3182.66	6315	15962.91	21871.30	20476.54
	डा	2.33	5.64	6.88	7.25	15	39.72	48.47	46.41
कुल	मा	1810	4572	6129	6321	27319	68819	73208	79705
	मू	7408.44	18356.32	27151.97	25323.05	74737	168772.71	198798.22	197989.73
	डा	18.05	45.62	60.15	57.47	179	419.99	443.18	449.02

विवरण III

प्रशीतित श्रिम्प का कुल निर्यात

(मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य लाख रुपये में, डा: मिलियन अमरीकी डालर)

देश		प्रशीतित श्रिम्प का कुल निर्यात			
		अप्रैल-अगस्त 2008	2007-08	2006-07	2005-06
जापान	मा	8848	27132	26423	26427
	मू	31850.39	87224.16	98738.74	86493.77
	डा	76.37	217.10	217.48	196.63
यूएसए	मा	6939	19531	24697	35745
	मू	26292.57	75350.84	108080.41	136271.47
	डा	63.06	187.27	237.81	310.00
यूरोपीय संघ	मा	20118	59522	56308	51632
	मू	50108.79	147397.41	153980.96	119513.25
	डा	102.88	367.14	340.68	271.03
चीन	मा	476	2589	3282	4024
	मू	1143.77	5561.66	5933.81	6859.54
	डा	2.78	13.74	15.99	15.73
दक्षिण पूर्व एशिया	मा	552	3024	3411	6338
	मू	1856.4	11492.45	11494.53	19805.57
	डा	4.47	28.58	25.41	44.98
मध्य पूर्व	मा	2944	7638	7372	6810
	मू	8511.16	21262.66	20752.77	17633.36
	डा	20.66	52.71	46.14	39.96
अन्य	मा	4298	16187	15903	14205
	मू	11637.69	45872.75	51626.92	40573.78
	डा	28.13	114.08	114.15	92.10
कुल	मा	44176	136223	137397	145180
	मू	131400.85	394161.92	450608.15	427150.75
	डा	316.35	980.62	997.65	970.43

राज्यों की सीमाओं पर माओवादियों का खतरा

499. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवादी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को अपना लक्ष्य बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) माओवादी अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को बदलते रहे हैं जो कि मुख्यता प्रतिकूल भूभागों और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित कुछ राज्यों की सीमाओं के साथ फैला हुआ है।

संबंधित राज्य सरकारें नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों द्वारा उनके प्रयासों और संसाधनों में सहायता प्रदान कर रही है जिसमें शामिल है केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करना जो संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति, राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने में सहायता करना, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, ढांचागत सुविधाओं में जटिल कमियों को दूर करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना और विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विकास कार्यों में अंतर-राज्यीय समन्वय और सहायता प्रदान करना।

राहत हेतु भेजे गए खाद्यान्नों की चोरी

500. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 2008 में बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत के लिए भेजी गई खाद्य वस्तुओं की बड़े पैमाने पर लूट और चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो जांच के उपरान्त उक्त समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने और राहत सामग्री जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत के लिए भेजी गई खाद्य वस्तुओं की बड़े पैमाने पर लूट और चोरी की कोई शिकायत नहीं मिली है। बिहार सरकार ने सूचित किया कि अब तक ऐसी किसी घटना की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दाखिला हेतु प्रवेश परीक्षा

501. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ राज्यों द्वारा इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्रों के दाखिले हेतु स्वयं प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु एकरूपता लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) जी, हां। कई राज्य अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के दाखिले हेतु स्वयं प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हालांकि प्रत्येक

वर्ष कुछ केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टीज) इत्यादि में दाखिले हेतु अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का प्रयोग कुछ राज्यों द्वारा अपने तकनीकी संस्थाओं में दाखिले हेतु, कई समविश्वविद्यालयों द्वारा और राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय संस्थाओं में अन्य राज्यों/संघ शासित राज्यों के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित सीटों पर दाखिले के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

छात्रावास खोलना

502. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री महावीर भगोरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में लड़के और लड़कियों के छात्रावासों को चलाने के लिए आबंटित की गई धनराशि का पृथक-पृथक राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें अनुदान दिए जाने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) देश के विभिन्न पिछड़े जिलों में नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए खोले जाने वाले प्रस्तावित छात्रावासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 500 छात्रावास खोले जाने संबंधी कोई योजना, योजना आयोग के पास लम्बित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन छात्रावासों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न लक्षित समूहों हेतु बालक तथा बालिका छात्रावास संचालित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा निधियां आबंटित की जाती है। इस प्रकार आबंटित निधियों के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) भारत सरकार ने हाल ही में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों हेतु बालिका छात्रावासों की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत 3500 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में 100 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास खोले जाने हैं।

(घ) से (च) दूसरे चरण में 500 प्रस्तावित माडल स्कूलों में छात्रावासों के निर्माण का एक प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया है। इस संख्या का कोई राज्य-वार ब्यौरा नहीं है। दूसरे चरण के कार्यकलापों हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम

503. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मंदबुद्धि बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित, आबंटित की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यान्वयन की अवसंरचना में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऐसे बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों में 1200/- रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रमों में अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ विकलांगता की श्रेणी के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान, उनका कार्यात्मक तथा औपचारिक चिकित्सा मूल्यांकन, स्कूलों, गृह आधारित शिक्षा अथवा सेतु पाठ्यक्रमों में यथोचित शैक्षिक नियोजन, व्यक्ति विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं तैयार करना, सहायक सामग्री तथा उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, निर्माण संबंधी अवरोधों तथा रैम्प आदि को हटाना एवं अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जून, 2008 तक) के दौरान समावेशी शिक्षा के लिए राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष (जून, 2008 तक) सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा पर किया गया खर्च

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06 व्यय	2006-07 व्यय	2007-08 व्यय	2008-09 व्यय जैसा कि 30.6.08 तक सूचित किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.04	0.57	0.19	उपलब्ध नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	412.46	उपलब्ध नहीं	371.03	56.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	11.83	63.22	4.2	उपलब्ध नहीं
4.	असम	232.24	उपलब्ध नहीं	564.01	उपलब्ध नहीं
5.	बिहार	368.47	उपलब्ध नहीं	622.76	उपलब्ध नहीं
6.	चंडीगढ़	0.01	4.43	34.32	4.42
7.	छत्तीसगढ़	123.94	उपलब्ध नहीं	180.09	उपलब्ध नहीं
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9.	दमन और दीव	0.00	0.70	0.15	उपलब्ध नहीं
10.	दिल्ली	12.00	20.57	40.02	उपलब्ध नहीं
11.	गोवा	9.34	उपलब्ध नहीं	4.74	उपलब्ध नहीं
12.	गुजरात	502.33	792.14	614.81	44.44
13.	हरियाणा	373.77	294.44	226.14	7.18
14.	हिमाचल प्रदेश	310.02	303.10	198.77	3.21
15.	जम्मू-कश्मीर	132.00	उपलब्ध नहीं	178.26	उपलब्ध नहीं
16.	झारखंड	53.56	40.73	102.3	2.04
17.	कर्नाटक	982.30	0.00	1468.05	209.75
18.	केरल	688.34	864.98	1166.97	50.47
19.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.11	उपलब्ध नहीं
20.	मध्य प्रदेश	549.78	उपलब्ध नहीं	208.91	18.71
21.	महाराष्ट्र	1054.67	5010.59	2273.23	139.84

1	2	3	4	5	6
22.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	17.55	उपलब्ध नहीं
23.	मेघालय	उपलब्ध नहीं	10.62	102.86	1.9
24.	मिजोरम	40.75	57.03	62.32	उपलब्ध नहीं
25.	नागालैंड	2.79	13.40	37.85	0.99
26.	उड़ीसा	722.67	828.02	1056.6	उपलब्ध नहीं
27.	पाण्डिचेरी	8.67	18.60	40.09	2.5
28.	पंजाब	459.50	178.24	310.15	14.26
29.	राजस्थान	402.91	1682.78	1460.29	उपलब्ध नहीं
30.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31.	तमिलनाडु	1016.46	947.46	1300.82	28.64
32.	त्रिपुरा	74.57	उपलब्ध नहीं	15.1	उपलब्ध नहीं
33.	उत्तर प्रदेश	2699.16	2212.47	2221.97	338.92
34.	उत्तराखण्ड	170.26	313.73	173.55	उपलब्ध नहीं
35.	पश्चिम बंगाल	625.97	867.66	874.08	105.4

[हिन्दी]

एन.आई.टी. में दाखिला

504. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसमें दाखिले का प्रमुख आधार मैरिट है, में दाखिले संबंधी शिकायतों के मद्देनजर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा के परिणामों के आधार पर किए जाते हैं। किसी भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 50 प्रतिशत सीटें, जिस राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है उस राज्य के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाती हैं। वर्ष 2007 तक शेष 50 प्रतिशत सीटें अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आबंटित सीटों के अनुसार, उन राज्यों के पात्र अभ्यर्थियों में से भरी जाती हैं। वर्ष 2008 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की शेष 50 प्रतिशत, सीटों पर दाखिला, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त अभ्यावेदनों से पता चलता है कि उन राज्यों/संघ शासित प्रदेश जिनमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं हैं या जो शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, छात्रों को, वर्ष 2008 में जारी दाखिला दिशानिर्देशों में परिवर्तन को देखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के अवसर नहीं मिलेंगे।

इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007-2008 में प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए विनिर्दिष्ट सीटों के स्थान पर उन पर छात्रों द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भरी गई सीटों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए पुनरीक्षण किया गया था। तदनुसार तेरह (13) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 475 अतिरिक्त सीटें सृजित की गई

थीं ताकि कमी को दूर किया जा सके। अन्य तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त 10 तथा 45 डिग्री स्तरीय सीटें क्रमश: जम्मू व कश्मीर तथा त्रिपुरा को भी आबंटित की गई थी।

[अनुवाद]

कैदियों को सुधारना

505. श्री रनेन बर्मन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जेलों में निचले स्तर कर्मचारियों की पेशेवर ढांचागत प्रशिक्षण की कमी के कारण कैदियों की सुधार प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जेल के कर्मचारियों की मदद करने के मद्देनजर राज्य सरकारों को समुचित व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने और वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान।

जेल कर्मियों को प्रशिक्षण देना और इससे भी अधिक कैदियों में सुधार प्रक्रिया करना जेल प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। चूंकि जेल ''राज्य'' का विषय है इसलिए कैदियों के पुनर्वास और पुनरुद्धार के उपायों के कार्यान्वयन सहित जेल प्रबंधन में सक्रिय कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने निम्न स्तर के जेल कर्मियों को अपेक्षित प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं।

वेल्लूर, तमिलनाडु में एक सुधारात्मक प्रशासन संस्थान है जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नामक दक्षिणी राज्यों के जेल कर्मियों को प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चण्डीगढ़ का प्रबंधन कर रही है जो समग्र देश के विभिन्न जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। यह संस्थान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर के जेल कार्मिकों को नियमित/आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान चण्डीगढ़ पूरी तरह से भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त है।

[हिन्दी]

अमरनाथ श्राइन बोर्ड विवाद

506. श्री पंकज चौधरी:
श्री संतोष गंगवार:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्रीमती करुणा शुक्ला:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि अंतरित किए जाने संबंधी विवाद के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस विवाद के प्रत्युत्तर में हिंसक घटनाएं हुई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त हिंसा में कितने पत्रकार/नागरिक/पुलिस के जवान घायल हुए और मारे गए; और

(घ) सरकार द्वारा घायल और मारे गए लोगों को मुआवजा देने और इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने 26 मई, 2008 के आदेश के तहत बताल डोमेल क्षेत्र की लगभग 40 हेक्टेयर (800 कनाल) वन भूमि को अमरनाथ यात्रियों को सुविधाएं दिलाने और उनके लिए अस्थाई ढांचे बनाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) को देने का अनुमोदन किया। राज्य सरकार के इस आदेश से उक्त आदेश को लागू करने तथा उसके वास्तविक प्रयोजन के बारे में आशंका एवं दुर्भावना फैल गई जिसका पृथकतावादी तत्वों ने यह दुष्प्रचार करने के लिए प्रयोग किया कि उपर्युक्त आदेश से उस जमीन पर स्थायी ढांचे बनाने और घाटी की जनसांख्यकीय स्थिति में परिवर्तन करने के इरादे से उसे एसएएसबी को स्थाई रूप से अन्तरित कर दिया गया है इसी वजह से कश्मीर घाटी में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ एवं अशांति फैल गई जिसके परिणाम स्वरूप कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई तथा पुलिस के साथ संघर्ष हुआ।

इस विवाद को हल करने के लिए, राज्यपाल (जोएसएएसबी के पदेन अध्यक्ष हैं) ने अमरनाथ यात्रियों को सुविधाओं का

प्रावधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया शुरू की। इन चर्चाओं एवं परामर्शों के आलोक में राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी 1 जुलाई, 2008 को आयोजित बैठक में धार्मिक पहलुओं (जोएसएएसबी पर छोड़ दिया गया) को छोड़कर यात्रा के लिए सभी व्यवस्था पर्यटन विभाग के जरिए कराने का संकल्प लिया और दिनांक 26.5.2008 के आदेश को वापस लेने का निश्चय किया।

जमीन देने के आदेश को निरस्त करने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय से श्री अमरनाथ जी यात्रा संघर्ष समिति (एसएवाईएसएस) के नेतृत्व में जम्मू क्षेत्र में व्यापक विरोध और आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में बंद और हड़ताल, पुलिस के साथ झड़पें और मुकाबला हुआ जिससे जन-जीवन को क्षति तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जम्मू क्षेत्र के विभिन्न शहरों में कर्फ्यू लगाया गया तथा घाटी में विशेषकर फलों के माल एवं उत्पादों को बाहर ले जाने तथा घाटी में बाहर से माल की आपूर्ति एवं आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। हालांकि सरकार ने राज्य मार्गों पर माल एवं यातायात का आवागमन सुनिश्चित कराने के कड़े उपाय किये परन्तु घाटी में अलगाव-वादी तत्वों ने, इन अस्थायी अवरोधों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने व्यापक प्रचार किया तथा घाटी में कथित "आर्थिक ब्लाकेज" का विरोध किया इससे कश्मीर घाटी में आंदोलन एवं व्यापक विरोध की पुनर्बहाली हुई तथा भारी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झड़पें हुई तथा विरोध किया गया, जनजीवन एवं संपत्ति को क्षति हुई।

केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई तत्पश्चात् विभिन्न पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए विभिन्न पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को हल करने पर एक सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर का दौरा किया। राज्य सरकार के स्तर पर राज्यपाल ने इस विवाद को हल करने तथा हालात को काबू में लाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की तथा एसएवाईएसएस को चर्चा के लिए आंमत्रित किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एसएवाईएसएस के साथ वार्ता करने के लिए एक सलाहकार के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय समिति गठित की। इन वार्त्ताओं, इस मुद्दे पर दिनांक 30/31.8.2008 को करार हुआ इस करार के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया गया कि राज्य सरकार बालताल और डोमैल क्षेत्र के 800 कनाल भूभाग को अन्य रूप से एसएएसबी के उपयोग के लिए अलग रखेगी, जिसे परम्परागत रूप से वार्षिक यात्रा उद्देश्य से प्रयोग किया जाता था, उस भूमि की स्वामित्व स्थिति/मालीकत्व/स्वत्वधिकार में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा और बोर्ड यात्रा अवधि के दौरान (जिनमें अपेक्षित व्यवस्था करना और उसे हटाना भी शामिल है) उक्त भूमि का उपयोग करेगा। इस मामले पर विविध अन्य पदाधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया गया। इस करार के उपरांत आंदोलन वापस ले लिया गया।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार आंदोलन के दौरान जम्मू-कश्मीर के दो प्रान्तों में 51 सिविलियन मारे गए। इस आंदोलन के दौरान कोई पुलिस कर्मी अथवा पत्रकार नहीं मारा गया। इस आंदोलन के दौरान 1473 सिविलियन, 333 पुलिस/पीएमएफ कार्मिक तथा 10 प्रेस मैन घायल हुए थे। राज्य सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर दोनों संभागों से संबंधित मुद्दों पर सभी क्षति पूर्ति का निराकरण करने के लिए एक कार्यसमूह का गठन किया है।

ड्यूटी एनटाइटलमेन्ट पास बुक स्कीम

507. श्री मो. ताहिर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्यूटी एनटाइटलमेन्ट पास बुक स्कीम (डीईपीबी) को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 4 जून, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह निर्यात प्रोत्साहन उपाय देश में सीमेन्ट के मूल्यों को प्रभावित कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त स्कीम को बंद किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) निर्यात एवं मुद्रास्फीति कम करने के एक उपाय के रूप में सीमेंट हेतु डीईपीबी दर को दिनांक 27.03.2008 की सार्वजनिक सूचना सं. 130 द्वारा 27.03.2008 से वापस ले लिया गया है।

एफएम रेडियो सेवा

508. श्री वी.के. थुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक भागों में एफएम रेडियो सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात के अमरेली क्षेत्र सहित ऐसे स्थानों पर एफएम सेवा शुरू करने का है, जहां पर यह सेवा उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। इस समय देश में आकाशवाणी के केवल 171 एफएम ट्रांसमीटर कार्यशील हैं जोकि देश के केवल 24.56 प्रतिशत और 35.76 प्रतिशत आबादी को कवर करते हैं। कवरेज का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 241 निजी एफएम चैनल भी देश के विभिन्न भागों में कार्यशील हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। देश में एफएम कवरेज में सुधार लाने के लिए आकाशवाणी के मौजूदा 27 एफएम स्टेशनों के उन्नयन और 151 नए एफएम स्टेशनों के प्रतिष्ठापन (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 वाट के 100 एफएम ट्रांसमीटरों सहित) का अनुमोदन कर दिया गया है। इस समय, निधियों और जनशक्ति के अभाव के कारण अमरेली, गुजरात में आकाशवाणी एफएम सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण के विस्तार के संबंध में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटरों की मौजूदा राज्यवार कवरेज

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र %	आबादी % (2001 जनगणना)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23.76	26.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.86	10.97
3.	असम	36.83	38.05
4.	बिहार	20.5	19.38
5.	छत्तीसगढ़	9.1	13.8
6.	गोवा	90	90
7.	गुजरात	14.93	36.9
8.	हरियाणा	39.5	38.85
9.	हिमाचल प्रदेश	48.91	88.03
10.	जम्मू-कश्मीर	10.5	63.1
11.	झारखंड	35.09	36.02
12.	कर्नाटक	25.63	36.36
13.	केरल	41.57	45.85
14.	मध्य प्रदेश	23.74	28
15.	महाराष्ट्र	24.3	44.15
16.	मणिपुर	42.13	65.62
17.	मेघालय	46.32	48.12
18.	मिजोरम	45.71	58.14
19.	नागालैंड	41.75	43.38
20.	उड़ीसा	13.74	17.76
21.	पंजाब	55.44	59.97
22.	राजस्थान	25.36	31.55
23.	सिक्किम	1.05	2.45
24.	तमिलनाडु	53.67	62.41
25.	त्रिपुरा	72.89	86.19
26	उत्तर प्रदेश	16.2	22.04
27.	उत्तराखंड	30.08	46.43
28.	पश्चिम बंगाल	29.49	41.9
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36.3	28

1	2	3	4
2.	चंडीगढ़	99	99
3.	दादरा और नगर हवेली	20	26.77
4.	दिल्ली	90	98.9
5.	दमन और दीव	64.28	61
6.	लक्षद्वीप एवं मिनीकाय द्वीपसमूह	0	0
7.	पुडुचेरी	92.07	93.52
	राष्ट्रीय कवरेज	24.56	35.76

कश्मीर से पलायन

509. **श्री कीरेन रिजीजु:**
श्री अनन्त नायक:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलगाववादियों से मिल रही धमकियों के कारण बड़ी संख्या में लोग कश्मीर घाटी से पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में घाटी से कितने लोगों ने पलायन किया है; और

(ग) सरकार द्वारा घाटी से लोगों के ऐसे पलायन को रोकने और कश्मीरी पंडितों सहित पलायन कर चुके लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अलगाववादियों से मिली धमकियों के कारण कश्मीर घाटी से बड़ी संख्या में लोगों के पलायन किए जाने की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न समुदायों के 21 परिवारों ने कश्मीर घाटी से पलायन किया है और राहत आयुक्त, जम्मू में उन्हें दर्ज कर दिया गया है।

(ग) आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा की गई ठोस कार्रवाई के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तथापि, आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के आबादी वाले क्षेत्रों सहित सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बल की पिकेटों और गश्तों की तैनाती करके सुरक्षा व्यवस्थायें की गई हैं।

जम्मू और कश्मीर सरकार, 1000/- रुपए प्रति व्यक्ति मासिक की दर से नकद सहायता के रूप में प्रवासियों को राहत प्रदान करती है जो 4000/- रुपए प्रति परिवार की अधिकतम सीमा और मुफ्त राशन के अध्यधीन है जिसमें एक कि.ग्रा. चीनी प्रति परिवार मासिक के अतिरिक्त 9 कि.ग्रा. चावल और 2 कि.ग्रा. आटा प्रति व्यक्ति मासिक शामिल है। जिन परिवारों का पलायन नब्बे के दशक के शुरू में हुआ है और जो जम्मू के शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए रहने की बेहतर स्थिति प्रदान करने हेतु जगति और नगरोरा तथा अन्य स्थानों पर बनाए जाने वाले 5242 नए फ्लैटों में से 1024 फ्लैटों का निर्माण कर दिया गया है और 4218 फ्लैट निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, प्रवासियों की स्थाई वापसी और उनके पुनर्वास को सुकर बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 2008 में 1618.00 करोड़ रुपए के एक पैकेज की घोषणा की है जिसमें बेरोजगार प्रवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उपायों के अतिरिक्त वित्तीय सहायता, मकानों का निर्माण/पुनरुद्धार, बागवानी/कृषि कार्यों को शुरू करना, आय अर्जित करने वाली इकाइयां स्थापित करना और प्रवास से पहले के ऋणों पर ब्याज माफ करना शामिल है।

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने 26 मई, 2008 के आदेश के तहत बताल डोमेल क्षेत्र की लगभग 40 हेक्टेयर (800 कनाल) वन भूमि को अमरनाथ यात्रियों को सुविधाएं दिलाने और उनके लिए अस्थाई ढांचे बनाने के लिए श्री अमरनाथ शाइन बोर्ड (एसएएसबी) को देने का अनुमोदन किया। राज्य सरकार के इस आदेश से उक्त आदेश को लागू करने तथा उसके वास्तविक प्रयोजन के बारे में आशंका एवं दुर्भावना फैल गई जिसका पृथकतावादी तत्वों ने यह दुष्प्रचार करने के लिए प्रयोग किया कि उपर्युक्त आदेश से उस जमीन पर स्थायी ढांचे बनाने और घाटी की जनसांख्यकीय स्थिति में परिवर्तन करने के इरादे से उसे एसएएसबी को स्थाई रूप से अन्तरित कर दिया गया है इसी वजह से कश्मीर घाटी में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ एवं अशांति फैल गई जिसके परिणामस्वरूप कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई तथा पुलिस के साथ संघर्ष हुआ।

इस विवाद को हल करने के लिए, राज्यपाल (जो एसएएसबी के पदेन अध्यक्ष हैं) ने अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने

की प्रक्रिया शुरू की। इन चर्चाओं में परामर्शों के आलोक में राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी 1 जुलाई, 2008 को आयोजित बैठक में धार्मिक पहलुओं (जो एस ए एस बी पर छोड़ दिया गया) को छोड़कर यात्रा के लिए सभी व्यवस्था पर्यटन विभाग के जरिए कराने का संकल्प लिया और दिनांक 26.5.2008 के आदेश को वापस लेने का निश्चय किया।

जमीन देने के आदेश को निरस्त करने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय से श्री अमरनाथ जी यात्रा संघर्ष समिति (एसएवाईएसएस) के नेतृत्व में जम्मू क्षेत्र में व्यापक विरोध और आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में बंद और हड़ताल, पुलिस के साथ झड़पें और मुकाबला हुआ जिससे जन-जीवन को क्षति तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जम्मू क्षेत्र के विभिन्न शहरों में कर्फ्यू लगाया गया तथा घाटी से विशेषकर फलों के माल एवं उत्पादों को बाहर ले जाने तथा घाटी में बाहर से माल की आपूर्ति एवं आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। हालांकि सरकार ने राज्य मार्गों पर माल एवं यातायात का आवागमन सुनिश्चित कराने के कड़े उपाय किये परन्तु घाटी में अलगाव-वादी तत्वों ने, इन अस्थायी अवरोधों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने व्यापक प्रचार किया तथा घाटी में कथित "आर्थिक ब्लाकेज" का विरोध किया इससे कश्मीर घाटी में आंदोलन एवं व्यापक विरोध की पुनर्बहाली हुई तथा भारी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झड़पें हुई तथा विरोध किया गया, जनजीवन एवं संपत्ति को क्षति हुई।

केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई तत्पश्चात् विभिन्न पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए विभिन्न पार्टियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे को हल करने पर एक सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर का दौरा किया। राज्य सरकार के स्तर पर राज्यपाल ने इस विवाद को हल करने तथा हालात को काबू में लाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की तथा एसएवाईएसएस को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एसएवाईएसएस के साथ वार्ता करने के लिए एक सलाहकार के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय समिति गठित की। इन वार्ताओं इस मुद्दे पर दिनांक 30/31.8.2008 को करार हुआ। इस करार के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया गया कि राज्य सरकार बालताल और डोमैल क्षेत्र के 800 कनाल भूभाग को अन्य रूप से एसएएसबी के उपयोग के लिए अलग रखेगी, जिसे परम्परागत रूप से वार्षिक यात्रा उद्देश्य से प्रयोग किया जाता था, उस भूमि की स्वामित्व स्थिति/मालीकत्व/स्वत्वधिकार में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा और बोर्ड यात्रा अवधि के दौरान (जिनमें अपेक्षित व्यवस्था करना और उसे हटाना भी शामिल है) उक्त भूमि का उपयोग करेगा। इस मामले पर विविध अन्य पदाधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया गया। इस करार के उपरांत आंदोलन वापस ले लिया गया।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार आंदोलन के दौरान जम्मू कश्मीर के दो प्रान्तों में 51 सिविलियन मारे गए। इस आंदोलन के दौरान कोई पुलिस कर्मी अथवा पत्रकार नहीं मारा गया। इस आंदोलन के दौरान 1473 सिविलियन, 333 पुलिस/पीएमएफ कार्मिक तथा 10 प्रेस मैन घायल हुए थे। राज्य सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर दोनों संभागों से संबंधित मुद्दों पर सभी क्षति पूर्ति का निराकरण करने के लिए एक कार्यसमूह का गठन किया है।

[अनुवाद]

भेषज कंपनियों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

510. मो. मुकीम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज कंपनियों विशेषकर मैसर्स कैडिला हैल्थ केयर, लूपिन एंड निकोलस पीरामल को सीएसआईआर की न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलाजी लीडरशिप इनिशिएटिव स्कीम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीएसआईएआर ने लूपिन को टीबी रोधी नया मालिक्यूल विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये भी प्रदान किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन भेषज कंपनियों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। सीएसआईआर की नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल योजना के अंतर्गत मैसर्स कैडिला हैल्थ केयर और मैसर्स निकोल पीरामल जैसी फार्मा कंपनियों को किसी प्रकार की निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तथापि, मैसर्स लूपिन लिमिटेड को दो परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए 26.60 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण उपलब्ध कराया गया है। इनमें से एक परियोजना टीबी-रोधी मालिक्यूल तथा टीबी-रोधी औषधियों के ड्राई पाउडर इन्हेलेशन (डीपीआई) डिलीवरी के विकास से संबंधित तथा दूसरी परियोजना सोरायटिक-रोधी सूत्रण के विकास से संबंधित है।

(ख) जी नहीं। सीएसआईआर ने टीबी-रोधी नए मालिक्यूल का विकास करने के लिए मैसर्स लूपिन को 50 करोड़ रुपये उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसने टीबी-रोधी नए मालिक्यूल तथा टीबी-रोधी औषधियों के ड्राई पाउडर इन्हेलेशन (डीपीआई) डिलीवरी के विकासार्थ सुलभ ऋण के रूप में केवल 12.29 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

(ग) नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) परियोजनाओं का नियमित रूप से मानीटरन किया जाता है और भागीदारों से प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नवत है:-

सोरायसिस हेतु एकल पादप आधारित ओरल सूत्रण के वर्तमान में चरण-3 के क्लिनिकल परीक्षण चल रहे हैं। क्षय रोग के मामले में नए मालिक्यूल ने चरण-1 के क्लिनिकल अध्ययन पूरे कर लिए हैं और चरण-2 के क्लिनिकल अध्ययनों में प्रवेश करने के लिए नियामक प्राधिकरणों से स्वीकृति मिलना प्रतीक्षित है। टीबी-रोधी औषधियों की ड्राई पाउडर इन्हेलेसन डिलीवरी संबंधी प्री-क्लिनिक अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं और जल्द ही अन्वेषणात्मक नई औषधि (आईएनडी) आवेदन फाइल किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरा

511. श्री के.एस. राव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में परमाणु प्रतिष्ठानों, पत्तनों, तेल शोधनशालाओं इत्यादि सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमलों की धमकी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आतंकी गतिविधियों के आलोक में ऐसे हमलों की धमकी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इन तथ्यों को प्रकट करना जनहित में नहीं है।

(ग) सरकार ने इस प्रकार के हमलों से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा जनहित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

विदेशी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

512. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:
श्री महेश कनोडीया:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के सहयोग से विदेशी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की अनुमति संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में उचित विनियम बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार, इसे भारत में शिक्षा प्रदान करने वालों से विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए 56 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। छः संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा छः विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी होने के कारण, वर्ष 2004 से उन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक शोध कार्यक्रमों हेतु समझौता ज्ञापन संपन्न करने की अनुमति दी गई है और इस संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) और (ग) इस समय, भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश एवं संचालन हेतु केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ही विनियम तैयार किए हैं जिन्हें वर्ष 2005 में आखिरी बार संशोधित किया गया था। भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रदेश एवं संचालन को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में खामियां

513. श्री भरहरि महतो: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान कानूनों में खामियों के कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी अदालतों में दंडित नहीं हो पाते;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार के मामलों में दोषसिद्ध दर क्या रही है;

(ग) क्या समयबद्ध सुनवाई तथा दोषसिद्ध दर बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कानूनों में सुधार संबंधी सुझाव देने हेतु सरकार अथवा सामाजिक संगठनों द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में वर्ष 2005 से 2007 के दौरान महिलाओं से संबंधित कुल 155553, 164765 और 185312 मामले रिपोर्ट किए गए थे। आपराधिक न्याय प्रणाली पर मालीमथ समिति, आपराधिक न्याय संबंधी मसौदा राष्ट्रीय नीति पर माधव मेनन समिति नामक कई समितियों ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया और सभी आपराधिक कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए विभिन्न उपाय सुझाए हैं ताकि महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को त्वरित एवं सामर्थ्ययोग्य न्याय उपलब्ध हो सके। वर्ष 2005 से 2007 के दौरान महिलाओं पर किए गए अपराधों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्ज किए गए मामले, दोषसिद्ध मामले और दोषसिद्धि दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-2007 के दौरान महिलाओं पर किए गए अपराधों के पंजीकृत मामले, दोषसिद्ध मामले और दोषसिद्धि दर

क्र.सं.	राज्य	2005			2006			2007*		
		रिपोर्ट किए गए मामले	दोषसिद्ध	दोषसिद्धि दर	रिपोर्ट किए गए मामले	दोषसिद्ध	दोषसिद्धि दर	रिपोर्ट किए गए मामले	दोषसिद्ध	दोषसिद्धि दर
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	20819	5353	40.1	21484	3579	33.1	24738	3911	29.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	38	56.7	168	16	41.0	185	16	48.5
3.	असम	6027	524	19.4	6801	692	22.4	6844	821	22.8
4.	बिहार	6019	626	18.2	6740	801	19.9	7548	764	18.7
5.	छत्तीसगढ़	3599	1085	37.1	3757	881	42.3	3775	580	29.2
6.	गोवा	121	47	64.4	96	29	50.9	80	10	27.8
7.	गुजरात	6343	345	11.1	7279	276	9.5	8260	298	9.4
8.	हरियाणा	4161	741	32.2	4617	791	36.4	4645	636	28.5
9.	हिमाचल प्रदेश	793	73	10.3	792	69	15.4	1018	53	11.3
10.	जम्मू-कश्मीर	2144	104	9.5	2432	170	14.2	2521	123	11.6
11.	झारखंड	2544	475	22.7	2979	629	24.8	3317	829	30.9
12.	कर्नाटक	6057	1238	24.9	6084	716	15.9	6569	685	16.1
13.	केरल	6762	461	12.9	7554	617	14.1	7837	470	9.3
14.	मध्य प्रदेश	14529	3301	32.1	14321	3705	38.8	15370	3737	36.6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	13370	616	7.5	14452	584	8.1	14924	597	8.1
16.	मणिपुर	140	0	0.0	171	3	75.0	188	1	12.5
17.	मेघालय	131	4	26.7	176	7	20.6	172	16	53.3
18.	मिजोरम	95	29	72.5	125	209	94.6	151	84	89.4
19.	नागालैंड	37	34	51.5	43	26	96.3	32	38	95.0
20.	उड़ीसा	6249	377	12.8	6825	535	16.2	7304	547	17.2
21.	पंजाब	1969	224	24.6	2242	276	27.3	2694	274	27.3
22.	राजस्थान	11657	2383	43.8	12934	2719	44.0	14270	2446	44.3
23.	सिक्किम	62	6	37.5	47	3	42.9	55	2	18.2
24.	तमिलनाडु	8648	4630	57.2	6489	2923	49.5	7811	2116	41.5
25.	त्रिपुरा	840	111	21.1	964	106	23.2	1067	133	16.2
26.	उत्तर प्रदेश	14875	6484	59.5	16375	6800	58.7	20993	6918	56.5
27.	उत्तराखंड	786	183	48.4	1038	207	50.0	1097	329	56.8
28.	पश्चिम बंगाल	11887	812	18.1	12785	1001	15.3	16544	467	9.4
	राज्य	150814	30304	32.7	159770	28370	31.3	180009	26901	28.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	1	14.3	36	1	12.5	56	3	27.3
30.	चंडीगढ़	205	12	21.1	224	24	26.7	230	28	28.3
31.	दादरा और नगर हवेली	24	0	0.0	32	2	18.2	18	1	7.7
32.	दमन और दीव	10	0	0.0	9	1	16.7	11	1	20.0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	4351	473	24.2	4544	565	30.9	4804	646	33.6
34.	लक्षद्वीप	0	0	–	1	–	ज्ञ	5	0	ज्ञ
35.	पुडुचेरी	127	36	55.4	149	135	56.5	179	32	40.0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	4739	522	24.7	4995	628	31.3	53.03	711	33.4
	कुल अखिल भारत	155553	30826	32.5	164765	28998	31.3	185312	27612	29.0

स्रोत: भारत में अपराध *अनंतिम आंकड़े नोट: पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों में विगत वर्षों से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

आई एस आई की गतिविधियां

514. **श्री उदय सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटर सर्विसेस इंटीलीजेंस (आई एस आई) ने देश के उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में अपना नेटवर्क स्थापित कर लिया है तथा वह देश में परमाणु, जैविक तथा रासायनिक हथियारों से तोड़-फोड़ की गतिविधियां चलाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां आई एस आई द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं तथा वे शहर कौन-कौन से हैं, जहां उन्होंने सितम्बर 2008 तक हमले किए हैं; और

(घ) देश में आई एस आई की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) समय-समय पर पकड़े गए आतंकवादियों द्वारा किए गए रहस्योदघाटन से पता चलता है कि आई एस आई और पाकिस्तान में आधारित विभिन्न आतंकी समूहों के मध्य गठजोड़ सर्व विदित है और सुनियोजित है। सूचना से पता चलता है कि पाकिस्तान आधारित समूहों के दक्षिणी भारत सहित देश के विभिन्न भागों के दक्षिणी भारत सहित देश के विभिन्न भागों में संवेदनशील प्रतिष्ठानों, सुविधा स्थलों आदि को लक्ष्य बनाकर भारत में समस्या उत्पन्न करने के सतत इरादे हैं।

(ग) हाल ही में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में की गई जांच और अन्वेषण से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के राज्यों में आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त तत्वों की आई एस आई के साथ सांठगांठ का पता चलता है। आतंकवादियों द्वारा देश में परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की विशिष्ट धमकी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि सरकार भविष्य में इस प्रकृति की ऐसी सम्भावित धमकियों से अवगत है और इस बारे में सतर्क है।

(घ) सरकार आई एस आई की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सुसमन्वित और बहु आयामी दृष्टिकोण अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है; घुसपैठ और अवैध सीमा पार की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए सीमाओं पर सतर्कता को सुदृढ़ करना, पाकिस्तानी एजेंटों को रोकने के लिए आसूचना मशीनरी को दुरस्त करना, आतंकवादियों तथा आई एस आई/राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजना को निष्क्रिय करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों का विभिन्न एजेंसियों के बीच निकट सम्पर्क और समन्वय स्थापित करना, राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन

515. श्री पी. करूणाकरन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन हेतु अर्हता के लिए किन-किन हमलों तथा संघर्षों की पहचान की गई है;

(ख) देश में राज्यवार कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं बढ़ाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन, नकद पुरस्कार आदि मंजूर करने के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त आंदोलनों, विद्रोहों, हड़तालों और षडयंत्रों आदि की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना शुरू किए जाने से लेकर 30.9.2008 तक सरकार ने 1,70,375 स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन मंजूर की है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चूंकि पूरे देश में फैली ट्रेजरी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन संवितरित की जाती है और मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के पात्र आश्रितों को आश्रित परिवार पेंशन जारी करने की शक्ति, पेंशन जारी करने वाले प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित कर दी गई है इसलिए जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी कुल संख्या इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है/उपलब्ध नहीं है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक पेंशन दिए जाने के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण I

1. स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर किए जाने के लिए मान्यताप्राप्त आंदोलनों, विद्रोहों, हड़ताल और षडयंत्रों आदि की सूची:

1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वेज नहर सेना विद्रोह (1943)
2. अम्बाला छावनी सेना विद्रोह (1943)
3. सेना में झांसी रेजीमेंट मामला (1940)
4. रानी झांसी रेजीमेंट और आई एन ए की आजाद हिंद फौज (1943-45)
5. कलकत्ता में 1940 में नेताजी द्वारा आयोजित हालवेल स्मारक घटाओ आंदोलन
6. रायल भारतीय नौसेना विद्रोह (1946)
7. खिलाफत आंदोलन
8. हर्ष छिना मोघा मोर्चा (1946-47)
9. मोपला विद्रोह (1921-22)
10. भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में आर्य समाज आंदोलन (1938-39)
11. मदुरै षडयंत्र मामला (1945-47)
12. भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में सीमा कैंप मामले (1947-48)
13. गदर आंदोलन
14. निम्नलिखित सहित गुरुद्वारा सुधार आंदोलन (1920-25)
    (क) तरन तारन मोर्चा
    (ख) फरवरी की ननकाना त्रासदी (1920)
    (ग) स्वर्ण मंदिर के कार्य (मोर्चा चाबियां साहिब)
    (घ) गुरु का बाग मोर्चा
    (ङ) बब्बर अकाली आंदोलन
    (च) जैतो मोर्चा
    (छ) भाई फेरु मोर्चा, और
    (ज) 1924 का सिख षडयंत्र (स्वर्ण मंदिर)
15. भूतपूर्व रियासतों में प्रजा मंडल आंदोलन (1939-49)
16. कीर्ति किसान आंदोलन (1927)
17. नवजवान सभा (1926-31)
18. भारत छोड़ो आंदोलन (1942)
19. आई एन ए और आई आई एल (1942 से 1946)
20. भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी और पुर्तगाली कब्जों का विलयन आंदोलन
21. पेशावर कांड जिसमें गढ़वाल राइफल के सदस्यों ने भाग लिया
22. रेड लीफ षडयंत्र मामला (1931)
23. चोरी चौरा कांड (1922)
24. कर्नाटक का अरण्य कांड (1939-40)
25. गोवा मुक्ति आंदोलन
26. कालीपट्टनम आंदोलन (1941-42)
27. कल्लारा-पेगोंडे मामला
28. कडक्कल दंगा मामला
29. चेंगनूर दंगा मामला
30. वट्टियूर्कवु सम्मेलन
31. स्वतंत्रता विरोधी त्रावणकोर आंदोलन (1947)
32. पुन्नप्रा-व्यालार आंदोलन
33. कार्लेवेलूर आंदोलन
34. कावुम्बई आंदोलन
35. कयूर आंदोलन
36. मोरझा आंदोलन
37. मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल (एम एस पी हड़ताल)
38. दादरा और नगर हवेली आंदोलन
39. अर्जी हुकुमत आंदोलन, 1947

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिन स्वतंत्रता सेनानियों/ उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है उनकी संख्या (30.9.2008 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14,605
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,438
4.	बिहार	24,874
5.	झारखंड	
6.	गोवा	1,441
7.	गुजरात	3,598
8.	हरियाणा	1,685
9.	हिमाचल प्रदेश	624
10.	जम्मू-कश्मीर	1,806
11.	कर्नाटक	10,086
12.	केरल	3,286
13.	मध्य प्रदेश	3,468
14.	छत्तीसगढ़	
15.	महाराष्ट्र	17,787
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	उड़ीसा	4,190
21.	पंजाब	7,015
22.	राजस्थान	811
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,103
25.	त्रिपुरा	887
26.	उत्तर प्रदेश	17,992
27.	उत्तराखंड	
28.	पश्चिम बंगाल	22,486
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	चंडीगढ़	90
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमन और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,044
35.	पांडिचेरी	317
	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22,468
	कुल	1,70,375

विवरण III

स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा:

1. एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी और विधवा/विधुर को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/एसी स्लीपर)
2. केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं,
3. स्थापना प्रभारों के बगैर और आधा किराये का भुगतान करने पर संभाव्यता के अध्यधीन टेलीफोन कनेक्शन,
4. दिल्ली में रह रहे स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल का रिहायशी आवास (समग्र रूप से 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत) स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद स्वतत्रता सेनानी की विधवा/विधुर को छः माह की अवधि तक आवास रखने की अनुमति भी दी जाती है, और
5. जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं उनके लिए नई दिल्ली में स्थापित फ्रीडम फाइटर्स होम में आवास की व्यवस्था।

6. उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, अंडमान के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित सुविधाओं के भी पात्र हैं:-

(क) एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी और विधवा को वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा के लिए मुफ्त समुद्री यात्रा की सुविधा, और

(ख) एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी को वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा के लिए मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा।

7. स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की जा रही सभी प्रमुख सुविधायें, उनकी विधवा/विधुरों को भी प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

हीरे और सोने का अन्वेषण

516. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हीरे और सोने के आयात को कम करने के लिए इनके निकालने/अन्वेषण पर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी मात्रा में हीरे और सोने का आयात किया गया तथा देश में राज्यवार खनिजवार इनका कितना उत्पादन हुआ;

(घ) वर्ष 2008 में पन्ना डायमंड एण्ड गोल्ड माइन में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) खनिजों का खनन मोटे तौर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार मांग आदि पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है जिसमें खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु खनिज रियायतें प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही और सरल बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक हीरे और स्वर्ण के आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

सुपर समूह पदार्थ का नाम	पदार्थ का नाम एवं इकाई	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
हीरा	हीरा (औद्योगिक) (कैरट)	14705	12244	4503
	हीरा (अधिकांशत: तराशा हुआ) (कैरट)	138786704	124743440	119625535
	हीरा पाउडर (हजार कैरट)	27372	47795	56848
स्वर्ण	कि.ग्रा.	782864	723780	725816

स्वर्ण का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(टन में)

राज्य	2005-06	2006-07 (संशोधित)	2007-08 (अनंतिम)	2008-09 (अगस्त तक) (अनंतिम)
कर्नाटक	2.846	2.334	2.831	1.162
झारखंड	0.201	0.154	0.027	0.008
गुजरात (उपोत्पाद के रूप में)	6.710	10.335	9.135	2.571
कुल	9.757	12.823	11.993	3.741

हीरे का उत्पादन एक राज्य तक सीमित था और इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(कैरट में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम)	2008-09 (सितम्बर तक) (अनंतिम)
मध्य प्रदेश	44170	2179	586	367

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पन्ना हीरा खानों में 251 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वर्ष 2008 में किसी भी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

517. श्री सुव्रत बोस: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) गैर-सरकारी एजेंसियों की तुलना में सरकारी एजेंसियों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निष्पादन की जांच के लिए क्या कोई तंत्र है; और

(घ) इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जाता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त संगठन है। जिला साक्षरता समितियों में जिलाधीस अथवा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति होती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यकारी समिति में शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वैच्छिक एजेंसियों से लिए गए व्यक्ति, अध्यापक, महिलाएं, युवा और अभिज्ञात जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। जिला साक्षरता समितियां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग करती हैं। सम्प्रति, 95 जिले सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के चरण में 174 जिले उत्तर साक्षरता चरण में तथा 328 जिले सतत शिक्षा चरण में हैं। अवशिष्ट साक्षरता परियोजनाओं का भी 141 जिलों में कार्यान्वयन किया जाता है। जिला साक्षरता समिति स्तर पर जिला स्तरीय मानीटरिंग की जाती है और राज्य प्रौढ़/जनसंख्या शिक्षा निदेशालय राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की मानीटरिंग करता है। राज्य स्तर पर पूर्व-निर्धारित तिथियों पर मासिक मानीटरिंग बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें मासिक प्रगति रिपोर्टों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिला साक्षरता समितियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय साक्षरता कार्यक्रमों की मानीटरिंग करता है। इसके अतिरिक्त, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय/राष्ट्रीय साक्षरता मिशन राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य शिक्षा सचिवों/प्रौढ़/जन शिक्षा सचिवों/निदेशकों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है। निरक्षर तथा नव-साक्षर व्यक्तियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण का संवर्धन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान की योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों के कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग उनसे प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक संस्वीकृत अनुदान

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 16.10.2008 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2485.82	2200.59	2417.30	757.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.44	38.05	34.54	12.50
3.	असम	103.73	249.01	193.21	53.74
4.	बिहार	1048.37	473.73	638.26	119.98
5.	छत्तीसगढ़	387.33	716.59	384.20	365.34
6.	गोवा	26.80	23.19	24.48	12.50
7.	गुजरात	1121.58	333.39	432.17	132.04
8.	हरियाणा	461.88	193.88	312.06	154.49
9.	हिमाचल प्रदेश	70.02	37.67	35.62	10.00
10.	जम्मू-कश्मीर	158.96	218.29	121.40	41.32
11.	झारखंड	1169.97	371.57	937.66	69.29
12.	कर्नाटक	2071.06	1819.42	2529.14	231.83
13.	केरल	498.70	677.97	615.55	365.40
14.	मध्य प्रदेश	635.50	3202.16	761.81	363.54
15.	महाराष्ट्र	3314.32	1020.62	861.68	317.25
16.	मणिपुर	157.80	107.71	134.43	25.00
17.	मेघालय	33.35	157.26	47.30	19.66
18.	मिजोरम	18.73	107.79	22.65	12.35
19.	नागालैंड	24.97	23.93	24.13	12.45
20.	उड़ीसा	669.47	303.63	582.98	1043.23
21.	पंजाब	470.26	209.80	112.44	230.92
22.	राजस्थान	972.20	1517.23	3598.39	680.40

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	36.60	12.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1268.76	1377.85	1105.14	136.16
25.	त्रिपुरा	31.14	82.25	39.41	16.25
26.	उत्तर प्रदेश	3206.66	1792.79	3096.84	1207.40
27.	उत्तराखण्ड	891.64	760.01	440.48	83.65
28.	पश्चिम बंगाल	2017.65	2196.71	1492.80	984.52
29.	चण्डीगढ़	28.61	148.10	29.97	15.00
30.	दिल्ली	133.87	105.37	111.86	38.76
31.	पुडुचेरी	0.00	0.00	38.70	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	17.01	0.00	0.00	0.00
	कुल	23633.20	20478.56	21176.60	7512.20

रामानुजम फेलोशिप

518. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान विश्वभर में अपने-अपने क्षेत्रों में भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को भारतीय विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रदान की गई रामानुजम फेलोशिप का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये फेलोशिप प्राप्त होने के पश्चात् किन-किन वैज्ञानिकों ने भारतीय विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं में उच्च पद ग्रहण किए; और

(ग) इन वैज्ञानिकों के योगदान से देश को कितना लाभ हो रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2006-07 में रामानुजम फेलोशिप प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक ने रामानुजम फेलोशिप प्राप्त करने के पश्चात् राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में उच्च पद ग्रहण किया है। जिन वैज्ञानिकों ने 2007-08 में अध्येतावृत्तियां प्राप्त कीं, उन्होंने अपना अध्ययन/अनुसंधान जारी रखा है।

(ग) रामानुजम फेलोशिप ने इन वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक अनुसंधान के उभरते क्षेत्रों में विदेशों में अर्जित अनुभव एवं विशेषज्ञता के साथ भारत वापस आने के लिए अभिप्रेरित किया है और समर्थ बनाया है। इन अध्येतावृत्तियों ने देश के भीतर भी अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को उनकी अन्य अकादमिक व्यस्तताओं से मुक्त करने के माध्यम से उन्हें अग्रणी अनुसंधान पर अपनी सृजनात्मक क्षमताओं को केन्द्रित करने में समर्थ बनाया है। देश को इन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए वर्धित बौद्धिक योगदान के माध्यम से अनुसंधान के कुछ अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में लाभ हुआ है। इन्होंने पहले ही कुछ महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। उदाहरणार्थ, जैव वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए जीवनक्षम जन्तु माडल के रूप में जेबराफिश को स्थापित करना, एक नए वैकल्पिक रूप से गुथे हुए जीन की पहचान जो

पार्किन्सन रोग की पैथो-फिजियोलाजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, नैनो सामग्रियों की फोटल्यूमीनेसेंस विशेषताओं का अध्ययन, स्ट्रिंग सिद्धांत, क्वांटम क्रोमोडायानेमिक्स, दृढ़ रूप से सह-संबद्ध इलैक्ट्रोन प्रणालियों, उच्च तापमान अतिचालकों आदि का अध्ययन।

विवरण

क्र.सं.	वैज्ञानिक/इंजीनियर का नाम	रामानुजम अध्येतावृत्ति से जुड़ने से पहले कार्य करने का स्थान	अनुसंधान का क्षेत्र	भारत में रामानुजम अध्येतावृत्ति कहां प्राप्त कर रहे हैं/कर चुके हैं
	2006-07			
1.	डा. एस.बी. ओगले	संयुक्त राज्य अमरीका	भौतिक विज्ञान	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे
	2007-08			
2.	डा. एस.बी. कलिवेंदी	संयुक्त राज्य अमरीका	जीवन विज्ञान	भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
3.	डा. एम.एस. सोनावने	जर्मनी	जीवन विज्ञान	राष्ट्रीय जीव विज्ञान केन्द्र, बंगलौर
4.	डा. वी.बी. शेनॉय	भारत	भौतिक विज्ञान	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
5.	डा. विक्रम त्रिपाठी	भारत	भौतिक विज्ञान	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई
6.	डा. केदार दामले	भारत	भौतिक विज्ञान	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई
7.	डा. सोमेन दत्ता	संयुक्त राज्य अमरीका	भौतिक विज्ञान	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई
8.	डा. अमित्वा पात्रा	भारत	रसायन विज्ञान	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता
9.	डा. डी.टी. नायर	संयुक्त राज्य अमरीका	जीवन विज्ञान	राष्ट्रीय जीव विज्ञान केन्द्र, बंगलौर
10.	डा. के. विजया कुमार	भारत	जीवन विज्ञान	निज़ाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान, हैदराबाद
11.	डा. एंथोनी अड्डलगट्टा	संयुक्त राज्य अमरीका	रसायन विज्ञान	भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
12.	डा. सुदीप सेन	जापान	गणितीय विज्ञान	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग

हिरासत में हुई मौतें

519. **श्री के. सुब्बारायण:**
एडवोकेट सुरेश कुरूप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जेलों में तथा पुलिस हिरासत में उत्पीड़न, मौत तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को राज्य-वार कुल कितने मामले प्राप्त हुए तथा कितने मामलों में जांच की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले निपटाए गए/कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा कितने मामले लंबित हैं और सभी मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुलिस सुधारों हेतु एक विधान लाने पुलिस तथा न्यायिक हिरासत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र गठित करने और मानवाधिकारों के मुद्दों पर पुलिस-कार्मिकों को संवेदनशील बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इस आशय के दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे हिरासत में मौतें होने पर चौबीस घण्टे के अंतर्गत ऐसी घटनाओं के बारे में आयोग को सूचित करें। एनएचआरसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तथाकथित हिरासत में हुई मौतों के पंजीकृत मामलों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हिरासत में हुई प्रतारणा तथा जेल और पुलिस हिरासत से संबंधित अन्य शिकायतों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अभिरक्षा में हुई मौत तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिक तथा दोष सिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या संलग्न विवरण-IV और V में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और मानवाधिकारों के मुद्दे के प्रति पुलिस कार्मिकों को जागरूक बनाने के प्रति कई उपाय किए हैं।

मंत्रालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशानुसार महत्वपूर्ण दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। गिरफ्तारियां करते समय सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा इनका पालन किया जाना है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य अन्य उपबंधों को शामिल करना है। हिरासती अपराधों सहित सभी प्रकार के अपराधों के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 357(क) शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होने या उसके गुम हो जाने या किसी महिला के साथ बलात्कार होने की सूरत में उसकी अनिवार्य न्यायिक जांच हो और मृत्यु हो जाने पर उसके चौबीस घंटे के अंदर शव की जांच की जाएगी।

पुलिस और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानवाधिकारों से संबंधित संघटकों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के अवसर पर ही सभी स्तर के पुलिस कार्मिकों को हिरासतों हिंसा/मौतों सहित मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाया जाता है। मानवाधिकार के मुद्दों पर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राज्य पुलिस प्राधिकरणों द्वारा नियमित रूप से सेमिनार और कार्यशालायें भी आयोजित की जाती हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (12.10.2008 तक) के दौरान हिरासत में हुई तथाकथित मौतों के पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	हिरासत में हुई तथाकथित मौतें-न्यायिक हिरासत					हिरासत में हुई तथाकथित मौतें-पुलिस हिरासत				
		2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009 (12.10.2008 तक)	कुल	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009 (12.10.2008 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	2	0	2	1	1	6	3	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	1	3	4	9	6	5	3	3	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	0	1	0	0	1	0	1	1	3	5
7.	हरियाणा	0	0	1	3	4	3	2	2	1	8
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	2	1	3	1	7
10.	कर्नाटक	2	2	0	0	4	2	3	2	2	9
11.	केरल	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
12.	मध्य प्रदेश	2	2	2	1	7	3	2	3	3	11
13.	महाराष्ट्र	0	1	1	0	2	0	2	1	2	5
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
16.	मिजोरम	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	3	0	3	1	1	0	0	2
19.	पंजाब	0	0	5	1	6	1	1	2	2	6
20.	राजस्थान	0	0	5	1	6	4	2	1	1	8
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0	2	0	2	3	3	5	1	12
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24.	उत्तर प्रदेश	6	9	18	21	54	29	26	19	10	84
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	0	1	0	2	1	1	4
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	पुडुचेरी	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
33.	छत्तीसगढ़	0	0	1	0	1	1	1	0	1	3
34.	झारखंड	0	0	0	0	0	2	0	2	2	6
35.	उत्तराखंड	1	1	3	2	7	2	2	2	1	7
	कुल	13	18	47	33	111	62	56	62	37	217

विवरण II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (12.10.2008 तक) के दौरान पुलिस हिरासतों में तथाकथित प्रतारणा एवं अन्य पंजीकृत शिकायतों को वर्षवार दर्शाने वाला ब्यौरा

वर्ष	हिरासत में प्रतारणा	अन्य शिकायतें	कुल
2005-2006	262	381	643
2006-2007	288	471	759
2007-2008	393	671	1,064
2008-2009	183	450	633

विवरण III

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (12.10.2008 तक) के दौरान जेलों (कारागार) से संबंधित पंजीकृत मामलों की संख्या का वर्षवार दर्शाने वाला ब्यौरा

वर्ष	हिरासत में प्रतारणा	अन्य शिकायतें	कुल
2005-2006	252	27,987	28,239
2006-2007	230	30,755	30,985
2007-2008	445	37,724	38,169
2008-2009	377	18,577	18,954

विवरण IV

वर्ष 2005-07 के दौरान हिरासत में हुई मौतों के पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2005			2006			2007*		
		सीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	53	0	0	28	0	0	23	2	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	3	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	2	3	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	2	0	0	2	0	0	2	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	1	0	0	4	4	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	2	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	3	0	0	1	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	5	4	7	6	0
15.	महाराष्ट्र	3	0	0	2	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	1	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20.	उड़ीसा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1	1	0	3	0	0	1	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3	0	0	6	0	0	2	0	0
25.	त्रिपुरा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	8	1	3	6	2	7	9	19	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	81	4	3	50	7	11	56	34	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	संघ शासित दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	कुल अखिल भारत	81	4	3	50	7	11	57	35	0

स्रोत: भारत में अपराध *आंकड़े अनंतिम हैं

नोट: चार्जशीट किए गए और दोषसिद्ध ठहराए गए पुलिस कार्मिक पिछले वर्ष में पंजीकृत मामलों में से भी हो सकते हैं।

विवरण V

वर्ष 2005 के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	व्यक्तियों को गुमशुदगी			अवैध नजरबंदी/ गिरफ्तारी			फर्जी मुठभेड़ में हत्या			ठग्गादियों अतिवादियों के खिलाफ हिंसा			जबरन धन वसूली			प्रतारणा		
		सीआर	सीएस	सीची	सीआर	सीएस	सीची	सीआर	सीएस	सीची	सीआर	सीएस	सीची	सीआर	सीएस	सीची	सीआर	सीएस	सीची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	संघ शासित दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	4	0

स्रोत: भारत में अपराध नोट: चार्जशीट किए गए और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिक पिछले वर्ष में दर्ज किए गए मामलों में से भी हो सकते हैं।

वर्ष 2005 के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	अवैध रूप से फंसाना			कार्रवाई करने में असफलता			महिलाओं से अभद्रता			अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार			अन्य			कुल		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	0	11	10	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	3	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	9	7	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	संघ शासित दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	0	19	16	0	34	21	0

वर्ष 2006 के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	व्यक्तियों की गुमशुदगी			अवैध नजरबंदी			नकली मुठभेड़ हत्या			उग्रवादियों अतिवादियों के खिलाफ हिंसा			जबरन धन वसूली			प्रताड़ना		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	संघ शासित दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0

वर्ष 2006 के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अवैध रुप से फंसाना			कार्रवाई करने में असफलता			महिलाओं से अभद्रता			अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार			अन्य			कुल		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	0	15	13	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	0	0	0	0	5	3	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	संघ शासित दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	1	0	18	15	0	29	28	0

वर्ष 2007 के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या*

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों की गुमशुदगी			अवैध नजरबंदी/ गिरफ्तारी			फर्जी मुठभेड़ में हत्या			उग्रवादियों अतिवादियों के खिलाफ हिंसा			जबरन धन वसूली			प्रतारणा		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
4.	बिहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	11	0	0	3	9	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	संघ शासित दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	2	0	0	11	0	0	10	16	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0

*आंकड़े अनंतिम

वर्ष 2007 के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या और दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या*

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अवैध रूप से फंसाना			कार्रवाई करने में असफलता			महिलाओं से अभद्रता			अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार			अन्य			कुल		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7.	गुजरात	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	9	0	21	20	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	22	9	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	संघ शासित दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	2	1	0	0	0	0	1	1	0	11	10	0	20	9	0	64	37	0

*आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

भारतीय शिक्षा प्रणाली का रैंक

520. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की तुलना में भारतीय शिक्षा प्रणाली का रैंक बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में शिक्षा के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को क्या सफलता प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) यूनेस्को या अन्य बहु स्तरीय निकायों द्वारा विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई प्रमाणिक रैंकिंग नहीं है।

(ग) और (घ) 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा के प्रोन्नयन के लिए 11वीं योजना के अंत तक 5 प्रतिशत बिन्दु द्वारा उच्चतर शिक्षा में 18-24 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए समानता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तामूलक उच्चतर शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने हेतु 11वीं योजना में विभिन्न स्कीमों के लिए केन्द्र सरकार ने 84,743 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। शामिल न किए गए राज्यों को शामिल करने के लिए 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विश्व स्तर के मानदण्डों को लक्षित करने वाले 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान तथा जिन जिलों में सकल नामांकन दर राष्ट्रीय औसत से कम है वहां नए डिग्री कालेज सहित शैक्षणिक संस्थाओं के विस्तार हेतु 11वीं योजना में पर्याप्त आबंटन किया गया है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के स्तरों को प्रोन्नत करने के लिए शेयरिंग आधार पर सहायता प्रदान करने की स्कीमें हैं ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हो सके। विभिन्न सुधारात्मक उपाय जैसे सेमेस्टर प्रणाली आरंभ करना, क्रेडिट हस्तांतरण, पी.एचडी. कार्यक्रमों हेतु दाखिला प्रक्रिया को औचत्यिपूर्ण बनाने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

महिलाओं, बच्चों और विदेशी महिलाओं के विरुद्ध अपराध

521. **श्रीमती मिनाती सेन:**
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) निष्कर्षों के अनुसार देश में महिलाओं, बच्चों और विदेशी महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्यवार तथा अपराध वार ऐसे कुल कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने अभियुक्तों को राज्यवार, वर्षवार गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने इन अपराधों से निपटने के लिए किशोर पुलिस इकाइयों तथा बाल संरक्षण ब्यूरो का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महिलाओं और बालकों के प्रति किए जाने वाले अपराधों की प्रवृत्ति मिश्रित रही है। कुछ राज्यों में जहां इनमें वृद्धि हुई है वहीं अन्य राज्यों में इनमें कमी भी हुई है। विदेशी महिला राष्ट्रिकों के प्रति किए गए अपराधों की जानकारी एनसीआरबी द्वारा पृथक से नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध संबंधी आंकड़ों का संकलन वार्षिक आधार पर करता है। एनसीआरबी के अनुसार विगत तीन वर्षों अर्थात् 2005, 2006 और 2007 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या आरोप-पत्रित दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में जानकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संकलित की जा रही है।

(च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं इसलिए अपराधों की रोकथाम करना, उनका पता लगाना, दर्ज करना, अन्वेषण और अभियोजन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, संघ सरकार अपराधों की रोकथाम के मामले को बहुत अधिक महत्व देती है और महिलाओं और बालकों सहित समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति अपराध की रोकथाम के संबंध में विशेष जोर देते हुए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से समय-समय पर जोर देती रहती है।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	बलात्कार						अपहरण एवं व्यपहरण						दहेज			हत्या		
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	935	933	154	1415	1348	197	995	655	55	1230	1036	98	443	473	118	1280	1329	202
2.	अरुणाचल प्रदेश	35	32	15	38	32	19	39	29	6	28	20	6	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1238	867	170	1406	995	167	1456	726	113	2250	1324	167	99	61	15	174	99	31
4.	बिहार	1147	823	145	1455	1113	207	929	512	71	1518	1217	124	1014	680	110	2323	2162	223
5.	छत्तीसगढ़	990	919	338	1107	1086	493	184	157	23	223	218	37	100	91	26	296	289	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	गोवा	20	18	7	34	33	7	12	6	0	18	7	0	2	3	0	2	9	0
7.	गुजरात	324	286	37	501	475	47	916	604	51	1147	1106	73	48	48	10	136	139	16
8.	हरियाणा	461	375	96	627	617	147	344	164	49	274	252	67	212	185	52	481	502	141
9.	हिमाचल प्रदेश	141	123	24	176	190	30	102	49	2	115	88	5	2	1	1	6	3	1
10.	जम्मू-कश्मीर	201	174	5	248	237	5	658	455	7	741	715	7	5	7	1	26	23	1
11.	झारखंड	753	595	117	732	262	155	283	160	13	207	271	37	257	166	71	503	421	118
12.	कर्नाटक	343	296	87	381	424	119	312	151	11	270	247	13	261	233	63	578	538	129
13.	केरल	478	451	48	506	520	55	129	94	4	179	262	17	21	18	10	31	19	18
14.	मध्य प्रदेश	2921	2780	702	3900	3895	888	604	486	177	1047	1037	358	739	715	262	1992	2023	716
15.	महाराष्ट्र	1545	1441	177	2227	2111	208	851	571	34	1338	1221	53	341	336	34	1379	1315	72
16.	मणिपुर	25	7	0	12	7	0	69	2	0	68	2	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	63	37	2	65	34	2	19	3	0	16	2	0	1	0	0	1	0	0
18.	मिजोरम	37	33	15	36	28	72	0	1	0	0	0	2	4	4	2	0	0	0
19.	नागालैंड	17	9	15	19	21	27	9	10	18	6	8	17	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	799	681	114	838	822	156	547	324	23	530	520	37	334	268	35	708	714	72
21.	पंजाब	398	328	71	553	503	120	329	163	17	361	295	34	99	89	28	246	248	89
22.	राजस्थान	993	772	227	1110	1109	320	1549	494	155	926	933	362	361	281	119	560	559	256
23.	सिक्किम	18	13	3	8	13	3	2	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	571	507	141	744	732	212	783	347	73	911	964	146	215	212	71	492	507	152
25.	त्रिपुरा	162	144	35	157	132	54	43	37	8	69	59	11	34	28	7	43	35	4
26.	उत्तर प्रदेश	1217	1029	657	1683	1666	980	2256	1538	721	3593	3260	1517	1564	1367	678	4523	4233	1900
27.	उत्तराखण्ड	133	119	21	225	215	46	125	65	39	223	136	69	63	48	14	160	135	43
28.	पश्चिम बंगाल	1686	1649	74	2085	1997	100	1039	799	66	1565	1442	211	446	389	94	956	805	173
	कुल राज्य	17651	15441	3497	22288	20617	4836	14584	8604	1736	18856	16643	3468	6665	5703	1821	16896	16107	4417
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	8	1	8	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	33	20	4	43	26	7	45	12	0	39	26	0	3	4	0	6	9	0
31.	दादरा और नगर हवेली	5	6	0	6	8	0	9	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32.	दमन और दीव	2	0	0	1	0	0	2	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	658	570	140	856	848	228	1106	279	15	419	305	31	114	95	40	267	227	158
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	6	6	3	10	8	3	3	6	1	2	10	1	4	2	0	4	5	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	708	610	148	924	898	240	1166	301	16	470	351	32	122	102	40	277	241	158
	कुल अखिल भारत	18359	10051	3045	23212	21515	5076	15750	8905	1752	19326	16994	3500	6787	5805	1861	17173	16340	4575

स्रोत: भारत में अपराध नोट: पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान में विगत वर्षों से लम्बित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	बलात्कार					अपहरण एवं व्यपहरण						दहेज हत्या						
		सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची	सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची	सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1049	821	154	1360	1252	226	1329	709	71	1326	1250	156	519	426	73	1274	1062	248
2.	अरुणाचल प्रदेश	37	29	1	40	29	3	51	37	3	51	37	5	1	0	0	0	0	0
3.	असम	1244	794	176	1290	941	203	1544	798	102	1848	1011	113	105	74	30	201	144	33
4.	बिहार	1232	772	178	1451	1111	232	1084	643	118	1961	1350	218	1188	749	138	2674	2255	355
5.	छत्तीसगढ़	995	994	235	1211	1208	276	178	156	45	177	175	57	103	99	23	273	267	69
6.	गोवा	21	14	0	20	20	0	10	10	0	12	12	0	0	1	0	0	1	0
7.	गुजरात	354	332	50	539	551	69	945	654	76	1142	1152	135	50	43	3	150	133	5
8.	हरियाणा	608	497	97	772	749	153	431	263	55	395	403	64	255	215	69	533	514	169
9.	हिमाचल प्रदेश	113	96	27	131	121	39	109	45	6	77	75	7	3	4	1	12	13	1
10.	जम्मू-कश्मीर	250	211	13	301	301	15	723	571	8	862	853	18	10	8	0	12	13	0
11.	झारखंड	799	599	105	943	1119	207	410	250	25	878	289	42	201	170	60	557	474	140
12.	कर्नाटक	400	351	51	475	435	55	328	198	8	357	310	15	244	213	41	587	521	81
13.	केरल	601	495	58	666	594	80	202	149	4	219	175	10	25	21	6	39	37	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	2900	2779	748	3878	3858	1139	617	515	215	869	860	337	764	735	280	2203	2187	663
15.	महाराष्ट्र	1500	1351	163	2162	2049	222	921	609	36	1324	1155	60	387	374	27	1348	1266	76
16.	मणिपुर	40	2	0	20	2	0	79	0	1	49	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	74	35	2	71	41	2	25	10	0	27	15	0	6	3	0	0	2	0
18.	मिजोरम	72	69	68	77	73	74	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	23	20	11	29	24	10	3	3	2	5	5	6	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	985	790	135	1020	995	186	577	396	46	558	536	63	457	317	44	969	990	123
21.	पंजाब	442	373	90	618	578	129	418	162	19	471	282	43	130	106	31	331	259	106
22.	राजस्थान	1085	740	262	1085	1083	377	1553	546	225	1011	1012	571	394	327	127	665	672	357
23.	सिक्किम	20	16	1	17	14	1	5	7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	457	413	108	573	546	146	718	350	58	1052	691	174	187	169	48	457	403	98
25.	त्रिपुरा	189	177	25	167	145	20	62	27	8	61	42	5	35	22	10	25	11	8
26.	उत्तर प्रदेश	1314	1094	637	1770	1701	999	2551	1815	903	4270	3965	2018	1798	1464	695	5280	4944	2206
27.	उत्तराखण्ड	147	128	29	233	215	57	183	133	49	314	255	138	80	51	18	227	187	66
28.	पश्चिम बंगाल	1731	1520	137	2045	1774	160	1199	838	120	1660	1251	180	445	478	57	1058	1039	129
	कुल राज्य	18682	15512	3641	22964	21529	5080	16258	9892	2205	20477	17163	4437	7467	6069	1781	18875	17394	4946
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	7	1	7	10	1	5	7	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	19	20	9	27	31	11	57	27	5	50	46	7	10	9	0	30	24	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	3	1	5	3	2	14	9	0	7	8	0	1	0	0	1	0	0
32.	दमन और दीव	3	3	1	2	3	3	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	623	798	152	778	647	209	1066	247	40	402	390	74	137	134	47	320	309	192
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	9	6	1	9	7	4	13	8	0	20	14	0	3	7	2	7	9	6
	कुल संघ शासित क्षेत्र	666	837	165	828	701	230	1156	299	45	490	469	81	151	151	49	359	343	198
	कुल अखिल भारत	19348	16349	3806	23792	22230	5310	17414	10191	2250	20967	17632	4518	7618	6220	1830	19234	17737	5144

स्रोत: भारत में अपराध नोट: पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटाए गये मामलों में विगत वर्षों से लम्बित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	बलात्कार						अपहरण एवं व्यपहरण						दहेज हत्या					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1070	1066	128	1436	1467	199	1564	1003	60	1674	1424	129	613	573	97	1562	1450	252
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	29	5	57	37	7	44	33	4	51	37	5	10	0	0	0	0	0
3.	असम	1437	904	191	1477	965	180	1471	886	250	1721	1034	225	100	72	20	172	139	29
4.	बिहार	1555	1103	167	1816	1446	212	1260	787	78	2085	1742	157	1172	1208	167	3265	2512	375
5.	छत्तीसगढ़	982	939	162	1146	1126	238	181	148	16	196	198	38	100	106	23	247	241	131
6.	गोवा	20	15	1	25	16	1	7	2	2	8	2	3	2	0	0	8	0	0
7.	गुजरात	316	289	50	503	479	59	1089	789	55	1356	1310	87	42	38	4	121	139	11
8.	हरियाणा	488	432	114	607	616	180	554	311	50	490	463	95	269	238	62	572	581	160
9.	हिमाचल प्रदेश	159	105	14	197	156	19	150	51	3	106	75	7	8	5	1	31	29	3
10.	जम्मू-कश्मीर	288	238	8	331	318	7	707	496	2	959	956	2	9	7	0	21	21	0
11.	झारखंड	855	692	318	866	832	206	534	339	126	549	487	129	308	223	92	562	518	131
12.	कर्नाटक	436	364	58	518	514	59	390	394	13	373	337	25	251	180	27	587	690	66
13.	केरल	512	546	74	555	665	88	177	147	9	194	214	14	27	27	4	40	52	8
14.	मध्य प्रदेश	3010	2898	688	4131	4132	1133	701	585	146	906	920	301	742	738	259	2127	2120	727
15.	महाराष्ट्र	1451	1404	151	2097	2026	178	967	676	53	1286	1243	79	436	376	30	1349	1286	89
16.	मणिपुर	20	2	0	12	2	0	83	1	1	59	1	1	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	82	32	8	76	34	17	22	3	4	12	15	6	2	1	0	4	1	0
18.	मिजोरम	83	78	28	87	95	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	13	12	26	11	15	31	6	3	2	12	11	7	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	939	784	175	1023	1000	181	660	402	28	681	684	61	461	338	3	958	866	175
21.	पंजाब	519	392	76	709	518	121	545	210	26	592	381	63	133	119	43	316	291	141
22.	राजस्थान	1238	854	236	1201	1205	300	1694	556	132	942	944	270	439	330	118	683	674	215
23.	सिक्किम	24	19	0	30	21	0	9	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	523	434	87	615	591	131	1097	453	53	1160	835	118	208	189	64	503	457	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	157	180	30	165	161	56	81	66	5	81	80	12	26	21	11	42	40	23
26.	उत्तर प्रदेश	1648	1293	573	2283	1980	992	3363	1948	804	5683	4166	1843	2076	1768	739	7310	6018	2551
27.	उत्तराखण्ड	117	101	48	171	156	75	227	120	37	363	259	76	70	74	28	244	225	81
28.	पश्चिम बंगाल	2106	1832	101	2409	2433	100	1590	901	31	1722	1549	56	451	459	46	1068	1148	73
	कुल राज्य	20096	17037	3518	24581	22996	4772	1973	11142	1989	23231	19380	3809	7905	6929	1886	21784	19428	5368
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	1	3	3	1	9	3	0	6	3	0	1	0	0	2	0	0
30.	चंडीगढ़	22	19	11	24	25	14	46	23	10	45	31	13	1	2	3	3	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	7	6	0	5	6	0	6	5	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	4	4	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	3	3	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	598	541	163	731	657	227	1167	277	38	352	204	80	138	123	56	313	272	211
34.	लक्षद्वीप	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	9	9	4	14	12	8	14	9	1	14	18	3	2	3	1	8	7	3
	कुल संघ शासित क्षेत्र	641	580	179	782	708	250	1243	318	49	427	266	96	143	129	60	329	289	222
	कुल अखिल भारत	20737	17617	3697	25363	23704	5022	20416	11460	2038	23658	19646	3905	8093	7048	1946	22113	19717	5580

स्रोत: भारत में अपराध नोट: पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान में विगत वर्षों से लम्बित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2005 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	छेड़छाड़					यौन प्रताड़ना						पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता						
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	3595	3203	451	4003	3703	575	2508	2410	1030	2963	2856	1214	8696	6991	603	15409	15475	1797
2.	अरुणाचल प्रदेश	67	54	16	51	44	19	0	0	0	0	0	0	9	7	1	12	9	1
3.	असम	899	663	68	1268	1012	162	19	14	1	9	6	1	2206	1480	148	3439	2362	216
4.	बिहार	451	363	51	715	598	66	13	12	1	27	18	1	1574	1193	163	3151	2528	250
5.	छत्तीसगढ़	1450	1418	454	1734	1730	500	132	128	40	173	175	50	732	693	183	1923	1902	501
6.	गोवा	30	15	4	42	18	4	8	9	0	9	10	0	11	10	0	14	22	0
7.	गुजरात	802	762	100	1064	1052	106	104	89	12	125	125	13	4090	3989	135	13272	13161	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	हरियाणा	380	333	104	506	496	118	597	587	343	755	768	392	2075	1181	92	3303	3299	258
9.	हिमाचल प्रदेश	286	250	31	357	349	37	35	27	3	34	35	4	228	211	12	541	539	25
10.	जम्मू-कश्मीर	830	736	17	1563	1531	31	371	343	74	442	400	92	76	64	0	130	124	0
11.	झारखंड	290	245	123	299	310	55	36	24	7	88	21	11	590	403	120	905	473	221
12.	कर्नाटक	1585	1358	52	2066	2034	119	71	39	3	53	51	2	1883	1536	74	3334	3257	141
13.	केरल	2339	2083	168	2842	2660	2359	175	165	21	198	282	45	3283	2812	136	6287	5810	297
14.	मध्य प्रदेश	6426	6317	1282	7762	7757	1677	752	680	189	878	876	254	2989	2909	665	8498	8533	1901
15.	महाराष्ट्र	3228	3021	158	3855	3816	181	910	901	35	1256	1229	30	6233	6076	151	22959	22607	334
16.	मणिपुर	25	1	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	18	1	0
17.	मेघालय	44	20	2	21	16	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	1	0
18.	मिजोरम	49	49	10	43	38	90	4	1	0	6	3	2	0	0	1	0	0	0
19.	नागालैंड	7	6	1	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	2238	1838	72	3318	3273	143	184	166	11	29	293	2	1671	1388	86	2671	2632	185
21.	पंजाब	308	224	41	361	321	54	43	18	6	42	27	7	729	510	48	1544	1469	175
22.	राजस्थान	2503	1986	981	2885	2885	1351	28	22	17	38	38	19	5997	3621	822	6799	6812	1545
23.	सिक्किम	38	11	2	28	11	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1	3	0	0
24.	तमिलनाडु	1764	1581	799	2515	2609	1112	665	749	419	787	809	446	1650	1307	196	2606	2384	338
25.	त्रिपुरा	161	130	18	156	135	28	1	1	0	1	1	0	439	402	43	882	728	95
26.	उत्तर प्रदेश	1835	1708	937	2600	2543	1342	2881	2841	1834	4469	4373	2908	4505	3375	1452	14154	13279	5210
27.	उत्तराखण्ड	100	95	27	149	143	54	89	88	30	179	184	41	272	185	47	698	638	113
28.	पश्चिम बंगाल	1572	1453	55	2027	1781	69	54	52	3	66	65	3	6936	6699	466	12201	10946	571
	कुल राज्य	33305	29923	6024	42294	40873	8268	9723	9366	4079	12891	12645	5556	56901	47045	5655	124816	118991	14474
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	4	0	14	8	0	1	1	0	3	2	0	5	1	0	7	5	0
30.	चंडीगढ़	31	24	7	36	30	8	9	10	1	13	21	2	75	67	0	142	123	0
31.	दादरा और नगर हवेली	5	5	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	13	11	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	7	9	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	762	562	74	968	777	99	225	219	18	255	221	35	1324	703	84	2572	2511	109
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	60	53	10	101	85	15	26	27	14	30	30	14	6	3	0	3	3	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	870	649	91	1130	909	122	261	257	33	301	274	51	1418	783	84	2744	2662	109
	कुल अखिल भारत	34175	30572	6115	43424	41782	8390	9984	9623	4112	13192	12919	5607	58319	47828	5739	127560	121653	14583

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	छेड़छाड़						यौन प्रताड़ना						पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	4534	3528	398	4431	3917	895	2411	2090	655	2816	2790	759	9164	6258	687	15531	13663	1533
2.	अरुणाचल प्रदेश	63	33	9	40	39	11	2	1	0	2	1	0	14	8	3	8	9	3
3.	असम	1290	749	121	1716	1097	260	10	8	1	10	8	0	2548	1476	235	3200	2081	309
4.	बिहार	530	449	80	720	743	117	53	43	5	55	47	10	1689	1237	206	3124	2609	490
5.	छत्तीसगढ़	1598	1554	362	1880	1850	495	143	135	27	179	178	41	717	705	186	1932	1893	548
6.	गोवा	18	20	4	25	30	4	7	4	0	6	6	0	14	10	0	34	23	0
7.	गुजरात	736	700	26	957	950	38	138	118	15	143	139	19	4977	4674	95	14878	14287	204
8.	हरियाणा	486	393	115	653	618	133	491	475	342	584	581	384	2254	1329	100	3538	3455	327
9.	हिमाचल प्रदेश	275	266	19	391	404	23	31	26	5	34	35	5	259	205	11	506	497	22
10.	जम्मू-कश्मीर	960	897	65	2015	2015	113	347	350	82	469	469	119	135	100	2	222	222	3
11.	झारखंड	414	344	62	445	625	69	44	28	5	33	66	5	668	462	259	1141	678	0
12.	कर्नाटक	1683	1535	73	2445	2294	101	38	33	9	42	40	7	2129	1829	97	3488	3359	185
13.	केरल	2543	2273	231	2951	2893	322	222	178	16	230	220	19	3708	3200	239	6771	6461	507
14.	मध्य प्रदेश	6243	6172	1184	7235	7229	1465	762	759	259	970	973	467	2969	2938	1001	8416	8406	1941
15.	महाराष्ट्र	3479	3240	166	4246	4074	197	984	914	41	1195	1188	43	6738	6189	134	24060	22924	424
16.	मणिपुर	42	1	2	29	1	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	6	0	0
17.	मेघालय	57	34	5	50	38	8	0	0	0	0	0	0	13	6	0	8	5	0
18.	मिजोरम	51	56	134	60	6	49	0	2	3	0	3	3	1	0	1	0	0	0
19.	नागालैंड	3	3	4	4	0	6	2	1	1	2	2	2	3	2	1	0	4	3
20.	उड़ीसा	2415	2097	144	3565	3435	244	247	214	20	311	306	20	694	1103	96	2661	2522	241
21.	पंजाब	314	262	44	422	361	69	60	43	19	75	63	29	801	594	67	1683	1377	276
22.	राजस्थान	2582	2048	958	2975	2976	1243	31	26	16	33	33	16	7038	4223	1054	8277	8288	2153
23.	सिक्किम	14	10	1	16	14	1	0	0	0	0	0	0	6	3	1	4	3	1
24.	तमिलनाडु	1179	1072	588	1667	1655	730	852	745	203	857	838	348	1248	1081	162	2392	2355	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	207	153	13	162	130	16	0	0	0	0	0	0	471	455	50	857	564	110
26.	उत्तर प्रदेश	2096	1914	998	2785	2763	1575	2714	2715	1716	3852	3825	2312	5204	3782	1559	14590	13286	5630
27.	उत्तराखण्ड	153	140	51	204	202	82	113	113	35	186	185	94	358	268	25	989	828	83
28.	पश्चिम बंगाल	1837	1529	119	2004	1704	142	63	51	16	76	55	20	7414	6941	469	15354	12218	1350
	कुल राज्य	35802	31472	5978	44093	42120	8410	9765	9072	3491	12160	12051	4722	61264	49078	6740	133675	122017	16823
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	13	0	19	19	0	4	4	0	6	8	0	7	8	0	7	16	0
30.	चंडीगढ़	20	19	6	28	25	6	13	12	3	20	20	3	102	40	0	190	105	0
31.	दादरा और नगर हवेली	5	4	1	5	9	1	1	1	0	1	1	0	5	5	0	6	10	0
32.	दमन और दीव	2	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	14	14	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	718	670	98	887	679	131	144	114	19	163	41	33	1728	739	113	3256	3068	167
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
35.	पुडुचेरी	56	48	14	79	67	23	39	38	9	70	70	9	19	12	4	31	27	5
	कुल संघ शासित क्षेत्र	815	755	119	1023	801	161	201	169	31	260	140	45	1884	806	117	3505	3260	172
	कुल अखिल भारत	36617	32227	6097	45116	42921	8571	9966	9241	3522	12420	12191	4767	63128	49884	6857	137180	125277	16995

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	छेड़छाड़						यौन प्रताड़ना						पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता					
		सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची	सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची	सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	4406	3599	654	4893	4967	773	3316	2785	917	3614	3654	964	11335	9738	979	18016	17322	2495
2.	अरुणाचल प्रदेश	72	48	7	72	59	8	1	2	0	5	6	0	20	16	0	18	16	0
3.	असम	789	586	94	1466	1045	114	10	7	2	16	7	2	3000	1652	247	3818	2479	265
4.	बिहार	853	724	82	1360	1118	123	12	11	2	19	18	2	1635	1507	154	3973	2968	304
5.	छत्तीसगढ़	1549	1507	228	1831	1809	261	111	106	26	129	130	30	824	806	116	2195	2149	294
6.	गोवा	20	9	2	24	13	2	7	6	1	6	8	1	14	9	1	47	27	1
7.	गुजरात	822	804	27	1227	1220	30	120	96	11	179	157	9	5827	5694	151	18050	18053	385
8.	हरियाणा	417	403	87	572	584	125	409	394	229	576	575	269	2412	1493	79	3880	3676	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	हिमाचल प्रदेश	322	263	23	404	357	27	33	9	1	12	8	1	342	292	10	718	673	18
10.	जम्मू-कश्मीर	986	973	30	2306	2306	55	353	352	83	465	466	117	176	124	0	320	321	0
11.	झारखंड	342	290	92	402	352	78	15	14	0	23	24	0	801	539	130	1193	1078	211
12.	कर्नाटक	1828	1664	67	2456	2442	105	28	32	10	44	40	9	2507	1981	91	4182	4032	220
13.	केरल	2624	2453	166	2959	3049	226	262	232	13	281	284	16	3999	3626	138	6626	6650	250
14.	मध्य प्रदेश	6772	6697	1451	8053	8061	2058	780	772	263	1104	1104	455	3294	3275	890	9424	9407	2184
15.	महाराष्ट्र	3306	3079	176	3864	3725	206	1039	964	31	1291	1242	33	7356	6647	121	24745	23719	429
16.	मणिपुर	70	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0
17.	मेघालय	45	25	4	24	15	7	1	0	0	0	0	0	19	5	0	13	5	0
18.	मिजोरम	66	62	56	64	67	63	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0
19.	नागालैंड	8	5	5	10	9	8	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
20.	उड़ीसा	2775	2439	102	3713	3699	277	241	218	14	317	115	24	728	758	131	2089	1805	434
21.	पंजाब	427	245	38	472	352	90	48	48	16	59	62	21	971	606	64	1911	1522	237
22.	राजस्थान	2477	1932	766	2753	2748	1041	28	19	14	34	34	15	8170	4780	1129	8486	8473	2235
23.	सिक्किम	13	9	0	11	9	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	8	7	2
24.	तमिलनाडु	1540	1237	477	1945	1788	840	875	790	302	931	921	333	1976	1489	206	3538	3145	431
25.	त्रिपुरा	244	248	24	197	155	21	4	4	0	4	4	0	545	559	63	618	735	110
26.	उत्तर प्रदेश	2522	2244	1164	3485	3212	1676	2882	2864	1649	4149	4124	2301	7650	5013	1764	23465	18692	7214
27.	उत्तराखण्ड	146	130	90	306	239	136	63	58	50	128	123	62	463	319	75	1437	1000	366
28.	पश्चिम बंगाल	2281	1585	87	1712	1839	87	99	64	17	118	98	26	9900	9448	162	14700	15030	293
	कुल राज्य	37722	33270	5998	46628	45239	8439	10738	5848	4651	13505	13405	4690	73988	60381	6703	153486	142986	18634
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	20	1	32	30	1	2	0	0	0	0	0	18	10	1	34	14	4
30.	चंडीगढ़	32	18	2	39	24	2	11	6	0	15	10	0	112	53	1	143	108	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	4	0
32.	दमन और दीव	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	19	17	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	868	716	138	1143	1027	144	167	123	44	181	179	48	1787	699	126	2688	2153	188
34.	लक्षद्वीप	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	89	92	8	160	179	11	32	31	13	52	52	23	17	22	0	39	41	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1012	848	151	1375	1264	160	212	160	57	248	241	71	1942	790	128	2926	2337	193
	कुल अखिल भारत	38734	34118	6149	48003	46503	8599	10950	18008	3708	13753	13646	4761	75930	61171	6831	158412	145323	18827

वर्ष 2005 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	लड़कियों का व्यापार						अवैध व्यापार (निवारण अधिनियम)						दहेज निषेध अधिनियम					
		सीआर	सीएस	सीसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीसी	सीआर	सीएस	सीसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीसी	सीआर	सीएस	सीसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	3	2	0	5	5	0	681	646	288	1691	1517	723	306	242	39	452	394	76
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	3	3	0	3	3	0	25	17	1	60	45	3	82	45	8	122	88	15
4.	बिहार	74	42	7	90	62	9	28	16	2	43	38	6	789	606	76	1898	1517	149
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	6	6	6	19	19	11	5	5	15	16	16	31
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	38	36	36	110	97	94	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	59	56	0	265	256	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	85	86	5	319	320	36	7	3	0	10	10	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	4	5	0	26	31	0	1	2	0	12	7	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	3	2	0	13	9	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	4	1	0	35	11	0	13	7	3	37	19	0	313	107	21	566	579	124
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	1241	1244	935	3178	3169	1823	361	245	13	730	615	29
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	225	219	59	503	450	166	4	2	0	3	1	0
14.	मध्य प्रदेश	3	3	0	4	4	0	19	17	1	79	79	7	36	32	23	94	94	35
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	222	245	15	1046	940	52	23	23	1	75	74	4
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	4	3	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	29	26	2	107	88	7	446	324	34	1059	1026	81
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	58	48	13	185	162	19	5	1	0	11	2	0
22.	राजस्थान	0	0	1	0	0	3	115	116	48	408	408	173	1	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	2777	2907	2854	3649	3872	3586	193	233	68	512	534	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	31	34	32	200	188	153	586	424	172	1498	1464	526
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	10	13	2	1	1	4	4	3
28.	पश्चिम बंगाल	61	2	0	75	5	0	74	101	48	151	168	118	18	32	6	97	90	10
	कुल राज्य	148	53	8	212	90	12	5742	5841	4353	12115	11890	6936	3178	2407	477	7159	6515	1236
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	9	4	0	27	12	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1	0	0	0	0	0	151	117	97	501	335	125	9	7	5	15	14	13
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	5	5	6	18	18	14	17	7	2	23	18	7
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1	0	0	0	0	0	166	127	103	550	369	139	26	14	7	38	32	20
	कुल अखिल भारत	149	53	8	212	90	12	5908	5968	4456	12665	12259	7075	3204	2421	484	7197	6547	1256

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	लड़कियों का व्यापार						अवैध व्यापार (निवारण अधिनियम)						दहेज निषेध अधिनियम					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	657	617	263	1830	1772	704	474	342	28	705	515	71
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	29	30	8	124	66	18	31	58	19	40	77	10
4.	बिहार	42	36	8	68	60	13	13	15	0	30	31	0	909	544	68	1674	1621	156
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0	3	3	0	13	12	2	72	72	3	9	9	1	31	30	2
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	26	24	25	62	74	61	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	78	70	7	377	352	64	1	1	3	2	2	8
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	85	77	13	359	324	78	7	6	0	23	21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	2	0	0	5	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	5	4	0	14	13	0	2	1	0	1	1	0
11.	झारखंड	5	2	0	0	15	0	11	10	1	34	35	3	345	244	32	578	432	60
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	786	740	409	2545	2495	1014	476	353	28	1096	1040	51
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	189	174	47	459	452	166	5	5	1	5	6	2
14.	मध्य प्रदेश	0	0	1	0	0	0	12	14	2	69	69	13	32	36	15	107	108	36
15.	महाराष्ट्र	1	1	0	2	2	0	378	284	14	1645	1207	38	55	51	1	178	167	4
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	9	7	7	19	15	11	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	12	0	0	0	0	0	44	38	3	131	141	18	1394	896	47	1193	1254	62
21.	पंजाब	2	0	0	6	0	0	67	45	6	269	168	45	7	3	0	7	6	0
22.	राजस्थान	3	3	0	4	4	0	143	141	52	387	389	237	3	1	1	5	5	4
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	1732	1696	1631	2241	2292	2385	81	44	104	193	167	596
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	70	70	26	491	536	127	628	400	266	1682	1579	843
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	3	3	0	23	23	0	1	0	0	0	0	3
28.	पश्चिम बंगाल	1	11	1	2	23	1	66	59	72	168	124	79	25	18	10	27	38	16
	कुल राज्य	67	54	10	85	107	14	4417	4132	2589	11353	10655	5064	4487	3014	624	7556	7074	1933
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	3	6	1	7	16	6	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	112	185	89	376	369	103	15	21	7	23	12	16
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	8	8	3	42	42	28	2	12	2	2	14	2
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	124	200	93	430	432	137	17	33	9	25	26	18
	कुल अखिल भारत	67	54	10	85	107	14	4541	4332	2682	11783	11087	5201	4504	3047	633	7581	7100	1951

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	लड़कियों का व्यापार						अवैध व्यापार (निवारण अधिनियम)						दहेज निषेध अधिनियम					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	612	614	141	1700	1610	361	817	591	26	1201	1176	35
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	21	20	4	52	46	13	16	21	13	75	40	23
4.	बिहार	56	53	5	87	83	10	27	19	3	55	39	5	978	681	106	2295	1896	237
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	14	15	1	73	73	6	14	10	8	38	38	40
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	10	7	3	27	22	6	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	44	53	0	229	267	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	88	91	15	353	361	27	8	6	0	21	20	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	8	4	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	2	0	9	10	1	0	0	0	0	0	2
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	14	12	1	59	50	1	453	274	71	857	706	98
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	612	617	395	1908	1874	876	517	535	23	1239	1190	52
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	201	184	47	518	486	175	9	3	0	6	4	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	19	19	4	105	105	39	52	46	15	140	140	28
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	322	326	35	1266	1223	59	45	41	0	141	158	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	4	3	5	20	3	3	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	12	0	0	0	0	0	40	39	3	131	129	24	1460	1108	63	1509	1404	28
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	45	49	11	145	227	35	6	3	0	7	5	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	91	91	13	320	320	22	2	1	1	4	4	2
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	2	1	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	1199	1050	893	1964	1828	1282	368	293	28	971	853	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	49	48	21	304	274	134	803	448	203	1612	1512	710
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	9	7	1	60	45	8	2	1	0	2	2	0
28.	पश्चिम बंगाल	5	17	0	8	44	0	62	64	17	253	192	11	40	17	5	145	79	15
	कुल राज्य	61	82	5	95	127	10	3487	3332	1613	9563	9189	3085	5595	4081	562	10271	9231	1532
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	5	7	1	21	27	2	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	5	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	63	97	76	217	225	112	16	11	5	23	22	12
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	5	5	5	24	24	21	11	7	0	26	18	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	81	109	82	298	276	135	28	18	5	50	40	12
	कुल अखिल भारत	61	82	5	95	127	10	3568	3441	1695	9861	9465	3220	5623	4099	567	10321	9271	1544

वर्ष 2005 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन						सती निवारण अधिनियम						किए गए कुल अपराध					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	2657	2671	2615	2688	2706	2661	0	0	0	0	0	0	20819	18226	5353	31136	30369	7543
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	122	38	129	105	45
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6027	3876	524	8760	5934	762
4.	बिहार	0	20	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	6019	4267	626	11220	9280	1035
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3599	3417	1085	5491	5435	1683
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	97	47	229	196	105
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6343	5834	345	16510	16314	555
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4161	2914	741	6275	6264	1159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	668	73	1267	1242	102
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2144	1781	104	3163	3039	136
11.	झारखंड	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2544	1790	475	3432	2367	721
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6057	5108	1080	10500	10335	2375
13.	केरल	108	85	15	120	151	22	0	0	0	0	0	0	6762	5929	461	10669	10155	929
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14529	13939	3301	24254	24298	5836
15.	महाराष्ट्र	8	11	1	11	13	1	0	0	0	0	0	0	13370	12625	616	34156	33326	944
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	11	0	127	11	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	62	4	106	53	4
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	89	29	85	70	169
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	29	34	37	40	49
20.	उड़ीसा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6249	5015	377	9524	9368	693
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1969	1381	224	3303	3027	498
22.	राजस्थान	109	100	13	94	94	13	1	1	0	18	18	0	11657	7393	2383	12838	12856	4042
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	26	6	42	25	5
24.	तमिलनाडु	30	34	9	59	60	13	0	0	0	0	0	0	8648	7877	4630	12275	12471	6152
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	742	111	1308	1090	192
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14875	12316	6484	32720	31006	14537
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786	603	183	1648	1465	382
28.	पश्चिम बंगाल	1	23	0	4	25	0	0	0	0	0	0	0	11887	11199	812	19227	17324	1261
	कुल राज्य	2916	2946	2654	2976	3076	2711	1	1	0	18	18	0	150814	127330	30304	260521	247465	51914
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	14	1	32	23	2
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	141	12	306	247	17
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18	0	35	33	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	0	17	18	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4351	2552	473	5853	5238	798
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	109	36	191	177	54
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4739	2843	522	6434	5736	871
	कुल अखिल भारत	2917	2946	2654	2976	3076	2711	1	1	0	18	18	0	155553	130173	30826	266955	253201	52785

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन						सती निवारण अधिनियम						किए गए कुल अपराध					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1347	1348	1250	1387	1396	1300	0	0	0	0	0	0	21484	16139	3579	30660	27617	5892
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	108	16	141	114	22
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6801	3987	692	8438	5425	955
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6740	4488	801	11757	9827	1591
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3757	3665	881	5758	5676	1491
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	83	29	159	166	65
7.	गुजरात	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7279	6592	276	18188	17566	543
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4617	3255	791	6857	6665	1308
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	645	69	1151	1153	97
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2432	2142	170	3896	3887	268
11.	झारखंड	2	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2979	2110	629	4117	3733	526
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6084	5252	716	11035	10494	1509
13.	केरल	59	70	15	66	88	40	0	0	0	0	0	0	7554	6565	617	11406	10926	1159
14.	मध्य प्रदेश	2	2	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	14321	13950	3705	23753	23696	6061
15.	महाराष्ट्र	9	7	0	37	35	0	0	0	0	0	0	0	14452	13020	584	36197	34067	1064
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	3	3	104	3	2
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	88	7	158	101	10
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	128	209	138	139	128
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	36	26	64	52	38
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6825	5851	535	10408	10179	957
21.	पंजाब	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2242	1588	276	3882	3094	697
22.	राजस्थान	102	100	24	104	103	29	0	0	0	0	0	0	12934	8155	2719	14546	14565	4987
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	34	3	39	34	3
24.	तमिलनाडु	35	28	21	51	40	34	0	0	0	0	0	0	6489	5598	2923	9483	8987	4991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	834	106	1272	892	159
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16375	13254	6800	34720	32599	15710
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1038	836	207	2176	1895	523
28.	पश्चिम बंगाल	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12785	11445	1001	22398	18226	2077
	कुल राज्य	1561	1556	1311	1663	1668	1404	0	0	0	0	0	0	159770	129851	28370	272901	251778	52833
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	39	1	49	63	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	133	24	352	267	33
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	22	2	25	31	3
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	1	28	26	3
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4544	2909	565	6207	5537	925
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	139	35	260	250	77
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4995	3251	628	6922	6174	1042
	कुल अखिल भारत	1562	1557	1311	1665	1670	1404	0	0	0	0	0	0	164765	133102	28998	279823	257952	53875

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन						सती निवारण अधिनियम						किए गए कुल अपराध					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1005	998	909	1025	1018	885	0	0	0	0	0	0	24738	20967	3911	35121	34088	6093
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	128	16	203	155	20
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6844	4148	821	8797	5755	851
4.	बिहार	0	28	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	7548	5941	764	14955	11842	1425
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3775	3637	580	5855	5764	1038
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	48	10	145	88	14
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8260	7763	298	21665	21625	581
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4645	3368	636	7071	6876	1111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1018	727	53	1476	1302	76
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2521	2192	123	4411	4398	183
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3317	2383	829	4528	4047	854
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6568	5576	685	11302	11049	1412
13.	केरल	26	39	20	31	46	28	0	0	0	0	0	0	7837	7267	470	11210	11440	805
14.	मध्य प्रदेश	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	15370	15030	3737	25990	25989	6932
15.	महाराष्ट्र	2	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	14924	13516	597	36040	34625	1073
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	3	1	133	3	1
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	67	16	130	71	30
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	142	84	152	163	95
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	25	38	58	40	49
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7304	6098	547	10424	9902	1391
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2694	1672	274	4211	3358	708
22.	राजस्थान	131	130	37	125	126	38	0	0	0	0	0	0	14270	8693	2446	14548	14528	4138
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	33	2	63	44	2
24.	तमिलनाडु	25	28	6	27	31	11	0	0	0	0	0	0	7811	5963	2116	11601	10449	3338
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067	1078	133	1107	1175	222
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20993	15626	6918	48291	39978	17392
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1097	810	329	2711	2059	604
28.	पश्चिम बंगाल	10	7	1	20	11	6	0	0	0	0	0	0	16544	14424	467	22175	22423	667
	कुल राज्य	1199	1233	976	1229	1255	976	0	0	0	0	0	0	180009	147325	26901	304373	283236	51305
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	36	3	80	50	6
30.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	128	28	290	232	40
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	14	1	21	17	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	7	1	57	30	1
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4804	2587	646	5648	4739	1022
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	2	2	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	178	32	337	351	69
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5303	2952	711	6435	5421	1139
	कुल अखिल भारत	1200	1233	976	1229	1255	976	0	0	0	0	0	0	185312	150277	27612	310808	288657	52444

वर्ष 2005 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हत्या (बाल हत्या सहित)						बलात्कार						अपहरण व्यपहरण					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	57	63	9	85	107	16	315	303	55	378	369	56	332	205	19	448	385	38
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	10	11	2	11	11	2	12	9	0	13	9	0
3.	असम	13	13	2	16	16	2	90	43	3	90	40	4	18	16	0	18	13	0
4.	बिहार	26	1	0	43	4	0	8	5	0	5	6	0	72	23	0	74	51	0
5.	छत्तीसगढ़	37	33	15	33	33	20	382	373	66	343	341	60	110	101	11	95	95	10
6.	गोवा	4	2	0	2	2	0	15	15	4	29	30	4	11	6	1	12	8	2
7.	गुजरात	76	39	2	75	63	2	90	88	10	123	124	9	285	241	9	369	365	16
8.	हरियाणा	38	18	3	33	33	4	131	118	14	162	158	20	101	40	2	60	58	10
9.	हिमाचल प्रदेश	6	4	0	5	9	0	58	46	10	79	75	10	37	25	0	52	44	0
10.	जम्मू-कश्मीर	4	2	0	5	5	0	4	0	0	0	0	0	48	19	0	19	19	0
11.	झारखंड	33	27	12	13	12	0	22	15	8	51	44	5	11	7	3	18	20	4
12.	कर्नाटक	47	30	1	31	31	2	48	50	2	56	63	2	35	30	0	45	38	0
13.	केरल	45	40	4	32	62	5	140	196	21	127	145	21	45	81	23	107	87	23
14.	मध्य प्रदेश	150	108	84	158	150	160	870	851	233	1112	1107	263	240	216	62	351	357	75
15.	महाराष्ट्र	192	111	8	214	181	9	634	579	24	757	703	28	420	346	12	503	494	16
16.	मणिपुर	3	0	0	2	0	0	4	1	0	3	1	0	13	0	0	11	0	0
17.	मेघालय	9	2	0	2	0	0	51	15	0	27	6	0	11	4	0	2	1	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	10	7	0	14	12	0	28	18	4	18	17	5	16	13	1	25	22	3
21.	पंजाब	26	18	3	34	24	5	51	45	7	61	57	8	59	46	6	90	70	7
22.	राजस्थान	57	46	6	49	49	8	246	221	15	254	254	24	132	63	6	85	88	18
23.	सिक्किम	1	0	0	1	0	0	14	5	1	8	4	0	2	1	0	2	2	0
24.	तमिलनाडु	54	55	14	51	56	28	115	98	25	97	109	27	69	37	5	68	58	9
25.	त्रिपुरा	1	1	0	1	1	0	20	15	5	6	15	2	6	5	0	17	16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	390	385	192	627	634	368	394	373	240	531	520	346	749	629	292	1192	1115	568
27.	उत्तराखण्ड	6	3	1	6	6	1	18	17	3	25	22	3	41	22	1	50	36	1
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	0	4	3	0	6	8	0	6	19	0	102	70	0	124	78	0
	कुल राज्य	1287	1010	356	1536	1494	630	3764	3508	752	4359	4240	899	2977	2255	453	3850	3529	797
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	1	1	0	2	6	0	6	6	0	2	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	3	2	2	3	2	2	21	13	2	23	17	2	23	8	1	29	28	1
31.	दादरा और नगर हवेली	1	2	1	4	15	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	4	3	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	4	4	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	34	40	9	41	48	23	235	206	47	243	244	62	507	139	23	157	146	87
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	1	1	0	1	1	3	4	0	4	6	0	3	3	0	5	3	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	40	47	13	50	68	27	262	229	49	277	273	64	541	154	24	199	184	88
	कुल अखिल भारत	1327	1057	369	1586	1562	657	4026	3738	801	4636	4513	963	3518	2409	477	4049	3713	885

स्रोत: भारत में अपराध नोट: पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान में विगत वर्षों से लम्बित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2006 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हत्या (बाल हत्या सहित)						बलात्कार						अपहरण व्यपहरण					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5	5	0	6	4	0	4	6	0	4	4	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	61	47	6	88	83	20	412	323	54	434	374	62	498	281	37	600	489	78
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	27	12	0	18	11	0
4.	बिहार	11	11	4	15	15	6	61	39	8	61	39	8	25	18	2	25	18	2
5.	छत्तीसगढ़	12	9	4	11	20	4	17	13	0	11	13	0	25	30	5	44	42	8
6.	गोवा	1	2	2	2	3	2	8	10	6	7	8	6	43	18	5	29	24	6
7.	गुजरात	48	45	13	81	81	23	448	446	102	455	453	94	113	109	24	115	114	18
8.	हरियाणा	1	0	0	0	0	0	3	1	0	2	1	0	10	9	0	10	11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	1	0	1	1	0
10.	जम्मू-कश्मीर	62	40	13	71	61	18	448	330	59	466	311	60	1114	334	33	396	170	34
11.	झारखंड	3	2	0	7	6	0	14	10	0	15	14	0	10	11	0	14	15	0
12.	कर्नाटक	87	46	0	87	87	0	112	101	10	158	155	13	360	259	8	391	387	16
13.	केरल	29	25	6	39	37	6	176	159	29	206	207	28	158	88	20	123	118	21
14.	मध्य प्रदेश	4	2	2	2	2	1	41	42	18	52	57	14	52	19	0	41	41	0
15.	महाराष्ट्र	3	0	0	0	0	0	8	5	0	7	7	0	72	55	0	57	57	0
16.	मणिपुर	10	0	2	10	10	2	28	26	5	42	44	11	11	8	1	23	17	0
17.	मेघालय	63	50	2	39	37	2	84	77	5	84	78	5	62	41	0	50	56	0
18.	मिजोरम	51	29	5	111	82	6	219	147	8	688	302	10	73	52	1	126	98	4
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	207	151	14	226	238	16	655	601	30	768	756	38	552	431	13	612	561	17
21.	पंजाब	6	0	0	1	0	0	15	0	C	7	0	0	32	0	0	30	0	0
22.	राजस्थान	6	5	0	7	5	0	47	23	0	13	7	0	13	8	0	1	1	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	160	115	50	189	195	178	829	818	221	1085	1070	185	237	215	24	304	285	36
25.	त्रिपुरा	3	1	1	2	1	1	11	10	10	3	1	1	0	1	1	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	13	9	4	15	10	2	101	80	6	83	74	7	17	13	1	23	23	2
27.	उत्तराखण्ड	1	0	0	2	0	0	8	4	0	11	5	0	13	8	0	23	18	0
28.	पश्चिम बंगाल	24	23	7	22	25	10	58	51	17	73	68	21	169	73	16	67	47	13
	कुल राज्य	867	613	135	1027	1004	297	3844	3360	623	4473	4086	598	3691	2100	191	3127	2608	256
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	77	58	8	68	68	8	311	266	35	288	281	43	392	225	17	255	254	32
30.	चंडीगढ़	4	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	6	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	60	42	14	58	54	36	125	127	26	134	129	29	118	71	15	146	96	18
32.	दमन और दीव	3	0	0	3	1	0	37	25	4	28	10	0	0	0	1	0	0	1
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	426	413	223	635	645	405	347	338	209	480	494	288	734	624	304	1120	1061	601
34.	लक्षद्वीप	10	8	0	17	17	0	23	22	9	39	42	3	5	15	2	7	16	2
35.	पुडुचेरी	3	2	1	4	3	1	20	15	2	33	29	2	156	111	8	233	170	10
	कुल संघ शासित क्षेत्र	583	623	246	785	788	450	877	793	285	1016	985	366	1411	1046	347	1761	1597	664
	कुल अखिल भारत	1450	1136	381	1812	1792	747	4721	4153	908	5489	5071	963	5102	3146	538	4888	4205	919

स्रोत: भारत में अपराध नोट: पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान में विगत वर्षों से लम्बित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हत्या (बाल हत्या सहित)						बलात्कार						अपहरण व्यपहरण					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	76	69	10	122	116	20	363	375	24	403	423	34	609	447	35	654	651	54
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	3	8	0	3	5	0
3.	असम	2	1	5	5	3	5	34	16	10	34	16	10	29	24	10	29	22	10
4.	बिहार	88	23	1	161	47	2	110	38	3	129	44	0	421	130	6	603	243	16
5.	छत्तीसगढ़	45	38	10	60	60	18	368	357	75	376	375	99	103	82	9	87	85	14
6.	गोवा	3	1	1	2	2	1	15	11	1	16	12	1	7	3	2	5	3	3
7.	गुजरात	83	60	5	80	76	5	98	90	12	160	158	13	436	317	18	505	464	19
8.	हरियाणा	20	12	4	28	20	8	122	39	17	148	150	42	107	31	5	138	141	28
9.	हिमाचल प्रदेश	6	4	2	8	9	2	48	35	2	40	34	1	61	32	2	32	29	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	12	10	0	9	9	0	8	20	0	9	9	0
11.	झारखंड	3	2	1	4	5	11	23	30	5	24	24	22	7	8	6	6	7	17
12.	कर्नाटक	53	39	3	46	41	1	84	68	7	86	82	6	62	46	1	62	54	1
13.	केरल	38	38	8	22	38	8	183	176	19	204	208	22	73	58	4	96	91	8
14.	मध्य प्रदेश	160	106	59	171	173	175	1043	1012	308	1304	1335	352	283	205	47	271	285	85
15.	महाराष्ट्र	213	125	13	276	220	15	615	562	23	762	696	31	590	415	8	680	614	13
16.	मणिपुर	3	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	42	0	0	17	0	0
17.	मेघालय	12	1	0	5	2	0	41	24	0	30	11	0	9	3	0	7	3	0
18.	मिजोरम	3	2	2	3	2	2	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	3	4	2	2	3	1	2	3	2	2	4	3	2	2	1	2	2	1
20.	उड़ीसा	30	27	1	15	14	1	92	90	4	98	105	5	36	29	0	36	34	0
21.	पंजाब	29	26	16	28	34	21	135	101	19	127	100	24	296	127	12	165	128	29
22.	राजस्थान	89	73	3	81	80	3	406	340	23	349	354	24	589	278	19	300	298	23
23.	सिक्किम	1	0	0	1	0	0	17	5	0	17	6	0	5	1	0	3	2	0
24.	तमिलनाडु	54	37	16	60	43	17	141	106	17	159	119	25	197	84	3	197	115	12
25.	त्रिपुरा	9	10	0	36	33	0	33	36	3	14	17	4	11	8	2	9	8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	397	305	222	667	568	403	471	384	222	694	567	343	1041	729	372	1563	1240	607
27.	उत्तराखण्ड	14	11	2	13	9	4	17	16	10	22	17	4	46	31	6	49	38	13
28.	पश्चिम बंगाल	15	6	1	14	6	1	92	36	2	43	30	1	88	38	1	110	51	1
	कुल राज्य	1449	1020	387	1913	1604	724	4630	4022	868	5312	4957	1126	5161	3156	569	5638	4622	957
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	3	3	1	3	3	1	7	2	0	6	3	0
30.	चंडीगढ़	1	1	4	1	3	4	8	11	6	11	8	6	30	8	10	36	20	14
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	3	3	0	2	3	0	6	4	0	4	4	0
32.	दमन और दीव	2	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	56	35	15	77	70	22	398	371	67	423	408	77	1161	236	41	410	383	48
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	2	2	0	2	2	0	3	8	0	5	14	0	12	13	0	10	17	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	62	39	19	83	77	26	415	396	74	444	436	84	1216	263	51	466	427	62
	कुल अखिल भारत	1511	1059	406	1996	1681	750	5045	4418	942	5756	5393	1210	6377	3419	620	6104	5049	1019

स्रोत: भारत में अपराध नोट: पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान में विगत वर्षों से लम्बित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2005 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	भ्रूण हत्या						आत्महत्या के लिए उकसाना						प्रकरण एवं परित्यजन					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	1	0	0	4	3	0	6	4	0	99	7	0	14	8	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	1	1	1	1	1	5	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	21	8	1	8	8	0	8	7	0	13	13	1	6	0	0	1	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0
7.	गुजरात	4	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	141	10	3	14	11	1
8.	हरियाणा	8	5	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	32	4	2	3	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	2	1	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
13.	केरल	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3	0	2	4	0
14.	मध्य प्रदेश	12	3	2	7	7	3	7	6	2	7	7	2	95	17	0	29	31	1
15.	महाराष्ट्र	4	3	1	3	9	1	11	11	0	17	17	0	321	72	4	72	72	6
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	12	3	0	14	7	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	5	2	0
22.	राजस्थान	10	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	123	5	1	5	5	2
23.	सिक्किम	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	1	2	3	3	2
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	83	26	5	49	45	5	43	34	2	58	51	3	876	122	12	153	141	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	3	3	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	3	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	47	4	3	2	1	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	3	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	57	5	3	5	4	2
	कुल अखिल भारत	86	29	5	55	51	5	43	34	2	58	51	3	933	127	15	158	145	16

वर्ष 2006 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	भ्रूण हत्या						आत्महत्या के लिए उकसाना						प्रकरण एवं परित्यजन					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	5	0	4	5	0	11	8	0	18	15	0	89	46	0	46	47	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	1	1	1	1	1	5	3	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	3	2	2	3
7.	गुजरात	5	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	14	10	0	3	3	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	7	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	36	3	2	2	1	2
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	1	1	2	2	2
12.	कर्नाटक	6	2	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	150	9	1	9	12	1
13.	केरल	9	2	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	7	7	0
14.	मध्य प्रदेश	5	1	0	5	4	0	1	0	0	5	0	0	12	2	0	6	2	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	1	0	0	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	0	2	1	0
18.	मिजोरम	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	7	4	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	10	5	0	11	11	0	7	3	0	8	4	0	255	48	2	76	52	2
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	14	4	2	6	6	1	12	4	0	6	6	0	105	11	0	11	11	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	22	2	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	98	30	3	64	60	2	42	22	0	47	33	0	756	137	9	173	144	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	3	1	8	8	1	0	0	0	0	0	0	137	11	3	14	14	6
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	1	0	2	1	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	2	2	1	5	5	2	3	3	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	3	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	27	5	2	13	13	3	3	4	0	5	9	0	153	12	3	19	15	7
	कुल अखिल भारत	125	35	5	77	73	5	45	26	0	52	42	0	909	149	12	192	159	17

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	भ्रूण हत्या						आत्महत्या के लिए उकसाना						प्रकरण एवं परिक्षण					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	6	8	0	7	9	0	35	10	0	53	54	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	10	4	2	8	7	3	3	3	2	2	2	1	7	4	2	2	1	1
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0
7.	गुजरात	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	149	17	1	23	24	1
8.	हरियाणा	4	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	12	5	0	6	6	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	6	5	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	0	1	2	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	3	0	8	6	0
14.	मध्य प्रदेश	10	7	0	11	11	0	5	6	1	8	8	1	141	21	5	20	20	4
15.	महाराष्ट्र	1	0	0	0	0	0	8	10	2	13	16	3	297	45	1	57	70	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	5	4	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	35	8	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	1	1	0
22.	राजस्थान	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	10	1	12	12	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	0	3	1	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	कुल राज्य	92	26	3	40	39	4	24	29	6	33	43	9	873	126	10	190	200	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12	1	3	1	1	3
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	35	5	1	5	4	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	4	1	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	50	6	4	6	5	4
	कुल अखिल भारत	96	27	3	41	40	4	26	29	6	34	43	9	923	132	14	196	205	12

वर्ष 2005 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	अपहरण लड़कियों का प्रापण						लड़कियों की वैश्यावृत्ति के लिए खरीद-फरोख्त						वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का वेचन					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	48	33	4	53	47	5	9	9	0	19	19	0	2	2	0	4	4	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0
4.	बिहार	5	4	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	4	4	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	21	9	0	23	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	4	3	1	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	8	0	0	18
15.	महाराष्ट्र	5	5	0	4	9	0	6	1	0	17	0	0	1	1	0	1	1	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	3	5	8	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	9	9	2	22	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	20	16	0	28	23	0	2	2	0	3	3	0	44	16	0	45	16	0
	कुल राज्य	145	94	16	154	137	20	19	14	0	43	26	0	50	22	8	53	24	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	145	94	16	154	137	20	28	14	0	43	26	0	50	22	8	53	24	18

वर्ष 2006 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	अवयस्क लड़कियों का प्रापण						लड़कियों की वैश्यावृत्ति के लिए खरीद-फरोख्त						वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का बेचना					
		सीआर	सीएस	सीबी	पीएआर	पीसीएस	पीसीबी	सीआर	सीएस	सीबी	पीएआर	पीसीएस	पीसीबी	सीआर	सीएस	सीबी	पीएआर	पीसीएस	पीसीबी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	35	35	2	47	44	3	5	2	1	17	17	3	6	1	1	7	7	1
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	4	4	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	9	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	26	16	1	30	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	35	0	1	35	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	15	10	0	49	16	0	23	14	1	43	31	2	1	1	0	2	2	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	6	4	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	15
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	कुल राज्य	139	93	6	176	123	9	29	16	3	60	48	5	9	6	12	11	10	16
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	1	1	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	13	13	5	32	37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	77	19	0	88	27	0	4	1	0	6	2	0	114	51	3	120	53	3
	कुल संघ शासित क्षेत्र	92	33	7	122	65	6	6	2	0	7	3	0	114	51	3	120	53	3
	कुल अखिल भारत	231	126	13	298	188	15	35	18	3	67	51	5	123	57	15	131	63	19

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	अवयस्क लड़कियों का प्रापण						लड़कियों की वेश्यावृत्ति के लिए खरीद-फरोख्त						वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का बेचना					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	37	22	2	66	52	5	0	3	0	3	3	0	11	9	0	38	26	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	36	25	1	49	34	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	3	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	25	15	0	19	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	25	20	2	21	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	8	3	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	22	21	1	26	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	16	17	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	6	0
15.	महाराष्ट्र	13	3	0	11	37	0	31	39	0	51	66	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	5	0	0	6	1	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	54	29	2	49	32	2	6	2	0	5	4	0	55	35	3	24	22	1
	कुल राज्य	253	160	17	287	260	24	38	45	0	63	77	0	69	47	3	69	55	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	253	160	17	287	260	24	40	45	0	66	77	0	69	47	3	69	55	1

वर्ष 2005 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	बाल विवाह निषेध अधिनियम						किए गए अन्य अपराध						किए गए कुल अपराध					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	9	3	0	13	7	2	74	80	14	76	87	17	950	708	101	1097	1037	134
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	2	24	20	2
3.	असम	0	0	0	0	0	0	70	36	11	70	36	6	199	112	17	202	109	13
4.	बिहार	4	1	0	4	3	0	0	5	0	0	11	0	115	39	0	131	80	0
5.	छत्तीसगढ़	3	3	5	13	13	11	430	422	90	551	551	169	997	947	188	1057	1055	271
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	21	12	4	30	13	4	53	35	9	76	53	10
7.	गुजरात	25	25	7	112	114	27	202	178	7	273	271	11	836	583	38	968	950	66
8.	हरियाणा	7	6	0	28	28	0	57	45	9	67	66	9	374	236	30	362	355	45
9.	हिमाचल प्रदेश	3	1	0	13	9	0	14	10	5	11	10	0	131	88	15	162	148	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	57	21	0	24	24	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	27	20	6	24	24	0	97	52	29	116	110	0
12.	कर्नाटक	3	0	0	2	0	0	25	15	0	19	21	0	191	132	3	160	160	4
13.	केरल	3	0	0	3	0	0	127	78	15	131	153	41	386	407	63	428	467	90
14.	मध्य प्रदेश	18	16	5	58	56	12	2324	2304	604	3223	3291	949	3721	3525	1001	4949	5010	1483
15.	महाराष्ट्र	22	17	3	123	102	8	689	613	32	840	798	40	2305	1759	84	2551	2386	108
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	16	1	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	81	27	0	31	7	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	32	28	4	43	39	6	86	66	9	100	90	14
21.	पंजाब	11	6	0	13	7	0	36	16	6	32	25	11	211	136	22	251	194	31
22.	राजस्थान	3	2	2	12	12	7	7	5	1	5	5	2	580	344	32	414	417	64
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	25	8	1	12	7	0
24.	तमिलनाडु	4	2	1	1	1	1	39	41	1	42	50	9	288	235	48	263	278	76
25.	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	2	28	23	7	24	35	4
26.	उत्तर प्रदेश	4	4	1	13	13	18	259	222	294	483	463	507	1801	1621	1027	2852	2753	1817
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	2	2	10	4	4	22	76	53	17	107	85	29
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	0	3	3	0	57	25	2	69	28	2	236	141	2	283	174	2
	कुल राज्य	122	88	24	411	368	86	4500	4176	1117	5994	5960	1807	13866	11349	2745	16660	16005	4279
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	5	0	8	7	0	17	12	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	3	1	57	26	6	61	53	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	8	18	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	6	5	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	191	102	10	141	119	13	1026	494	92	590	564	187
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	1	6	10	2	11	12	2
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	197	106	12	156	129	15	1109	544	101	693	664	196
	कुल अखिल भारत	122	88	24	411	368	86	4697	4281	1129	6150	6079	1822	14975	11893	2846	17353	16669	4475

वर्ष 2006 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	बाल विवाह निषेध अधिनियम						किए गए अन्य अपराध						किए गए कुल अपराध					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	17	14	0	53	43	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0	10	8	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	247	203	120	339	278	80	1386	968	221	1653	1402	247
3.	असम	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	14	0	18	12	0
4.	बिहार	2	2	0	0	2	0	147	48	16	147	48	16	252	122	33	256	126	35
5.	छत्तीसगढ़	5	5	1	19	19	5	6	3	0	9	8	0	66	62	9	80	90	12
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	64	34	17	42	39	19
7.	गुजरात	12	12	8	39	37	31	604	601	96	744	741	111	1238	1219	236	1420	1414	251
8.	हरियाणा	7	5	0	24	23	0	0	0	0	0	0	0	15	10	0	12	12	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	2	3	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	489	307	16	457	191	17	2160	1019	123	1394	736	131
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	17	15	1	31	27	1	54	39	2	69	64	3
12.	कर्नाटक	6	0	0	0	0	0	240	206	14	294	290	21	977	637	41	985	975	82
13.	केरल	1	1	0	0	3	0	59	41	6	69	57	6	462	323	61	477	458	61
14.	मध्य प्रदेश	4	4	1	10	12	5	18	15	3	26	24	2	136	82	23	143	131	17
15.	महाराष्ट्र	15	18	1	100	114	2	1	1	0	1	1	0	85	61	0	65	65	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	36	29	1	10	10	0	112	79	10	130	123	15
17.	मेघालय	2	0	0	2	0	0	15	12	0	21	19	0	276	183	7	198	193	7
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	170	115	8	183	118	20	553	366	33	850	630	41
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	3	2	0	2	2	0	1101	899	31	1229	1124	43	2841	2181	92	3124	2909	120
21.	पंजाब	9	5	0	22	11	0	1	0	0	0	0	0	54	0	0	38	0	0
22.	राजस्थान	1	1	2	7	7	8	0	0	0	0	0	0	71	36	0	23	13	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35	35
24.	तमिलनाडु	6	0	0	11	0	0	2572	2518	765	3448	3303	1078	3939	3693	1075	5062	4891	1499
25.	त्रिपुरा	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	12	5	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	19	25	3	17	21	3	154	130	14	142	138	14
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1	25	14	1	39	25	1
28.	पश्चिम बंगाल	6	5	1	11	10	1	31	17	4	19	30	7	329	171	44	211	183	51
	कुल राज्य	99	77	14	305	284	52	5777	5059	1096	7049	6294	1408	15337	11505	2089	16483	14677	2643
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	951	571	66	647	639	98
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	35	0	0	14	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	31	31	21	29	29	11	353	272	76	381	312	95
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	27	5	31	11	1
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	255	245	276	408	431	502	1767	1625	1015	2653	2641	1801
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	51	58	17	95	112	10
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	49	26	3	68	41	4	432	231	18	566	336	21
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	350	307	301	510	506	519	3630	2784	1197	4387	4051	2026
	कुल अखिल भारत	99	77	14	305	284	52	6127	5366	1397	7559	6800	1927	18967	14289	3286	20870	18728	4669

वर्ष 2007 (अनंतिम) के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों, चार्जशीट किए गए मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्जशीट किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	बाल विवाह निषेध अधिनियम						किए गए अन्य अपराध						किए गए कुल अपराध					
		सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची	सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची	सीआर	सीएस	सीची	पीएआर	पीसीएस	पीसीची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	21	18	0	39	44	0	341	264	65	344	317	65	1499	1225	136	1729	1695	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	4	6	0
3.	असम	1	0	0	1	0	0	101	55	27	101	61	29	167	96	54	170	102	56
4.	बिहार	8	4	0	20	12	0	11	6	2	12	10	2	675	227	13	975	391	22
5.	छत्तीसगढ़	4	2	1	4	4	2	481	478	118	539	542	158	1024	970	219	1081	1079	296
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	39	15	2	47	32	2	70	30	6	71	49	7
7.	गुजरात	14	14	13	56	59	44	304	289	24	397	399	26	1110	803	73	1241	1199	108
8.	हरियाणा	4	2	0	7	6	0	55	44	8	63	74	7	325	135	34	394	401	85
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	0	6	10	0	26	15	0	25	24	0	151	95	6	114	113	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	5	4	0	5	5	1	26	34	0	24	24	1
11.	झारखंड	4	0	0	0	0	0	12	12	3	20	18	3	74	72	17	75	77	56
12.	कर्नाटक	4	0	0	0	0	0	23	16	0	27	22	0	266	174	12	225	204	8
13.	केरल	1	0	2	0	0	2	163	135	15	156	153	25	487	431	49	512	525	68
14.	मध्य प्रदेश	5	4	4	11	11	16	2625	2549	612	3477	3617	1102	4290	3929	1036	5305	5492	1735
15.	महाराष्ट्र	7	7	1	28	30	2	932	799	34	1279	1092	37	2707	2005	82	3157	2841	102
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	21	0	0
17.	मेघालय	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	71	28	0	43	16	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	64	63	63	64	63	63
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	5	6	9	5
20.	उड़ीसा	1	1	0	2	2	0	37	31	1	49	49	5	201	182	6	208	212	11
21.	पंजाब	5	7	0	16	29	0	18	19	5	27	27	8	527	289	52	373	327	82
22.	राजस्थान	3	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1252	704	46	745	747	51
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	31	7	0	26	9	0
24.	तमिलनाडु	2	5	0	5	10	0	17	16	11	27	20	23	441	250	47	460	309	77
25.	त्रिपुरा	1	1	0	1	1	0	9	8	0	10	8	0	63	63	5	70	67	7
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	337	264	295	623	535	477	2248	1684	1118	3553	2916	1841
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	23	14	0	16	16	0	101	72	19	101	80	23
28.	पश्चिम बंगाल	9	2	0	24	8	0	40	21	7	73	42	7	361	170	16	343	196	13
	कुल राज्य	96	69	21	221	226	66	5606	5057	1230	7324	7066	1978	18291	13757	3114	21090	19149	4897
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	1	9	6	1
30.	चंडीगढ़	0	0	1	0	0	4	1	0	8	2	0	8	53	21	32	52	32	39
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	7	0	6	7	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	6	2	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	362	211	42	328	349	44	2019	859	166	1247	1215	192
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	6	0	23	28	0	22	39	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	1	0	0	4	368	216	50	338	355	52	2119	921	199	1342	1301	232
	कुल अखिल भारत	96	69	22	221	226	70	5974	5273	1280	7662	7421	2030	20410	14678	3313	22432	20450	5129

सीमाओं पर घुसपैठ

522. श्री परसुराम मांझी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जम्मू कश्मीर सहित सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इन मामलों का सीमावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों का सीमावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) घुसपैठियों की आशंका के बारे में उपलब्ध सूचना से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं पर सीमा पार से घुसपैठ में कभी विनिर्दिष्ट होती है। अन्य सीमाओं पर घुसपैठ की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

वर्ष	भारत-पाकिस्तान सीमा	भारत-बांग्लादेश सीमा
2005	208	8490
2006	133	5785
2007	130	4553
2008	110	2571

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अगस्त, 2008 तक) के दौरान सीमा पार से जम्मू और कश्मीर राज्य में हुई अनुमानित घुसपैठ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	अनुमानित घुसपैठियों की संख्या
2005	597
2006	573
2007	535
2008	202

(घ) सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमापार दिन रात निगरानी और गश्त तथा अन्वेषण चौकियों की स्थापना करना, सीमा बाड़ और फ्लड लाइटिंग का निर्माण करना, आधुनिक और हाई टैक निगरानी उपकरणों की शुरुआत करना, आसूचना सेट अप का उन्नयन करना तथा राज्य सरकार और संबंधित आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल है।

कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात

523. डा. अरुण कुमार शर्मा:
श्री मोहन सिंह:
श्री अजीत जोगी:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री ई. दयाकर राव:
श्री अनन्त नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी मात्रा तथा मूल्य के कृषि उत्पादों का देशवार, राज्यवार तथा मदवार आयात और निर्यात किया गया;

(ख) उन कृषि उत्पादों तथा मशीनरी का ब्यौरा क्या है, जिनके शुल्क का अलग से भुगतान कर मुक्त रूप से उनका आयात/निर्यात किया जा सकता है;

(ग) चावल सहित कृषि उत्पादों के निर्यात तथा आयात के संबंध में सरकार की नीति क्या है तथा निर्यात पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं;

(घ) क्या सरकार ने जोहा चावल सहित कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात को सीमित करने अथवा प्रतिबंधित करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मदवार, देशवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) से "जोहा" चावल को निर्यात के स्तर वाले चावल की नई किस्म के तौर पर सूचीबद्ध करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयातित एवं निर्यातित कृषि उत्पादों की मात्रा एवं मूल्य का देश-वार तथा मद-वार ब्यौरा www.commerce.gov.in, www.dgciskol.nic.in और www.apeda.com वेबसाइट पर उपलब्ध है। कृषि उत्पादों के आयात एवं निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (ङ) विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अंतर्गत विनियमित मुक्त सामान्य लाइसेन्स (ओजीएल) सभी कृषि उत्पादों के लिए उपलब्ध है। तथापि घरेलू बाजार में कृषि उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर उनके आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। जोहा चावल एक गैर-बासमती चावल है और पूसा 1121 किस्म से इतर गैर-बासमती चावलों का निर्यात निषिद्ध है।

प्रमुख खाद्य वस्तुओं की आयात एवं निर्यात नीति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मद	आयात नीति	निर्यात नीति
1.	गेहूं एवं गेहूं उत्पाद	मुक्त	निषिद्ध
2.	चावल	भारत खाद्य निगम (एफसीआई) के जरिए सरणीकृत	पूसा 1121 किस्म के अतिरिक्त गैर-बासमती चावल का निर्यात निषिद्ध है।
3.	मक्का	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के जरिए सरणीकृत	मुक्त
4.	दाले	मुक्त	काबुली चने को छोड़कर 31.03.2009 तक निषिद्ध
5.	खाद्य तेल (नारियल तेल को छोड़कर)	मुक्त	निम्नलिखित को छोड़कर शेष निषिद्ध:- (1) अरंडी के तेल का निर्यात (2) कोच्ची पत्तन के जरिए नारियल तेल का निर्यात (3) इस शर्त पर कि अंतिम उत्पाद अखाद्य होंगे, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को खाद्य तेलों का माना गया निर्यात (4) निर्धारित वनस्पति तेलों अर्थात् मड़वा तेल/दात/कुकुम तेल/फैट साल तेल/साल फैट/स्टियरिन, धूप तेल, नीम का तेल, रामतिल का तेल, आम की गिरी का तेल/फैट/ओलेन/स्टेराइन, साल फैट, चपड़ा मोम जैसे गौण वनोत्पादों से उत्पादित खाद्य तेलों का निर्यात। (5) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विनिर्माण हेतु एसईजेड इकाइयों द्वारा खपत किए जाने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से विशेष आर्थिक (एसईजेड्स) को खाद्य तेलों का निर्यात।
6.	नारियल तेल	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के जरिए सरणीकृत	-
7.	चीनी	मुक्त	मुक्त, तथापि ईयू और अमेरिका को निर्यात ईयू तथा अमेरिका द्वारा चीनी निदेशालय/भारतीय चीनी एक्जिम निगम लि. के जरिए जारी अधिमानी कोटा के अध्यधीन होता है।

(च) जी, हां।

(छ) निर्यातों को प्रोत्साहन एक सतत प्रक्रिया है। वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों की योजना स्कीमों के तहत उपायों एवं प्रोत्साहनों के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं अर्थात् बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार सहायता पहल (एमएआई), निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता के नगर आदि। इस दिशा में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को विदेश भेजा जाता है और क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निम्नलिखित स्कीमें चला रही हैं-

1. अवसंरचना विकास हेतु स्कीम
2. गुणवत्ता विकास हेतु स्कीम
3. बाजार विकास हेतु स्कीम
4. अनुसंधान एवं विकास हेतु स्कीम, और
5. परिवहन सहायता हेतु स्कीम।

चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों का आयात

524. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन में हाल में बड़ी संख्या में बच्चों की विषाक्त दुग्ध उत्पादों के सेवन से मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन भारत को बड़ी मात्रा में दूध तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चीन से दूध तथा दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में देश में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आईटीसी (एचएस) कोड : 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 तथा 0406 के अंतर्गत भारत का चीन से दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का आयात निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा किग्रा में	मूल्य रुपये में
2005-06	186	20,059
2006-07	665	1,43,965
2007-08	7,062	6,19,757
2008-09* (सितम्बर, 2008 तक)	88,002	85,10,475

*आंकड़े अनंतिम हैं तथा परिवर्तन के अध्यधीन हैं।
स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने चीन से सभी दुग्ध उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और बैच-वार नमूनों के मेलामाइन संदूषण से मुक्त होने संबंधी प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही इन उत्पादों के प्रवेश को अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए हैं। तद्नुसार वाणिज्य विभाग ने दिनांक 24 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 46 के तहत तीन माह के लिए चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों सहित डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में मेलामाइन संदूषण की जांच करने तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु मेलामाइन युक्त खाद्य उत्पादों की बाजार में अनुपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष सावधानी बरतने तथा तत्संबंधी कार्रवाई करने के बारे में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं।

देश में पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यन विभाग द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 (एमएमपीओ - 92) के तहत दुग्ध उत्पादों को विनियमित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने एमएमपीओ प्राधिकारियों से एमएमपीओ के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त डेयरी संयंत्रों में मेलामाइन संदूषण हेतु नमूना जांच करने के लिए कहा है।

वीआईपी सुरक्षा

525. श्री अधीर चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशिष्ट व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने खतरे की आशंका के आधार पर इन व्यक्तियों को अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए कोई नई प्रणाली बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) विशिष्ट व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा उनको खतरे की अवधारणा अथवा परिस्थितियों के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

और अधिक केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

526. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री हितेन बर्मन:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकाधिक छात्रों को प्रवेश देने पर विशेष ध्यान देते हुए और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर तथा छात्रों के प्रदर्शन का ग्राफ देश के बहुत से पब्लिक स्कूलों से काफी बेहतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्यवार किन-किन स्थानों को नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए चुना गया है और इनके कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है तथा इनमें से कौन-कौन से विद्यालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों पर विशेष ध्यान देंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) देश में 978 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) पिछले पांच वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालय संगठन और स्वतंत्र निजी स्कूलों में उत्तीर्णता प्रतिशत का तुलनात्मक अध्ययन, जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है, नीचे दिया गया है:-

वर्ष	कक्षा 10		कक्षा 12	
	केन्द्रीय विद्यालय	निजी स्कूल	केन्द्रीय विद्यालय	निजी स्कूल
2004	90.44%	84.8%	92.78%	80.5%
2005	89.95%	85.87%	92.47%	81.28%
2006	90.63%	85.94%	92.89%	82.35%
2007	95.64%	91.81%	93.14%	82.29%
2008	96.07%	91.77%	91%	81.68%

(च) अभी हाल में नए केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

देश में कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा
(16.10.2008 को)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	सिविल	रक्षा क्षेत्र	परियोजना	आई.एच.एल.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार (संघ शासित)	01	01	00	00	02
2.	आंध्र प्रदेश	26	19	05	00	50
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	01	00	01	13
4.	असम	21	14	14	01	50
5.	बिहार	32	06	02	00	40
6.	चंडीगढ़	00	05	00	00	05
7.	छत्तीसगढ़	16	00	09	00	25
8.	दादरा और नगर हवेली	01	00	00	00	01
9.	दमन और दीव	01	00	00	00	01
10.	दिल्ली	30	08	02	01	41
11.	गोवा	00	05	00	00	05
12.	गुजरात	17	15	09	01	42
13.	हरियाणा	16	10	01	00	27
14.	हिमाचल प्रदेश	10	08	03	00	21
15.	जम्मू-कश्मीर	16	16	03	00	35
16.	झारखण्ड	21	04	05	00	30
17.	कर्नाटक	19	10	06	01	36
18.	केरल	20	07	02	00	29
19.	लक्षद्वीप	01	00	00	00	01
20.	मध्य प्रदेश	51	19	11	00	81
21.	महाराष्ट्र	10	38	03	02	53
22.	मणिपुर	05	01	01	00	07
23.	मेघालय	02	04	00	01	07

1	2	3	4	5	6	7
24.	मिजोरम	02	00	00	00	02
25.	नागालैंड	03	02	00	00	05
26.	उड़ीसा	27	05	04	00	36
27.	पांडिचेरी	02	00	00	01	03
28.	पंजाब	04	34	01	00	39
29.	राजस्थान	30	22	05	00	57
30.	सिक्किम	01	00	01	00	02
31.	तमिलनाडु	17	15	02	03	37
32.	त्रिपुरा	05	00	01	00	06
33.	उत्तर प्रदेश	40	44	10	03	97
34.	उत्तराखंड	21	13	05	02	41
35.	पश्चिम बंगाल	20	24	05	02	51
	कुल	499	350	110	19	978

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात का हिस्सा

527. **श्री काशीराम राणा:**
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप सहित विश्व बाजार में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देशवार तथा मदवार कितनी मात्रा तथा मूल्य में यूरोप सहित विश्व में निर्यात तथा आयात किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान यूरोप सहित विश्व बाजार में भारतीय निर्यात का हिस्सा बहुत कम रहा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) किन मदों का अधिकतम मूल्य तथा मात्रा में निर्यात किया गया;

(च) यूरोप सहित विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदार को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का पण्य वस्तु निर्यात वर्ष 2005-06 में 103.1 बिलियन अम. डालर से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 162.9 बिलियन अम. डालर हो गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोप सहित वैश्विक निर्यातों एवं आयातों की मात्रा एवं मूल्य का देशवार एवं वस्तुवार ब्यौरा वाणिज्य विभाग की सरकारी वेबसाइट www.commerce.nic.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट में चालू वर्ष के लिए निर्यातों एवं आयातों के मूल्य का प्रमुख वस्तु एवं देशवार ब्यौरा अप्रैल-मई, 2008-09 (अनंतिम) की अवधि हेतु उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक व्यापार के आंकड़े भी वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता के "भारत के

विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी" नामक प्रकाशन के मार्च माह के अंक में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैश्विक निर्यातों में भारत के पण्य वस्तु के स्थान एवं हिस्से में वृद्धि हुई है। विश्व के अग्रणी निर्यातकों में भारत 2005 में 29वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2007 में 26वें स्थान पर आ गया है। इसी अवधि में वैश्विक निर्यातों में इसका हिस्सा भी 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 1.0 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान भारत के पण्य वस्तु निर्यातों की पांच शीर्षस्थ मदें पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद); रत्न एवं आभूषण; मशीनें एवं औजार; औषधियां, भेषज एवं परिष्कृत रसायन तथा आरएमजी कपास एवं सहायक सामग्री रही थी।

(च) और (छ) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, विशेष रूप से निर्यातों का संवर्द्धन करना सरकार का सतत प्रयास रहता है। निर्यात संवर्धन नीतियों एवं कार्यनीतियों को तदनुसार तैयार किया जाता है और निर्यात कार्य निष्पादन की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है। निर्यातों में वृद्धि के लिए नीति में अपनाई गई प्रमुख कार्यनीतियों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सौदा लागत में कमी, निर्यात हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर सभी लेवियों एवं शुल्कों का निष्प्रभावीकरण; विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं हेतु एक वैश्विक केन्द्र के रूप में भारत के विकास को सुकर बनाना और कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण तथा चर्म, फुटवियर आदि जैसे विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को अभिज्ञात एवं पोषित करना शामिल है। निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सरकार-दर-सरकार विचार-विमर्श के अलावा सरकार व्यवसाय-दर-व्यवसाय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इसके परिणामस्वरूप निर्यातों में वृद्धि हुई है।

लौह अयस्क का निर्यात और आयात

528. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री सुनील खां:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क सहित विभिन्न खनिजों की कुल प्रमात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का देशवार और खनिजवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश से लौह अयस्क, विशेषकर उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देशी लौह अयस्क विशेषकर उच्च श्रेणी के लौह अयस्क की अनुपलब्धता के कारण इस्पात विनिर्माताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लौह अयस्क का आयात करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में आयातित खनिजों विशेषकर लौह अयस्क की मात्रा और मूल्य कितना है; और

(च) इस्पात विनिर्माताओं के समक्ष पेश आ रही मुश्किलों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान निर्यातित प्रमुख खनिजों की कुल मात्रा एवं अर्जित विदेशी मुद्रा का देशवार एवं खनिजवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वदेशी अयस्क की अनुपलब्धता के कारण इस्पात विनिर्माताओं को कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि घरेलू मांग को पूरा करने के बाद लौह अयस्क की शेष बची मात्रा का ही निर्यात किया जाता है। तथापि ढलवा लोहे और पिटवां लोहे के कुछेक उत्पादकों ने उचित मूल्य पर लौह अयस्क की आपूर्ति में समस्याओं के बारे में सूचित किया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई है।

(ङ) लौह अयस्क के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और प्रतीत होता है कि इसकी अल्प मात्रा का ही आयात किया गया है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित लौह अयस्क की मात्रा संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है। चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क के आयात का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(च) जहां तक इस्पात विनिर्माताओं का संबंध है, उच्च श्रेणी के अयस्क की घरेलू कीमत प्रमुख मुद्दा होने के कारण इस्पात मंत्रालय द्वारा यह मुद्दा खान मंत्रालय के साथ उठाया गया है ताकि लौह अयस्क की सुनिश्चित आपूर्ति हेतु लौह अयस्क के घरेलू उत्पादकों के साथ उचित मूल्य तंत्र सहित दीर्घावधिक करार निष्पादित करने पर जोर दिया जा सके।

विवरण I

लौह अयस्क का देशवार निर्यात

(मात्रा मि. टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

देश	2005-06		2006-07(अ)		2007-08(अ)		2008-09(अ) (अप्रैल-सितम्बर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	74.13	15186.31	80.16	16609.22	91.982	31838.6	341.47	उ.न.
जापान	10.33	1506.18	8.632	1492.42	7.703	1533.71	25.49	उ.न.
दक्षिण कोरिया	1.32	158.18	1.908	280.64	1.763	331.23	6.41	उ.न.
ताइवान	0.14	15.88	0	0	0	0	0	उ.न.
यूरोप	2.1	350.28	2.069	303.22	1.618	234.62	1.12	उ.न.
अन्य	1.25	158.17	1.021	150.57	1.204	162.24	4.75	उ.न.
कुल	89.27	17375	93.79	18836.07	104.27	34100.40	379.24	उ.न.

स्रोत: (1) मात्रा: गोवा मिनरल और एक्सपोर्टस एसोसिएशन (जीएमओईए), कुद्रेमुख आयरन ओर कं.लि. (केआईओसीएल), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी), एमएमटीसी लि. तथा निजी निर्यातक

(2) मूल्य: मूल्य केवल अनुमान है, जो वर्ष के दौरान मात्रा व कीमत की प्रवृत्ति तथा जीएमओईए, केओईओसीएल तथा एमएमटीसी से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

क्रोम अयस्क/क्रोम कंक्रीट का देशवार निर्यात

(स्रोत: एमएमटीसी लि.) (मात्रा लाख टन में, मूल्य करोड़ रुपये में)

देश	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (30.09.08 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	1.33	905.00	1.35	990.00	0.88	1,228.40	0.29	697.00
कुल	1.33	905.00	1.35	990.00	0.88	1,228.40	0.29	697.00

मैंगनीज अयस्क का देशवार निर्यात

(स्रोत: एमएमटीसी लि.) (मात्रा लाख टन में, मूल्य करोड़ रुपये में)

देश	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (30.09.08 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	0.15	22.58	0.08	18.27	0.112	31.96	0.07	54.10
जापान	0.05	14.31	0.06	14.43	0.023	5.58	–	–
दक्षिण कोरिया	0.03	9.08	–	–	0.033	6.02	–	–
बंगलादेश	–	–	0.03	8.18	–	–	–	–
पाकिस्तान	0.01	0.90	–	–	0.002	0.57	–	–
कुल	0.24	46.87	0.17	40.88	0.170	44.13	0.07	54.10

विवरण II

लौह अयस्क का आयात

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
2005-06	6.11	273.42
2006-07	4.83	244.94
2007-08	2.90	177.45
2008-09	उ.न.	उ.न.

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता)

[हिन्दी]

औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम

529. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत सशर्त ऋणों/अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में लघु तथा मध्यम औषध इकाइयों द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत फार्मा उद्योगों/संस्थानों को सरकार द्वारा स्वीकृत सशर्त ऋणों/अनुदानों के गत तीन वर्षों (2005-06, 2006-07, 2007-08) के दौरान प्रत्येक के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। नये औषधि विकास पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा औषधि एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत उष्णदेशीय क्षेत्र की उपेक्षित बीमारियों के लिए नयी औषधियां विकसित करने के लिए नैदानिक परीक्षणों (चरण I, II और III) हेतु अनुदान सहायता को बढ़ावा देने के लिए सशर्त ऋण प्राप्त करने हेतु किसी भी भारतीय फार्मा उद्योग, जो बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में लघु तथा मध्यम औषधि इकाइयों को शामिल करता है, को समर्थ बनाने के लिए विभाग ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग-सांस्थानिक सहयोगी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को आरंभ करने तथा औषधि एवं भेषज क्षेत्र में राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक रूप से निधिकृत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों/अन्य शैक्षिक संस्थानों को भी अनुदान सहायता मुहैया की जाती है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2005-06, 2006-07, 2007-08) और चालू वर्ष (2008-09) के दौरान औषधि एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत फार्मा उद्योगों/संस्थानों को सरकार द्वारा स्वीकृत सशर्त ऋणों/अनुदानों के ब्यौरे

वर्ष	ऋण (करोड़ रुपयों में)	अनुदान सहायता (करोड़ रुपयों में)
2005-06	99.41	71.02
2006-07	43.71	43.86
2007-08	73.50	100.44
2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)	28.47	9.98

सिमी की गतिविधियां

530. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टूडेन्ट इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इंडिया (सिमी) तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी सहित विभिन्न राज्यों में अपनी गतिविधियां चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार सिमी के कितने कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए या सुरक्षा बलों द्वारा मार दिए गए; और

(ग) देश में ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) सिमी की गतिविधियां तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में नोटिस की गई हैं। तथापि रिपोर्टों के अनुसार पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नोटिस नहीं की गई है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान (सितम्बर, 2008 तक) राज्यों में गिरफ्तार किए गए सिमी के कार्यकर्ताओं की संख्या निम्नवत् है:-

राज्य	गिरफ्तारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	03
दिल्ली	03
गुजरात	34
केरल	08
कर्नाटक	15
मध्य प्रदेश	129
महाराष्ट्र	83
राजस्थान	14
उत्तर प्रदेश	02

सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए सिमी के कार्यकर्ताओं की संख्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन और अनुरक्षण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता।

(ग) ऐसी सभी संगठनों की गतिविधियों पर, जिनका देश की शांति, सांप्रदायिक सदभाव और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतत नजर रहती है तथा ऐसी गतिविधियों की रोक थाम और जांच के लिए गैर-कानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत पाबंदी सहित अपेक्षित सतत आधार पर की जाती है।

कॉफी उत्पादों की सहायता के लिए पैकेज

531. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006 में कॉफी उत्पादकों के ऋण के संबंध में राहत देने के लिए उनकी सहायता हेतु एक पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पैकेज को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) वर्ष 2006 में अनन्य रूप से काफी कृषकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई थी। तथापि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के 25 जिलों में ऋण ग्रस्त कृषकों हेतु बैंकों द्वारा राहत संबंधी उपायों का एक पैकेज (अक्तूबर 2006 में घोषित प्रधानमंत्री का राहत पैकेज) लागू किया गया था। इसमें पांच कॉफी उपजकर्ता जिले अर्थात् कर्नाटक के चिकमंगलूर, हसन तथा कोडागू और केरल राज्य के वयनाड तथा पालक्काड़ जिले शामिल हैं।

अध्यापकों की कमी

532. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री अजय चक्रवर्ती:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अध्यापकों की आवश्यकता और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए उनकी उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में अध्यापकों की अपेक्षित संख्याओं की उपलब्धता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली हेतु 2006 के आंकड़ों में जिलों/राज्यों द्वारा यथासूचित अध्यापकों की उपलब्धता से यह प्रदर्शित होता है कि देश में प्रारंभिक स्कूल स्तरीय अध्यापकों की संख्या 2004-05 के 41.72 लाख से बढ़कर 2006-07 में 52.18 लाख हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, छात्र-शिक्षक अनुपात प्राथमिक स्तर के लिए सुधर कर 36:1 हो गया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वे राज्य जिनमें अभी भी अध्यापकों की कमी है, वे हैं:- बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 2005-06 के चयनित शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्कूलों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात 1:33 है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	शिक्षकों की संख्या (सभी स्कूल)			छात्र-शिक्षक अनुपात (2006-07)	
		2004-05	2005-06	2006-07	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	आंध्र प्रदेश	466725	462869	511579	25	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	8670	10741	12829	22	22
3.	असम	155897	148869	221047	28	19
4.	बिहार	165309	207347	237449	65	67
5.	छत्तीसगढ़	104495	162707	155652	29	21
6.	गोवा	–	5501	6854	25	26
7.	गुजरात	190955	206693	216564	35	36
8.	हरियाणा	59905	63051	78157	36	28
9.	हिमाचल प्रदेश	52618	52778	59143	19	18
10.	जम्मू-कश्मीर	71181	89408	101959	16	17
11.	झारखंड	71126	111288	131646	49	48
12.	कर्नाटक	227665	227785	249971	32	34
13.	केरल	118948	114268	127672	26	28
14.	मध्य प्रदेश	377420	378501	398744	39	32
15.	महाराष्ट्र	450785	509402	552369	27	31
16.	मणिपुर	–	21920	22650	21	20
17.	मेघालय	25363	25445	29873	19	17
18.	मिजोरम	12582	13233	16025	16	12
19.	नागालैंड	18306	19376	21075	24	25
20.	उड़ीसा	158481	169232	150692	32	39
21.	पंजाब	91484	72704	85118	36	27
22.	राजस्थान	296041	354439	396930	32	29
23.	सिक्किम	7682	7908	9779	12	18
24.	तमिलनाडु	250214	331513	360463	31	26
25.	त्रिपुरा	30441	30344	31013	23	23
26.	उत्तर प्रदेश	400721	527035	608638	55	48
27.	उत्तराखंड	52922	51507	49326	27	26
28.	पश्चिम बंगाल	232311	234278	263126	45	62

विश्वविद्यालयों को धनराशि

533. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोज्जा:
प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री हितेन बर्मन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को धनराशि आबंटित करने का क्या मापदण्ड है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) प्रत्येक राज्य में नए डिग्री कालेज और केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) डिग्री कालेज और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(च) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से राज्यवार कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) 31.12.07 की स्थिति के अनुसार देश में 388 विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों को, उनकी आवश्यकता, उनके द्वारा निधियों के उपयोग की गति तथा आयोग के पास निधियों की उपलब्धता और प्रासंगिक योजना जिसके लिए सहायता मांगी गई है के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय की पात्रता के आधार पर निधियां प्रदान करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिया गया सामान्य विकास अनुदान दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नए कालेजों के स्थान निर्धारण के लिए जिलों की पहचान कर ली गई है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे संघटक कालेज स्थापित करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों हेतु यू.जी.सी. के माध्यम से अथवा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से सीधे राज्य सरकारों द्वारा निधियों के बीच अपनी वारीयता को दर्शाएं। एक माडल परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है तथा प्रत्येक कालेज के पास आठ करोड़ रुपये का कैपिटल परिव्यय होने का अनुमान है- जिसका एक तिहाई केन्द्र द्वारा निहित होगा तथा शेष राज्य द्वारा स्वयं की ओर से अथवा प्राइवेट रूप से लाभरहित भागीदारी के आधार पर होगा।

नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित विधान का मसौदा संसद में पेश करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। स्थल निरीक्षण समितियों का गठन कर दिया गया है और इन समितियों ने पंजाब, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के संबंध में पहले ही दौरे कर लिए हैं राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वह विश्वविद्यालयों के वैकल्पिक स्थलों के संबंध में सुझाव दें।

(च) और (छ) जबकि सभी राज्यों से नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्थान के निर्धारण के संबंध में अनुरोध पर दिया गया है तथापि, नए डिग्री कालेजों के पूंजीगत लागत के दो-तिहाई अंशदान के आधार पर होने के कारण किसी पक्की प्रतिबद्धता की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 23 और 24 जुलाई, 2008 को राज्यों के उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस संबंध में अनुरोध कर दिया गया है।

विवरण I

31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या	सम विश्वविद्यालय की संख्या	प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या	राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित किये गए संस्थान	कालेजों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	20	3	4	–	1	2	435
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1	1	–	–	–	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	4	2	–	–	2	–	212
4.	बिहार	13	–	2	–	1	1	323
5.	छत्तीसगढ़	8	–	–	–	1	–	143
6.	गोवा	1	–	–	–	–	–	26
7.	गुजरात	17	–	2	3	1	–	373
8.	हरियाणा	7	–	3	–	1	–	147
9.	हिमाचल प्रदेश	3	–	–	1	1	–	49
10.	जम्मू-कश्मीर	6	–	–	–	1	1	98
11.	झारखण्ड	4	–	2	–	1	–	93
12.	कर्नाटक	16	–	8	–	1	–	577
13.	केरल	7	–	1	–	2	–	224
14.	मध्य प्रदेश	14	1	2	–	1	–	437
15.	महाराष्ट्र	19	1	20	–	2	–	883
16.	मणिपुर	–	2	–	–	–	–	53
17.	मेघालय	–	1	–	1	–	–	31
18.	मिजोरम	–	1	–	1	–	–	20
19.	नागालैंड	–	1	–	1	–	–	14
20.	उड़ीसा	10	–	2	–	1	–	358
21.	पंजाब	7	–	2	1	1	–	215
22.	राजस्थान	14	–	7	1	1	–	236
23.	सिक्किम	1	1	–	1	–	–	3
24.	तमिलनाडु	19	–	20	–	3	–	332
25.	त्रिपुरा	–	1	–	1	1	–	16
26.	उत्तर प्रदेश	19	4	8	5	2	1	831
27.	उत्तराखण्ड	5	–	3	5	1	–	45
28.	पश्चिम बंगाल	15	1	1	–	3	–	388
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	4	11	–	2	–	80
30.	चंडगीढ़	1	–	1	–	2	–	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	पांडिचेरी	–	1	–	–	–	–	11
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	2
33.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
34.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
35.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	1
	योग	231	25	100	21	33	05	6680

विवरण II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया सामान्य विकास योजनागत अनुदान का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	जारी कुल अनुदान (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
	उत्तर प्रदेश					
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1206.60	1920.70	2066.70	1260.13	6454.13
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1287.20	4834.00	5441.67	2366.65	13929.52
3.	बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	0.00	868.00	1068.78	0.00	1936.78
4.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.00	2334.00	3396.27	11.50	5741.77
	असम					0.00
5.	असम विश्वविद्यालय	600.00	234.00	1500.00	0.00	2334.00
6.	तेजपुर विश्वविद्यालय	225.00	1468.00	1723.76	2166.17	5582.93
	दिल्ली					0.00
7.	दिल्ली विश्वविद्यालय	849.00	3238.00	5283.33	2025.58	11395.91
	यू.सी.एम.एस.	387.99	0.00	226.19	0.00	614.18
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया	979.53	2250.00	3682.06	1618.75	8530.34
9.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	850.00	3868.00	3033.33	1361.86	9113.19

1	2	3	4	5	6	7
	मेघालय					0.00
10.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	0.00	2716.20	3143.32	5021.39	10880.91
	मिजोरम					0.00
11.	मिजोरम विश्वविद्यालय	1734.60	1597.62	4282.72	800.00	8414.94
	महाराष्ट्र					0.00
12.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	0.00	1387.00	652.03	0.00	2039.03
	नागालैंड					0.00
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय	600.00	668.00	1000.00	0.00	2268.00
	आंध्र प्रदेश					0.00
14.	एम.एम.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	146.90	1434.00	2873.37	1085.77	5540.04
15.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	700.00	3517.00	2976.67	1849.76	9043.43
16.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय			1701.18	0.00	
	पांडिचेरी					0.00
17.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	700.00	1781.00	1754.79	1079.17	5314.96
	पश्चिम बंगाल					0.00
18.	विश्वभारती विश्वविद्यालय	487.50	834.00	2302.75	0.00	3624.25
	मध्य प्रदेश					0.00
19.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	79.72			50.00	50.00
	मणिपुर					0.00
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय	79.72	2349.50	4779.20	1578.11	8786.53
	अरुणाचल प्रदेश					0.00
21.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय			900.00	0.00	900.00
	त्रिपुरा					0.00
22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय			1900.00	833.80	2733.80
	सिक्किम					0.00
23.	सिक्किम विश्वविद्यालय			1300.00	0.00	1300.00
	कुल	10834.04	37299.02	56988.12	23108.64	128229.82

बाल्को के महत्वपूर्ण भागीदार के लिए भूमि

534. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बाल्को के एक महत्वपूर्ण भागीदार मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया लि.) को भारती एल्युमिनियम कम्पनी लि. विधान बाग इकाई से एक रक्षित विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि के अंतरण के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाल्को विधान बाग इकाई की भूमि और परिसंपत्तियों की वर्तमान भू-स्वामित्व की स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि इसकी विधान बाग इकाई की भूमि और परिसम्पत्तियों पर वर्तमान में स्वामित्व उनके पास ही है।

भेषज आविष्कारों का उत्पाद पेटेंट किया जाना

535. डा. आर. सेनथिल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भेषज आविष्कारों/नवप्रवर्तनों के लिए उत्पाद का पेटेंट प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2005 से 31 अगस्त, 2007 तक भेषज आविष्कारों/नवप्रर्तवनों के लिए प्रदान किए गए उत्पादों के पेटेंट का ब्यौरा क्या है और आविष्कार का नाम क्या है, पेटेंटधारी का नाम और पता क्या है, पेटेंट दर्ज करने और प्रदान किए जाने की तारीख क्या है तथा किन-किन संबंधित बीमारियों के लिए इन उत्पादों का प्रयोग किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

01.01.05 से 31.08.2007 तक स्वीकृत फार्मास्युटिकल पेटेंटों का ब्यौरा

क्र.सं.	आवेदन संख्या	मूल देश	पेटेंट संख्या	तारीख	रोग	दाखिल करने का वर्ष	शीर्षक	आवेदक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	83/एमयूएम/2003	भारत	197696	20.01.2006	एंटीफंगल	2003	चिकित्सीय उपयोग हेतु एंटीफंगल फार्मास्युटिकल मिश्रण	डा. निदेश शान्तिलाल पटेल
2.	488/एमयूएम/2000	भारत	198178	27.01.2006	माइग्रेन का प्रोफीलेक्टिक	2000	माइग्रेन के प्रोफीलेक्टिक उपचार हेतु सिनर्जेस्टिक एक्सोस फार्मास्युटिकल मिश्रण	लुपिन लैबोरेटोरिज लि.
3.	738/बीओएम/1999	भारत	198002	10.02.2006	मलेरिया रोधी	1999	आर्टेमिसिनिन के मलेरियारोधी नोवेल इंजेक्टेबल मिश्रण	डा. निदेश शान्तिलाल पटेल
4.	890/एमयूएम/2003	भारत	198771	21.04.2006	प्रोटोन पंप निरोधक	2003	प्रोकाइनेटिक एजेंट के साथ प्रोटोन पंप निरोधक का नोवेल फार्मास्युटिकल मिश्रण	एरिस्टो फार्मास्यूटिकल लि.
5.	178/एमयूएम/2004	भारत	197822	21.04.2006	जीवाणु रोधी	2004	एक सहक्रियाशील जीवाणुरोधी प्रतिपादन और इसके बनाने की विधि	संजीव खंडेलवाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	आईएन/पीसीटी/2002/774/एमयूएम	जर्मनी	200068	05.05.2006	वायरल रोधी औषधी	2002	थाइजोलाइलमिड डेरिवेटिव्स का मिश्रण	बायर एक्टिनगेसेलशाफ्ट
7.	आईएन/पीसीटी/2002/1000/एमयूएम	बेल्जियम	200075	05.05.2006	तंत्रिका विज्ञान संबंधी विकार मिर्गी	2002	ए-2 औएक्सओ 1-पाइरोलाइडिन मिश्रण या फार्मास्युटिकल लवण	यूसीबी एसए
8.	आईएन/पीसीटी/2001/1296/एमयूएम	यूएसए	200062	05.05.2006	गर्भ निरोधक अभिप्रेरित करना या प्रोजेस्टेरोन संबंधी कार्सिनोमास एवं एडेनोकर्सिनोमास का उपचार	2001	फार्मूला (1) का मिश्रण	एमेरिकल गृह उत्पाद कार्प.
9.	आईएन/पीसीटी/2000/497/एमयूएम	स्वीडेन	200057	05.05.2006	गैस्ट्रोइंटेस्टीनल प्रदाहक रोग	2000	ईमिडाजो पाइरिडिन डेरिवेटिव्स और उसकी प्रक्रिया	एक्ट्राजेनेका एबी
10.	811/बीओएम/1999	यूएसए	200054	05.05.2006	स्वायक-मीडिएटिड स्थितियां	1999	3-एजाबिसाइक्लो (3, 1, 0) थेरेपी में उपयोगी हैक्सान डेरिवेटिव्स	फिजर आईएनसी
11.	1032/एमएएस/1997	स्विटजरलैंड	198952	19.05.2006	पीईजी आएफ एन.सी.सी.बी.एम. कंजुगेट्स	1997	शारीरिक रूप से सक्रिय ब्रांच्ड पीईजी-आईएफएनए कान्जुगेट	एक टोफमानला रोशे एजी
12.	684/एमयूएम/2003	भारत	200339	20.10.2006	प्रदाहक रोधी एवं पीड़ानाशक सामयिक	2003	सामयिक-वाल्डेकोक्सिब के लिए फार्मास्यूटिकल जैल मिश्रण	ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लि.
13.	आईएन/पीसीटी/2002/246	जापान	201928	23.03.2007	जीवाणु संक्रमण का उपचार	2002	जीवाणु रोधी गतिविधि के साथ एक मिश्रण	सैन्क्यो कंपनी लिमिटेड
14.	आईएन/पीसीटी/2001/819/सीएचई	दानिश	202383	02.02.2007	उपलब्ध नहीं	2001	आईएस 1 एवं आईएस 2 उप समूहों के सबटिलासे एंजामेस जिनमें अतिरिक्त एनिमो एसिड एक सक्रिय साइट लूप हो तथा उसके उत्पादन की विधि	नोवोजाइमेस
15.	आईएन/पीसीटी/2002/683/सीएचई	यूएसए	202441	02.02.2007	एस्ट्रोजीन रिसेप्टर माड्यूलेटर्स	2002	ट्रिफेनीलाकिने डेरिवेटिव्स	होरमोस मेडिकल कोरपोरेशन
16.	420/एमएएस/2002	भारत	202785	02.02.2007	न्यूट्रास्युटिकल्स पौष्टिक अनुपूरक	2002	नोवेल ट्रांस ल्यूटेन समृद्ध जैन्थोफाइल एस्टर कन्सेन्ट्रेट और इसकी तैयारी की विधि	ओमनीएक्टिव हेल्थ टेक प्रा.लि.
17.	792/एमएएस/2002	भारत	202812	02.02.2007	हाइपोलिपिडेमिक एंटियोहोसिटी हाइपोकोलेस्टेरोल एमआईसी और डाइबिटिक रोधी मिश्रण	2002	नोवेल हाइपोलोपिडेमिक, एंटीओबिसिटी हाइपोकोलेस्टेरेलेमिक और डायबिटिक रोधी मिश्रण	डा. रेड्डीज लैबोरेटोरिज लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	42/एमएएस/2002	भारत	202817	02.02.2007	जीवाणु रोधी	2002	नोवेल जीवाणुरोधी मिश्रण और उनकी तैयारी की प्रक्रिया तथा उन्हें रखने वाला फार्मास्युटिकल मिश्रण	डा. रेड्डीज लैबोरेटोरिज लि.
19.	1054/सीएचईएनपी/2004	स्विटजरलैंड	202989	02.02.2007	नियततापी पशुओं पर पैरसाइट नियंत्रण	2004	फार्मूला 1 के मिश्रण तथा उनकी तैयारी की प्रक्रिया	नोवार्टिस एजी
20.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1337/सीएचई	जर्मनी	203540	02.02.2007	प्रतिरोधक प्रणाली में विकार का उपचार	2002	4 पिरिडिल और 2, 4 पिरिमिडिनिल प्रतिस्थापित पाइरोल डेरिवेटिव्स और फार्मेसी में उनका उपयोग	मेरकले जीएमबीएच
21.	685/सीएचई एनपी/ 2004	स्विटजरलैंड	202974	02.02.2007	नियततापी पशुओं पर पैरासाइट नियंत्रण	2004	एक सियानोएरिटल मिश्रण	नोवार्टिस एजी
22.	1150/एमएएस/1996	भारत	202816	02.02.2007	डायबिटीज रोधी निम्रण	1996	नोवेल हैट्रोसाइक्लिक मिश्रण तथा उनकी तैयारी की प्रक्रिया एवं उनको रखने वाले फार्मास्यूटिकल मिश्रण	डा. रेड्डीज लैबोरेटोरिज लि.
23.	2990/सीएचई एनपी/ 2004	जापान	203533	02.02.2007	डीपीपी-4 निरोधक गतिविधि	2004	नोवेल संबन्धित इमिडाजोल डेरिवेटिव्स	आईसाई को.लि.
24.	47/एमएएस/1997	यूएसए	203534	02.02.2007	वायरल रोधी गतिविधि	1997	फार्मास्यूटिकल टेबलैट	स्मिथ क्लिनि बीचम पीएलसी
25.	785/एमएएस/1996	स्वीटजरलैंड	203553	02.02.2007	के+2 चैनल ओपनर, ब्लाकोडिलेटर्स एवं अस्थमा प्रोफिलेक्टिक एजेंट्स	1996	बेनजोथाइरेंस	नोवार्टिस एजी
26.	आईएन/पीसीटी/2002/ 354/सीएचई	स्विटजरलैंड	203558	02.02.2007	लिपासे निरोधक	2002	कम से कम एक लिपासे आईएनएच रखने वाला फार्मास्यूटिकल मिश्रण	एफ होफमैन ला रोश एजी
27.	124/एमएएस/1997	यूएसए	203561	02.02.2007	हर्पीज सिम्पलेक्स वायरस संक्रमण का उपचार और/या रोकथाम	1997	न्यूक्लीयोसाइड और इम्युनोसप्रेसेन्ट रखने वाला एक फार्मास्यूटिकल संयोजन उत्पाद	स्मिथ क्लिनि बीचम पीएलसी
28.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1417/सीएचई	जर्मनी	203576	02.02.2007	हार्मोन संवेदी लिपासे का निरोधन	2002	प्रतिस्थापित 3-फेनाइल 5-एनकोक्सी 1, 3, 4 और आक्सीडाजोल-2 एक तथा हार्मोन संवेदी लिपासे के निरोधन के लिए इनका उपयोग	एबेन्टिस फर्मा डचलैंड एंड जीएमबीएच
29.	848/एमएएस/2001	भारत	202806	02.02.007	डायबिटीज रोधी हाइपोलिपिडेमिक एंटीओबेसिटी एवं आइपोकोलेस्ट्रोल एमआईसी मिश्रण	2001	डायबिटीज रोधी एजेंट्स के रूप में नया एल्कोक्झाप्रोपीओनिक एसिड डेरिवेटिव्स	डा. रेड्डीज लैबोरेटोरिज लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	345/सीएचईएनपी/2004	ब्रिटेन	202813	02.02.2007	एल्जाइमर रोग	2004	नोवेल साइक्लोहैक्सानॉल सलफोनीच	मेरक शार्प एंड डोहन लि.
31.	997/एमएएस/1999	भारत	202272	02.02.2007	म्यूकोसल उपचार	1999	ओरोम्युकोसल प्रतिपादन एवं उसकी तैयारी की प्रक्रिया	एवेस्था गैंग्रीन टेक प्रा.लि.
32.	आईएन/पीसीटी/2000/ 109/सीएचई	यूएसए	202273	02.02.2007	छींक, खुजली, बहती नाक, नथुनों में रूकावट, आंखों के लाल होने, पानी निकलने, कानों या तालु में खुजली होने, श्वास में अवरोध, ब्रानकियल मुकोसा में जलन, एक सेकेंड में (एफईवीआई) घटी हुई फोर्स्ड एक्सपीरेट्री वोल्यूम, खांसी, ददोरे, खुजलाहट का उपचार	2000	श्वास संबंधी तथा त्वचा रोगों के उपचार के लिए मिश्रण	स्वेरिंग कोरपोरेशन
33.	आईएन/पीसीटी/2000/ 75/सीएचई	स्विटजरलैंड	202344	02.02.2007	नासिका संबंधी समस्याएं	2000	एक तरल नासिका फार्मास्युटिकल मिश्रण	नोवारटिस कंज्यूमर हेल्थ
34.	आईएन/पीसीटी/2001/ 1424/सीएचई	स्विटजरलैंड	202354	02.02.2007	पैट एथेट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर लिगेन्ड्स	2001	कार्बामिक एसिड डेरिवेटिव्स और मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर लिगेन्ड्स के रूप में उनका उपयोग	एफ होफमैन एलए रोचि एजी
35.	आईएन/पीसीटी/2001/ 1516/सीएचई	यूएसए	202356	02.02.007	एचआईवी, ठोस अंग प्रत्यारोपण इंकार, ग्राफ्त वी. होस्ट रोग, गठिया, रूमेटोइड गठिया, प्रदाहक आंत रोग, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरइसिस, अस्थमा, एलर्जी या मल्टीपल स्केलेरोसिस का उपचार	2001	पाइपेरिडाइन डेरिवेटिव्स एवं इसे रखने वाला फार्मास्युटिकल मिश्रण	स्वेरिंग कोरपोरेशन
36.	आईएन/पीसीटी/2001/ 519/सीएचई	स्विटजरलैंड	202372	02.02.2007	सस्टेन्ड रिलीज, मुंह से ली जाने वाली डोज के रूप में फार्मास्युटिकल मिश्रण	2001	फार्मास्युटिकल मिश्रण	नोवारटिस एजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	2479/एमएएस/1998	स्विटजरलैंड	202085	02.02.2007	सिस्ट्रान	1998	डिपेप्टाइड निट्रीलेज	नोवारटिस एजी
38.	1678/सीएचई एनपी/2003	जापान	202097	02.02.2007	प्रदाहक आंतों के रोगों (विशेषकप से क्रोहन रो तथा कोलाइटिस जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस) का निरोधन करता है और यह रोग प्रतिकारक विभिन्न प्रदाहक आंत रोगों पर आरोग्यकर प्रभाव डालता है।	2003	प्रदाक आंत रोगों के लिए एक फार्मास्युटिकल मिश्रण	जापान टोबैको आईएनसी
39.	1884/सीएचई एनपी/2004	स्विटजरलैंड	202106	02.02.2007	माइग्रेन, रूपेटाइड गठिया, अस्थमा, ब्रान्कीयल हाइपरिएक्टीविटी, प्रदाहक आंत रोगों के लिए उपचार या पार्किन्सन रोग, चिंता, विषाद, दर्द, सिरदर्द, एल्जाइमर रोग, मल्टीपल स्केलरोसिस, ओडेमा सहित विकारों का उपचार	2004	2-3-5-थीआईएस ट्राइफ्लोरोमेथाइल फेनिल) एन [6-1-1 डायोक्सो थामोमोर्फोलिन-4-थाईएल)-4 (2-मिथाइल या 4-फ्लूरो-2-मिथाइल प्रतिस्थापित) फेनाइल-पाइरिडाइन-3 थाईएल)]-एन-मिथाइल इसाबुटाइरेमाइड	एक होफमैन एलए रोचि एजी
40.	2232/एमएएस/1998	यूएसए	202128	02.02.2007	स्तनधारियों में फंगल संक्रमण का उपचार	1998	क्रिसटेलाइन एंटीफंगुल पोलीमोर्फस	स्क्वेरिंग कोरपोरेशन
41.	2433/एमएएस/1997	स्विटजरलैंड	202141	02.02.2007	पीडीईआईवी निरोधक	1997	नेफथाइराइड डेरिवेटिव्स	नोवारटिस एजी
42.	245/सीएचई एनपी/2003	कनाडा	202142 -	02.02.2007	प्रोस्टग्लैंडिन मेडिटेटिड रोगों का उपचार	2003	साइक्लोपेंटानोइन्डोलेब, ऐसे मिश्रणों को रखने वाला मिश्रण	मर्क फोस्ट कनाडा एंड को.
43.	384/सीएचई एनपी/2004	जर्मनी	202191	02.02.2007	फंगल रोग	2004	ए 7-एमिनोट्राइजोलोपिरीमिडाइन एवं उसकी तैयारी की प्रक्रिया	बीएएसएफ एक्टीनगेसेल्सचाफ्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	405/एमएएस/1999	भारत	202193	02.02.2007	हैपीटाइटिस बी (अत्यधिक और असाध्य दोनों) तथा एंटीहेप्टोटाक्सिक तथा संचयित एवं इम्युनोमोड्यूलेटिंग प्रोपर्टीज का पुनरुत्थान करने वाली यकृत कोशिका सहित यकृत के अन्य संबंधित वायरल संक्रमणों का उपचार	1999	हैपीटाइटिस के उपचार के लिए एक फार्मास्युटिकल प्रतिपादन और वायरल संक्रमण तथा इसकी तैयारी की प्रक्रिया	युनिवर्सिटी आफ मद्रास
45.	534/एमएएस/1996	स्विटजरलैंड	202212	02.02.2007	गैस्ट्रोइंटेस्टेनियल टैक्ट	1996	कम पानी घुलनशीलता रखने वाले सक्रिय एजेंट के ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हेतु फार्मास्युटिकल मिश्रण	नोवार्टिस एजी
46.	1290/एमएएस/1998	यूएसए	202050	02.02.2007	कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि का निरोधक कैंसर के उपचार के लिए और फर्नेसिल प्रोटीन ट्रांसफेरेज के निरोधन के लिए	1998	बेंजो 5, 6 साइक्लोफैप्ट पाइरिडाइन डेरिवेटिव्स	स्चेरिंग कोरपोरेशन
47.	916/एमएएस/1998	ब्रिटेन	202053	02.02.2007	उपलब्ध नहीं	1998	एक्वोस प्यूरेबल लिक्विड के रूप में एक फार्मास्युटिकल मिश्रण	रेकिट बेंकिसर हेल्थ केयर लि.
48.	1300/सीएचई एनपी/ 2003	जर्मनी	202076	02.02.2007	गैस्ट्रोइंटेस्टीनल म्यूकोसल टिशू पर रक्षात्मक कोटिंग	2003	ब्यूनिवम (3) काम्प्लेक्स तथा हेट्रोसाइक्लिक रखने वाला मिश्रण	फ्रास्टस फोरसंग साई ट्रांसलेसनल कैंसर रिसर्च जीएमबीएच
49.	1094/एमएएस/1996	स्विटजरलैंड	201579	02.02.2007	सोमाटोस्टानिन एनालोग्स	1996	एक साइक्लिक सोमाटोस्टानिन हैक्सापैप्टाइड और फार्मास्युटिकल मिश्रण	नोवार्टिस एजी
50.	1015/केओएस एनपी/ 2003	जर्मनी	201649	16.02.2007	उबकाई, उल्टी, अतिसार, पेटदर्द, सिरदर्द, वैसवैगल मलाइस और/या वेनलाफैक्साइन, ओ-डेस्मेथाइल-वेनलाफैक्साइन के ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय ट्रिसमस	2003	डेस्मेथाइल वेनलाफैक्साइन का नोवेल सक्सीनेट साल्ट	वाइथ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	1618/सीएएल/1997	यूएसए	200646	26.01.2007	टाइप 2 डायबिटीज तथा मोटापे का उपचार	1997	चुनिंदा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स	एली लिली एंड कं.
52.	1582/सीएएल/1998	यूएसए	200684	19.01.2007	संटीफोलिएटीज		सल्फोनिक एसिड मैटल केशन साल्ट	एली लिली एंड कं.
53.	635/सीएएल/1999	यूएसए	200945	19.01.2007	ट्यूमर	1999	एक साइटोटॉक्सिक पेप्टाइड होरमोन कान्जुगेट्स	एडमिनिस्ट्रेटर्स आफ दि टुलाने एजुकेशनल फंड
54.	588/सीएएल/1996	बेल्जियम	200946	19.01.2007	असमान्य एंजाइमेटिक या फोस्फोडिस्टेज से 4 (पीडीई 4) की उत्प्रेरक गतिविधि से संबंधित रोग दशा और/या खासतौर पर साइटोकिनेज की खतरनाक क्षारीरिक अधिकता से संबंधित रोग दशाओं से पीड़ित निचलापी पशुओं का उपचार	1996	1-3 डिहाइड्रो 1- इमिडेजोल 2-एक	जानसेन फार्मेंस यूटिका एनवी
55.	आईएन/पीसीटी/2001/67	जर्मनी	200123	01.12.2006	सस्पेंडिड फार्मास्युटिकल सक्रिय मिश्रण का अवांछित अवशोषण घटाना या डोज शुद्धता में सुधार और/या नमी संवेदनशील को घटाना	2001	चिकित्सीय एरोसोल प्रतिपादन	जागो रिसर्च एजी
56.	639/एमयूएम एनपी/ 2003	यूएसए	200654	08.12.2006	एल्डोज रिडक्टेज, निचले सोर्बिटल स्तरों और इस प्रकार लोअर फ्रक्टोज स्तरों का निरोधन और/या डाइबिटिक जटिलताओं का उपचार या रोकथाम	2003	पाइरिडेजिनोन एल्डोस रिडक्टेज निरोधक	फाइजर प्रोडेक्ट आईएनसी
57.	1131/केओएल एनपी/ 2003	इजरायल	203843	16.03.2007	एडेनोसाइन रिसेप्टर्स एगोनिस्टस द्वारा प्रभावित रोगों और विकारों का उपचार तथा रोग निरोधक	2003	सी 2, 5 विसरित और एन.सी.सी. बी.एम. 6, सी 2, 5 ट्राइसब्सिट्यूटिड एडेन्सोसाइन डेरिवेटिव्स	यूनिवर्सिटिएट लेइडेन
58.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1328	जर्मनी	203622	16.03.2007	पेप्टाइड निरोधक	2002	पेप्टाइड्स के लिए फार्मास्युटिकल फार्म आफ एडमिनिस्ट्रेशन	जेनटाइरिस जीएमबीएच

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	800/सीएएस/1995	जर्मनी	201217	16.03.2007	सभी सैक्स हार्मोन-आश्रित स्थितियों एवं रोगों की रोकथाम एवं निदान	1995	एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फार्मास्युटिकल मिश्रण	सोफोटेक जीएमबीएच एंड को.
60.	168/एमयूएम/2003	भारत	202014	16.03.2007	प्रतिवर्ती अवरोधक श्वास रोग का उपचार, खासतौर पर अस्थमा और/या एटोपिक डर्माटाइटिस	2003	इनहेलेंट मिश्रण	सिपला लि.
61.	141/एमयूएम/2000	यूएसए	201976	16.03.2007	केन्द्रीय स्नायु तंत्र तथा अन्य विकारों का उपचार	2000	एक नोवेल वाइरिल ईथर मिश्रण	फाइजर प्रोडक्ट आईएनसी
62.	168/एमयूएम एनपी/2003	जर्मनी	201276	16.03.2007	उपलब्ध नहीं	2003	एक्यू ओरल सस्पेंशन के रूप में एक मिश्रण	बायर एक्टिनगेसेलशाफ्ट
63.	508/एमयूएम एनपी/2003	यूएसए	201282	16.03.2007	स्ट्रोक, मेक्डंड ट्रामा, घातक मस्तिष्क चोट, मल्टीइन्फार्क्ट डेमेनशिया, सीएनएस डिजेनरेटिव रोग जैसे कि एल्जाइमर/अर/222एस रोग, एल्जाइमर/222एस प्रकार के सेनाइल डेमेनशिया, हंटिटन/222एस रोग, पार्किन्सन/222एस रोग, मिर्गी, हेमिबेलिज्म का उपचार	2003	एन मेथाइल डी एस्पार्टिक एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फार्मास्युटिकल मिश्रण	फाइजर प्रोडक्ट आईएनसी
64.	801/एमयूएम एनपी/2003	ग्रेट ब्रिटेन	201284	16.03.2007	एमएमपी 12 के निरोधक	2003	एक मेटालोपरोटेनाज निरोधक प्रतिपादन	एस्ट्राजेनेका एबी
65.	802/एमयूएम एनपी/2003	ग्रेट ब्रिटेन	201285	16.03.2007	एमएमपी 12 के निरोधक	2003	एक मेटालोपरोटेनाज निरोधक प्रतिपादन	एस्ट्राजेनेका एबी
66.	आईएन/पीसीटी/2002/1709/एमयूएम	यूएसए	201259	16.03.2007	उपलब्ध नहीं	2002	एक रोग निदान मिश्रण	बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेन्टर आईएनसी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	28/एमयूएम एनपी/ 2003	यूएसए	201268	16.03.2007	इम्युनोमोड्यूलेशन, प्लेसनशीलता, और प्रचुर मात्रा वाले रोग जैसे कैंसर एवं रेस्टेनोसिस	2003	एक आईओडीओ फेनाइलमिनो बेंजाइड्रोक्सामिक मिश्रण	वारनेर लैमबर्ट कंपनी
68.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1452	यूएसए	201252	16.03.2007	इंडोलिनोस्पिरोपायरा एन यौगिक	2002	द एल्टा 4 म्यूमेंट मोल्यूकल	ब्रीसटोल - मायर्स स्क्यूब कं.
69.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1547	बेल्जियम	201254	16.03.2007	ओरल फार्मलेशन का निरंतर निर्गत	2002	एक 2, 3 हाईड्राइड्रो फाईरीडाईन कंपाउण्ड आफ फारमूला (1) एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
70.	आईएन/पीसीटी/2001 00385	यूएसए	202523	02.03.2007	कीमोथेरोपी, मसल स्पेस्टीसिटी, दर्द से संबंधित नाउजिया एवं वामिटिंग; एड्स वेस्टिंग सिन्ड्रोम से संबद्ध एनोरेक्सी; एपीलेप्सी; ग्लाऊकोमा; ब्रोंकियल अस्थमा; तथा मूड डिसआर्डर	2001	डेल्टा टेट्राहाइड्रोकेना बाईनोल डेल्टा टीएचसी साल्यूसंस मेटेरेड डोज इनहेलर एंड उपयोग का तरीका	वर्बिनिया कोमनवेल्थ यूनीवरसिटी
71.	आईएन/पीसीटी/2001/ 480	यूएसए	202527	02.03.2007	ब्रॉकोडाईलेटर्स टोलरेंस को रोकना	2001	मेडिकेसंस टालरेंस को रोकने के लिए सम्मिश्रण एवं उनको तैयार करने का तरीका	नॉटन फार्मास्युटिकल्स इंक
72.	425/केओएल/एनपी/ 2003	जर्मनी	202530	02.03.2007	ट्यूमर का उपचार	2003	वृद्धि हार्मोन छोड़ने वाले संघटक	जेनटारिस जीएमबीएच
73.	377/डीईएल/2002	भारत	202329	02.03.2007	इंफ्लेमेशन का उपचार	2002	इंफ्लमेशन रोग के उपचार हेतु सम्मिश्रण	सीएसआईआर
74.	968/सीएचई एनपी/ 2004	यूएसए	203571	02.03.2007	दर्द, एंगजाइटि, कफ, अस्थमा, डिप्रेशन एवं अल्कोहल एब्यूज का उपचार	2004	नोसिसेप्टीन रिसेप्टर ओआरएल-1 के लिए रूप में हिटेरोएरील डेरीवेटीव	सेचरींग कार्पोरेशन
75.	आईएन/पीसीटी/2001/ 224	यूएसए	202531	02.03.2007	सेंसरी सेल का माड्यूलटेर्स	2001	न्यूक्लीक एसीड इनकोडिंग ए जी प्रोचीन	द रिजेंट्स आफ यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया
76.	121/सीएएल/1996	बेल्जियम	202659	02.03.2007	एंटीसायकोटिड एक्वीटी	1996	4-91-एच इंडोल पीपेरीडाइनील डीईआरवी	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
77.	605/केओएल-एनपी/ 2003	भारत	202663	02.03.2007	आप्थेल्मिक उपचार	2003	एल डिस्टीडाईन इन आप्थल्मिक साल्यू.	बायो कानसेप्ट लेबोरटोरिज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.	492/एमयूएम/2003	भारत	200878	02.03.2007	प्रोस्ट्रेट के एडीनोकार्सीनोमा का उपचार	2003	प्रोस्ट्रेट के एडीनोकार्सीनोमा के उपचार हेतु एक औषधीय सम्मिश्रण	साहाजानन्द बायोटेक प्रा.लि.
79.	आईएन/पीसीटी/2001/805	जापान	200884	02.03.2007	कैंसर, स्ट्रोक, हेड ट्राउमा, न्यूरो डीजेनेरेटिव	2001	ट्राईसाईक्लिक इनहिबीटर आफ पाली (एडीपी-रिबोसे) पालीमर्स	आगोरन फार्मास्यूटिकल इंक
80.	आईएन/पीसीटी/2002/1890	जापान	200903	02.03.2007	डाईबिटीज, मोटापा, हाईपरकोलेस्ट्रोल, एमिया, रयूमेटाईड आर्थराईटीज एवं एथरोसकेलेरोसिस	2002	क्वीनालिनील बेंजोथियाजेलील पीपीएआर-गमा माडुयलेटर	तुलारिक इंक एण्ड जापान टोबाको इंक
81.	आईएन/पीसीटी/2002/1413	जर्मनी	200894	02.03.2007	ओएस अस्थमा का उपचार	2002	इमिडाजोपाईरीमीडिन एवं ट्राईजोलोपाईरीमीडिन ई कंपाउण्ड्स	बायर एक्टीगसल्सापट
82.	43/एमयूएम/2000	भारत	201134	02.03.2007	डर्मल इन्फेक्शन	2000	टापिकल मेडिकल स्प्रे कंपोजिसंश एवं उनका सम्मिश्रण, इन कंपोजिसंश का उपयोग कई बिमारियों के उपचार हेतु किया जाता है	सिपला लि.
83.	228/एमयूएम/2000	यूएसए	201137	02.03.2007	स्कीन लाइटेनिंग एजेंट	2000	ट्रापिकल औषधीय सम्मिश्रण	फिजर इंक
84.	189/सीएएल/1995	बेल्जियम	201469	09.02.2007	फंगस रोधी	1995	फंगसरोधी का ओरल फार्मूलेशन	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
85.	386/सीएएल/1998	जापान	201125	09.02.2007	एचआईवी निरोधक	1998	एचआईवी निरोधक के रूप में कार्बोक्सेमाईड डेरीवेटिव्स	एर्गोन फार्मास्यूटिकल इंक
86.	आईएन/पीसीटी/2001/982	जर्मनी	203208	09.02.2007	एलएचआरएच एंटागोनिस्ट	2001	उन्नत घुनलशील गुणों वाले नोवल एलएचआरएच एंटागोनिस्ट	जेन्टारिस जीएमबीएच
87.	587/सीएएल/1996	बेल्जियम	202521	23.02.2007	सेंट्रल नर्वस सिस्टम एवं अन्य विकारों का उपचार	1996	1, 3 डाईहाइड्रो 2 एच इमीडेजोल 2-वन डेरीवेटिव्स	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
88.	आईएन/पीसीटी/2000/644	यूके	205280	30.03.2007	एडीनोसिस एंटागोनिस्ट	2000	एडीनोसिन डेरीवेटिव्स	ग्लेक्सो ग्रुप लिमिटेड
89.	आईएन/पीसीटी/2002/1632	जापान	203577	30.03.2007	प्रोटीन डिटेक्शन	2002	प्रोटीन डाईसल्फाईड आईसोमरो के सीओ एक्सप्रेशन हेतु डीएनए	इटोइम फूड इंक
90.	1147/एमएएस/1998	भारत	203560	30.03.2007	ओरल फार्मूलेशन का निरंतर त्याग	1998	उनको तैयार करने हेतु नया हेट्रोसाईक्लिक सम्मिश्रण	डा. रेड्डी लेबरोट्रीज लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.	1610/सीएचई एनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	203568	30.03.2007	न्यूरोलाजिकल रोग का उपचार	2003	डाईहाइड्रो बेंजो 1, 4 डायजेपिन-2 वन	एफ होफमैनला रोचो एजी
92.	आईएन/पीसीटी/2000/233	स्विटजरलैण्ड	202283	30.03.2007	गैस्ट्रोइंटिस्टिनल ट्रैक्ट में ट्रांसमेम्ब्रेन या पैरासेल्यूलर मार्ग द्वारा उन्नत अवशोषण	2000	बेंजाथियाडायजोल एस डेरीवेटिव्स	नोवार्टिस एजी
93.	948/सीएएल/1995	जापान	205321	30.03.2007	ट्यूमर-रोधी एजेंट्स	1995	नया कैंपटोथेसिन डेरीवेटिव्स एंव ट्यूमर रोधी एजेंट	कायुशीकी काइशा याकुल्ट होन्शा
94.	1056/केओएल/एनपी/2004	स्पेन	203820	09.03.2007	फंगस इंफेक्शन का उपचार	2004	"आर-(5)-1-[2-(7-क्लोरोबेंजो (बी) थायोफेन-3याईएल-मिथोक्सी)-2-2 (2, 4-डाईक्लोरोफिनाईल) इथाईल]-आईएच-इमीडेजोल"	फेरर इंटरनेशनल एसए
95.	303/सीएएल/2000	भारत	203790	09.03.2007	एंजीना पेक्टोरीज का उपचार	2000	नोवल बेंजोफ्यूरोक्सेन डेरीवेटिव्स एवं उनका औषधीय सम्मिश्रण	टोरेंट फार्मास्यूटिकल लि.
96.	आईएन/पीसीटी/2001/760	जर्मनी	203625	09.03.2007	एंटीआक्सीडेंट	2001	बेंजोक्सेपाईरिम्स एवं बेंजोक्सेपाइन्स औषधीय सम्मिश्रण	मेरक पेटेंट जीएमबीएच
97.	677/केओएल-एनपी/2003	जर्मनी	203587	09.03.2007	5-एचटी;रिसेप्टर एंटागोनिस्ट	2003	पाइपराजाईन डेरीवेटिव्स एवं उनका औषधीय सम्मिश्रण	डब्ल्यूआईटीएच
98.	आईएन/पीसीटी/2001/794	जापान	203216	09.03.2007	एंटीजीन एक्टीविटी	2001	नोवल न्यूसियासाईड्स एवं ओलिगोन्यूस्लियोटाईड एनालाग	सानक्यो कंपनी लिमिटेड
99.	आईएन/पीसीटी/2002/1136	जर्मनी	203371	09.03.2007	एलएचआरएच एंटागोनिस्ट	2002	नोवल एलएचआरएच एंटागोनिस्ट एवं उनका मिश्रण	जेन्टारिस जीएमबीएच
100.	257/एमयूएम/2004	भारत	201173	09.03.2007	एनालजसिक एवं ज्वलन रोधी	2004	ननस्टीरोडियल एनालजेसिक एवं ज्वलन रोधी सहित एक सिनर्जीस्टिक फार्मूलेशन	संजीव खंडेलवाल
101.	आईएन/पीसीटी/2001/39	जापान	201231	09.03.2007	हाइपरटेंशन का उपचार	2001	थायोबेंजीमिडाजोल डेरीवेटिव्स	टाईजीन लि.
102.	आईएन/पीसीटी/2001/1538	बेल्जियम	201237	09.03.2007	कैंसर का उपचार	2001	बेंजीमिडाजोल एवं इमीडाजोपायराडीन	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
103.	आईएन/पीसीटी/2002/460	फ्रांस	201240	09.03.2007	न्यूरोडिजेनरेटिव रोग	2002	नया हेटेरोसाइक्लिक सम्मिश्रण	सोसाईट डी कान्सेल डी रिसर्च ईटी डी एपीपी; लीकाज़न
104.	आईएन/पीसीटी/2002/671	इंग्लैण्ड	201241	09.03.2007	सेरेब्रल इसचेमिया का उपचार	2002	एडामंटिन डेरीवेटिव्स	आस्ट्रेजिनका एबी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.	आईएन/पीसीटी/2002/745	बेल्जियम	201242	09.03.2007	डाईसपेप्टिक लक्षणों, इसीटेक्स बोवेल सिंड्रोम का उपचार	2002	होमोपिपेरीडाइनील सब्स. एवं बेंजीमिडाजोल डेरीवेटिव्स का सम्मिश्रण	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
106.	आईएन/पीसीटी/2002/922	इंग्लैंड	201243	09.03.2007	एचएमजी सीओए रिडक्टेस	2002	7-[4-(4-(फलुरोफिनाईल)-6-आइसोप्रोपाईल-2-[मिथाईल (मिथाइलसल्फोनिल) एमीनो] पाइरीमाइडीन-5-वाईएल-(3, 5)-3, 5-डाईहाइड्रोक्सीहेप्ट-6-इनोइक एसिड	आस्ट्रेजिनका एबी
107.	363/एमयूएम/2003	भारत	201170	09.03.2007	इंफलामेटरी एवं एलर्जी का उपचार	2003	डीई 4 निरोधक के रूप में नोवल ट्राईसाइक्लिक सम्मिश्रण	खारे श्रीनिवास रामचन्द्रा
108.	1999/सीएएल/1996	यूएसए	206383	27.04.2007	प्रोटीन किनासे निरोधक	1996	नोवल एन, एन-ब्रिज्ड बिसिन्डोल्लिमालिमिडीस एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया	ईलीलील्ली एण्ड कं.
109.	2230/सीएएल/1998	चीन गणराज्य	206386	27.04.2007	घाव का उपचार	1998	घाव के उपचार हेतु टापिकल औषधीय सम्मिश्रण	हेडोनिस्ट बोयोकैमिकल टेक कं. लि.
110.	आईएन/पीसीटी/2001/1376	यूएसए	206182	20.04.2007	कैंसर रोधी	2001	टैक्सेन्स सहित आरल फार्मास्यूटिकल सम्मिश्रण एवं उन्हें तैयार करने का तरीका	इवेक्स रिसर्च इंक
111.	आईएनपीसीटी/2002/475	यूएसए	202295	13.04.2007	निरंतर निर्गत होने वाले आरल फार्मूलेशन	2001	उन्नत औषधि सांद्रण वाली औषधीय सम्मिश्रण	फीजर प्रोडेक्ट इंक
112.	1119/एमयूएम एनपी/2003	हंगरी	202297	13.04.2007	आपात गर्भ निरोधक	2002	डोजेज रेजीमेन एवं औषधी	रिचर गेडआन वेजीस्वेटी गैर आरटी
113.	495/एमयूएम/2002	भारत	202692	13.04.2007	थिरापीटीकली एफेक्टिव स्लड कंसट्रेशन	2003	एडमिनिस्ट्रेशन हेतु औषधीय सम्मिश्रण	जे बी केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल लि.
114.	आईएन/पीसीटी/2002/589	जापान	202735	13.04.2007	कैंसर का उपचार	2002	इमिडाजोल यौगिक औषधि सेल प्रोलिफरेशन	एर्गोन फार्मास्यूटिकल इंक
115.	आईएन/पीसीटी/2002/673	यूएसए	202748	13.04.2007	किनासे निरोधी	2002	एक एमिनोथाइजोल निरोधक कंप.	ब्रीस्टोल-मावर्स स्कूब कं.
116.	736/एमयूएम/2003	भारत	202870	13.04.2007	एंटीहाइपरग्लीसेमिक	2003	नोवल फार्मास्यूटिकल कंबीनेशन-बाईग्वानाईड एक इंसुलिन बढ़ाने वाला	आईपीसीए लैबोरेटोरिज लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	972/एमयूएम-एनपी/2003	भारत	202882	13.04.2007	एंटीमाइक्रोबियल	2003	ट्रिपल टार्गेटिंग, चिराल, ब्राड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल 7-सब्सटीट्यूटेड पिपेरीडिनो-क्वीनोलोन कोर्बोक्सिलिक एसिड डेरीवेटिव्स, एनका मिश्रण, सम्मिश्रण एवं मेडिकामेंट्स के रूप में उपयोग	बोकहार्ट लि.
118.	आईएन/पीसीटी/2001/1151	फ्रांस	203012	13.04.2007	जहां पी पदार्थ तथा/अथवा एनकेआई रिसेप्टर शामिल है वैसे सभी पैथोलोजी का उपचार	2001	नोवल मोर्फोलाइन डेरीवेटिव्स	सानोफी सिंथलेबोरोटोरी
119.	आईएन/पीसीटी/2001/216	इंग्लैण्ड	203050	13.04.2007	स्लीपिंग डिसआर्डर, नयूरोपैथी	2001	ईटी ओ 2 सी-सीएच2 [R]-cg1-AZC-Pab-OH का क्रिस्टलाइन रूप	आस्ट्रेजेनेका एबी
120.	आईएन/पीसीटी/2001/1601	डेनमार्क	203054	13.04.2007	ओरल फार्मूलेशन	2002	एडमिनिस्ट्रेशन हेतु औषधीय सम्मिश्रण	सिम्फोजेन ए/एस
121.	आईएन/पीसीटी/2002/776	यूएसए	203055	13.04.2007	इम्यूनोसप्रेसेंट	2002	इम्यूनोसप्रेसेंट में उपयोग हेतु यौगिक	एक्सजाईट थेरेपीज इंक
122.	आईएन/पीसीटी/2002/1567	कनाडा	203056	13.04.2007	मानव में नींद लाना	2002	प्रोटीन वाले ट्राइप्टोफेन सहित प्लांट स्रोत से कम से कम आंशिक रूप से डीफैटेड भोजन वाला सम्मिश्रण	सुसान पी हडसन एण्ड क्रेज वे हडसन
123.	आईएन/पीसीटी/2001/1284	इंग्लैण्ड	203063	13.04.2007	थ्रोंबिन का निरोधक	2001	थ्रोंबिन के निरोध हेतु एक किट	आस्ट्रेजेनेका एबी
124.	आईएन/पीसीटी/2002/690	इंग्लैण्ड	203080	13.04.2007	सेंट्रल सर्विस सिस्टम का उपचार	2002	एक यौगिक पिपरजाइन डेरीवेटिव्स	आस्ट्रेजेनेका एबी
125.	आईएन/पीसीटी/2001/1216	इंग्लैण्ड	203084	13.04.2007	आईबीएटी निरोधक एवं बाइल एसिड बाइन्डर	2001	एक आईबीएटी निरोधक यौगिक एवं एक बाईल एसिड बाइन्डर से मिलकर बना एक ओरल फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन	आस्ट्रेजेनेका एबी
126.	आईएन/पीसीटी/2002/452	यूएसए	203092	13.04.2007	प्रोटीज निरोधक	2002	रेट्रोवाईरल प्रोटीन निरोधक के रूप में हेक्साहाईड्रोफ्यूरो [2,3-बी) फ्यूरान-3-वाईएल-एन-43-[1,3-बेंजोडाएईओक्सोल -5-एल्सुफोनिल) आइसोस्यूटाइल) एमिनो]-1 बेंजाइल-2-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल] कार्बामेट	टाईबोटेक फार्मास्यूटिकल्स एलटी एण्ड यूएसए सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127.	आईएन/पीसीटी/2000/664	इंग्लैण्ड	203095	13.04.2007	इंसुलिन प्रतिरोधक सिंड्रोम	2002	एक यौगिक-2-एथोक्सी-3 [4-(2-4-मिथानेसल्फोनीलोक्सी फिनाईल एथोक्सी) फिनाइल]-प्रोपेनोईक एसिड जिसमें फार्मूला (1) एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया शामिल है	आस्ट्रेजेनेका एबी
128.	386/एमयूएम एनपी/2003	यूएसए	203117	13.04.2007	ज्वलन रोधी	2003	एराईल अथवा हेट्रोएराईल फ्यूज्ड इमीडाजोल सम्मिश्रण	फीजर इंक
129.	1351/केओएल/एनपी/2004	यूएसए	203333	13.04.2007	आटोइम्यून का उपचार	2004	वैक्सीन सम्मिश्रण	गलेक्सो समीथ केलाइन बाईलोजीकाल एसए
130.	आईएन/पीसीटी/2001/1165	जर्मनी	205853	13.04.2007	एंटीआक्सीडेंट	2001	एक नोवल एंटीआक्सीडेटिव विटामिन बी 6 एनालाग	ओबरथूर एल्टर
131.	1646/सीएएल/1995	जर्मनी	205485	06.04.2007	मोनोक्लोनल एंटीबाडी	1995	एंटी बी इंटिग्रीन मोनोक्लोनल एंटीबाडी	मेरक पेटेंट जीएमबीएच
132.	आईएन/पीसीटी/2000/391	यूएसए	205534	06.04.2007	प्रोटीन शुद्धिकरण	2000	एक सम्मिश्रण, जिसमें एंटी एचईआर 2 एंटीबाडी शामिल है।	जेनेनटेक इंक
133.	153/केओएल-एनपी/2003	फिनलैण्ड	205543	06.04.2007	ब्लेमायडियल इन्फेक्शन को रोकना	2003	प्लांट डिराइव्ड एवं सिंथेटिक फेनोलिक यौगिक एवं प्लांट एक्सट्रेक्ट्स, ब्लेमिडियल इन्फेक्संज़ के उपचार एवं उसको रोकने में प्रभावी	कंट्रोल ओएक्स ओवाई
134.	आईएन/पीसीटी/2001/792	जर्मनी	206594	04.05.2007	ट्यूमर का उपचार	2001	(एमिनोइमिनोमिथाइल) एमिनो अल्कानेकार्बोक्सामाइड्स एवं थिरापी में उनका प्रयोग	मेरक पेटेंट जीएमबीएच
135.	आईएन/पीसीटी/2001/1284	जापान	206601	04.05.2007	हाइपरटेंशन का उपचार	2001	फार्मूला-1 के बेंजीमिडाजोल डेरीवेटिव्स एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया	सान्कयो कंपनी लिमिटेड
136.	344/एमयूएम एनपी/2003	जर्मनी	203203	11.05.2006	वाइरल इंफेक्शन का उपचार	2003	एन-एल्कोक्सीअल्काईल-सब्स्टीटूयेटेड बेंजीमिडानोल, उनका मिश्रण बनाना एवं परजीवी प्रोटोजोआ के विरुद्ध एजेंट के रूप में उनका उपयोग	बायर एक्टीगसलसाफ्ट
137.	आईएन/पीसीटी/2002/674	यूएसए	203415	11.05.2006	किनासे निरोधक	2002	फार्मूला-1 का एन-5 किनासे	ब्रीस्टोल-मायर्स स्कूब कं.
138.	151/एमयूएम एनपी/2004	यूएसए	203671	11.05.2006	तनाव का उपचार	2004	नोवल पीपरडाईन 2, 6 डाईवन बाईसल्फेट साल्ट्स	प्रीस्टवीक फार्मास्यूटिकल्स इंक
139.	आईएन/पीसीटी/2000/458	यूएसए	203706	11.05.2006	एंगजाइटि का उपचार	2000	गामा-एमिनोब्यूटीरिक एसिड डेरीवेटिव्स जिसमें ठोक सम्मिश्रण एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया शामिल है	वारनर लामबर्ट कंपनी
140.	3771/डीईएल/1998	यूएसए	197370	18.05.2007	ओरल फार्मूलेशन का निरंतर त्याग	1998	नोवल औषधि	स्मिथ केलाइन बीचाम पीएलसी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141.	आईएन/पीसीटी/2000/905	यूएसए	203725	18.05.2007	सेरेब्रल रोग का उपचार	2000	गामा-एमिनोब्यूटीरिक एसिड डेरीवेटिव्स का स्टेबलाइज्ड औषधीय मिश्रण एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया	वारनर लम्बर्ट कंपनी
142.	938/एमयूएम/2004	भारत	203923	18.05.2007	स्पासमोडिक दर्द से प्रभावी निवारण	2004	एक सिनर्जेटिक एंटीस्पासमोडिक एवं एनालजेसिक फार्मूलेशन एवं उनको बनाने की प्रक्रिया	संजीव खंडेलवाल
143.	आईएन/पीसीटी/2001/1138	यूएसए	203937	18.05.2007	उपचार के कारण कोलीसाइस्टोकीनिन का एटीमुलेशन	2001	एक कंप 2 - एमीनो थाइजोल 5 कार्बोक्साम्माइड	ब्रीस्टोल - मायर्स स्कूब कं.
144.	1045/सीएएल/1995	यूएसए	206898	18.05.2007	रिसेप्टर्स गैस्ट्रीन तथा/अथवा सीसीके रिसेप्टर	1995	क्रिस्टलाईन फार्म ओडी हाईड्राइड्रो 2, 3, बेंजोडाइजोडाईजेपाइन डेरीवेटिव्स	इलीलील्सी एण्ड कं.
145.	766/सीएएल/1995	इंग्लैण्ड	206912	18.05.2007	ओरल फार्मूलेशन का निरंतर त्याग	1995	थेरापीटिक सम्मिश्रण	द वेलकम फाउंडेशन लिमिटेड
146.	आईएन/पीसीटी/2001/193	इंग्लैण्ड	203959	25.05.2007	न्यूरोलाजिकल डिसआर्डर	2001	एक एमाईड डेरीवेटिव्स एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया	आस्ट्रेजेनेका एबी
147.	1049/एमयूएम/2003	भारत	203986	25.05.2007	एड्स का उपचार	2003	एड्स के उपचार हेतु आयुर्वेदिक एंटीरेट्रोवाईरल सम्मिश्रण	बाकुल जैन
148.	905/एमयूएम एनपी/2003	इंग्लैण्ड	203993	25.05.2007	कार्डियाक एरिथमियास का उपचार	2003	एक तत्काल जारी होने वाली औषधी 3, 7-डाईजेबीसाइक्लो फार्मुलेशन	आस्ट्रेजेनेका एबी
149.	315/एमयूएम एनपी/2004	यूएसए	203998	25.05.2007	सेरेब्रल रोग का उपचार	2004	गामा एमिनोब्यूटीरिक एसिड (गाबा) एनालाग सहित एक तरल औषधीय सम्मिश्रण	वारनर लम्बर्ट कंपनी
150.	366/एमयूएम एनपी/2003	इंग्लैण्ड	204006	25.05.2007	निंद्रा रोग, न्यूरोपेथी	2003	1-फिनाईल-अल्काईल एमाईड 2-फिनाईल-4-पिपराजिन-1-वाईएल-पिपराडाईन यौगिक एवं उनको तैयार करने की प्रक्रिया	गलेक्सो ग्रुप लिमिटेड
151.	आईएन/पीसीटी/2001/662	स्वीडन	204012	25.05.2007	डाइरिया-रोधी	2001	ओरल वैक्सीन सम्मिश्रण, डाइरिया	एसबीएल वैकसीन एबी
152.	आईएन/पीसीटी/2001/436	बेल्जियम	204028	25.05.2007	एचआईवी-रोधी	2001	एचआईवी रेप्लीकेसन निरोधक पाइरीमिडाइन	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
153.	आईएन/पीसीटी/2001/1294	जर्मनी	204038	25.05.2007	प्रोगेस्टेरोन संबंधी रोग का उपचार	2001	साइक्लोक्सायोकार्बामेट डेरीवेटिव्स, प्रोगेस्टेरोन रिसेप्टर माड्यूलेटर के रूप में	डब्ल्यूवाईटीएच, लीजेंड फार्मास्यूटिकल्स इंक
154.	810/बीओएम/1999	यूएसए	204043	25.05.2007	इक्टोपैरासिटिक इंफेस्टेशन	1999	एंटीपैरासिटिक फार्मुलेशन	फीजर इंक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155.	336/एमयूएम एनपी/2004	जर्मनी	204061	25.05.2007	तेज दर्द एवं प्राथमिक डायस मेनोरिया	2004	एब्यूटीरेटेड सब्सटीट्यूटेड डाईहाइड्रोफ्यूरोनोन्स एवं इन यौगिकों वाली औषधी	टोरीकम ड्रग डिवलेपमेंट एजी
156.	आईएन/पीसीटी/2002/605	बेल्जियम	204079	25.05.2007	डिसकिनेसिया का उपचार	2002	(S)-(-)-a-इथाइल-2-आक्सो-1-पाइरोलिडिनिएकटामाईड	यूसीबी एसए
157.	आईएम/पीसीटी/2002/1246	यूएसए	204082	25.05.2007	डायबेटीज-रोधी	2002	एक यौगिक 0-एरील ग्लूकोसाईड एवं औषधीय सम्मिश्रण	ब्रीस्टोल - मायर्स स्क्वब कं.
158.	863/एमयूएम एनपी/2003	यूएसए	204091	25.05.2007	न्यूरोलाजीकल डिसआर्डर	2003	5, 8, 14-ट्राईएजाट्रासाइक्लो [10.3.1.02..11.04.9]-हेक्साडेका-2(11),3,5,7,9-का यौगिक-पेटाइन 5,8,14-ट्राईएजाट्रासाइक्लो [10.3.1.02.11.04.9]-हेक्साडेका-2(11),3,5,7,9-पेटाइन	फीजर प्रोडेक्ट इंक
159.	913/एमयूएम एनपी/2003	यूएसए	204094	25.05.2007	सायकोटिड विकार, आर्गीनिन वासोप्रेसीन की एफीनिटी का उपचार	2003	फिनाइल हेटेरोसाइम्लिक इथर यौगिक	फीजर इंक
160.	आईएन/पीसीटी/2002/890	फ्रांस	204100	25.05.2007	वीआईवी रिसेप्टर	2002	नोवल 1, 3-डाईहाइड्रो-2एच-इंडोल-2-वन यौगिक	सानोफी सिंथलेबोराटोरी
161.	355/एमयूएम/2001	जर्मनी	204106	25.05.2007	न्यूरोलाजिकल डिसआर्डर, पर्किन्सनिज्म एनालजेसिम्स	2001	सब्सटीट्यूटेड निकाटिनानीलिड डेरीवेटिव्स का क्रिस्टलाइन हाईड्रेट एवं उनको तैयार करने का तरीका	बायर एक्टीगसल्सापट
163.	आईएन/पीसीटी/2002/01098/एमयूएम	भारत	204124	08.06.2007	अस्तर रोधी	2002	रोरली एडमिनिस्ट्रेबल एसिड स्टेबल एंटीअल्सर बेंजीमिडाजोल डेरीवेटिव्स	कोपरान रिसर्च लैबोरेट्रीज लि.
164.	302/एमयूएम/2002	भारत	204126	08.06.2007	हिस्टामाईन मेडिएटेड रोग का उपचार	2002	4-डायरीलमिथाईल 1-पिपराजीनाइल डेरीवेटिव्स	सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.
165.	885/एमयूएम/1999	यूएसए	204132	08.06.2007	चेमोकिन मेडिएटेड रोग का उपचार	1999	सीसीआर 5 माड्यूलेटर यौगिक	फीजर इंक
166.	11	बेल्जियम	204144	08.06.2007	वाइरल-रोधी एक्टीविटी	2001	बेंजीमिडाजोल एवं इमिडाजोपायराडाईन जिसमें प्रतिरोधी एंटीवायरल एक्टीविटी	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
167.	आईएन/पीसीटी/2002/583/एमयूएम	इंग्लैण्ड	204151	08.06.2007	डायबेटीज-रोधी	2002	सब्सटीट्यूटेड आक्साजोल्स एवं थायजोल्स	गलेक्सो ग्रुप लिमिटेड
168.	1164/एमयूएम/2002	भारत	204153	08.06.2007	वाइरेल-रोधी	2002	एक प्रतिरोधक/फंक्शनल मोडीफायर सिस्टम जिसमें एक किट शामिल है	हिन्दुस्तान लीवर लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169.	आईएन/पीसीटी/2000/496/एमयूएम	इंग्लैण्ड	204158	08.06.2007	अल्सर-रोधी	2000	इमीडाजोल फ्यूरीडीन डेरीवेटिव्स जो गैस्ट्रीक एसिड को रोकते हैं।	आस्ट्रेजेनेका एबी
170.	360/एमयूएम/1996	भारत	204323	08.06.2007	एड्स रोधी	1996	एड्स के उपचार हेतु एक आयुर्वेदिक फार्मूलेशन	प्रेम चन्द जैन
171.	736/एमयूएम/2002	भारत	204324	08.06.2007	डायबेटिज रोधी	2002	ग्लिपजाईड एवं साइक्लोडेक्सट्रीन एवं इसके औषधीय सम्मिश्रण का इनक्लूजन कंप्लेक्स	यूएसवी लिमिटेड
172.	841/एमयूएम/1999	यूएसए	204325	08.06.2007	माइग्रेन रोधी	1999	एक इलेट्रीप्टन हाइड्रोब्रोमाइड मोनोहाइड्रेट एवं उसको तैयार करने की प्रक्रिया	फीजर इंक
173.	586/एमयूएम/2000	यूएसए	204343	08.06.2007	एनालजेसिक	2000	2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-13 [(2, 6-डाडिआक्सी-3-सी-मिथाईल-3-0-मिथाईल-4-(-[प्रोपीलेमिनो मिथाईल] a-L-रिबो-हेक्साप्रइनोसिल इथाइल-3, 4, 10-ट्राईहाइड्रोक्सी-3, 5, 8, 10, 12, 14-एक्सामिथाईल-11-एमीनो)-B-D-एक्सवाईएलओ-एचई	फीजर प्रोडेक्ट इंक
174.	456/एमयूएम/2000	यूएसए	204344	08.06.2007	वायरल-रोधी	2000	1-थायफ्लूरोमिथाइल-4-हाइड्रोक्सी-7-पीपरीडिनिलेमिनो मिथाईलक्रोमेन डेरीवेटिव्स	फीजर प्रोडेक्ट इंक
175.	904/एमयूएम/200	भारत	204386	08.06.2007	यूवी रेडियेशन से सुरक्षा	2000	सिनेमिडोअस्कीला माइन्स के बीआईएस-क्वाटरनरी साल्ट्स वाला मिश्रण	गैलेक्सी सरफक्टान्स लिमिटेड
176.	आईएन/पीसीटी/2000/476/एमयूएम	इंग्लैण्ड	204511	15.06.2007	साइटोकीन्स से प्रसारित रोगों का उपचार	2000	साइटोकीन्स द्वारा प्रसारित रोगों के उपचार हेतु बेंजामाईड डेरीवेटिव्स	आस्ट्रेजेनेका एबी
177.	आईएन/पीसीटी/2000/426/एमयूएम	बेल्जियम	204523	15.06.2007	एचआईवी	2000	एक यौगिक फार्मूला-1	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
178.	आईएन/पीसीटी/2001/1472/एमयूएस	यूएसए	204550	15.06.2007	एपीलेप्सी फेटनेस एटैक्स, हाइपोकिनेसिया, क्रेनियल, डिसआर्डर, डिप्रेशन, एंगजाइटि, पेनिक, पेन, न्यूरोपैथोलाजिक डिसआर्डर, आर्थराइटीज, स्लीप डिसआर्डर, आईबीएस एवं गैस्ट्रीक नुकसान का उपचार	2001	यौगिक (3S, 5R) 3-एमीनोमिथाईल आक्टेनीओक एसिड एवं फार्मास्यूटिकल्स मान्य साल्ट	वारनर लामबर्ट कंपनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179.	आईएन/पीसीटी/2001/1295/एमयूएम	जर्मनी	204551	15.06.2007	प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट्स	2001	प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर माड्यूलेटर के रूप में साईक्लोकार्बामेट डेरीवेटिव्स	डब्ल्यूआईटीएच
180.	आईएन/पीसीटी/2001/1522/एमयूएम	यूएसए	204567	15.06.2007	अल्झेमर रोग, प्रचान रोग, फैमिलियन एमीलायड न्यूरोपैथीज एवं इस प्रकार का रोग	2001	एमीलोआईडोजेनिक रोग के उपचार हेतु सम्मिश्रण	न्यूरालैब लिमिटेड
181.	1210/एमयूएम/2001	भारत	204579	15.06.2007	स्लीपिंग डिसआर्डर, न्यूरोपेथी	2001	2-मिथाईल-4(4-मिथाईल-1-पिपराजीनील)-10H-थिवेनो [2, 3B] [L1, 5] बेंजोडाईजेपीन का क्रिस्टलाईन रूप	सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.
182.	आईएन/पीसीटी/2001/548	यूएसए	204605	15.06.2007	डायबेटिक-रोधी	2001	निरंतर निर्गत होने वाली औषधि जिसमें 5- L4-[2-(N-मिथाईल-N-(2- पायरीडाइल) (एमीनो) एथोक्सी] बेंजील] थायजोलीडीन-2, 4-डाइक्न	स्मिथ केलाइन बीचम पीएलसी
183.	आईएन/पीसीटी/2001/1540	बेल्जियम	204606	15.06.2007	रेस्पीरेटर सिनसीसियल वायरस	2001	रेसपीरेटरी सिनसीयल वायरस के रेप्लीकेशन पर प्रतिरोधी कार्यकलाप वाला यौगिक	जानसेन फार्मास्टीका एनवी
184.	940/एमयूएम/2001	भारत	204612	15.06.2007	डाईसबीट्स मेलीटस	2001	डायबेटीज मेलीटस के उपचार हेतु डोज फार्म	सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लि.
185.	आईएन/पीसीटी/2001/83/एमयूएम	यूएसए	204655	15.06.2007	न्यूरालोजीकल डिसआर्डर	2001	ससिनोलेमिनो लैक्टैम्स, AB प्रोडक्शन प्रतिरोधक के रूप में	ब्रीस्टोल - मायर्स स्कूब कं.
186.	आईएन/पीसीटी/2001/1108/एमयूएम	जर्मनी	204665	15.06.2007	स्लीपिंग डिसआर्डर न्यूरोपैथी	2001	सक्टीट्यूटेड बेंजोयलपाइराजोल्स	बायर एक्टींगसलसफ्ट
187.	आईएन/पीसीटी/2001/503/एमयूएम	यूएसए	204672	15.06.2007	न्यूरोलाजीकल डिसआर्डर जो कि अल्झेमर रोग एवं डाउन्स सिंड्रोम जैसी बीटाएमीलायड प्रोडक्शन से संबंधित है	2001	ससीनोलामिनो बेंजोडायजेपाइन्स	ब्रीस्टोल - मायर्स स्कूब कं.
188.	आईएन/पीसीटी/2001/901/एमयूएम	यूएसए	204695	15.06.2007	एंटीटेचीकार्डियल	2001	एक स्थापित करने वाला कार्डियाक सटीमुलेटर	द मोवर फेमिली सीएचएफ ट्रीटमेंट इरेवोकेबल ट्रस्ट
189.	आईएन/पीसीटी/2001/704/एमयूएम	यूएसए	204696	15.06.2007	दांत का रोग	2001	1,1,1,3-3-पेंटाफ्लूरोस्यूटेन से बना सम्मिश्रण	सोलवे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190.	961/एमयूएम/2000	जापान	204706	15.06.2007	वायरल रोधी	2000	पाली (एडीपी-राइकोज) पोलीमरों का ट्राईसाइक्लिक इनहीबिटर	एर्गोन फार्मास्यूटिकल्स इंक
191.	आईएन/पीसीटी/2002/1441/एमयूएम	जर्मनी	204712	15.06.2007	परसीसटेंट एंजीयोजेनिसिस	2002	सब्स्टीट्युटेड बेंजोईक एसिड	सेचरिंग एकर्टीगसेल चाफ्ट
192.	आईएन/पीसीटी/2002/912	जर्मनी	207505	15.06.2007	एलर्जिक तथा/अथवा वासोमोटर रिनीटीज या एलर्जिकल कंजक्टीविटीज निल	2002	नन-सीडेटिंग एंटीहिस्टामाइन्स के साथ वो तत्व जो रीनिटीज/कंजंक्टीविटी के उपचार हेतु ल्यूकोट्रायेन एक्सन को प्रभावित करते हैं	वीयाट्रीस जीएमबीएच एण्ड कं.
193.	177/केओएल/एनपी/2004	कनाडा	207745	22.06.2007	बेनिन एवं मेलीगनेंट ट्यूमर्स	2004	ट्यूमर के उपचार में प्रभावी पेप्टाईड्स	नीमोक्स कार्पोरेशन
194.	277/केओएल/एनपी/2004	स्पेन	207815	29.06.2007	एंटीडिप्रेसिव	2004	मीरटाजैपीन को तैयार करने हेतु मध्यवर्ती यौगिक एवं उनका आबटेंशन मेथड	मेडिकेम एसए
195.	आईएन/पीसीटी/2002/840/एमयूएम	जर्मनी	205761	29.06.2007	एंड्रोजेनिक एक्टिंग कंपाउण्ड्स	2002	अनसेचुरेटेड 14-15-साइक्लोप्रोप्रेना एंड्रोस्टेन्स	सेचरिंग एकक सेल चाफ्ट
196.	1975/सीएचई एनपी/2004	जर्मनी	207245	29.06.2007	किनासे प्रतिरोधक, ऑकोलाबी	2004	सब्स्टीट्यूटेड इंडाजोल डेरीवेटिव्स	एवेन्टीस फार्म एसए
197.	959/एमएएस/1995	स्विटजरलैण्ड	207232	29.06.2007	वायरल रोधी	1995	2-(2-एमिनो-1, 6-डायहाइड्रो-6-आक्सो-प्यूरिन-9-YL) मिथोक्सी-3-हाइड्रोक्सी-1-प्रोपेनील-L-वेलीनेट	एफ होफमान ला रोची एजी
198.	आईएन/पीसीटी/2000/434/सीएचई	यूएसए	207233	29.06.2007	लायोफिलिजेशन प्रक्रिया के दौरान हानि एवं क्षय से पीईजी- इंटरफेरोन अल्फा कंज्यूगेट्स की सुरक्षा	2000	एक एक्यूअस फार्मूलेशन, जो पीईजी इंटरफेरान अल्फा कंज्यूगेट्स को संरक्षित करता है, के लायोफिलाइज्ड पावडर	सेचरिंग कार्पोरेशन
199.	39/सीएचई एनपी/2003	भारत	207234	29.06.2007	वर्टीब्रेट वायरस के कारण हुए इंफेक्सन के विरुद्ध वर्टीब्रेट का थिरापेटिक इम्यूनाईजेशन	2003	डीएनए वैक्सीन से तथा अक्रिय वायरस से बना हुआ नोवल वैक्सीन	आईआईटी, इंडियन इमुनोलोजीकल्स लिमिटेड
200.	1150/सीएचई एनपी/2003	यूएसए	207007	29.06.2007	वैस्क्यूरल दशा, मोटापा, डायबेटीज	2003	स्टेराल एबजोप्सन इनहीबिसन के साथ कार्डियोवैस्क्यूलर एजेंट का सम्मिश्रण	सेचरिंग कार्पोरेशन
201.	1145/सीएचईएनपी/2003	यूएसए	207006	29.06.2007	वैस्क्यूलर दशाएं	2003	स्टेराल एबजोप्सन से बना सम्मिश्रण	सेचरिंग कार्पोरेशन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202.	1171/सीएचईएनपी/2003	यूएसए	207008	29.06.2007	अत्यधिक एवं क्रोमिक ज्वलन रोग एवं कैंसर	2003	3,4-DI-सब्स्टीट्यूटेड साइक्लोस्यूटेन-1,2-डायोन्स AS CXC चेमोकाईन रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट्स	सेचरिंग कार्पोरेशन एण्ड फार्माकोपिया ड्रग डिसकवरी इंक
203.	1594/सीएचईएनपी/2003	यूएसए	207013	29.06.2007	बैक्टीरिया जनित इन्फेक्शन	2003	7, 9 सब्स्टीट्यूटेड टेट्रासाइक्लीन यौगिक	पाराटेक फार्मास्यूटिकल इंक
204.	1811/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	207017	29.06.2007	अल्झेमर रोग	2003	इमिडाजोल [1, 5]-पिरामाइडो 5, 4-डी) बेजाजेपाइन डेरिवेटिव्स, गाबा रिसेप्टर माड्यूलेटर के रूप में	एफ होफमान ला रोची एजी
205.	838/सीएचईएनपी/2004	जर्मनी	207019	29.06.2007	फंगस रोधी	2004	सब्स्टीट्यूटेड निकोटिनाइनिलिड डेरीवेटिव्स का क्रिस्टलाइन हाइड्रेट एवं उनको तैयार करने का तरीका	बीएएसएफ एक्टींगस्ससाफ्ट
206.	162/सीएचईएनपी/2003	यूएसए	206972	29.06.2007	बैक्टीरिया जनित इंफेक्शन	2003	7-सब्स्टीट्यूटेड टेट्रासाइक्लीन यौगिक	ट्रस्टीज आफ टफ्ट्स कोलेज, पाराटेक फार्मास्यूटिकल इंक
207.	24/सीएचईएनपी/2003	डेनमार्क	206974	29.06.2007	सिजोफ्रेनिया	2003	सीएनएस रोग के उपचार के लिए उपयोगी इन्डोल डेरीवेटिव्स	एच लूंडबेक ए/एस
208.	77/सीएचईएनपी/2003	इटली	206983	29.06.2007	ट्यूमर्स	2003	फार्मास्यूटिकल्स कंपोजिशन जिसमें एक्रीलायस डिस्टामायसीन डेरीवेटिव्स एवं टोपोआइसोमेल 1 एवं 2 प्रतिरोधक शामिल है	नेरवायनो मेडिकल साईंस एसआरएल
209.	89/सीएचईएनपी/2003	यूएसए	206985	29.06.2007	एचसीवी प्रोटीज	2003	नोवल पेप्टाईड्स, हेपेटाइटिस जी वायरस के N53 सीरीन प्रोटीज प्रतिरोधक के रूप में	सेचरिंग कार्पोरेशन डेन्ड्रीआन कार्पो.
210.	आईएन/पीसीटी/2002/2015/सीएचई	कनाडा	206947	29.06.2007	बैक्टीरिया रोधी एजेंट	2002	ग्लाइकोपेप्टाईड फास्फोनेट डेरीवेटीव्स	थेरावानवे इंक
211.	आईएन/पीसीटी/2002/1986/सीएचई	यूएसए	206949	29.06.2007	सेक्सुअल डायसफंक्शन	2002	वर्जीनल ड्राइनेस एवं सेक्सुअल डायसफंक्शन के उपचार हेतु औषधीय सम्मिश्रण	हारमोस मेडिकल कार्पोरेशन
212.	2609/एमएएस/1998	जापान	206960	29.06.2007	सेंट्रल नर्वस डिसआर्डर	1998	2-एराईल-8 आक्सोडाइहाइड्रोपयूरीन डेरीवेटिव्स, उनको बनाने की प्रक्रिया, उनसे एवं उनके मध्यवर्ती से बना सम्मिश्रण	डायनीपोन सुमिटोमो फार्मा कं. लि.
213.	65/एमएएस/1998	स्विटजरलैण्ड	206961	29.06.2007	दर्द एवं माइग्रेन	1998	टैचीकीनिन एन्टागोनिस्ट	नोवरटीस एजी
214.	687/एमएएस/1996	जापान	206962	29.06.2007	एंटीट्यूमर	1998	पैंटासाइक्लिक सम्मिश्रण	डायची फार्मास्यूटिकल कं. लि.
215.	आईएन/पीसीटी/2000/724	कनाडा	206964	29.06.2007	नर्वस सिस्टम इंज्यूरी	2000	AY_2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर	थेरावानवे इंक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216.	आईएन/पीसीटी/2001/1103/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	206965	29.06.2007	ज्वलनशील रोग	2000	फिनाईलासेनीनाल डेरीवेटिव्स	एफ होफमैन ला रोची एजी
217.	आईएन/पीसीटी/2001/1308/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	206966	29.06.2007	श्रेणी-2 डायबेटीज	2001	ग्लूकोकिनासे एक्टिवेटर्स	एफ होफमैन ला रोची एजी
218.	136/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	206969	29.06.2007	मोटापा	2003	लिपासे प्रतिरोधक एवं वाईल एसीड सीक्वेस्ट्रेन्ट से बना औषधीय सम्मिश्रण	एफ होफमैन ला रोची एजी
219.	150/सीएचईएनपी/2003	स्पेन	206971	29.06.2007	यूरीनरी इनकंटीनेंस	2003	मस्कैरीनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स	लैबेरेट्रीज सालवेट एसए
220.	आईएन/पीसीटी/2002/1756/सीएचई	नीदरलैण्ड	206931	29.06.2007	इम्यून-मेडिएटेड विकार	2002	एक इमिनोरेग्यूलेटर पेप्टाईड	बायोटेम्पट बीवी
221.	आईएन/पीसीटी/2002/1836/सीएचई	नीदरलैण्ड	206936	29.06.2007	सेरोटोनीन तथा/अथवा नोराड्रेनर्जिक रिसेप्टर	2002	फार्मूला-1 का पिपराजिन एवं पिपराडाईन डेरीवेटिव्स	सोलवे फार्मास्यूटिकल्स बीवी
222.	आईएन/पीसीटी/2002/1966/सीएचई	यूएसए	206945	29.06.2007	कैंसर	2002	बीआईएस-बीआईएस-(2-हैलोइपाइल) एमिनो) फास्फोरामिडेट्स	टेलिक इंक
223.	आईएन/पीसीटी/2002/1390/सीएचई	जर्मनी	206888	29.06.2007	ज्वलनशील रोग	2002	अनसैचुरेटेड फैटी एसिट्स	बीएएसएफ एक्टीगसल्साफ्ट
224.	आईएन/पीसीटी/2002/1827/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	206891	29.06.2007	एरिथ्रोपोइसिस	2002	एरिथ्रोपोएटीन प्रोटीन से बना एक तरल औषधि	एफ होफमैन ला रोची एजी
225.	1902/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	206746	29.06.2007	मोटापा	2003	लिपासे प्रतिरोधक एवं एक सुक्रोजफैटीज एसीड इस्टर से बना औषधीय सम्मिश्रण	एफ होफमैन ला रोची एजी
226.	2995/सीएचईएनपी/2004	स्विटजरलैण्ड	206750	29.06.2007	CB_1 रिसेप्टर के माड्यूलेशन से जुड़े बिमारी का उपचार एवं प्रोफीलैक्सिस	2004	नोवल बेंजोडाईआक्सोल डेरीवेटिव्स	एफ होफमैन ला रोची एजी
227.	1182/एमएएस/1998	स्विटजरलैण्ड	206673	29.06.2007	ट्यूमर निदान	1998	5-डिआक्सी साइटीडी-डेरीवेटिव्स	एफ होफलैन ला रोची एजी
228.	1735/एमएएस/1996	जापान	206674	29.06.2007	आइसकेमिक रोग	1996	कार्बोस्टाइरील डेरीवेटिव्स	डी वेस्टर्न थेराप्यूटीक्स इन्स्टीट्यूट, कोवा कं.लि.
229.	1908/एमएएस/1996	फ्रांस	206676	29.06.2007	ओरल फार्मूलेशन का निरंतर त्याग	1996	औषधीय रूप से मान्य लायोफिलिज्ड फार्मूलेशन	सानोफी सिंथेलेबोरेटोरी
230.	84/एमएएस/2001	स्विटजरलैण्ड	206678	29.06.2007	स्लीपिंग डिआर्डर, न्यूरोपैथी	2001	3, 6-आईअल्काइल-5, 6-डाईहाइड्रो-4-हाइड्रोक्सी-2H-पाईरेन-2-वन	एफ होफमैन ला रोची एजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231.	आईएन/पीसीटी/2000/740/सीएचई	जापान	206680	29.06.2007	दंत रोग	2000	दंत पालीमरइजेबल सम्मिश्रण हेतु आर्गेनोफास्फोरस यौगिक	कुरारे मेडिकल इंक
232.	आईएन/पीसीटी/2001/1842/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	206681	29.06.2007	हेमाटोलाजिकल विकार	2001	एरिथ्रोपाइटीन ग्लाइकोप्रोटीन से बना कंप्यूगेट	एफ होफमैन ला रोची एजी
233.	1234/सीएचईएनपी/2003	जापान	206687	29.06.2007	P38 मीडिएटेड विकार	2003	6-सब्सीट्यूटेड पाईरीडा-पाइरीमिडीन्स	टोयो बोसेकी काबुशीकी कैशा
234.	924/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	206275	20.06.2007	श्रेणी-2 डायबेटीज	2003	आइसोइन्डोलिन-1-वन ग्लूकोकिनासे एक्टिवेटर्स	एफ होफमैन ला रोची एजी
235.	394/सीएचईएनपी/2003	नीदरलैण्ड	205993	29.06.2007	फार्टलीटि रेग्यूलेशन थिरापी	2003	बाईसाईक्लिक हेटोरोएरोमेटिड सम्मिश्रण	एकजो नोबल एनवी
236.	58/सीएचईएनपी/2003	कनाडा	205996	29.06.2007	नियंत्रित रूप से जारी एक्सीपिएंट	2003	क्रास लिंक्ड एमाइलोज एवं इनको तैयार करने की प्रक्रिया से बना एक नियंत्रित रूप से निर्गत औषधीय टेबलेट	लेनार्टस वीनसेन्ट.....अन्य
237.	आईएन/पीसीटी/2002/2115/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205967	29.06.2007	एमसीपी-1 अथवा एक्सोटेक्सीन मेडिस्टेड रोग या विकार	2002	एक मानव मोनोसाइट कीमोट्रैक्टन्ट प्रोटीन (एमसीपी)-1 बाइंडिंग माल्यूमल्स	नावरटिस एजी
238.	आईएन/पीसीटी/2002/1609/सीएचई	यूके	205912	29.06.2007	फंगस रोधी एजेंट	2002	फंगस इंफेक्शन के उपचार हेतु सम्मिश्रण	न्यूटेक फार्मा पीएलसी
239.	आईएन/पीसीटी/2002/1670/सीएचई	जर्मनी	205919	29.06.2007	डायग्नोस्टिक एजेंट	2002	पालीमाईड न्यूक्लीकि एसीड डेरीवेटिन्स, एजेन्ट्स एवं प्रोडक्शन का तरीका	सानोफी एवेन्टिस डेटस्चलैण्ड जीएमबीएच
240.	आईएन/पीसीटी/2002/1776/सीएचई	कनाडा	205926	29.06.2007	बैक्टीरियल रोग	2002	साइक्लोडेक्सट्रीन एवं एक लैपीडेटेड ग्लाइकोपेप्टाईड एंटीबायोटिक	थेराक्वानवे इंक
241.	2007/सीएचईएनपी/2004	यूएसए	205696	29.06.2007	एचआईवी-वेस्टिंग, प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर कैचेक्सिया	2004	फ्लूरोनेटेड 4-एजास्टेराइड डेरीवेटिव्स, एंड्रोजेन रिसेप्टर माड्यूलेटर्स के रूप में	मेरक एण्ड कं. इंक
242.	1609/सीएचईएनपी/2004	कनाडा	205687	29.06.2007	प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड रोग	2004	फ्लूरो सब्स्टीट्यूटेड साइक्लो एल्कानो इन्डोल	मेरक फरोस्ट कनाडा एण्ड कं.
243.	1770/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	205667	29.06.2007	डायबेटिज	2003	कार्बोक्सीलिक एसिड सब्स्टीट्यूड आक्साजोल डेरीवेटिव्स	एफ होफमैन ला रोची एजी
244.	1913/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	205669	29.06.2007	पिरापेटिक एजेंट	2003	5-रिसेप्टर एफीनिटी के साथ एक यौगिक फार्मूला-1	एफ होफमैन ला रोची एजी
245.	1079/सीएचईएनपी/2004	स्विटजरलैण्ड	205676	29.06.2007	इस रिसेप्टर से संबंधित रोग	2004	निकोटिन या आइसोनिकोटिन बेंजोपाइजोल डेरीवेटिव्स	एफ होफमैन ला रोची एजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246.	1538/सीएचईएनपी/2003	जापान	205654	29.06.2007	हाइपरटेंशन	2003	कार्वकलाप को माड्यूलेट करने के लिए औषधीय सम्मिश्रण	जापान टोबाको इंक
247.	1593/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	205655	29.06.2007	क्रोनिक न्यूरोलाजिकल डिसआर्डर	2003		एफ होफमैन ला रोची एजी
248.	453/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैण्ड	205180	29.06.2007	एंफीसीमा, कैंसर	2003	फार्मूला 1 या नया रेटीनोइड्स	एफ होफमैन ला रोची एजी
249.	1153/सीएचईएनपी/2003	यूएसए	205182	29.06.2007	वेस्कुलर कंडीशन्स डाइबैटिज, ओबेसिटी क्योरिंग द डिजीज एचआईवी एड्स और कैंसर	2003	फार्मूला 2 युक्त सम्मिश्रण	सेचरिंग कार्पोरेशन
250.	486/एमएएस/2001	भारत	204994	29.06.2007	कैंसर	2001	एवेलमिक-1 हर्बल आधारित औषध कैपसूल तैयार करना	पोटाराजु सुरजा वी-सत्यनारायण
251.	802/एमएएस/1996	स्विटजरलैण्ड	204998	29.06.2007	एन्टी बैकटीरियल एजेंट	1996	एन्टीबैकटीरियल सेफालोस्पोरिस	सेन्डोज एजी
252.	आईएन/पीसीटी/2000/ 619/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205037	29.06.2007	गुर्दे खराब होना	2000	खराब गुर्दे वाले व्यक्तियों के लिए लिक्विड न्यूट्रीशनल मिश्रण	नोवर्टिस एजी
253.	आईएन/पीसीटी/2000/ 841/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205038	29.06.2007	प्रोलीप्रेटिव रोग	2000	इपोथीलोन डेरीवेटीव्स तथा उनके सिंथेसिस	नोवर्टिस एजी
254.	आईएन/पीसीटी/2001/ 1290/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205039	29.06.2007	एक्टो तथा एन्डो पैरास्टीस का ईलाज	2001	एन इनानटीओमर-प्योर 2, 4-डीसब्सीटिबूटिड ओक्साजोलिन्स आफ फार्मूला-1	नोवर्टिस एजी
255.	आईएन/पीसीटी/2001/ 1291/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205040	29.06.2007	एनए	2001	1. एरिलसल्फोनिल पाइपलाइन कांप.	एफ होफमन एल रोचे एजी
256.	आईएन/पीसीटी/2001/ 1465/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205042	29.06.2007	संबद्ध रेस्टिनोसिस, ग्लूकोमा, कर्डिएक इन्फार्क्ट, उच्च रक्तचाप का उपचार	2001	रेनिन अवरोधक	एफ होफमनल्ला रोचे एजी
257.	आईएन/पीसीटी/2001/ 1711/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205043	29.06.2007	अल्जीमर रोग, पार्किन्सन रोग	2001	एथनेस्लफोलाइल पाइपरडाइन डेरि.	एफ होफमनल्ला रोचे एजी
258.	आईएन/पीसीटी/2001/ 638/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205069	29.06.2007	ट्यूमर रोग	2001	न्यूबेंजामाइट डेरि.	नोवार्टिस एजी और चेरिंग एजी
259.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1287/सीएचई	आयरलैंड	205173	29.06.2007	संकुलक हृदय रोग	2002	संकुलन की एक दवा	वासोजेन आयरलैंड लिमिटेड
260.	आईएन/पीसीटी/2002/ 518/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205174	29.06.2007	साइकोसिस, सीजोफ्रेनिया, अल्जीमर रोग	2002	सेंजोडाइजेपाइन डेरि.	एफ होफमनल्ला रोचे एजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261.	आईएन/पीसीटी/2002/58/सीएचई	स्विटजरलैण्ड	205175	29.06.2007	स्तन कैंसर	2002	विटामिन डी 3 तुल्य रूप	एफ होफमनल्ला रोचे एजी
262.	496/एमएएस/1995	स्विटजरलैण्ड	204982	29.06.2007	प्रोलिफरेशन विकार	1995	एसाइलेटेड अमीनो एल्काइलिमिडाजोल और ट्राइबोल उत्पाद	नोवार्टिस एजी
263.	1103/एमएएस/2000	यूएसए	204983	29.06.2007	एलर्जिक और/सूजन की दवाएं	2000	एक्सटेंडेड रिलीज मुंह से लेने की खुराक	चेरिंग कार्पोरेशन
264.	1312/एमएएस/1997	स्विटजरलैण्ड	204984	29.06.2007	एनए	1997	नरम कैप्सूल दवायुक्त साइक्लोस्पोरिन	नोवार्टिस एजी
265.	1388/एमएएस/1998	फ्रांस	204986	29.06.2007	एन्टीएरिथमैटिक गतिविधि	1998	बेंजोफ्यूरान डेरिवेटिव युक्त ठोस फार्मास्यूटिकल्स संगठन	सनोथी सिंथेलेबोरेटरी
266.	155/एमएएस/1999	इंडिया	204987	29.06.2007	ज्वलनशील स्थिति का उपचार	1999	निमेसुलाइड के लिए फार्मास्यूटिकल कपोजिशन्स कन्टेनिंग	नैटको फार्मा लिमिटेड
267.	1648/एमएएस/1998	यूएसए	204988	29.06.2007	मैमालिन साइटोकाइन नैदानिक किट	1998	एक पाली न्यूक्लायोटाइड एनकोडिंग आईएल-बी 30	चेरिंग कार्पोरेशन
268.	1955/एमएएस/1996	यूएसए	204989	29.06.2007	निरंतर मुक्ति मुंह से लेने का फार्मुलेशन	1996	नियंत्रित मुक्ति ठोस खुराकें	फेनवेस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
269.	2252/एमएएस/1998	स्विटजरलैंड	204991	29.06.2007	मृगी जैसे रोगों के कारण आने वाले दौरों का उपचार	1998	10 हाइड्रोक्सी-10, 11-टेट्रोहाइड्रो कार्बामेजपाइन पानी और ग्लूकोस युक्त पेरेन्टरल फार्मुलेशन	नोवार्टिस एजी
270.	46/सीएचई/2004	इंडिया	204302	29.06.2007	कुछ विशेष तरह के कैंसरों का उपचार	2004	जैफिटिनिब को बनाने के लिए आदर्श मध्यवर्ती और प्रक्रिया	नैटको फार्मा लिमिटेड
271.	आईएन/पीसीटी/2002/1520/सीएचई	यूएसए	204303	29.06.2007	ऐसी बीमारी या दशा के प्रोफिलेक्सिस का उपचार जिसमें नाइट्रिक आक्साइड का संश्लेषण और अति-संश्लेषण का योगदान होता है	2002	एमिडानो काम्प और लवण	फार्मासिया कार्पोरेशन
272.	511/एमएएस/1998	स्विटजरलैंड	204284	29.06.2007	एन्टीबायोटिक	1998	सेफलोस्पोरिन डेरि.	सण्डोज एजी
273.	आईएन/पीसीटी/2001/226/सीएचई	स्विटजरलैंड	204286	29.06.2007	ऐसे सक्रिय एजेंटों को देने हेतु संघटन, जो जल माध्यमों में खराब घुलनशील होते हैं और/अथवा जो अम्लों के प्रति संवेदनशील होते हैं	2001	एक ठोस मुंह से लिए जाने वाला फार्मा संघटन	नोवार्टिस एजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274.	आईएन/पीसीटी/2002/336/सीएचई	बेल्जियम	202425	29.06.2007	वैसीन संघटन उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनमें एक हर्पिस सिंपलेक्स वायरस एंटीजन और एचपीवी एंटीजन होते हैं और वैकल्पिक तौर पर इसके अलावा निम्नलिखित में एक एक या अधिक होते हैं: एक ईबीवी एंटीजन, एक हेपटिटिस ए एन्टीजन अथवा निष्क्रिय किया गया क्षीण किया गया वायरस, एक हेपेटिटिस बी वायरल एन्टीजन, एक वीजेडवी एन्टीजन, एक एसचीएमवी एन्टीजन, एक टोक्सापलाज्मा गोन्डी एन्टीजन।	2002	एक वैक्सीन संघटन	स्मिथक्लिन बीचम बायोलाजिकल्स एसए
275	487/एमएएस/2001	भारत	204225	29.06.2007	एचआईवी/एड्स और कैंसर का उपचार	2001	एक आदर्श हर्बल औषध उसे बनाने की प्रक्रिया	पोटुराजूसूरज्ञा वी. सत्यनारायण
276.	143/सीएचईएनपी/2003	स्विटजरलैंड	204073	06.07.2007	हार्मोन रेफ्रेक्टरी प्रोस्टेट कैंसर का उपचार	2003	सोमेटोस्टेटिन पेप्टिडोमिमेटिक्लस	नोवार्टिस एजी
277.	892/सीएचई/2003	भारत	207568	06.07.2007	निद्रा विकास, न्यूरोपैथी	2003	एक प्रतिस्थापित बेन्जोम साइक्लोहेक्सिनोन	पी. अरविन्दाक्षण नायर
278.	196/एमएएस/1996	स्विटजरलैंड	207615	06.07.2007	निरंतर मुक्ति मुंह से लिया जाने वाला फार्मुलेशन	1996	जल में बेहतर रूप से घुलनशील योग बनाया गया फार्मा फार्मुलेशन	नोवार्टिस एजी
279.	2264/एमएएस/1996	स्विटजरलैंड	207616	06.07.2007	अनेक प्रकार के रोगों का इलाज जैसे ओस्टियोपोरोसिस, ट्यूमैट्राबाइड आर्थ्राइटिस के लिए सूजनरोधी जैसे ट्यूट वृद्धि के उपचार व रोकथाम। ट्यूमर फैलने ट्यूमर बढ़ने अथवा के उपचार के लिए।	1996	आल्फा प्रतिस्थापक एरिल सल्फोनामाइट एसिटोहाइड्रोक्सेमिक एसिड	नोटार्विस एजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280.	2419/एमएएस/1997	भारत	207617	06.07.2007	आदर्श मोटापारोधी तथा हाइपोकोलेस्ट्रोलमिक कंपाउंड	1997	आदर्श हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दवाओं में उनका उपयोग: उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया और उनमें निहित फार्मा संघटन	डा. रेड्डी लेबोरेटरीज लिमि.
281.	आईएन/पीसीटी/2001/1382/सीएचई	फ्रांस	207622	06.07.2007	सूजनरोधी, इम्यूनोडिप्रेसिव और एंजियोस्टेटिक गतिविधि (तथाकथित सूजनरोधी स्टीराइड), अथवा पेट-आंतों की गतिविधि	2001	एक स्टीराइड संघटन	निकोक्स एसए
282.	आईएन/पीसीटी/2002/187/सीएचई	फ्रांस	207623	06.07.2007	मध्यम तीव्रता की आक्साडेटिव स्ट्रेस और/अथवा एंडोथोलियल गड़बड़ी, सूजन वाली और आटोइम्यून रोगों तथा फैलने वाले ट्यूमरों के उपचार में प्रयोग किया जाता है।	2002	फार्मास्यूटिकल्स संघटन	निकोक्स एसए
283.	आईएन/पीसीटी/2002/826/सीएचई	स्विटजरलैंड	207624	06.07.2007	सूजन वाली और आटोइम्यून रोगों तथा फैलने वाले ट्यूमरों के उपचार में प्रयोग किया जाता है।	2002	4 पाइरिमिडाइनिल-एन-एसाइल-एस-फिनाइलएलनाइल	एफ होफमन एल रोचे एजी
284.	140/सीएचईएनपी/2003	जापान	207625	06.07.2007	विक्षिप्तता उपचार, कैंसर कोशिका प्रसार विकारों वायरल संक्रमण, आटोइम्यून रोगों और न्यूरोडिजनरेटिव विकार	2003	विक्षिप्तता के लिए एक फार्मा संघटन	डैनिप्पन सुमिटोमो फार्मा कं. लि.
285.	250/सीएचईएनपी/पी/2003	इटली	207626	06.07.2007	कैंसर कोशिका प्रसार विकारों वायरल संक्रमण, आटोइम्यून रोगों और न्यूरोडिजनरेटिव विकार	2003	बाइसाइक्लो-पाइराजोल किनेस इनहिबिटर्स के तौर पर सक्रिय, उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया एवं उनमें निहित संघटन	फार्मासिया इटालिया एसपीए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286.	254/सीएचएनपी/2003	स्विटजरलैंड	207627	06.07.2007	मोटापे का उपचार	2003	फार्मुला 1 के चुनिन्दा साइक्लिक पेप्टाइड	एफ होफमन एल रोचे एजी
287.	626/सीएचईएनपी/2004	स्विटजरलैंड	207636	06.07.2007	इम्यूनोसप्रेसिव और सूजनरोधी गुण	2004	कोलाइडल सिलिकन डाइआक्साइड युक्त फार्मास्यूटिकल संघटन	नोवार्टिस एजी
288.	आईएन/पीसीटी/2000/135	यूएसए	207985	06.07.2007	सूक्ष्मजीव हेलिकोबेक्टर पाइलोरी के विरुद्ध तिहरे या चार बार के उपचारों में प्रयोग किया जाता है।	2000	फार्मास्यूटिकल डिलेवेस फार्म	एक्सकैन फार्मा इंक
289.	आईएन/पीसीटी/2000/187	जर्मनी	208002	06.07.2007	गैर इन्सुलिन आश्रित मधुमेह का उपचार	2002	मैटफार्मिन और फाइब्रेट के संयोजन से बना फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन तथा हाइपर ग्लाइसेमिया को कम करने के उद्देश्य से बनाई जाने वाली दवाओं में इसका उपयोग	मर्क पेटेंट जीएमबीएच
290.	आईएन/पीसीटी/2002/1884/एमयूएम	फ्रांस	205784	13.07.2007	कवकरोधी और जीवाणुरोधी	2002	कवकरोधी और/अथवा जीवाणुरोधी पेप्टाइड, उन्हें बनाने की विधियां तथा उनका संघटन	इंटेमेड एसए
291.	आईएन/पीसीटी/2002/867/एमयूएम	इंग्लैण्ड	205788	13.07.2007	कोलेस्ट्रोल की मात्रा कम करता है	2002	फार्मास्यूटिकल संघटन	एस्ट्रेजेनेका एबी
292.	आईएन/पीसीटी/2002/750/एमयूएम	जर्मनी	205799	13.07.2007	जीवाणुरोधी	2002	पानी में बेहतर घुलने की क्षमता फार्मा फार्मुलेशन	बायर एक्टीन्गेसेलचाफ्ट
293.	आईएन/पीसीटी/2002/1095/एमयूएम	जर्मनी	205807	13.07.2007	बोध, एकाग्रता क्षमता, सीखने की क्षमता तथा/अथवा स्मरणशक्ति में सुधार	2002	नये इमिडेजो ट्रायजिनोन	बायर एक्टीन्गेसेलचाफ्ट
294.	614/एमयूएमएनपी/2004	चेक गणराज्य	205892	13.07.2007	स्थिरीकृत फार्मास्यूटिकल्स कंपोजिशन जिसमें पानी में खराब घुलनशीलता वाला फार्मास्यूटिकल्स दृष्टि से सक्रिय पदार्थ है।	2004	पालीआक्सीथाइलेटेड कास्टर आयल पर आधारित स्थिरीकृत फार्मा कंपोजिशन और उन्हें बनाने की विधि	प्लीथैलचेम्प एएस
295.	आईएन/पीसीटी/2002/255/एमयूएम	जर्मनी	205893	13.07.2007	कार्डियोवास्कुलर विकारों का उपचार जिनका चयन हार्ट फेल होने, ग्लाम्बोएम्बोलिक विकारों से किया गया	2002	आदर्श अमीनो डाइकार्बोक्सिलक डेटिवेटिव जिनमें फार्मा गुण हों।	बायर एक्टीन्गेसेलचाफ्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296.	आईएन/पीसीटी/2002/477/एमयूएम	यूएसए	206033	13.07.2007	जीवाणुरोधी	2002	एक आदर्श बेंजिमिडाजोल कंपो.	फाइजर प्रोडक्ट इंक
297.	396/एमयूएमएनपी/2004	यूएसए	206034	13.07.2007	जीवाणुरोधी	2004	3-अमीनो-1-मार्फोलाइन-4-वाईएल-प्रोपेन-1-वन कंपाउंड के डेरिवेटिव	वार्नर लैम्बर्ट कम्पनी
298.	76/एमयूएमएनपी/2004	हंगरी	206026	13.07.2007	बहुत से विकारों का उपचार जो ग्लूटामेट के अत्यधिक स्राव के साथ होते हैं, जो कि केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य उत्तेजन न्यूरोट्रांसमीटर है	2004	नये कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड डेरिवेटिव जो एनएनडीए रिसेप्टर के एन्टागोनिस्ट अथवा उन्हें बनाने में मध्यवर्ती का कार्य करते हैं	रिक्टर गेडीऑन केग्येस्जेटी ग्वार आरटी
299.	आईएन/पीसीटी/2001/1435/एमयूएम	आयरलैंड	206050	13.07.2007	आटोइम्यून विकास	2001	एमिलाइडोजेनेटिक रोग की रोकथाम एवं उपचार हेतु एक फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन	एपल फार्मा इंटरनेशनल लिमि.
300.	121/एमयूएम/एनपी/2003	इंग्लैण्ड	206069	13.07.2007	कैंसर रोधी	2003	कोशिका प्रसार को रोकने के लिए एजेंट के तौर पर इमिडेजोलो-5-वाईएल-जेड-एनिलिनो-पिरिमिडाइन्स	एस्ट्रेजेनेका एबी
301.	210/एमयूएमएनपी/2005	यूएसए	206080	13.07.2007	मधुमेह, खासकर टाइप-2 मधुमेह तथा हाइपोग्लाइसेमिया सिंड्रोम एक्स, हाइपर इंसुलाइनेमिया, मोटापा एथेरोस्कलेरोसिस, तथा विभिन्न इम्यूनोमाडयूलेटरों का उपचार	2005	डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस-4 (डीपीपी-4) के अवरोधकों के तौर पर फार्मा कंपोजिशन	एबोट लेबोरेटरीज
302.	939/एमयूएम/2004	भारत	206082	13.07.2007	मरोड़रोधी, एनसेड और सूजन रोधी खाने की टेबलेट	2004	एक मरोड़रोधी और एनल्जेसिक एन्टीपाइरेटिक जिसमें एक सूजनरोधी और एनल्जेसिक संयोजन है तथा उसे बनाने की विधि	संजीव खंडवाल
303.	176/एमयूएम/2004	भारत	206083	13.07.2007	मरोड़ संबंधी दर्द से प्रभावी राहत	2004	एक मरोड़रोधी खाने की बूंद का फार्मुलेशन	संजीव खंडवाल
304.	130/एमयूएम/2004	भारत	206100	13.07.2007	मधुमेह रोधी	2004	ग्लिपिजाइड और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड का स्थिर मूंह से लिया जाने वाला मधुमेह रोधी फार्मुलेशन	यूएसवी लिमि.
305.	485/एमयूएमएनपी/2005	जर्मनी	206127	13.07.2007	इस्केमिक मस्तिष्क रोग का उपचार	2005	प्रतिस्थापित फेनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड	बायर एक्टीन्गेसेलचाफ्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306.	664/एमयूएम/2004	भारत	206130	13.07.2007	मरोड़ रोधी	2004	स्थिर इंजेक्शन देने योग्य स्वरूप में एक मरोड़रोधी फार्मुलेशन तथा उसे बनाने की विधि के लिए	यूनाइटेड फास्फोरस लिमि.
307.	176/एमयूएम/2004	भारत	206137	13.07.2007	यौन विकारों के उपचार हेतु	2004	पेरिनडोप्रिल	संजीव खंडवाल
308.	599/एमयूएमएनपी/2004	भारत	206139	13.07.2007	मधुमेह इन्सुलिन प्रतिरोध, मधुमेह न्यूरोपैथी, मधुमेह रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद, हाइपरग्लासेमिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एथरोस्केलेरोसिस, अथवा ऊतक इस्केमिया	2004	बाइसाइक्लिक पाइरोलिल एमाइड कंपाउंड	सिपला लिमि.
309.	191/एमयूएमएनपी/2003	इंग्लैण्ड	206212	13.07.2007	एनल्जेसिक और सूजनरोधी कंपोजिशन	2003	मुख्यत: साइक्लोक्सीजेनेस-2 इनहिबिटर से बना एक कंपोजिशन	एस्ट्रेजेनेका एबी
310.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1794/एमयूएम	जर्मनी	206214	13.07.2007	अल्झीमर रोग जैसे तंत्रिकातंत्र का क्षय करने वाले रोग	2002	1-5, डाइसबस्टिच्यूटेड-3एमएच-डाइहाइड्रो-1-एच-पिरिमिडो (4,5-डी) पिरिमिडो-2-वन कंपाउंड तथा सीएसबीपी/पी38किनेस मीडिएट रोगों में उनका उपयोग	यीथ
311.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1125/एमयूएम	यूएसए	206224	13.07.2007	न्यूरोडेजेनेरेटीव रोग जैसे अल्जायर रोग	2002	1,5 वितरित सीएसबीपी/पी 38 रोग	स्मिथ क्लिन बीकम पीएलसी
312.	853/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	206225	13.07.2007	रूची संबंधी विकारों में शामिल हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएंशी वायरस (एचआईवी) और आनुवंशिक संबंधी रेट्रोवायरस द्वारा होने वाले विकार जैसे कि एक्वायर्डइम्यून डेफिसिएंशी सिंड्रोम (एआईडीएस)	2003	एक पायराजोल कंपोजिशन	पीफीजर इंक
313.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1457/एमयूएम	ग्रेट ब्रिटेन	206226	13.07.2007	ट्यूमरों का उपचार	2002	एक क्विनाजोलाइन डेरिवोटिव	अस्ट्राजेनेका एबी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
314.	आईएन/पीसीटी/2002/1540/एमयूएम	यूएसए	206227	13.07.2007	श्वसन मार्ग की बीमारियों का उपचार	2002	2-अमीनो कार्बोलिन 9एच पूरिन कंपोजिशन	पीफीजर इंक
315.	990/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	206231	13.07.2007	एलर्जीरोधी	2003	एक कंपाउंड	बायर कारपोरेशन
316.	आईएन/पीसीटी/2002/1868/एमयूएम	यूएसए (आईएनडीवी)	206233	13.07.2007	घाव भरना	2002	घाव भरने के साथ पेप्टाइड	चंदा जेवरी
317.	411/एमयूएम/2004	भारत	206238	13.07.2007	कंकालतंत्र की मांसपेशियों को शिथिल करने वाला	2002	एक सिनर्जिस्टिक मरोड़ रोधी एनल्जेसिक फार्मुलेशन एवं उसे बनाने की विधि सेफलूमिलास्ट और सलमेटरोल का सिनर्जिस्टिक कंबिनेशन	संजीव खण्डवाल
318.	आईएन/पीसीटी/2002/66/एमयूएम	जर्मनी	206328	13.07.2007	सूजनरोधी व संक्रमण रोधी	2002	एक आप्थैल्मिक फार्मा प्रिपरेशन	अलटाना फर्मा एजी
319.	1077/एमयूएम/2001	भारत	206337	13.07.2007	हाइपरप्रोलिफरेटिव रोगों का उपचार	2001	एक आदर्श (6, 7-बिस) (मेथेक्सी एथेक्सी) क्विनाजोलिन-4-4एस (3-एथिनिल फिनाइल) अमाइन हाइड्रोक्लोराइड और उसे बनाने की प्रक्रिया)	एफडीसी लिमिटेड
320.	537/डीएल/1996	यूएसए	196774	13.07.2007	हाइपरप्रोलिफरेटिव रोगों का उपचार	1996	एक फार्मा कंपोजिशन	पफीजर प्रोडक्ट्स इंक एंड ओएसआई फार्मयूकल्स इंक
321.	478/एमयूएम/2002	भारत	203089	20.07.2007	आंकड़ा उपलब्ध नहीं	2002	एक फार्मा कंपोजिशन	स्ट्राडेस आरकोलब लि.
322.	188/सीएएल/1995	बेल्जियम	208191	20.07.2007	मानसिक रोगियों का उपचार	1995	एक फार्मा कंपोजिशन	जेनसन फार्मकिटूटीकल एनवी एंड अलकरमेस कंट्रोलेड फार्मपिटीक इंक
323.	2509/एमएएस/1997	डेनमार्क	208018	27.07.2007	उपलब्ध नहीं	1997	एक सबटिलेज इंजाइम वैरिएंट तथा उसके कंपोजिशन	नावोजयमेस ए/एस
324.	173/एमयूएमएनपी/2004	यूएसए	206372	27.07.2007	कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले किसी व्यक्ति से जीवाणु संक्रमण की रोकथाम या उपचार में प्रयोग हेतु स्टेफिलोकोकल और इंटिरोकोकल ग्लाइकोकान्जुगेट वैक्सीनों का खुलासा किया गया है।	2004	स्टेफिलोकोकल संक्रमण से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में प्रयोग हेतु ग्लाइकोकान्तजुगेट वैक्सीन कंपोजिशन	नावी बिफर्माकिचयूकल्स

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325.	आईएन/पीसीटी/2002/977/एमयूएम	यूएसए	206388	27.07.2007		2002	फार्मुला 1 के लिए एक ऐजन्डोल पाइपरेजाइन डाइमाइड कंपाउंड	ब्रिसटोल-मयेरस एसक्यूब कं.
326.	469/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	206477	27.07.2007	एचआईवी रोधक गतिविधियां	2003	फार्मुला 1 नए क्रिस्टलाइजन और एमोर्फस का एक पाइपरेलाइन कंपाउंड	एसरिंग अंकटीनजीसेल एसहैफट
327.	आईएन/पीसीटी/2002/823/एमयूएम	इंग्लैण्ड	206479	27.07.2007	अल्जीमर रोग का निदान	2002	ट्राइजोली (4, 5-डी) पिरिमिडाइन कंपाउंड का स्वरूप	अस्ट्राजेनका एबी
328.	आईएन/पीसीटी/2002/888/एमयूएम	यूएसए	206517	27.07.2007	तंत्रिकाविज्ञान संबंधी विकास	2002	थायराइड रिसेप्टर हेतु आदर्श लिजेड	ब्रिसटोल-नयेरस एसक्यूब कं.
329.	आईएन/पीसीटी/2002/412/एमयूएम	इंग्लैण्ड	206527	27.07.2007	थायराइड का उपचार	2002	पिपराजाइन कांप	गैलक्सो ग्रुप लिमिटेड
330.	412/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	206540	27.07.2007	तंत्रिका-विज्ञान संबंधी विकार	2003	कांपोजिशन	बयर अंकटेनजीएसएलएसफट
331.	आईएन/पीसीटी/2002/1154/एमयूएम	यूएसए	206543	27.07.2007	आटोइम्यून विकार	2002	एक साइक्लोप्रोपिल फ्यूज्ड पाइरोलाइडाइन आधारित कंपाउंड	ब्रिसटोल-मयेरस एसक्यूब कं.
332.	आईएन/पीसीटी/2002/27/एमयूएम	इंग्लैण्ड	206545	27.07.2007	मधुमेह और संबद्ध रोगों का उपचार	2002	इमिडाजोल (1, 2-ए) पिरिडाइन और पाइरेजोलो (2, 3-ए) पिरिजाइन डेरिवेटिव	अस्ट्राजेनका एबी
333.	154/एमयूएम/2003	भारत	206561	27.07.2007	कैंसर-रोधी	2004	रोग संशोधक एन्टीयूमेटिक ड्रग वाला स्टेटिन का एक आदर्श फार्मा रोकथाम	आईपीसीए लाबरेट्री लि.
334.	460/एमयूएमएनपी/2004	चेक गणराज्य	206562	27.07.2007	एन्टीट्यूमेटिक एजेन्ट	2004	घाव भरने के तत्व को बनाना तथा घाव पर पट्टी को चिपकने से रोकथाम	सीपीएन एसपीओएल एसआरओ
335.	आईएन/पीसीटी/2002/675/एमयूएम	इंग्लैण्ड	206639	27.07.2007	घाव भरना और घाव पर चिपकने से रोकथाम	2002	मांसपेशियो में दिए जाने वाले इंजेक्शन हेतु एक फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन	अस्ट्राजेनका एबी
336.	502/एमयूएन/2003	भारत	206652	27.07.2007	स्तन और प्रजनन तंत्र के हल्के व दुष्कर रोग	2003	एक कोशिकायुक्त इन्यूनोजन प्रिपरेशन/प्रोफलैक्टिक वैक्सीन	डा. माधव भालचन्द्रा साहा सरवुधे
337.	आईएन/पीसीटी/2001/299/एमयूएम	जर्मनी	207184	27.07.2007	कैंसर का इम्यूनो उपचार	2001	मेथेरक्सेट टोपिकल सेमीसोल्ड खुराक फार्म (जैल)	पलटिक बायटेकनोलोजी जीएमबीएसएफ एंड मैक्स पलांक गेसेलेस्कएफट जूर फ्मरोडेरिंग डेर विसेनसेक्मफट
338.	1108/एमयूएम/2004	भारत	207193	27.07.2007	टोपिकल प्रयोग द्वारा त्वचा कैंसर और सोरिएसिस जैसे रोगों का इलाज	2004	रिकाबिनेंट कंटैक्ट, जीवाणु मिनीसेल का कंपोजिशन	संजीव खण्डवाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339.	222/एमयूएमएनपी/2004	आस्ट्रेलिया	207336	27.07.2007	औषधों के मध्यवर्ती	2004	मस्करनिक एंगनिस्ट कंपो.	इंजेनिक जेन थेरोफ्य पीटीवाई लि.
340.	आईएन/पीसीटी/2002/1291	यूएसए	208392	27.07.2007	तंत्रिक संबंधी विकार	2002	टापिकल कंपोजिशन, आपिकल कंपोजिशन प्रिकर्सर और विनिर्माण एवं उपयोग की विधियां	एसीएडीआईए फार्मयूकल्स इंक
341.	311/केओएलएनपी/2004	यूएसए	208399	27.07.2007	विभिन्न त्वचीय विकार	2004	डायबाटीज मैल्लिटस की रोकथाम अथवा उपचार हेतु एक कंपाउंड	स्कीन विजिबल फार्मयूकल्स इंक
342.	आईएन/पीसीटी/2002/645	जापान	208522	03.08.2007	मधुमेहरोधी	2002	डायबाटीज मैल्लिटस की रोकथाम अथवा उपचार हेतु एक कंपाउंड	टाकेडा फार्मयूकल्स कंपनी लि.
343.	2508/एमएएस/1997	डेनमार्क	208087	03.08.2007	प्रोटीज	1997	सबटिलेज एंजाइम वेरिएन्ट और कंपोजिशन	नोवोजयमेस ए/एस
344.	838/सीएचईएनपी/2004	जर्मनी	207019	10.08.2007	तंत्रिकानाशक रोग जैसे कि अल्जीमर रोग	2004	एक प्रतिस्थापित निकोटिनाइनिलाइड डेरिवेटिव का क्रिस्टलाइन हाइड्रेट और उनको बनाने की विधि	बीएएसएफ अकटिनजेसेलस्काफ्ट
345.	990/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	206231	10.08.2007	जीवाणु रोधी	2003	एक कंपाउंड	बायेर कारपोरेशन
346.	आईएन/पीसीटी/2000/218	स्वीडन	207882	10.08.2007	एन्टीरेट्रोवायरल	2000	2, 3, डाइडियोक्सी-3फ्लूरो-5-0 [2-(एल-वेलीसाक्सी)-प्रोपिमोनिल गेनोसाइन]	मेडवीर एबी
347.	आईएन/पीसीटी/1999/ 14/एमयूएम	जापान	207883	10.08.2007	म्यूकोसल ट्रीटमेंट	1999	म्यूकोसा पर लगाने के लिए एक एक्वस फार्मस्यूटिकल कंपोजिशन	टेजिनि लि.
348.	आईएन/पीसीटी/2001/ 435/एमयूएम	बेल्जियम	207884	10.08.2007	निद्रा विकार, न्यूरोपैथी	2001	2, 4 डाईसबस्टिच्यूटेड ट्राइजीन डेरिवेटिव	जानसेन फार्मेक यटीक एनवी
349.	362/एमयूएमएनपी/2004	डेनमार्क	207889	10.08.2007	गोनड स्टिमुलस	2004	एलएसआरएस एंटीगोनिस्टिस्ट संश्लेषण हेतु मध्यवर्ती, उनके उत्पादन की प्रक्रिया, और एलएसआरएस एन्टोगोनिस्ट उत्पादन की प्रक्रिया	पालयपेपटिडे लाबरेट्रीज एस
350.	322/एमयूएम/2002	चीन गणराज्य	208157	10.08.2007	विभिन्न विकार	2002	प्लांट कर्नेल का कर्नेल आयल, उसे निकालने की प्रक्रिया फार्मा कंपो और उसका उपयोग	डेपेनजी एलआई
351.	652/एमयूएम/2002	भारत	208333	10.08.2007	जीवाणुरोधी	2002	सेफाड्रोक्सिल और सेफलेक्सिन के संशोधित रिलीज फार्मा कंपोजिशन	मै. लयका लैब लि.
352.	295/एमयूएमएनपी/2004	क्यूबा	208341	10.08.2007	वायरस-निरोध तौर पर एचबीवी और एसआईवी के विरुद्ध सक्रिय	2004	फार्मुला आई का नियोसियोसाइड कंपाउंड और उक्त एनसी का कंपो.	सेन्ट्रो डे इंजीनियरी जनेटिका बायटेकनोलोजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353.	आईएन/पीसीटी/2000/ 219/एमयूएम	स्वीडन	208346	10.08.2007	जीवाणु रोधी	2000	1, 4 फर्मुला आई का डाइसबस्टिच्यूटेड नेडवीर एवी बेंजीन कंपाउंड	
354.	233/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	208347	10.08.2007	औषधों के लिए मध्यवर्ती	2003	एक ई. कोलिस्ट्रेन बीएल 21डीई3	एफएमसी कारपोरेशन
355.	494/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	208348	10.08.2007	जीवाणु रोधी	2003	सिनर्जिस्टिक मिश्रण	बायेर अकटिनजेसेलस्हाफ्ट
356.	1216/एमयूएस/2001	जर्मनी	208354	10.08.2007	जीवाणु संक्रमणों का उपचार	2001	फार्मुला-1 का 2-हाइड्रोक्सी म्यूटिलिन कार्बामेट	बायेर अकटिनजेसेलस्हाफ्ट
357.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1325/एमयूएम	यूएसए	208355	10.08.2007	सूक्ष्म चमकाने वाला तत्व	2002	2, 4 डाईहाइड्रोक्सी फेनाइल कंपाउंड	स्मिथ लाईन बीकम पीएलसी
358.	377/एमयूएम/2003	जर्मनी	208356	10.08.2007	त्वचा चमकाने वाले तत्व	2003	2, 4 डाईहाइड्रोक्सी फेनाइल कंपाउंड	बायेर अकटिनजेसेलस्हाफ्ट
359.	229/एमयूएम/2000	यूएसए	208359	10.08.2007	अस्थमा रोधी, एलर्जी रोधी	2000	एन-सबस्टिस्यूटेड इंडोल-3-ग्लोबोक्सिलामाइड और उन्हें उपयोग करने वाले मेडिकामेंट	फिजर इंक
360.	700/सीएएल/1999	जर्मनी	208752	10.08.2007	मधुमेह रोधी	1999	बुढ़ापे से जुड़ी एवं मधुमेह-हृदय धमनी जटिलताओं को नियंत्रित करने हेतु आदर्श कंपाउंड और उसके उपचारात्मक उपयोग	एएसटीए मेडीका एजी
361.	843/सीएएल/1999	भारत	208773	10.08.2007	नाक से देने की दवा	1999	परिष्कृत नान-सालवेटेड क्रिस्टलाइन रेलोक्सीफीन	टारेनट फार्मेक्यूयकल लि.
362.	1111/सीएएल/1995	यूएसए	208799	10.08.2007	आक्यूलर हाइपोटेंसिव	1995	डब्ल्यू साइक्लोएल्काइल 17-हेटरोएल्काइल प्रोस्टानलैंडिन ई 2 एनालाग और उनके घटक आप्थेल्मिक घोल	ईएलआई लिलय एंड कं.
363.	575/केओएलएनपी/2004	यूएसए	208958	17.08.2007	सीरीन/थ्रायोनाइन प्रोटीन किनेस का उपचार	2004	सक्रिय पदार्थ के तौर पर निफेडाइपाइन युक्त खाने के लिए नियंत्रित रिलीज फार्मा	अलरजन इंक
364.	1772/सीएएल/1998	जर्मनी	208958	17.08.2007	एक्सिपिएन्ट	1998	सक्रिय पदार्थ के तौर पर निफेडाइपाइन युक्त खाने के लिए नियंत्रित रिलीज फार्मा कंपोजिशन	जेनरिज जीएमबीएस
365.	1770/सीएएल/1997	इटली	208961	17.08.2007	एलर्जी का उपचार	1997	सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी में लोराटाडाइन का फार्मा फर्मुला तथा बनाने की विधि	वालफार्म एसए
366.	478/एमयूएम/2002	भारत	203089	17.08.2007	फार्मा कार्य के साथ पौधा पूरक	2002	आल्फा एमिलेज कार्य वाले इंजाइम और उनके उपयोग की विधि	स्ट्राइस आरकोलैब्स लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367.	1337/डीईएलएनपी/2003	यूएसए	196984	17.08.2007	दवाओं की कोटिंग	2003	एक्रिलिक कंपोजिशन	डाईवर्सा कारपोरेशन
368.	2231/डीईएल/1996	इंग्लैण्ड	197189	17.08.2007	जनस्वास्थ्य के लिए निरोधक	1996	हिडैलोजनेस क्रिया वाले इंजाइम और उनके उपयोग की विधियां	लुसाइट इंटरनेशनल इंक
369.	914/डीईएलएनपी/2003	यूएसए	197567	17.08.2007	ब्रोंकोडायलेटर	2003	फिनाइल एथेनाल अमीनोटेट्रोलिंकार्ब आक्सामाइड डेरिवेटिव	डाईवर्सा कारपोरेशन
370.	870/डीईएल/1997	जापान	208720	17.08.2007	घाव भरना	1997	बंडर हीलिंग वैट राग हर्बल ड्रग	किसी फार्माच्यूकल लि.
371.	228/डीईएल/2003	भारत	208732	17.08.2007	कैंसर रोधी	2003	स्टोफ्लेस	डा. स्यामजी त्रिपाठी
372.	180/सीएएल/2002	भारत	208798	24.08.2007	अवसादरोधी	2002	ब्यूप्रोपियम हाइड्रोक्लोराइड वाला स्थिरीकृत फार्मा कंपोजिशन और ब्योप्रोपियन को स्थिर करने की विधि	प्रशांत बनर्जी
373.	80/सीएएल/1995		209226	24.08.2007	माइग्रेन रोधी	1995	एक माइग्रेन रोधी ड्रग की आयन्टोफोरेटिक डिलीवरी	द वेलकम फाउन्डेशन लि.
374.	195/सीएएल/1995	बेल्जियम	209227	24.08.2007	प्रावास्टेन	1995	एमएल236बी के जैवविश्लेषण को तीव्र करने हेतु उपयुक्त एक पाली-यूक्लियोटाइड तथा पाली-यूक्लियोटाइड का प्रयोग करके एमएल2366बी के उत्पादन का विधि	जनसन फार्मेक यूटीआईसीए एनवी
375.	218/सीएएल/2001	जापान	209228	24.08.2007	अवसाद, आब्सेसिव कंपलिसव डिसआर्डर तथा बुलिमिया का उपचार	2001	फ्लूआक्सेटाइन एन्टेरिक पैलेट	संकोयो कं. लि.
376.	652/सीएएल/1998	यूएसए	209241	24.08.2007	रिनिटिस/कंजेक्टिवाइटिस और जुकाम, जुकाम जैसे और/अथवा फ्लू के लक्षणों का टोपिकल उपचार	1998	फार्मा संयोजन जिसमें नान-सीडेटिंग एन्टीहिस्टामाइन तथा ए-एड्रेनर्जिक ड्रग हो रिनिटिस/कंजेक्टिवाइटिस तथा जुकाम जुकाम जैसे और/ अथवा फ्लू लक्षणों का उपचार	ईएलआई एलआईएलएलवाई इंड कं.
377.	1641/सीएएल/1998	जर्मनी	209250	24.08.2007	मधुमेह रोधी	1998	प्रोटीन किनेस सी	एएसटीए मेडिका एजी
378.	2000/सीएएल/1996	यूएसए	209253	24.08.2007	टेकीकिनिन-मीडिएटेड. रोगों का उपचार	1996	सबस्टेंस पेटागोनिस्ट के तौर पर 4-(बेंजीनाइडाजोली एंड एमिडाजो पाइरिडिनाइल)	ईएलआई एलआईएलएलवाई इंड कं.
379.	2225/सीएएल/1995	बेल्जियम	209255	24.08.2007	एचआईवी/एआईडीएस के विरुद्ध प्रोफिलैप्टिक तथा उपचारात्मक वैक्सीन	1995	विभिन्न एचआईवी-1 जीनों के हिस्से वाला चिमेरिक सीआर 3 जीन	जनसन फार्मेक यूटीआईसीए एनवी

581 प्रश्नों के 29 आश्विन, 1930 (शक) लिखित उत्तर 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380.	1074/डीईएलएनपी/2003	क्यूबा	209104	24.08.2007	पार्किन्सन रोग का उपचार	2003	एडिनोसाइन एएलए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट	सेन्ट्रो डे इंजीनियरी जनेटिका बायटेकनोलोजी
381.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1932/सीएचई	यूएसए	208630	31.08.2007	एन्टी आर्थ्राइटिक गतिविधि	2002	हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि सबस्टिच्यूटेड आक्सेजोल डेरिवेटिव	स्केरिंग कार्पोरेशन
382.	आईएन/पीसीटी/2002/ 1940/सीएचई	जापान	208631	31.08.2007	सूजन, पाइरेसिस, दर्द, ओस्टियोआर्थ्राइटिस, ट्रयमेटाइड आर्थ्रोइटिस, माइग्रेन सिरदर्द, कैंसर, जैसे कि पाचन नली (जैसे कोलोन) कैंसर और मेलानोमा, तंत्रिकानाशक रोग (जैसे मल्टीपल कलेरोसिस),	2002	5 एल्काइल-2 (एरिलामिनोफेनाइल एसिटिक एसिड और डेरिवेटिव)	नीपोन सनिकू कं. लि.
383.	1927/एमईएस/1998	स्विटजरलैंड	208639	31.08.2007	दवाओं के लिए पौलीमर कोटिंग	1998	सबस्टिच्यूट 1, 2, 4-ट्राइआक्सेसाइक्लोहेप्टेन	नवरटीज एजी
384.	268/सीएचईएनपी/2003	नीदरलैंड	208641	31.08.2007	कोलेस्ट्रोल कम करने वाला	2003	हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक एजेंटों के तौर पर उपयोगी शुगर-सबस्टिच्यूटेड 2-एजिटाइडाइनोन	एकेजेडओ नोबल एनवी
385.	940/सीएचईएनपी/2003	यूएसए	208652	31.08.2007	मूत्र-अनियमितता का उपचार	2003	ट्राल्ट्रोडाइन उक्त मध्यवर्ती को तैयार करने हेतु एक प्रक्रिया को तैयार करने हेतु एक उपयोगी मध्यवर्ती	स्केरिंग कार्पोरेशन
386.	1028/सीएचई/2003	भारत	208656	31.08.2007	साइकोसिस, पैराफ्रेनिया, साइकोटिक अवसाद, मैनिया, स्कीजोफ्रेनिया, चिंता माइग्रेन सिरदर्द, अवसाद नशीले पदार्थों की लत, कनवलिसव डिसआर्डर, व्यक्तित्व निकार, हाइपरटेंशन, आटिज्म, ट्रामा पश्चात् तनाव लक्षण एल्कोहलिज्म, घबराहट	2003	सेरोटोनिन रिसेप्टर एफिनिटी वाले आदर्श टेट्रासाइक्लिक एक्रिकक्रार्बोनिल इन्डोल उपचार एजेंटों के तौर पर तथा उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया	नाटको फार्मा लि.
387.	477/एमएएस/2002	भारत	208688	31.08.2007	प्रोटीज	2002	अतिरिक्त अमीनोएसिड अपशिष्ट वाले सबटिलेज एंजाइन....	सूबेन लाइफ स्केनीज लि.
388.	आईएन/पीसीटी/2001/ 820/सीएचई	डेनमार्क	208697	31.08.2007	प्रोटीज तथा अथवा दीर्घकालिक तंत्रिक विकार जैसे साइकोसिस मिरगी, स्कीजोफ्रेनिया	2001	अतिरिक्त अमीनो एसिड अपशिष्ट वाले सब्टिलेज एंजाइम	नवजयनेस ए/एस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
389.	आईएन/पीसीटी/2001/821/सीएचई	डेनमार्क	208698	31.08.2007	बोध संबंधी विकार तथा स्मरण-शक्ति की कमियां एवं दीर्घकालिक व तीव्र	2001	ग्लूटामेट रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट के तौर पर फेनाइल एथिनाइल अथवा फेनाइलएथिनाइल डेरिवेटिव	नवबयमेस ए/एस
390.	478/एमएएस/2002	भारत	208714	31.08.2007	पैनिक-ए	2002	नोवेल टेरासाइक्लिक एरिलसल्फोनिल इनडोल्स जो रोगनिदान एजेंट्स के रूप में उपयोगी सेरोटोनिन रिसेप्टर रखता है और उनकी तैयारी के लिए प्रक्रिया	सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड
391.	आईएन/पीसीटी/2001/484/सीएचई	स्विटजरलैंड	208718	31.08.2007	सस्टेन्ड रिलीज	2001	ठोस यूनिट डोट रूप में फार्मा मिश्रण	एफ होफमैन ला रोचि एजी
392.	आईएन/पीसीटी/2002/1841/सीएचई	स्विटजरलैंड	208719	31.08.2007	एंटीफंगल	2002	नोवेल फेनिल प्रोपर्जीलेदर डेरिवेटिव्स	सीनचेंटा पार्टिसिपेशन एजी
393.	आईएन/पीसीटी/2002/785/डीईएल	यूएसए	209251	31.08.2007	कैंसर का उपचार	2002	पाइरोल प्रतिस्थापित 2 इंडोलिनोन प्रोटीन विकास निरोधक	सुगेन आईएनसी एंड फार्मासिआ अप जोन कंपनी बायेर
394.	346/एमयूएम/2002	जर्मनी	208367	31.08.2007	एंटीफंगल	2002	प्रतिस्थापित एरिल केटोनेज	एक्टीनडेसेल्लसचाफ्ट विसकोनसिन एलुमनी
395.	469/एमयूएमएनपी/2004	यूएसए	208371	31.08.2007	ट्यूमर सैल मोड्यूलेटिंग एजेंट	2004	इम्मोर्टेलाइज्ड ह्यूमन केराटिनोसाइटे हैल लाइन	रिसर्च फाउंडेशन
396.	9/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	208435	31.08.2007	एंटीवायरल या एंटीट्यूमर गतिविधि	2003	फास्फोनेट न्यूक्लोटाइड एनालोग्स के प्रोड्रग्स तथा चयन एवं उसे बनाने की विधियां	गिलीड साइंसेज आईएनसी
397.	668/बीओएम/1997	भारत	208437	31.08.2007	पोराएसिस का उपचार	1997	पोराएसिस के उपचार के लिए हर्बल आयुर्वेदिक मिश्रण	महेन्द्र कुमार झुनझुनवाला
398.	667/बीओएम/1997	भारत	208438	31.08.2007	पोराएसिस का उपचार	1997	पोराएसिस के उपचार के लिए ओरल हर्बल आयुर्वेदिक मिश्रण	महेन्द्र कुमार झुनझुनवाला
399.	500/बीओएम/1996	भारत	208498	31.08.2007	एंटीट्यूबरकुलर	1996	रिफामविसिन, आइसोनियाजाइड, पाइराजिनामाइड और ईथाम्बुटोल, हाइड्रोक्लोराइड रखने वाला एंटीट्यूबरकुलर मिश्रण	सुपिन लैबरोटोरिज लि.
400.	60/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	208505	31.08.2007	लोअर्स गेलेस्ट्रोल स्तर	2003	कोलेस्टेरिल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन निरोधकों का फार्मा मिश्रण	फीजर प्रोडक्ट आईएनसी
401.	1078/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	208510	31.08.2007	ग्लाकोपस थेरेप्यूटिक्स	2003	पाइपरेजिनो डेरिवेटिव्स तथा पीडीई4 निरोधक के रूप में इनका उपयोग	अटलांटा फार्मा एजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402.	आईएन/पीसीटी/2001/1062/एमयूएम	यूएसए	208515	31.08.2007	एंटीफंगल मेडिकामेंट्स	2001	समुन्नत एक्सेस सोल्युबिलिटी फार्मा प्रतिपादन	अमरपी स्फेरर टेक्नोलोजीज आईएनसी
403.	आईएन/पीसीटी/2002/428/एमयूएम	यूएसए	208517	31.08.2007	एल्जाइमर रोग तथा संबंधित डेमनारीया में पीड़ित रोगियों का उपचार	2002	गेलेनथामिन तथा स्वीटनिंग एजेंट रखने वाला ओरल सोल्यूशन	मिस्लिकोन एंड कंपनी
404.	आईएन/पीसीटी/2000/450/एमयूएम	बेल्जियम	208573	31.08.2007	संटीफंगल	2000	बायोसिडाल बेंजिमाइफेनिल डेरिवेटिव्स और उनकी तैयारी की प्रक्रिया	जानसेन फार्मासे यूटिका एनवी
405.	782/एमयूएम/2004	भारत	208592	31.08.2007	प्रदाहक रोधी, एनलजेसिक	2004	इटोरिकोक्सिब तथा पैरासीटामोल रखने वाला सिनर्जिस्टिक ओरल सालिड प्रतिपादन और बनाने की विधि	संजीव खंडेलवाल
406.	1120/एमयूएम/2004	भारत	208600	31.08.2007	डाइबिटीज	2004	क्रोमियम इनसुलिन इंजेक्शन का फार्मा प्रतिपादन (सस्पेंशन एवं इसकी तैयारी)	एलएम कालेज आफ फार्मेसी
407.	आईएन/पीसीटी/2002/94/एमयूएम	जर्मनी	208726	31.08.2007	एंटीफंगल	2002	सामान्य फार्मूले का मिश्रण या उसके लवण	एवेंटीस कोर्प साइंस जीएमबीएच
408.	239/एमयूएम/2004	भारत	208779	31.08.2007	प्रदाहक गतिविधि	2004	डाइक्लोफेनाक डाइथिलमोनियम रखने वाले टोपिकल अनुप्रयोग के लिए फार्मा सिनर्जेस्टिक प्रतिपादन	संजीव खंडेलवाल
409.	689/एमयूएम/2004	भारत	208780	31.08.2007	स्पैज्म का उपचार	2004	एंटीकोलिनिर्जिक (एंटीमस्कारिनिक मिश्रण) तथा उसके बनाने की विधि	संजीव खंडेलवाल
410.	1027/एमयूएम/2003	भारत	208788	31.08.2007	गैस्ट्रिक एसिड सेरेक्शन	2003	एक ट्रांसम्युकोसल ड्रग डिलिवरी प्रणाली और प्रोटोन पंप निरोधक की बेंजिमिडेजोल क्लास के लिए इसकी तैयारी	एस्ट्रोन रिसर्च प्रा.लि.
411.	आईएन/पीसीटी/2002/205/एमयूएम	यूएसए	208841	31.08.2007	आटोम्यून रोगों का उपचार	2002	नोवेल स्पाइरोहेक्टारोसाइक्लिक रिवर्सिवेल निरोधकों सिसटाइन प्रोटीज के रूप में उपयोगी	बोइहरिन्गर इनजेलहीम फार्मास्युटिकल आईएनसी
412.	आईएन/पीसीटी/2002/800/एमयूएम	आस्ट्रिया	208842	31.08.2007	आटोम्यून विकार	2002	एमिलाइडोजेनिक पोलीपेप्टाइड का एनालोग	फार्मेक्सा एएस
413.	668/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	208850	31.08.2007	एवरवे अवरोधों का उपचार	2003	पीडीई4 निरोधकों के रूप में फथालाजिनोन पाइरिडिनो डेरिवेटिव्स	अटलांटा फार्मा एजी
414.	422/एमयूएमएनपी/2003	चीन गणराज्य	208865	31.08.2007	कैंसर का उपचार	2003	कैंसर के उपचार के लिए पैक्लिटाक्सेल लिपोसोम मिश्रण और उसकी तैयारी	नानजिंग हेंजहोंग बायोइंजीनियरिंग कंपनी लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415.	313/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	208866	31.08.2007	एलर्जिक रोगों का उपचार	2001	एपिनेस्टाइन या स्युडोइफेड्रिन रखने वाले फार्मा मिश्रण वाली दो परतों वाली टेबलेट	बोइहरिनगर इनजेलहीम फार्मास्युटिकल आईएनसी
416.	आईएन/पीसीटी/2001/1201/एमयूएम	इंग्लैण्ड	208867	31.08.2007	एल्जाइमर रोग, इशेमिक हृदय रोग	2001	एडामेनटेन मिश्रण	एस्ट्राजेनिका एबी
417.	आईएन/पीसीटी/2001/1137/एमयूएम	यूएसए	208872	31.08.2007	हेपिटाइटिस बी वाइरस	2002	हैपिटाइटिस सी के वायरस के विरुद्ध मैक्रोसाइक्लिक पेप्टीडेस एक्टिव	बोइहरिनगर इनजेलहीम फार्मास्युटिकल आईएनसी
418.	आईएन/पीसीटी/2002/1834/एमयूएम	यूएसए	208874	31.08.2007	डाइबिटीज मेलीटस का उपचार	2002	डाइपेप्टीडिल पेप्टीडेस निरोधक आइसोलूसाइन थियाजोलिडाइन रखने वाला फार्मा मिश्रण तथा इसकी तैयारी की प्रक्रिया	स्मिथ क्लाइन बीचम पीएसी
419.	113/एमयूएमएनपी/2004	जर्मनी	208890	31.08.2007	रेस्पीरेटरी ट्रैक्ट विकार का उपचार	2004	रेस्पीरेटरी ट्रैक्ट विकार के लिए फार्मा मिश्रण	एटलांटा फार्मा एजी
420.	1151/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	208893	31.08.2007	गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन का निषेध	2003	ट्राइसाइक्लिक इमिडाजोपाइरिडाइन	एटलांटा फार्मा एजी
421.	1195/एमयूएमएनपी/2001	जर्मनी	209029	31.08.2007	एंटीफंगल	2001	हैटारिल 'प्रतिस्थापित' होमोट्रेटामिक एवं होमोट्रेटोनिक एसिड	बायेर एक्टीनगेसेल्लसचाफ्ट
422.	852/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	209030	31.08.2007	कार्डियोवस्कुलर या हृदय संबंधी रोग	2003	मिश्रण-4 (2 बुटिलामिनो) 2, 7-डामेथिल-8 (2-मोथिल-6-मेमोजाइपाइरिड-3-वाईएल) 91, 5ए) पाइराजोलो-1, 3, 5 ट्राइजाइन आफ फार्मूला 1	ब्रीस्टोलमेयर्स स्क्वाइब को.
423.	513/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	209044	31.08.2007	गैस्ट्रिक विकारों का उपचार	2003	फार्मा	एटलांटा फार्मा एजी
424.	921/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	209050	31.08.2007	डायबिटिज गेलीटस टाइप-1 एवं टाइप-2 कैंसर	2003	फार्मा एक्टिव यूरिडाइन एस्टर्स	ट्रोम्मसडोर्फ जीएमबीएच एंड को.
425.	आईएन/पीसीटी/2002/132/एमयूएम	यूएसए	209120	31.08.2007	एंटीबायोटिक	2002	स्ट्रेपटोमाइसीज	फ्लीजर प्रोडक्ट आईएनसी
426.	आईएन/पीसीटी/2001/442	बेल्जियम	209122	31.08.2007	गैस्ट्रोइनटेस्टीनल विकारों की रोकथाम	2001	एस-(एमिनो मेथाइल) पाइपराडिन बेंजामाइड आफ फार्मूला (1) एवं उसकी तैयारी की प्रक्रिया	जस्सेन फार्मास्यूटिकल एनवी एंड एल्केरमेस कंट्रोल्ड फेराप्यूटिक आईएनसी
427.	आईएन/पीसीटी/2002/957/एमयूएम	स्वीडन	209124	31.08.2007	जीवाणुरोधी	2002	एक्योस सिंगल प्रतिपादन मिश्रण एवं उसकी प्रक्रिया	न्यू फार्मा रिसर्च स्वीडेन एबी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
428.	आईएन/पीसीटी/2002/1016/एमयूएम	जर्मनी	209125	31.08.2007	गैस्ट्रोइनटेस्टीनल रोगों का उपचार	2002	एल्कीलेटिड इमिडाजोपिराडिन डेरिवेटिव्स	एटलांटा फार्मा एजी
429.	514/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	209128	31.08.2007	मलेरिया रोधी	2003	मैट्रिक्स पर एक्टिव एजेंट डिस्पर्स्ड के रूप में पीडीई निरोधकों को रखने वाली फार्मा तैयारी	एटलांटा फार्मा एजी
430.	750/एमयूएमएनपी/2004	जापान	209130	31.08.2007	केराटिनोसाइट प्रोलिफरेटिव रोग	2004	नोवेल एजासुगर डेरिवेटिव्स एवं सक्रिय संघटक के रूप में उसे रखने वाली ड्रग	कोरना बायोसाइंसेज आईपीसी
431.	आईएन/पीसीटी/2002/1363	इंग्लैण्ड	209138	31.08.2007	एंटिबायोटिक गतिविधि	2002	एंटीबायोटिक गतिविधि के साथ आक्साजोलिडिनों डेरिवेटिव्स	एस्ट्राजेनेका एबी
432.	आईएन/पीसीटी/2002/1718/एमयूएम	इंग्लैण्ड	209150	31.08.2007	रूमेटाइड गठिया का उपचार	2002	मिश्रण और उक्त मिश्रण का प्रतिपादन	एस्ट्राजेनेका एबी
433.	560/एमयूएमएनपी/2003	इंग्लैण्ड	209158	31.08.2007	हाइपरलिपिडेमिया का उपचार	2003	फार्मूला (1) की मिश्रण बेंजोथाईजेपाइन एवं उसकी तैयारी की प्रक्रिया	एस्ट्राजेनेका एबी
434.	999/एमयूएमएनपी/2003	यूएसए	209165	31.08.2007	संक्रमणों का उपचार	2003	क्रिस्टेलाइन एजिथ्रोमाइसिन सेसक्विथीड्रेट	फीजर प्रोडक्ट आईएनसी
435.	514/एमयूएमएनपी/2003	जर्मनी	209166	31.08.2007	जीवाणुरोधी	2003	एक आयन एक्सचेंजर में प्राडोफ्लावसासिन बाउंड रखने वाला तरल फार्मा प्रतिपादन	बेयर एक्टिनजेसेल्लसचाफ्ट
436.	आईएन/पीसीटी/2001/558/एमयूएम	बेल्जियम	209167	31.08.2007	एल्जाइमर 1 का डेमेनारीया	2001	सक्रिय संघटक के रूप में गेलेंटामिन रखने वाला नियंत्रित रिलीज प्रतिपादन	जानसेन फार्मास्युटिकल एनवी
437.	आईएन/पीसीटी/2002/1274/एमयूएम	यूएसए	209181	31.08.2007	मायोकार्डियल रोग का उपचार	2002	मायोकार्डियल रोग के उपचार के लिए फार्मा मिश्रण	बेहइरिनगर इनजेलहेइम फार्मास्युटिक आईएनसी
438.	2167/केएएल/1998	यूएसए	209431	31.08.2007	बर्न सेन्सेन्सन	1998	इबोप्रोफेन मिश्रण	एमसीनेल पीपीसी आईएनसी
439.	752/केओएलएनपी/2004	स्पेन	209420	31.08.2007	केन्द्रीय स्नायुतंत्र	2004	सल्फोनमाइड डेरिवेटिव्स	लैबोरेटोरिज सालवाट एसए
440.	224/एमयूएमएनपी/2005	ग्रेट ब्रिटेन	203065	13.04.2007	एंटीडाइबिटिक	2005	प्रतिस्थापित एन-फेनाइल-2 ट्राइड्रोक्सी-2-मेथाइल-3, 3, 3 ट्राइफ्लूरोप्रोपेनामाइड मिश्रण	एस्ट्राजेनेका एबी
441.	324/एमयूएमएनपी/2005	जर्मनी	203999	25.05.2007	एनलजेसिक	2005	प्रतिपादन	बायर एक्टीनगेसेल्ल स्कापट
442.	832/सीएचईएनपी/2005	फिनलैंड	206753	29.06.2007	ओरोम्युकोसल प्रतिपादन	2005	ओरोम्युकोसल प्रतिपादन	ओवाई जुवानटिया फार्मा लि.
443.	293/एमयूएमएनपी/2005	फ्रांस	206252	13.07.2007	एथेरोसेरोसिस, आटोइम्यून रोग	2005	नोवेल टेट्राहाइड्रोफाइरिडाइन तैयार की विधि और उसे रखने वाला फार्मा मिश्रण	सोनोफी सीनथे लैबोरेटोरिज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
444.	415/एमयूएम/2005	भारत	206461	27.07.2007	एंटी एचआईवी	2005	होम्योपैथिक दवाई	डा. साह राजेश नरोत्तम दास
445.	598//एमयूएमएनपी/2005	भारत	206475	27.07.2007	अस्थमा का उपचार	2005	एगोनिस्ट एवं जैनथाइन्स	सिप्ला लि.
446.	483/एमयूएमएनपी/2005	यूएसए	206509	27.07.2007	न्यूरोमस्कुलर रोग	2005	समुन्नत फार्म बोटुलिनम मिश्रण	बोटुलिनुम टाक्सिन रिसर्च एसोसिएट्स आईएनसी
447.	147/एमयूएमएनपी/2005	जर्मनी	206655	27.07.2007	जीवाणु संक्रमण का उपचार	2005	8-सियानो-1 साइक्लोप्रोपिस-7-(आईएस, 6एस-2, 8-डायजाबिसाइक्लो (4.3.0) नोनान-8-वाईएल)-6-फ्लोरो-1, 4-डिहाइड्रो-4-0×0-3-क्विनोलाइनकोर्बोक्सीलिक एसिड	बायर एक्टीनगेसेल्स स्काफ्ट
448.	333/एमयूएमएनपी/2005	जापान	207881	10.08.2007	रेटिन संबंधी विकार	2005	पी 1- (2-डियोक्साइटीडाइन 5 -) पी4- (यूरिडाइन-5)-टेट्राफास्फेट के क्रिस्टल्स या उसका लवण	यामासा कोरपोरेशन
449.	134/एमयूएमएनपी/2005	जर्मनी	207886	10.08.2007	जीवाणुरोधी गतिविधि	2005	ए-8-केनो-1-साइक्लोप्रोपिल-7-(आईएस 6एस-2 8-डायजाबिसाइक्लो (4.3.0) नोनान-8-वाईएल)-6-फ्लोरो-1, 4-डिहाइड्रो-4-0×0-3-क्विनोलाइनकोर्बोक्सीलिक एसिड के क्रिस्टल संशोधन	बायर एक्टीनगेसेल्स स्काफ्ट
450.	52/एमयूएमएनपी/2005	चीन	207895	10.08.2007	हैपेटाइटिस का उपचार	2005	शुद्धिकृत एवं रासायनिक रूप से संशोधित रिकाम्बीनेंट ह्यूटन आर्जीनेसी एवं उसे रखने वाला फार्मा मिश्रण	बायो कैंसर ट्रीटमेन्ट इंटरनेशनल लि.
451.	40/एमयूएमएनपी/2005	यूएसए	208149	10.08.2007	जीवाणु संक्रमणों का उपचार	2005	फार्मूला 7ए का मिश्रण तथा उसकी तैयारी की विधि	फ्लीजर प्रोडक्ट आईएनसी
452.	816/एमयूएमएनपी/2005	जर्मनी	208353	10.08.2007	उपचार	2005	प्रदाहक रोधी, इम्युनोमोड्यूलेटरी एवं एंटी प्रोलिफरेट्री एजेंटों के रूप में साइक्लोएलकीन डिस्कार्बोक्साइलिक एसिड मिश्रण	4 एसजी एजी
453.	512/एमयूएमएनपी/2005	यूएसए	208357	10.08.2007	प्रदाहक रोधी इम्युनोमोड्यूलेटरी एवं एंटी प्रोलीफरेट्री	2005	ट्रांसउरमल आक्सीबुटीनिन थेरेपी के लिए मिश्रण	वाटसन फार्मास्युटिकल आईएनसी
454.	548/केओएलएनपी/2005	यूएसए	208951	10.08.2007	कैंसर रोधी	2005	फार्मा मिश्रण	दि युनिवर्सिटी आ ब्रिटिश कोलम्बिया
455.	224/एमयूएमएनपी/2005	ग्रेट ब्रिटेन	203065	10.08.2007	एंटी डाइबिटिक	2005	प्रतिस्थापित-एन-फेनाइल 2-हाइड्रोक्सी-2 मिथाइल-3, 3, 3 ट्राइफ्लोरोप्रोपेनामाइड मिश्रण	एस्ट्राजेनेका एबी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
456.	1504/एमयूएम/2005	भारत	208484	31.08.2007	घाव उपचार	2005	वे ऑफ स्मोक	भारत मनहर लाल पारिख
457.	441/एमयूएम/2005	भारत	208478	31.08.2007	मोतियाबिंद	2005	मोतियाबिंद के उपचार के लिए फ्लेवोनोल रखने वाला फाइटोकैमिकल मिश्रण	रावल उपेन्द्र मनुभाई
458.	779/एमयूएमएनपी/2005	चीन	208786	31.08.2007	प्रोस्टेट रोग का उपचार	2005	प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया के उपचार के लिए एपिडेमियम रखने वाला मिश्रण तथा एक्सट्रैक्शन की विधि	ब्राइट फ्यूचर फार्मास्यूटिकल लैबोरेटोरिज लिमिटेड
459.	226/एमयूएमएनपी/2005	जर्मनी	209026	31.08.2007	जीवाणु रोधी गतिविधि	2005	जीवाणुरोधी गतिविधि के साथ नोवेल मिश्रण	मोरफोसेम एक्टीनगेसेल्सचाफ्ट फुर एक्बीनेटोडरीस्वे चेमी
460.	195/एमयूएमएनपी/2005	यूएसए	209147	31.08.2007	सीएसएन विकारों का उपचार	2005	4- (3, 4-डिक्लोरोफेनिल)-1, 2, 3, 4-टेट्राहाइड्रो-1, नेप्थानेनामाइन एवं इसके फार्मामाइड	सेप्राकोर आईएनसी

महाविद्यालयों के कार्यनिष्पादन में सुधार

536. श्री दुष्यंत सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरिंग और एम.बी.ए. सहित कुछ सुविधाओं रहित संस्थानों/महाविद्यालयों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन संस्थानों को अपने कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार परिषद ने संलग्न विवरण के अनुसार 157 अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की पहचान की है जिनमें अवसंरचना तथा संकाय के संबंध में गंभीर कमियां विद्यमान हैं। इन्हें 'कम दाखिला' अथवा 'कोई दाखिला नहीं' वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। यू.जी.सी. अनुदानों विनियमों हेतु संस्थाओं की पात्रता, 1975 प्रथम डिग्री प्रदान करने हेतु अध्यापन के न्यूनतम मानदंडों के संबंध में यू.जी.सी. विनियम 1985, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में यू.जी.सी. विनियम 1991 तथा यू.जी.सी. (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा प्रबंधन) विनियम 2003, सभी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्चतर अध्ययन संस्थान तथा कालेज अध्ययन कार्यक्रमों के संचालन हेतु मानदंडों को बनाए रखें तथा उनके पास आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध हो।

विवरण

अकादमिक वर्ष 2008-09 के लिए दाखिला क्षमता में कमी/कोई दाखिला नहीं श्रेणी के तहत रखी गई संस्थाओं का ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दाखिला क्षमता में कमी संस्थानों की संख्या	कोई दाखिला नहीं श्रेणी संस्थानों की संख्या
1	2	3	4
केन्द्र	मध्य प्रदेश	6	0
	छत्तीसगढ़	2	0
	गुजरात	5	0

1	2	3	4
पश्चिम	मिजोरम	0	0
	सिक्किम	0	0
	उड़ीसा	6	2
	पश्चिम बंगाल	4	2
	त्रिपुरा	0	0
	मेघालय	0	0
	अरुणाचल प्रदेश	0	0
	अण्डमान और निकोबार	0	0
	असम	0	0
	मणिपुर	0	0
	नागालैंड	0	0
	झारखंड	0	0
उत्तर	बिहार	2	0
	उत्तर प्रदेश	2	1
	उत्तराखंड	1	0
उत्तर पश्चिम	चण्डीगढ़	0	0
	हरियाणा	0	0
	जम्मू-कश्मीर	1	0
	दिल्ली	2	4
	पंजाब	2	0
	राजस्थान	4	0
	हिमाचल प्रदेश	0	0
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	45	4
	पुडुचेरी	0	0
	तमिलनाडु	32	0
दक्षिण	कर्नाटक	12	2
	केरल	4	0
पश्चिम	महाराष्ट्र	10	2
	गोवा	0	0
	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0
	कुल योग	140	17

नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम

537. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री देविदास पिंगले:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वीकृत नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्वीकृति के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए; और

(घ) उसके द्वारा कितने मामले रद्द किए गए और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) 10वीं योजना में अवर स्नातक स्तर पर व्यावसायोन्मुख कार्यक्रम को पुन: तैयार किया गया और "कैरियर उन्मुखी कार्यक्रम" नामक एक संशोधित योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अनुसार, विश्वविद्यालय/कालेज अपनी "आवश्यकतानुसार" कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। 11वीं योजना के दौरान इस योजना में और बदलाव किया गया है और संस्थाओं को विभिन्न विधाओं से संबंधित अनेक विषयों का विकल्प दिया गया है। विज्ञान विषय से संबंधित सुझाए गए विषयों में सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, रेफ्रिजरेशन, जैव प्रौद्योगिकी, अस्पताल अपशिष्ट निपटान प्रबंधन और रेशम उत्पादन आदि शामिल है। समाज विज्ञान तथा मानविकी विषयों के लिए पाठ्यक्रम अंतर विषयक स्वरूप के हो सकते हैं जैसे अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, पर्यटन, फैशन डिजाइनिंग, अनुवाद दक्षता, टेलीविजन एवं वीडियो उत्पादन आदि। वाणिज्य विषयों हेतु बीमा, बैंकिंग, ई-कामर्स, विश्व-व्यापार, विदेशी विनियम व्यापार, खुदरा व्यापार आदि शामिल हो सकते हैं। संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रम अंतर विषयक स्वरूप के होने चाहिए और विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे विभिन्न विषयों से जुड़ सकें, आवश्यक नहीं कि वे विषय मुख्य विषय से ही जुड़े हों।

कैरियर उन्मुखी कार्यक्रम योजना के तहत पिछले तीन वर्षों 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	रु. लाख में
2005-06	2177.00
2006-07	2612.00
2007-08	4660.00

मीडिया द्वारा विकृत रिपोर्टिंग

538. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मीडिया द्वारा विकृत रिपोर्टिंग संवीक्षा करने के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रिंट मीडिया में प्रकाशित समाचारों पर रोक लगाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद को प्राधिकृत करने सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) सरकार की नीति प्रेस की स्वाधीनता को कायम रखना है। इस नीति के अनुसरण में सरकार मीडिया के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है।

जहां तक इलैक्ट्रानिक मीडिया (टी.वी. चैनलों) का संबंध है, टी.वी. चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु की कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं है। तथापि, सभी टी.वी. चैनलों (समाचार चैनलों सहित) को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति गठित की है। जहां कहीं भी कोई विशिष्ट उल्लंघन पाया जाता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, सरकार ने संसद सदस्यों सहित एक अध्यक्ष और 28 सदस्यों के साथ भारतीय प्रेस परिषद नामक एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया है। परिषद ने पत्रकारिता से संबंधित आचरण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जिनमें पत्रकारिता के लिए सिद्धांत एवं आचार संहिता तथा जन एवं राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने संबंधी दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। यदि परिषद इस बात को आवश्यक समझती है तो वह समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, फटकार लगा सकती है या उसकी निन्दा कर सकती है अथवा उनके आचरण को अस्वीकार कर सकती है।

अयस्क खानों का बंद किया जाना

539. **श्री रामदास आठवले:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्रोम अयस्क खान सहित खानों के बंद होने के कारण बड़ी संख्या में मजदूरों का रोजगार छिन गया है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खानों/खनिज उद्योगों को पुन: शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों से विधेयक

540. **श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:**
श्री सुभाष महरिया:
श्री पी.एस. गड़वी:
श्री हरिन पाठक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वीकृति के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक विधेयक प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुजरात और राजस्थान सहित राज्यवार प्राप्त हुए विधेयकों के शीर्षक क्या-क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत और उसके पास लंबित ऐसे विधेयकों का पृथक-पृथक राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सभी लंबित विधेयकों को स्वीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ऐसी स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जनवरी 2005 से राष्ट्रपति के अनुमोदन अथवा सहमति के लिए प्राप्त विधेयकों की राज्य-वार सूची वाला विवरण, जिसमें प्रत्येक विधेयक की स्थिति का उल्लेख है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रत्येक विधेयक के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाती है।

(ङ) राज्य विधानों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात् (1) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता, (2) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन तथा (3) कानूनी और संविधानिक मान्यता। जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को उक्त ध्यान में रखकर ऐसे विधायनों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। किसी भी निर्णय पर शीघ्रता से पहुंचने की दृष्टि से राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है। इसीलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

विवरण

जनवरी, 2005 से प्राप्त राज्य विधेयकों की सूची

वर्ष 2005

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधायन का नाम	वर्तमान स्थिति : अंतिम रूप दिया गया/लंबित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वीडियो कैसेट रिकार्डरों के माध्यम से टेलीविजन के पर्दे पर आंध्र प्रदेश फिल्मों का प्रदर्शन (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	इंडियन स्टैंप (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
4.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) स्माल कालेज कोटर्स विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिविल कोटर्स (संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश कोटर्स फीस एंड स्यूटस वैल्यूएशन (संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
7.	आंध्र प्रदेश	दांडिक प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
8.	आंध्र प्रदेश	दांडिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
9.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश माल कर विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
10.	असम	असम चाय बागान (भविष्य निधि और पेंशन निधि) और बीमा निधि से जुड़ी जमा निधि स्कीम संशोधन विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
11.	असम	बंगाल, आगरा असम सिविल कोटर्स (तीसरा असम संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
12.	बिहार	–	
13.	छत्तीसगढ़	दांडिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
14.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
15.	गोवा	गोवा मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2003	अंतिम रूप दिया गया
16.	गोवा	इंडियन स्टैंप (गोवा संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
17.	गुजरात	गुजरात मोटर वाहन (ईंधन का प्रयोग) विनियमन विधेयक, 2005	लंबित
18.	गुजरात	इंडियन स्टैंप (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
19.	हरियाणा	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
20.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण साझा भूमि न्यायगत क्षेत्र और उपयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2004	अंतिम रूप दिया गया
21.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण साझा भूमि न्यायगत क्षेत्र और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
23.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
24.	झारखंड	औद्योगिक विवाद (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2003	अंतिम रूप दिया गया
25.	झारखंड	झारखंड औद्योगिक रोजगार (विघटनकारी क्रियाकलापों का निषेध) विधेयक, 2003	अंतिम रूप दिया गया
26.	झारखंड	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रांची विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
27.	झारखंड	झारखंड बोवाइन एनिमल प्रोहिविशन आफ स्लाटर बिल, 2003	अंतिम रूप दिया गया
28.	कर्नाटक	विद्युत (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
29.	कर्नाटक	कर्नाटक अनिर्वाय सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
30.	कर्नाटक	कर्नाटक शिक्षण संस्थान (गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में सीटों का विनियोजन और वितरण) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
31.	कर्नाटक	दांडिक प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
32.	केरल	केरल वन संशोधन अध्यादेश, 2004	अंतिम रूप दिया गया
33.	केरल	तलाक (केरल संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
34.	केरल	केरल उच्च न्यायालय विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
35.	केरल	कूडलमनिकम देवस्वोम विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
36.	केरल	केरल किसान पास बुक विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
37.	केरल	केरल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
38.	केरल	केरल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
39.	केरल	मानवाधिकार संरक्षण (केरल संशोधन) अध्यादेश, 2004	अंतिम रूप दिया गया
40.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997	अंतिम रूप दिया गया
41.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
42.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
43.	मध्य प्रदेश	भारतीय वन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
44.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
45.	मध्य प्रदेश	दांडिक प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
46.	महाराष्ट्र	दांडिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
47.	महाराष्ट्र	विद्युत (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
48.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र फ्लैटों का स्वामित्व (निर्माण, बिक्री, प्रबंधन और अंतरण का संवर्धन विनियमन संशोधन) अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
49.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र अनिवार्य सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
50.	महाराष्ट्र	बम्बई दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
51.	महाराष्ट्र	नागपुर शहर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
52.	महाराष्ट्र	बम्बई औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
53.	महाराष्ट्र	मजदूरी का भुगतान (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
54.	महाराष्ट्र	फैक्ट्रियां (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
55.	महाराष्ट्र	विद्युत (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
56.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र फ्लैटों का स्वामित्व (निर्माण, बिक्री प्रबंधन और अंतरण का संवर्धन विनियमन) (अवधि और संशोधन का भूतलक्षी विस्तार) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
57.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
58.	महाराष्ट्र	औद्योगिक विवाद (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2003	अंतिम रूप दिया गया
59.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
60.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र अग्नि शमन और जीवन रक्षा उपाय विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
61.	महाराष्ट्र	ठेका मजदूरी (विनियमन और उन्मूलन) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
62.	मणिपुर	मणिपुर निक्षेपकर्ताहित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
63.	मणिपुर	मणिपुर मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
64.	मणिपुर	मणिपुर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
65.	मणिपुर	मणिपुर महिला आयोग, विधेयक 2005	अंतिम रूप दिया गया
66.	मणिपुर	मणिपुर राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
67.	मेघालय	विलियम कैरी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
68.	मेघालय	भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
69.	मेघालय	मार्टिन लूथर ईसाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
70.	मिजोरम	मिजोरम वन (संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
71.	नागालैंड	–	–
72.	उड़ीसा	उड़ीसा मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
73.	उड़ीसा	उड़ीसा शहरी पुलिस विधेयक, 2003	अंतिम रूप दिया गया
74.	उड़ीसा	उड़ीसा मजदूर कल्याण निधि विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
75.	पंजाब	पंजाब मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
76.	पंजाब	पंजाब मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
77.	पंजाब	हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
78.	पंजाब	पंजाब हर्ड रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
79.	पंजाब	पंजाब मजदूर कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
80.	राजस्थान	राजस्थान किराया नियंत्रण दूसरा संशोधन अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
81.	राजस्थान	राजस्थान संपत्ति का विरुपण निवारण अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
82.	राजस्थान	राजस्थान संपत्ति का विरुपण निवारण विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
83.	राजस्थान	मजदूरी का भुगतान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
84.	राजस्थान	दांडिक प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
85.	राजस्थान	राजस्थान निक्षेपकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
86.	राजस्थान	राजस्थान किराया नियंत्रण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
87.	सिक्किम	–	–
88.	तमिलनाडु	दांडिक प्रक्रिया संहिता (तमिलनाडु संशोधन) अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
89.	त्रिपुरा	त्रिपुरा मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
90.	त्रिपुरा	त्रिपुरा चाय कंपनियां (कतिपय चाय इकाइयों के प्रबंधन का अंतरण) (पांचवां संशोधन) अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
91.	उत्तराखंड	बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट्स (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
92.	उत्तराखंड	दीवानी प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
93.	उत्तर प्रदेश	मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
94.	पश्चिम बंगाल	रोपण श्रम (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
95.	पश्चिम बंगाल	दि न्यू टाउन कोलकाता (मेंटीनेंस आफ सिविल सर्विसेज) आर्डनेन्स, 2005	अंतिम रूप दिया गया
96.	पश्चिम बंगाल	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
97.	पश्चिम बंगाल	विद्युत (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
		वर्ष 2006	
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सरकार संपत्ति (अनुरक्षण, संरक्षण और पुनर्ग्रहण) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश चिट फंड (संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	पंजीयन (आंध्र प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
4.	आंध्र प्रदेश	–वही–	अंतिम रूप दिया गया
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश वन (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश वन (संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड विधेयक, 2006	लंबित
8.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005	लंबित
9.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
10.	अरुणाचल प्रदेश	–	अंतिम रूप दिया गया
11.	अरुणाचल प्रदेश	असम अपार्टमैंटस (निर्माण तथा स्वामित्व अन्तरण) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
12.	बिहार	–	–
13.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (अपील टू डिवीजन बैंच) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
14.	छत्तीसगढ़	दंड प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
15.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
16.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
17.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
18.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सहकारी समिति विधेयक, 2006	लम्बित
19.	गोवा	–	–
20.	गुजरात	–	–
21.	हरियाणा	दि पंजाब कृषि उत्पाद विपणन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
22.	हरियाणा	दि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
23.	हरियाणा	दि हरियाणा सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2006	लम्बित
24.	हिमाचल प्रदेश	दि शिमला सड़क प्रयोक्ता और पदाति (सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
25.	हिमाचल प्रदेश	दंड प्रक्रिया संहिता (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
26.	हिमाचल प्रदेश	आपराधिक कानून (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
27.	झारखंड	दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
28.	कर्नाटक	औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कर्नाटक संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
29.	कर्नाटक	कर्नाटक सीरा विनियमन विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
30.	केरल	मानवाधिकार संरक्षण (केरल संशोधन) अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
31.	केरल	केरल (अनु. जाति एवं अनु. जनजाति) समुदाय प्रमाणपत्र जारी करना विनियमन विधेयक (संशोधन) अध्यादेश, 2006	लंबित
32.	केरल	मोटर वाहन (केरल संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
33.	केरल	दंड प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
34.	केरल	केरल चिकित्सा अधिकारियों का सेवा कोटा के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
35.	केरल	श्री पण्डारवका लैड (वेस्टिंग एवं एन फ्रैंचाइनमेंट) संशोधन विधेयक, 2006	
36.	केरल	केरल भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
37.	केरल	केरल बेदखली स्थगन प्रक्रिया विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
38.	मध्य प्रदेश	दंड प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
39.	मध्य प्रदेश	मोटर वाहन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
40.	मध्य प्रदेश	भारतीय वन (म.प्र. संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
41.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
42.	मध्य प्रदेश	मोटर वाहन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
43.	मध्य प्रदेश	औद्योगिक विवाद (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
44.	महाराष्ट्र	अपराध प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
45.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र विशेष आर्थिक जोन तथा नामोद्दिष्ट क्षेत्र विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
46.	महाराष्ट्र	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ गृहों (पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण) अपंग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण भागीदारी) तथा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (सेवायोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	
47.	महाराष्ट्र	बाम्बे टिनेन्सी एंड एग्रीकल्चरल लैंड (एमेंडमेंट) बिल, 2005	अंतिम रूप दिया गया
48.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
49.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र देवदासी प्रथा (उन्मूलन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
50.	महाराष्ट्र	फैक्टरीज (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
51.	महाराष्ट्र	खाद्य मिलावट निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
52.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
53.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र अग्निशमन निवारण एवं जीवन रक्षा उपाय विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
54.	मणिपुर	विद्युत (मणिपुर संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
55.	मणिपुर	विद्युत निक्षेपकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय अवस्थापनाओं में) विधेयक, 2004	लंबित
56.	मणिपुर	मणिपुर राज्य महिला आयोग विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
57.	मणिपुर	मणिपुर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
58.	मेघालय	मेघालय यू अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
59.	मिजोरम	–	–
60.	नागालैंड	–	–
61.	उड़ीसा	दंड प्रक्रिया संहिता, (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
62.	उड़ीसा	उड़ीसा भूमिगत जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
63.	उड़ीसा	उड़ीसा विशेष न्यायालय, विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
64.	पंजाब	मोटर वाहन (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
65.	पंजाब	पंजाब सेल्फ सपोर्टिंग कोपरेटिव सोसाइटी बिल, 2006	लंबित
66.	पंजाब	दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
67.	राजस्थान	राजस्थान साझेदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
68.	राजस्थान	राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2006	लंबित
69.	राजस्थान	राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
70.	राजस्थान	राजस्थान संपत्ति विरुपण निवारण विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
71.	सिक्किम	सिक्किम चिकित्सा पंजीकरण विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
72.	सिक्किम	सिक्किम सार्वजनिक मांग वसूली विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
73.	तमिलनाडु	फैक्टरी (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
74.	तमिलनाडु	भारतीय दंड संहिता तथा दांडिक प्रक्रिया संहिता (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
75.	तमिलनाडु	तमिलनाडु पेशेवर शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और शुल्क निर्धारण विनियमन) विधेयक, 2006	लंबित

1	2	3	4
76.	तमिलनाडु	भारतीय स्टैम्प और पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
77.	त्रिपुरा	त्रिपुरा सतर्कता आयोग विधेयक, 1991	अंतिम रूप दिया गया
78.	उत्तराखंड	राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
79.	उत्तर प्रदेश	–	–
80.	पश्चिम बंगाल	नया शहर कोलकाता विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
81.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल प्रशासनिक (विद्यालय विवाद अधिनियम) आयोग विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
82.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल नगर निगम विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
83.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सहकारिता सोसायटी विधेयक, 2006	लंबित
		वर्ष 2007	
1.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2007	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति (क्षति की रोकथाम तथा हानि की वसूली) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
4.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2006	लंबित
6.	आंध्र प्रदेश	दांडिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश दांडिक सामुदायिक सेवा विधेयक, 2007	लंबित
8.	आंध्र प्रदेश	अपराधिक प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
9.	आंध्र प्रदेश	पंजीकरण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
10.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (परिरक्षण, संरक्षण तथा पुनर्ग्रहण) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
11.	अरुणाचल प्रदेश	–	
12.	असम	असम प्रवेश कर (संशोधन और प्रमाणिकरण) विधेयक, 2007	लंबित
13.	असम	असम ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
14.	असम	असम चाय बागान प्रोविडेन्ट फन्ड और पेंशन फन्ड तथा डिपोसिड लिंक्ड इन्शोयरेन्स फंड स्कीम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
15.	असम	असम सहकारिता सोसायटी विधेयक, 2007	लंबित
16.	असम	औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
17.	बिहार	बिहार गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
18.	छत्तीसगढ़	भारतीय स्टैम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विदेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
19.	गोवा	गोवा लोकायुक्त विधेयक, 2003	लंबित
20.	गुजरात	बम्बई किरायेदारी तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
21.	गुजरात	गुजरात अचल संपत्ति का अंतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में किरायेदार के परिसर खाली करने के संरक्षण का प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
22.	गुजरात	पंजीकरण (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
23.	हरियाणा	हरियाणा पुलिस अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
24.	हरियाणा	हरियाणा पुलिस विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
25.	हिमाचल प्रदेश	अपराधिक प्रक्रिया संहिता (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
26.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
27.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट प्रथा निवारण (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
28.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश किरायेदारी तथा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
29.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
30.	हिमाचल प्रदेश	शिमला सड़क प्रयोगकर्ता और पदयात्री (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
31.	झारखंड	झारखंड विवाह पंजीकरण विधेयक, 2006	लंबित
32.	कर्नाटक	कर्नाटक भू- कबालिका (निषेध) विधेयक, 2007	लंबित
33.	कर्नाटक	कर्नाटक स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
34.	कर्नाटक	चिट फंड (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
35.	केरल	स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर केरल कर विधेयक, 2007	लंबित
36.	केरल	औद्योगिक विवाद (केरल संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
37.	केरल	दांडिक प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
38.	केरल	त्रावणकोर-कोचिन हिंदू धार्मिक संस्थान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
39.	केरल	केरल रेकोगनिशन आफ ट्रेड यूनियन विधेयक, 2007	लंबित
40.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
41.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
42.	मध्य प्रदेश	दांडिक प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
43.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश तेंदु पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
44.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र (संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
45.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्लम लार्ड्स, बूट लैगर्स, ड्रग आफेंडर तथा खतरनाक व्यक्ति निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2007	लंबित
46.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (डिवीजन बैंच द्वारा रिट याचिका सुनवाई तथा लैटर्स पेटेन्ट अपील सभारित (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
47.	महाराष्ट्र	अपराधिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
48.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैटस (निर्माण, क्रय, प्रबंधन तथा स्थानांतरण प्रोत्साहन विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
49.	महाराष्ट्र	दांडिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
50.	मणिपुर	दांडिक कानून (मणिपुर संशोधन) विधेक, 2007	लंबित
51.	मणिपुर	विद्युत (मणिपुर संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
52.	मेघालय	–	–
53.	मिजोरम	–	–
54.	नागालैंड	–	–
55.	उड़ीसा	भारतीय स्टैम्प (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
56.	पंजाब	–	–
57.	राजस्थान	राजस्थान सहकारिता सोसायटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007	लंबित
58.	राजस्थान	भारतीय पार्टनरशिप (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
59.	राजस्थान	राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
60.	सिक्किम	सिक्किम वन, जल कोर्सेस तथा सड़क राजस्व (परिरक्षण और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
61.	तमिलनाडु	तमिलनाडु में व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान प्रवेश विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
62.	तमिलनाडु	फैक्ट्री (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
63.	तमिलनाडु	तमिलनाडु विश्वविद्यालय नियम (संशोधन) विधेयक, 2002	अंतिम रूप दिया गया
64.	त्रिपुरा	–	–
65.	उत्तराखण्ड	–	–
66.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2002	अंतिम रूप दिया गया
67.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
68.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006	लंबित
69.	उत्तर प्रदेश	माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
70.	उत्तर प्रदेश	दांडिक प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
71.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी बंगाल स्कूल (मेपींग और प्लानिंग) और प्राइवेट स्कूल (विविध प्रावधान विधेयक, 2007)	लंबित
72.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
73.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
74.	पश्चिम बंगाल	न्यू टाऊन कोलकाता विकास प्राधिकरण विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
75.	पश्चिम बंगाल	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
76.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी बंगाल संपदा अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
		वर्ष 2008	
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश निषेध (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश वन (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
3.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
4.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
5.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
6.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
7.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
8.	असम	असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
9.	असम	पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित

1	2	3	4
10.	बिहार	–	–
11.	छत्तीसगढ़	भारतीय दंड संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
12.	छत्तीसगढ़	दांडिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
13.	छत्तीसगढ़	दांडिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
14.	गोवा	पंजीकरण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
15.	गुजरात	पंजीकरण (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
16.	हरियाणा	–	–
17.	हिमाचल प्रदेश	भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
18.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट आचरण (संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
19.	झारखंड	बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
20.	कर्नाटक	–	–
21.	केरल	केरल मेडिकल ऑफिसर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर सर्विस कोटा ओर्डिनेंस, 2008	अंतिम रूप दिया गया
22.	केरल	त्रिपुवरम पेमेंट (अबोलिशन) अमेंडमेंट बिल, 2008	लंबित
23.	केरल	केरल मेडिकल ऑफिसर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर सर्विस कोटा ओर्डिनेंस, 2008	लंबित
24.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007	लंबित
25.	मध्य प्रदेश	औद्योगिक विवाद (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
26.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
27.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टैम्प बिल, 2008	लंबित
28.	मध्य प्रदेश	पंजीकरण (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
29.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र विशेष आर्थिक जोन और निर्दिष्ट क्षेत्र अध्यादेश, 2008	लंबित
30.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) ओर्डिनेंस, 2008	लंबित
31.	महाराष्ट्र	भारतीय दंड संहिता (महाराष्ट्र संशोधन), 2008	लंबित
32.	महाराष्ट्र	दांडिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
33.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र हाऊसिंग रेग्युलेटरी कमीशन बिल, 2008	लंबित
34.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच द्वारा रिट पेटीशन की सुनवाई और लेटर्स पेटेंट अपील की समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
35.	मणिपुर	–	–
36.	मेघालय	–	–
37.	मिजोरम	–	–
38.	नागालैंड	–	–
39.	उड़ीसा	दांडिक प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) अध्यादेश, 2008	लंबित
40.	पंजाब	दांडिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अध्यादेश, 2007	लंबित
41.	पंजाब	पंजाब आवश्यक विवाह पंजीकरण विधेयक, 2008	लंबित
42.	राजस्थान	राजस्थान गोजातीय पशु (जानवरों को काटने पर निषेध और अस्थायी प्रवासी और निर्यात पर नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
43.	राजस्थान	राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप बिल, 2008	लंबित
44.	राजस्थान	राजस्थान स्टैम्प (संशोधन) बिल, 2008	लंबित
45.	राजस्थान	राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008	लंबित
46.	सिक्किम	सिक्किम स्थानीय रोजगार उन्नयन विधेयक, 2008	लंबित
47.	सिक्किम	सिक्किम नर्स, मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर बिल, 2008	लंबित
48.	सिक्किम	सिक्किम (कांस्टीट्यूशन आफ स्पेशल इको टास्क फोरस्ट गार्ड) बिल, 2008	लंबित
49.	तमिनलाडु	ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
50.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
51.	तमिलनाडु	भवन और अन्य निर्माण मजदूर (रोजगार का विनियमन तथा संवाओं की स्थिति) और भवन तथा अन्य निर्माण मजदूर कल्याण नियम (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक 2008	लबित
52.	तमिलनाडु	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
53.	तमिलनाडु	औद्योगिक रोजगार (स्थगन आदेश) (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
54.	तमिलनाडु	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
55.	त्रिपुरा	–	–
56.	उत्तराखंड	–	–
57.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियम विधेयक, 2007	लंबित
58.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश स्टेम्प बिल, 2008	लंबित
59.	पश्चिम बंगाल	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित

नालों से गाद निकालना

541. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम मानसून के आगमन से पहले नालों की सफाई/उनमें से गाद निकालने का कार्य नहीं कर रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी नहीं मानसून की शुरूआत से पहले दिल्ली नगर निगम द्वारा गाद निकालने का कार्य पहले ही कर दिया जाता था। इस वर्ष से निगम द्वारा नालों से गाद निकालने का कार्य सारे वर्ष किया जा रहा है।

सी.एस.आई.आर. वैज्ञानिकों द्वारा निजी उद्यम

542. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) अपने वैज्ञानिकों को निजी कंपनियां शुरू करने और इनके बावजूद सरकारी सेवा में बने रहने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी एस आई आर ने 2004 में इस योजना का एक प्रारूप कार्यान्वित किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के पर क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। सी एस आई आर अपने वैज्ञानिकों को सेवा में रहते हुए ज्ञानाधारित उद्यम स्थापित करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

543. श्री सुभाष महरिया:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) हैं;

(ख) क्या सरकार का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई नया प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार बालिका शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए कोई परियोजना/योजना कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मानदंड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 2578 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संस्वीकृति दी है। राज्यवार संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत, बालिका शिक्षा के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें उनके अधिगम स्तर में सुधार लाना भी शामिल है।

विवरण

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	395
2.	अरुणाचल प्रदेश	36
3.	असम	26
4.	बिहार	391
5.	छत्तीसगढ़	93
6.	दादरा और नगर हवेली	1
7.	दिल्ली	1
8.	गुजरात	63
9.	हरियाणा	9
10.	हिमाचल प्रदेश	10
11.	जम्मू-कश्मीर	79
12.	झारखंड	198
13.	कर्नाटक	64
14.	मध्य प्रदेश	200
15.	महाराष्ट्र	36
16.	मणिपुर	1
17.	मिजोरम	1
18.	मेघालय	2
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	157
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	200
23.	तमिलनाडु	54
24.	त्रिपुरा	7
25.	उत्तर प्रदेश	459
26.	उत्तराखंड	26
27.	पश्चिम बंगाल	64
	कुल	2578

[अनुवाद]

उल्फा के साथ वार्ता

544. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उल्फा के साथ सीधी वार्ता शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उल्फा संबंधी जन परामर्शदात्री समूह (पी सी जी) के साथ वार्ताएं अभी भी जारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) सरकार उल्फा सहित किसी भी उग्रवादी ग्रुप से वार्ता करने को तैयार है बशर्ते कि वे हिंसा से दूर रहे। सरकार को उल्फा से सीधी वार्ता हेतु कोई भी औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उल्फा द्वारा गठित पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप (पीसीजी) के साथ अक्टूबर, 2005 से जून, 2006 के बीच तीन दौर की वार्ताए हो चुकी हैं। तथापि, उल्फा से इस बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रप्त नहीं हुई थी और उल्फा सवंर्गो के पुनर्गठित होने, नई भर्तियां करने, सामग्रियों/हथियारों को लाने-ले जाने और जबरन धन ऐठनें की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, इसलिए वार्ता आगे नहीं हो सकी।

आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन

545. श्रीमती जयाप्रदा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए हाल ही में नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या देश में आंतकवाद का मुकाबला करने और नक्सली हिंसाओं को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई गई है या तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) देश के भिन्न भागों में व्याप्त सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करने तथा हाल ही की आंतकवादी घटनाओं, नक्सली हिंसा पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का एक दिवसीय सम्मेलन दिनांक 08.08.08 को आयोजित किया गया था। इस चर्चा में पुलिस अवस्थापना को सुदृढ़ करने, उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी जवाबी क्षमता में सुधार करने शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे कि मालों, बाजारों में चौकसी बढ़ाने, विस्फोटकों पर मौजूदा विनियमनों का कड़ाई से प्रवर्तन करने, जाली भारतीय मुद्रा नोटो की चुनौती का मुकाबला करने सभी पणधारियों की अन्तर्ग्रस्ता सहित सभी साइबर केफों और सिम कार्ड के फुटकर विक्रेताओं का विनियमन करने, इस उद्देश्य के लिए प्रोद्योगिकी प्रोन्नयन करने, आंतकवादी तत्वों द्वारा उत्पन्न कराई गई चुनौती का मुकाबला करने में समुदाय को अन्तर्ग्रस्त करने और जागरूकता सृजित करने पर प्रकाश डाला गया।

राज्य की विशेष शाखाओं को प्रशिक्षण दक्षता उन्नयन, प्रोत्साहन देकर क्षमता निर्माण करने पर व्यापक सहमति हुई और अन्तर-राजीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों वाले मामलों की प्रभावी जांच-पड़ताल एवं कुशल अभियोजन करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

लाटरियों का विनियमन

546. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 50,000 करोड़ रु. के व्यापार को विनियमित करने के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां (ग) भारत सरकार ने लाटरियों के विनियमन हेतु लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 बनाया है। राज्य सरकार लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के प्रावधानों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों के अनुरूप लाटरी का आयोजन, संचालन और संवर्धन करती है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी का विज्ञापन राजस्व

547. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन (डी डी) और आकाशवाणी (ए आई आर) के विज्ञापनों से राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी में विज्ञापन की दरों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की कोई योजना बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा अलग-अलग क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जैसा कि प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अर्जित कुल राजस्व निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आकाशवाणी	डीडी
2005-06	222.76	946.96
2006-07	236.15	818.22
2007-08	241.79	888.97
2008-09	84.74 (अगस्त, 2008 तक)	314.58 (सितम्बर, 2008 तक)

(ग) प्रसार भारती द्वारा किसी प्रकार की वृद्धि की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) से (च) आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने राजस्व में और अधिक वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। प्रसार भारती ने प्रसारण समय की बिक्री के कार्य को व्यावसायिक रूप देने और उपभोक्ता हितैषी दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न स्थानों में विपणन प्रभागों की स्थापना की है। दूरदर्शन ने अपने राजस्व अर्जन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों/अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के जरिए स्क्रॉलर विज्ञापनों के प्रसारण की शुरूआत की है।

अनुसंधान संस्थानों का उन्नयन

548. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) महत्व दिए जाने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए अनुसंधान संस्थानों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रत्येक संस्थान की वार्षिक योजनाओं में दिये गये प्रस्तावों तथा संस्थानों की शासी परिषद की सिफारिशें के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए है।

अनुसंधान के अपने संबंधित क्षेत्र में उच्चतम मानदण्ड हासिल करने के लिए संस्थानों को अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं का संचालन करने हेतु पूर्ण स्वायतता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न स्कीमें/परियोजनाएं/कार्यक्रम चलाने के लिए 11वीं योजना (2007-12) में 11028 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

549. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ बी सी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बढ़ाई जाने वाली प्रस्तावित सीटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) द्वारा राज्य/मानित विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए क्या नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों ने समय और धनराशि की कमी के कारण इस वर्ष से आरक्षण उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या शैक्षणिक संस्थानों ने अ.पि.व. कोटा लागू करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा संस्थानों को कोटा लोगू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) (क) से (ग) रिट याचिका सिविल सं. 265, 2006 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में और केन्द्रीय शैक्षिक संस्था अधिनियम (दाखिले में आरक्षण), 2006 के उपबंधों के अनुसार, भारत सरकार ने केन्द्रीय शैक्षित संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण को लागू करने के प्रयोजनार्थ का.ज्ञा. सं. 1-1/2005-यू.। ए/847 के जरिए निर्देश और दिनांक 20 अप्रैल 2008 के का.ज्ञा.सं. 1-1/2005-यू.। ए/846 के जरिए एक संकल्प जारी किया है। इस मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2008 के का.ज्ञा.सं. 1-1/2008-III यू.। (ए) के जरिए 2007 की रिट याचिका (सिविल) सं. 35 में वर्ष 2008 के आई. ए.सं. 3 के मामले में दिनांक 13 अक्टूबर 2008 के का.ज्ञा.सं. 1-1/2008-यू.। ए और उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.10.2008 के आदेश के जरिए दाखिले के प्रयोजनार्थ अन्य पिछड़े वर्गों में से क्रीमीलेयर का निर्धारण करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर आय संबंधी शर्त में 2.5 लाख रु. प्रतिवर्ष के 4.5 लाख रु. प्रतिवर्ष करने के बाबत संशोधन की सूचना भी दी है। अनुमान है कि अन्य पिछड़े वर्गो हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 47330 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

(घ) से (छ) इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाली केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता हेतु आकलनों की जांच इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई है। केन्द्रीय शैक्षिक संस्था अधिनियम, 2006 के तहत उपयुक्त समयानुसार आरक्षण नीति को लागू करने हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान मौजूद हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, तकनीकी प्रबंधन संस्थाओं में दाखिला क्षमता में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय वित्त वर्ष में 2522.00 करोड़ रु. की राशि रखी गई है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बर्बादी

550. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए 11080 टन अनाज में से 3878 टन अनाज बर्बाद हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बर्बादी के परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिल्ली के लगभग एक लाख स्कूली बच्चों को प्रति बालक केवल 65 ग्राम पका हुआ भोजन परोसा गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मदिरा एवं तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध

551. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदिरा और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है परन्तु कुछ कंपनियां अन्य उत्पादों के लिए समान ब्राण्ड नाम को उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रच्छन्न विज्ञापनों में संलिप्त तम्बाकू तथा कंपनियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विज्ञापन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) सरकार की जानकारी में लाया गया था कि ब्रांड विस्तार के नाम पर कुछ उत्पादों को उन ब्रांड नामों से विज्ञापित किया जा रहा है जो कि मदिरा एवं तम्बाकू-उत्पादों के ब्रांड नाम के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसलिए टेलीविजन चैनलों में ऐसे विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केबल टेजीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 7(2) (viii) अन्त: स्थापित किया गया था। उपर्युक्त नियमों में दिनांक 25.2.2008 की अधिसूचना के तहत किए गए पिछले संशोधन के पश्चात ऐसे विज्ञापनों के संबंध में कोई भी शिकायतें सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई हैं।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई ब्यौरा/आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) केबल टेलीविजन अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, केबल टीवी नेटवर्क का यह दायित्व है कि वे ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित न करें जो कि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन-संहिता का अनुपालन न करते हों। टीवी चैनलों को अपने चैनलों में प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में विज्ञापन-संहिता का अनुपालन भी करना होता है। इस प्रकार सरकार द्वारा विज्ञापनदाता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया जाता है और आपत्तिजनक विज्ञापन प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों के विरुद्ध यथावश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

राज्यों में लघु और मध्यम उद्यम

552. श्री विजय कृष्ण: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित प्रत्येक राज्य में पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): वर्ष, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए बिहार सहित देश में पंजीकत एवं गैर-पंजीकत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या का राज्य एवं संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण

में दिया गया है। चूंकि मध्यम उद्यमों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में पहली बार परिभाषित किया गया है, जो कि 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है, मध्यम उद्यमों के संबंध में सुचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एमएसई की अनुमानित संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कशमीर	82547	86064	89726
2.	हिमाचल प्रदेश	87194	91596	95572
3.	पंजाब	413762	427401	441797
4.	चंडीगढ़	24739	25653	26612
5.	उत्तराखण्ड	123524	130140	137618
6.	हरियाणा	245370	254028	263308
7.	दिल्ली	196215	203336	210905
8.	राजस्थान	498035	518371	538728
9.	उत्तर प्रदेश	1938524	2027020	2116791
10.	बिहार	582167	605049	629509
11.	सिक्किम	437	455	474
12.	अरूणाचल प्रदेश	1458	1516	1578
13.	नागालैंड	16824	17772	19024
14.	मणिपुर	53173	55115	57171
15.	मिजोरम	12895	13554	14335
16.	त्रिपुरा	27054	28063	29141
17.	मेघालय	25846	27153	28591
18.	असम	218487	226890	235576
19.	पश्चिम बंगाल	856178	887697	921221
20.	झारखंड	149697	156091	163220
21.	उड़ीसा	434498	450946	468468

1	2	3	4	5
22.	छत्तीसगढ़	293468	304002	315118
23.	मध्य प्रदेश	89865	937183	976981
24.	गुजरात	600569	624346	646379
25.	दमन और दीव	4197	4389	4579
26.	दादरा और नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	909385	948028	989254
28.	आंध्र प्रदेश	970755	1005889	1043512
29.	कर्नाटक	740967	772234	804811
30.	गोवा	8101	8401	8654
31.	लक्षद्वीप	616	644	675
32.	केरल	507313	524969	542610
33.	तामिलनाडु	922118	962854	1006684
34.	पुडुचेरी	10301	10724	11120
35.	अंडमान और निकोबार	3756	3902	4032
	अखिल भारतीय	11858821	12341475	12843773

निजी विश्वविद्यालय

553. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निजी विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम संरचना पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य .ताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) :(क) जी, नहीं। प्राइवेट विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम संरचना की जांच करने के बावत एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सरकार को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना

554. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कम बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं की भाषा-वार तथा राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) कम बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं के विकास तथा उन्हें बढ़ावा दिए जाने हेतु तैयार तथा कार्यान्वित की गई योजना का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने के लिए धनराशि प्राप्त करने हेतु संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद की कार्यालय वेबसाइट यथा nclm.nic.in में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भारतीय भाषा को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह स्वत: ही परिभाषित हो जाती है जबकि वह राज्य के बहुसंख्यक व्यक्तियों की मातृभाषा न हो। अल्पसंख्यक भाषाएं वे भाषाएं हैं, जो कि राज्य की प्रमुख भाषा के अतिरिक्त हैं, परन्तु ये मुख्य भाषाएं हो सकती हैं, जो कि अन्य राज्यों में बोली जाती हों, जहां वे प्रमुख भाषाएं हो सकती हैं। ऐसी भाषाएं हो सकती हैं जो कि एक छोटे क्षेत्र में अथवा कम संख्या में व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैं तथा राष्ट्रीय भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त इस प्रकार की भाषाओं को "गौण भाषाएं" कहता है। तथापि, राष्ट्रीय भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने ऐसी अन्य भाषाओं को शामिल करने की स्वतंत्रता ले रखी है जो कि बड़े क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैं परन्तु ऐतिहासिक कारणों से उन्हें शैक्षिक धारा अथवा प्रशासन हेतु स्वीकार नहीं किया गया।

महापंजीयक तथा जनगणन आयुक्त कार्यालय, भारत द्वारा 100 गैर अनुसूचित/गौण भारतीय भाषाओं (भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त) की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जनगणना 2001 के अनुसार 100 गैर-अनुसूचित भारतीय भाषाओं को बोलने वालों का महिला-पुरुष-वार तथा कुल बयौरे का भाषा-वार तथा राज्यवार ब्यौरा पहले ही पब्लिक डोमेन में आर.जी.सी.सी.आई. की कार्यालय वेबसाइट यथा censusindia.gov.in. पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) '8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल न की गई भाषाओं के संरक्षण तथा विकास हेतु नई स्कीम (भारत भाषा विकास योजना)' शीर्षक का मसौदा व्यय वित्त समिति नोट उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया था तथा योजना आयोग सहित विभिन्न मंत्रालयों को टिप्पणियों हेतु भेजा गया था तथा कुछ की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। सरकार केवल सभी संबंधितों से व्यय वित्त समिति मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही आगे कार्रवाई कर सकती है।

विवरण

क्र.सं.	भाषा
1	2
1.	अदि
2.	अफगानी/काबुली/पश्तो
3.	अनाल
4.	अंगगामी
5.	औव
6.	अरबी
7.	बाल्टी
8.	भीली/भिलोड़ी
9.	भूतिया
10.	भूमिज
11.	विष्णुपुरिया
12.	चाकेसांग
13.	चक्रू/चोकरी
14.	चांग
15.	कुग्री/कोडागू
16.	देवरी
17.	दिमासा
18.	अंग्रेजी
19.	गाडाबा
20.	गांगटे
21.	गारो
22.	गोंडी
23.	हालाबी
24.	हालाम
25.	हमार
26.	हो
27.	जातापू
28.	जुवांग
29.	काबूई
30.	कर्बी/मिकरी

1	2
31.	खानदेशी
32.	खारिया
33.	खासी
34.	खेजा
35.	खिमनुनगन
36.	खोंड/कोंड
37.	किन्नौरी
38.	किसान
39.	कोच
40.	कोडा/कोरा
41.	कोलामी
42.	कोम
43.	कोंडा
44.	कोनयाक
45.	कोर्कू
46.	कोरवा
47.	कोया
48.	कुई
49.	कुकी
50.	कुरूख/कोराओन
51.	लदाखी
52.	लाहौली
53.	लाहनडा
54.	लाखेर
55.	लालूंग
56.	लेपचा
57.	लियांगमी
58.	लिंबू
59.	लोधा
60.	लुहासी/मीजो
61.	माल्टो
62.	मारम
63.	मारिंग
64.	मिरी/मिशिंग
65.	मिशमी
66.	मोघ
67.	मोनपा
68.	मुंडा
69.	मुंडरी
70.	निकोबारी
71.	निशी/डफला
72.	नोकटे
73.	पैटी
74.	परजी
75.	पावी
76.	पारसी
77.	फोम
78.	पोचुरी
79.	रभा
80.	राई
81.	रेंगमा
82.	संघताम
83.	सावारा
84.	सेमा
85.	शेरपा
86.	सीना

1	2
87.	सिमटे
88.	तमांग
89.	तांगखुल
90.	तांगसा
91.	थाडो
92.	तिब्बती
93.	त्रिपुरी
94.	तुलू
95.	वायफी
96.	वांचो
97.	जिमचुंगर
98.	जेलियांग
99.	जेमी
100.	जुऊ

लघु और मध्यम उद्यमों में सहयोग

555. श्री नवीन जिन्दल: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 तथा 2008 के दौरान किसी देश ने लघु और मध्यम उद्यमों में सहयोग देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या भारत ने भी किसी देश को ऐसी ही पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को विभिन्न विकासशील तथा विकसित देशों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त होते हैं। पारस्परिक सहयोग के ऐसे प्रस्ताव आम तौर पर सीधे संबंधित दूतावासों/मिशनों द्वारा प्राप्त होते हैं या विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

विभिन्न देशों के साथ सहयोग में, अन्य चीजों के साथ-साथ, प्रतिपक्षी मंत्रालय या एजेंसी के साथ औपचारिक समझौता/समझौता ज्ञापन (एमओयू) करना/संयुक्त कार्य योजना (जेएपी), आदि करना; संस्थान से संस्थान स्तर का सहयोग, मंत्रालयी/अधिकारी स्तर के प्रतिनिधिमंडलों का पारस्परिक संपर्क, दूसरे देश के प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकारियों, उद्यमियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और परामर्श परियोजनाएं लेना; व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों का पारस्परिक संपर्क, व्यवसाय से व्यवसाय बैठकों और विभिन्न प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों आदि में भागीदारी, शामिल है।

एमएसएमई मंत्रालय ने संबंधित देशों में एमएसएमई क्षेत्र में विकास तथा सहयोग के लिए ट्यूनिशिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उज्बेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान और कोट द वायर के साथ एमओयू/जेएपी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मंत्रालय के एक निजी क्षेत्र उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने भी 22 देशों के एमएसएमई सहयोग संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं (विवरण संलग्न है)।

एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग के लिए कई देशों के साथ मंत्रालयी/अधिकारी स्तर के प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करता रहा है। 2007 और 2008 के दौरान, यूएसए, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, थाईलैंड, इथियोपिया, कैमरून, रवांडा, ट्यूनिशिया, मोजांबिक, जिंबाबवे, नामीबिया, बहराइन और मालावी के मंत्रालयी/आधिकारिता स्तर के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया और एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए मंत्रालय में बैठकें कीं। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मंत्रालय के मंत्रालयी/आधिकारिक स्तर के प्रतिनिधिमंडल ने यूएसए, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान, चीन, जर्मनी और उज्बेकिस्तान का दौरा किया।

मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों, जैसे, निस्बड, नोएडा, एनआई-एमएसएमई, हैदराबाद और आईआईई, गुवाहाटी के साथ-साथ विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के तहत विभिन्न टूल रूम विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के तहत विभिन्न देशों के सहभागियों को उद्यमिता तथा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

2007 तथा 2008 के दौरान, एनएसआईसी ने दक्षिण अफ्रीका में पारस्परिक आधार पर परामर्श सेवाएं दी हैं और परियोजनाएं

कार्यान्वित की हैं तथा तंजानिया में एक सूचना केन्द्र स्थापित किया है। उसी अवधि के दौरान, मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय ने अफगानिस्तान में क्षमता विकास सुविधा संबंधी एक परियोजना के लिए परामर्श सेवाएं दीं; जिंबाबवे में दो टूल रूमों की स्थापना का काम लिया; और दक्षिण अफ्रीका में एक टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में सहायता प्रदान की।

उपरोक्त के अलावा, व्यवसाय से व्यवसाय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए और भारतीय एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, एमएसएमई क्षेत्र के आधुनिकीकरण व निर्यातों के संवर्धन को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान के लिए उद्योग संघों और अन्य संबंधित संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन/समझौते

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	देश
1.	लघु व्यवसाय, बीसी, वेंकूवर	कनाडा
2.	बुल्गेरियन लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन एजेंसी (बीएसएमईपीए)	बुल्गेरिया गणतंत्र
3.	लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए महानिदेशालय (डीजीडीएसएमई)	ओमान की सल्तनत
4.	सर्विसो ब्रेसिलेयरो डि अपोलो एज माइक्रो ए पेक्वेनास एंप्रीयास (एसईबीआरएई)	ब्राजील
5.	लघु उद्यम विकास एजेंसी	दक्षिण अफ्रीका
6.	लघु व्यवसाय निगम	दक्षिण कोरिया
7.	ताइपेइ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (टीडब्ल्यूटीसी)	ताइवान
8.	पेसिफिक आईलैंड्स फोरम सेक्रेटेरियट (पीआईएफएस)	फिजी
9.	कैरेबियन एसोसिएशन आफ इंडस्ट्री एंड कामर्स त्रिनिडाड एवं टुबैगो	त्रिनिडाड एवं टुबैगो
10.	यूगांडा लघु उद्योग संघ	यूगांडा
11.	फेडरल माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट	इथियोपिया
12.	एजेंसी फार प्रमोशन फार स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज	सेनेगल
13.	बेसोथो एंटरप्राइज डेवलपमेंट कारपोरेशन	लेसोथो
14.	स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	तंजानिया
15.	मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्री आफ सीरियन अरब रिपब्लिक	सीरिया
16.	नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल	मारीशस
17.	मोहम्मद बिन राशिद इस्टेबलिशमेंट फार यंग बिजनेस लीडर्स, दुबई	यूएई
18.	जेद्दाह चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	सउदी अरब
19.	सोशल फंड फार डेवलपमेंट आफ एजेंसी आफ गवर्नमेंट आफ इजिप्ट	इजिप्ट
20.	कान्फेडरेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज (सीओएनएफएपीआई)	इटली
21.	बुंदेसवरबंड मिटेस्टेंडिश वरशेफ्ट (बीवीएमडब्ल्यू)	जर्मनी
22.	इस्रायल एसएमईज आथोरिटी	इस्रायल

[हिन्दी]

आत्महत्या के मामले

556. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों द्वारा आत्महत्या करने की दर्ज घटनाओं का लिंग-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) हालांकि कुछ राज्यों में आत्महत्या के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, परन्तु अन्य राज्यों में इनमें कमी आई है।

(ख) एनसीआरबी आत्महत्या सहित अपराध के सभी मामलों पर वार्षिक आधार पर आंकड़े एकत्र करता है। तथापि श्रमिकों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के द्वारा की गई आत्महत्या के आंकड़े पृथक से नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान देश में राज्य/संघ राज्यवार और लिंगवार हुई कुल आत्महत्याओं तथा किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2005-2007 के दौरान आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005			2006			2007		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8865	4577	13442	8863	4413	13276	9949	4933	14882
2.	अरुणाचल प्रदेश	49	21	70	96	33	129	98	31	129
3.	असम	1951	895	2846	2116	915	3031	2116	946	3062
4.	बिहार	327	216	543	299	319	618	534	431	965
5.	छत्तीसगढ़	3305	1576	4881	3060	1566	4626	3256	1583	4839
6.	गोवा	197	85	282	183	92	275	178	92	270
7.	गुजरात	2902	1863	4765	3048	1987	5035	3375	2205	5580
8.	हरियाणा	1493	553	2046	1766	550	2316	1852	581	2433
9.	हिमाचल प्रदेश	214	145	359	301	156	457	258	144	402
10.	जम्मू-कश्मीर	196	98	294	152	110	262	153	81	234
11.	झारखंड	523	285	808	521	335	856	880	409	1289
12.	कर्नाटक	7707	3850	11557	8048	4164	12212	8392	3912	12304
13.	केरल	6830	2414	9244	6583	2443	9026	6588	2374	8962
14.	मध्य प्रदेश	2851	2597	5448	3503	2932	6435	3470	2859	6329
15.	महाराष्ट्र	9603	4823	14426	10510	4984	15494	10420	4764	15184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	23	4	27	24	12	36	28	11	39
17.	मेघालय	50	21	71	69	23	92	60	27	87
18.	मिजोरम	47	8	55	60	10	70	22	6	28
19.	नागालैंड	21	6	27	19	9	28	17	7	24
20.	उड़ीसा	2554	1654	4208	2373	1692	4065	2188	1820	4308
21.	पंजाब	482	100	588	610	162	772	632	215	847
22.	राजस्थान	2858	1320	4178	2910	1353	4263	3154	1283	4437
23.	सिक्किम	62	47	109	98	47	145	84	38	122
24.	तमिलनाडु	7507	4569	12076	7509	4872	12381	8687	5124	13811
25.	त्रिपुरा	401	314	715	428	337	765	419	286	705
26.	उत्तर प्रदेश	1772	1677	3449	1761	1338	3099	2054	1873	3927
27.	उत्तराखण्ड	180	93	273	173	153	326	130	118	248
28.	पश्चिम बंगाल	8614	6401	15015	9120	6605	15725	8505	6355	14860
	कुल (राज्य)	71584	40218	111802	74203	41612	115815	77799	42508	120307
	संघ शासित क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86	53	139	96	37	133	100	56	156
30.	चंडीगढ़	63	26	89	56	24	80	60	22	82
31.	दादरा और नगर हवेली	41	28	69	23	19	42	44	32	76
32.	दमन और दीव	25	7	32	14	8	22	6	9	15
33.	दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र	777	468	1245	960	532	1492	966	515	1481
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	1	2	1	2	3
35.	पुडुचेरी	340	198	538	349	177	526	319	198	517
	कुल (संघ शासित)	1332	780	2112	1499	798	2297	1496	834	2330
	कुल (अखिल भारत)	72916	40998	113914	75702	42410	118112	79295	43342	122637

स्रोत: भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं

विवरण II

वर्ष 2005-2007 के दौरान किसानों द्वारा आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005			2006			2007		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2017	473	2490	2000	607	2607	1508	289	1797
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	7	25	4	0	4	14	1	15
3.	असम	256	43	299	295	27	322	276	2	278
4.	बिहार	32	7	39	38	8	46	78	8	86
5.	छत्तीसगढ़	1200	212	1412	1212	271	1483	1264	329	1593
6.	गोवा	10	1	11	5	0	5	0	0	0
7.	गुजरात	519	96	615	411	76	487	289	28	317
8.	हरियाणा	128	12	140	181	9	190	179	0	179
9.	हिमाचल प्रदेश	20	0	20	22	0	22	14	1	15
10.	जम्मू-कश्मीर	1	1	2	30	4	34	31	2	33
11.	झारखंड	124	0	124	103	0	103	101	12	113
12.	कर्नाटक	1663	220	1883	1450	270	1720	1772	363	2135
13.	केरल	1073	45	1118	1028	96	1124	1158	74	1232
14.	मध्य प्रदेश	1055	193	1248	1178	197	1375	1065	198	1263
15.	महाराष्ट्र	3638	288	3926	4111	342	4453	3968	270	4238
16.	मणिपुर	2	0	2	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	4	0	4	3	0	3	14	4	18
18.	मिजोरम	0	0	0	1	0	1	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	1	1	2	0	0	0
20.	उड़ीसा	204	50	254	241	42	283	170	70	240
21.	पंजाब	47	0	47	85	0	85	86	2	88
22.	राजस्थान	436	25	461	356	39	395	589	29	618
23.	सिक्किम	34	7	41	27	8	35	15	6	21
24.	तमिलनाडु	1002	253	1255	342	84	426	396	88	484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	त्रिपुरा	29	0	29	7	0	7	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	422	100	522	346	65	411	389	97	486
27.	उत्तराखण्ड	15	9	24	33	18	51	18	10	28
28.	पश्चिम बंगाल	853	112	965	963	226	1189	878	224	1102
	कुल (राज्य)	11802	2154	16956	14473	2390	16863	14272	2107	16379
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	1	8	6	0	6	16	0	16
30.	चंडीगढ़	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	13	0	13	12	0	12	17	0	17
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	7	0	7	3	0	3	23	0	23
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	144	3	147	169	6	175	181	16	197
	कुल (संघ शासित)	171	4	175	191	6	197	237	16	253
	कुल (अखिल भारत)	14973	2158	17131	14664	2396	17060	14509	2123	16632

स्रोत: भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं

[अनुवाद]

गोरखालैंड पर त्रिपक्षीय वार्ता

557. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पृथक् गोरखालैंड की मांग के संबंध में कुछ समय पहले केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा त्रिपक्षीय वार्ता का क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) गोरखालैण्ड मुद्दे के संबंध में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) द्वारा की गई मांग पर त्रिपक्षीय वार्ता का पहला दौर पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर 8 सितम्बर, 2008 को आयोजित किया गया था।

इस बैठक में केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा जी.जे.एम. सहित कई दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह त्रिपक्षीय वार्ता जी.जे.एम. तथा अन्य दलों को अन्तर्ग्रस्त मुद्दे पर अपने विचार रखने में योग्य बनाने के लिए की गई थी ताकि इसके बारे में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बेहतर रूप से समझाया जा सके।

समान शिक्षा पद्धति

558. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में समान शिक्षा पद्धति लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक धनराशि प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) जी, नहीं। चूंकि 'शिक्षा' संविधान की समवर्ती सूची का विषय है अत: यह केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में यथासंशोधित) में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि जाति, मत, स्थान अथवा महिला-पुरुष को आधार बनाए बिना सभी छात्रों की एक स्तर तक बेहतर गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच को सुलभ बनाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा के मानकों में सुधार को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है।

हिमालयी हिमनदों का संरक्षण

559. श्री एस.के. खारवेलनथन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'हिमालयी हिमनदों' पर कई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या अनुसंधानकर्ताओं ने संकेत दिए हैं कि हिमनद धीरे-धीरे कम हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हिमालयी हिमनदों को कम होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या योगदान/प्रयास किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत सहित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा गंगोत्री हिमनद के लिए 1935 से 1996 तक 10.2 मीटर/वर्ष तथा 1956 से 1971 तक 27.33 मीटर/वर्ष के औसत अपगमन की रिपोर्ट की गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा गंगोत्री हिमनद के लिए 1971 से 2004 तक 17.15 मीटर/वर्ष के औसत अपगमन की रिपोर्ट की गई है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा गठित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना द्वारा हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणाली पर एक राष्ट्रीय मिशन की परिकल्पना की गई है।

विवरण

2005-06 के दौरान हिमालयी हिमनद विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	फाइल सं.	परियोजना शीर्ष	परियोजना प्रमुख का नाम और पता	कुल लागत (रुपये में)	स्वीकृति की तिथि	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	ईएस/91/27/2004	उपग्रह दूर-संवेदन के माध्यम से भारतीय हिमालय में हिम आवरण में अल्पकालिक एवं स्थानिक भिन्नताओं की मानिटरिंग	श्री एस.के.एस. यादव, आरएसएसी-यूपी, सैक्टर-जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ-226021	74.97,000/-	2.2.2006	36 माह

1	2	3	4	5	6	7
		2006-07 के दौरान हिमालयी हिमनद विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची				
1.	ईएस/91/36/2005	हिमावर्तन न होना और भावी जल संसाधनों पर सम्बद्ध परिणाम: गंगोत्री हिमनद की एक केस स्टडी	डा. ए.एल. रामानाथन, स्कूल आफ एन्वायर्नमेंटल साइंसेज, जेएनयू, नई दिल्ली-110067	26,58,401/-	01.03.2007	36 माह
2.	ईएस/91/31/2003	अत: और अंतरा-वार्षिक मौसमी भिन्नताएं तथा हिम आवरण पर इसके प्रभाव। कांग्रिज हिमनद घाटी, जांस्कर श्रेणी लद्दाख की एक केस स्टडी	डा. आर.के. गंजू, भू-विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180006	52,29,608/-	01.01.2007	36 माह
3.	ईएस/91/26/2004	आप्टिकल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से भारतीय हिमालय में हिमनदों के प्रवाह की गतिशीलता का मानिटरन	श्री रामचन्द्र, आरएसएसी-यूपी, सैक्टर-जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ-226021	22,03,000/-	25.04.2006	36 माह
		2007-08 के दौरान हिमालयी हिमनद विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची				
1.	ईएस/91/03/2006	गंगोत्री हिमनद को प्रभावित करने वाली वातावरणिक और हिमधाव पैरामीटरों का अध्ययन	डा. ए. गंजू, बर्फ और हिमधाव अध्ययन स्थापना, हिमपरिसर, सैक्टर-37-ए, चण्डीगढ़-160036	58,65,440/-	14.11.2007	36 माह
2.	ईएस/91/37/2005	जेमू हिमनद, सिक्किम के हिमनदीय विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और जल विज्ञान संबंधी प्राथमिक अध्ययन	डा. पी.के. गुप्ता, सहायक निदेशक, केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, बरवा रोड, धनबाद-826001	24,24,625/-	24.08.2007	36 माह
3.	ईएस/91/02/2006	चांदरा घाटी, लाहौल एवं स्पीति जिला, हि.प्र. में सोनापानी और गैगली हिमनदों के हिमनद मुखाग्र (स्नोट) की भिन्नताएं	डा. अल्पना सी. स्काट, भूगोल विभाग, इसाबेल्ला, थोबर्न, पी.जी. कालेज, लखनऊ-226007	30,19,803/-	22.08.2007	36 माह
4.	ईएस/91/01/2006	उपग्रह दूर-संवेदन और स्वस्थाने मापन तकनीकों से एकीकृत अभिगम का उपयोग करते हुए एक हिमनद का स्थानिक-अल्पकालिक मानिटरन	डा. एल.एन. शर्मा अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग, पंजाब इंजीनियरी कालेज, सैक्टर-12, चण्डीगढ़	82,00,820/-	21.08.2007	36 माह

1	2	3	4	5	6	7
5.	ईएस/91/38/2005	बहुपरोक्ष रिकार्डों पर आधारित पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिमी हिमालय में हिमनदीय उतार-चढ़ावों की तुलना में जलवायु की अल्पकालिक भिन्नताओं का विश्लेषण	डा. अमालव भट्टाचार्य, बीएसआईपी, 53, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ-226007	25,54,927/-	26.07.2007	36 माह

समान शैक्षणिक कैलेन्डर

560. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अलग शैक्षणिक कैलेन्डर अपनाए जाने के कारण छात्रों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक कैलेन्डर शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए निर्देशों के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 (पहला संशोधन, 2007) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए निर्देशों के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 (पहला संशोधन), 2007 जारी किए हैं। इन विनियमों में प्रावधान है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय सुनिश्चित करेगा कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों की कक्षाएं अगस्त के प्रथम सप्ताह तक शुरू हो जाए और दूसरे वर्ष के आगे के छात्रों की कक्षाएं जुलाई के तीसरे सप्ताह तक शुरू हो गए। इन सभी पाठ्यक्रमों के परिणाम जून के अन्तिम सप्ताह एक घोषित कर दिए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में परियोजना कार्य की अपेक्षा, ग्रीष्मकालीन स्कूलों और इन्टर्नशिप इत्यादि को ध्यान में रखते हुए दूसरे वर्ष तथा उसके बाद के छात्रों की कक्षाएं शुरू करने में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दो सप्ताह की छूट दी जाए।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ

561. श्रीमती मेनका गांधी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी संगठन विध्वसंकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमाओं से भारत में चोरी-छुपे घुसने हेतु बांग्लादेशी क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा के 67 प्रतिशत पर ही बाड़ लगाई गई है;

(घ) यदि हां, तो बांग्लादेश के साथ लगी शेष सीमा क्षेत्र पर बाड़ लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर पकड़े गए घुसपैठियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) आसूचना एजेंसियों से प्राप्त जानकारी से संपुष्टि हुई है कि उग्रवादी गुटों का बांग्लादेश में कुछ आधार है जहां से वे विध्वंसक गतिविधियां चलाते हैं।

(ख) चालू वर्ष (30 सितम्बर, 2008 तक) के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने विभिन्न गुटों के 17 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया और पूर्वोत्तर में बीएसएफ प्राधिकारियों के समक्ष 33 विप्लवकारियों ने आत्मसर्मपण किया। बांग्लादेश ने भी 31 भारतीय विप्लवकारियों को भारत को सौंपा है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश गए थे और वहां गिरफ्तार कर लिए गए।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारत बांगलादेश सीमा पर 3406.859 किमी बाड़ लगाने को मंजूरी दी है जिसमें से 2626.56 किमी (77 प्रतिशत) बाड़ पूरी कर दी गई है और शेष कार्य मार्च 2010 तक पूरा हो जाने के लिए नियत है।

(ङ) सीमा रक्षक बल (बीएसएफ) से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी का विवरण निम्नलिखित हैं:

वर्ष	गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या
2005	8490
2006	5785
2007	4553
2008 (9/08 तक)	2571
कुल	21399

(च) भारत बंगलादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. भारत बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को सीमा रक्षक बल के रूप में तैनात किया गया है जो
   - चौबीसों घंटे पैदल, नाव से और वाहनों से चौकसी करता है और गश्त लगाता है।
   - नाका (सीमा पर छुपने के स्थल) बनाए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे पर्यवेक्षण चौकियां स्थापित की गई हैं।
2. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ बनाई गई है।
3. रात्रि के दौरान पर्यवेक्षण सम्बर्धन हेतु सीमा फ्लडलाइटिंग लगाई गई है।
4. सीमा पर गश्त तथा तुरंत प्रभावी हस्तक्षेप के लिए सीमा सड़क बनाई गई है।
5. रात के समय तथा खराब मौसम के दौरान घुसपैठियों के पारगमन का पता लगाने के लिए आधुनिक एवं हाईटेक चौकसी उपस्कर लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

अध्यापकों के लिए सुविधाएं

563. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) तथा जवाहर नवदोय विद्यालयों (जेएनवी) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों दोनों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को समान सुविधाएं प्रदान कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों में समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) देश में 193 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। देश में 49 जिलों (तमिलनाडु को छोड़कर) में कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। शामिल न किए गए 49 जिलों में से 06 जिले जवाहर नवदोय विद्यालय हेतु पात्र नहीं है चूंकि इनमें कोई ग्रामीण आबादी नहीं है, ऐसे जिले जिनमें केन्द्रीय विद्यालय अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय स्कूल हैं जहां शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी परिसर में रहते हैं। अत:, उन्हें मानदंडों के अनुसार विद्यालय परिसर में आवास तथा विद्यालय के मैस में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण

ऐसे जिले जिनमें केन्द्रीय विद्यालय अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या जिनमें केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं	जिलों की संख्या जिनमें जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं हैं
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02	01
2.	आंध्र प्रदेश	02	-

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	07	–
4.	असम	05	01
5.	बिहार	10	–
6.	छत्तीसगढ़	04	02
7.	दिल्ली	03	05
8.	गोवा	–	–
9.	गुजरात	09	08
10.	हरियाणा	06	–
11.	हिमाचल प्रदेश	03	–
12.	जम्मू-कश्मीर	06	08
13.	झारखण्ड	09	02
14.	कर्नाटक	12	02
15.	केरल	–	–
16.	लक्षद्वीप	–	–
17.	महाराष्ट्र	18	02
18.	मणिपुर	03	–
19.	मेघालय	04	–
20.	मिजोरम	06	03
21.	मध्य प्रदेश	04	–
22.	नागालैंड	08	–
23.	उड़ीसा	06	–
24.	पुडुचेरी	02	–
25.	पंजाब	09	02
26.	राजस्थान	07	01
27.	सिक्किम	03	–
28.	तमिलनाडु	15	–
29.	त्रिपुरा	–	–
30.	उत्तर प्रदेश	27	03
31.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	–	–
32.	उत्तराखण्ड	–	–
33.	संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली	–	–
34.	पश्चिम बंगाल	02	03
35.	दमन और दीव	01	–
	कुल	193	43

[अनुवाद]

चाय की बागवानी हेतु राजसहायता तथा ऋण

564. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चाय की बागवानी हेतु 25 प्रतिशत राजसहायता तथा वित्तीय संस्थानों से 50 प्रतिशत तक सरल ऋण प्रदान करने की पेशकश कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर चाय की पुरानी झाड़ियों को उखाड़ने और पुनर्रोपण करने हेतु चाय बागान मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.1.2007 को एक विशेष प्रयोजन चाय निधि स्कीम अधिसूचित की गई थी। 11वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य 40992 हैक्टेयर का है जिसमें 32560 हैक्टेयर में पुनर्रोपण और 8432 हैक्टेयर का नवीकरण शामिल है। क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	ईकाई लागत (रु./है.)	11वीं योजना लक्ष्य क्षेत्र (हैक्टे.)
कार्यकलाप: पुनर्रोपण और पुनर्स्थापन रोपण		
असम घाटी	303284	15634
कछार	283685	3087
त्रिपुरा	202070	431
दुआर तथा तराई	298020	8591
दार्जिलिंग	371210	699
दक्षिण भारत	344600	2799
अन्य क्षेत्र	255200	1319
कार्यकलाप: नवीकरण	कुल	32560
दार्जिलिंग, दक्षिण भारत तथा कछार का टीला क्षेत्र	95000	8432

[हिन्दी]

जाली करेंसी नोटों के मामले

565. श्री हेमलाल मुर्मू:
योगी आदित्यनाथ:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पुलिस/सीआईडी तथा अन्य एजेंसियों द्वारा जाली नोटों के परिचालन के राज्य-वार कितने मामलों का पर्दाफाश किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए जाली करेंसी नोटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जाली करेंसी नोटों के गिरोह में आईएसआई तथा अन्य विदेशी एजेंसियां संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जाली करेंसी नोटों के परिचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005 से जून, 2008 के दौरान जाली मुद्रा नोटों, जब्त किये गए नोटों और बरामद किए गए जाली नोटों के अंकित मूल्यवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरणों के साथ मामलों/प्राथमिकी की कुल संख्या संलग्न विवरण क्रमश: 1 से 4 में दी गई है। वर्ष 2007 और 2008 (जून तक) के आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पाकिस्तान की आईएसआई के साथ सांठ-गांठ करके संगठित आपराधिक नेटवर्कों और गिरोहों को जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) को लाने और परिचालन के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

(ङ) एफआईसीएन के खतरे के बहु-आयामी पहलुओं को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र की आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि जैसे कई एजेंसियां एफआईसीएन से संबंधित अवैध क्रियाकलाप से निपटने के लिए क्रम से कार्य कर रही हैं। इस प्रयोजनार्थ गठित एक नोडल ग्रुप ने इन एजेंसियों के क्रियाकलापों की आवधिक समीक्षा भी की जाती है। इस संदर्भ में प्रकार्यात्मक स्तर पर इस प्रयोजनार्थ राज्यों के साथ समन्वय करने के लिए सीबीआई को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है, राजस्व आसूचना महानिदेशालय को अग्रणी आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे एफआईसीएन सहित संगठित अपराधों पर व्यापक रूप से नजर रखने और उनसे निपटने के लिए वरिष्ठ स्तर के पर्यवेक्षण के तहत समर्पित और सुसज्जित कक्ष स्थापित करें और एफआईसीएन से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी को विशेष रूप से पदनामित करें। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे राज्य के डीजीपी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें जिसमें आरबीआईकेजीएम/डीजीएम, एसआईबी, राज्य पुलिस की आसूचना शाखा, राज्य पुलिस की सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में हो।

विवरण I

दिसम्बर, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए जाली मुद्रा (बरामद और जब्त) की वार्षिक रिपोर्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अंकित मूल्य-वार विवरण

(कुल मूल्य)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1000		500		100		50		20		10		5		2		1		मिलकों की कुल संख्या		कुल मूल्य (रु.)		प्राथमिकी
	राज्य	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	बरा	एस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	आंध्र प्रदेश	5	523	476	20503	5384	27256	302	2146	114	2	3	15	0	0	0	0	0	0	6284	50445	798810	13607590	231
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	69	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	39400	4
3.	असम	107	252	635	867	4145	2448	190	401	2	9	0	3	0	0	0	0	0	0	5079	3980	848540	950560	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4.	बिहार	0	100	907	1131	8388	542	213	72	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9510	1045	1382328	723388	28
5.	छत्तीसगढ़	0	72	0	123	0	2052	0	197	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2448	0	348630	36
6.	गोवा	0	3	0	2	0	681	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	0	72150	6
7.	गुजरात	47	4	557	1297	8511	13832	861	514	13	20	4	0	0	0	0	0	0	0	9993	15667	1219980	2861820	419
8.	हरियाणा	0	35	0	152	0	441	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	654	0	156320	37
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	4	0	51	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	12080	3
10.	जम्मू-कश्मीर	20	1583	275	434	634	1491	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	3522	221980	1940880	29
11.	झारखंड	0	3	0	89	0	140	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	61650	14
12.	कर्नाटक	1108	387	1467	3402	10398	11936	1381	1331	23	18	17	29	0	18	0	0	0	0	14394	16841	2956980	2768899	118
13.	केरल	47	167	483	1745	2198	9569	83	1256	4	63	11	180	0	3	0	0	0	0	2826	12903	512640	2061475	69
14.	मध्य प्रदेश	21	91	284	572	7112	2692	526	281	15	0	1	9	0	0	0	0	0	0	7959	3645	980810	668040	42
15.	महाराष्ट्र	165	4047	1127	2460	8296	7686	389	1723	22	13	6	16	1	0	0	218	0	0	18006	16163	1578855	6133686	225
16.	मणिपुर	0	287	0	1423	0	644	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2357	0	1063080	11
17.	मेघालय	0	1	0	12	0	71	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	14150	3
18.	मिजोरम	0	17	0	31	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	37480	5
19.	नागालैंड	0	2	0	82	0	59	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	49080	6
20.	उड़ीसा	14	0	268	28	4277	56	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4686	84	627850	19600	17
21.	पंजाब	0	449	0	512	0	14011	0	2892	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20931	0	3792840	73
22.	राजस्थान	17	857	499	2308	9745	19663	280	719	11	12	2	5	0	0	0	0	0	0	10854	23564	1256340	4013840	85
23.	सिक्किम	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1800	2
24.	तमिलनाडु	30	68	1657	2894	4541	8562	653	1639	66	13	10	90	0	0	0	0	0	0	6957	13466	1346670	2054310	49
25.	त्रिपुरा	0	1	0	148	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0	97080	16
26.	उत्तर प्रदेश	57	257	798	2228	20149	14027	760	1951	19	188	3	31	1	1	0	0	0	0	21787	18683	2509515	2875325	204
27.	उत्तरांचल	0	32	0	74	0	589	0	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1719	0	179180	23
28.	पश्चिम बंगाल	126	882	1333	1478	5709	1391	184	0	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	7368	3751	1372810	1760100	92
	कुल	1764	10040	10866	45270	99479	140308	5870	16302	302	409	78	388	2	22	0	218	0	0	118383	212769	17448150	47532626	1963
	संघ राज्य क्षेत्र																							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	39	0	285	0	10028	0	557	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10919	0	1212240	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	109	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	11190	4
32.	दमन और दीव	0	0	0	5	0	61	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	70	0	8800	5
33.	दिल्ली	210	92	1703	795	9824	4859	729	176	46	13	2	1	0	1000	0	25	0	0	12514	6961	2081290	909520	18
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	249	92	1988	800	19852	5029	1286	185	55	13	3	1	0	1000	0	25	0	0	23433	7145	3293630	1009470	27
	कुल योग	2013	10132	12854	46070	119331	145337	7156	16487	357	422	73	301	2	1022	0	243	0	0	141786	219914	20738780	48532096	1990

टिप्पणी: आर-आर की आई की अलग-अलग शाखाओं से प्राप्त
एस - पुलिस द्वारा अथवा और राज्य अपराध अपराध रिकार्ड ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त

विवरण II

दिसम्बर, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए जाली मुद्रा (बरामद और जब्त) की वार्षिक रिपोर्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अंकित मूल्य-वार विवरण

(कुल मूल्य)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1000		500		100		50		20		10		5		2		1		जिलों की कुल संख्या		कुल मूल्य (रु.)		जानकारी
	राज्य	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	असा	एस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	आंध्र प्रदेश	9	1020	631	6940	2565	30181	169	6275	30	12	6	3	1	1	0	0	0	0	3411	44432	590115	7822125	304
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	43	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	25500	7
3.	असम	45	126	384	1535	1824	3602	200	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2453	5470	429400	1364850	101
4.	बिहार	8	71	551	663	5284	5990	183	1400	2	1021	2	3519	0	754	0	60	0	30	6030	13108	821110	1091030	62
5.	चंडीगढ़	0	341	0	226	0	353	0	46	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969	0	491660	30
6.	गोवा	0	10	0	20	0	63	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	26850	10
7.	गुजरात	201	365	1958	4294	5929	5457	1188	2847	4	6	10	2	0	0	0	0	0	0	9290	12991	1833480	3230190	174
8.	हरियाणा	0	48	0	850	0	307	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1716	0	529250	32
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	3300	2
10.	जम्मू-कश्मीर	72	387	412	1431	786	3211	82	253	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1353	5482	360720	1536250	29
11.	झारखंड	0	6	0	67	0	448	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	84750	23
12.	कर्नाटक	187	1417	1784	8606	7101	13888	232	1162	11	14	5	8	0	0	0	0	0	0	9320	24345	1880970	7082260	131
13.	केरल	92	158	783	210	1571	4443	89	320	5	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2557	5121	616310	723300	70
14.	मध्य प्रदेश	25	39	242	287	2837	1043	403	592	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3622	1961	450150	314400	31
15.	महाराष्ट्र	174	3287	1283	13684	3500	13911	342	1462	19	10	5	7	0	110	0	0	0	4	5323	33475	1183030	11894034	186
16.	मणिपुर	0	18	0	34	0	25	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	46600	9
17.	मेघालय	0	6	0	133	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	79400	3
18.	मिजोरम	0	2	0	295	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	149600	7
19.	नागालैंड	0	46	0	245	0	1876	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2227	0	359100	8
20.	उड़ीसा	24	30	265	443	1476	3316	19	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1785	382	305070	584720	12
21.	पंजाब	0	6202	0	6745	0	4381	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1761	0	10826790	55
22.	राजस्थान	59	124	615	1417	5785	8127	233	1367	1	3	4	3	0	2	0	0	0	0	6697	11043	956710	1713650	47
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	1
24	तमिलनाडु	757	312	7335	699	6070	8035	671	1501	81	6	20	0	0	0	0	0	0	0	14934	10543	3066870	1535170	63
25.	त्रिपुरा	0	0	0	93	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	47550	10
26.	उत्तर प्रदेश	105	1707	1009	6217	11497	23525	820	4638	42	9	14	3	0	0	0	0	0	0	13487	36099	1801180	7400110	209
27.	उत्तराखण्ड	0	806	0	226	0	630	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1674	0	982600	17
28.	पश्चिम बंगाल	260	284	1703	2618	6638	2367	156	10	14	0	9	0	1	0	0	0	0	0	8781	5279	1783475	1838300	131
	कुल	2019	16833	18955	58211	62863	134852	4787	23171	226	1085	91	3645	2	867	0	60	0	34	88943	237888	18827590	60563899	1763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	संघ राज्य क्षेत्र																							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	3	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	7400	4
30.	चंडीगढ़	90	34	1111	0	9195	2	753	2	34		13	0	0	0	0	0	0	0	11186	38	1603260	34300	3
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	3300	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	101	0	27	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	53300	4
33.	दिल्ली	169	466	987	2031	4934	9209	827	1028	11	46	3	1	0	0	0	0	0	0	6931	12778	1197500	2453530	27
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	1	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	5200	2
	कुल	259	499	2098	2136	14129	9375	1580	1032	35	46	16	1	0	0	0	0	0	0	18117	13089	2800760	2567830	41
	कुल योग	2278	17332	21053	68347	76992	143427	6367	34203	261	1131	107	3546	2	667	0	60	0	34	107060	250947	20828350	63139919	1804

टिप्पणी: आर-आर बी आई की अलग-अलग शाखाओं से प्राप्त
एस - पुलिस द्वारा जब्त और राज्य अपराध अपराध रिकार्ड ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त

विवरण III

दिसम्बर, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए जाली मुद्रा (बरामद और जब्त) की वार्षिक रिपोर्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अंकित मूल्य-वार विवरण

(कुल मूल्य)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1000		500		100		50		20		10		5		2		1		बिलों की कुल संख्या		कुल कूल (रु.)		प्रत्यक्षदर्शी
	राज्य	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	आंध्र प्रदेश	48	1567	398	6970	684	25376	87	3026	76	16	6	6	0	0	0	0	0	0	1299	36961	321300	7741280	198
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	6	0	22	0	5	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0	27960	10
3.	असम	59	228	412	2195	513	2082	82	167	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1067	4673	320430	1542080	90
4.	बिहार	34	199	721	799	1652	1097	70	111	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2480	2207	563200	713760	38
5.	छत्तीसगढ़	0	694	0	1001	0	2910	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4625	0	1486600	90
6.	गोवा	0	17	0	237	0	120	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	147850	10
7.	गुजरात	685	936	5322	4971	9238	7581	1256	1178	9	10	15	14	0	0	0	0	0	0	16525	14690	4332930	4258840	257
8.	हरियाणा	0	23	0	1123	0	343	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2171	0	652980	25
9.	हिमाचल प्रदेश	0	33	0	85	0	1	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	77700	9
10.	जम्मू-कश्मीर	30	210	151	951	972	933	73	36	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1229	2120	206880	780180	33
11.	झारखंड	0	123	0	962	0	219	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1327	0	637050	23
12.	कर्नाटक	757	538	4648	3802	5085	5821	239	38	32	9	8	4	0	0	0	0	0	0	10760	10212	3682170	3823230	54
13.	केरल	137	1398	859	5846	1023	1199	21	63	0	9	21	34	0	0	0	0	0	0	2061	8549	670060	4446570	50
14.	मध्य प्रदेश	36	34	330	1572	1954	3657	176	181	18	60	9	0	0	0	0	0	0	0	2523	5504	485680	1196950	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15.	[illegible]	705	1912	4906	2527	5433	5465	565	561	13	10	12	8	0	1	0	0	0	0	11634	10484	3729930	3780336	150
16.	[illegible]	0	1	0	30	0	83	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0	34300	4
17.	[illegible]	0	80	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	98000	9
18.	[illegible]	0	789	0	1001	0	446	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2322	0	1338400	15
19.	[illegible]	0	0	0	138	0	2	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937	0	109050	5
20.	[illegible]	52	0	380	7	1300	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749	7	373820	3500	2
21.	[illegible]	0	720	0	4156	0	7359	0	309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12445	0	3644370	48
22.	[illegible]	380	929	2766	2360	5072	7623	240	471	5	10	3	5	0	0	0	0	0	0	8466	11388	2282330	2899100	48
23.	[illegible]	0	20	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	38000	2
24.	[illegible]	611	115	5305	1442	6489	2689	577	44	205	3	20	3	0	0	0	0	0	0	13188	4296	3895510	1198190	66
25.	[illegible]	0	13	0	589	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1104	0	357700	9
26.	[illegible]	586	1234	8653	3433	25645	15188	1666	1613	23	18	22	19	0	0	0	0	0	0	36895	21585	7860980	4580580	187
27.	[illegible]	0	169	0	142	0	2278	0	422	0	20	0	58	0	70	0	0	0	0	0	3159	0	490230	22
28.	[illegible]	589	998	3093	3164	4096	9986	132	188	1	3	5	4	0	0	0	0	0	0	7916	16389	2561770	4580000	118
	कुल	4709	12983	37844	51881	69156	102914	5200	18853	382	169	127	157	0	71	0	0	0	0	117418	178228	30815510	49967855	1565
	संघ राज्य क्षेत्र																							
29.	[illegible]	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	500	1
30.	[illegible]	390	0	3783	9	19439	0	1483	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25107	9	4299740	4500	2
31.	[illegible]	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6000	1
32.	[illegible]	0	0	0	6	0	34	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	6550	6
33.	[illegible]	860	39	4278	92	4611	1898	474	1400	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10243	3229	3484130	324800	16
34.	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	[illegible]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1000	1
	कुल	1250	46	8061	108	24050	1932	1957	1403	20	0	12	0	0	0	0	0	0	0	35350	3289	7783870	343350	27
	कुल योग	5959	13029	45905	51989	93206	104646	7157	11756	402	169	139	157	0	71	0	0	0	0	152768	181517	38599380	49931205	1592

टिप्पणी: आर-आर की आई की अलग-अलग संस्थाओं से प्राप्त

एस - पुलिस द्वारा चयन और राज्य अपराध अपराध रिकार्ड ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त

आंकड़े अनंतिम

''राज्य के कालम में कोष्ठ में दी गई संख्या का निम्नानुसार स्पष्टीकरण:

1. जनवरी से अप्रैल 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

2. जुलाई से दिसम्बर, 2007 के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

3. मई, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

4. जून, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

5. सितम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

6. दिसम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

7. अक्तूबर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (आर)

विवरण IV

जून, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए जाली मुद्रा (बरामद और जब्त) की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अंकित मूल्य-वार विवरण

(कुल मूल्य)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1000		500		100		50		20		10		5		2		1		जिलों की कुल संख्या		कुल कुल (रु.)		प्रभावित
	राज्य	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	बार	एच	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	आंध्र प्रदेश	393	246	2237	1084	2575	3438	157	1041	18	0	4	1	0	0	0	0	0	0	5384	4742	1777250	1057980	101
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	1
3.	असम	21	20	234	878	216	113	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	1015	166850	470820	18
4.	बिहार	189	145	1491	322	2040	225	288	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3923	785	1148680	329150	5
5.	चण्डीगढ़	0	0	0	81	0	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	42000	9
6.	गोवा	0	30	0	301	0	318	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0	210000	15
7.	गुजरात	585	799	3696	1612	3860	2317	360	295	8	1	1	5	0	0	0	0	0	0	8510	4989	2837170	1811520	64
8.	हरियाणा	0	44	0	70	0	171	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	96000	18
9.	हिमाचल प्रदेश	0	10	0	12	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	0	91000	4
10.	जम्मू-कश्मीर	25	13	61	181	640	411	42	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	771	605	121640	144600	10
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1277	2	4187	586	2016	0	78	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7573	588	3876270	295000	2
13.	केरल	79	157	433	4259	482	144	11	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1009	4868	344280	2389960	19
14.	मध्य प्रदेश	8	8	139	983	882	1369	111	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1149	2889	171380	686480	22
15.	महाराष्ट्र	1464	1276	7698	4986	3746	3931	355	135	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13286	10280	5706430	4160880	99
16.	मणिपुर	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	0	5600	2
17.	मेघालय	0	70	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	101000	2
18.	मिजोरम	0	351	0	568	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1683	0	711400	6
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	54	0	553	0	1341	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1972	0	468880	0	0
21.	पंजाब	0	90	0	442	0	810	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1356	0	392700	6
22.	राजस्थान	769	126	5075	1164	3867	2261	192	109	5	6	0	1	0	0	0	0	0	0	9908	3667	3702900	999680	21
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	596	621	2018	883	2118	885	96	103	26	40	0	0	0	0	0	0	0	0	4964	2532	1827120	1166080	117
25.	त्रिपुरा	0	3	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	13800	7
26.	उत्तर प्रदेश	616	189	5999	2840	16697	2913	1519	545	31	3	7	0	1	0	0	0	0	0	24879	6490	5361845	1927610	32
27.	उत्तराखण्ड	0	4	0	91	0	347	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	74800	9
28.	पश्चिम बंगाल	170	634	830	3894	1265	5356	144	95	3	1	3	8	0	1	0	0	0	0	3415	9989	718790	3121455	47
	कुल	6346	4798	34651	25281	41745	25851	3401	3425	111	52	29	16	1	1	0	0	0	0	86184	57604	27918865	20864055	636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	संघ राज्य क्षेत्र																							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200000	1
30.	चंडीगढ़	209	0	1690	0	7598	0	825	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	10330	0	1855150	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1200	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	2723	0	12423	88	6925	6705	581	294	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22659	7085	9666170	729080	9
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2932	200	14113	89	14523	6710	1406	294	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	32989	7293	11511320	930200	11
	कुल योग	9178	4998	48764	25370	56368	31741	4807	2719	118	52	37	16	1	1	0	0	0	0	119173	64897	39429885	20994255	647

टिप्पणी: आर-आर की आई की अलग-अलग शाखाओं से प्राप्त

एस - पुलिस द्वारा जब्त और राज्य अपराध अपराध रिकार्ड ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त

आंकड़े अनंतिम

''राज्य के खानम में कोष्ठ में दी गई संख्या का निम्नानुसार स्पष्टीकरण:

1. जनवरी, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
2. फरवरी, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
3. मार्च, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
4. अप्रैल, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
5. मई, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
6. जून, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
7. जनवरी, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (आर)
8. अप्रैल, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (आर)
9. मई, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (आर)
10. जून, 2008 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (आर)

मोटर साइकिल गैंग द्वारा अपराध

566. श्री पंकज चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मोटर साइकिल सवारों द्वारा गोलीबारी तथा लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस गैंग द्वारा मारे गए/लूटे गए/घायल किए गए व्यक्तियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में पुलिस द्वारा कितने अपराधियों को हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में उक्त घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है: ''आंख और कान स्कीम'' के अंतर्गत उचित सहयोग प्राप्त करने हेतु रेहड़ी/पटरी वालों/सुरक्षागार्डों/चौकीदारों तिपहिया/टीएसआर चालकों, टैक्सी स्टेन्डों/पार्किंग लोट अटेन्डेंटों/कुलियों आदि के साथ बीट/डिवीजन/पुलिस स्टेशन स्टाफ द्वारा नियमित विचार-विमर्श करना, और स्थिर पिकेट स्थापित करके संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित जांच करना, बजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों के निकट व्यापक मोटर साइकिल और पैदल गश्त करना, ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए उनके साथ बैठकें आदि आयोजित करके अपनायी जाने वाली सावधानियों के बारे में आवासीय एवं बाजार कल्याण एसोसिएशनों को सुग्राही बनाना।

विवरण

क्र.सं.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	एफआईआर संख्या तथा दिन	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	मामले की वर्तमान स्थिति
1.	करुणा का अपहरण	202/08 11.4.08	3	जांच लम्बित है
2.	सरिता विहार पेट्रोल पम्प डकैती	334/08 13.6.08	1	जांच लम्बित है
3.	सोनू सरदार की हत्या	364/08 05.07.08	2	जांच लम्बित है
4.	मोटर साइकिल चालक की हत्या का प्रयास तथा मोटर साइकिल की डकैती	367/08 05.07.08	1	जांच लम्बित है
5.	कालकाजी के मेन मार्केट में टीवी शो रूम में डकैती	317/08 06.07.08	1	जांच लम्बित है
6.	पिस्तौल और चाकू की नोक पर रिंग रोड से मोटरसाइकिल की डकैती	213/08 06.07.08	1	जांच लम्बित है
7.	दो युवा लड़कों की हत्या तथा अमर कालोनी के व्यस्त आवासीय सह-मार्केट क्षेत्र में मोटर साइकिल की डकैती	248/08 11.07.2008	2	जांच लम्बित है
8.	निर्दोष स्कूटर चालक की हत्या तथा मोटर साइकिल की डकैती	217/08 11.7.2008	2	जांच लम्बित है
9.	डकैती तथा दुकान मालिक और एक अन्य व्यक्ति की हत्या का प्रयास	317/08 12.7.2008	2	जांच लम्बित है
10.	पुलिस स्टेशन मयूर विहार से मोटरसाइकिल की डकैती	160/08 19.5.08	3	जांच लम्बित है
11.	प्रीत विहार परिसर की दुकान में डकैती	348/08 16.7.2008	1	जांच लम्बित है
12.	पुलिस स्टेशन मंडावली के क्षेत्र में पिस्तौल तथा चाकू की नोक पर अपनी कार में बैठी एक महिला से जेवरातों और 1200/- रुपए की डकैती	241/08 21.6.08	2	जांच लम्बित है
13.	पुलिस स्टेशन ओखला के तहत मोटरसाइकिल की चोरी	311/08 21.7.08	2	जांच लम्बित है

स्कूल/कालेजों में ब्राडबैण्ड कनेक्शन

567. **श्री मो. ताहिर:**
श्री देविदास पिंगले:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों/कालेजों में निशुल्क ब्राडबैण्ड कनेक्शन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में स्कूलों/कालेजों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) वर्ष 2008-09 में इस प्रयोजनार्थ चुने गए स्कूलों/कालेजों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) 'स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान है बशर्ते कि नजदीक में टेलीकाम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव व्यवहार्यता पर आधारित हों और इसके अतिरिक्त निधियां उपलब्ध हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द्र की योजना के तहत पात्र कालेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत राज्यों में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षिक ब्लाक में कम से कम दो स्कूल होना अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत शामिल किए गए कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) वर्ष 2008-09 में इस उद्देश्य के लिए चुने गए स्कूलों की संख्या राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	चुने गए स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	कर्नाटक	4396
2.	केरल	3055
3.	मध्य प्रदेश	1000
4.	पंजाब	2000
5.	तमिलनाडु	400
6.	पश्चिम बंगाल	1400
	कुल	12251

[अनुवाद]

अग्रिम लाइसेंस के माध्यम से लाभ कमाना

568. मो. मुकीम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज कंपनियां अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन कर रही हैं तथा विद्यामान मानदण्डों में छूट की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम, उत्पाद, उस देश का नाम क्या है जहां निर्यात किया जाना है तथा रियायती मानंदण्डों के अंतर्गत आयात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि इन आयातों का घरेलू बाजार में अन्यत्र उपयोग न हो और जिससे ये कंपनियां लाभ न कमा सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) कुछेक भेषज कंपनियों को गैर-उल्लंघनकारी प्रक्रिया के आधार पर कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गई है। ये लागत-उत्पादन मानदण्ड उस प्रक्रिया पर आधारित है जिसके अंतर्गत भेषज उत्पादों का उत्पादन किया जाता है तथा वे उक्त उत्पाद हेतु मानक लागत उत्पादन मानदण्डों (एस आई ओ एन) से अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।

(ख) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरे निम्नानुसार है:-

फर्म का नाम	निर्यात उत्पाद	निर्यात का देश
मै. ल्यूपिन लि.	(क) सेफोटैक्साइम सोडियम	अमरीका
	(ख) स्टराइल सेफ्ट्राईएक्सोन सोडियम	अमरीका
मै. कैडिला फार्मा प्रा. लि.	कार्बिनोक्सामाइन टैन्नैट	अमरीका
मै. मेडिकॉर्प टेक्नोलॉजीज इंड. लि.	क्लैरिथ्रोमाइसिन	कनाडा. अमरीका एवं यूरोप

(ग) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत आयात, वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति के अध्यधीन होते हैं। अग्रिम प्राधिकार धारक द्वारा प्रत्येक प्राधिकार हेतु शुल्क मुक्त लागत की खपत एवं उपयोग का एक सही एवं उचित लेखा रखा जाना अपेक्षित होता है। केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियें एवं डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों दोनों द्वारा यादृच्छिक जांच की जा सकती है। लाइसेंस संबंधी शर्तों के उल्लंघन के मामले में, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। यदि औषधों का आयात अपंजीकृत स्त्रोतों से किया जाता है तो निविष्टियों के उचित एवं समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात दायित्व की छह महीने की अपेक्षाकृत लघु अवधि निर्धारित की गई है।

औद्योगिक उत्पादन में कमी

569. श्री के. एस. राव:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में उपभोक्ता, पूंजीगत तथा औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक विकास की दर छ: वर्ष के अपने सबसे निचले स्तर तक घट चुकी है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें उत्पादन तथा वृद्धि-दर में तेजी से कमी आई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) अधिक रोजगार का सृजन करने तथा निर्यात के लिए पर्याप्त वस्तुओं के उत्पादन हेतु औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि दर में दर्ज उतार-चढ़ाव का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ङ) पिछले 3 वर्ष के लिए तथा चालू वर्ष (2008-09) में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में मापा गया औद्योगिक विकास नीचे दिया गया है:-

विकास दर (प्रतिशत में)

क्षेत्र/उद्योग	2005-2006	2006-07	2007-08	2008-09 (अप्रैल-अगस्त)
पूंजीगत वस्तुएं	13.8	18.2	16.9	9.2
उपभोक्ता वस्तुएं	12.0	10.1	6.1	7.8
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	15.3	9.2	(-)1.0	5.6
उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	11.0	10.4	8.5	8.6
समग्र उद्योग	8.2	11.6	8.3	4.9

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)

सेवाओं से उत्पन्न सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मापा गया सेवा क्षेत्र में विकास वर्ष 2005-06 में 10.3%, वर्ष 2006-07 में 11.1%, वर्ष 2007-08 में 10.8%, तथा 2008-09 (अप्रैल-जून) में 10.0%, था।

(ख) जी, हां।

(ग) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के रूप में औद्योगिक उत्पादन के विकास में अप्रैल-अगस्त, 2008-09 के दौरान पूर्व वर्ष की इसी अवधि में विकास की तुलना में पंजीकृत की गई गिरावट नीचे दी गई है:

विकास दर (%,में)

क्षेत्र/उद्योग	अप्रैल-अगस्त, 2007-08	अप्रैल-अगस्त, 2008-09
खनन तथा उत्खनन	4.9	4.1
विद्युत	8.3	2.3
विनिर्माण	10.6	5.2
समग्र	10.0	4.9

खनन उद्योग का निम्न विकास मुख्यत: कृष्णा गोदावरी आयल फील्ड में कच्चे तेल के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने में विलंब के कारण कच्चे तेल के कम उत्पादन, बिजली की कटौती, पर्यावरण संबंधी कारणों आदि की वजह से है। बिजली बनाने में कम विकास थर्मल पावर स्टेशनों के गैर-अनुसूचित रख-रखाव, कोयले की कमी, बिजली बनाने वाली इकाइयों को शुरू करने में विलंब, गैस की उपलब्धता में कमी आदि के कारण है।

मार्केट से चलने वाली अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग मांग तथा आपूर्ति की मार्केट ताकतों में प्रभावित होता है। विनिर्माण उद्योग में हाल ही का अवरोध ब्याज दरों में वृद्धि, रुपये का अव्यमूल्यन, कच्चे की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी, प्राथमिक मदें, धातु खनिज तथा अन्य निविष्टियां आदि जैसे कारकों के मिश्रण के कारण है।

(घ) सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) तथा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सहित विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए नई विद्युत नीति आदि की शुरूआत की है।

सरकार ने व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्त्र नीतिगत उपाय भी शुरू किये हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक क्षमता को लाइसेंसमुक्त करना, प्रतिस्पर्धी मूल्यों के निविष्टियों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए विदेशी व्यापार तन्त्र का उदारीकरण सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की शुल्क दरों में योक्तिकरण तथा कमी, बेहतर अवसंरचना सहायता तथा उदार एफडीआई तन्त्र आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2008-09 के बजट में सरकार ने विनिर्माण उद्योग हेतु घरेलू मांग को तेजी से पूरा करने के लिए सभी जगह पर उत्पाद शुल्क में 16% से 14%,तक की कमी की है। इसके अलावा सरकार ने लघुकारों, मोटरसाइकिलों तथा स्कूटरों आदि पर वर्ष 2008-09 के बजट में घरेलू उपयोक्ता टिकाऊ विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद शुल्क 16% से 12% तक कमी की है।

सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीति शुरू की है जिसमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कारोबार लागत में कमी, निर्यात हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्क के प्रभाव को समाप्त करना विनिर्माण के लिए वैश्विक हब के रूप में भारत के विकास को सुविधाजनक बनाना, विशिष्ट आर्थिक जोन (एसईजैडएस) की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों का विकास

570. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कोई कार्य-योजना (नई नीति) अथवा पैकेज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति के अंतर्गत कवर हो सकने वाले कुटीर उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नीति के कब तक लागू होने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कुटीर उद्योगों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश (यूटी) सरकारों/प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ऋण, आधारभूत संरचना विकास, प्रोद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में देश में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी शामिल है:

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना तैयार करके 4735 करोड़ रूपये (4485 करोड़ रूपये मार्जिन मनी के लिए और 250 करोड़ रूपये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिकेजों के लिए) के एक अनुमानित व्यय के साथ 2008-09 से 2011-12 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यन्वित की जाएगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर इस योजना को केवीआईसी के फील्ड कार्यालयों, राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत, उद्यमी सेवा/व्यवसाय श्रेणी में अधिकतम 10 लाख रूपये तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिए

केवीआईसी/राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के केवीआईबी से मार्जिन मनी सहायता तथा कार्यान्वयक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों, आदि से ऋण प्राप्त करके ग्रामीण/कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

(ii) खादी उत्पादों के डिजाइनों, गुणवत्ता में सुधार और बेहतर पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना के तहत केवीआईसी द्वारा वैयक्तिक उद्यमियों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) केवीआईसी द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश (यूटी) केवीआईबी और अन्य पात्र संस्थानों को ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र योजना के तहत बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करने और कच्चे माल समर्थन, कौशल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण सुविधएं, बाजार संवर्धन, ग्रामीण उद्योग कलस्टरों के सशक्तीकरण के लिए डिजाइन व उत्पाद विकास के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) राष्ट्रीय, जोनल, राज्य और जिला स्तरों की प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए पंजीकृत खादी व ग्रामोद्योग संस्थानों तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश (यूटी) केवीआईबी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत उत्पादों के विविधीकरण तथा विकास तथा विभिन्न खादी ग्रामोद्योगों उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से भी उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना का आरंभ किया गया है।

(vi) ऐसे उद्योगों को आधारभूत संरचना सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए केवीआईसी के माध्यम से ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र योजना (आरआईएससी)।

(vii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि के उद्यमिता/कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने या उससे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों की हैंडहोल्डिंग के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के संवर्धन और समर्थन के लिए चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल में 'राजीव ..ी उद्यमी मित्र योजना' को आरंभ किया गया है।

(viii) इनके अलावा, चमड़ा, पॉटरी और अन्य कुटीर उद्योगों सहित खादी, ग्रामोद्योगों और कॅयर जैसे पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए, इन उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए 'परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार की योजना (स्फूर्ति)' नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) कॅयर आधारित परियोजनाओं सहित कोई भी ग्रामोद्योग (सिर्फ केवीआईसी द्वारा तैयार नकारात्मक सूची में आने वालों को छोड़कर, जिनमें मांस से संबंधित उद्योग, बीडी/पान/सिगार/सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों का निर्माण या बिक्री, चाय कॉफी, रबर आदि जैसे फसलों/बागानों की कृषि से संबंधित कोई उद्योग/व्यवसाय शामिल हैं) जो बिजली से या उसके बिना वस्तुओं का उत्पादन करता है या कोई सेवा प्रदान करता है और जिसमें एक पूर्णकालिक कारीगर या कर्मचारी पर नियत पूंजी निवेश, यानि पूंजीगत व्यय अथवा कार्यशाला/वर्कशेड, मशीनरी और फर्नीचर को परियोजना द्वारा सृजित पूर्णकालिक रोजगार से भाग देने पर मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, दिशानिर्देशों के अनुरूप पीएमईजीपी के तहत स्थापित किया जा सकता है।

(घ) कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाएं सामान्य प्रकृति की हैं और जिस अवधि तक संबंधित योजनाएं कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित हैं, उस अवधि के लिए अनवरत रूप से कार्यान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

महिला निरक्षरता

571. **श्री के. सुब्बारायण:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री भरहरि महतो:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय निरक्षरता दर की तुलना में महिला निरक्षरता की दर क्या है;

(ख) देश में सभी महिलाओं की आधारभूत शिक्षा तक पहंच सुनिश्चित करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित, आबंटित और

उनके द्वारा उपयोग में लाई गयी निधियों का योजनावार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जनगणना 2001 के अनुसार, देश में कुल निरक्षरता दर 35.16 प्रतिशत की तुलना में महिला निरक्षरता दर 46.33 प्रतिशत है।

(ख) सभी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, की बुनियादी शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभाग निम्नलिखित मुख्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(i) सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय-उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूल, तथा प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल है।

(ii) महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत कभी स्कूल न जाने वाली, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली किशोरियों, पिछड़े क्षेत्रों की युवा महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए महिला शिक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता उपलब्ध कराते हैं जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साक्षरता कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए 26 राज्य संसाधन केन्द्र तथा 221 जन शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(iv) अनुसूचित जनजाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

(v) उन न्यून साक्षरता जिलों में जिनमें वे 54 अभिनिर्धारित जिले शामिल हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है तथा प्राचीन जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की योजना।

(vi) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों जिनमें प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना करना।

(vii) कक्षा VI से कक्षा XII तक एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(viii) अनुसूचित जाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।

(ix) मलिन व्यवसाय करने वाले लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए अनुदान का स्कीम-वार, राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीम-वार और राज्य-वार जारी की गई निधियां

(लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्व शिक्षा अभियान			महिला समाख्या			प्रौढ़ शिक्षा		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	37999.00	46245.56	28100.00	350.00	312.00	500.00	2485.82	2175.59	2417.30
अरुणाचल प्रदेश	4442.51	7143.74	11043.55	-	-	-	100.44	38.05	34.54
असम	13850.00	51464.72	28903.62	249.00	353.00	350.00	103.73	264.01	193.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	32399.56	107744.39	135417.64	–	300.00	500.00	1048.37	443.73	638.26
छत्तीसगढ़	30184.39	50182.20	46787.76	–	–	–	387.33	701.59	384.20
गोवा	728.12	724.12	899.57	–	–	–	26.80	23.20	24.48
गुजरात	15084.84	14806.97	22658.26	180.00	100.00	230.00	1121.58	388.03	432.20
हरियाणा	10196.55	25647.12	14220.00	–	–	–	461.88	181.02	312.06
हिमाचल प्रदेश	7614.66	6250.75	7638.30	–	–	–	70.02	37.67	35.62
जम्मू-कश्मीर	18530.65	22083.37	20063.27	–	–	–	158.96	218.29	121.40
झारखंड	28568.50	51515.00	80748.99	–	100.00	105.00	1169.97	348.22	937.66
कर्नाटक	28303.78	54206.98	40604.78	375.00	400.00	550.00	2071.06	1819.42	2529.13
केरल	5939.00	6382.00	8323.42	85.00	210.00	50.00	498.70	675.97	615.55
मध्य प्रदेश	77173.12	110879.68	86769.94	–	–	–	635.50	3082.05	755.82
महाराष्ट्र	50235.31	52158.56	45729.96	–	–	–	3314.32	996.87	856.34
मणिपुर	3208.44	9.24	1850.95	–	–	–	157.80	127.71	134.42
मेघालय	1921.00	4294.00	9359.63	–	–	–	33.35	157.26	47.30
मिजोरम	2559.15	3441.69	4212.02	–	–	–	18.73	112.70	22.65
नागालैंड	2323.01	2315.20	4596.00	–	–	–	24.97	28.93	24.13
उड़ीसा	32792.50	44010.95	62853.68	–	–	–	669.47	261.36	582.98
पंजाब	14683.89	12879.92	10493.88	–	–	–	470.26	209.83	112.44
राजस्थान	60313.43	75809.82	101307.20	–	–	–	972.20	1516.89	3598.39
सिक्किम	1062.50	402.14	1036.25	–	–	–	36.60	12.00	–
तमिलनाडु	35329.53	37329.65	53125.09	–	–	–	1268.76	1365.85	1105.14
त्रिपुरा	7070.19	5330.01	4178.49	–	–	–	31.14	82.25	39.41
उत्तराखंड	10004.00	16934.00	13162.80	180.00	200.00	335.00	891.64	745.01	440.48
उत्तर प्रदेश	182799	206654	204758.80	475.00	600.00	735.00	3206.66	1824.94	3096.84
पश्चिम बंगाल	34199.79	61736.80	90571.68	–	–	–	2071.65	2206.27	1492.80
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163.00	419.62	187.10	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	350.00	300.00	934.95	–	–	–	28.61	148.10	29.97
दादरा और नगर हवेली	0.00	100.00	418.54	–	–	–	–	90.37	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दमन और दीव	111.91	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	1100.00	4230.24	1671.55	–	–	–	133.87	90.37	111.86
लक्षद्वीप	0.00	87.47	–	–	–	–	17.01	–	–
पाण्डिचेरी	529.40	–	577.07	–	–	–	–	–	–

उपर्युक्त योजनाएं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीम-वार और राज्य-वार जारी की गई निधियां

(लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति के बालकों/बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना			निम्न महिला साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा के सशक्तीकरण की योजना			आश्रम स्कूलों की स्थापना		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	–	120.00	195.00	323.08	128.16	1434.21	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	21.43	180.07	145.00	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	165.00	–	9.42	15.85	16.06	–	112.76	558.00
गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	–	–	–	11.00	31.30	–	200.00	156.52	117.39
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	108.18	82.39	48.75	1.53	–	–	–	–	–
जम्मू-कश्मीर	–	204.99	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड	–	250.16	224.35	4.53	3.00	4.50	–	–	250.00
कर्नाटक	86.00	170.79	150.00	–	–	180.16	150.00	400.00	100.00
केरल	–	–	–	–	–	0.00	–	–	–
मध्य प्रदेश	724.00	305.00	–	83.69	139.93	81.02	200.00	624.01	673.81
महाराष्ट्र	194.46	–	–	–	27.75	13.92	50.00	256.71	300.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	142.70	123.51	564.61	-	-	-	-	-	-
मेघालय	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	116.52	221.09	186.50	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	-	56.50	1197.00	110.89	299.98	159.25	-	-	-
पंजाब	100.79	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	-	190.50	-	31.26	86.68	49.18	-	-	-
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा	-	-	228.79	-	-	-	-	-	-
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	6.71	-	-	24.56	58.62	36.68	-	-	-
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दादरा और नगर हवेली	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-
दमन और दीव	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	64.21	540.91	160.00	-	-	-	-	-	-
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पाण्डिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपर्युक्त योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण III

विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीम-वार और राज्य-वार जारी की गई निधियां

(लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल		**बूबा जगजीवन राम छात्रावास योजना			**मलिन व्यवसायों में रत बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति		
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	360.00	530.00	1002.38	1258.80	-	262.37	310.48	-	
अरुणाचल प्रदेश	105.44	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	–	–	–	209.01	100.04	2.10	16.82	2.94	
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	
छत्तीसगढ़	–	1115.00	339.57	645.29	682.98	49.06	45.33	–	
गोवा	–	–	–	–	–	1.56	0.93	–	
गुजरात	1850.00	540.00	60.00	109.56	465.92	354.03	590.23	262.71	
हरियाणा	–	–	–	270.00	3.85	–	–	–	
हिमाचल प्रदेश	–	175.00	1978.76	69.08	–	–	–	–	
जम्मू-कश्मीर	–	–	6.39	–	161.00	–	23.67	–	
झारखंड	400.00	–	222.88	210.67	251.41	–	–	–	
कर्नाटक	387.76	189.87	–	630.00	600.00	–	–	–	
केरल	–	330.00	–	–	–	–	3.40	–	
मध्य प्रदेश	577.75	452.25	261.12	874.90	521.46	10.50	6.30	–	
महाराष्ट्र	520.00	120.00	–	–	–	215.62	538.90	–	
मणिपुर	–	125.00	–	–	–	–	–	–	
मेघालय	–	–	293.56	–	57.44	–	–	–	
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	
उड़ीसा	1029.79	300.00	–	369.72	1511.18	–	1.04	–	
पंजाब	–	–	76.27	20.00	–	–	29.26	–	
राजस्थान	–	420.00	96.75	369.83	1008.27	31.94	103.31	–	
सिक्किम	100.00	–	–	–	–	–	–	–	
तमिलनाडु	205.00	180.00	–	376.20	516.33	86.47	174.15	41.36	
त्रिपुरा	–	115.00	151.89	–		–	7.57	9.35	
उत्तराखंड	–	150.00	–	–	–	4.78	7.24	2.86	
उत्तर प्रदेश	–	–	493.43	–	751.96	44.16	129.49	–	
पश्चिम बंगाल	325.00	450.00	–	–	94.12	–	25.25	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	–	–	–	–	2.00	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पाण्डिचेरी	–	–	242.52	–	–	10.00	10.00	–	–

*वर्ष 2007-08 से ईएमआरएस के लिए कोई पृथक निधियां उद्दिष्ट नहीं की गई हैं और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मंत्रालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जारी राशि में से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

**ये योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

मसालों का निर्यात

572. श्री परसुराम माझी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश द्वारा निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों में जिन मसालों की मांग ज्यादा है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन राष्ट्रों को निर्यात किए गए मसालों की प्रमात्रा और मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मसाले न पैदा करने वाले राज्यों में मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, हां। मिर्च, जीरा, काली मिर्च, हल्दी और धनिया की मांग अधिक है। प्रमुख आयातक देशों को इन मसालों के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल-अगस्त, 2008 के दौरान निर्यात में वृद्धि का रुख देखा गया है। निर्यात, जो अप्रैल-अगस्त, 2007 के दौरन 198985 टन था और जिसका मूल्य 1950.89 करोड़ रुपये था, बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान 223050 टन हो गया जिसका मूल्य 2265.25 करोड़ रुपये था, जिसमें मात्रा के रूप में 12 प्रतिशत तथा मूल्य के रूप में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में मसालों की खेती का संवर्धन प्रस्तावित है, जो काली मिर्च, बड़ी इलायची, अदरक और हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त है। 10वीं योजना अवधि के दौरान मसाला बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी इलायची, काली मिर्च और अदरक तथा लेकडांग हल्दी के जैविक उत्पादन के क्षेत्र विस्तार हेतु कार्रवाई शुरू की थी जिसे 11वीं योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है। बड़ी इलायची का क्षेत्र विस्तार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड में शुरू किया गया है। 10वीं योजना के दौरान राज्यों में 1000 हेक्टेयर का क्षेत्र बड़ी इलायची के अंतर्गत लाया गया है और 11वीं योजना के दौरान 1500 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किए जाने का प्रस्ताव है। अदरक तथा लेकडांग हल्दी की जैविक खेती के अंतर्गत 3010-3010 हेक्टेयर क्षेत्र लाए जाने का प्रस्ताव है। काली मिर्च की जैविक खेती के अंतर्गत 500 हेक्टेयर क्षेत्र लाए जाने का प्रस्ताव है। क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए वर्षा जल संचयन कार्यक्रमों, बड़ी इलायची हेतु क्योरिंग हाऊसेज की स्थापना तथा पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों तथा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी प्रस्तावित है।

विवरण

(मात्रा: मी. टन)
(मूल्य लाख रुपये में)

मद	देश	2005-06		2006-07		2007-08	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	यूएसए	6596.3	5368.5	13886.0	14408.1	14496.4	21149.9
	जर्मनी	1346.4	1649.3	1406.0	1633.1	1690.7	2741.2
	यूके	1977.5	1769.1	2002.6	2048.2	1817.8	2583.5
	कनाडा	1064.4	801.7	1106.7	1261.8	1397.0	2119.3
मिर्च	मलेशिया	26804.4	8955.9	43625.4	25133.2	51782.4	30520.7
	बंगलादेश	670.7	166.0	28424.6	15507.7	34678.9	16120.3
	श्रीलंका	27582.2	7482.2	21822.4	11228.6	29504.8	13501.1
	यूएसए	16579.7	8592.0	13058.2	8382.2	19712.6	12956.9
हल्दी	यूएई	7361.0	1963.5	7823.8	2042.4	5150.6	1442.7
	जापान	2608.3	1126.5	2631.9	1189.1	2797.1	1237.2
	यूएसए	2634.5	1425.1	2460.6	1378.8	2648.6	1206.2
	मलेशिया	2940.0	1028.5	2263.5	761.4	2895.4	910.5
धनिया	मलेशिया	7529.6	2366.5	5898.7	2188.0	5072.4	2111.5
	यूएई	328.4	712.3	3635.8	1091.1	4825.9	1849.1
	यूके	1691.1	598.5	1818.4	781.7	2245.9	1003.4
जीरा	यूएसए	1875.3	1582.4	3948.4	3182.5	3013.8	3202.8
	नेपाल	3065.6	2062.8	3055.5	2377.7	2919.1	3116.9
	यूएई	561.4	347.5	17675	1186.4	2840.7	2708.8
	यूके	1604.5	1324.2	1833.9	1568.8	1860.5	2115.1

चाय बागानों में जैव कृषि

573. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई चाय बागान धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरक से जैव कृषि की ओर उन्मुख हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप पैदावार में हुए सुधार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के चाय बागानों में जैव कृषि को बढ़ावा देने और चाय उद्योग में जैव कृषि में लगे श्रमिकों और चाय कम्पनियों को अतिरिक्त रियायतें मुहैया कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) मुख्यत: दार्जिलिंग तथा दक्षिण भारत स्थित कुछेक चाय बागान जैविक चाय का उत्पादन कर रहे हैं। इनके द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादित कुल जैविक चाय लगभग 10 मिलियन किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो भारत में उत्पादित कुल चाय का लगभग 1 प्रतिशत है। जिन बागानों ने जैविक चाय का उत्पादन शुरू किया है उनका अनुभव यह रहा है कि आरम्भिक वर्षों में उपज में कमी आती है जो कुछेक वर्षों बाद स्थिर हो जाती है।

(ग) से (ङ) जैविक चाय का उत्पादन करने वाले चाय बागानों को चाय बोर्ड द्वारा अपनी चल रही गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों से जैविक प्रमाणन की लागत के 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है जो प्रति प्रमाण-पत्र 1 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन है।

चाय बोर्ड में हाल ही में मौजूदा चाय बागानों के जैविक चाय बागानों में परिवर्तन सहित जैविक चाय उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी, तकनीकों एवं पद्धतियों के विकास के लिए साझा वस्तु निधि की वित्तीय सहायता से एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अन्य उद्देश्य आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षण देना एवं जैविक चाय की खेती हेतु सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करना है।

असम में लघु चाय उत्पादकों हेतु उर्वरकों की आपूर्ति

574. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में चाय के लघु उत्पादकों हेतु उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के इस दावे के बावजूद कि उर्वरकों की आपूर्ति रियायती दरों पर की जा रही है, चाय के लघु उत्पादकों को उर्वरक ऊंचे दामों में खरीदने पड़ते है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ङ) चाय के लघु उत्पादकों को रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) असम में चाय उत्पादकों की मांग को असम राज्य की समग्र जरूरत में शामिल किया जाता है और यही स्थिति आपूर्तियों के संबंध में भी है।

यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सरकार के आंशिक आवागमन तथा वितरण संबंधी विनियंत्रण के अधीन है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य स्तर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है और राज्य सरकारें राज्य के भीतर उसके वितरण के लिए जिम्मेवार होती हैं।

तथापि, उर्वरक विभाग द्वारा जिला स्तर तक उर्वरकों की उपलब्धता पर निगरानी रखी जाती है। यूरिया की लगभग 90,320 मी. टन की बिक्री को बनाए रखने के लिए खरीफ 2008 के दौरान 95,490 मी. टन यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त रही है।

वर्ष 1992 से अन्य सभी उर्वरकों (फास्फेटिक तथा पोटासिक) अर्थात् डीएपी, एमओपी, एसएसपी तथा एनपीके आदि को नियंत्रण मुक्त/सरणीयन मुक्त कर दिया गया है। फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजारी शक्तियों द्वारा निर्देशित होती है। राज्य सरकार से समय-समय पर यह अनुरोध किया गया था कि वह जरूरत के समय राज्य में किसानों के उपयोग हेतु भुगतान के साथ डीएपी जैसे नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की खरीद/प्रापण हेतु आर्डर प्रस्तुत करने के लिए राज्य की संस्थागत एजेंसी/विपणन परिसंघ को नामित करें। असम की राज्य सरकार नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की खरीद एवं वितरण हेतु आज की तारीख तक राज्य की संस्थागत एजेंसी को नामित नहीं कर सकी है।

जहां तक चाय के लघु उत्पादकों का संबंध हैं, उन्हें प्रचलित बाजार दर पर उर्वरकों की खरीद करनी होती है और चाय बोर्ड द्वारा सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

डी.ई.पी.बी. दरों का निर्यात पर प्रभाव

575. श्री काशीराम राणा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक (डीईपीबी) दरों में कटौती का निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशम, वस्त्र और सिलेसिलाए वस्त्रों सहित निर्यात की गयी विभिन्न मदों की मात्रा और उनके मूल्य का देशवार और मदवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डीईपीबी दरों में कटौती केवल कुछ बड़े निर्यातकों के लिए ही लाभकारी सिद्ध हुई है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (च) शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) स्कीम में निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर लागू मूल सीमाशुल्क को अधिसूचित दर पर निष्प्रभावी किया जाता है। अत: इस स्कीम के लाभ से अंतिम उत्पाद की लागत उस स्तर तक कम हो जाती है।

निर्यात का मदवार तथा देशवार ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी; खण्ड-1 (निर्यात) वार्षिक अंक" में दिया गया है, जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर

576. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
डा. आर. सेनथिल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी विद्यालयों में बाल और बालिकाओं हेतु प्राथमिक, मैट्रिक और सीनियर सैकेण्डरी स्तर पर नामांकन की राज्य-वार अलग-अलग दर क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में बाल और बालिकाओं हेतु बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर क्या है;

(ग) विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों का लिंगवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गुजरात सहित देश में उक्त अवधि के दौरान साक्षरता दर सहित बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों की राज्य-वार दर क्या है; और

(ङ) बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान स्कूलों में प्राथमिक (कक्षा 1-5), मिडिल (कक्षा-9-10), मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक (कक्षा-9-10) तथा वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा-6-7), स्तरों पर बालक-बालिकावार सकल नामांकन अनुपात को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-1, 2 तथा 3 में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान प्राथमिक (कक्षा 1-5), मिडिल (कक्षा 6-8) तथा मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक (कक्षा 1-10), स्तरों पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों के बाल-बालिका-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-4, 5 तथा 6 में दिए गए हैं।

(ग) स्कूल न जाने वाले बच्चों के बाल-बालिका-वार तथा राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-7 में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों सहित प्राथमिक (कक्षा 1-5), मिडिल (कक्षा 1-8) और माध्यमिक (कक्षा 1-10), स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-8 तथा 9 में दिए गए हैं।

(ङ) पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर को कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूली बुनियादी सुविधाओं में सुधार, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, वार्षिक स्कूल अनुदान का प्रावधान, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, शिक्षकों को नियमित सैक्षिक सहायता प्रदान करके स्कूलों को सुदृढ़ बनाना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए उपायों का उद्देश्य सामुदायिक सहयोग जुटाना, दुर्गम स्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए उदार स्कूली व्यवस्था करना, बालिकाओं और साथ ही विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर को कम करने संबंधी कार्यनीति को सम्पूरित करता है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 हेतु सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V			कक्षा VI-VIII			कक्षा IX-X			कक्षा XI-XII		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	87.42	88.03	87.72	67.10	62.49	64.86	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	115.35	103.47	109.56	67.99	59.06	63.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	असम	88.22	88.09	88.16	66.02	61.15	63.65	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	बिहार	80.20	64.20	72.57	30.64	19.21	25.33	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	छत्तीसगढ़	123.69	122.86	123.29	78.51	62.21	70.52	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	गोवा	100.30	95.50	97.96	104.77	97.55	101.23	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	गुजरात	117.67	108.62	113.41	81.88	57.40	70.40	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	हरियाणा	73.53	77.31	75.25	68.24	62.40	65.51	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	हिमाचल प्रदेश	106.10	106.88	106.47	99.91	96.49	98.24	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	जम्मू-कश्मीर	75.55	67.25	71.52	54.46	46.46	50.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	झारखंड	86.70	71.10	79.09	42.47	32.19	37.54	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	कर्नाटक	110.53	107.23	108.91	78.95	73.32	76.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	केरल	97.25	96.59	96.92	95.69	91.49	93.64	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	मध्य प्रदेश	112.11	100.68	106.59	71.78	53.88	63.30	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	महाराष्ट्र	108.32	106.84	107.60	89.41	85.52	87.55	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	मणिपुर	139.30	135.64	137.51	86.95	81.57	84.33	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	मेघालय	104.19	106.88	105.51	60.27	62.02	61.14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	मिजोरम	122.54	117.71	120.17	77.25	76.70	76.98	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	नागालैंड	80.95	79.97	80.48	43.56	45.85	44.66	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	उड़ीसा	114.23	1107.44	110.91	58.13	49.69	54.01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	पंजाब	71.04	76.38	73.45	59.31	60.93	60.06	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	राजस्थान	120.18	109.41	115.07	74.30	47.22	61.54	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23.	सिक्किम	116.54	116.48	116.51	52.02	61.63	56.75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24.	तमिलनाडु	117.47	115.49	116.51	102.28	98.44	100.41	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	त्रिपुरा	125.73	119.68	122.76	75.34	70.23	72.84	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	96.69	92.58	94.75	53.61	42.97	48.64	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	उत्तरांचल	106.10	107.66	106.85	81.08	79.59	80.36	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	107.45	107.21	107.33	65.90	62.57	64.28	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	118.78	113.23	116.05	100.13	91.41	95.85	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	चंडीगढ़	72.00	70.77	71.44	69.19	69.85	69.50	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31.	दादरा और नगर हवेली	133.92	117.88	126.06	95.75	66.08	81.64	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32.	दमन और दीव	111.66	111.01	111.35	100.85	94.11	97.62	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	दिल्ली	90.34	89.81	90.10	84.83	85.91	85.34	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	लक्षद्वीप	111.65	100.93	106.37	104.04	89.77	97.09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	पुडुचेरी	121.94	118.72	120.37	121.89	117.37	119.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	भारत	100.63	95.58	98.20	66.76	57.62	62.40	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

विवरण II

वर्ष 2004-05 हेतु सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V			कक्षा VI-VIII			कक्षा IX-X			कक्षा XI-XII		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	96.05	97.40	96.71	73.73	69.68	71.76	55.83	50.18	53.09	48.39	35.54	42.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	129.95	115.90	123.12	81.75	69.16	75.53	58.12	46.60	52.58	36.10	25.05	30.82
3.	असम	105.59	104.80	105.20	72.05	67.22	69.70	53.60	44.93	49.41	17.54	11.00	14.38
4.	बिहार	95.40	71.18	83.75	39.66	24.29	32.43	29.11	14.84	22.47	13.63	5.35	9.82
5.	छत्तीसगढ़	136.06	127.53	131.84	89.20	70.19	79.87	52.09	35.39	43.93	35.96	24.50	30.38
6.	गोवा	111.43	108.76	110.13	102.18	98.90	100.61	77.83	74.36	76.09	41.63	41.96	41.79
7.	गुजरात	126.44	109.86	118.65	80.39	66.27	73.77	62.12	47.52	55.30	23.95	19.32	21.78
8.	हरियाणा	80.00	84.90	82.23	77.68	74.85	76.39	56.41	48.77	52.94	35.91	32.03	34.16
9.	हिमाचल प्रदेश	109.27	108.49	108.90	109.85	107.04	108.50	140.75	128.57	134.89	130.67	124.63	127.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू-कश्मीर	84.41	82.98	83.72	64.87	55.39	60.28	47.66	38.31	43.15	30.13	24.98	27.63
11.	झारखंड	102.91	86.34	94.80	49.41	36.98	43.41	31.60	20.90	26.49	2.88	1.97	2.45
12.	कर्नाटक	108.40	105.73	107.10	87.64	83.19	85.47	60.78	57.17	59.03	34.76	32.88	33.85
13.	केरल	93.53	93.69	93.61	100.91	95.38	98.19	92.76	93.63	93.19	25.90	29.83	27.85
14.	मध्य प्रदेश	135.35	128.74	132.16	89.41	76.52	83.29	55.33	34.73	45.66	29.93	20.03	25.33
15.	महाराष्ट्र	110.34	110.40	110.37	98.96	97.09	98.08	70.70	66.89	68.91	45.39	38.80	42.32
16.	मणिपुर	154.41	148.88	151.69	97.72	91.53	94.69	73.46	72.20	72.84	26.49	20.81	23.65
17.	मेघालय	145.34	149.95	147.62	72.08	80.96	76.45	41.58	45.01	43.28	23.84	22.86	23.36
18.	मिजोरम	132.25	122.71	127.53	82.19	81.33	81.77	63.31	67.50	65.35	25.14	23.83	24.48
19.	नागालैंड	88.68	87.15	87.94	55.68	55.50	55.60	26.74	27.19	26.96	16.25	15.12	15.71
20.	उड़ीसा	131.89	127.37	129.69	78.82	69.21	74.11	58.61	48.69	53.73	45.01	20.51	32.92
21.	पंजाब	74.49	80.52	77.20	63.78	67.40	65.42	50.21	52.97	51.47	28.20	27.48	27.87
22.	राजस्थान	125.40	116.66	121.24	84.82	54.80	70.67	57.98	27.94	43.91	28.58	13.60	21.59
23.	सिक्किम	144.46	142.71	143.58	61.50	72.16	66.70	40.46	42.35	41.41	26.24	25.31	25.78
24.	तमिलनाडु	119.52	117.23	118.41	109.22	104.66	107.00	82.89	78.32	80.66	42.65	45.14	43.87
25.	त्रिपुरा	133.67	128.26	131.03	80.65	75.55	78.16	59.23	55.43	57.39	23.04	17.50	20.32
26.	उत्तर प्रदेश	110.63	104.15	107.54	57.82	46.29	52.43	59.47	36.70	48.92	25.03	20.43	22.93
27.	उत्तराखण्ड	117.02	118.52	117.74	88.23	87.92	88.08	85.63	68.19	77.27	40.27	36.49	38.45
28.	पश्चिम बंगाल	112.92	111.27	112.11	69.43	63.31	66.46	45.56	37.10	41.46	24.68	17.15	21.07
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	109.75	107.90	108.85	103.68	109.87	106.50	91.30	84.61	87.96	24.54	28.48	26.35
30.	चंडीगढ़	77.80	69.94	74.01	65.35	72.75	68.57	59.64	65.63	62.30	44.44	53.15	48.29
31.	दादरा और नगर हवेली	139.12	129.49	134.50	89.90	66.64	79.05	66.64	51.55	59.93	22.84	17.28	20.06
32.	दमन और दीव	144.93	127.08	136.01	108.63	127.17	116.57	120.85	103.80	112.33	33.77	37.65	35.32
33.	दिल्ली	89.83	99.72	94.42	82.61	93.54	87.59	61.35	68.32	64.51	37.56	43.34	40.17
34.	लक्षद्वीप	62.27	55.26	58.78	57.45	60.40	58.71	78.65	68.80	73.73	20.83	28.30	23.82
35.	पुदुचेरी	141.30	122.70	131.64	112.96	103.48	108.22	98.16	106.87	102.29	53.35	50.52	51.83
	भारत	110.70	104.67	107.80	74.30	65.13	69.93	57.39	45.28	51.65	30.82	24.46	27.82

विवरण III

वर्ष 2005-06 हेतु सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V			कक्षा VI-VIII			कक्षा IX-X			कक्षा XI-XII		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	94.39	95.35	94.87	75.49	72.26	73.91	58.90	54.41	56.72	46.52	35.45	41.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	138.99	124.94	132.16	87.69	74.35	81.10	60.69	48.87	55.01	33.62	24.10	29.06
3.	असम	107.75	107.17	107.11	75.37	70.17	72.83	53.59	45.87	49.36	17.38	10.98	14.30
4.	बिहार	99.21	74.36	87.20	41.28	26.48	34.27	28.85	15.63	22.67	11.40	6.02	8.92
5.	छत्तीसगढ़	137.72	106.49	122.26	73.84	64.27	69.13	45.26	32.35	38.94	27.78	19.55	23.78
6.	गोवा	109.80	105.56	107.74	100.41	95.47	98.04	75.88	74.29	75.09	39.68	40.79	40.23
7.	गुजरात	127.24	110.63	119.44	81.12	66.45	74.24	60.59	45.45	53.49	28.62	21.98	25.51
8.	हरियाणा	78.21	81.29	79.61	74.93	74.70	74.83	53.45	51.21	52.43	34.82	28.71	32.04
9.	हिमाचल प्रदेश	118.53	109.29	108.89	109.19	106.37	107.84	140.75	128.57	134.89	129.71	126.58	128.20
10.	जम्मू-कश्मीर	103.10	97.69	100.49	70.01	57.60	64.00	47.81	38.39	43.49	30.23	25.86	28.11
11.	झारखंड	112.90	97.21	105.19	52.05	39.07	45.77	32.61	21.73	37.39	3.73	2.63	3.20
12.	कर्नाटक	107.35	104.99	106.19	86.07	83.14	84.64	58.33	55.82	57.11	34.58	32.24	33.45
13.	केरल	93.70	94.01	93.85	100.29	95.50	97.94	93.50	93.09	93.30	34.61	38.79	36.67
14.	मध्य प्रदेश	146.65	140.49	143.67	97.51	85.26	91.67	57.83	37.02	48.01	31.86	21.25	26.91
15.	महाराष्ट्र	113.34	111.26	112.34	99.84	101.52	100.64	71.18	69.71	70.49	46.89	39.12	43.25
16.	मणिपुर	160.94	154.79	157.92	100.98	94.32	97.72	74.46	74.41	74.44	26.82	21.02	23.92
17.	मेघालय	163.69	161.01	162.37	83.76	88.98	86.34	43.64	47.64	45.60	26.58	25.41	25.99
18.	मिजोरम	170.53	167.54	169.06	118.09	117.88	117.99	59.64	62.71	61.14	24.94	23.04	23.99
19.	नागालैंड	89.57	88.01	88.82	59.11	61.62	60.31	29.88	32.88	31.30	17.64	16.35	17.03
20.	उड़ीसा	119.78	116.43	118.15	68.41	60.54	64.55	57.90	48.67	53.37	44.07	19.93	32.19
21.	पंजाब	74.92	80.58	77.46	66.16	69.19	67.53	48.97	50.74	49.77	30.68	29.09	29.95
22.	राजस्थान	124.69	118.40	121.69	87.27	59.45	74.12	58.70	31.42	45.89	29.21	14.31	22.25
23.	सिक्किम	153.37	148.92	151.15	68.68	80.35	74.38	43.25	44.25	44.25	26.11	25.81	25.96
24.	तमिलनाडु	120.59	119.53	120.07	108.49	105.04	106.81	83.81	81.37	82.62	42.90	48.04	45.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	त्रिपुरा	147.10	139.45	143.35	82.84	82.15	82.50	59.92	56.29	58.16	23.95	18.50	21.32
26.	उत्तर प्रदेश	114.20	106.61	110.57	58.74	46.56	53.02	59.39	36.52	48.77	24.68	19.83	22.45
27.	उत्तराखण्ड	118.39	121.53	119.89	89.47	90.33	89.88	86.36	73.99	80.44	44.22	43.07	43.67
28.	पश्चिम बंगाल	106.75	103.01	104.91	70.97	62.22	66.71	49.21	39.81	44.66	30.68	21.43	26.23
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	101.59	101.66	101.62	100.41	107.20	103.50	93.64	84.69	89.16	27.07	29.96	28.45
30.	चंडीगढ़	84.43	73.82	79.31	66.23	79.58	67.69	60.77	67.53	63.77	48.31	53.31	50.58
31.	दादरा और नगर हवेली	146.48	140.60	143.66	94.44	70.77	83.39	67.74	51.48	60.51	25.14	22.08	23.78
32.	दमन और दीव	144.15	125.92	135.03	118.55	134.53	125.40	115.70	101.10	108.40	54.35	48.35	51.35
33.	दिल्ली	112.84	117.77	115.13	90.66	97.30	93.68	59.43	67.23	62.99	39.73	45.34	42.29
34.	लक्षद्वीप	64.45	60.12	62.28	57.95	67.87	62.20	74.25	61.00	67.63	25.07	41.75	31.74
35.	पुडुचेरी	143.37	125.83	134.26	112.05	102.21	107.13	102.43	109.75	105.89	55.66	53.59	54.55
	भारत	112.80	105.75	109.40	75.15	66.41	70.98	57.60	46.20	52.19	31.43	25.17	28.47

विवरण IV

वर्ष 2003-04 के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	42.42	42.80	42.61	57.93	61.78	59.79	65.08	68.53	66.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.07	46.67	46.34	64.38	62.46	63.52	71.40	73.02	72.09
3.	असम	54.70	51.36	53.15	69.54	72.41	70.81	75.07	74.57	74.84
4.	बिहार	59.05	58.99	59.03	77.00	79.62	78.03	80.97	85.36	82.58
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	-5.53	1.91	-1.90	6.15	12.91	9.43	37.64	38.26	37.94
7.	गुजरात	27.42	24.17	26.02	45.09	49.48	46.94	62.38	63.96	63.05
8.	हरियाणा	13.24	13.39	13.31	19.03	23.92	21.26	19.37	34.85	26.54
9.	हिमाचल प्रदेश	15.87	18.15	16.98	13.29	15.32	14.28	31.85	33.03	32.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू-कश्मीर	36.04	37.44	36.65	51.26	41.87	47.49	60.51	49.93	60.26
11.	झारखंड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	10.10	9.36	9.75	50.29	50.54	50.59	59.67	61.16	60.38
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	-12.55	-6.40	-9.54	12.13	4.88	8.58
14.	मध्य प्रदेश	24.74	22.58	23.78	44.41	49.99	46.81	58.97	70.29	63.81
15.	महाराष्ट्र	12.40	13.81	13.07	30.71	36.01	33.25	50.22	54.11	52.06
16.	मणिपुर	26.42	26.41	26.41	31.52	29.59	30.61	51.55	46.11	49.02
17.	मेघालय	53.92	52.91	53.42	70.67	71.59	71.13	83.52	82.95	83.24
18.	मिजोरम	55.95	55.23	55.61	65.18	63.08	64.19	72.08	67.18	69.74
19.	नागालैंड	31.43	34.27	32.81	46.76	42.73	44.83	71.85	72.10	71.97
20.	उड़ीसा	41.19	34.36	38.19	64.58	57.51	61.72	66.13	62.59	64.72
21.	पंजाब	23.60	20.21	22.03	35.13	35.26	35.19	42.57	44.42	43.45
22.	राजस्थान	59.29	55.83	57.94	64.64	73.87	68.50	71.63	81.78	75.47
23.	सिक्किम	56.93	50.69	53.85	76.63	69.62	73.29	81.80	79.71	80.82
24.	तमिलनाडु	3.42	3.04	3.23	25.35	24.92	25.15	60.81	56.45	58.82
25.	त्रिपुरा	45.07	44.50	44.80	62.64	66.10	64.29	74.77	73.78	74.31
26.	उत्तर प्रदेश	23.03	-1.91	13.51	44.96	39.48	42.84	40.75	49.42	44.10
27.	उत्तराखण्ड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	34.12	32.73	33.46	62.72	64.92	63.77	76.37	84.44	80.24
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-1.10	0.47	-0.35	18.67	19.07	18.86	53.44	47.67	50.68
30.	चंडीगढ़	-7.94	1.25	-3.62	-1.23	-2.91	-2.03	14.57	9.27	12.13
31.	दादरा और नगर हवेली	21.38	36.55	28.40	35.81	56.61	45.24	70.97	74.31	72.48
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	12.05	23.14	17.36	50.29	50.62	50.45
33.	दिल्ली	15.71	28.73	22.03	26.43	29.02	27.71	44.12	48.56	46.30
34.	लक्षद्वीप	0.00	1.09	3.03	-1.35	11.66	4.90	47.51	36.53	42.24
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	-3.20	-6.11	-4.60	25.72	20.04	22.96
	भारत	33.74	28.57	31.47	51.85	52.92	52.32	60.98	64.92	62.69

*पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर अलग-अलग मूल राज्यों के साथ ही दर्शाई गई है।

विवरण V

वर्ष 2004-05 के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	31.77	32.14	31.95	57.72	61.08	59.36	62.30	65.24	63.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	48.01	46.85	63.23	61.90	62.63	69.59	72.30	70.79
3.	असम	51.58	48.34	50.07	72.41	74.60	73.38	75.18	74.69	74.96
4.	बिहार	53.37	48.62	51.59	73.57	76.44	74.69	81.46	85.64	83.06
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	0.00	6.26	2.43	4.28	9.69	6.90	42.66	38.52	40.65
7.	गुजरात	35.72	34.27	35.09	43.63	50.00	46.34	58.01	61.05	59.29
8.	हरियाणा	5.04	4.54	4.81	19.86	29.61	24.51	28.01	37.72	32.48
9.	हिमाचल प्रदेश	5.78	9.82	7.74	13.48	18.36	15.89	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	40.92	31.80	36.92	39.72	37.02	38.57	54.63	52.53	53.75
11.	झारखंड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	16.25	15.49	15.88	49.81	50.21	49.99	59.71	58.99	59.38
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	3.52	7.15
14.	मध्य प्रदेश	11.12	9.13	10.21	43.09	45.07	43.95	60.48	70.31	64.70
15.	महाराष्ट्र	6.60	6.81	6.70	26.46	31.74	28.99	52.11	56.40	54.16
16.	मणिपुर	29.71	32.74	31.18	34.47	30.91	32.80	46.04	39.58	43.02
17.	मेघालय	51.77	48.15	49.97	65.99	62.43	64.21	79.64	78.65	79.15
18.	मिजोरम	50.84	48.71	49.84	68.99	64.34	66.84	69.52	64.11	66.95
19.	नागालैंड	41.79	43.66	42.69	41.09	43.93	42.49	66.98	67.63	67.29
20.	उड़ीसा	42.60	35.17	39.34	65.56	56.64	61.95	66.40	61.46	64.42
21.	पंजाब	27.42	19.91	23.96	32.64	34.82	33.67	43.68	44.49	44.06
22.	राजस्थान	58.92	52.90	56.59	60.85	71.33	65.34	69.33	80.72	73.87
23.	सिक्किम	52.01	46.80	49.44	72.48	70.02	71.22	83.34	81.15	82.30
24.	तमिलनाडु	1.94	-0.14	0.94	24.62	23.24	23.96	57.27	52.71	55.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	त्रिपुरा	43.76	42.58	43.20	62.05	66.42	64.15	73.58	73.11	73.36
26.	उत्तर प्रदेश	21.80	-3.78	12.06	43.71	39.18	41.94	40.49	48.99	43.77
27.	उत्तराखण्ड*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	43.23	44.10	43.65	63.70	63.55	63.63	75.92	80.34	78.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.03	3.36	3.72	8.98	12.03	10.44	38.55	35.30	36.97
30.	चंडीगढ़	1.46	3.91	2.59	17.03	9.14	13.40	17.69	15.63	16.73
31.	दादरा और नगर हवेली	21.37	36.10	28.23	44.81	60.55	51.95	64.23	70.60	67.06
32.	दमन और दीव	1.51	0.06	0.84	12.91	21.29	17.03	41.62	45.36	43.43
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	27.71	28.53	28.12	45.04	48.84	46.92
34.	लक्षद्वीप	0.77	14.51	7.62	2.91	31.24	16.41	19.16	18.57	18.88
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	15.47	16.89
	भारत	31.81	25.12	29.00	50.49	51.28	50.84	60.41	63.88	61.92

*पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर अलग-अलग मूल राज्यों के साथ ही दर्शाई गई है।

विवरण VI

वर्ष 2005-06 के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	24.64	24.87	24.75	57.81	60.40	59.07	62.24	65.20	63.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.10	39.13	38.02	54.05	54.19	54.11	69.01	71.78	70.25
3.	असम	49.71	45.56	47.78	72.60	74.60	73.48	76.97	76.26	76.66
4.	बिहार	47.37	45.25	46.55	72.30	75.00	73.37	81.40	85.64	83.07
5.	छत्तीसगढ़*	35.24	35.13	35.18	-	-	-	-	-	-
6.	गोवा	-4.46	5.52	0.37	1.99	8.08	4.95	44.36	41.22	42.84
7.	गुजरात	39.62	17.82	31.58	42.57	51.45	46.41	58.57	62.59	60.27
8.	हरियाणा	7.27	3.14	5.40	7.80	13.79	10.63	41.21	43.77	42.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हिमाचल प्रदेश	10.03	11.40	10.69	8.70	13.02	10.82	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	16.34	5.31	11.58	44.13	28.45	38.14	65.61	61.31	63.88
11.	झारखंड*	48.55	52.22	50.18	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	16.65	14.25	15.50	44.34	45.37	44.83	61.58	60.04	60.86
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	2.42	4.98
14.	मध्य प्रदेश	1.70	-1.39	0.29	42.22	42.45	42.32	61.33	69.91	65.01
15.	महाराष्ट्र	2.32	8.22	5.14	24.42	22.49	23.50	49.08	53.85	51.36
16.	मणिपुर	29.84	32.36	31.06	36.34	35.56	35.97	44.42	39.09	41.91
17.	मेघालय	42.81	41.95	42.38	65.96	62.06	64.02	78.66	77.53	78.09
18.	मिजोरम	33.91	28.96	31.58	66.20	63.40	64.86	75.64	71.59	73.73
19.	नागालैंड	37.38	39.53	38.43	37.45	38.77	38.10	65.99	64.99	65.51
20.	उड़ीसा	46.06	34.53	41.20	64.83	59.49	62.63	67.87	60.85	65.03
21.	पंजाब	25.71	21.33	23.66	31.42	34.71	32.98	45.82	46.25	46.02
22.	राजस्थान	57.20	45.94	52.84	55.72	64.64	59.47	71.36	81.80	75.73
23.	सिक्किम	22.66	12.71	17.84	65.95	60.30	63.17	83.79	81.37	82.63
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	20.84	23.45	22.11	43.60	41.20	42.45
25.	त्रिपुरा	28.94	28.56	28.76	56.83	54.82	55.88	74.50	75.31	74.89
26.	उत्तर प्रदेश	20.15	-7.42	9.76	42.99	38.53	41.25	39.66	48.34	43.02
27.	उत्तराखण्ड*	23.44	31.40	27.42	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	37.67	39.73	38.67	61.16	63.88	62.45	72.82	77.68	75.12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.27	11.83	11.54	10.55	14.46	12.44	34.19	32.19	33.24
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	41.34	40.12	40.79	17.23	16.94	17.09
31.	दादरा और नगर हवेली	19.81	29.76	24.44	30.94	51.10	40.24	53.24	66.80	59.39
32.	दमन और दीव	0.58	4.75	2.56	3.15	11.87	7.34	33.03	36.86	34.87
33.	दिल्ली	0.98	9.48	5.10	12.54	20.22	16.34	46.37	46.15	46.26
34.	लक्षद्वीप	8.39	11.95	10.08	5.89	9.42	7.57	23.99	18.10	21.17
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	9.55	13.69
	भारत	28.71	21.77	25.67	48.67	48.98	48.80	60.10	63.56	61.62

*पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर अलग-अलग मूल राज्यों के साथ ही दर्शाई गई है।

विवरण VII

31.3.2008 की स्थितिनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चे (6-14 आयु समूह)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V		
		बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	130112	154861	284973
2.	अरुणाचल प्रदेश	10733	11337	22070
3.	असम	178281	160819	339100
4.	बिहार	493127	517603	1010730
5.	छत्तीसगढ़*	84891	84862	169753
6.	गोवा	873	1096	1969
7.	गुजरात	79834	73245	153079
8.	हरियाणा	76499	84337	160836
9.	हिमाचल प्रदेश	1984	2091	4075
10.	जम्मू-कश्मीर	31309	36741	68050
11.	झारखंड*	71060	72083	143143
12.	कर्नाटक	36561	36406	72967
13.	केरल	11946	7352	19298
14.	मध्य प्रदेश	92521	88903	181424
15.	महाराष्ट्र	37070	33017	70087
16.	मणिपुर	25108	27972	53080
17.	मेघालय	14267	12761	27028
18.	मिजोरम	6113	5807	11920
19.	नागालैंड	17121	18264	35385
20.	उड़ीसा	177152	173551	350703
21.	पंजाब	53565	46892	100457
22.	राजस्थान	71221	84117	155338
23.	सिक्किम	1017	822	1839
24.	तमिलनाडु	43397	43017	86414

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	2049	2052	4101
26.	उत्तर प्रदेश	247728	226321	474049
27.	उत्तराखण्ड*	7558	8338	15896
28.	पश्चिम बंगाल	235787	220428	456215
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	2832	2933	5765
31.	दादरा और नगर हवेली	122	301	423
32.	दमन और दीव	85	71	156
33.	दिल्ली	12810	10718	23528
34.	लक्षद्वीप	80	76	156
35.	पुडुचेरी	636	414	1050
	भारत	2255449	2249608	4505057

स्रोत: सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2008-09

विवरण VIII

अनुसूचित जाति के छात्रों की साक्षरता और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश		पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर								
			2003-04			2004-05			2005-06		
		साक्षरता दर 2001 जनगणना	I-V	I-VIII	I-X	I-V	I-VIII	I-X	I-V	I-VIII	I-X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	53.52	45.09	66.05	73.41	33.58	64.83	70.39	25.49	64.51	70.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	67.64	26.98	52.54	59.26	20.00	38.18	17.07	31.58	37.74	40.68
3.	असम	66.78	56.00	67.44	70.90	53.15	70.30	71.01	49.78	70.43	72.15
4.	बिहार	28.47	46.36	83.85	90.02	54.83	81.84	90.61	51.62	80.07	90.52
5.	छत्तीसगढ़*	63.96	–	–	–	–	–	–	23.44	–	–
6.	गोवा	71.92	33.10	42.53	58.52	56.10	65.72	78.71	10.33	52.48	76.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	गुजरात	70.50	26.44	48.43	74.78	24.37	47.34	63.90	24.97	44.82	63.25
8.	हरियाणा	55.45	19.58	43.20	57.70	14.63	42.13	65.11	7.55	32.16	64.85
9.	हिमाचल प्रदेश	70.31	15.27	31.33	48.06	16.53	33.24	48.09	15.44	26.61	50.28
10.	जम्मू-कश्मीर	59.03	25.78	33.80	61.99	26.25	23.56	60.29	27.56	17.70	55.79
11.	झारखंड*	37.56	–	–	–	–	–	–	47.96	–	–
12.	कर्नाटक	52.87	9.97	38.62	66.66	19.95	47.32	65.04	19.47	50.26	65.87
13.	केरल	82.66	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00	16.31
14.	मध्य प्रदेश	58.57	20.48	44.37	75.08	15.39	40.45	66.23	3.58	37.77	65.92
15.	महाराष्ट्र	71.90	17.59	33.98	53.59	7.65	29.76	56.38	4.28	26.31	53.90
16.	मणिपुर	72.32	25.51	0.00	19.14	31.62	0.00	1.16	27.26	0.00	–
17.	मेघालय	56.27	58.72	68.84	77.02	49.41	62.37	75.48	45.19	67.16	74.24
18.	मिजोरम	89.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	55.53	43.81	65.26	73.55	44.58	66.00	71.20	29.60	67.55	71.87
21.	पंजाब	56.22	31.37	53.19	64.27	29.20	52.46	65.69	31.67	50.75	65.75
22.	राजस्थान	52.24	47.69	73.87	81.76	55.83	71.97	80.74	51.52	64.34	82.74
23.	सिक्किम	63.04	52.99	76.98	89.56	48.55	75.49	85.23	10.02	66.69	84.95
24.	तमिलनाडु	63.19	26.95	41.09	63.71	13.66	26.98	62.23	1.17	19.49	46.50
25.	त्रिपुरा	74.68	35.87	65.41	77.55	35.26	66.20	70.02	12.39	35.23	74.91
26.	उत्तर प्रदेश	46.27	49.84	67.96	79.93	30.60	57.17	72.92	47.29	56.70	72.56
27.	उत्तराखण्ड*	63.40	–	–	–	–	–	–	38.37	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	59.04	37.25	66.80	77.11	54.93	72.55	80.25	46.09	71.77	54.66
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	67.66	9.58	55.57	84.44	10.20	57.53	83.83	0.00	52.76	74.34
31.	दादरा और नगर हवेली	78.25	17.07	26.13	45.16	11.51	21.77	31.68	13.67	15.20	26.13
32.	दमन और दीव	85.13	0.00	0.00	31.54	0.00	3.05	3.11	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	70.85	41.62	0.00	76.75	4.95	0.00	69.15	4.92	45.77	23.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	पुडुचेरी	69.12	0.00	0.00	23.97	1.95	0.00	22.89	0.00	0.00	19.05
	भारत	54.69	36.56	59.42	73.13	34.21	57.26	71.25	33.79	55.25	70.54

*पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर अलग-अलग मूल राज्यों के साथ ही दर्शाई गई है।

विवरण IX

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की साक्षरता और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर	2003-04			2004-05			2005-06		
			I-V	I-VIII	I-X	I-V	I-VIII	I-X	I-V	I-VIII	I-X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	37.04	65.76	79.33	84.83	54.04	78.81	82.87	49.73	78.51	81.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.62	48.48	68.09	76.69	47.83	67.37	74.05	45.61	58.00	74.47
3.	असम	62.52	57.80	73.25	76.94	54.98	75.53	77.18	52.42	75.73	77.77
4.	बिहार	28.17	61.22	82.84	89.05	60.82	76.20	88.96	48.00	74.15	88.27
5.	छत्तीसगढ़*	52.09	–	–	–	–	–	–	33.29	–	–
6.	गोवा	55.88	–	–	–	0.00	0.00	0.00	–	–	–
7.	गुजरात	47.74	39.35	67.41	81.45	48.80	67.08	74.36	50.29	64.70	72.79
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	65.50	10.83	20.29	46.41	3.40	17.01	40.35	0.00	1.46	28.21
10.	जम्मू-कश्मीर	37.46	41.76	45.45	75.03	0.00	0.00	71.79	24.07	37.55	61.48
11.	झारखंड*	40.46	–	–	–	–	–	–	59.55	–	–
12.	कर्नाटक	48.27	4.92	55.19	61.61	7.97	47.56	63.17	9.95	43.46	66.50
13.	केरल	64.35	7.75	35.45	53.43	4.34	22.26	52.87	1.78	11.64	51.10
14.	मध्य प्रदेश	41.16	36.89	58.80	74.51	13.07	48.04	76.92	0.00	44.13	76.25
15.	महाराष्ट्र	55.21	38.38	61.91	76.18	32.35	58.42	78.26	17.47	49.27	75.90
16.	मणिपुर	65.85	46.96	61.56	78.98	51.00	57.16	72.18	51.58	59.51	71.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	61.34	55.60	76.27	86.67	50.80	69.55	82.43	43.39	66.98	81.11
18.	मिजोरम	89.34	55.21	63.64	69.55	49.79	66.28	66.64	36.00	64.12	73.75
19.	नागालैंड	65.95	34.95	59.34	67.33	38.78	42.93	68.75	37.42	32.03	64.21
20.	उड़ीसा	37.37	61.20	76.52	83.58	58.62	80.06	83.24	63.05	80.74	82.15
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	44.66	47.80	74.00	81.53	56.22	69.14	75.30	54.23	59.51	81.91
23.	सिक्किम	67.14	12.60	49.74	74.52	24.47	44.49	67.62	3.42	25.90	67.52
24.	तमिलनाडु	41.53	15.37	32.73	61.49	11.67	35.31	59.68	32.34	51.51	71.78
25.	त्रिपुरा	56.48	59.56	80.82	86.47	58.84	81.40	85.99	41.13	70.13	84.03
26.	उत्तर प्रदेश	35.13	23.11	33.07	52.11	22.70	23.29	53.32	69.62	29.65	54.18
27.	उत्तराखण्ड*	63.23	–	–	–	–	–	–	29.47	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	43.40	62.41	83.05	78.80	48.40	78.47	87.90	55.84	78.83	86.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	66.79	2.97	26.03	51.52	7.62	22.87	51.85	22.24	34.47	28.57
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	41.24	35.99	53.42	79.45	33.34	59.01	74.11	29.03	48.80	66.81
32.	दमन और दीव	63.42	-0.41	31.81	76.69	1.28	38.30	78.94	0.00	33.97	62.71
33.	दिल्ली	–	80.62	80.49	78.83	0.00	0.00	23.37	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	86.14	3.03	-1.38	42.98	4.50	0.00	19.07	9.15	7.26	16.49
35.	पुडुचेरी	–	0.00	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–
	भारत	47.10	48.93	70.05	79.25	42.32	65.87	78.97	39.79	62.95	78.76

*पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर अलग-अलग मूल राज्यों के साथ ही दर्शाई गई है।

[अनुवाद]

आई.पी.टी.वी. हेतु दिशानिर्देश

577. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटररेट प्रोटोकाल टेलीविज़न (आईपीटीवी) को व्यवसायिक रूप से प्रारंभ करने की नीतिगत दिशानिर्देश को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टी.वी. चैनलों हेतु डाउनलिंकिंग/अपलिंकिंग में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दिशानिर्देशों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) आई.पी.टी.वी. सेवाओं के दिशा-निर्देशों में मानीटरिंग प्रणाली और विनियामक ढांचे को स्पष्ट किया गया है और इनमें अन्य के साथ-साथ विषय-वस्तु संहिता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और तकनीकी प्रावधानों का निर्धारण है जिनका आई.पी.टी.वी. सेवा प्रचालकों द्वारा अनुपालन किया जाना है। दिनांक 8.9.2008 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां। सरकार ने प्रसारकों द्वारा अपने चैनल/विषय-वस्तु आई.पी.टी.वी. सेवा प्रचालकों को मुहैया कराने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के खंड 5.6 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए दिनांक 8.9.2008 को आदेश जारी कर दिया गया है जो कि इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विषाणु और आनुवांशिक नमूनों का आदान-प्रदान

578. डा. आर. सेनथिल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत टीका अनुसंधान तथा विषाणु और अन्य आनुवांशिक नमूनों का आदान-प्रदान करने के क्षेत्र में विदेशी संस्थानों को सहयोग देता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान जिन संस्थानों को विषाणु और आनुवांशिक नमूनों का हस्तांतरण किया गया उनके नाम, तारीख और उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन शर्तों पर नमूने हस्तांतरित किए गए हैं उनमें भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारतीय संस्थाओं के साथ अनुसंधान परिणामों के आदान-प्रदान की शर्त शामिल है; और

(घ) हस्तांतरित नमूनों और अनुसंधान के निष्कर्षों पर बौद्धिक संपदा स्वामित्व किसका होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्विपक्षीय कार्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टीकाद्रव्य अनुसंधान के क्षेत्र में जिसे भारत-संयुक्त अमेरिका टीकाद्रव्य कार्रवाई कार्यक्रम कहा जाता है, जो कि जुलाई, 1988 से कार्यान्वित किया जा रहा है, विदेशों/संस्थाओं के साथ सहयोग कर रहा है। रोटा विषाणु, मलेरिया, ऊतक प्रतिरक्षा अल्पता विषाणु (एचआईवी), यकृत शोथ (हेपाटाइटिस), लीशमैनिया, श्वसनीय बहुकेन्द्रकी विषाणु, यक्ष्मा (टीबी), हैजा इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न संयुक्त परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं। स्थितिज मिश्रण टीकाद्रव्य, रोटा विषाणु और मलेरिया के लिए विकसित किए गए। फिर भी, कोई विषाणु अथवा आनुवांशिक उदाहरणों का आदान-प्रदान नहीं किया गया।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) के दृष्टिकोण से, कोई प्रश्न नहीं उठता।

आपात स्थिति से निपटने की तैयारी

579. श्री फ्रांसिस फेन्थम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर बम धमाकों के बाद स्ट्रेचर, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि सहित उपयोग किए जाने वाले राहत उपकरणों/उपायों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सभी पुलिस स्टेशन इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त उपकरणों और कर्मियों से सुसज्जित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है कि आतंकी हमले के समय पीड़ितों और राहतकर्मियों को उचित उपकरण मुहैया कराए जाएं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं की गई है। जब कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने तथा चिकित्सा सहायता आदि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त उपाए किये जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सेना आदि सहित विभिन्न अन्य एजेंसियों/संगठनों से भी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जब भी आवश्यक हो सहायता प्राप्त की जा सकती है।

चीन से आयात

580. श्री जुएल ओराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पाटन शुल्क के बावजूद चीन से बस और ट्रक के टायरों सहित विभिन्न मदों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत और चीन के बीच इन मदों की कीमतों में कितना अंतर है;

(घ) यदि दोनों देशों के बीच कीमतों में बहुत अधिक अंतर नहीं है तो क्या सरकार का विचार इन मदों का आयात बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य न्यायसंगत व्यापार को सुनिश्चित करना है न कि आयातों को प्रतिबंधित करना। अत: आयातों को पाटनरोधी शुल्क सहित लागू सीमाशुल्क के भुगतान पर जारी रखा जा सकता है जो टायर विनिर्माताओं सहित घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ग) चीन में प्रचलित कीमत संबंधी सूचना के अभाव में कीमतों में अंतर को सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) कीमत अंतर के आधार पर इन श्रेणियों के अंतर्गत आयातों पर प्रतिबंध लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्द्धन संगठन

581. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान व्यापार मेले/प्रदर्शनियों के रख-रखाव/तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्द्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा किए गए खर्च का शीर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) किराए विज्ञापनों और मंडप किराए अर्जित राजस्व सहित उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों से आईटीपीओ द्वारा अर्जित आय/राजस्व का शीर्षवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) गत तीन वर्षों में इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) द्वारा विद्युत/जल प्रभार आदि सहित प्रगति मैदान परिसर के अनुरक्षण पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

		2005-06	2006-07	2007-08
1.	विद्युत/जल प्रभारों आदि सहित प्रगति मैदान परिसर के अनुरक्षण पर व्यय	19.82	20.10	20.08
2.	गत तीन वर्षों के दौरान भारत में व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों की तैयारी पर व्यय	9.96	9.55	10.58
	कुल	29.78	29.65	30.66

(ख) ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों से आईटीपीओ को हुई आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

		2005-06	2006-07	2007-08
1.	पैवेलियनों के किराए सहित स्थान के किराए से आय	92.80	70.33	116.87
2.	विज्ञापनों से तथा कम्पनी प्रोफाइल प्रभारों आदि से आय	0.70	0.52	0.68
3.	अन्य वसूलियां/आय	18.93	16.20	17.07
	कुल	112.43	87.05	134.62

चालू वर्ष के लिए आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

दिल्ली में सड़कों की स्थिति

582. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुछ सड़कों की स्थिति खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सड़कों की मरम्मत के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में ज्यादातर सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं। सड़कों के टूटने में मुख्य कारण 2008 में हुई भारी वर्षा, पानी इकट्ठा होना, उपयोग एजेंसियों द्वारा सड़कों को काटना, अस्थायी अतिक्रमण, भवन निर्माण सामग्री को सड़कों पर डालना इत्यादि है। सड़कों को सही स्थिति में रखने हेतु उनकी तुरंत मरम्मत की जाती है।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि रोकने हेतु प्रयास

583. श्री संतोष गंगवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जिन उत्पादों पर मूल्य वृद्धि के मद्देनजर आयात शुल्क में छूट दी गयी है तथा उन उत्पादों जिनका आयात इसके चलते पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है उनका देश/राज्यवार, उत्पादवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त उपायों से मूल्य वृद्धि को किस सीमा तक रोका जा सकता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) (1) उन उत्पादों का ब्यौरा जिनके संबंध में आयात शुल्क छूट प्रदान की गई है, वर्ष-वार निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादों का ब्यौरा
2006-07	गेहूं, दालें, अपरिष्कृत एवं परिष्कृत पाम तेल, अपरिष्कृत एवं परिष्कृत पामोलीन, अपरिष्कृत एवं परिष्कृत सूरजमुखी का तेल, चीनी, पोर्टलैंड सीमेंट, स्टेनलेस इस्पात तथा अन्य मिश्र इस्पात, घटिया या त्रुटिपूर्ण इस्पात, विनिर्दिष्ट रिफ्रैक्टरी उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले एल्युमिनस सीमेंट, सिलिकॉन धातु, ब्राउन फ्यूज्ड एल्युमिना, फ्यूज्ड जर्कोनिया, आदि जैसी विनिर्दिष्ट निविष्टियां एल्युमिना, कैल्सीन्ड, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, परिशुद्ध या अवक्षेपित सल्फर और कोलॉयडल सल्फर, कार्बन ब्लैक एवं कार्बन के अन्य रूप, हाइड्रोजन, दुर्लभ गैसें तथा अन्य अधातु, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ धातु और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84.85 तथा 90 के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुएं।
2007-08	गेहूं, गेहूं का आटा, अपरिष्कृत एवं परिष्कृत पाम तेल, अपरिष्कृत एवं परिष्कृत पामोलिन, अपरिष्कृत एवं परिष्कृत सूरजमुखी का तेल, अपरिष्कृत एवं परिष्कृत सोयाबीन का तेल, दुग्ध पाउडर।
2008-09	अपरिष्कृत और परिष्कृत सभी खाद्य वनस्पति तेल, दला या पिसा हुआ चावल, मक्का मक्खन एवं घी, बटर ऑयल, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोल एवं डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद, लौह एवं गैर मिश्रित इस्पात, पिटवां लोहा तथा स्पिगलाइजेन, मेटकोक, जिंक और लौह मिश्रधातु तथा कच्चा कपास।

(2) वे उत्पाद जिनके संबंध में निर्यात निषिद्ध/प्रतिबन्धित हैं, उनका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	रोक/प्रतिबंध का ब्यौरा
2006-07	दालें (काबुली चने को छोड़कर) चीनी, गेहूं, स्किम्ड दुग्ध पाउडर
2007-08	दालें (काबुली चने को छोड़कर) (जारी) गेहूं तथा गेहूं उत्पाद अर्थात् गेहूं का आटा (मैदा), सेमोलिना (रवा/सिर्गी), गेहूं का आटा तथा परिणामी आटा, गैर-बासमती चावल, स्किम्ड दुग्ध पाउडर (जारी), प्याज, खाद्य तेल
2008-09	दालें (काबुली चने को छोड़कर) जारी, गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (जारी), गैर बासमती चावल (पूसा 1121 को छोड़कर) (जारी), बासमती चावल (एमईपी), दाने के आकार तथा पत्तन प्रतिबंध के अध्यधीन), खाद्य तेल (जारी), सीमेंट, मक्का (15 अक्तूबर, 2008 तक)

(ख) अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें मांग एवं आपूर्ति जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं। जब आयात शुल्क में कमी होती है

तो आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति में वृद्धि और परिणामत: कीमतों में कमी होती है। इसी प्रकार, जब किसी वस्तु के निर्यात पर रोक लगाई जाती है तो इसका परिणाम घरेलू खपत हेतु वस्तु की अधिक उपलब्धता के रूप में होता है। इन सभी उपायों से वस्तु की कीमत में कमी करने और मुद्रा स्फीति में कमी लाने में सहायता मिलती है।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों से औद्योगिक इकाइयों का स्थानांतरण

584. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई ऐसी कंपनियों ने अपनी इकाइयां पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों से हटा ली हैं जिन्होंने एक विशेष अवधि के लिए सरकार से विभिन्न सुविधाएं और कर छूट लेकर पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित की थीं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना

585. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को तेजपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इस प्रस्ताव को अनुमोदन देने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस केन्द्र का आबंटन होने की स्थिति में तेजपुर विश्वविद्यालय को कितनी निधियां और पद दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में तेजपुर विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हुआ है जो भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में 'महिला अध्ययनों का विकास' स्कीम की 10वीं योजना दिशा निर्देशों के अनुसार है। विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया था कि वह प्रस्ताव को 11वीं योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित करे और वह इस प्रस्ताव को 15 अक्तूबर, 2008 तक आयोग को भेजे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभी तक विश्वविद्यालय से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) यदि आयोग को विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसे महिला अध्ययन स्कीम संबंधी स्थाई समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा और यदि समिति द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश कर दी जाती है तो मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियों तथा पदों हेतु संस्वीकृति जारी की जाएगी।

तम्बाकू उगाने वालों को अन्य फसलों की ओर प्रेरित करना

586. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तम्बाकू के उत्पादन में कमी लाने के लिए तम्बाकू उगाने वाले कृषकों को कुछ अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना प्रारम्भ की गयी है उनके नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीआरपीएफ बटालियन

587. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की बटालियनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सीआरपीएफ बटालियनों की संख्या राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो देश में सीआरपीएफ बटालियनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार देश में इन बलों की आवश्यकता को कब तक पूरा कर पाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) इस समय 10 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियनों, 2 महिला बटालियनों और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल में तैनात 2 बटालियनों को शामिल करते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 196 प्रचालनात्मक बटालियनें हैं।

(ख) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अनुसार ''पुलिस'' तथा ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सशस्त्र बल रखने की आशा की जाती है। केन्द्रीय सरकार लोक व्यवस्था बनाए रखने में जरूरत पड़ने पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने तथा आन्तरिक सुरक्षा संबंधी दायित्वों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नामक एक सशस्त्र बल रखती है। इस बल की नफरी का, समग्र आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य और राज्यों की जरूरतों का आकलन करने के पश्चात् समय-समय पर सम्वर्धन किया जाता है। वर्ष 2000 में बल की नफरी 1,81,136 थी जबकि इस समय सी.आर.पी.एफ. की अनुमोदित संख्या बढ़कर 260873 हो गई है। अगस्त, 2008 में सी.आर.पी.एफ. की 10 अन्य बटालियनों (10570 पदों) का गठन करने की मंजूरी दी गई है जिनका विशेष कमाण्डों बटालियनों के रूप में गठन किया जाएगा।

नालको के लिए कोयले की कमी

588. श्री अनन्त नायक: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) कोयले के गंभीर संकट का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नालको के लिए कोयले की कमी से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने सूचित किया है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा कोयले की कम और अनियमित आपूर्ति की वजह से कंपनी मई, 2008 से कोयले के गंभीर संकट का सामना कर रही है।

(ग) और (घ) कंपनी द्वारा कोयले की गंभीर कमी के बारे में सूचित किए जाने पर, खान मंत्रालय ने कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इस मामले को तत्काल कोयला मंत्रालय के साथ उठाया था। नालको ने भी कोयला लिंकेज को 4.85 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए कोयला मंत्रालय को आवश्यक आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

कामगारों के लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना

589. श्री नवीन जिन्दल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा. रेड्डी समिति की सिफारिश के अनुरूप कामगारों के लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) डा. रेड्डी समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित कोर समिति ने एक त्रिपक्षीय केन्द्रीय प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय के रूप में हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकर्ता तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। इसमें पूरे देश के अनेक क्षेत्रीय केन्द्रों सहित सरकार, उद्योगों और ट्रेड यूनियनों/संघों के प्रतिनिधि हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रूस द्वारा निवेश

590. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के उद्यमियों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में निवेश करने के प्रति उत्सुकता दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक प्राप्त ऐसे निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश करने की दिशा में रूस के उद्यमियों द्वारा उत्सुकता दर्शाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को रसायन क्षेत्र एवं होटल और पर्यटन क्षेत्र में रूस से 0.2 मिलियन अमरीकी डालर का अन्तर्वाह प्राप्त हुआ है।

(ग) सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर एक उदार एवं निवेशक अनुकूल नीति लागू की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है जो जनता की पहुंच तक हैं और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट www.dipp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

गहन समुद्री मत्स्यकी संबंधी पृथक निकाय

591. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) गहन समुद्री मत्स्यकी के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक पृथक निकाय का गठन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमपीईडीए का गहन समुद्री मत्स्य नौकाओं का प्रचालन करने का कोई अनुभव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एमपीईडीए द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात के अपने प्रमुख कर्त्तव्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) और (घ) एमपीईडीए गहन समुद्री ट्रालरों का वाणिज्यिक रूप से प्रचालन नहीं कर रहा है। तथापि एमपीईडीए अधिनियम, 1972 द्वारा उसे प्रदत्त अधिदेश के आधार पर उसके पास गहरे समुद्र में मत्स्यन से संबंधित क्षेत्रों का अनुभव है जिसमें मौजूदा यांत्रिक पोतों को ट्यूना लांग लाइनर्स में बदलने हेतु सब्सिडी प्रदान करना, कर्मीदल के प्रशिक्षण हेतु पोतों का प्रचालन, गहरे समुद्र में विविध संसाधनों को प्राप्त करने हेतु गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले पोतों को बेहतर बनाने के लिए सहायता, गहन समुद्री मत्स्यन ट्रालरों का वित्त पोषण आदि शामिल है। एमपीईडीए अधिनियम के तहत गहरे समुद्र मत्स्यन करने वाले पोतों सहित सभी मत्स्यन पोतों का एमपीईडीए में पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है।

(ङ) एमपीईडीए समुद्री उत्पादों के निर्यातों से संबंधित सभी कार्यकलापों पर ध्यान दे रहा है जिसमें अपतटीय तथा गहरे समुद्र के मत्स्यन पोतों का विकास तथा विनियमन, मत्स्यन पोतों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों तथा समुद्री उत्पादों के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण, निर्यात के प्रयोजनार्थ समुद्री उत्पादों हेतु विनिर्देशनों तथा मानकों का निर्धारण, मत्स्यन पोतों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों, वाहनों तथा उन स्थानों में, जहां ऐसे उत्पाद रखे जाते हैं अथवा उनका प्रहस्तन होता है, निर्यात के प्रयोजनार्थ समुद्री उत्पादों का निरीक्षण करना, भारत से बाहर समुद्री उत्पादों का विपणन आदि शामिल है।

विमानपत्तनों पर फूल नीलामी केन्द्र और नष्ट होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र

592. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर फूल नीलामी केन्द्रों और नष्ट होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में देश के विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर ऐसे और केंद्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इनकी स्थापना के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) पुष्प नीलामी केन्द्रों तथा शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रचालनरत पुष्प नीलामी केन्द्रों तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की सहायता से और वाणिज्य विभाग की निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के तहत स्थापित किए जा रहे केन्द्र हैं:

क्र.सं.	स्थान	लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1.	मुम्बई	22.00	प्रचालन हेतु तैयार
2.	बंगलौर	10.38	प्रचालनरत
3.	नोएडा	12.00	प्रचालन हेतु तैयार
4.	कलकत्ता	26.00	अभी शुरू होना है।

(2) शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र (सीपीसी) दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलौर, तिरूवनंतपुरम, चेन्नै, कोलकाता तथा अमृतसर स्थित हवाई अड्डों पर प्रचालनरत हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) स्थापित किए जाने वाले सीपीसी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	हवाई अड्डा	लागत (करोड़ रुपए में)	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	कोचीन	23.45	दिसम्बर, 2008
2.	गोवा	2.37	मार्च, 2009
3.	नासिक	2.13	मार्च, 2009
4.	बागडोगरा	2.99	मार्च, 2009

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

593. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार चालू वर्ष में कितना आबंटन किया गया है और कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) अब तक उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को कुछ रियायत/छूट देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम दिसम्बर, 2004 से संचालित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन कर रहे बच्चों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान करना है।

(ग) और (घ) वर्तमान वर्ष के लिए 300.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है और राशि का उपयोग कर लिए जाने की संभावना है। किसी प्रकार का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को संस्वीकृतियां उनके द्वारा भेजी गई कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं तथा प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ङ) उन स्कूलों जिनको वर्ष 2007-08 में संस्वीकृति प्रदान की गई, की राज्य/संघशासित प्रदेशवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) और (छ) इस स्कीम का उद्देश्य चुनिंदा सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी संबंधी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना है।

विवरण

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के संबंध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान जिन विद्यालयों को संस्वीकृति प्रदान की गई उनकी संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5000
2.	बिहार	1000
3.	छत्तीसगढ़	200
4.	गोवा	432
5.	गुजरात	1150
6.	हरियाणा	500
7.	जम्मू और कश्मीर	200
8.	झारखण्ड	1074
9.	कर्नाटक	2279
10.	केरल	1016
11.	मध्य प्रदेश	320
12.	महाराष्ट्र	500
13.	उड़ीसा	1500
14.	राजस्थान	2500
15.	तमिलनाडु	400
16.	उत्तराखण्ड	100
17.	उत्तर प्रदेश	2500
18.	पश्चिम बंगाल	343
19.	अरुणाचल प्रदेश	35
20.	असम	641
21.	मणिपुर	65
22.	मेघालय	75
23.	नागालैण्ड	284
24.	सिक्किम	2
25.	त्रिपुरा	400
26.	दिल्ली	53
27.	पुडुचेरी	169
28.	चंडीगढ़	67
29.	दादरा और नगर हवेली	6
30.	दमन और दीव	22
	कुल	22833

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के ड्यूटी के घंटे

594. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर नवोदय विद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों से 7 से 8 घंटे अधिक कार्य करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त कार्य करने हेतु इन अध्यापकों और कर्मचारियों को अलग से भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो किन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यह भुगतान दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय स्कूल हैं जहां शिक्षकों और छात्रों को विद्यालय परिसर में रहना अपेक्षित है। शिक्षकों को अध्ययन का निरीक्षण, शिक्षण के सुधारात्मक उपाय और इस प्रणाली में यथा अपेक्षित विभिन्न हाउसों की देखभाल करने की कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। उन्हें विद्यालय परिसर में आवासीय स्थान, मानदंडों के अनुरूप विद्यालय के भोजनालय में मुफ्त भोजन और विद्यालय में उनके बच्चों की शिक्षा इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे शिक्षकों, जिन्हें हाउस मास्टर और सहायक हाउस मास्टर के कार्य सौंपे गए हैं, को क्रमश: 300/- रु. प्रतिमाह और 150/- रु. प्रतिमाह की दर से भत्ते दिए जाते हैं।

दूरदर्शन की प्रचालन लागत

595. श्री मो. ताहिर: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन की प्रचालन लागत में लगातार वृद्धि हो रही है जबकि इसके राजस्व में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन को वित्तीय संकट से निकालने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) स्पैक्ट्रम और स्पेस सेगमेंट प्रभारों की मद पर बकाया देयता को छोड़कर प्रचालन लागतों से पता चलता है कि गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन की प्रचालन लागतों में कमी आई है। जहां तक राजस्व का संबंध है, वर्ष 2005-06 में अर्जित राजस्व की तुलना में वर्ष 2006-07 में दूरदर्शन द्वारा अर्जित सकल राजस्व में कमी आई थी। तथापि, वर्ष 2007-08 के दौरान, दूरदर्शन द्वारा विगत वर्ष की तुलना में राजस्व अर्जन में वृद्धि हासिल की गई है।

(ग) सरकार ने प्रसार भारती को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पूंजी पुनर्संरचना और निधियन पैटर्न सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनकी जांच करने के लिए एक मंत्री-समूह का गठन किया है।

[अनुवाद]

डीजीएफटी द्वारा औषध कम्पनियों को नोटिस जारी करना

596. मो. मुकीम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजीएफटी ने उन विभिन्न औषध कम्पनियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने गैर-पंजीकृत स्रोत से ''पैन-जी'' का आयात किया है;

(ख) उन सभी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गैर-पंजीकृत स्रोतों से पेनीपेना-लिन-जी का आयात किया है;

(ग) इन कम्पनियों को जारी लाइसेंस, इनके द्वारा आयात की गई मात्रा और अदा किए गए सीमा शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कम्पनियों ने विदेश व्यापार अधिनियम का उल्लंघन किया है और इन्हें अभियोजित किया जाना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति परिपत्र सं. 9, दिनांक 30.06.2003 के प्रावधानों के अनुसार निर्यातकों को कुछेक शर्तों के अधीन अपंजीकृत स्रोतों से पेन-जी सहित औषधियों का आयात करने की अनुमति दी गई है। शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पुनरुद्धार

597. श्री परसुराम माझी:
श्री महावीर भगोरा:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पुनरुद्धार/समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पाई गई विसंगतियों/निधियों के दुरुपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) अप्रैल 2008 में निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु राष्ट्र स्तरीय समिति जिसमें 5 राज्यों के पोषाहार विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन किया गया:-

(1) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन आवश्यकता (प्रति छात्र प्रति दिवस) का पुन: निरीक्षण करना।

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए कुकिंग लागत (प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस) की केन्द्रीय सहायता के वर्तमान मानक की उपयोगिता की जांच करना।

(3) कुकिंग लागत मानकों में मुद्रास्फीति सूचकांक के घटक हेतु उपयुक्त तंत्र की अभिकल्पना तथा स्थापना करना।

(4) उचित सिफारिश हेतु अन्य संबंधित मामलों की जांच करना।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए वर्ष 2008-09 के बजट में 8000 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जब और जैसे ही कोई शिकायत सरकार के ध्यान में लाई जाती है, तो सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से दोषी व्यक्ति के खिलाफ उपयुक्त जांच करने, यथोचित कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अनियमितताओं के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। मामलों का विवरण तथा की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों का ब्यौरा	की गई कार्रवाई की स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वर्ष 2005 में पश्चिमी गोदावरी जिले में मध्याह्न भोजन (चावल) का दुरुपयोग	राज्य सरकार द्वारा मुख्याध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
2.	बिहार	वर्ष 2005 में पटना जिले में खाद्यान्नों की कालाबाजारी। वर्ष 2005 में पश्चिमी चंपारन जिले में अध्यापक के घर में खाद्यान्नों का स्टाक पाया गया।	राज्य सरकार द्वारा इस मामले में जांच आरंभ कर दी गई है।
3.	उड़ीसा	वर्ष 2005 में जगतसिंहपुर जिले में एक अध्यापक मध्याह्न भोजन योजना हेतु नियत चावल को बेचते हुए पकड़ा गया था।	राज्य सरकार द्वारा अध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।
4.	महाराष्ट्र	संदली, धुले तथा शोलापुर जिले में खाद्यान्नों के दुरुपयोग के कुछ मामले सामने आए हैं।	संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम आसूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
5.	पंजाब	वर्ष 2005 में राजकीय प्राथमिक स्कूल, भरगो नगर (जी), जालंधर से पांच बोरी गेहूं की चोरी की रिपोर्ट थी।	एक पुलिस केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
6.	राजस्थान	वर्ष 2006 में खाद्यान्नों को बाजार में बेचने एवं निधियों के गबन के संबंध में गांव बंद, जिला बाड़मेर के श्री हनुमान राम और अन्यों से शिकायत प्राप्त हुई थी।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जांच के पश्चात् आरोप निराधार पाए गए।
7.	उत्तर प्रदेश	(1) निरपुड़ा गांव, ब्लाक बिनौली, तहसील बरोट, जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) में ग्राम प्रधान और अध्यापकों द्वारा खाद्यान्नों और भोजन पकाने की लागत की निधियों का दुरुपयोग करने के संबंध में फरवरी, 2006 में श्री कृष्णपाल राणा और अन्यों से शिकायत प्राप्त हुई थीं।	(1) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जांच के पश्चात् आरोप सही नहीं पाए गए।
		(2) बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) से तीन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उठाये गए मध्याह्न भोजन योजना हेतु नियत चावल से भरे आठ ट्रकों को	(2) संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों के अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं। दोषियों के विरुद्ध प्रथम आसूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलंदशहर को निलंबित कर

1	2	3	4
		वर्ष 2005 में समयपुर बादली में दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था।	दिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों की निधियों की विशेष लेखा परीक्षा कराने हेतु आदेश जारी किए गए हैं और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी खाद्यान्नों के अंतर-जिला हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।
		(3) फरवरी 2006 में मुरादाबाद/अमरोहा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में श्री विजय राज सैनी, सचिव, युवा कांग्रेस (आई) मुरादाबाद से शिकायत प्राप्त हुई थी।	(3) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि प्रारंभिक जांच के पश्चात् आरोप सही नहीं पाए गए। राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।
8.	पश्चिम बंगाल	(1) मालदा जिले रतुआ ब्लाक-2 में खाद्यान्नों की आपूर्ति के दुरुपयोग के बारे में पता चला है। श्री जामिल हुसैन, मध्याह्न भोजन योजना चावल के भंडारण एजेंट ने सितम्बर 2003 से जून, 2004 की अवधि में उनके द्वारा उठाए गए 2203.02 क्विंटल चावल डिलीवर नहीं किए।	(1) जामिल हुसैन के मामले में प्रथम आसूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियुक्त जामल हुसैन ने 25.4.2006 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, प्रथम न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया।
		(2) जिला स्कूल निरीक्षक (पी.ई.), कूच बिहार ने बताया कि अप्रैल 2002 से मार्च 2004 तक जिले के 1460 स्कूलों में एक माह से 12 महीने की भिन्न-भिन्न अवधि में खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुए। जिले के कुल 595 एमआर डीलरों में से 430 ने चावल की पर्याप्त मात्रा प्रदान नहीं की। दो डीलरों ने झूठा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है।	(2) उन एमआर डीलर, जिन्होंने झूठा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, के खिलाफ कूच बिहार में प्रथम आसूचना रिपोर्ट दायर की गई थी। उन एमआर डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 38 एमआर डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ की गई है।
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली पुलिस ने गैर-सरकारी संगठनों/संभारकों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाए गए चावल ले जाते हुए दो ट्रक जब्त किए, जिन्हें खुले बाजार में बेचने के लिए नरेला ले जाया जा रहा था।	पुलिस स्टेशन, नरेला में प्रथम आसूचना रिपोर्ट संख्या 168/07 दर्ज की गई थी। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के लिए एक विभागीय जांच करवाई है। तीन चूककर्ता सेवा प्रदातों, अर्थात् जनसेवक एसोशिएट्स, बाल भोज और शेड इंडिया सोसायटी को काली सूची में दर्ज किया है।

असम के छोटे चाय उत्पादक

598. **डा. अरुण कुमार शर्मा:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर असम के संदर्भ में कुल चाय उत्पादन में छोटे चाय उत्पादकों का क्या योगदान है;

(ख) सरकार ने विशेषकर असम में छोटे चाय उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किए हैं;

(ग) छोटे चाय उत्पादकों को अपने त्वरित एवं सतत विकास के मार्ग में किन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) राष्ट्रीय चाय उत्पादन में चाय के लघु

उपजकर्ताओं का योगदान लगभग 250 मिलियन किग्रा है और यह अखिल भारतीय चाय उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत बनता है जिसमें से 10 प्रतिशत हिस्सा असम के लघु उपजकर्ताओं का बनता है।

(ख) लघु उपजकर्ता क्षेत्र के संभावित आर्थिक मूल्य का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का उद्देश्य फार्म उत्पादकता एवं उनकी उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है तथा उन्हें बाजार पहुंच उपलब्ध कराना है ताकि उनके निवेशों से एक समुचित आय को सुनिश्चित किया जा सके। उपजकर्ताओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने के लिए विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जा रहा है तथा उचित पत्ती संग्रहण प्रणालियों, परिवहन व्यवस्थाओं के निर्धारण तथा गुणवत्तायुक्त चाय प्रसंस्करण फैक्ट्रियों के साथ उचित भागीदारी व्यवस्थाएं स्थापित करने को सुकर बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) लघु चाय उपजकर्ताओं के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाएं दूरदराज क्षेत्रों में, छोटे खण्डों में जोत क्षेत्रों का अलग-अलग स्थानों पर बिखरा होना, भूमि का स्वामित्व न होना, अच्छी कृषि पद्धतियों का भली-भांति ज्ञान न होना तथा उनकी अपनी प्रसंस्करण सुविधा का न होना है।

(घ) स्व-सहायता समूहों को पत्ती संग्रहण केन्द्रों, भण्डारण गोदामों की स्थापना, पत्ती तौलने वाले तराजुओं, प्लास्टिक क्रेटों/पत्ती हेतु नायलान कैरी बैगों की खरीद हेतु 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। लागत के 50 प्रतिशत पर परिवहन वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रत्येक स्व-सहायता समूह को उर्वरकों, कीटनाशकों तथा स्प्रेयरों इत्यादि जैसी खेती की निविष्टियों की लागत को पूरा करने के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से एक आवर्ती निधि उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक स्व-सहायता समूह से चुने गए दो सदस्यों हेतु चाय की खेती के आधुनिक पहलुओं पर एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिनसे प्रशिक्षण समाप्त होने पर स्व-सहायता समूह के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण देने तथा उस स्व-सहायता समूह के अधिकार में आने वाले चाय क्षेत्र के प्रबंधन की देख-रेख करने की भी आशा की जाती है। प्रशिक्षण शुल्क तथा आवासीय एवं भोजन के खर्च को पूरा करने के अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण की समाप्ति की तारीख से अगले छह महीनों के लिए 500 रुपए प्रति माह की दर से वजीफा प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

शुल्क में वृद्धि

599. **श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों ने शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन संस्थानों ने अब तक अपने शुल्क में वृद्धि करने के इरादे की घोषणा की है;

(ग) उक्त प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में दर्शाए गए संशोधित शुल्क ढांचा क्या है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप शिक्षा के बहुत महंगी होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। जहां तक केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (भारत सरकार) का संबंध है, स्थिति नीचे दी गई है:

* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के ट्यूशन शुल्क को निम्नवत् संशोधित किया गया है:

बी. टेक	–	25000/- रुपये प्रति सत्र
एम. टेक	–	25000/- रुपये प्रति सत्र (गैर प्रायोजित छात्रों के लिए 20000/- रुपये की छूट के साथ)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की ट्यूशन फीस में मौजूदा छूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

* सभी भारतीय प्रबंध संस्थानों के संगम ज्ञापन में फीस के निर्धारण के लिए अपने-अपने संबद्ध शासी बोर्ड को अधिकृत किया गया है तथा फीस के निर्धारण संबंधी मामला सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। संस्थानों को शैक्षिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है तथा किसी प्रकार की फीस-वृद्धि हेतु उन्हें सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं होता। अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, तथा कोझीकोड स्थित छहों भारतीय प्रबंध संस्थानों के शासी बोर्ड ने शैक्षिक वर्ष 2008-09 से अपने स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम की फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक भारतीय प्रबंध संस्थान की फीस का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की फीस (लाख रुपये में)	
		2007-08	2008-09
1.	भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद	2.00	5.50
2.	भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर	2.50	4.00
3.	भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता	2.01	3.00
4.	भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ	1.95	2.50
5.	भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर	1.90	3.00
6.	भारतीय प्रबंध संस्थान कोझीकोड	1.90	3.00

सभी भारतीय प्रबंध संस्थान अपने छात्रों को आवश्यकता पर आधारित छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं तथा भारतीय प्रबंधन संस्थानों के छात्रों को बैंकों द्वारा सुलभ बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वत्तिपोषित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिले तथा फीस अवसंरचना के लिए मसौदा विनियम तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन का फीस बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

* केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि उन्हें अपने किसी भी संबद्ध स्कूल द्वारा फीस संशोधन के संबंध में कोई प्रतिवेदन अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धता उपनियमों में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

  - ली जाने वाली फीस प्रदत्त सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

  - फीस सामान्यत: संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शीर्ष के तहत ली जानी चाहिए।

* केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धता संबंधी उपनियमों में यह भी निर्धारण किया गया कि स्कूल चलाने वाले संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल को सामुदायिक सेवा के रूप में चलाया जा रहा है न कि व्यवसाय के रूप में तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में किसी भी प्रकार का वाणिज्यीकरण नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान हेतु आबंटन

600. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
श्री समत कुमार मंडल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना की पूरी अवधि के दौरान, वर्ष-वार शिक्षा हेतु कितना आबंटन निर्धारित किया गया है;

(ख) ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान हेतु कितना आबंटन/निर्धारण किया गया; और

(ग) वर्ष 2007-08 और चालू वर्ष के दौरान अब तक शिक्षा के लिए किए गए कुल आबंटन में से सर्व शिक्षा अभियान पर कितना व्यय हुआ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2,69,873 करोड़ रुपये (1,84,930 करोड़ रुपये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए तथा 84,943 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए) का आबंटन किया गया। इसमें से क्रमश: 28,674 करोड़ रुपये (22,191 करोड़ रुपये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए तथा 6,483 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए) का आबंटन वर्ष 2007-08 के लिए तथा 34,400 करोड़ रुपये (26,800 करोड़ रुपये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए तथा 7600 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए) का आबंटन वर्ष 2008-09 के लिए किया गया।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु 71,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के लिए कुल आबंटन में से वर्ष 2007-08 के दौरान 11,480.61 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई तथा वर्ष 2008-09 के दौरान (30 सितंबर, 2008 तक) 5,227.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

नाथुला सीमा पर चीन के साथ व्यापार

601. **श्री जुएल ओराम:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नाथुला सीमा पर चीन के साथ कितनी मात्रा और मूल्य का व्यापार हुआ;

(ख) क्या सरकार नाथुला सीमा पर चीन के साथ और वस्तुओं का व्यापार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) नाथुला सीमा से निर्यात/आयात की जा रही वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य को दर्शाने वाली तालिका विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) सीमा व्यापार हेतु मदों की सूची में और मदें जोड़े जाने का निर्णय दोनों सरकारों के बीच परस्पर सहमति से किया जाता है। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित मदों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

वर्ष	वस्तु	कुल मात्रा	कुल मूल्य (रुपये में)
निर्यात			
2006-07	गैर बासमती चावल, आटा, मैदा, नसवार, कम्बल, कपड़े	27655 किग्रा 113 संख्या 602 मी. टन	8,85,785.00
2007-08	गैर बासमती चावल, आटा, मैदा, नसवार, कम्बल, कृषि विनिर्मितियां, काफी, तांबा, मिश्री, कपड़े सिगरेट	40436.1 किग्रा. 1090 पैकेट्स 1239 संख्या	28,76,234.00
2008-09 (सित. 08 तक)	काली चाय, कम्बल, बरतन, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मसाले, सिगरेट, काफी, ताम्र वस्तुएं, मिश्री, वस्त्र, खाद्य (वनस्पति) तेल, तम्बाकू	19641.25 किग्रा. 1954 संख्या 66 करोड़ टन	40,64,056.00
आयात			
2006-07	भेड़ का ऊन, याक टेल	11808 किग्रा 7 संख्या	10,82,450.00
2007-08	भेड़ का ऊन, अपरिष्कृत रेशम, याक टेल	2502 किग्रा.	686421.00
2008-09 (सित. 08 तक)	मक्खन, भेड़ का ऊन	370 किग्रा.	1,35,740.00

विवरण II

नाथुला के जरिए निर्यात एवं आयात की जाने वाली विद्यमान वस्तुओं के अतिरिक्त निर्यात किए जाने के लिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार हेतु जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं की सूची

1. मक्का
2. दालें
3. रेपसीड
4. इलायची
5. संतरे
6. आर्किड्स
7. अदरक
8. ब्रूम स्टिक घास

9. मांस
10. मक्खन
11. चीज
12. जैम
13. आचार
14. फलों का रस
15. हल्दी पाउडर
16. मिर्च एवं मिर्च पाउडर
17. औषधीय पौधे
18. मनके
19. रेशम वस्त्र
20. प्रयेर व्हील्स
21. अगरबत्ती
22. बटर लैम्प तेल
23. सरसों का तेल
24. बिस्कुट

चीनी पक्ष द्वारा प्रस्तावित चीन से भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की सूची

1. डेयरी उत्पाद: पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक शहद, पशु मूल के खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
2. खाद्य वनस्पतियां तथा कुछ विशेष मूल तथा कंद
3. खाद्य फल तथा गिरि
4. काफी, चाय, मेट तथा मसाले
5. खाद्यान्न
6. वेजीटेबल प्लेटिंग सामग्री
7. पशु अथवा वनस्पति वसा एवं तेल और उनके क्लीवेज उत्पाद
8. चीनी तथा चीनी के मिष्ठान
9. कोको तथा कोको विनिर्मितियां
10. खाद्यान्न विनिर्मितियां
11. वनस्पतियों, फलों, गिरि या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां
12. विविध खाद्य विनिर्मितियां
13. पेय, स्पिरिट तथा सिरका
14. अगरबत्ती तथा अन्य जलने वाली खुशबूदार विनिर्मितियां (तिब्बती अगरबत्ती)
15. गोवंशीय रेशे विहीन टैन्ड अथवा क्रस्ट हाइड तथा स्किन, टुकड़ों में अथवा संपूर्ण किन्तु और अधिक प्रसंस्कृत न हो
16. ट्रंक सूटकेस तथा समान कंटेनर्स
17. लकड़ी पर नक्काशी
18. प्लेटिंग सामग्री तथा सीधे प्लेटिंग सामग्रियों से आकार दी गई वस्तुएं
19. कपास
20. कपड़े
21. हेडगियर तथा उसके हिस्से और जूते
22. छाते एवं धूप छाते
23. चीनी मिट्टी या पोर्सिलीन का टेबलवेयर तथा किचन वेयर, अन्य घरेलू वस्तुएं एवं प्रसाधन सामग्री
24. चम्मच, कटि, कड़छी, स्किमर्स, केक सर्वर्स मत्स्य हेतु छुरी, मक्खन हेतु छुरी, शुगर टांग्स तथा इसी प्रकार के किचनवेयर या टेबलवेयर
25. एयर तथा अन्य गैस कम्प्रेसर्स एवं पंखे (वेंटीलेटर)
26. परिकलन मशीनें, स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीनें तथा उनकी इकाइयां
27. स्वत: पूर्ण विद्युत मोटर वाले इलेक्ट्रो-मकैनिकल घरेलू उपकरण (वैक्यूम क्लीनर्स, जूस क्रशर आदि) शेवर्स
28. ऊर्जा के अपने स्रोत से कार्यचालन हेतु किए गए बाह्य विद्युत लैम्प एवं टार्च
29. विद्युतीय तत्काल जल हीटर आदि और घरेलू प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण (माइक्रोवेव अवन, हेयर ड्रायर, विद्युत राइस कुकर आदि)

9. मांस
10. मक्खन
11. चीज
12. जैम
13. आचार
14. फलों का रस
15. हल्दी पाउडर
16. मिर्च एवं मिर्च पाउडर
17. औषधीय पौधे
18. मनके
19. रेशम वस्त्र
20. प्रयेर व्हील्स
21. अगरबत्ती
22. बटर लैम्प तेल
23. सरसों का तेल
24. बिस्कुट

चीनी पक्ष द्वारा प्रस्तावित चीन से भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की सूची

1. डेयरी उत्पाद: पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक शहद, पशु मूल के खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
2. खाद्य वनस्पतियां तथा कुछ विशेष मूल तथा कंद
3. खाद्य फल तथा गिरि
4. काफी, चाय, मेट तथा मसाले
5. खाद्यान्न
6. वेजीटेबल प्लेटिंग सामग्री
7. पशु अथवा वनस्पति वसा एवं तेल और उनके क्लीवेज उत्पाद
8. चीनी तथा चीनी के मिष्ठान
9. कोको तथा कोको विनिर्मितियां
10. खाद्यान्न विनिर्मितियां
11. वनस्पतियों, फलों, गिरि या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां
12. विविध खाद्य विनिर्मितियां
13. पेय, स्पिरिट तथा सिरका
14. अगरबत्ती तथा अन्य जलने वाली खुशबूदार विनिर्मितियां (तिब्बती अगरबत्ती)
15. गोवंशीय रेशे विहीन टैन्ड अथवा क्रस्ट हाइड तथा स्किन, टुकड़ों में अथवा संपूर्ण किन्तु और अधिक प्रसंस्कृत न हो
16. ट्रंक सूटकेस तथा समान कंटेनर्स
17. लकड़ी पर नक्काशी
18. प्लेटिंग सामग्री तथा सीधे प्लेटिंग सामग्रियों से आकार दी गई वस्तुएं
19. कपास
20. कपड़े
21. हेडगियर तथा उसके हिस्से और जूते
22. छाते एवं धूप छाते
23. चीनी मिट्टी या पोर्सिलीन का टेबलवेयर तथा किचन वेयर, अन्य घरेलू वस्तुएं एवं प्रसाधन सामग्री
24. चम्मच, कटि, कड़छी, स्किमर्स, केक सर्वर्स मत्स्य हेतु छुरी, मक्खन हेतु छुरी, शुगर टांग्स तथा इसी प्रकार के किचनवेयर या टेबलवेयर
25. एयर तथा अन्य गैस कम्प्रेसर्स एवं पंखे (वेंटीलेटर)
26. परिकलन मशीनें, स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीनें तथा उनकी इकाइयां
27. स्वत: पूर्ण विद्युत मोटर वाले इलेक्ट्रो-मकैनिकल घरेलू उपकरण (वैक्यूम क्लीनर्स, जूस क्रशर आदि) शेवर्स
28. ऊर्जा के अपने स्रोत से कार्यचालन हेतु किए गए बाह्य विद्युत लैम्प एवं टार्च
29. विद्युतीय तत्काल जल हीटर आदि और घरेलू प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण (माइक्रोवेव अवन, हेयर ड्रायर, विद्युत राइस कुकर आदि)

30. टेलीफोन तथा अन्य संचार उपकरण (फैक्स मशीन, मोबाइल सम्प्रेषण उपकरण)

31. कलाई घड़ी, जेब घड़ी तथा अन्य घड़ियां

32. अन्य घड़ियां

33. खिलौने

34. मोटर साइकिल, साइकिल तथा अन्य साइकिलें, मोटरीकृत नहीं

35. मोटर साइकिल तथा उसके पुर्जे

36. किसी भी सामग्री की मूल नक्काशियां, प्रिंट तथा मूल प्रतिमाएं एवं मूर्ति संग्रह (थाग-का, हस्तशिल्प)

[हिन्दी]

नई शिक्षा नीति

602. **श्री रामदास आठवले:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई शिक्षा नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) चूंकि यह एक नीतिगत मामला है, अत: यह विचाराधीन है।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

603. **श्रीमती मेनका गांधी:**
श्री ई. दयाकर राव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार ने हैदराबाद में आपदा प्रबंधन पर कोई बैठक बुलाई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक में हुई चर्चा और उसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां, श्रीमान। दिल्ली सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना कर ली है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) आपदा प्रबंधन पर प्रथम विश्व कांग्रेस का आयोजन, एक गैर-सरकारी संगठन अर्थात् आपदा प्रबंधन, अवस्थापना एवं नियंत्रण सोसायटी द्वारा 21-24 अक्टूबर, 2008 के दौरान हैदराबाद में किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी सम्भावना है कि इसमें भूकम्प, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और सूखा आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी।

विस्फोटकों के लिए लाइसेंस

604. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों/विस्फोटकों के लिए स्थायी लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार ने क्या निबंधन एवं शर्तें जारी की हैं;

(ख) दिल्ली में पटाखों के स्थायी लाइसेंस धारकों का ब्यौरा क्या है और क्या वे लाइसेंस की शर्तों में विहित शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं;

(ग) क्या कुछ लाइसेंसधारी उन उत्पादों, जिनकी वे बिक्री करते हैं, के लिए निर्धारित ध्वनि स्तर का अनुपालन करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री करने वाले ऐसे लाइसेंसधारकों और दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार ने लाइसेंसधारकों के परिसरों का निरीक्षण करने हेतु किसी समय-सीमा का निर्धारण किया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दुकानदारों और लाइसेंसधारकों का कोई नेमी/औचक निरीक्षण किया है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने निरीक्षण किए गए तथा निरीक्षण के दौरान क्या विसंगतियां देखी गई/पाई गई और दोषी लाइसेंसधारकों/दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) पटाखे रखने और बेचने का लाइसेंस, विस्फोटक पदार्थ नियम, 1983 के नियम 155 के अनुसरण में अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्राधिकरणों द्वारा मंजूर किया जाता है। जिन निबंधन और शर्तों के तहत ऐसे लाइसेंस मंजूर किए जाते हैं वे नियम 135, 136, 137 और 138 हैं और लाइसेंस की शर्तों, विस्फोटक पदार्थ नियम, 1983 के तहत फार्म-24 में हैं।

(ख) से (घ) निरीक्षण के दौरान यथार्थता का सत्यापन किए जाने और विस्फोटक पदार्थ नियम, 1983 के उपबंधों का अनुपालन किए जाने की पुष्टि करने के बाद लाइसेंस मंजूर किए जाते हैं। दिल्ली में स्थाई पटाखा लाइसेंस धारकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मुख्य नियंत्रक विस्फोटक पदार्थ, नागपुर (35000 कि.ग्रा.)	संयुक्त मुख्य नियंत्रक पदार्थ, फरीदाबाद (1100 कि.ग्रा.)	डीसीपी/लाइसेंसिंग (450 कि.ग्रा.)	कुल
1	108	17	126

दिल्ली पुलिस, पैट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अचानक निरीक्षण किए जाते हैं।

मानदंडों का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें, दिल्ली पुलिस और पीईएसओ की जानकारी में नहीं आई हैं।

(ङ) और (च) लाइसेंस धारक द्वारा सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किए जाने का सत्यापन करने के लिए पटाखे की सभी दुकानों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विस्फोटक पदार्थ नियम, 1983 के नियम 179 के उप-नियम (1) के तहत तथा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं।

(छ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2005, 2006, 2007 के दौरान और 30 सितम्बर, 2008 तक अवैध पटाखों/दुकानदारों के विरुद्ध आईपीसी दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1979 और 9 "बी" विस्फोटक पदार्थ के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2005	36	41
2006	21	21
2007	22	22
2008 (30 सितम्बर, 2008 तक)	05	05

विवरण

वर्ष	पीईएसओ द्वारा किया गया निरीक्षण
2005-06	76
2006-07	85
2007-08	87
2008-09	प्रगति पर

वर्ष	दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया निरीक्षण
2005	15
2006	12
2007	16
2008 (30 सितम्बर तक)	12

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लिए निधियां

605. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में प्रधानमंत्री रोजगार जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत निधियों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी निधियों का आवंटन किया गया/जारी की गई;

(ग) क्या पीएमईजीपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों का पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक तैयार किया गया है तथा कार्यान्वयन के लिए (अगस्त, 2008) अनुमोदित किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर यह योजना केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। पीएमईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है तथा योजना हेतु अनुमोदित अनुदान केवीआईसी को जारी किए गए हैं जो बदले में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं की सहायता हेतु बैंकों, केवीआईबी, डीआईसी को मार्जिन मनी सहायता के लिए निधियां जारी करता है।

(ख) वर्ष 2008-09 के लिए 823.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से 411.50 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर के लिए 42.50 करोड़ रुपये सहित) की राशि की निधियां सितम्बर, 2008 में केवीआईसी को जारी की गई हैं। वर्ष 2008-09 के लिए 823.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करने हेतु और विभिन्न बैकवर्ड-फारवर्ड लिंकेज, यथा उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन, जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं का आयोजन, प्रदर्शनियां आदि के आयोजन हेतु विपणन सहयोग आदि के लिए 82.67 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के लिए पीएमजीपी के तहत केवीआईसी द्वारा (नोडल राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में) आवंटित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पीएमईजीपी के तहत केवीआईसी को जारी की गई निधियों का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया गया है क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना को अगस्त 2008 में अनुमोदन प्रदान किया गया था और कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश सितम्बर, 2008 में चुनिंदा स्टेकहोल्डरों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के परामर्श के बाद जारी किए गए थे।

विवरण

2008-09 के लिए पीएमईजीपी के तहत मार्जिन मनी लक्ष्यों का राज्य-वार आबंटन

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	कुल एमएम	कुल आबंटन का %	राज्य डीआईसी		%	केवीआईसी	केवीआईबी
				ग्रामीण	शहरी			
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	चंडीगढ़	59.94	0.08	11.99	11.99	40%	0	35.96
2.	दिल्ली	899.1	1.21	179.82	179.82	40%	269.73	269.73
3.	हरियाणा	1431.16	1.93	286.23	286.23	40%	429.35	429.35
4.	हिमाचल प्रदेश	452.14	0.61	90.43	90.43	40%	135.64	135.64
5.	जम्मू-कश्मीर	748.14	1.01	149.63	149.63	40%	134.66	314.22
6.	पंजाब	1608.02	2.17	321.61	321.61	40%	482.41	482.4
7.	राजस्थान	4011.54	5.42	802.31	802.31	40%	1203.46	1203.46
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.98	0.03	4	3.99	40%	0	11.99
9.	बिहार	6440.22	8.70	1288.05	1288.04	40%	1932.07	1932.06

1	2	3	4	5	6	7	9	10
10.	झारखण्ड	2366.52	3.20	473.31	473.31	40%	709.96	709.95
11.	उड़ीसा	2946.68	3.98	589.34	589.33	40%	884.01	884
12.	पश्चिम बंगाल	5513.74	7.45	1102.75	1102.75	40%	992.47	2315.77
13.	आंध्र प्रदेश	5319.86	7.19	1063.97	1063.97	40%	1595.96	1595.96
14.	कर्नाटक	3571.24	4.82	714.25	714.25	40%	1071.37	1071.37
15.	केरल	2123.8	2.87	424.76	424.76	40%	637.14	637.14
16.	लक्षद्वीप	6.66	0.01	1.33	1.33	40%	0	4
17.	पुडुचेरी	59.94	0.08	11.99	11.99	40%	0	35.96
18.	तमिलनाडु	4220.23	5.70	844.05	844.04	40%	1266.07	1266.07
19.	गोवा	86.59	0.12	17.32	17.31	40%	15.6	36.36
20.	गुजरात	3460.98	4.67	692.2	692.19	40%	1038.3	1038.29
21.	दादरा और नगर हवेली	13.32	0.02	2.67	2.66	40%	7.99	0
22.	दमन और दीव	13.32	0.02	2.67	2.66	40%	7.99	0
23.	महाराष्ट्र	6628.91	8.95	1325.79	1325.78	40%	1988.67	1988.67
24.	छत्तीसगढ़	1736.78	2.35	347.36	347.35	40%	521.04	521.03
25.	मध्य प्रदेश	4619.82	6.24	923.97	923.96	40%	1385.95	1385.94
26.	उत्तराखंड	641.59	0.87	128.32	128.32	40%	192.48	192.47
27.	उत्तर प्रदेश	11768.96	15.90	2353.79	2353.79	40%	3530.69	3530.69
28.	अरुणाचल प्रदेश	102.86	0.14	20.57	20.57	40%	30.86	30.86
29.	असम	2050.54	2.77	410.11	410.11	40%	615.16	615.16
30.	मणिपुर	235.32	0.32	47.07	47.06	40%	70.6	70.59
31.	मेघालय	241.98	0.33	48.4	48.39	40%	72.6	72.59
32.	मिजोरम	119.14	0.16	23.83	23.83	40%	21.44	50.04
33.	नागालैंड	215.34	0.29	43.07	43.07	40%	38.76	90.44
34.	त्रिपुरा	236.06	0.32	47.21	47.21	40%	70.82	70.82
35.	सिक्किम	62.9	0.08	12.58	12.58	40%	18.87	18.87
		74033.32	100.00	14806.75	14806.6	40%	21372.12	23047.85

सीबीएसई के साथ सम्बद्धता

606. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यालयों को सीबीएसई के साथ सम्बद्ध किए जाने संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) सीबीएसई के साथ सम्बद्धता हेतु विद्यालयों से प्राप्त कितने अनुरोध, क्षेत्र-वार लंबित हैं;

(ग) कितने विद्यालयों ने सीबीएसई पाठ्यक्रम को अपनाया है/स्वयं को उससे सम्बद्ध किया है; और

(घ) देश में सीबीएसई के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं और इन प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कितने विद्यालय हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) स्कूलों की संबद्धता के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उप नियमों के अनुसार किसी स्कूल को निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है।

(1) राज्य/संघ शासित प्रदेश की पूर्व औपचारिक स्वीकृति।

(2) राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र। राज्य/संघ शासित प्रदेश के मामले में जहां पर कोई पृथक राज्य बोर्ड नहीं है, स्कूलों के आवेदन पत्रों पर राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार की स्वीकृति के आधार पर विचार किया जाता है।

(3) सामान्यत: स्कूल का परिसर क्षेत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उपनियमों के तहत लगभग 2 एकड़ अथवा किसी स्थान विशिष्ट माप का होना चाहिए।

(4) स्कूल कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसाइटी/न्यास/कम्पनी द्वारा संचालित होने चाहिए।

(5) अर्हता प्राप्त शिक्षण स्टाफ।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार शैक्षिक सत्र 2009-10 के लिए संबंधन हेतु 2013 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1692 आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की गई है और 321 आवेदन पत्र लंबित है। लंबित आवेदन-पत्रों में दिल्ली के 4, पंचकुला के 30, इलाहाबाद के 39, गुवाहाटी के 2, अजमेर के 62, चेन्नई के 166 तथा पटना क्षेत्र के 18 शामिल हैं।

(ग) 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार 9816 स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध थे।

(घ) देश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सात केन्द्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्राधिकार तथा उनके तहत आने वाले स्कूलों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	क्षेत्राधिकार	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बद्ध स्कूलों की कुल संख्या
1.	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विदेशी स्कूल	1835
2.	पंचकुला	हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश	1668
3.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखण्ड	1743
4.	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम	632
5.	अजमेर	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और छत्तीसगढ़	1446
6.	चेन्नई	तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन तथा दीव और लक्षद्वीप	1955
7.	पटना	बिहार और झारखंड	537
		कुल संबद्ध स्कूल	9816

श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

607. श्री नवीन जिन्दल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका के साथ लम्बे समय से लंबित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) को अंतिम रूप दे दिया गया है और उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में भारत-श्रीलंका के बीच होने वाले व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो समझौते को अंतिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सीईपीए के लिए वार्ता चल रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) संबंधी वार्ता दिनांक 9 से 12 जुलाई 2008 तक आयोजित वाणिज्य सचिव स्तरीय विचार-विमर्श के दौरान निष्पादित कर ली गई है। करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ख) सेवा व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को शामिल करते हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) से भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार करार का दायरा गहन एवं व्यापक बनाया जाएगा।

(ग) दोनों पक्षों ने सीईपीए के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। तथापि करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं क्योंकि श्रीलंका ने करार पर हस्ताक्षर से पूर्व पणधारकों से विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है।

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर वार्ता पहले ही पूरी की जा चुकी है।
2. सीईपीए हेतु भारत-जापान वार्ता अभी चल रही है।
3. निम्नलिखित व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईपीए) पर वार्ता अभी चल रही है:-
   (1) आसियान - भारत सीईसीए
   (2) भारत - थाइलैंड सीईसीए
   (3) भारत - मलेशिया सीईसीए
4. मारीशस से व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी करार (सीईसीपीए) पर वार्ता अभी चल रही है।
5. भारत अभी 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ (ईयू) और स्विट्जरलैण्ड, नार्वे, आईसलैण्ड तथा लिचटेन्स्टीन वाले यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन (ईएफटीए) के साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करारों (बीटीआईए) पर वार्ताएं कर रहा है।

दालों का आयात

608. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दालों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु दालों के आयात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान म्यांमार सहित विभिन्न देशों से देश-वार कितनी मात्रा और मूल्य की दालों का आयात किया गया;

(ग) क्या हाल में म्यांमार में आए चक्रवात से दालों के संबंध में म्यांमार पर देश की निर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो देश में दालों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दालों के आयात हेतु निजी क्षेत्र की एजेंसियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो देश में दालों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु निजी क्षेत्र का सहयोग न मांगने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति देना, दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और सार्वजनिक क्षेत्र की विशिष्ट एजेंसियों और सहकारी समितियों के जरिए दालों का आयात शामिल हैं।

(ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आयातित दालों की देश-वार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) म्यांमार से दालों के आयात के बारे में उपलब्ध आंकड़ों से यह पता नहीं चलता है कि म्यांमार में आए चक्रवात से म्यांमार से हमारे आयातों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

(ङ) से (छ) दालों का आयात ओजीएल के अंतर्गत होता है और निजी क्षेत्र सहित कोई भी दालों का आयात कर सकता है। मुक्त आयात दस से अधिक वर्षों से जारी है। दालों के आयात हेतु निजी व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2009 तक आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान भारत द्वारा दालों का आयात

विवरण	इकाई	देश कोड	देश	2005-06		2006-07		2007-08	
				मात्रा	मूल्य (भा.रु.)	मात्रा	मूल्य (भा.रु.)	मात्रा	मूल्य (भा.रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दालें	टन	015	अर्जेंटीना	0	0	48	577523	480	11547936
दालें	टन	017	आस्ट्रेलिया	91629	1418774778	194198	3637456994	147866	3092190334
दालें	टन	043	ब्राजील	0	0	48	1421381	689	21718563
दालें	टन	059	कनाडा	672887	8734308029	905326	10639659537	1495240	24935048528
दालें	टन	075	ताईवान	0	0	498	6488559	0	0
दालें	टन	077	चीन जन. गण	39280	818772504	59423	1822605208	23436	780813182
दालें	टन	101	डेनमार्क	0	0	650	12405635	0	0
दालें	टन	102	जिबूती	0	0	110	2963037	24	668867
दालें	टन	115	इथोपिया	4627	70880763	6111	146912790	4840	110870427
दालें	टन	129	फ्रांस	32266	312525932	106965	1220592156	93716	13571146790
दालें	टन	147	जर्मनी	0	0	12180	133299852	10870	167407022
दालें	टन	187	इंडोनेशिया	288	6580252	1541	50096226	130	3260209
दालें	टन	189	ईरान	37252	990988928	4635	149426509	501	8646815
दालें	टन	197	इटली	0	0	132	2556510	0	0
दालें	टन	213	केन्या	976	18223208	2941	88116319	23077	522579831
दालें	टन	225	लेबनान	0	0	1	22439	0	0
दालें	टन	241	मेडागास्कर	0	0	109	4233462	44	1253800
दालें	टन	243	मालावी	1912	27052816	10776	188850974	27652	518210177
दालें	टन	245	मलेशिया	681	9715374	477	11693805	161	4135724
दालें	टन	258	म्यांमार	490652	9124170073	615622	15945799576	634014	15662825622
दालें	टन	260	माल्दोवा	0	0	1504	15741722	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दालें	टन	267	मोजाम्बिक	5039	76747033	6207	103775649	12333	222027913
दालें	टन	273	नेपाल	15259	372788016	7778	236883574	4109	144624298
दालें	टन	281	न्यू केलीडोनिया	0	0	47	1282925	0	0
दालें	टन	285	न्यूजीलैंड	476	6456486	362	4976296	544	7215592
दालें	टन	309	पाकिस्तान आईआर	134950	2264754601	2108	42783445	225	4111254
दालें	टन	318	पेक	0	0	77	3311406	0	0
दालें	टन	344	रूस	14844	213142334	21864	248906463	18518	250446901
दालें	टन	351	सऊदी अरब	2	19940				
दालें	टन	359	सिंगापुर	272	2692492	133	1408395	126	1982110
दालें	टन	363	सोमालिया	0	0	0	0	130	2910526
दालें	टन	365	द. अफ्रीका	25	282193	415	11037172	0	0
दालें	टन	369	श्रीलंका डीएसआर	0	0	37	682839	0	0
दालें	टन	395	तंजानिया गण.	48450	802672734	33267	717180833	75047	1821011989
दालें	टन	397	थाइलैंड	691	16220218	2057	69232253	1560	39855703
दालें	टन	409	तुर्की	18284	511586372	2970	109507717	1757	49419092
दालें	टन	417	युगांडा	0	0	44	1335178	0	0
दालें	टन	419	सं. अरब अमीरात	92	2230786	0	0	331	7424791
दालें	टन	421	यू.के.	0	0	1	34752	3	80497
दालें	टन	422	यूक्रेन	31169	292644098	121526	1342642458	26973	397918817
दालें	टन	423	यूएसए	52248	627445665	146350	1858435093	230208	3741494617
दालें	टन	427	उरूग्वे	0	0	0	0	24	369610
दालें	टन	430	उजबेकिस्तान	1481	36959197	2420	84426823	427	14010579
दालें	टन	599	अनिर्दिष्ट	238	3758270	9	147785	1978	46024399
			महायोग	1696950	24762493290	2270987	38919111281	2835053	53749419715

भीड़ प्रबन्धन के संबंध में निदेश

609. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंदिरों सहित देश के विभिन्न स्थानों में भगदड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राजस्थान सहित राज्य-वार तथा लिंग-वार मारे गए/घायल व्यक्तियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को धार्मिक स्थानों पर भीड़ का प्रबंध करने तथा महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कोई निदेश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) हाल में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मंदिरों में भगदड़ की दो बड़ी घटनायें घटी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005-2008 के दौरान विभिन्न मंदिरों में भगदड़ की बड़ी घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

स्थान	तारीख	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या	
			मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
मंदरादेवी मंदिर, सतारा	25.01.2005	महाराष्ट्र	291	98
जगन्नाथ मंदिर, पुरी	4.11.2006	उड़ीसा	04	22
वैद्यनाथ धाम, देवघर	13.08.2007	झारखंड	11	-
महाकाली मंदिर, पावागढ़, पंच महल	14.10.2007	गुजरात	11	17
कनकदुर्गा मंदिर, विजयवाड़ा	03.01.2008	आंध्र प्रदेश	06	-
माता जानकी मंदिर, करिला	26.03.2008	मध्य प्रदेश	08	11
जगन्नाथ मंदिर, पुरी	04.07.2008	उड़ीसा	06	03
नैनादेवी मंदिर, बिलासपुर	03.08.2008	हिमाचल प्रदेश	142	85
चामुंडा देवी मंदिर, जोधपुर	30.09.2008	राजस्थान	147	55

*लिंगवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) दिनांक 21.02.2005 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस आशय की सलाह जारी की गई थी कि वे धार्मिक त्यौहारों/मेलों के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए कारगर कदम उठाएं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे त्योहारों के दौरान उचित और पर्याप्त नागरिक तथा अन्य संभारकी व्यवस्थायें करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था शामिल हो सकती है। दिनांक 1.10.2008 को सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को एक और सलाह जारी की गई है जिसमें किसी निश्चित समय में मंदिर/धार्मिक स्थल तक जाने के लिए व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने, प्रवेश/बाहर जाने के प्रत्येक बिंदु पर उचित नियंत्रण प्रक्रिया/प्रणाली लागू करने, ध्वनि चेतावनी प्रणाली स्थापित करने, स्थान खाली करने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण आदि प्रदान करने के उपायों का सुझाव दिया गया है ताकि भविष्य में भगदड़ की कोई घटना घटित न हो।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कवरेज

610. श्री एल. राजगोपाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश सहित देश में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत अलग-अलग राज्य-वार जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत राज्य-वार कितने बच्चों को शामिल किया गया/किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) वित्तीय वर्ष 2006-07 तक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम केवल प्राथमिक स्कूलों में कार्यान्वित किया गया था। शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लाकों के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 01.10.2007 से इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। 01.04.2008 से देश के सभी पात्र उच्च प्राथमिक स्कूलों तक इसका विस्तार किया गया है। पिछले तीन वर्ष नामत: 2005-06, 2006-07 और 2007-08 तथा चालू वर्ष 2008 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I, II, III और IV में दिया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-V में दी गई है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रदत्त केंद्रीय सहायता तथा खाद्यान्नों के आवंटन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)		राशि (रुपए लाख में)				
		खाद्यान्नों का आवंटन	उठाए गए खाद्यान्न (अनंतिम)	एफसीआई को प्रतिपूर्ति	कुकिंग लागत के लिए केन्द्रीय सहायता	परिवहन लागत के रूप में प्रतिपूर्ति	जारी एम.एम.ई.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	114099.13	114099	7405.36	12441.8	1063.73	290.55	21201.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	4540.09	3348	0.00	396.24	0.00	5.66	401.9
3.	असम	92125.70	75663	4930.06	5462.37	300.36	192.46	10885.25
4.	बिहार	218070.20	157005	20109.73	16030.2	180.92	461.77	36782.62
5.	छत्तीसगढ़	53019.31	53019.3100	3853.84	5204.57	489.71	127.77	9675.89
6.	गोवा	1411.73	509	52.7	119.34	2.98	2.00	177.02
7.	गुजरात	67927.46	61781	2688.74	7157.7	548.64	131.68	10526.76
8.	हरियाणा	28672.99	14185	468.59	3464.38	70.02	47.13	4050.12
9.	हिमाचल प्रदेश	11447.25	10862	603.34	1429.61	136.61	27.19	2196.75
10.	जम्मू-कश्मीर	18757.93	9279	72.42	1468.84	0	1.3	1542.56
11.	झारखण्ड	83103.07	64166	4536.29	8404.89	61.96	159.75	13162.89
12.	कर्नाटक	112863.57	82461	3687.58	10704.99	143.23	190.53	14726.33
13.	केरल	28223.60	27624	1526.65	2890.17	0	59.27	4476.09
14.	मध्य प्रदेश	191080.71	175396.00	6031.98	18613.56	1224.69	326.84	26197.07
15.	महाराष्ट्र	207809.77	149159	5433.75	7919.95	0	210.18	13563.88
16.	मणिपुर	6539.33	5797	334.15	501.43	68.41	11.1	915.09
17.	मेघालय	10038.92	10039	853	687.78	39.87	20.28	1600.93
18.	मिजोरम	1837.86	1838	134.64	152.42	0	3.91	290.97
19.	नागालैंड	3762.74	3504	127.55	397.66	18.52	6.44	550.17
20.	उड़ीसा	104110.32	85562	5039.46	1917.52	254.37	93.6	7304.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	पंजाब	28053.43	8362	1188.87	563.9	0	21.39	1774.16
22.	राजस्थान	196108.30	121494	5223.17	11479.63	411.23	296.55	17410.58
23.	सिक्किम	2126.59	1910	179.68	260.38	18.03	5.78	463.87
24.	तमिलनाडु	76586.73	63032	3984.31	8964.3	532.51	165.84	13646.96
25.	त्रिपुरा	9882.13	9425	535.10	1063.91	68.16	21.23	1688.4
26.	उत्तराखंड	14180.85	13963	1369.21	1553.09	0	40.13	2962.43
27.	उत्तर प्रदेश	335973.30	286190	19992.27	29553	1085.21	647.34	51277.82
28.	पश्चिम बंगाल	205424.69	162002	15418.1	28043.56	1588.67	414.19	45464.52
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	668.25	435	39.36	0	0	0.7	40.06
30.	चंडीगढ़	1007.96	396	48.27	122.51	0	2.09	172.87
31.	दादरा और नगर हवेली	610.20	402	29.37	58.99	0	1.11	89.47
32.	दमन और दीव	302.94	217	19.58	26.61	3.91	0.71	50.81
33.	दिल्ली	21065.55	16831	1196.05	1854.46	0	43.34	3093.85
34.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	20.09	0	0.21	20.3
35.	पुडुचेरी	879.54	583	26.01	100.54	0	1.54	128.09
	कुल	2251412.12	1790538	117139.18	189030.39	8311.74	4031.56	318512.87

विवरण II

वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांक 31.3.2007 तक मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	खाद्यानों का आवंटन (मीट्रिक टन में)	एफसीआई को दी गई खाद्यनों की लागत	कुकिंग लागत	परिवहन सब्सिडी	एमएमई 1.8 प्रतिशत की दर से	60000 रु. प्रति इकाई की दर से किचन शेड के लिए संस्वीकृत स्कूलों की संख्या		5000 रु. प्रति इकाई की दर से किचन डिवाइस के लिए संस्वीकृत स्कूलों की संख्या		कुल खर्च (4+5+6+7+9+11)
							इकाई	राशि	इकाई	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	131002.165	6754.95	16289.84	902.78	135.90	17201	10320.81	49618	2480.86	36885.14
2.	बिहार	248029.831	14267.28	21876.75	11.81	256.26	16050	9629.75	35760	1788.02	47829.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	छत्तीसगढ़	69222.563	2149.14	8668.74	153.38	98.67	5570	3342.28	22420	1120.98	15533.19
4.	गोवा	1317.508	76.04	162.43	3.29	2.37	0	0.00	675	33.74	277.87
5.	गुजरात	75470.662	3312.87	8782.18	457.85	177.30	6318	3790.56	22399	1119.95	17640.71
6.	हरियाणा	32895.184	718.79	2801.83	77.73	84.70	3185	1911.29	6645	332.24	5926.58
7.	हिमाचल प्रदेश	12096.133	626.60	1206.14	122.99	6.14	3433	2059.80	7557	377.85	4399.52
8.	जम्मू-कश्मीर	20209.968	1117.18	1147.29	0.00	0.00	5087	3052.20	11198	559.91	5876.58
9.	झारखण्ड	84905.328	696.59	10097.31	455.13	108.35	5537	3322.14	14990	749.49	15429.01
10.	कर्नाटक	96517.614	3998.48	12282.26	849.24	317.88	9606	5763.61	30691	1534.55	24746.02
11.	केरल	32308.223	1485.59	4248.07	19.45	51.18	451	270.55	3139	156.95	6231.79
12.	मध्य प्रदेश	188693.844	7841.46	23508.25	1216.99	314.48	23232	13939.08	57963	2898.17	49718.43
13.	महाराष्ट्र	164135.215	10627.87	20032.34	1126.89	368.32	18417	11050.20	42450	2122.51	45328.13
14.	उड़ीसा	91938.203	4825.51	11681.42	502.99	197.27	15091	9054.33	34385	1719.25	27980.77
15.	पंजाब	29401.807	903.99	1964.70	75.23	75.20	4571	2742.59	9265	463.27	6224.98
16.	राजस्थान	133312.814	5909.22	15285.46	444.62	349.51	8083	4849.58	14464	723.18	27561.57
17.	तमिलनाडु	73115.373	3789.77	9122.80	356.79	74.76	457	274.30	17312	865.62	14484.04
18.	उत्तराखण्ड	14535.957	224.12	1796.72	0.00	6.99	4164	2498.12	8440	422.00	4947.95
19.	उत्तर प्रदेश	346109.283	17345.29	43647.91	3966.69	812.78	22920	13751.61	62797	3139.83	82664.11
20.	पश्चिम बंगाल	174499.363	10412.98	20397.56	681.90	280.07	9792	5875.20	39926	1996.30	39644.01
	कुल	2019717.038	97083.72	235000.00	11425.75	3718.13	179165	107498.00	4920494	24604.67	479330.27
	विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र										
21.	दिल्ली	19579.14	822.46	0.00	0.00	9.17	0	0.00	2242	112.10	943.73
22.	पुडुचेरी	1013.472	57.85	126.68	0.00	1.77	0	0.00	308	15.40	201.70
	कुल	20592.612	880.31	126.68	0.00	10.94	0	0.00	2550	127.50	1145.43
	विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र										
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	575.726	0.00	38.88	0.00	1.29	0	0.00	127	6.35	46.52
24.	चंडीगढ़	1228.656	17.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	17.15
25.	दादरा और नगर हवेली	508.147	26.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	26.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	दमन और दीव	246.139	7.36	0.00	0.00	0.18	26	15.43	32	1.62	24.59
27.	लक्षद्वीप	183.568	0.00	0.00	0.00	0.40	0	0.00	13	0.66	1.06
	कुल	2742.236	50.98	38.88	0.00	1.86	26	15.43	173	8.63	115.78
	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य										
28.	अरुणाचल प्रदेश	4558.697	198.66	261.37	0.00	11.70	3843	2305.67	1278	63.89	2841.29
29.	असम	78617.92	4400.80	6277.43	27.77	98.81	30068	18040.76	17666	883.28	29728.85
30.	मणिपुर	5665.843	225.30	400.48	0.00	11.72	1174	704.40	1457	72.85	1414.75
31.	मेघालय	10543.613	340.32	659.73	28.16	26.56	2539	1523.40	1450	72.48	2650.65
32.	मिजोरम	1624.978	100.23	107.20	8.34	2.83	611	366.85	727	36.34	621.79
33.	नागालैंड	3541.399	70.56	488.71	20.02	12.40	1752	1051.44	999	49.93	1693.06
34.	सिक्किम	1960.695	118.71	166.46	0.00	0.79	800	480.23	446	22.32	788.51
35.	त्रिपुरा	10787.039	517.94	1551.94	0.00	16.42	962	577.25	1978	98.91	2762.46
	कुल	117300.184	5972.52	9913.32	84.29	181.22	41749	25050.00	26000	1300.00	42501.35
	सकल योग	2160352.070	103987.53	245078.88	11510.04	3912.15	220940	132563.43	520817	26040.80	523092.83
	अर्थात् रु. करोड़ में		1039.88	2450.79	115.10	39.12		1325.63		260.41	5230.93

राष्ट्रीय घटक के तहत 0.0065 करोड़ रुपए तथा विज्ञापन एवं प्रचार के लिए 2.53 करोड़ रुपए सहित कुल खर्च - 5233.4665 करोड़ रुपए

विवरण III

वर्ष 2007-08 के दौरान दिनांक 31.3.2008 तक मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकरूपताओं की प्रदत्त खाद्यान्नों की लागत	कुकिंग लागत (प्राथमिक)	कुकिंग लागत (अपर प्राथमिक)	एमएमई 1.8 प्रतिशत की दर से (प्राथमिक)	एमएमई 1.8 प्रतिशत की दर से (उच्च प्राथमिक)	परिवहन सब्सिडी प्रतिपूर्ति	केन्द्रीय सहायता (प्राथमिक-अपर प्राथमिक) 1.10.07-31.3.08	किचन शैड				किचन उपकरण				कुल
									इकाई	राशि (प्राथमिक)	इकाई	राशि (अपर प्राथमिक)	इकाई	राशि (प्राथमिक)	इकाई	राशि (अपर प्राथमिक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	5653.77	14375.72	3686.66	414.54	94.00	673.68	404.63	19345	11607.00	13983	8389.80	14856	742.80	13983	699.15	46741.75
2.	बिहार	2998.10	27718.27	4831.84	701.68	124.00	1000.00	963.17	0	0.00	15059	9035.40	10708	535.40	16361	815.80	48723.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	छत्तीसगढ़	2385.71	8597.82	1163.83	155.20	30.00	582.14	321.60	0	0.00	6016	3609.60	0	0.00	6016	300.80	17146.69
4.	गोवा	74.44	220.72	0.00	2.04	0.00	3.35	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	306.70
5.	गुजरात	3269.35	8899.23	1070.44	125.42	27.00	286.93	290.86	0	0.00	0	0.00	6707	335.35	0	0.00	14304.58
6.	हरियाणा	1033.81	3799.41	434.54	114.77	11.00	170.55	138.08	0	0.00	873	523.80	1989	99.45	873	43.65	6369.06
7.	हिमाचल प्रदेश	804.26	1923.96	113.76	14.35	3.00	118.43	90.83	0	0.00	47	28.20	0	0.00	220	11.00	3107.79
8.	जम्मू-कश्मीर	160.96	2244.88	616.37	67.97	16.00	0.00	161.76	0	0.00	728	436.80	0	0.00	728	36.40	3741.14
9.	झारखण्ड	3832.17	8707.26	2179.83	132.89	56.00	0.00	401.32	10236	6141.60	118	70.80	4488	224.40	118	5.90	21752.17
10.	कर्नाटक	4873.78	13637.88	2699.59	337.95	69.00	750.83	492.80	17761	10656.60	480	288.00	0	0.00	900	45.00	33851.43
11.	केरल	596.25	5728.47	12.72	34.32	0.00	357.11	143.93	834	500.40	0	0.00	940	47.00	0	0.00	7420.20
12.	मध्य प्रदेश	8004.82	19538.21	4692.21	693.14	120.00	1234.57	877.69	28687	17212.20	15912	9547.20	17355	867.75	15912	795.60	63583.40
13.	महाराष्ट्र	5634.02	25328.30	1068.91	245.57	27.00	0.00	706.76	0	0.00	87	52.20	12710	635.50	87	4.35	33702.61
14.	उड़ीसा	3209.19	15471.83	1378.55	386.69	35.00	614.19	490.23	18633	11179.80	7686	4611.60	10295	514.75	8048	402.40	38294.23
15.	पंजाब	1395.93	5366.50	315.30	39.56	8.00	163.69	127.43	0	0.00	1052	631.20	0	0.00	1052	52.50	8100.21
16.	राजस्थान	5018.88	24325.40	4267.22	593.08	109.00	1422.14	736.21	14945	8967.00	4115	2469.00	4330	216.50	4115	205.75	48330.18
17.	तमिलनाडु	3727.45	12035.38	309.17	228.68	7.00	495.31	316.25	844	506.40	190	114.00	5184	259.20	647	32.35	18031.19
18.	उत्तराखण्ड	1062.94	2139.32	302.60	57.10	8.00	331.71	117.74	0	0.00	809	485.40	0	0.00	809	40.45	4545.25
19.	उत्तर प्रदेश	9854.51	44788.72	10060.52	432.57	258.00	828.52	1790.79	25772	15463.20	15805	9483.00	18802	940.10	15805	790.25	94690.18
20.	पश्चिम बंगाल	7037.46	28386.34	1910.31	757.67	48.96	1401.67	861.77	0	0.00	1900	1140.00	0	0.00	7	0.35	41544.53
	कुल	70627.80	273233.62	41114.37	5535.19	1050.96	10434.82	9440.00	137057	82234.20	84860	50916.00	108364	5418.20	85636	4281.80	554286.95
	विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र																
21.	दिल्ली	752.10	2072.380	0.00	28.89	0.00	60.70	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2914.07
22.	पुदुचेरी	65.73	163.94	0.00	4.06	0.00	6.68	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	244.41
	कुल	817.83	2236.32	0.00	32.95	0.00	67.38	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3158.48
	विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र																
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	61.35	61.35	0.00	0.51	0.00	0.00	2.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	125.52
24.	चंडीगढ़	46.04	302.85	0.00	6.63	0.00	0.00	4.23	0	0.00	0	0.00	0	2.00	0	0.00	361.75
25.	दादरा और नगर हवेली	28.52	117.07		1.02	1.00	0.00	4.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	180.56
26.	दमन और दीव	8.13	44.16	0.00	1.09	0.00	0.00	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	54.30
27.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	144.04	525.58	28.42	9.25	1.00	0.00	11.84	0	0.00	0	0.00	0	2.00	0	0.00	722.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य																
28.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	841.03	111.22	17.15	3.00	0.00	39.17	0	0.00	242	145.20	960	48.00	242	12.10	1216.87
29.	असम	5335.39	5857.86	1953.48	197.99	48.12	28.10	605.64	0	0.00	0	0.00	13277	663.85	0	0.00	14690.48
30.	मणिपुर	0.00	937.73	8.59	2.53	0.00	0.00	37.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	986.76
31.	मेघालय	803.10	2372.31	95.88	21.65	2.00	0.00	90.19	0	0.00	468	280.80	1089	54.45	468	23.40	3743.78
32.	मिजोरम	19.07	369.04	3.22	8.73	0.00	30.92	13.07	0	0.00	21	12.60	546	27.30	21	1.05	485.00
33.	नगालैंड	320.14	761.85	3.85	5.62	0.00	35.41	26.81	0	0.00	3	1.80	750	37.50	46	2.30	1195.29
34.	सिक्किम	99.92	237.78	0.00	6.78	0.00	44.91	12.67	0	0.00	0	0.00	336	16.80	0	0.00	418.86
35.	त्रिपुरा	353.69	1586.18	54.14	36.69	1.00	146.13	62.64	0	0.00	198	118.80	1487	74.35	299	14.95	2448.56
	कुल	6931.31	12963.78	2230.38	297.14	54.12	285.47	888.10	0	0.00	932	559.20	18445.	922.25	1076	53.80	25185.55
	सकल योग	78520.99	288959.30	43373.17	5874.53	1106.08	10787.67	10343.94	137057	82234.20	85792	51475.20	126809	6342.45	86712	4335.60	583353.12
	अर्थात् रु. करोड़ में	785.21	2889.59	433.73	58.75	11.06	107.88	103.44		822.34		514.75		63.42		43.36	5833.53

1.9109 करोड़ रुपए सहित (एडसिल आदि को व्यवसायिक सेवा के लिए 0.5854 करोड़ रु., गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए/डीए के सहित 0.0160 करोड़ रुपए तथा विज्ञापन एवं प्रचार के लिए 1.3095 करोड़ रुपए)

कुल व्यय: 5835.44 करोड़ रु.

विवरण IV

मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 16.10.2008 की स्थिति के अनुसार जारी केंद्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्न की लागत (एफ.सी.आई. को भुगतान)	कुकिंग लागत			परिवहन	एम.एम.ई.	कुल आवर्ती सहायता	60,000/- रु. की दर से किचन शैड		5,000/- रु. की दर से किचन उपकरण		कुल (कालम 11+13)	सकल योग (कालम 3+9+14)
			प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल				यूनिट	राशि	यूनिट	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(6+7+8)	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	1350.90	4408.62	2095.24	6503.86	321.51	165.29	6990.66	0	0.00	0	0.00	0.00	8341.56
2.	बिहार	5451.39	5896.40	3052.18	8948.58	443.40	227.57	9619.55	0	0.00	0	0.00	0.00	15070.94
3.	छत्तीसगढ़	4194.00	2330.09	2226.82	4556.91	148.78	75.99	4781.68	0	0.00	0	0.00	0.00	8975.68
4.	गोवा	22.61	126.48	131.11	257.59	11.39	3.28	272.26	0	0.00	0	0.00	0.00	294.87
5.	गुजरात	1409.59	4801.64	1478.33	6279.97	368.42	95.18	6743.57	9303	5581.80	0	0.00	5581.80	13734.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9(6+7+8)	10	11	12	13	14	15
6.	हरियाणा	906.83	1155.45	1198.83	2354.28	123.57	43.21	2521.06	0	0.00	0	0.00	0.00	3427.89
7.	हिमाचल प्रदेश	374.91	461.24	740.96	1202.20	126.49	29.04	1357.74	11298	6778.80	7163.00	358.15	7136.95	8869.60
8.	जम्मू-कश्मीर	1157.23	1167.31	159.31	1326.62	180.05	0.00	1479.74	0	0.00	0	0.00	0.00	2636.97
9.	झारखण्ड	7675.33	2571.52	994.54	3566.06	175.33	90.48	3831.87	4510	2706.00	0	0.00	2706.00	14213.20
10.	कर्नाटक	4296.24	5502.23	4423.51	9925.74	138.69	136.19	10197.62	0	0.00	0	0.00	0.00	14493.86
11.	केरल	1959.00	1931.51	2704.46	4635.97	271.29	74.18	4981.44	0	0.00	0	0.00	0.00	6940.44
12.	मध्य प्रदेश	6788.21	9249.16	3564.65	12813.81	1006.53	213.24	14033.59	0	0.00	5869	293.45	293.45	21115.25
13.	महाराष्ट्र	7847.95	7067.12	4579.43	11646.55	580.78	296.74	12524.07	38048	22828.80	0	0.00	22828.80	43200.82
14.	उड़ीसा	3861.91	1998.28	2332.88	4331.16	391.75	0.00	4715.37	0	0.00	10977	548.85	548.85	9126.13
15.	पंजाब	1100.98	1371.53	1750.89	3122.42	183.34	78.04	3383.80	0	0.00	0	0.00	0.00	4484.78
16.	राजस्थान	3842.49	3263.94	1858.92	5122.86	254.51	130.38	5507.75	0	0.00	0	0.00	0.00	9350.24
17.	तमिलनाडु	2500.39	5971.01	4037.50	10008.51	481.31	255.10	10744.92	3804	2282.40	8526	426.30	2708.70	15954.01
18.	उत्तराखण्ड	1836.48	981.42	592.48	1573.90	155.78	29.61	1759.29	0	0.00	6127	306.35	306.35	3902.11
19.	उत्तर प्रदेश	17928.39	11931.45	4854.48	16785.93	826.41	426.09	18038.43	0	0.00	0	0.00	0.00	35966.82
20.	पश्चिम बंगाल	5981.39	3308.95	7480.85	10789.80	150.80	127.88	11068.47	0	0.00	0	0.00	0.00	17049.86
	कुल	80486.20	75495.35	50257.37	125752.72	6340.13	2497.49	134552.87		40177.80		1933.10	42110.90	257149.97
	विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र													
21.	दिल्ली	381.27	1557.99	1125.36	2683.35	133.26	34.20	2850.81	0	0.00	0	0.00	0.00	3232.08
22.	पुदुचेरी	55.76	85.13	85.02	170.15	8.64	3.29	182.08	92	55.20	0	0.00	55.20	293.04
	कुल	437.03	1643.12	1210.38	2853.50	141.90	37.49	3032.89		55.20		0.00	55.20	3525.12
	विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र													
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.71	38.69	34.16	72.85	3.66	1.85	78.36	276	165.60	0	0.00	165.60	274.67
24.	चंडीगढ़	16.85	58.38	70.56	128.94	7.96	4.05	140.95	0	0.00	0	0.00	0.00	157.80
25.	दादरा और नगर हवेली	17.39	25.59	9.63	35.22	1.72	0.89	37.83	0	0.00	0	0.00	0.00	55.22
26.	दमन और दीव	11.72	11.01	5.63	16.64	0.82	0.41	17.87	0	0.00	0	0.00	0.00	29.59
27.	लक्षद्वीप	0.00	12.33	5.92	18.25	0.89	0.46	19.59	0	0.00	0	0.00	0.00	19.59
	कुल	76.67	146.00	125.90	271.90	15.05	7.66	294.60		165.60		0.00	165.60	536.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9(6+7+8)	10	11	12	13	14	15
	पूर्वोत्तर राज्य													
28.	अरुणाचल प्रदेश	662.30	114.06	73.23	187.29	13.22	4.65	205.16	0		0	0.00	0.00	867.46
29.	असम	1089.32	4171.35	2612.71	6784.06	61.45	35.90	6881.41	10048	6028.80	0	0.00	6028.80	13999.53
30.	मणिपुर	487.31	232.57	83.78	316.35	21.88	7.82	346.05	0		0	0.00	0.00	833.36
31.	मेघालय	396.25	245.81	168.88	414.69	29.36	10.31	454.36	1294	776.40	0	0.00	776.40	1627.01
32.	मिजोरम	280.72	106.13	169.96	276.09	25.79	8.98	310.73	901	540.60	0	0.00	540.60	1132.05
33.	नागालैंड	152.01	266.57	81.40	347.97	28.98	10.44	387.39	22	13.20	0	0.00	13.20	552.60
34.	सिक्किम	65.14	68.83	69.29	138.12	0.00	1.22	139.25	59	35.40	0	0.00	35.40	239.79
35.	त्रिपुरा	424.13	689.38	379.66	1069.04	81.52	8.32	1158.88	722	433.20	0	0.00	433.20	2016.21
	कुल	3557.18	5894.70	3638.91	9533.61	262.20	87.64	9883.225		7827.60		0.00	7827.60	21268.01
	सकल योग	84557.08	83179.17	55232.56	138411.73	6759.28	2630.27	147763.59		48226.20		1933.10	50159.30	282479.97
	अर्थात् रु. करोड़ में	845.57	831.79	552.33	1384.12	67.59	26.30	1477.64		482.26		19.33	501.59	2824.80

विवरण V

प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तर के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना का लाभ उठा रहे बच्चों की संख्या		कुल
		प्राथमिक	अपर-प्राथमिक	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5073213	1814065	6887278
2.	अरुणाचल प्रदेश	120699	60650	181349
3.	असम	2427900	1835693	4263593
4.	बिहार	6879084	2679121	9558205
5.	छत्तीसगढ़	2208519	1095754	3304273
6.	गोवा	76240	59460	135700
7.	गुजरात	3263166	885301	4148467
8.	हरियाणा	1300997	605693	1906690
9.	हिमाचल प्रदेश	500983	350874	851857
10.	जम्मू-कश्मीर	962747	281567	1244314
11.	झारखण्ड	2842880	827236	3670116
12.	कर्नाटक	3779066	2031143	5810209
13.	केरल	1909491	1327695	3237186
14.	मध्य प्रदेश	6702631	2107977	8810608
15.	महाराष्ट्र	8132481	3964879	12097360
16.	मणिपुर	234386	66080	300466
17.	मेघालय	260116	139859	399975
18.	मिजोरम	89709	65262	152271
19.	नागालैंड	180854	34039	214893
20.	उड़ीसा	3282700	1128000	4410700
21.	पंजाब	1300279	868849	2169128

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	4131581	1770400	5901981
23.	सिक्किम	57637	28693	86330
24.	तमिलनाडु	3531891	1831070	5362961
25.	त्रिपुरा	348020	163299	511319
26.	उत्तराखंड	731105	393444	1124549
27.	उत्तर प्रदेश	13760021	4173094	17933115
28.	पश्चिम बंगाल	7133880	3816192	10950072
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23661	15719	39380
30.	चंडीगढ़	53163	32000	85163
31.	दादरा और नगर हवेली	30000	8500	38500
32.	दमन और दीव	13346	5134	18480
33.	दिल्ली	986067	535895	1521962
34.	लक्षद्वीप	7094	2562	9656
35.	पुडुचेरी	54540	40488	95028
	कुल	82390147	35042987	117433134

अध्यापकों की शिक्षा

611. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री नन्द कुमार साय:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अध्यापकों की कुशलता बढ़ाने तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान कुछ राज्यों द्वारा इस योजना हेतु आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस धनराशि का उपयोग न होने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(छ) स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य कार्य करने के लिए अध्यापक शिक्षा की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में अध्यापक शिक्षा कालेजों तथा शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों का गठन किया गया है:-

(1) माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को गुणवत्तापरक सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करना;

(2) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के संकायों तथा उनकी सतत शिक्षा के लिए कार्मिकों को तैयार करना;

(3) माध्यमिक स्कूलों तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को सामान्य संसाधन सहायता का प्रावधान; और

(4) माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विस्तार कार्य। अभी तक 104 सीटीई तथा 31 आईएएसई संस्वीकृत किए गए हैं। विगत तीन वर्ष के दौरान सीटीई तथा आईएएसई के लिए जारी की गई सेहायता तथा वर्ष 2007-08 में उसके उपयोग की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। असम तथा गुजरात राज्य में निधियों के कम उपयोग के विभिन्न कारण हैं जिनमें वेतन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निधियों की उपयोग क्षमता का कम होना है।

(ङ) से (छ) निधियों के उपयोग सहित अध्यापक शिक्षा कालेजों/शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों के कार्यनिष्पादन की मंत्रालय में अध्यापक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। गहन जांच के पश्चात अध्यापक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड राज्य की योजनाओं का अनुमोदन करता है और सरकार द्वारा मामले की आवधिक समीक्षा की जाती है। अध्यापक शिक्षा कालेजों और शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों सहित देश में विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने अध्यापक शिक्षा योजना के मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को सौंप दिया है।

विवरण

अध्यापक शिक्षा कालेजों/उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों के लिए आबंटित निधियों की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08 जारी	2008-09 प्रयुक्त	2008-09 (अध्यापक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	105.00
2.	असम	–	37.59	189.29	138.57	83.50
3.	बिहार	–	–	–	–	22.00
4.	छत्तीसगढ़	–	1.91	10.00	10.00	21.00
5.	गुजरात	–	–	50.00	38.36	73.00
6.	हरियाणा	–	–	20.00	20.00	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	2.40	2.40	5.28
8.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	21.00
9.	झारखंड	–	–	–	–	10.00
10.	कर्नाटक	273.96	–	498.00	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	456.42
11.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	81.70
12.	मेघालय	–	–	5.00	5.00	14.00
13.	मिजोरम	–	–	4.05	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	–
14.	नागालैंड	–	–	17.00	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	17.00
15.	उड़ीसा	–	–	188.90	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	178.27
16.	राजस्थान	–	–	216.27	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	156.69

1	2	3	4	5	6	7
17.	तमिलनाडु	–	–	81.50	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	183.50
18.	त्रिपुरा	–	–	–	–	10.50
19.	उत्तर प्रदेश	–	51.20	38.00	38.00	45.40
20.	उत्तराखंड	–	–	96.00	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	52.00
21.	पश्चिम बंगाल	–	–	53.00	उपयोगिता स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई	–
	कुल	273.96	90.70	1469.41	252.33	1536.26

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए भवन

612. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) चल रहे हैं;

(ख) स्थायी भवनों तथा अस्थायी भवनों में चलने वाले (जेएनवी) की राज्य-वार संख्या क्रमश: कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में सभी (जेएनवी) को स्थायी भवन मुहैया कराने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) इस समय देश में 554 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) स्थायी भवनों वाले जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या और अस्थायी भवनों में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) विद्यालयों के निर्माण से संबंधित कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के पक्ष में भूमि हस्तांतरित किए जाने के बाद संस्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हो।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ सासित प्रदेश का नाम	कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	स्थायी भवन में जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	अस्थायी भवन में जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0
2.	आंध्र प्रदेश	22	22	0

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	6	10
4.	असम	26	19	7
5.	बिहार	38	28	10
6.	चंडीगढ़	1	1	0
7.	छत्तीसगढ़	16	10	6
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0
9.	दमन एवं दीव	2	2	0
10.	दिल्ली	2	2	0
11.	गोवा	2	2	0
12.	गुजरात	18	16	2
13.	हरियाणा	20	15	5
14.	हिमाचल प्रदेश	12	9	3
15.	जम्मू-कश्मीर	14	13	1
16.	झारखण्ड	22	14	8
17.	कर्नाटक	27	27	0
18.	केरल	14	14	1
19.	लक्षद्वीप	1	1	0
20.	मध्य प्रदेश	48	41	7
21.	महाराष्ट्र	31	29	2
22.	मणिपुर	9	7	2
23.	मेघालय	7	4	3
24.	मिजोरम	5	1	4
25.	नागालैंड	11	2	9
26.	उड़ीसा	30	16	14
27.	पुडुचेरी	4	4	0
28.	पंजाब	18	17	1
29.	राजस्थान	32	31	1
30.	सिक्किम	4	3	1

1	2	3	4	5
31.	त्रिपुरा	4	3	1
32.	उत्तर प्रदेश	67	59	8
33.	उत्तराखण्ड	13	9	4
34.	पश्चिम बंगाल	15	2	13
	कुल	554	431	123

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान का पुनरुद्धार

613. श्री परसुराम माझी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम का विस्तार और पुनरुद्धार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संरचना को 11वीं योजना अवधि की आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तारित तथा समायोजित किया गया है जिसमें शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर सुलभता में सुधार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार पर विशेष फोकस किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय हिस्से के रूप में 71,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

सीआरएफ और एनसीसीएफ जारी करना और उनका उपयोग

614. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आपदा प्रभावित राज्यों को आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा आपदा राहत कोष (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) के अंतर्गत किए गए अनुरोधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) किसी आपदा के "भयंकर आपदा" घोषित करने का मानदण्ड क्या है और इस प्रकार की घोषणा हो जाने के बाद सरकार किस प्रकार की सहायता देती है;

(घ) क्या ये मानदण्ड चालू वर्ष में असम में आई बाढ़ एवं अपरदन के मामले में लागू नहीं होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) 2005-10 की अवधि हेतु 12वें वित्त आयोग के एवार्ड के आधार पर प्रत्येक राज्य हेतु आवंटित धनराशि के साथ एक आपदा राहत कोष (सीआरएफ) गठित किया गया है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात से अंशदान किया जाता है। राज्य सरकारों को हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखा, भूकंप/सुनामी, अग्नि, बाढ़, ओला वृष्टि, भूस्खलन और कीट आक्रमण जैसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के लिए सीआरएफ से सहायता के अनुमोदित मानदंडों और मदों के अनुसार व्यय को पूरा करना अपेक्षित होता है। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, जहां राहत अभियानों हेतु धनराशि सीआरएफ से अधिक होती है, वहां यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लेने पर भी विचार किया जाता है।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के केन्द्रीय अंशदान के आवंटन तथा जारी धनराशि के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2008-09 (अब तक) के दौरान एनसीसीएफ से राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राज्य महालेखाकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान सीआरएफ खाते में उपलब्ध बकाया धनराशि की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जहां तक किसी भी आपदा को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने हेतु मानदंडों का संबंध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि क्रमिक वित्त आयोगों ने इस आधार पर गंभीर प्रकृति की आपदाओं को घोषित करने हेतु कोई मानदंड निश्चित नहीं किया कि किसी भी परिभाषा में काफी विकट कठिनाईयां शामिल होंगी तथा वह निराधार होगी तथा इसे अन्य बातों के साथ-साथ आपदा की व्यापकता और तीव्रता, आवश्यक राहत सहायता का स्तर, समस्या को हल करने में राज्य की क्षमता, सहायता और राहत उपलब्ध करवाने हेतु योजनाओं में उपलब्ध विकल्पों और लोचनीयता को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त आयोग द्वारा रचित राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) के गठन और प्रशासन की योजना में प्रावधान है कि अपने सीआरएफ में पर्याप्त बकाया न होने वाले राज्य के अनुरोध का गृह मंत्रालय द्वारा आकलन किया जाएगा कि किसी भी गंभीर प्रकृति की आपदा के किसी विशिष्ट मामले में एनसीसीएफ से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है या नहीं तथा तत्पश्चात् यथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर एनसीसीएफ से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

एनसीसीएफ से अतिरिक्त सहायता हेतु अनुरोध पर विचार करते समय असम सहित सभी राज्यों पर एक समान से उक्त प्रक्रिया लागू की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 से 2008-09 (आज की तारीख तक) के दौरान आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से के कुल राज्य-वार आबंटन और जारी की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	सी.आर.एफ. के अंतर्गत आबंटन (कुल)				जारी सीआरएफ का केन्द्रीय अंशदान			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (आज तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	344.08	361.28	379.35	398.31	258.06	335.48	219.99	298.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.30	29.12	29.97	30.87	21.23	21.84	22.48	11.575
3.	असम	193.06	198.62	204.48	210.63	72.395#	221.37	153.37	78.99
4.	बिहार	148.93	153.23	157.74	162.48	55.85*	55.845*	233.235#	121.86
5.	छत्तीसगढ़	111.75	114.98	118.35	121.91	41.91*	150.325#	65.57	0.00
6.	गोवा	2.11	2.21	2.32	2.44	0.79*	2.45#	1.74	0.92
7.	गुजरात	246.00	258.30	271.22	284.77	184.50	246.865	48.57*	208.495#
8.	हरियाणा	124.38	130.60	137.13	143.99	83.95*	107.28	102.85	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	100.69	103.60	106.65	109.87	75.52	77.70	79.99	82.40
10.	जम्मू-कश्मीर	86.46	88.96	91.57	94.33	64.84	66.72	68.68	35.375
11.	झारखंड	126.07	129.71	133.53	137.55	94.56	48.64	148.79#	0.00
12.	कर्नाटक	114.66	120.39	126.41	132.73	86.00	113.98	71.11	49.775
13.	केरल	85.50	89.77	94.26	98.98	64.13	67.33	70.70	37.115
14.	मध्य प्रदेश	254.23	261.58	269.29	277.39	190.67	246.67	151.48	104.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	222.90	234.05	245.75	258.04	167.18	220.00	47.695	0.00
16.	मणिपुर	5.56	5.72	5.89	6.05	0.00*	0.00*	10.67#	4.48#
17.	मेघालय	11.29	11.61	11.95	12.31	4.24*	12.945	8.96	4.615
18.	मिजोरम	6.58	6.77	6.97	7.19	2.47	5.01	7.77#	0.00
19.	नागालैंड	3.83	3.94	4.05	4.16	1.435	0.00*	7.415#	0.00
20.	उड़ीसा	301.54	310.24	319.38	328.97	226.16	291.34	180.87	310.30@@
21.	पंजाब	146.03	153.33	160.99	169.04	54.76*	112.26	178.24#	63.39
22.	राजस्थान	415.64	436.42	458.25	481.16	311.73	413.66	257.34	180.435
23.	सिक्किम	17.53	18.04	18.57	19.13	13.15	0.00*	27.46#	0.00
24.	तमिलनाडु	209.08	219.53	230.51	242.03	78.405*	243.06#	172.88	90.76
25.	त्रिपुरा	12.85	13.22	13.61	14.03	0.00*	14.60#	10.065#	10.365*
26.	उत्तर प्रदेश	295.94	304.48	313.45	322.87	221.95	228.36	235.10	121.075
27.	उत्तराखंड	94.69	96.59	198.58	100.67	71.02	36.22*	73.185#	74.715#
28.	पश्चिम बंगाल	234.73	241.50	248.62	256.09	176.05	181.12	186.47	96.035
	कुल	3944.41	4097.79	4258.84	4427.99	2622.94	3521.07@	2842.665	1985.42

*विगत में जारी रिलीज निधियों की क्रेडिटिंग, उपभोग प्रमाणपत्र और वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित जानकारी के अभाव में सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से की राशि जारी नही की गई।

#विगत वर्षों के लिए सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से के बकाया की किस्त सहित।

@इसमें वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय हिस्से की 25% की राशि।

@@इसमें वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय हिस्से की 25% की राशि अग्रिम रूप जारी की गई।

विवरण II

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 (आज तक) के दौरान राज्यों द्वारा मांगी गई एच.एल.सी. द्वारा अनुमोदित तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से जारी सहायता राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/आपदा	राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता	एचएलसी द्वारा अनुमोदित कुल सहायता	एनसीसीएफ से जारी की गई सहायता*			
				2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (आज तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश						
	(i) बाढ़/चक्रवाती तूफान-05	903.63	172.44	72.29	–	–	–
	(ii) वास्तविक आधार पर 2001 की बाढ़ हेतु एयरलिफ्टिंग प्रभार	3.06	3.06		3.06		

1	2	3	4	5	6	7	8
	(iii) बाढ़ (अक्तू.-नव. 05) अनंतपुर	112.93	17.80			17.80	
	(iv) बाढ़ (अगस्त, 06)	877.32	152.10				
	(v) बाढ़ (सितम्बर, 06)	115.16	119.85	75.99			
	(vi) बाढ़/ओग्नि चक्रवात (अक्तू.-नव. 06)	404.99	119.85				
	(vii) सूखा 2006-07	628.56	56.56			0.00	
	(viii) सूखा 2006-07	194.57	19.71			19.71	
	(ix) सूखा 2007 (1 ज्ञापन)	394.38	136.053			124.00	29.82
	(x) बाढ़ 2007 (2 ज्ञापन)	584.32	174.86				
	(xi) बाढ़-फर-मार्च 08 (3 और 4 ज्ञापन)	105.16	47.65				0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश						
	(i) खाद्यान्नों का परिवहन बिल बाढ़-04	76.29	76.29	76.29			
	(ii) बाढ़/भूस्खलन-05	561.31	48.18		36.53		
	(iii) बाढ़/भूस्खलन-07	294.88	47.30				26.40
3.	असम						
	(i) बाढ़-07	879.46	263.74			0.00	
	(ii) बाढ़-08	Ad hoc					300.00
4.	बिहार						
	(i) बाढ़-07	2489.02	745.26			0.00	
	(ii) बाढ़-08	Ad hoc					1000.00
5.	छत्तीसगढ़						
	बाढ़-06	376.36	23.32		0.00		
6.	गुजरात						
	(i) बाढ़-05	988.89	413.32	304.31			
	(ii) बाढ़-06	2694.36	305.77		350.00#		
7.	हिमाचल प्रदेश						
	(i) बाढ़-05	1014.00	74.86	74.86			
	(ii) वास्तविक आधार पर-2000 की बाढ़ हेतु एयरलिफ्टिंग प्रभार	38.11	38.11	38.11			

1	2	3	4	5	6	7	8
	(iii) सूखा-06	377.00	39.02		0.00		
	(iv) सूखा-06	3932.32	26.02			24.58	
	(v) बाढ़-07	1234.12	59.89				9.84
8.	जम्मू-कश्मीर						
	(i) भूकम्प-05	1351.19	170.20	170.20			
	(ii) बाढ़-06	645.48	58.91			13.51	
9.	झारखंड						
	सूखा-06	880.70	107.37		0.00		
10.	कर्नाटक						
	(i) बाढ़-05	3640.07	225.05	198.85			
	(ii) बाढ़-05 (सित.-अक्तू.)	1256.90	160.52	160.52			
	(iii) बाढ़-06	858.37	125.67		89.26		
	(iv) सूखा-06	1406.01	74.48				
	(v) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	406.42	117.45			201.45	
	(vi) बाढ़-07 (2 ज्ञापन)	1434.02	121.80				
	(vii) सूखा-06	74.48	4.48			4.48	
	(viii) बाढ़-07 (3 ज्ञापन)	838.78	140.40				109.91
	(ix) बाढ़-मार्च-अप्रैल 08 (4 ज्ञापन)	1068.96	99.52				77.33
11.	केरल						
	(i) बाढ़-05	196.40	26.98	5.22			
	(ii) बाढ़-06	149.08	23.00		0.00		
	(iii) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	787.75	134.396			50.81	9.47
	(iv) बाढ़-मार्च-अप्रैल-08 (2 ज्ञापन)	309.29	46.255			0.00	
12.	मध्य प्रदेश						
	(i) बाढ़-05	628.21	70.83		15.34		
	(ii) ओलावृष्टि-05	117.34	15.51		15.51		
	(iii) ओलावृष्टि-06	657.80	87.56		0.00		
	(iv) बाढ़-06	744.62	43.37		0.00		
	(v) सूखा-07-08	1883.81	34.34			0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र						
	(i) सूखा-05	1117.99	174.66	91.07			
	(ii) ओलावृष्टि-05	79.45	12.00	12.00			
	(iii) बाढ़-05	8740.66	697.45	554.18			
	(iv) बाढ़ (सित.-अक्तू. 05)	206.13	47.67		47.67		
	(v) बाढ़-06	5423.28	418.92		348.92		
14.	मणिपुर						
	कीट हमला (बांस और फूल)-07	50.02	16.67				5.44
15.	मिजोरम						
	(i) कीट हमला (बांस और फूल)-07 (1 ज्ञापन)	43.92	12.98			8.81	
	(ii) कीट हमला (बांस और फूल)-07-08 (2 ज्ञापन)	591.63	49.37				39.82
	(iii) बाढ़/भूस्खलन-07	129.34	23.53				9.78
16.	नागालैंड						
	बाढ़-05	8.81	0.81		0.81		
17.	उड़ीसा						
	(i) बाढ़-06	2384.08	115.24		25.00#		
	(ii) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	306.70	59.33			0.00	
	(iii) बाढ़-07 (2 ज्ञापन)	1093.53	139.69			0.00	
	(iv) बाढ़-08	Ad hoc					98.87
18.	राजस्थान						
	(i) सूखा-05	939.37	106.30	0.00			
	(ii) ओलावृष्टि-05	210.65	49.57	0.00			
	(iii) सूखा-06	1544.63	146.50		0.00		
	(iv) बाढ़-06	3309.93	240.04		100.00#		
19.	सिक्किम						
	(i) बाढ़/भूस्खलन-05	64.11	5.59		2.22		
	(ii) भूकम्प-06	30.16	2.98		2.98		
	(iii) बाढ़/भूस्खलन-07	104.92	17.26				8.36

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	तमिलनाडु						
	(i) सुनामी-मछुवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना	131.91	131.91	131.91			
	(ii) बाढ़-5 (1-3 दौर अक्तू.-नव.)	13457.62	808.35	808.35			
	(iii) बाढ़-05 (4 दौर)						
	(iv) बाढ़-07 (1 ज्ञापन)	564.19	197.49				72.46
	(v) बाढ़-मार्च-अप्रैल 08 (2 ज्ञापन)	509.55	93.18				2.49
21.	उत्तर प्रदेश						
	(i) बाढ़-06	713.66	36.34		0.00		
	(ii) बाढ़-07	1640.75	142.52			0.00	
22.	उत्तराखंड						
	(i) सूखा-06	287.80	38.99		7.05		
	(ii) सूखा-07-08	220.04	27.78			0.00	

*तात्कालिक आपदाओं के लिए सी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध बकाया के 75% समायोजन की शर्त पर एच.एल.सी. धनराशि का अनुमोदन करता है। ऐसे में एच.एल.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि तथा एन.सी.सी.एफ. से जारी वास्तविक धनराशि में अंतर होता है। कई मामलों में एच.एल.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि राज्य के सी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध धनराशि के 75% से कम होती है, इसलिए एन.सी.सी.एफ. से कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। (0.00 के रूप में विनिर्दिष्ट)
#यह धनराशि एन.सी.सी.एफ. से तदर्थ आधार पर जारी की गई है।

विवरण III

वर्ष 2005-06 से 2007-08 हेतु महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध बकाया धनराशि की स्थिति

(1.4.2008 की स्थिति के अनुसार अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	7.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	2.00	2.00
3.	असम	404.97	482.62	643.57
4.	बिहार	949.83	949.83	905.24
5.	छत्तीसगढ़	88.54	150.67	131.08
6.	गोवा	8.73	11.66	11.77
7.	गुजरात	249.20*	0.00*	545.99*
8.	हरियाणा	461.97	575.02	660.29
9.	हिमाचल प्रदेश	69.51	106.97	107.31
10.	झारखण्ड	389.13	469.75	668.14
11.	जम्मू-कश्मीर	एनआर	एनआर	एनआर
12.	कर्नाटक	49.11	46.11	41.72
13.	केरल	254.23	385.46	184.38
14.	मध्य प्रदेश	254.23	385.46	184.38
15.	महाराष्ट्र	शून्य*	शून्य*	शून्य
16.	मणिपुर	एनआर	7.66*	17.39
17.	मेघालय	16.00	11.00	11.00

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	6.29*	10.44*	13.91
19.	नागालैंड	(5.20)	(1.34)	(0.36)
20.	उड़ीसा	171.22	141.55	95.52
21.	पंजाब	1154.80	1460.04	1640.66
22.	राजस्थान	410.98	459.45	555.28
23.	सिक्किम	10.55	3.71	17.23
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	12.99
25.	त्रिपुरा	(15.35)	(26.07)	21.18*
26.	उत्तर प्रदेश	497.51	743.90	514.00
27.	उत्तराखंड	41.39*	39.24*	5.91*
28.	पश्चिम बंगाल	580.95	594.05	360.32*

*राज्य सरकार द्वारा पोषित उपयोगिता के अनुसार।
एनआर : सूचित नहीं किए गए
टिप्पणी: कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े राज्य सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं।

केवीआईसी तथा केवीआईबी हेतु धनराशि

615. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
श्री मदद लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को राज्य-वार कितना मुनाफा नुकसान हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर केवीआईसी तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) को राज्य-वार अलग-अलग कुल कितनी धनराशि आबंटित व जारी की गयी;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान केवीआईसी तथा इन बोर्डों ने आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने केवीआईसी तथा केवीआईबी द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधियों के उपयोग की जांच करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को और सुदृढ़ करने तथा सशक्त बनाने के लिए कोई नया पैकेज/प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कोई वाणिज्यिक संगठन नहीं है। तथापि, अपने संवर्धनात्मक कार्यकलापों के दौरान केवीआईसी खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यकलाप शुरू करता है जहां कुछ लाभ अर्जित किया जाता है अथवा क्षति होती है।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योगों के संवर्धन तथा विकास की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित अनुदान केवीआईसी को जारी किए जाते हैं जो बदले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) को निधियों का पुन: आबंटन करता है। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा आबंटित तथा जारी की गई वर्षवार बजटीय शीर्षवार निधियों और उसी अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के केवीआईबी को संवितरित निधियों सहित केवीआईसी द्वारा संवितरित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए इसी प्रकार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केवीआईसी द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बोर्डों को प्रदत्त निधियां मुख्यत: ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत मार्जिन मनी सहायता के रूप में थी। केवीआईसी द्वारा संवितरित मार्जिन मनी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवीआईबी के हिस्से का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	केवीआईसी द्वारा संवितरित मार्जिन मनी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवीआईबी का हिस्सा
2005-06	379.73	169.87
2006-07	371.45	180.57
2007-08	452.11	308.08

(ङ) और (च) सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर केवीआईसी को प्रदत्त निधियों के उपयोग की स्थिति की मानीटरी की जाती है यद्यपि अलग से किसी मानीटरी प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई है। सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार केवीआईसी द्वारा विधिवत् प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं।

(छ) और (ज) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना, वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है जिसके लिए 4735 करोड़ रुपये का अनुमानित कुल परिव्यय (मार्जिन मनी के लिए 4485 करोड़ रुपये और पिछड़े-अगड़े संपर्कों के लिए 250 करोड़ रुपये) रखे गए हैं। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी केवीआईसी/राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के केवीआईबी/डीआईसी से मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करके और कार्यान्वित सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों, आदि से सेवा/व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये और निर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये वाली परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में उद्यमियों को स्वीकार्य मार्जिन मनी सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 15% और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय तथा सीमा क्षेत्रों, आदि सहित विशेष श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25% है। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को स्वीकार्य मार्जिन मनी सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25% है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय तथा बोर्डर क्षेत्रों, आदि सहित विशेष श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 35% है।

विवरण I

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा केवीआईसी को आबंटित एवं जारी की गई तथा उक्त अवधि के दौरान केवीआईसी द्वारा संवितरित निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	बजट शीर्ष का नाम	सरकार द्वारा केवीआईसी को आबंटित एवं जारी की गई निधियां						केवीआईसी द्वारा संवितरित निधियां		
		आबंटित निधियां			जारी की गई निधियां					
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	खादी-अनुदान	120.00	138.30	111.60	106.90	138.30	99.90	112.01	134.36	112.09
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान-खादी	1.50	1.50	2.00	1.35	1.50	1.85	1.06	1.10	2.00
3.	खादी ऋण	0.49	0.49	1.00	0.00	0.49	1.00	3.19	0.91	2.73
4.	ग्रामोद्योग अनुदान	44.22	52.00	57.30	45.85	52.00	39.00	57.37	47.93	61.51
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान-ग्रामोद्योग	4.00	4.00	2.00	3.60	0.90	1.85	3.76	2.53	2.10
6.	ग्रामोद्योग-ऋण	0.01	0.01	0.50	0.00	0	0.01	1.96	0.00	0.00
7.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)	366.60	372.63	445.00	376.86	372.63	455.38	379.73	371.45	452.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)	1.50	25.97	21.00	1.12	19.03	9.04	0	7.35	20.09
9.	सरकारी ऋण पर ब्याज सब्सिडी-खादी	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
10.	सरकारी ऋण पर ब्याज सब्सिडी-ग्रामोद्योग	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11.	नई योजनाएं	0.00	0	9.75	0.00	0	1.80	0	0	2.91
	कुल	562.32	618.90	674.15	559.68	608.85	633.83	583.08	589.63	679.54

विवरण II

2008-09 के दौरान सरकार द्वारा केवीआईसी को आबंटित एवं जारी की गई तथा उक्त अवधि के दौरान केवीआईसी द्वारा संवितरित निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	बजट शीर्ष का नाम	2008-09 के दौरान सरकार द्वारा केवीआईसी को आबंटित एवं जारी की गई निधियां		2008-09 के दौरान केवीआईसी द्वारा संवितरित निधियां
		आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	
1.	खादी-अनुदान	175.00	59.79	56.17
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान-खादी	2.00	0.00	0.02
3.	खादी ऋण	2.00	0.50	4.83
4.	ग्रामोद्योग अनुदान	60.00	13.50	25.12
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान-ग्रामोद्योग	2.00	0.45	0.19
6.	ग्रामोद्योग-ऋण	1.00	0.25	0.00
7.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)	823.00	411.50	*27.34
8.	पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)	21.00	0.00	0.00
9.	सरकारी ऋण पर ब्याज सब्सिडी-खादी	19.00	0.00	0.00
10.	सरकारी ऋण पर ब्याज सब्सिडी-ग्रामोद्योग	5.00	0.00	0.00
11.	नई योजनाएं	39.00	18.23	@0.42
	कुल	1149.00	504.22	0.42

*2007-08 की राशि आरईजीपी के तहत वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई।

@एमजीआईआरआई के तहत

पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी को प्रोत्साहन

616. श्रीमती मेनका गांधी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन चुकी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार कितने छात्रों का नामांकन हिन्दी माध्यम में किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को संदर्भ तिथि मानते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा करवाए गए सातवें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की गई भाषाएं निम्नानुसार थीं:-

राज्य	शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध/दी गई मुख्य भाषा
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी
असम	असमिया, बंगाली, बोडो और अंग्रेजी
मणिपुर	अंग्रेजी, हिन्दी और मणिपुरी
मेघालय	अंग्रेजी, गारो और खासी
मिज़ोरम	अंग्रेजी और मिजो
नागालैंड	अंगामी, ओ, अंग्रेजी, कोन्यक, लोथा, सेमा और हिन्दी
त्रिपुरा	बंगाली और कोकबारक

(ख) भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता देने की योजना के तहत गैर हिन्दी भाषी राज्यों, जिनमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं, में हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास में लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के तीन केन्द्र हैं जो हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए बहु आयामी कार्यक्रम चला रहे हैं। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने इन राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ इस क्षेत्र के हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को संबंधन भी दिया है। इसके अलावा भारत सरकार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्य सहित गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा-10 की परीक्षा में हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है-

राज्य	2006	2007	2008
अरुणाचल प्रदेश	60	48	49
असम	1118	928	734
मणिपुर	50	35	34
मेघालय	201	193	112
मिजोरम	18	15	7
नागालैंड	69	75	70
सिक्किम	46	51	41
त्रिपुरा	113	140	114

(घ) हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

राज्य	हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा आबंटित राशि			केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा आबंटित राशि			भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत आबंटित राशि		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	0.68	0.66	शून्य	शून्य	2.00	शून्य	204.00	204.00	शून्य
असम	84.40	44.17	45.32	40.50	40.50	55.00	शून्य	248.90	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	15.29	9.66	15.35	2.00	2.50	8.00	शून्य	शून्य	शून्य
मेघालय	3.70	3.24	6.87	37.50	40.50	49.00	शून्य	शून्य	शून्य
मिजोरम	5.72	5.98	5.98	6.50	6.50	10.00	484.00	1292.38	434.95
नागालैंड	1.98	शून्य	2.43	10.00	16.00	25.00	शून्य	143.00	शून्य
सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	2.00	4.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
त्रिपुरा	0.78	0.75	0.54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गुवाहाटी दूरदर्शन से समाचार बुलेटिन

617. श्री नारायण बरकटकी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुवाहाटी दूरदर्शन केन्द्र से असमी एवं अंग्रेजी में अतिरिक्त बुलेटिनों को शुरू करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन बुलेटिनों का प्रसारण कब से किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी आकाशवाणी से अतिरिक्त समाचार बुलेटिन शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए गुवाहाटी क्षेत्रीय समाचार एककों, आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकार द्वारा आबंटित निधियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय समाचार इकाई, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी से अतिरिक्त समाचार बुलेटिन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी निम्नलिखित समाचार बुलेटिन पहले से ही प्रसारित कर रहा है:-

0830 बजे	10 मिनट असमिया
1900 बजे	15 मिनट असमिया
1915 बजे	15 मिनट अंग्रेजी

केन्द्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रात: 10.30 बजे साढ़े छ: मिनट की अवधि के लिए स्टेट स्कैन चंक हेतु एक अंग्रेजी बुलेटिन एवं डी.डी. न्यूज और राष्ट्रीय चैनल पर गुरुवार को प्रात: 8.30 बजे ढाई मिनट की अवधि के लिए समाचार पत्र समीक्षा का भी प्रसारण कर रहा है।

(घ) से (च) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी, गुवाहाटी से अतिरिक्त समाचार बुलेटिन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय आकाशवाणी, गुवाहाटी पांच समाचार बुलेटिनों (1) असमिया में तीन, (2) कारबी में एक और (3) बोडो भाषा में एक का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त, नेपाली समाचार बुलेटिन का सप्ताह में दो बार प्रसारण किया जाता है। केन्द्र दिन में तीन बार एफ एम चैनल पर मुख्य समाचारों का भी प्रसारण करता है। समाचार बुलेटिन की अवधि को दिनांक 29.1.2008 से 5 मिनट अर्थात् प्रात: 8.50 बजे से 9.00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। आकाशवाणी, गुवाहाटी से फोन पर समाचार सेवा भी उपलब्ध है।

(छ) वर्ष 2008-09 के दौरान, क्षेत्रीय समाचार इकाई, आकाशवाणी, गुवाहाटी के लिए 47.99 लाख रुपए और क्षेत्रीय समाचार इकाई, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी के लिए 31.72 लाख रुपए की राशि उद्दिष्ट की गई है।

सीमेंट का आयात

618. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सीमेंट और अन्य वस्तुओं के आयात हेतु पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान इन देशों से किए गए सीमेंट के आयात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान पाकिस्तान से 32,491,304 अम. डा. मूल्य के 4,57,624 मी. टन सीमेंट का आयात किया गया था और 13.62 मिलियन अम. डा. मूल्य का सीमेंट बंग्लादेश से आयात किया गया था।

मध्याह्न भोजन योजना

619. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी को दिए जाने वाले भोजन की लागत क्या है;

(ख) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषक तत्व मुहैया कराने के लिए 2 रुपए प्रतिदिन का वित्तीय अनुदान पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अनुदान की राशि को बढ़ाने/संशोधित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से मुफ्त खाद्यान्न सप्लाई किया जाता है। भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दर से खाद्यान्न की सप्लाई हेतु भारतीय खाद्य निगम को सीधा भुगतान किया जाता है। मुफ्त खाद्यान्न के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों, जिसमें सिक्किम शामिल है, को प्राथमिक स्तर पर 1.89 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2.42 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से कुकिंग लागत हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता इन राज्यों द्वारा 20 पैसे प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से न्यूनतम आवश्यक भागीदारी पर आधारित होगी। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में प्राथमिक स्तर पर 1.58 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2.10 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से कुकिंग लागत हेतु सहायता दी जा रही है जो इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 50 पैसे प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस न्यूनतम आवश्यक भागीदारी के अधीन होगी। विभिन्न घटकों नामत: खाद्यान्नों के परिवहन के अंतर्गत 11 विशेष वर्गीय राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 125/- रु. प्रति क्विंटल की दर से तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75/- रु. प्रति क्विंटल की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मुफ्त खाद्यान्न, परिवहन लागत और कुकिंग लागत पर कुल सहायता का दो प्रतिशत प्रबंधन, मानीटरन और मूल्यांकन के लिए रखा जाता है, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा केंद्र के बीच 1.8:0.2 के अनुपात में बांटा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किचन-सह-भंडार के निर्माण के लिए प्रति यूनिट के लिए 60000/- रुपए की दर से और प्रति स्कूल को किचन उपकरणों के प्रावधान और बदलने के लिए 5000/- रुपए की दर से भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) उच्च प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के विस्तार के समय वर्ष 2008-09 से आरंभ कर प्रत्येक दो वर्षों में मुद्रास्फीति समायोजित सूचकांक (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) से कुकिंग लागत को जोड़ने और कुकिंग लागत (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर) का मूल्यनिरूपण करने का निर्णय लिया गया। 1.4.2008 से कुकिंग लागत हेतु केन्द्रीय भागीदारी को प्राथमिक के लिए 1.50 रुपए से बढ़ाकर 1.58 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस और उच्च प्राथमिक के लिए 2.00 रुपए से बढ़ाकर 2.10 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस कर दिया गया। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के मामले में कुकिंग लागत हेतु केन्द्रीय भागीदारी को प्राथमिक के लिए 1.80 रुपए से बढ़ाकर 1.89 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस और उच्च प्राथमिक के लिए 2.30 रुपए से बढ़ाकर 2.42 रुपए प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस कर दिया गया है। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मध्याह्न भोजन में सुधार के लिए अपनी न्यूनतम आवश्यक भागीदारी से अधिक व्यय कर रहे हैं। अप्रैल, 2008 में एक राष्ट्र स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें पोषाहार विशेषज्ञ तथा 5 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं:-

(1) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन आवश्यकता (प्रति छात्र प्रति दिवस) के पुन: निरीक्षण हेतु।

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए कुकिंग लागत (प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस) की केन्द्रीय सहायता के वर्तमान मानक की उपयोगिता की जांच करना।

(3) कुकिंग लागत मानकों में मुद्रास्फीति सूचकांक के घटक हेतु उपयुक्त कार्यपद्धति को बनाना।

(4) उचित सिफारिश हेतु अन्य संबंधित मामलों की जांच करना।

[हिन्दी]

छात्राओं हेतु छात्रावास

620. श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो छात्राओं हेतु ऐसे कुल कितने छात्रावासों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है तथा इनके कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या दिनांक 1 अगस्त, 2008 के दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार के अनुसार धनराशि की कमी के कारण छात्रावासों की संख्या कम किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारत सरकार ने हाल ही में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया है। स्कीम को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े 3500 ब्लाकों में 100 छात्रों की क्षमता वाले एक छात्रावास का निर्माण करने का प्रावधान है। स्कीम 11वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है तथा छात्रावासों के उपलब्ध होने का समय मुख्य रूप से भूमि की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

621. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के काफी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भर नहीं सकी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब से ये पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में केन्द्रीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों की समय पर भर्ती करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पदों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर विज्ञापन देता है।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अंशकालिक संविदा आधार पर शिक्षकों को लगाकर अस्थायी रूप से रिक्त पदों को भरने के लिए क्षेत्रों के सहायक आयुक्तों को प्राधिकृत किया है ताकि स्कूलों में अध्ययन कार्य प्रभावित न हो।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37
2.	आंध्र प्रदेश	100 (पुस्तकालयाध्यक्षों के 2 पदों सहित)
3.	अरुणाचल प्रदेश	50 (पुस्तकालयाध्यक्षों के 2 पदों सहित)

1	2	3
4.	असम	150 (पुस्तकालयाध्यक्षों के 6 पदों सहित)
5.	बिहार	71 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
6.	छत्तीसगढ़	87 (पुस्तकालयाध्यक्षों के 2 पदों सहित)
7.	दिल्ली	15
8.	गोवा	40
9.	गुजरात	196 (पुस्तकालयाध्यक्षों के 4 पदों सहित)
10.	हरियाणा	30
11.	हिमाचल प्रदेश	58 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
12.	जम्मू-कश्मीर	176
13.	झारखण्ड	90 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
14.	कर्नाटक	153
15.	केरल	126 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
16.	लक्षद्वीप	07
17.	महाराष्ट्र	113
18.	मणिपुर	28
19.	मेघालय	25 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
20.	मिजोरम	06
21.	मध्य प्रदेश	302
22.	नागालैंड	09 (पुस्तकालयाध्यक्षों के 2 पदों सहित)
23.	उड़ीसा	73
24.	पांडिचेरी	08
25.	पंजाब	83 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
26.	राजस्थान	135 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
27.	सिक्किम	04
28.	तमिलनाडु	281 (पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 पद सहित)
29.	त्रिपुरा	18
30.	उत्तर प्रदेश	63
31.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	01
32.	उत्तराखण्ड	131 (पुस्तकालयाध्यक्षों के 7 पदों सहित)
33.	संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली	11
34.	पश्चिम बंगाल	307
	कुल	2984

इंडियन रिजर्व बटालियन खड़ी करना

622. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों से इंडियन रिजर्व बटालियन खड़ी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऐसी बटालियन खड़ी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त अनुरोध के उत्तर में 46 आईआर बटालियनें 31.03.2008 को इन राज्यों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

(ग) से (ङ) 31.3.2008 तक एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों हेतु 39 आईआर बटालियनें स्वीकृत की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप यहां मात्र समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं। अत्यधिक खेदपूर्वक तथा दुखी होकर मैं सभा की बैठक मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक घंटा मिल गया, अब शांत हो जाएं। हम सबको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बहुत खुश हैं। उन्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वे खुश होंगे ही *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): हम उन्हें खुश कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ आत्मनिरीक्षण आवश्यक है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से निम्नलिखित शुद्धिपत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्ष 2008-09 का परिणामी बजट*।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-8971/2008]

(2) उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्ष 2008-09 का परिणामी बजट*।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-8972/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं श्री कमलनाथ की ओर से डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 47 की उपधारा (4) के अंतर्गत डिजाइन (संशोधन) नियम, 2008 जो 17 जून 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1460(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-8973/2008]

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-8974/2008]

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और लेखाओं का अनुरक्षण) संशोधन उप-विधियां, 2007 जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446(अ) में प्रकाशित हुई थीं।

---

*वर्ष 2008-09 के लिए मंत्रालय का परिणामी बजट 17.3.2008 को सभा पटल पर रखा गया।

(दो) कयर उद्योग (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2008 जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2061(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8975/2008]

5. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8976/2008]

6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 और 15 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2052(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 306(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2264(अ) जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 306(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8977/2008]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8978/2008]

(3) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलाजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलाजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8979/2008]

(5) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइसेंज, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइसेंज, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8980/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय आशुलिपिक

संवर्ग भर्ती नियम, 2008 जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.–8981/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.–8982/2008]

(3) (एक) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन, इटानगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन, इटानगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.–8983/2008]

(5) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान पश्चिम बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान पश्चिम बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.–8984/2008]

(7) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.–8985/2008]

(9) (एक) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.–8986/2008]

(11) (एक) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-8987/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2107(अ) जो 25 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 13 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1937(अ) में प्रकाशित आदेश का संशोधन करने वाला राष्ट्रपति का आदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-8988/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-8989/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 17 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन।

(चार) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-8990/2008]

(3) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-8991/2008]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8992/2008]

(7) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8993/2008]

(9) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8994/2008]

(13) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8995/2008]

(15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8996/2008]

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8997/2008]

(19) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8998/2008]

(21) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8999/2008]

(23) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9000/2008]

(25) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9001/2008]

(27) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9002/2008]

(29) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9003/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखा परीक्षित लेखा की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9004/2008]

अपराह्न 12.03 बजे

लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि कर्नाटक के उदुपी और धारवाड़ दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य श्रीमती मनोरमा माधवराज और श्री मंजुनाथ कुन्नुर के क्रमश: 18 अक्तूबर, 2008 और 20 अक्तूबर, 2008 को लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के संदर्भ में पत्र प्राप्त हुए हैं।

मैंने 20 अक्तूबर, 2008 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

18वां और 19वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 18वां और 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)* तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

---

*18वां और 19वां प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2008 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

23वां और 24वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मैं आश्वासनों को छोड़े जाने संबंधी अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 23वां और 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, यहां जैमर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मोबाइल फंक्शन कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे दे दीजिए, ये ले लेंगे।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, इसे मत लौटाइए।

अध्यक्ष महोदय: कुछ अर्थदंड लगाने के बाद इसे लौटा दिया जाएगा।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं 'महिलाओं के लिए जीवन बीमा निगम की बीमा योजना' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्ति प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) के 213वें प्रतिवेदन चौदहवीं लोक सभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अठ्ठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

31वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं 'सशस्त्र बलों में तनाव प्रबंधन' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: समिति में आश्चर्यजनक कार्य के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं यह समझता हूं कि सभा को भी इसकी सराहना करनी चाहिए और लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हम समितियों में अच्छा काम कर रहे हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

72वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर अग्रिम विनिर्णय प्रक्रिया प्राधिकरण के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

30वां और 31वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का 30वां प्रतिवेदन; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

40वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं 'योजनागत कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रक्षेपण' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 40वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

27वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदय, मैं 'सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में उर्वरक उद्योग का कार्य-निष्पादन' विषय के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06¾ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

39वां से 41वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह (बुलन्दशहर): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007' के बारे में 39वां प्रतिवेदन;

(2) 'पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007' के बारे में 40वां प्रतिवेदन; और

(3) 'देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति' के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

34वां और 35वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) इस्पात मंत्रालय की "राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कार्य निष्पादन की समीक्षा" विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 34वां प्रतिवेदन; और

(2) कोयला मंत्रालय के "कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन" विषय के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07$^{1}/_{2}$ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

36वां से 38वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) *संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में 36वां प्रतिवेदन;

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की "निःशक्त व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना" विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 37वां प्रतिवेदन;

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की "वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए एकीकृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संलग्न स्वैच्छिक संगठन" विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

*यह प्रतिवेदन 18 सितम्बर, 2008 को जब सभा सत्र में नहीं थी, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।

अपराह्न 12.08 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

134वां से 136वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं:-

(1) विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक, 2006 के बारे में 134वां प्रतिवेदन;

(2) भारत-पाक सीमा पर सीमा-बाड़ पर फ्लड लाईटिंग परियोजना के बारे में 135वां प्रतिवेदन;

(3) देश में सिविल डिफेंस में सुधार और उसके सुदृढ़ीकरण के बारे में 136वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{2}$ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

211वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी.के. दुग्मर (अमरेली): महोदय, मैं नेपा लिमिटेड (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 211वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08¾ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

192वां और 193वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकरण के बारे में 192वां** प्रतिवेदन; और

(2) ग्लोबल वार्मिंग और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में 193वां** प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.09 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(1) 30वां और 31वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 30वां प्रतिवेदन; और

(2) पराचिकित्सा और भौतिक चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन।

**क्रम सं. (1) और (2) के प्रतिवेदन 22 सितम्बर, 2008 को जब सभा सत्र में नहीं थीं, राज्य सभा के माननीय सभापति के निदेशों के निदेश 31(1) के अंतर्गत माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति ने प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी। प्रतिवेदन की एक-एक प्रति उसी तारीख को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित कर दी गई थी।

(2) साक्ष्य

डा. करण सिंह यादव: महोदय, मैं निम्नलिखित की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य; और

(2) पराचिकित्सा और भौतिक चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 177वें और 185वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, आपकी अनुमति से मैं विभागों से सम्बद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) के (177वें) प्रतिवेदन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन भाग-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 27 नवम्बर, 2007 को अपने एक सौ सतहत्तरवां (177वां) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति के 177वें प्रतिवेदन में कुल 33 (तैंतीस) सिफारिशें की गई थीं। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-9005/2008]

मैं, विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) के (185वें) प्रतिवेदन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन

भाग-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 29 अप्रैल, 2008 को अपने (185वां) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति के 185वें प्रतिवेदन में कुल 26 (छब्बीस) सिफारिशें की गई थीं। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-9005अ/2008]

अपराह्न 12.11 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम (दो) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री प्रकाश परांजपे, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम (दो) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री प्रकाश परांजपे, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) कयर बोर्ड

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कयर बोर्ड नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कयर बोर्ड नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा (4) की उपधारा 3 के उपखंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और

उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा, जिनका निधन हो गया है के स्थान पर रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा (4) की उपधारा 3 के उपखंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा, जिनका निधन हो गया है के स्थान पर रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

''कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) मसाला बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

''कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13¾ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) (2008-09)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं 2008-09 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-9007/2008]

अपराह्न 12.14 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

---

*सभा पटल पर रखे गए।

(एक) हज यात्रियों का कोटा युक्तिसंगत बनाए जाने तथा तमिलनाडु राज्य के लिए पर्याप्त कोटे का उपबंध किए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): तमिलनाडु से हज यात्रियों के कोटे में वर्षों से गिरावट हो रही है और इस वर्ष का संशोधित कोटा आज तक प्राप्त सर्वाधिक 10508 आवेदनों की तुलना में 3181 है। तमिलनाडु में लगभग 600 किमी. लंबी तट रेखा है जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम जनसंख्या है। जनगणना में मुस्लिम आबादी 34 लाख दर्शाई गई है जो सही नहीं है। सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या भी उपलब्ध करानी चाहिए।

ऐसा लगता है कि 34 लाख मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 2001 की जनगणना पर आधारित न होकर 1991 की जनगणना पर आधारित है। तमिलनाडु की मुस्लिम आबादी इस मुद्दे पर अत्यंत क्रोधित है क्योंकि गलत आंकड़े देकर इस समुदाय को अतिरिक्त कोटे के आनुपातिक वितरण में उनके देय हिस्से से वंचित किया जा रहा है। राज्यों को जनसंख्या आधारित आबंटन की वर्तमान प्रणाली भी ठीक नहीं है। यह आबंटन प्रत्येक राज्य में (प्राप्त) आवेदनों की संख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए। पूर्व वर्ष में अवसर प्राप्त न होने वाले आवेदकों के सीट सुनिश्चित करने की प्रणाली बहाल की जानी चाहिए। यदि सरकार द्वारा यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है तो अतिरिक्त कोटे में तमिलनाडु का हिस्सा संतोषजनक व काफी अधिक होगा।

मैं सरकार से शीघ्र उपचारात्मक उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) तमिलनाडु को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति किए जाने तथा राज्य में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए विद्युत मूल आवश्यकता है। बिजली की कमी जनता में असंतोष उत्पन्न करती है। ऊर्जा घाटा महाराष्ट्र में 18.3 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 14.1 प्रतिशत, गुजरात में 16.2 प्रतिशत, पंजाब में 8.4 प्रतिशत, राजस्थान में 3.1 प्रतिशत, बिहार में 13.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 18.0 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 4.1 प्रतिशत है, लेकिन तमिलनाडु में केवल 2.8 प्रतिशत है। सभी राज्यों में तमिलनाडु में बिजली आपूर्ति में कम घाटा है। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने सभी गांवों को बिजली देता है। विभिन्न राज्यों में अविद्युतीकृत गांवों की संख्या इस प्रकार है: उड़ीसा-20995 गांव, बिहार-18395 गांव, झारखंड-20235 गांव, राजस्थान-12614 गांव, उत्तर प्रदेश-12298 गांव, पश्चिम बंगाल-1605 गांव लेकिन तमिलनाडु, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में यह (संख्या) शून्य है।

अपने सभी वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तमिलनाडु को और विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन परियोजना शुरू करने में पूर्ववर्ती सरकार की विफलता के कारण, तमिलनाडु में गंभीर विद्युत संकट बना हुआ है। जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में कटौती करनी पड़ती है और उद्योगों को एक दिन में दस घंटे तक विद्युत में कटौती का सामना करना पड़ता है। छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने के कगार पर हैं जिसके कारण लाखों कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि भी बुरी तरह प्रभावित हुई है और किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर सकते। विद्युत संकट ने राज्य में वस्त्र इकाईयों, विद्युत करघा उद्योग, पटाखा उद्योग और बुनकरों को प्रभावित किया है। यह विभिन्न वर्गों के लोगों और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी कठिनाईयां उत्पन्न कर रहा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु को अतिरिक्त विद्युत देने और राज्य में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र में अलग से एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की जोरदार मांग लगातार की जा रही है। वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र के सभी महाविद्यालय उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। जिसमें केवल पारंपरिक शिक्षा ही दी जाती है। पारंपरिक शिक्षा रोजगारोन्मुखी भी नहीं है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले अधिकांश विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पाना कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों के लाभ के लिए पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त मैं पर्वतीय क्षेत्रोन्मुखी पाठ्यक्रम जैसे- पर्यावरण, पर्यटन, उच्चतुंगता विज्ञान, पर्वतीय संस्कृति और समाजशास्त्र, जैव संसाधन प्रबधन, पर्यावरण और वानिकी, पुष्प कृषि और औषधीय पादप, ग्रामीण प्रौद्योगिकी शुरू करने पर जोर देता हूं। दार्जिलिंग के पर्वत जैव-विविधता की अच्छी जगहों में से एक हैं और जैव संसाधन के मामले में बहुत ही सम्पन्न हैं। दार्जिलिंग क्षेत्र जैव-संसाधन, जैव-विविधता, विकास गतिविधियों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक धरोहर वाली भाषाओं संबंधी अध्ययन के मामले में विश्वविद्यालय के अभाव में पिछड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त उत्तर बंगला विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनके यहां दिसम्बर से फरवरी तक तीन महीने का लम्बा शीतकालीन अवकाश होता है। वर्तमान सरकार के पास ग्यारहवीं योजना के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में सोलह केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। यदि इन सोलह विश्वविद्यालयों में से एक की स्थापना दार्जिलिंग में की जाती है तो यहां के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह संसद के अधिनियम के तहत दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र में एक पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय स्थापित करे।

(चार) राजस्थान की "मेव" जनजाति को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, राजस्थान के अलवर व भरतपुर लोक सभा क्षेत्र में मेव (मुसलमान) काफी संख्या में हैं। यह जाति राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। शिक्षा व सामाजिक व सरकारी नौकरियों की दृष्टि से यह मेव समाज अनुसूचित जाति व जनजाति से बहुत पीछे है। अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में मेव समाज को शामिल करने का प्रकरण बहुत लम्बे समय से केन्द्र सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष लम्बित है। केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में न होने की वजह से इस वर्ग के लोगों को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों व केन्द्र सरकार की नौकरियों में वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। मैं माननीया सामाजिक न्याय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकरण में तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दें।

(पांच) गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): भारत सरकार देश के पूर्व तटीय क्षेत्र में एक पूर्ण विकसित सामुद्रिक संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है। एक सामुद्रिक विश्वविद्यालय की अवस्थापना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद चेन्नै में एक भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय जिसकी क्षेत्रीय शाखाएं कोलकाता, मुम्बई और विशाखापत्तनम में होगी जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था, की स्थापना के लिए कार्रवाई जारी है।

जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अन्य समुद्री सीमा वाले राज्यों की तुलना में गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लम्बी, 1600 किलोमीटर है और बड़े पैमाने पर बंदरगाह भूमि विकास और पश्चिमी तट पर जहाजरानी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य सामुद्रिक संस्थान स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प है।

भारत सरकार द्वारा देश के पूर्वी तट में चेन्नै में एक सामुद्रिक अकादमी की स्थापना की गई थी। गुजरात राज्य के लोगों का भी अपने राज्य में चेन्नै अकादमी के रूप में एक समान अकादमी या परिसर स्थापित करने का सपना है जिसके लिए गुजरात सरकार सभी प्रकार का आवश्यक समर्थन तथा सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

महोदय, गुजरात के लोगों का सपना पूरा करने के लिए आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव पर इसके पक्ष में तथा शीघ्रता से विचार करे।

(छह) महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में आर्मीवर्म के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उन्हें आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी विदर्भ में पिछले 10 अगस्त, 2008 से संहारक फौजी इल्लीयों (स्पोडोप्टेरा) के आक्रमण के कारण कई जिलों में खड़ी फसलें नष्ट हो गयी हैं। विशेषकर चंद्रपुर जिले में इसका प्रकोप बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चंद्रपुर जिले के बरोरा, भद्रावती, चिमूर, कोरपना, गोंडपिपरी, राजूरा तथा जिवती तहसीलों में फौजी इल्लीयों के आक्रमण से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गयी हैं। दो सप्ताह से यह विभीषिका घटित होने के बाद स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा की गयी उपेक्षा के कारण किसानों में असंतोष पनप रहा है।

ज्ञात हो कि विदर्भ क्षेत्र के किसान बदहाली के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऋण माफी की घोषणा करने के बाद इस क्षेत्र के किसानों को इसका आवश्यकता के अनुसार लाभ नहीं मिला। अब नये फसल ऋण देने में बैंकों द्वारा की जा रही कोताही के कारण किसानों को खरीफ फसल की बुआई करने के लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ा है। उसके बाद फसलों पर फौजी इल्लीयों का आक्रमण होने से फसलें पूरी तरह बर्बाद होने के कारण किसान फिर से आत्महत्या कर रहे हैं। यह हादसा होने के बाद दस दिनों में चंद्रपुर जिले में ही तीन किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है। इससे स्थिति की भयावहता का पता चलता है।

चंद्रपुर जिले के कपास, सोयाबीन और अरहर समेत अन्य फसलों के पूरी तरह नष्ट होने के कारण इस [illegible] का खरीफ मौसम किसानों के लिए खाली हाथ रहा है। एक अनुमान के अनुसार फौजी इल्लीयों द्वारा जिले के करीब 1 लाख 25 हजार हैक्टेयर फसलों तथा 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। जिले की अन्य तहसीलों में धान की खेती प्रमुखता से होती है। जहां धान की बुआई शुरू हो गई है फौजी इल्लीयों का आक्रमण धान फसलों पर भी हुआ है। फौजी इल्लीयों के नियंत्रण के लिए लगने वाली औषधियां महंगी होने के कारण किसान इसे खरीदकर छिड़काव नहीं कर सकते। स्थानीय प्रशासन द्वारा मुफ्त में औषधियां उपलब्ध कराने में विलंब के कारण फौजी इल्लीयां खेतों से निकल कर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी गांवों में कहर बरपा रही थीं। फौजी इल्लीयों के विनाशकारी तांडव के कारण किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए किसान सरकार से आस लगाये बैठे हैं। केन्द्र सरकार फौजी इल्लीयों के द्वारा किये गये फसलों के विनाश का सर्वेक्षण कराने के लिए एक विशेषज्ञों का दल भेजकर किसानों को राहत प्रदान करे तथा इस प्राकृतिक आपदाग्रस्त किसानों को उनके नुकसान की भरपाई हेतु एक विशेष पैकेज की तत्काल घोषणा करे।

जिले में बड़ा भौगोलिक क्षेत्र फौजी इल्लीयों के आक्रमण का शिकार हुआ है। इन क्षेत्रों में फसलें पूरी तरह बर्बाद होने के बाद किसानों को अगली फसलों की बुआई तथा अन्य कृषि कार्य हेतु पूंजी उपलब्ध नहीं है। अंत: मैं केन्द्र सरकार से स्थिति की भयावहता को देखते हुए किसानों को नकद राशि तथा अन्य कृषि सहायता उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

(सात) विमुक्त और घुमंतू जनजाति संबंधी रेंके आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): राष्ट्रीय विमुक्त और घुमंतू जनजाति आयोग (रेंके आयोग) ने 2 जुलाई, 2008 को केन्द्र सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। हमारे देश की पूरी आबादी में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की संख्या 15 लाख से उपर है। हमारी आजादी के 60 वर्ष बीत चुके है लेकिन किसी सरकार ने इन पद दलित लोगों के उत्थान के लिए, उनके लिए कोई विकास योजना बनाने तथा हमारे समाज की मुख्यधारा में उनको लाने के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया है। विमुक्त जनजाति लोग इतने वर्षों से न्याय से वंचित रहे हैं, और अब 'रेंके आयोग' से उनकी आशा जगी है। आयोग की मुख्य सिपारिशें जैसे- सेवाओं में आरक्षण, पदोन्नति, शिक्षा, संसद, विधान सभाओं, स्थानीय निकायों, और पंचायतों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व गैर-अधिसूचित घुमंतू जनजातियों में विकास के लिए अलग से बजट, विमुक्त जनजाति विकास निगम का गठन, आवासीय विद्यालय, वित्तीय निगमों से ऋण, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, अलग से धन आवंटित करना और विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना में विमुक्त जनजाति के लिए 7% आरक्षण; विमुक्त घुमंतू जनजाति टंडा (बसावट) को राजस्व गांव के रूप में मान्यता प्रदान करना जैसे सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा बिना समय गंवाए शेष सिफारिशों पर तत्काल विचार करना चाहिए तथा यथा शिघ्र लागू किया जाना चाहिए। विमुक्त घुमंतू जनजातियों जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नहीं आती हैं, को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के 27 प्रतिशत आरक्षण के कोटे में से केवल 7 प्रतिशत चाहिए और 7 प्रतिशत का यह आरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान में एक संशोधन किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकार से मिलने वाले सारे लाभ उपर्युक्त विमुक्त घुमंतू जनजाति श्रेणी को भी दिये जा सकें।

(आठ) राष्ट्रीय सिंधी टेलीविजन चैनल शुरू किए जाने तथा देश में सिंधी-आधारित कार्यक्रमों के टेलीविजन पर प्रसारण को बढ़ावा देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): महोदय, वर्ष 1947 में भारत विभाजन के वक्त सिंधी परिवारों को अपने मूल प्रदेश (सिंध) से पलायन करना पड़ा, जिससे ये परिवार एवं समुदाय अपनी पहचान खोने लगे तथा अपनी पहचान को बचाने के लिए सिंधियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए सिंधी साहित्य अकादमी कार्य कर रही है तथा वर्तमान में सिंधी परिवार देश के अनेक राज्यों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के समय में अपनी भाषा, संस्कृति, कला को बचाने के लिए टेलीविजन ही सरल व सुगम माध्यम है।

जैसाकि आपको विदित है कि वर्तमान में अनेक राज्यों द्वारा सेटेलाइट के द्वारा अपने क्षेत्रीय चैनलों को प्रोत्साहित कर प्रसारण किया जा रहा है (जैसे डी.डी. मराठी, डी.डी. गुजराती, डी.डी. उड़िया, आदि) और हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा डी.डी. उर्दू चैनल का प्रसारण शुरू किया गया है। भारत में कोई सिंधी राज्य नहीं होने के कारण डी.डी. सिंधी चैनल का प्रसारण नहीं हो रहा है जबकि भारतीय संविधान में 22 क्षेत्रीय भाषाओं की अनुसूची में सिंधी भाषा 8वें स्थान पर है। सिंधी भाषा व संस्कृति को बचाने के लिए डी.डी. सिंधी चैनल की आवश्यकता है।

अत: महोदय, आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सिंधी भाषा के प्रोग्रामों को रोजाना डी.डी. चैनल पर सम्पूर्ण भारत में प्रसारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस समुदाय की भाषा व संस्कृति को बचाने के लिए एक अलग डी.डी. सिंधी टी.वी. चैनल के प्रसारण का प्रावधान करें जिससे सिंधी समुदाय को हो रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके एवं इसका प्रचार-प्रसार हो सके।

(नौ) गुजरात समुद्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): भारत सरकार ने दो अंतर्राष्ट्रीय गोदी, एक देश के पूर्वी तट पर तथा दूसरा पश्चिमी तट पर, स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में गुजरात सरकार 13.1.2006 को पहले ही अपना प्रस्ताव भेज चुकी है। यह चेयरमैन, भारतीय गोदी संघ की अपेक्षा अनुरूप ही हुआ है।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह गुजरात के समुद्री तट स्थल को अंतर्राष्ट्रीय आकार के गोदी के निर्माण हेतु शीघ्र चयन करे।

(दस) देश में नकली दवा का प्रसार रोकने की आवश्यकता

श्री सुनिल खां (दुर्गापुर): यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि देश में बिकने वाली लगभग 30 प्रतिशत दवाएं नकली हैं। इस प्रकार की दवाओं का कारोबार कोई 4000 करोड़ रुपये का है। नकली दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 38 प्रतिशत नकली दवाओं की आपूर्ति भारत से होती है। इस संबंध में दिल्ली की छवि संदेहास्पद है और इस प्रकार की दवाओं का प्रमुख बाजार नई दिल्ली के मध्य में पड़ने वाला मशहुर बाजार है। दुर्भाग्य से अधिकारी इस बाजार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बुरी हालत में है। परिणामत:, इस प्रकार की दवाएं केवल रोगियों की समस्याएं ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि अन्य बीमारियां भी पैदा कर रही हैं। भारत जिसमें टी.वी. और कैंसर से प्रभावित होने वाले लोग विश्व में सबसे अधिक हैं, के संबंध में सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है और यह नकली दवाओं के कारोबार के आगे असहाय हैं। निरीक्षक क्या कर रहे हैं और कितने निरीक्षकों की आवश्यकता है, इसका उचित अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय औषधि उद्योग 20,000 करोड़ रुपये का है, और इसमें वृद्धि हो रही है। नकली दवाओं के लिए अनुकूल स्थान के रूप में भारत की ख्याति तथा निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्यात से इसके विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह नकली दवा निर्माता यूनिटों को समाप्त करें। इसके अतिरिक्त, औषधि परीक्षण यूनिटों की संख्या बढ़ाएं और दोषियों को सख्त सजा देने के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लोगों को नकली दवाओं के प्रति सतर्क करे।

(ग्यारह) रबड़ की कीमतों को गिरने से रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ए.वी. वेल्लारमिन (नगरकोइल): कन्याकुमारी जिले में रबड़ की खेती प्रमुख नकदी फसल के रूप में होती है और लगभग 30 हजार हेक्टेयर जमीन पर इसकी खेती होती है। रबड़ की कीमत, जो पिछले माह 135 रुपये प्रति किलो थी तेजी से घटकर इस सप्ताह 75 रुपये प्रति किलो हो गई है। रबड़ की कीमत में तेजी से आई कमी से रबड़ उत्पादक मजदूर और रबड़ की खेती और इसके व्यापार से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इसमें हस्तक्षेप करें और कीमत में और कमी को रोकने तथा कीमत के पूर्व के स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य सुविधाओं से युक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के शहर सम्भल में 100 बैड के बने नए संयुक्त अस्पताल में हो रही लापरवाही की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले महीने के आखिर में यहां एक बस ऐक्सीडेंट के जब 65-70 घायलों को लाया गया तो मौके पर सिर्फ एक डाक्टर व दो-तीन कर्मचारी ही मिले। घायलों को फर्श पर लिटाकर प्राइवेट लोकल डाक्टरों की मदद से इलाज कर खानापूर्ति की गई। इसमें 10 लोगों की मौत भी हो गई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिला मुरादाबाद में एम्स की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल शीघ्र खुलवाए।

(तेरह) कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के हमीरपुर-छतरपुर और देवरी डैम-बांदा खण्डों में पुलों के निर्माण की स्वीकृति देने तथा कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर महोबा के अंतर्गत झांसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय

राजमार्ग एवं कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी स्वीकृत निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं वे अत्यंत ही धीमी गति एवं उचित मानकों के अनुसार नहीं हो रहे हैं तथा उक्त मार्ग के शेष भाग को भी निर्माण हेतु तुरंत स्वीकृत करने की आवश्यकता है।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कृपया दोनों मार्गों पर भारी यातायात को देखते हुए उचित मानकों के अनुरूप शीघ्र निर्माण कराए जाने एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत छूटे हुए कानपुर-सागर मार्ग में हमीरपुर से छतरपुर के बीच एवं देवरी बांध से बांदा के बीच पड़ने वाले सभी छोटे बड़े पुल-पुलियों के निर्माण हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(चौदह) पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर रेलवे जोन में रेलवे द्वारा जिन किसानों की जमीन अर्जित की गई है, उनके परिवारों को रेलवे में नौकरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्व मध्य रेलवे के अधीन दानापुर रेल मंडल में पिछले कई वर्षों पहले किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था जिस पर रेलवे यार्ड का विकास एवं विस्तार किया गया। रेलवे द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजे के साथ-साथ नौकरी देने की बात की गई थी, किंतु वहां के प्रभावित किसान पिछले 10-15 वर्षों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको नौकरी नहीं दी गई। आक्रोशित किसान संघर्षरत हैं, गरीबी और बेहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गये हैं, किंतु रेलवे की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पहले भी अपने क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण समस्या को सदन में उठा चुका हूं, फिर भी रेलवे इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिन किसानों से जमीन ली गई वे भूमिहीन हो गये हैं। उनकी रोजी-रोटी का जो सहारा था वह भी छिन गया है वे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं।

अत:, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि जिन गरीब किसानों की जमीन रेलवे द्वारा अपने विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहण की गई थी उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रेलवे में नौकरी अविलम्ब दें।

(पंद्रह) मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भदोही क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के अंतर्गत भदोही में लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग मजबूरीवश जो पानी पी रहे हैं उसमें आर्सेनिक व फ्लोराइड जैसे घातक तत्वों का मिश्रण है जिसके कारण लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं बल्कि यह सरकार की रिपोर्ट का एक हिस्सा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के छानवे व कोन ब्लाक में सात ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी में आर्सेनिक का मिश्रण है। उच्चतम न्यायालय ने भी स्वच्छ पेयजल को एक मौलिक अधिकार माना है। पानी के बिना जीवन जीना बहुत ही कठिन है।

भदोही में डाईंग उद्योग की बहुतायत है। इन उद्योगों में कई घातक रसायनों का प्रयोग होता है। क्योंकि इन उद्योगों में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाये गये हैं। अत: यह घातक रसायन या तो जाकर नदी में मिलता है अथवा पानी के स्रोत में मिलता है। दोनों ही स्थितियों में आम नागरिक प्रभावित होता है।

अत: आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी भदोही के लिए कोई कार्य योजना लाएं अन्यथा वह राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराये ताकि मिर्जापुर भदोही के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके व उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

(सोलह) पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना जिले से होकर गुजरने वाली इच्छामती नदी से गाद निकालने और उसके प्रवाह को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): इच्छामति नदी बंगलादेश के सीमांत क्षेत्र से होती हुई बहती है और मुख्यत: पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना जिले के दो मंडलों से होती हुई बहती है और इस नदी की दोनों किनारों पर स्थित लोगों के जीवन में अहम भूमिका है।

पिछले कुछ समय से अनुचित रखरखाव और गहराई में कमी आने से यह नदी इसके किनारों पर रह रहे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण बड़ी मात्रा में कृषि उपज के बर्बाद हो जाने से लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं।

समय की मांग यह है कि नदी की गहराई बढ़ाने के अतिरिक्त इस नदी पर पुनरुद्धार संबंधी सभी कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएं। यद्यपि कुछ कार्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, परंतु वह काफी कम था और उसे भी बीच में ही रोक दिया गया था।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह सभी आवश्यक कार्य करे, जो लाखों लोगों के जानमाल सहित इस नदी को बचाने के लिए आवश्यक हों। मैं केन्द्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि वह बंगलादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को पूर्ण गंभीरता के साथ उठाए, ताकि इच्छामति नदी का पुनरुद्धार यथाशीघ्र किया जा सके।

(सत्रह) पांच हेक्टेयर तक के भू-स्वामी इलायची उत्पादक किसानों को ऋण माफी योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): सरकार द्वारा बजट 2008-09 के द्वारा घोषित ऋण माफी योजना से देश के इलायची उत्पादक किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं की है, क्योंकि अधिकतर किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इलायची क्षेत्र में 5 हेक्टेयर तक की भूमि को लघु और मध्यम खेती माना जाना चाहिए और इलायची खेती के लिए खरीदी गई भूमि पर ऋणों सहित सभी कृषि ऋणों को पूर्णत: माफ कर दिया जाए। सभी इलायची उत्पादक किसान ऋण ग्रस्त हैं, क्योंकि श्रम, उर्वरक, रसायनों और अन्य निवेश की अत्याधिक उच्च लागत के कारण निवेश लागत काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से इलायची के मूल्य में काफी कमी आई है।

सामाजिक वानीकी और पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथक रखी गई निधियों को इलायची उत्पादक किसानों के माध्यम से प्रयुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इलायची उगाने के लिए वृक्षों को बचाते हैं इन्हें बीमा सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यह फसल मौसमी परिवर्तनों के प्रति काफी संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त, इलायची का आयात और इसके मूल्य वर्धन उत्पादों को भी प्रतिबंधित या निरुत्साहित किया जाना चाहिए और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो और भविष्य में भी फसल के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण निधि बनाई जाए।

अपराह्न 12.17 बजे

लोक सभा की सदस्यता से श्री बाबूभाई के. कटारा को निष्कासित करने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि श्री बाबूभाई के. कटारा ने घोर अवचार का कृत्य किया है जिससे विधायकों के समस्त बंधुत्व की बदनामी हुई है और उसकी छवि खराब हुई है तथा संकल्प करती है कि उन्हें 14वीं लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, जो सभा के नेता को करना होता है जब हम यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि हमारे एक साथी को सभा से निष्कासित किया जाए तो ऐसा करना बिल्कुल वांछित अथवा सुखदायी नहीं होता, परन्तु दुर्भाग्यवश हमें इस कर्त्तव्य का निर्वहन करना ही पड़ता है और चौदहवीं लोक सभा में सभा का नेता होने के कारण यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे यह प्रस्ताव अनेक अवसरों पर लाना पड़ा है।

मैं प्रतिवेदन के निष्कर्षों से केवल एक ही निष्कर्ष निकालता हूं कि हमें इस महान संस्था की छवि कायम रखने के प्रति बेहद सजग रहना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं भारी मत से सभा को यह प्रस्ताव स्वीकृत करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, मैं आपसे सहमत हूं। अध्यक्ष के लिए भी यह दुखद है और सभा के सभी पक्षों के सदस्यों के लिए भी यह दुखद है। परन्तु पिछले कुछ समय से हमारे आचरण में कमियां हैं, समिति ने इस मामले पर विचार किया है और मैं इसके निर्णय को स्वीकार करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह सभा में किसी के लिए प्रसन्नता की बात नहीं है, परन्तु जब ऐसे अवसर आते हैं तो हमें भी अवसर के अनुरूप अपने आपको ढालना होता है। इस तरह से मैं समिति के सदस्यों और सभा के सभी वर्गों को बधाई देता हूं। मैं किसी सदस्य को लक्षित करके नहीं कह रहा हूं। हम मानते हैं कि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वह दोहरायी नहीं जानी चाहिएं। इसलिए मुझे यह प्रश्न सभा के समक्ष रखना होगा।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि श्री बाबूभाई के. कटारा ने घोर अवचार का कृत्य किया है जिससे विधायकों के समस्त बंधुत्व की बदनामी हुई है और उसकी छवि खराब हुई है, तथा संकल्प करती है कि उन्हें 14वीं लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: यह एक और दु:खद घड़ी है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए। मैंने हरेक को बोलने का अवसर देने का वायदा किया है। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

अपराह्न 12.18 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को कथित रूप से धमकी दिए जाने के बारे में मामला

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, 22 जुलाई, 2008 को श्री ब्रजेश पाठक, संसद सदस्य ने सीबीआई अधिकारी होने का दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए कथित धमकी दिए जाने का एक मामला सभा में उठाया। श्री पाठक ने सभा के पटल पर कुछ दस्तावेज भी रखे जो कि उनके अनुसार उन्हें उस व्यक्ति द्वारा इस चेतावनी के साथ दिए गए थे कि यदि बीएसपी के सदस्यों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं किया तो उनकी नेता, कुमारी मायावती को आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाएगा जिनके बारे में ब्यौरा उन दस्तावेजों में दिया गया था।

मैंने इस पर निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"पाठक जी, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आपने मुझसे इस मामले की जांच-पड़ताल करने की अपेक्षा की है। मैंने रिकार्ड रख लिया है। मैं उसकी पड़ताल करूंगा। जहां तक सुरक्षा के प्रश्न का संबंध है, मैं आप सभी की उपस्थिति में, मुझे राष्ट्र भी सुन रहा है, माननीय गृह मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहा हूं कि संसद सदस्यों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।"

22 जुलाई, 2008 के मुझे सम्बोधित अपने पत्र में श्री ब्रजेश पाठक ने सभा में उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया था।

मैंने श्री पाठक द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियों को इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भिजवाया था।

मंत्रालय ने 22 सितम्बर, 2008 के अपने पत्र में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा उन्हें दी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी है।

सीबीआई ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह कहा है कि श्री पाठक द्वारा दिए गए दस्तावेजों के मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करने से यह पता चला है कि "दस्तावेजों की विषय-वस्तु में अभिलोपन, अंतर्वेषण और जालसाजी करके उपान्तरण किया गया है।" सीबीआई ने यह भी बताया है कि सीबीआई के निदेशक द्वारा माननीय संसद सदस्य को अथवा उनके राजनीतिक दल के सदस्यों को अभित्रास करने के लिए इन दस्तावेजों के साथ उनसे मिलने तथा उस तरीके से मतदान करने के लिए उन पर दबाव डालने के लिए किसी सीबीआई अधिकारी को तैनात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

सीबीआई की तथ्यात्मक रिपोर्ट, जो कि एक गोपनीय दस्तावेज है, में किए गए प्रकथन को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि प्रश्नाधीन मुद्दे और दस्तावेज उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित कार्यवाही से संबंधित हैं और इस प्रकार के न्याय निर्णयाधीन हैं, मेरा यह मत है कि इस मामले को समाप्त माना जाए।

अब, श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): सर, यह बहुत गंभीर विषय है। मुझे 22 तारीख को धमकी दी गयी थी और इस बारे में सदन को मैंने बताया था। मेरा आपसे सीधा अनुरोध है कि किसी सदस्य के साथ कोई थ्रैटनिंग होती है और वह सदन का मैम्बर है, आप उसके गार्जियन और कस्टोडियन हैं। ऐसे मामले को प्रिवलेज कमेटी में देने की संसदीय परम्परा रही है। इस मामले को बंद कर देने से सदन की परम्पराओं का उल्लंघन होता है और सदस्य को सदन में आने से रोकना प्रिवलेज का मामला बनता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरीके से अगर पोलीटिकल ढंग से इस मामले को निपटाया जाएगा, उसे पूरा देश देखेगा कि एक सदस्य को एक सरकारी एजेंसी के लोग धमकी देकर चले जाते हैं और कह दिया जाए कि इस मामले को बंद समझा जाए, तो हुजूर मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस मामले को तत्काल प्रिवलेज कमेटी को सौंप देने का कष्ट करें, जिससे हमारे साथ न्याय हो सके। आप न्याय-प्रिय हैं और न्यायशीलता की कुर्सी पर बैठे हैं और आप हमारे साथ न्याय करेंगे, यह मैं जानता हूं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले को प्रिवलेज कमेटी को सौंप दें। वह जिम्मेदार कमेटी है, वह गलत काम नहीं करेगी, ऐसा

हम मानते हैं। आपने पूर्व में भी प्रिवलेज कमेटी की तारीफ की है। प्रिवलेज कमेटी को सौंप देने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दंड दिया जाए लेकिन अगर किसी ने आकर मुझे थ्रैट किया है तो उसे भी दंड देने का काम आपको करना चाहिए, प्रिवलेज कमेटी को करना चाहिए। इस तरह इस मामले को बंद कर देने से कहीं-न-कहीं राजनैतिक षडयंत्र की बू आती है और ऐसा लगता है कि सरकार अपना पक्ष बचाने के लिए, हमें सरकार के पक्ष में मत देने को प्रेरित करने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए ऐसा कर रही है। मुझे थ्रैट भी किया गया है और मामले को पालिटिकल बताकर बंद कर देना कतई उचित और न्याय-संगत नहीं है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि एक बार इस मामले पर आप पुनर्विचार करके तत्काल इसे प्रिवलेज कमेटी को सौंप दे, जिससे मुझे न्याय मिल सके और पूरे देश की जनता जान सके कि किस प्रकार से सरकार ने अपने पक्ष को बचाते हुए इस मामले को बंद कराने में अपनी भूमिका निभाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सामान्यत: अध्यक्षपीठ के विनिर्णय के पश्चात चर्चा की अनुमति नहीं होती है। कृपया बैठ जाएं। मैं दो बार आपकी बात सुन चुका हूं; आप इसे दोहरा चुके हैं। मैं आपका आदर करता हूं। मेरे मन में आपके प्रति बहुत स्नेह है। राजनैतिक रूप से प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं है। यह मेरे लिए बहुत कष्ट दायक बात है कि आप मेरे विनिर्णय में राजनैतिक हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं। मैं अपनी पूरी तरह से इससे इंकार करता हूं।

आप कृपया स्मरण करें कि सबकी उपस्थिति में, और पूरा देश मेरी बात सुन रहा था, मैंने गृह मंत्री को प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा के लिए निदेश दिया था ताकि उन्हें परेशान न किया जाए अथवा उनके मामले में कोई हस्तक्षेप न हो।

जहां तक आपकी सुरक्षा का सवाल है, मैंने उसी समय और वहीं निदेश जारी कर दिया था।

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक, कृपया बात सुनें।

जहां तक दूसरे मामले की बात है, मैंने इस संबंध में सोचा है- मैं गलत भी हो सकता हूं। यह न्यायालयाधीन मामलों का प्रश्न है। सब कार्यवाही में लम्बित हैं; मैंने स्वयं पता किया है। इसलिए, हम यहां बैठकर किसी मामले में कोई फैसला नहीं दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: मेरा कहना केवल यह है कि ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सराहना करता हूं। अब और वाद-विवाद नहीं। मुझे खेद है, और चर्चा की अनुमति नहीं है। कृपया सहयोग करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इससे एक गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इससे अत्यंत गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: देखिए, मैं सभा को चलाना चाहता हूं। कृपया सहयोग करें। आपने अपनी बात कह दी है। यह अत्यंत गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है कि अध्यक्ष के विनिर्णय पर भी चर्चा हो रही है। मैं गलत हो सकता हूं। सचमुच गलत हो सकता हूं, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: और चर्चा की अनुमति नहीं है। खेद है, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक जी, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया कुछ मत लिखें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य ने जो कहा है उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ब्रजेश जी मेरे विनिर्णय पर कोई वाद-विवाद न करें। माफ कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने विनिर्णय पर कोई चर्चा स्वीकार नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, आप कृपया बोलना शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह काफी गंभीर स्थिति है। प्रत्येक शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। अब आप शांत नहीं हो रहे हैं। मेरे विनिर्णय के बाद जो कुछ बोला जा रहा है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण दे चुके हैं। मैं तुरन्त निर्णय नहीं दे सकता। मैं पहले ही कुछ ऐसा कर चुका हूं जो नहीं किया जाना चाहिए था और मैंने प्रत्येक शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिए जाने का निर्देश दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर कोई मेरी अनुमति के बिना बोल रहा है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री बसुदेव आचार्य के भाषण को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

महोदय, पिछले कई महीनों से देश के विभिन्न भागों में, अनेक राज्यों में, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके उपनेता द्वारा आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हर कोई बिना मेरी अनुमति के बोल रहा है। श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया दोषारोपण न करें। इस प्रकार दोषारोपण न करें। आप अध्यक्षपीठ पर आरोप लगा रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। क्या आप इस प्रकार कुछ भी कह सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने अपनी टिप्पणी कर दी है। सभा में सत्य बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कृपया चिल्लाएं नहीं।

जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने अपने अधिकारियों को तुरंत यह पता लगाने का निदेश दिया कि उनको क्या हुआ है और वे कैसे हैं? उनके ठीक होने के लिए मैंने उनको शुभकामना संदेश भेजा। मैंने फूल भेजे। मैंने सचिव से उनको मिलकर आने के लिए कहा। मैंने उनके लिए सभी कदम उठाए और मैंने कहा कि मैं सभी कदम उठाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं चाहता।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं सोच रहा हूं कि मैं श्री चिदम्बरम से अनुरोध करूं। कोई मेरे साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, मद संख्या 37, श्री पी. चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय 2008-09 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के प्रथम बैच में 97 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। 2,37,285.84 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन अपेक्षित है जिसमें से नकदी निर्गम 1,05,613.38 करोड़ रुपए है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं श्री आचार्य? आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। अध्यक्षपीठ से अनुचित व्यवहार न करें। मैंने आपको बुलाया था लेकिन इन व्यवधानों के कारण आप नहीं बोल पाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम अनुमति देंगे, हमने खुद इन्हें बोला है, हमने सब कुछ एक्शन लिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उस समय हम यह मामला शुरू करेंगे।

अपराह्न 12.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, सभा को स्थगित करने से पूर्व आपने मेरा नाम पुकारा था। *...(व्यवधान)* मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया सभा स्थगित हो गई थी। मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। *...(व्यवधान)* उड़ीसा, केरल और कर्नाटक राज्यों में प्रतिदिन इसाइयों पर हमले हो रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। कृपया हमें बताइये। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष जी, आपने आज मुझे हाउस में आश्वासन दिया था कि आप इस गंभीर प्रकरण को तत्काल प्रिवलेज कमेटी को देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मामले पर विचार चल हो रहा है। अब मद सं. 37, श्री चिदम्बरम बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी समय नहीं है। मैंने बहुत मौका दिया था लेकिन किसी ने मौका नहीं लिया।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2008-2009

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 12, 14 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77, 79 से 95 और 97 से 105 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।''

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम बैच की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या और शीर्षक		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	280,39,00,000	65,68,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	213,44,00,000	...
3.	पशुपालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	24,66,00,000	1,00,000
4.	परमाणु ऊर्जा	609,12,00,000	37,39,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	6,23,00,000	...
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	7,11,00,000	...
7.	उर्वरक विभाग	52865,56,00,000	...
8.	नागर विमानन मंत्रालय	10,14,00,000	
9.	कोयला मंत्रालय	2,58,00,000	...
10.	वाणिज्य विभाग	360,66,00,000	1,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	27,89,00,000	
12.	डाक विभाग	1945,25,00,000	
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	100,00,00,000	
15.	उपभोक्ता मामले विभाग	8,66,00,000	
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	5109,45,00,000	...
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	14,48,00,000	30,00,00,000
18.	संस्कृति मंत्रालय	98,89,00,000	
19.	रक्षा मंत्रालय	354,39,00,000	9,81,00,000
20.	रक्षा पेंशन	1941,00,00,000	
21.	रक्षा सेवा-थल सेना	6303,26,00,000	
22.	रक्षा सेवा-नौसेना	688,88,00,000	...

1	2	3	4
23.	रक्षा सेवा-वायु सेना	1120,79,00,000	...
24.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	100,00,00,000	
25.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	259,65,00,000	...
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,90,00,000	
28.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	49,76,00,000	1,00,000
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	27,03,00,000	70,00,000
30.	विदेश मंत्रालय	778,11,00,000	...
31.	आर्थिक कार्य विभाग	204,43,00,000	1000,60,00,000
32.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	40668,40,00,000	4996,23,00,000
33.	वित्तीय सेवा विभाग	9,00,00,000	...
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	3240,66,00,000	...
38.	व्यय विभाग	7,18,00,000	...
39.	पेंशन	2050,00,00,000	...
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	344,97,00,000	
41.	राजस्व विभाग	40,49,00,000	...
42.	प्रत्यक्ष कर	303,55,00,000	
43.	अप्रत्यक्ष कर	373,29,00,000	...
44.	विनिवेश विभाग	57,00,000	1,00,000
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,10,00,000	
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	378,30,00,000	1,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	35,60,00,000	...
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	7,00,000	...
49.	भारी उद्योग विभाग	813,99,00,000	1,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	79,00,000	...
51.	गृह मंत्रालय	255,36,00,000	...
52.	मंत्रिमंडल	41,78,00,000	
53.	पुलिस	5065,79,00,000	2,00,000

1	2	3	4
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	84,35,00,000	...
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	165,00,00,000	...
56.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2,17,00,000	...
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	282,35,00,000	761,54,00,000
58.	उच्च शिक्षा विभाग	554,68,00,000	...
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	238,19,00,000	
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	117,35,00,000	625,00,00,000
61.	निर्वाचन आयोग	1,87,00,000	...
62.	विधि और न्याय	208,28,00,000	...
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	53,63,00,000	...
65.	खान मंत्रालय	77,02,00,000	...
66.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	1,72,00,000	...
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	3,55,00,000	...
68.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	1,38,00,000	...
69.	पंचायती राज मंत्रालय	74,00,000	...
70.	संसदीय कार्य मंत्रालय	92,00,000	...
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	142,55,00,000	...
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	65944,54,00,000	...
73.	योजना मंत्रालय	10,83,00,000	...
74.	विद्युत मंत्रालय	29,79,00,000	...
76.	लोक सभा	24,89,00,000	...
77.	राज्य सभा	10,28,00,000	...
79.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	30,00,000	...
80.	ग्रामीण विकास विभाग	21360,57,00,000	...
81.	भूमि संसाधन विभाग	79,00,000	...
82.	पेय जलापूर्ति विभाग	100,42,00,000	...
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	118,15,00,000	...

1	2	3	4
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	207,09,00,000	...
85.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	12,32,00,000	...
86.	नौवहन विभाग	17,20,00,000	1,30,00,000
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	13,22,00,000	...
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	12,72,00,000	...
89.	अंतरिक्ष विभाग	220,95,00,000	5,00,00,000
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	56,89,00,000	...
91.	इस्पात मंत्रालय	2,88,00,000	...
92.	कपड़ा मंत्रालय	245,05,00,000	1,00,000
93.	पर्यटन मंत्रालय	5,70,00,000	...
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	4,27,00,000	...
95.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	116,14,00,000	205,00,00,000
97.	दादरा और नगर हवेली	14,18,00,000	...
98.	दमन और दीव	12,03,00,000	...
99.	लक्षद्वीप	17,73,00,000	2,00,000
100.	शहरी विकास विभाग	12,09,00,000	400,00,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	112,65,00,000	...
102.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	40,23,00,000	...
103.	जल संसाधन मंत्रालय	112,70,00,000	1,61,00,000
104.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	13,07,00,000	...
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	551,07,00,000	...
	जोड़	218482,09,00,000	8139,97,00,000

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): कुल 1,05,613.38 करोड़ रुपये के व्यय में से 1,04,243.98 करोड़ रुपये अर्थात् कुल नकदी व्यय का 99 प्रतिशत निम्नलिखित 13 प्रमुख मदों पर खर्च होता है। जैसे- (1) उर्वरक राजसहायता (38,863 करोड़ रुपये); (2) छठे वेतन आयोग के बकायों और बोनस की बढ़ी हुई सीमा के कारण बोनस का भुगतान (25,929.24 करोड़ रुपये); (3) किसान ऋण माफी कोष (15,000 करोड़ रुपये); (4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (10,500 करोड़ रुपये); (5) ऋण घटक सहित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आदि (4,29.87 करोड़ रुपये); (6) खाद्यान्न राजसहायता (4,064 करोड़ रुपये) ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपने मुझे मौका दिया है। ...*(व्यवधान)* आपने मेरा नाम पुकारा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आपके उपनेता ने आपको बोलने नहीं दिया और सभा ने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी। मैं क्या कर सकता हूं? आप शोर मचाते रहिए।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: (7) भारत के कोटे में हुई वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को भुगतान (2,912.67 करोड़ रुपये); (8) आयातित खाद्य तेल पर राजसहायता (1,000 करोड़ रुपये); (9) सार्क-सहयोग-निधि के सामाजिक प्रकोष्ठ के लिए अंशदान; (10) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को पास थ्रू असिस्टेंस (400 करोड़ रुपये); (11) रुपया एम्पोर्ट क्रेडिट के संदर्भ में ब्याज सहायता के लम्बित दावों का निपटान (300 करोड़ रुपये); (12) सुनामी प्रभावितों के लिए स्थायी आश्रय का निर्माण 200 करोड़ रुपये) और प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना आदि (180 करोड़ रुपए)। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैंने आपका नाम पुकारा था। मैं क्या कर सकता हूं। कोई भी अध्यक्षपीठ से सहयोग करने को तैयार नहीं है। मैंने आपका नाम पुकारा और सभी का।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इस प्रकार सभा को संचालित नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री अनंत कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं सच्चे दिल से सभी से अपील करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांग संबंधी प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल अनंत कुमार का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत कुमार: इस सरकार की मुख्य बातें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कल आपको अनुमति दूंगा। मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, आप सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, हमने एक सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपसे अपील करता हूं। कृपया हमारे संबंधों के वास्ते ही अपने स्थान पर चले जाएं।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: अभी तक हम लोग अध्यक्ष पीठ के आसन के निकट नहीं आए हैं। *...(व्यवधान)* यह हमारे राज्य से संबंधित गंभीर मामला है। यह सरकार *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया अपने स्थान पर जाएंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हाथ जोड़कर सुबह हमने एक-एक करके बुलाने की कोशिश की। आचार्य जी, आप तो लीडर हैं।

[अनुवाद]

आप दूसरे के लिए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।

श्री आचार्य जी मैंने आपका नाम पुकारा था, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल पाये, ऐसा मेरे कारण नहीं हुआ है। किसी को भी एक शब्द सुनाई नहीं दिया। मैंने पाया कि आपके उपनेता अन्य लोगों की तुलना में आपके लिए ज्यादा व्यवधान पैदा कर रहे थे। मैंने आसन से भी यह बात उनसे कही थी।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर पूर्व): यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यहां सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं न कि सरकार की रक्षा करने के लिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रत्येक सदस्य से कहा और सभी से अनुरोध किया।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम: आपको सदस्यों के बोलने के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सदस्यों को सभा में बोलने का अधिकार है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष को तो सभी आंख दिखा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जब सभा में आपने मेरा नाम पुकारा था तब मैं नहीं बोल पाया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं बोल सके तो यह मेरी गलती नहीं है। अब मैंने उनको आमंत्रित किया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: हम लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए ही सभा में आए हैं। यदि हमें यहां समस्याएं उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो हम कहां जाएंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवहार से ज्यादा अनुचित है।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: यह सरकार इसे रोक पाने में असमर्थ रही है। *...(व्यवधान)* यदि हम यहां मुद्दे नहीं उठा सकते तो यहां क्यों आते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)* पिछले $4^{1}/_{2}$ वर्षों के दौरान इस सरकार की उपलब्धि कुप्रबंधन रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस संसद का मजाक उड़ा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: इनके शासनकाल में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। इन्होंने परमाणु संप्रभुता से समझौता किया है। और इन्होंने हर क्षेत्र में कुप्रबंधन किया है। इसलिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को दिन के अंत में लूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, प्रस्ताव पारित किया जाना तय है, परन्तु वर्तमान यूपीए सरकार और मैं वर्तमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के लोग जो पिछले पांच वर्षों में यूपीए सरकार की आर्थिक अव्यवस्था से उब चुके हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले चुनावों में यूपीए सत्ता में नहीं आ सके। कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से सभापटल पर वक्तव्य दिया था, जहां उन्होंने इस सम्मानित सभा के माध्यम से देश को सूचित किया कि यूपीए सरकार की आर्थिक स्थिति पर संपूर्ण नियंत्रण है और सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की जानकारी दी।

फिर यह पूछना स्वाभाविक है कि इन उपायों का सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री स्वयं लोगों को विकास दर में कमी की चेतावनी क्यों दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.05 बजे

(इस समय श्री ब्रजेश पाठक और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

श्री अनंत कुमार: मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक विकास में आई कमी को कम आंका है और इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाए हैं। भारत पर वैश्विक वित्तीय संकट का पूर्ण प्रभाव पड़ा है न की आंशिक। मुंबई स्टाक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक (सेन्सेक्स) 21वें तल से गिरकर दसवें तल तक आ गया है अर्थात् 210000 से घटकर 10,000 हो गया है। सभी सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी इस वर्ष की 10 जनवरी को जब सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पर था, 73 ट्रिलियन रुपये से घटकर 36.5 ट्रिलियन रह गई है।

यह मानना कि इससे देश में निवेश प्रभावित नहीं हुआ है, भ्रम में रहने के समान है। यह मानना कि इससे देश में नौकरियां प्रभावित नहीं हुई हैं सच्चाई से नजर फेरने के समान है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार, यदि आपके पास लिखित भाषण है, तो आप इसे पटल पर रख सकते हैं।

श्री अनंत कुमार: माननीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल जेट एअरवेज में नौकरियों की छंटनी, जिसने नि:संदेह प्रिंट और टीवी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था, के बारे में नहीं है। परन्तु, निर्माण उद्योग जहां पिछले कुछ महीनों में अत्यधिक गिरावट आई है, में हाजरों नौकरियां गई हैं; यही हाल परिवहन, इस्पात और सीमेन्ट क्षेत्र का है। मीडिया इन क्षेत्रों में गई नौकरियों की रिपोर्ट नहीं देता है। मीडिया अनुबंध कर्मियों की छंटनी की रिपोर्ट नहीं देता है। परन्तु, यदि सरकार यह सोचती है कि सब कुछ बढ़िया है तो उस पर दया ही आती है।

इस माह जारी औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आई.आई.पी.) यह दर्शाता है कि भारत की औद्योगिक विकास दर अगस्त 2007 के 10.9 प्रतिशत की तुलना में अगस्त 2008 में घटकर 1.3 प्रतिशत रह गई है। आने वाले महीनों में इसके नकारात्मक होने की संभावना है। इस कारण विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत लोगों की नौकरियां बड़ी संख्या में जाएंगी।

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर महंगाई और मंदी के इस समानान्तर प्रभाव हेतु किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए?

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपना सारा समय और ध्यान केवल भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर लगाया। इसलिए उनके पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे काले बादलों को देखने के लिए कोई समय नहीं था। हमने अमरीका से परमाणु रियेक्टर तो आयात नहीं किए होंगे परन्तु भारत ने निश्चित रूप से अमरीका के वित्तीय तंत्र में फैले संकट को आयात किया है।

इस संकट के लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मान्टेक सिंह आहलूवालिया या वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम उत्तरदायी हैं?

हमने वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण के संबंध में अनेक लेख, संपादकीय, विचार, सुझाव देखे हैं, परंतु स्पष्ट संकेत यही है कि सरकार उस समय सो रही थी, जब कुछ माह पूर्व इस संकट के स्पष्ट संकेत थे। यदि माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री यह कहते हैं कि ये कारक उनके नियंत्रण से बाहर हैं, तो मैं उन्हें देश को गुमराह करने का स्पष्ट आरोप लगाता हूं, जैसा कि उन्होंने विगत में भी कई बार किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: यह न तो मानसून सत्र है और न ही शीतकालीन सत्र; यह मानसून सत्र का अंतिम भाग और शीतकालीन सत्र का पहला भाग है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपीए सरकार ने लोकतंत्र के पंखों को कतर दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: यदि हमें मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं है, तो हम यहां क्यों आते हैं?

अध्यक्ष महोदय: इस देश के लोग भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे आशा है कि वे लोग देख रहे हैं कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: यह सरकार देश में जो भी सही होता है उसका श्रेय लेने के लिए प्रसिद्ध है और कुप्रबंधन और घटिया शासन का दोष किसी और पर थोपने के लिए समान रूप से दोषी है। मुझे आश्चर्य है कि इन्होंने ओलम्पिक में अभिनव बिन्द्रा के स्वर्ण पदक और टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन पार करने के लिए सचिन तेन्दूलकर का श्रेय नहीं लिया है। इसके साथ-साथ वे कहते हैं कि देश में बढ़ता आतंकवाद, आसमान छूती कीमतें, कृषि क्षेत्र में असफलता, खाद्य संकट, जम्मू और कश्मीर में बढ़ता अलगाववाद, हमारी सीमाओं को आक्रमण और जमीन पर कब्जे से बचाने में असफलता, यह सब किसी अन्य की गलती है और इनके नियंत्रण के बाहर है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार, आप अपने शेष भाषण को सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभापटल पर रखा गया वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

***श्री अनंत कुमार:** इनका कहना है कि वर्तमान आर्थिक संकट वैश्विक मंदी के कारण है- मैं यह पूछना चाहता हूं कि:

- क्या वे इस आते हुए संकट को नहीं देख सके? यह संकेत उसी समय से आ रहे थे जब पिछले वर्ष यूएस वित्तीय क्षेत्र सब-प्राइम संकट से प्रभावित हुआ था।
- क्या वे यह नहीं देख सके कि यह एफआईआई को प्रभावित करेगा, जिसके कारण भारतीय बाजारों में गिरावट आई?
- क्या वे यह नहीं देख सके कि बाह्य वाणिज्यिक ऋण विदेशों में वित्तीय संकट के कारण घट कर न्यून हो जायेंगे- यह एक दिन में नहीं हुआ है।
- क्या वे यह नहीं देख सके कि बढ़ती ब्याज दरें ऋण के अभाव से जूझ रहे उद्योग को प्रभावित करेंगी-इसके कारण मांग में गिरावट आई है-आज लोगों के पास नकदी नहीं है। लोगों को एक ओर मंहगाई और दूसरी ओर नकदी की कमी ने प्रभावित किया है। आज आम आदमी की स्थिति क्या है?
- क्या आज आम-आदमी और उसके परिवार को पहले जितना खाना मिलता है?
- क्या आज सभी चीजों की अत्यधिक कीमतों के कारण आम-आदमी अपनी थोड़ी से आय में से कुछ बचत कर सकता है?
- क्या घर बनाने अथवा वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने की सोच सकता है?
- क्या आज आम-आदमी अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लौटने की चिंता किए बिना खरीददारी के लिए भेज सकता है?
- क्या आज आम-आदमी को यदि वह किसान है तो उसे ऋण में राहत मिलती है, बाढ़ अथवा अकाल से राहत मिलती है? और आज कलावती कहां है? मुझे विश्वास है कि सभा को इस महिला की वर्तमान में जो दुर्दशा है उसके बारे में जानने की रुचि होगी।

ब्याज दरें आसमान छू रही हैं- राजग के कार्यकाल में गृह-ऋण वाणिज्यिक संस्थाओं के माध्यम से 7% की दर पर उपलब्ध थे जो आज दोगुनी दर पर हैं।

मैं वर्तमान वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा लिखित एक लेख उद्धृत करता हूं जो उनकी पुस्तक 'ए व्यू फ्राम आउटसाइड-व्हाई गुड इकोनोमिक्स वर्क्स फार एवरीवन' में भी छपा है।

मौद्रिक नीति के खंड में मुद्रास्फीति पर बोलते हुए पृष्ठ 100 पर उन्होंने कहा है और मैं उद्धृत करता हूं- ''कम ब्याज दरों का अर्थ है सरकार के लिए भारी बचत। कम ब्याज दर का अर्थ कम ब्याज दरों पर ऋण भी है, जो निस्संदेह निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देंगे।''

वे जान मेनार्ड के नीस से भी सहमत हैं जिन्होंने कहा है: ''मुद्रास्फीति करारोपण का ही रूप है जिससे जनता नहीं बच सकती और सबसे कमजोर सरकार भी इसे लागू कर सकती है जब वह और कुछ भी लागू नहीं कर सकती।''

प्रसिद्ध कहावत है- ''जब रोम जल रहा था, तब नीरो बांसुरी बजा रहा था''। वर्तमान प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भी कुछ बेहतर नहीं किया है। संप्रग सरकार के लिए यह बात पूरी तरह लागू होती है। महाभारत में, धर्मराज पूजनीय भीष्म से पूछते हैं, ''लोगों की हालत के लिए राजा और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं अथवा व्याप्त परिस्थितियां'', जिसके उत्तर में भीष्म कहते हैं ''राजा कलस्य कस्यम्'' जिसका अर्थ है कि लोग जिस हालत में रहते हैं उसके लिए राजा ही जिम्मेदार है।

हमने देखा है कि कैसे विश्व के विभिन्न देशों में नेता आगे आए हैं और उन्होंने अपने देशों की वित्तीय समस्याओं का सामना करने के लिए, विपक्षी दलों के साथ मिलकर सख्त और सक्रिय निर्णय लिए हैं। इस सरकार की हमेशा से यही कहानी रही है- अतिअल्प, अति विलंब से। और इसने मनमानी भी दिखाई है जो हमें भारत में विदेशी शासन की याद दिलाती है।

संप्रग सरकार के कार्यकाल में, हमने बार-बार यह देखा है, चाहे यह आतंकवाद अथवा कश्मीर और पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलनों से निपटने का मामला हो, अथवा बाढ़ या अकाल के कारण उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों, अथवा मौजूदा आर्थिक संकट अथवा भूभाग खोने-यथा अरुणाचल प्रदेश में-के कारण हमारी संप्रभुता के सामने उपस्थित खतरे से निपटने का मामला हो। इसने हमेशा अक्षमता, अयोग्यता और अपनी मनमानी दिखाई है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अनंत कुमार]

एक मात्र दक्षता जो उन्होंने हाल के समय में दर्शाई है वह उन्होंने विश्वास मत के दौरान अपनी सरकार बचाने के लिए सभी संभव तरीकों से दल-बदल करवाने में दर्शाई है। वे उचित अथवा अनुचित तरीके से सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं- अनुचित ज्यादा ठीक लगता है।

यह भय कि यह सरकार किसी भी दिन गिर सकती है, एक वास्तविकता है- अन्यथा वे वर्तमान सत्र पूर्व सत्र के हिस्से के रूप में न बुलाते। यह बात अच्छी तरह जानते हुए कि बचेंगे, नहीं वे दूसरी बार विश्वास मत का सामना करने से डरते हैं।

श्रीलंका में तमिल नागरिकों की हालत का बहाना बनाकर उनके 'डीएमके' के सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया है। क्या पहले वे तमिलों के मानवाधिकार के मामले से अवगत नहीं थे। आज संप्रग में आए संकट के कारण माननीय विदेश मंत्री प्रणब दा को श्रीलंका भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पहले ही श्री अमर सिंह के माध्यम से कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकियों-दूरियों का रिश्ता दर्शा चुकी है। उन्होंने परमाणु करार के मामले पर इस सभा और देश के लोगों को भ्रमित किया और वामदल उन्हें छोड़ गए। 2004 के पश्चात होने वाले चुनावों में, जहां वे सत्ता में थे, लगभग हरेक राज्य में उनकी हार हुई है?

अध्यक्ष महोदय: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आपके पास लिखित भाषण है? यदि आपके पास लिखित भाषण है तो आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसके नाम लिख लीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदय, मैं बजट (सामान्य) 2008-09 के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए उठा हूं।

कल, हमने ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना जिसमें कहा गया कि 28 माह पूर्व, 20 जून 2006 को सेन्सेक्स 21,000 का अंक पार कर गया। पिछले शुक्रवार को यह 10,000 के अंक से भी नीचे गिर गया। अक्तूबर, 2008 में, बदतर होते आर्थिक आंकड़ों के कारण इसके और भी गिरने की संभावना है। लालच और भय के बाद, क्या कुछ अच्छी उम्मीद की जा सकती है?

अपराह्न 2.14 बजे

(इस समय श्री ब्रजेश राठौड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.14$^{3}/_{4}$ बजे

(इस समय श्री ब्रजेश राठौड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: आज सरकार सचमुच उलझन में है। न तो इसके पास निधियां हैं और न ही इसमें किसी का विश्वास है। गत साढ़े चार वर्षों से आर्थिक सफलता का दावा और असाधारण रूप से ऊंची वृद्धि दर का वादा करने के बाद, यह संप्रग सरकार घिर चुकी है और इसने देश को आर्थिक संकट के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री भर्तृहरि महताब के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

*...(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार इतना कमजोर हुआ है कि औद्योगिक विकास में भारी गिरावट आई है और कृषि में गिरावट जारी है। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। नकदी की आपूर्ति में कमी लाकर मुद्रास्फीति को रोकने की कोशिश की असफल नीति तथा नकदी की सीमित आपूर्ति ने हर क्षेत्र को हानि हुई है। *...(व्यवधान)* निश्चित रूप से इससे मूद्रस्फीति में गिरावट नहीं आई है। *...(व्यवधान)* जून, 2006 में मुद्रास्फीति 5.21 प्रतिशत था। डालर की तुलना में रुपये का मूल्य 46.06 रुपये था। सन् 2007 में करेंसी ने 39 रुपये को छू लिया था और अब यह 50 रुपये को छुने के कगार पर है। इस वर्ष रुपये का 19 प्रतिशत से ज्यादा अवमूल्यन हुआ है और यह तब सब से ज्यादा रहा जब भुगतान संतुलन के गंभीर संकट के चलते देश को 1991 में आयात के भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास स्वर्ण को गिरवी रखना पड़ा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सात महीने से अधिक का समय हो गया जबसे हमारा देश मुद्रास्फिति में तेजी से बढ़ोत्तरी का सामना कर रहा है जिसका निर्धारण थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। अवधि के रूप में कीमतों में वर्तमान तीव्र वृद्धि 2000-01 से अब तक की सबसे अधिक है।

अपराह्न 2.17 बजे

(इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: श्री महताब, आप श्री अनंत कुमार से ज्यादा भाग्यशाली हैं। उनके सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: बैंक ऋण देने से मना कर रहे हैं। नौकरियां बहुत कम रह गई हैं और वस्तुओं की कीमतें गिर रही है। इस संकट की घड़ी में मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े अधिकारी वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अंतिम हथियार यानी असीमित उधार लेने की क्षमता का उपयोग करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि बैंकों को बड़ी उदारता से पैसे की आपूर्ति की जा रही है जैसे कल मुद्रास्फीति के बारे में कोई चिंता न हो। यह एक खतरनाक सोच है।

सैद्धांतिक रूप में, कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार नि:संदेह सब कुछ करेगी लेकिन ऐसा चाहते हुए भी दरों को बढ़ाने के लिए आपको तेजी से काम करना होगा और हाल में जितनी वसूली हुई है उसकी तुलना में उधार देने की प्रक्रिया को सीमित करना होगा।

हर व्यक्ति के जुबां पर एक ही सवाल है कि मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है, शेयर के मूल्य तेजी से गिर रहे हैं और हर व्यक्ति चिंतित है। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? क्या इस पर काबू पाया जा सकता है?

मुझे भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2008-09 में मुद्रास्फीति की प्रथम तिमाही समीक्षा की याद आ रही है जिसमें कुछ बैंकों द्वारा ऋण देने में अत्यधिक विस्तार के संबंध में कुछ चेतावनी भरे शब्द थे। मैं उद्धृत कर रहा हूं, सेन्ट्रल बैंक ने ''समग्र प्रणाली की स्थिरता'' के हित में बैंकों की कारोबार नीति की समीक्षा करने के लिए कहा था जिसमें ऋण गुणवत्ता पर जोर दिए जाने की बात कही गई थी। कोई 11 माह पूर्व श्री एस.एस. तारापोर ने भारत को चेतावनी दी थी, भारत अपने देश में ही पैदा हुई सब प्राइम संकट की ओर जा सकता है। बहुत से लोगों ने इसे भयवादी बताकर खारिज कर दिया था। कल प्रधानमंत्री से हमने क्या सुना था। उस समय कही गई चेतावनी भरी बातें साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कहीं गई थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए इससे पूर्व घरेलू ऋण बाजार की तीन प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहला, खुदरा ऋण के विस्तार की गति है। अखाद्य समग्र बैंक ऋण में वृद्धि होती रही है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों ने भी इस हेतु ऋण दिया है, दूसरा, बैंकिंग प्रणाली द्वारा खुदरा बाजार में तेजी से ऋण विस्तार है। बकाया वैयक्तिक ऋण जो मार्च 2005 के अंत में 2,56,348 करोड़ रुपये था मार्च, 2007 के अंत में 4,55,503 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, वाहन ऋण, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण तथा वैयक्तिक ऋण की स्थिति भी यही है। कुल मिलाकर ये ऋण अखाद्य समग्र बैंक ऋण बकाया के एक चौथाई से ज्यादा बनता है। क्या हमें यह पता नहीं है कि उधार लेने वालों की संख्या में विस्तार से बड़ी संख्या में असुरक्षित नौकरी वाले हैं? आज अच्छी आय वाला कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों में बदलाव के बाद शायद वही आय नहीं अर्जित कर सकता। तीसरी बात, वैयक्तिक ऋण को सुरक्षित बनाया जाना है। यह सूचित किया गया है कि नवम्बर 2007 तक 40,000 करोड़ रुपये के ऋण से थोड़े ज्यादा ऐसे ऋण से जो सब-प्राइम गुणवत्ता वाले थे जिसकी अदायगी न किए जाने से बैंकिंग संकट पैदा हो सकता है। पूंजी, संपत्ति और कामोडिटी बाजार के लिए दिए गए ऋण के कारण बैंकों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2007 के अंत तक संवेदी क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिया गया ऋण कुल बैंक ऋण और अग्रिम का पांचवां हिस्सा था। क्या इन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अचानक घाटे से हमारे बैंक उबर पाएंगे? क्या वित्त मंत्री के तत्कालीन आर्थिक सलाहकार पार्थसारथी शोभ ने विगत अक्तूबर माह में यह नहीं बताया था कि अमेरिका में सब-प्राइम संकट के कारण भारतीय बैंकों को लगभग 2 बिलियन डालर का घाटा हुआ है? हो सकता है यह अनुमान हो, लेकिन वास्तविक राशि क्या है? क्या वित्त मंत्री हम बताएंगे?

आज समस्या यह है कि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति ब्याज दरों में वृद्धि और विकास दर ने संभावित गिरावट के कारण आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं। इसके साथ ही वैश्विक मंदी का भी हमारे निर्यात विकास दर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस मंदी के कारण आय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके कारण वैयक्तिक ऋणों के भुगतान में चूक की घटनाएं बढ़ेगी। इससे पहले कि भारत अमेरिकी तर्ज पर मंदी का शिकार हो जाए क्या तारापोर के चेतावनी भरे उन शब्दों पर ध्यान देना तथा कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। इसके लिए उदारीकरण पर हमें पुन: विचार करना होगा। हम असफल हो जाएं इससे अच्छा है कि हम अभी शुरूआत करे। हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान मुद्रास्फीति बाहरी और सट्टेबाजी के कारण है। सम्पन्न राष्ट्रों की मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारे यहां देखने

[श्री भर्तृहरि महताब]

को मिल रहा है। लेकिन हमारी अपनी गलतियों का क्या है? वे अपना धन अब विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करना नहीं चाहते। उनकी अतिरिक्त राशि सट्टेबाजी हेतु उपयोग हो रही है। लेकिन क्या हम उनके प्रभावों से अपने को बचा पा रहे हैं। क्या हम घरेलू ब्याज दरों को बढ़ाकर या घरेलू मुद्रा आपूर्ति को घटाकर मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं जब कि विदेशी मुद्रास्फीति पर कोई रोक नहीं है?

पिछले एक महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी आरक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) या वह धन जो बैंकों को भारतीय सेन्ट्रल बैंक के पास रखना होता है, में 250 बेसीस प्वाइंट की कटौती की है तथा 1 ट्रिलियन रुपये जारी किए हैं। इसने व्यावसायिक बैंकों को अपनी जमा का 25 प्रतिशत जो बैंकिंग नियमों के तहत अपेक्षित है के स्थान पर पूंजी का 23.5 प्रतिशत सरकारी बांड्स में रखने की अस्थायी रूप से अनुमति दे दी है। ताकि तरलता बढ़ाई जा सके। ऐसे समय जब विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयरों से पैसा निकाल रहे है तब विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनिवासी भारतीयों के जमा पर ब्याज दर में 100 बेसीस प्वाइंट्स की वृद्धि हुई है।

कोई भी यह पूछना चाहेगा कि इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, विशेषकर जबकि 24 अक्तूबर को यह अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करने जा रहा है? मैं तो यह कहूंगा कि इस समीक्षा की अपनी महत्ता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक लगभग प्रतिदिन अपने मौद्रिक उपायों की घोषणा कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस संकट के समय ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई का कोई स्वतंत्र मत नहीं है। भारत के पूर्व वित्त सचिव आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं और इस संबंध में किसी को कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। सीआरआर कटौती के बाद बैंकों के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपये अतिरेक नकदी है परंतु बैंक चिंतित हैं और यह निश्चित नहीं है कि यह नकदी कब तक चलेगी। आज आरबीआई के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बैंकों के जोखिम निवारण की समस्या का हल करे और इस प्रणाली में उनका विश्वास बहाल करें। बैंक केवल तभी ऋण देना प्रारंभ करेंगे जब यह सुनिश्चित होगा कि कल नकदी की समस्या नहीं होगी और आरबीआई को उनके लिए ऐसा माहौल बनाना ही होगा।

वर्तमान नकदी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डालर बेचना बंद न कर दे। आरबीआई हमारी मुद्रा की गिरावट को रोकने के लिए डालर बेचना जारी रख सकता है और प्रत्येक डालर की बिक्री से हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी ही राशि के रुपये की कमी हो जाती है। क्या आर.बी.आई. बाजार को यह विश्वास दिला सकता है कि बैंकों को अधिक धन उपलब्ध कराने के लिए और अधिक सीआरआर कटौतियां की जाएंगी?

यदि आरबीआई चाहता है कि बैंक ऋण दें तो एसएलआर में भी कटौती करने की आवश्यकता होगी। आरबीआई को दर में कटौती करने की आवश्यकता है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई की मुख्य चिन्ता विकास और आर्थिक स्थिरता है न कि मुद्रास्फीति। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक संकट और आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होने की संभावना है। इस संकट की स्थिति में भी सच्चाई बताने की अनिच्छा काफी चिन्तनीय है। क्या स्थिति इतनी भयावह है कि आप इसे स्वीकार नहीं सकते या इतनी दुरुह कि आपकी समझ से बाहर है?

यह दुखद है कि किस प्रकार स्थिति तेजी से बदल रही है और नकदी संकट का सामना करने के नाम पर बेतुके निर्णय लिए जा रहे हैं जिनका वर्तमान मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं होगा जैसे कि पार्टीसिपेटरी नोट्स का पुन: स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

यदि इन लोकप्रिय उपायों पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे वर्तमान समस्या और बढ़ेगी। दीर्घावधि में भारत की अर्थव्यवस्था और छवि की क्षति बृहदाकार होगी। इसलिए, हम सब के लिए यह आवश्यक है कि इस संकट की घड़ी में मिलकर आगे आएं और ऐसे उपाय करें जिनसे केवल अल्पावधि हेतु नकदी की मात्रा बढ़े और रुपये पर दबाव कम हो। बल्कि, दीर्घावधिक आर्थिक सुधार भी किए जाएं। निवेशकों का विश्वास पुन: बहाल करना होगा। इससे पूंजी का बाहर जाना थम जाएगा।

अब मैं एक अन्य पहलू का उल्लेख करूंगा। ग्लोबल हंगर इंडैक्स में पिछले सप्ताह ही यह बताया गया है कि 200 मिलियन से अधिक भारतीय भूखमरी का शिकार हैं और 47 प्रतिशत भारतीय बच्चे कुपोषित हैं। वर्ष 2002 से हमारी अर्थव्यवस्था के आठ प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ने के बावजूद यह स्थिति है और हमारी जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग 25 रु. प्रतिदिन पर जीवनयापन कर रहा है। यह दयनीय आंकड़े हैं। इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत को 88 देशों में से 66वें स्थान पर रखा गया है।

भारत सबसे तेजी से बढ़ता मुक्त बाजार वाला लोकतंत्र है, यदि इस दावे को झुठलाया नहीं जा सकता तो भी इस पर अनेक प्रश्न उठते हैं। यद्यपि उपभोक्तावाद के बढ़ते स्तरों ने सभी तार्किक स्तरों को पार कर लिया है फिर भी भूखमरी और गरीबी हमारी एक कड़वी सच्चाई है।

आज भी भुखमरी के शिकार सर्वाधिक लोग भारत में रहते हैं। पोषण संबंधी स्वास्थ्य सूचकांक में भारत को सब सहारा अफ्रीकी देशों के बराबर रखा गया है। ऐसा देश जिसने छह दशक पहले स्वतंत्रता प्राप्त की हो, उसके लिए भूखमरी से मुक्ति अभी भी एक कोरी कल्पना है। भुखमरी केवल खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं होती बल्कि खाद्य भंडारों का कुप्रबंधन इसका कारण है। कई मिलियन लोग बिना भोजन के सोते हैं। जबकि एफसीआई के गोदाम खाद्यान्नों से भरे होने के बावजूद हमारे यहां अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना काम के बदले अनाज और मध्याह्न भोजन योजनाएं हैं परंतु इसके लाभ काफी कम हैं।

चूंकि भुखमरी को क्रयशक्ति की कमी से जोड़ा जाता है हमारी नीतियां ऐसी हैं जो गरीबी, वंचना और असमानता को बढ़ाती हैं। आज हमारे समक्ष देश की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें 17 राज्यों में भुखमरी फैली है और भारत की 95% जनसंख्या इससे प्रभावित है। इसमें न केवल मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जोकि 'अत्यधिक चिन्ताजनक' श्रेणी में आता है बल्कि पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी गंभीर श्रेणी में आते हैं।

विगत 15 वर्षों के दौरान आर्थिक नीति ने व्यापार उदारीकरण के माध्यम से भारत को शेष विश्व के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें वैश्विक मापकों के अनुसार 'आर्थिक स्वतंत्रता' है जिसका अर्थ है मुक्त बाजार प्रणाली। यद्यपि यह हमेशा अवांछनीय नहीं है आर्थिक नीति ने क्रमबद्ध ढंग से भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत कमजोरी की अवहेलना की है जोकि सस्ते खाद्यों के उत्पादन में असफलता है। भारत में खाद्य पदार्थ महंगे हैं। पश्चिम के विकास ने खाद्य उत्पादन की मूल क्रांति को रोक दिया है। सस्ते खाद्यों का लाभ अमीरों को है इससे इनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और उद्योग और सेवा क्षेत्र की उन्नति होती है। यह सरकार इस क्षेत्र में भी असफल रही है।

आक्सफाम, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बताया है कि उच्च खाद्य मूल्यों ने विकासशील देशों के छोटे किसानों की मदद नहीं की है। उच्च खाद्य मूल्यों का अर्थ है कि लोग कम और निम्नतर गुणवत्ता वाला भोजन खा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है, किसानों को शहरों में पलायन कर झुग्गियों में रहने के लिए विवश किया जाता है। इससे विशेषकर महिलाएं प्रभावित होती हैं क्योंकि उनके पास भूमि स्वामित्व कम ही होता है और ऋण तक उनकी पहुंच सीमित होती है। गलत नीतियां, अनुचित व्यापार नियम और गलत आर्थिक परामर्शों ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया है जिसमें व्यापारी और सुपर बाजार उन्नति कर रहे है, बढ़ती कीमतों का लाभ उठा रहे हैं और छोटे किसानों और उपभोक्ताओं को इससे नुकसान हो रहा है।

महोदय, अब मैं नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सुझाव का उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही में आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि केन्द्र की तेल और उर्वरक कंपनियों के लिए आस्थगित राजसहायता भुगतान की नीतियां सही और पारदर्शी नहीं हैं। इसके संबंध में काफी गंभीर रोष है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वित्त मंत्रालय से पूछा है कि यदि वह घाटे में चल रही कंपनियों को राजसहायता देना चाहता है, तो कंपनियों को सीधे राजसहायता प्रदान की जानी चाहिए न कि इसे राजकोषीय अनियमितता के साथ जारी रखा जाना चाहिए।

संसाधनों के प्रावधान के बिना भावी दायित्वों को पूरा करने के लिए बंधपत्र जारी करना वस्तुत: अगली पीढ़ी पर भार डाल रहा है। हमारे लिए हमारे बच्चे भुगतान क्यों करें। क्या यह अंतर-पीढ़ी इक्विटी और वित्तीय अनुशासन के विरुद्ध नहीं है? क्यों न देयता मानते हुए राजसहायता को सीधे दिया जाए? आप तेल और उर्वरक बंधपत्र जारी करते हैं और अभी केवल ब्याज का भुगतान करते है। बजट 2008-09 में वित्त मंत्री ने उर्वरक और तेल कंपनियों के लिए जारी बंधपत्रों की राशि का उल्लेख एक पाद टिप्पणी में किया था और इसे 'व्यय' शीर्ष के अंतर्गत सीधे उल्लिखित नहीं किया था।

इस बात को समझते हुए कि व्यय से निस्संदेह राजकोषीय घाटा प्रभावित होगा, वित्त मंत्री ने यह क्यों कहा कि तेल, खाद्य और उर्वरक बंधपत्र, रेखा से नीचे थे। क्या आपके पास राजसहायता को बजट में शामिल करने की कोई योजना है?

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए आप भले ही अपनी पीठ थपथपा लें लेकिन मानव विकास के मोर्चे पर काफी कुछ करना बाकी है। जब संकट आता है तो विश्वास ही नेता की जमापूंजी होती है। नेताओं को प्रत्येक स्तर पर रोजाना विश्वास पैदा करने की आवश्यकता होती है, संकट की और उसके बाद इसके बारे में सोचने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। चेतावनी संकेत मिलने के बावजूद, सही परामर्श के बावजूद, सरकार ने खुशफहमी में रहना ज्यादा उचित समझा। अब उन्हें कौन बचा सकता है? त्रासदी यह है कि उनकी मूर्खता के कारण, पूरे राष्ट्र को इसका परिणाम भुगतान पड़ता है।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): आदरणीय महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री ने सभा के सामने 2,37,287 करोड़ रुपये की राशि और चालू वित्त वर्ष संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए 84 लाख रुपए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव रखा है।

[प्रो. एम. रामदास]

मैं समझता हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा माननीय वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न मदों, जिन पर व्यय किया जाना है, के औचित्य तक सीमित रहना चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत व्यय की विभिन्न मदों के अध्ययन के पश्चात्, इस सरकार द्वारा पिछले छह माह के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों के मद्देनजर इस सभा द्वारा इन्हें प्राधिकृत करना औचित्यपूर्ण लगता है। समाज और विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संप्रग सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। इसलिए, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी व्ययों का समर्थन किया जाना चाहिए।

मुद्रास्फीति का अहसास होते ही, सरकार ने समय पर कदम उठाए। माननीय वित्त मंत्री ने तुरंत मौद्रिक और राजकोषीय, दोनों उपाय अपनाए। वैश्विक मंदी और विश्वस्तरीय वित्तीय संकट के संदर्भ में भी, वित्त मंत्री की समयोचित तत्परता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचा लिया। यह संभव है कि वृद्धि दर अनुमानित 8.1 प्रतिशत से कम होकर 7.5 प्रतिशत पर आ जाए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने उपाय न किए होते तो स्थिति और खराब हो सकती थी और ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए, इस देश को बचाने के लिए वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किए गए मौद्रिक और राजकोषीय उपायों और वृद्धि दर 7.5 पर रखने, जिसे स्थिति ठीक होने पर यथासमय बढ़ाया जा सकता है, के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देनी चाहिए। इसलिए, प्रस्तुत अनुपूरक मांगें गरीब लोगों के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए सरकार के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना ने आज ग्रामीण क्षेत्र पर काफी प्रभाव डाला है। यद्यपि कार्यक्रम में कुछ खामियां हैं, लेकिन हमने देखा है कि गांवों में दलित और गरीब लोगों में उत्साह आया है कि उनकी सहायता और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्र के दलित और असहाय लोग सोचते हैं कि कम से कम उनके पास 8000 रुपए प्रतिवर्ष की क्रय शक्ति तो सुनिश्चित है जिसके सहारे वे जीविका चला सकते हैं। इसलिए, यह ऐसा उत्साह है जो लोगों में सरकार ने जगाया है और यह स्वाभाविक ही है कि वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ज्यादा उपाय किए हैं।

एक अन्य कार्यक्रम, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला है वह है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसने गरीब, उपेक्षित और ऐसे लोगों, जो कभी किसी ग्रामीण अस्पताल अथवा आधुनिक सुविधायुक्त किसी प्राथमिक अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए हैं, के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने का प्रयास किया है।

अब मैं कृषि क्षेत्र पर आता हूं। आज कृषि क्षेत्र का पुनरोद्धार हो रहा है। अनुकूल मानसून और किसानों को सस्ते और पर्याप्त ऋण, ऋण माफी योजना के रूप में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों से किसानों और किसान समुदाय में अच्छा वातावरण उत्पन्न किया है जो अब उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से कीमतें कम होंगी। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि आज कीमतें बहुत अधिक हैं। लेकिन कीमतें एक बार ऊपर जाकर नीचे आनी शुरू हो गई हैं। हमें उम्मीद है कि अगले चार-पांच महीनों में कीमतें स्थिर हो जाएंगी और लोग खुश होंगे।

इसलिए वित्त मंत्री के अनुरोध को प्राधिकृत किया जाए। अमरीका के साथ ऐतिहासिक समझौता करने के लिए हमें सरकार और प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए। इस समझौते से हमारे देश के विकास में तेजी आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने के लिए हम सरकार को बधाई देते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, छह महीने पहले इस सरकार ने 7,50,884 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। मोटे तौर पर बजट में पूरे वर्ष का लेखा-जोखा होता है। वित्त मंत्री जी अनुदानों की पूरक मांगें लेकर सदन के सामने आए हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो गयी है कि हमारे बजट में पूरे वर्ष के लिए जो अनुमान थे, वे कहीं न कहीं गलत निकले। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गैर-योजनागत व्यय में जिस प्रकार से कटौती की जानी चाहिए, वह कटौती नहीं की गयी है। 2,07,781 करोड़ रुपए की अनुदान की पूरक मांगें रखी गयी हैं, उसमें भी योजनागत व्यय सिर्फ 29,563.94 करोड़ रुपए है और गैर-योजनागत व्यय 2,07,781 करोड़ रुपए है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस गैर-योजनागत व्यय में कटौती की कोशिश करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, तेल कंपनियों को अनुदानों की अनुपूरक मांगों से 65,942 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 146 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गया, तो सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों के भाव बढ़ा दिए और आज स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग आधी रह गयी हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जहां एक ओर आप तेल कंपनियों का ख्याल रखते हैं, वहीं दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार

में कच्चे तेल के दाम कम हो गए तो सरकार को चाहिए कि इन परिस्थितियों में उपभोक्ता को भी सस्ता पेट्रोल, डीजल आदि देने की कोशिश करे।

अध्यक्ष महोदय, उर्वरक पर सब्सिडी देने की जो व्यवस्था की गयी है, वह 52,863 करोड़ रुपए है। उर्वरक पर सब्सिडी के लिए सरकार ने पैसे की जो आवश्यकता आंकी है, वह 52,863 करोड़ रुपए है, जबकि अनुदानों की मांगों में इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूं कि यह राशि कम है। सरकार ने तमाम कमेटियां बनाई हैं। उन कमेटियों ने संस्तुति दी कि सब्सिडी का सीधा लाभ किसान को मिलना चाहिए। तमाम कमेटियों की सिफारिशें आने के बाद वित्त मंत्री जी ने भी उसे स्वीकार किया है। इसके बावजूद भी इस सब्सिडी से किसान सीधे तौर पर लाभान्वित नहीं हो रहा है। मेरा आपके मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह है कि सब्सिडी देने का तरीका इस तरह का हो जिससे किसान को लाभ मिले। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

जहां तक जल संसाधन का सवाल है, उसके लिए 77.7 करोड़ रुपए की आवश्यकता वित्त मंत्री जी बताते हैं।

इसमें जो 77.78 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उसमें गैर-योजनागत व्यय 58 करोड़ रुपए है और योजनागत व्यय सिर्फ 19 करोड़ रुपए है। जल हमारी खेती का प्राण है। हमारे देश में जितने जल की आवश्यकता है, उतना जल हमारे देश में उपलब्ध है, लेकिन असल व्यवस्था है जल संचय की। बार-बार कहने के बावजूद भी इस ओर सरकार द्वारा जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जल प्रबंधन को और दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में कृषि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसमें 2 लाख 37 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था वित्त मंत्री जी ने आंकी है। लेकिन इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों में उसके लिए सिर्फ 276 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। उसमें भी 254 करोड़ रुपए गैर-योजना व्यय के लिए है। यह राशि नहीं के बराबर है। कृषि से हमारे देश को सबसे अधिक रोजगार मिलता है इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र के माध्यम से हम बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कृषि पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने की बात कही गई है। उसके लिए 21 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात सरकार ने कही है, लेकिन इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों में उसके लिए केवल 10500 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की गई है। मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि खर्च करने की प्राथमिकता सुनिश्चित होनी चाहिए। आम आदमी को जिससे सुविधा मिल सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, उन क्षेत्रों की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। जैसे कृषि है, जल संसाधन है, छोटे उद्योग हैं और कृषि पर आधारित उद्योग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भविष्य में इसका ख्याल रखेगी। इसके साथ ही मैं इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, यद्यपि ये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) है, तथापि कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर दिए गए वक्तव्य के बाद हमें उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर वाद-विवाद करने का कोई अवसर नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि हमें इस खंडित सत्र में बोलने का कोई अवसर मिल पाएगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परंतु मुझे इस विषय पर कोई पूर्व सूचना नहीं मिली है। मुझे अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही वक्तव्य पूरा हुआ, मैंने माननीय सदस्यों से सूचनाएं मांगी। मैं आपसे प्राप्त सूचना का भी स्वागत करता हूं।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्री स्वाईं जी, कृपया आप पूर्व सूचना दीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: अत:, हमने सोचा कि हमें कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर दिए गए वक्तव्य पर कुछ टिप्पणियां करने का यह अवसर तो मिल जाएगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्यों नहीं? आपको इसका हक है। मुझे यकीन है कि इस विषय पर आपके विचार जानकर देश को प्रसन्नता होगी।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: खैर, किसी प्रकार, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का थोड़ा अवसर मिला जो श्री अनंत कुमार जी को नहीं मिल सका। यद्यपि उन्होंने बोलने का थोड़ा समय मिला। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं उनकी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। मैं उनके सहयोग के लिए उनका आभारी हूं और उनके पूरे भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं ठीक उनके बगल में बैठा हुआ था इसके बावजूद हमें यह नहीं पता कि उन्होंने वास्तव में क्या बोला। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। परंतु आप 'आर्थिक विशेषज्ञ' हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, वह हमारे सभापति हैं और मैं सभापति नहीं हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी नेता को अपने अनुयायियों से सीख लेनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: मैं हमेशा ऐसा करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि हमें एक तरह की मंदी का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा और हम भी जानते हैं कि हम मंदी की ओर जा रहे हैं, हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया, संयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था से उतनी जुड़ी नहीं है परंतु जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि यह प्रभाव भारत को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। परंतु मूल कारण यही है।

सरकार यह कहना चाहती है कि उसका मंदी की प्रक्रिया से कुछ लेना-देना नहीं है; सिर्फ अमरीका और विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है और वही हमारे देश को प्रभावित कर रहा है। परंतु हमारा यह कहना ऐसा इस सरकार के राजकोषीय कुप्रबंध के कारण ही हो रहा है। अब बाजार में नकदी की कमी का प्रमुख कारण यही है। हमारे तरलता संकट का विश्व से कुछ लेना-देना नहीं है। आज हम जो देखते हैं वही तरलता संकट है। आप इसे आईआईपी जो औद्योगिक संवर्धन का सूचकांक है, से चिन्हित कर सकते हैं, जो अब गिरकर 1.8 प्रतिशत हो गया है। ऐसा विश्व की अर्थव्यवस्था अथवा विश्व में मंदी के कारण नहीं है। आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है और यह सरकार इस प्रकार के आर्थिक संकट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

दूसरी बात यह है। चूंकि यह सरकार सत्ता में आ चुकी है इसलिए इसने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार द्वारा शुरू किए गए कड़े आर्थिक सुधारों को पूर्ण रूप से रोक दिया है। अब वे कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों ने इनका विरोध किया जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे। इन्हें उनसे मदद लेने के लिए किसने कहा? इन्होंने कम्युनिस्टों की सहायता से सत्ता सुख भोगा। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मंत्री नहीं बने। इसीलिए, सारा कोटा कांग्रेस के पास चला गया। इन्होंने पिछले चार वर्षों तक सत्ता सुख भोगा। वे सारे सुख भोगेंगे, सभी लाभ उठाएंगे और जब कोई समस्या आती है तो वे कहेंगे कि वे कम्युनिस्टों के कारण ऐसा नहीं कर सके। अत: यदि इन्होंने सारे लाभ उठाए हैं तो इन्हें इससे उत्पन्न सारी हानि उठाने के प्रयास भी करने चाहिए। मुद्रस्फीति की समस्या का उदाहरण लीजिए। मुद्रास्फीति कम नहीं हो रही है। यह अब भी 11.4 प्रतिशत के आस-पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पहले बताया कि यह स्वीकार्य नहीं है। परंतु यह वास्तव में स्वीकार्य नहीं है। यह बढ़कर 12 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से ऊपर भी हुई। इसमें हर हफ्ते 0.2/0.3 प्रतिशत या इसके आसपास कमी आ रही है। सरकार अब भी यही कह रही है कि ऐसा केवल एक कारण से हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: यह श्री चिदम्बरम की पुस्तक है।

अध्यक्ष महोदय: भ्रमित मत होइए। वह आपके नेता हैं। आपको उनकी बात सुननी ही होगी।

श्री खारबेल स्वाईं: आपके साथ सहयोग करने के लिए ही आपने उनका इतना धन्यवाद किया है। *...(व्यवधान)* उन्होंने यही कहा है। आम आदमी की भाषा में, उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति कराधान का सबसे बुरा रूप है। माननीय वित्त मंत्री जी ने यही कहा है। यदि यह कराधान का सबसे बुरा रूप है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब यह 11 प्रतिशत से ज्यादा है। वह हर बार इसी बात का श्रेय लेते रहे कि उनके कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पाद 9 प्रतिशत से अधिक था। वह हर समय यही कहकर आरोप लगाते रहे: "श्री स्वाईं जी, आपके समय राजग सरकार के कार्यकाल में यह 4.8 प्रतिशत या इसके बराबर था"।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़े निराशाजनक रूप में यह कहा कि सकल घरेलू उत्पाद गिरकर 7 प्रतिशत हो जाएगा मुझे इस बारे में भी पूरा-पूरा संदेह है कि वर्ष के अंत तक क्या सकल

घरेलू उत्पाद की विकास दर 7 प्रतिशत रहेगी या यह उससे भी कम होगी। तत्पश्चात्, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जब यह 9 प्रतिशत से अधिक थी तो इसका श्रेय वित्त मंत्री को दिया जाएगा।

इस समय जबकि यह 7 प्रतिशत से कम है, तो इससे अमरीका उसके नए दोस्त की बदनामी होगी। क्योंकि उसने उसके साथ यह परमाणु संधि की थी। इसलिए, इस बदनामी के जिम्मेदार वही हैं। लेकिन हमारा कहना है कि यह सब इस सरकार द्वारा की गई आर्थिक फिजूलखर्ची के कारण है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। उनका क्या कहना है? पिछले चार वर्षों के दौरान उनकी उपलब्धि क्या है? वे किए गए दो बड़े कामों के नाम गिनाते हैं। पहला एन.आर.ई.जी.पी. है। मुझे यह याद है कि जिस दिन एन.आर.ई.जी.ए. पारित हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा था। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी उपस्थित हैं।

जब वे बोली थीं, तब उन्होंने साम्यवादियों के श्रेय के लिए एक शब्द भी नहीं बोला।

अध्यक्ष महोदय: आपने कम-से-कम अध्यक्षपीठ को छोड़ दिया।

श्री खारबेल स्वाईं: साम्यवादी श्रीमती गांधी जी के अनुदेशों की ओर यह उम्मीद लगाकर देख रहे थे कि श्रीमती गांधी जी उनके लिए कुछ सुखद शब्द बोलेंगी और वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस कार्यक्रम का उन्हें भी कुछ श्रेय मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र मत कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: आप श्रीमती गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण को पढ़िए। उन्होंने दो या तीन बार यह कहा था कि इस कार्यक्रम को शुरू करने वाली कांग्रेस पार्टी ही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इस कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया है।

श्री खारबेल स्वाईं: हां, अगले चनावों में आप इस देश की जनता के समक्ष जाइए और उन्हें बताइए कि इस एन.आर.ई.जी.पी. के कारण ही हमने देश में इतने रोजगार के अवसरों का सृजन किया है और इसलिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें। आप जाएं और लोगों से ऐसा कहें और इसका परिणाम आ२को पता लग जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे बहुत अच्छी मन:स्थिति में हैं और लगातार मुस्कुरा रहे हैं। कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यदि कोई ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने इस एनआरईजीपी के लिए बहुत ही अच्छा क्रियान्वयन तंत्र शुरू किए हैं, तो यह केवल भाजपा शासित राज्य ही हैं। ...*(व्यवधान)* यदि आप गुजरात की बात करते हैं तो वह भी भाजपा शासित राज्य है। यह भाजपा या राजग-शासित राज्य है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को समुचित रूप से लागू किया है और उनके कांग्रेस शासित राज्य ही इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बुरी तरह असफल रहे हैं तथा इस साल के चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

महोदय, आओ अब हम इस सरकार के एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् कर्ज माफी की योजना की चर्चा करें। ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं स्वाईं जी के ध्यान में यह बाते लाना चाहूंगा कि एन.आर.ई.जी.पी. के क्रियान्वयन में संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का पहला स्थान है और पुडुचेरी की संप्रग सरकार कांग्रेस (आई) की सरकार है। इसने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसलिए वे ऐसा न कहें कि कांग्रेस (आई) शासित राज्य इसे सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, पुडुचेरी एक शहरी क्षेत्र है और पुडुचेरी में जो हुआ उसकी कोई तुलना नहीं है। यदि राजग यह सोचता है कि पुडुचेरी में उन्होंने जो किया वह बहुत अच्छा है, तो इसका श्रेय उनको जाने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: राजग नहीं, बल्कि यह संप्रग है।

श्री खारबेल स्वाईं: जी हां, यह संप्रग है। मैं सारा श्रेय उन्हीं को दे रहा हूं। उन्हें इसे स्वीकार करने दीजिए।

अब, इस सरकार की दूसरी प्रमुख उपलब्धि किसानों की कर्ज माफी है। जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां इसकी घोषणा की उस दिन कांग्रेस के सदस्यों ने मेजे थप-थपाना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि सब कुछ टूट जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): तीन करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आप जरा याद कीजिए कि अंत में ही सही आप मेरे पास आए और मेरा धन्यवाद किया तथा मुझे बधाई दी।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं कभी भी उनके पास नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय: यह निजी तौर पर धन्यवाद था।

श्री खारबेल स्वाईं: संभवत: हमारी तरफ से कोई और उनके पास गया था। वे एक प्रसिद्ध वकील हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उनकी यादाश्त इतनी कमजोर है। मैं कभी भी उनके पास नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि इसके क्या परिणाम होंगे। आप देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए। कोई भी व्यक्ति जिसने समुचित ढंग से कर्ज अदा कर दिया है वह एक सरल प्रश्न पूछता है। उसका कहना है: मैंने पैसे वापस कर दिए। मेरा क्या होगा? मुझे कोई लाभ नहीं मिला। ये ऋण वापस न करने वाले लोग ही हैं, जिन्हें इस ऋण माफी योजना से लाभ मिला है। मैंने ऋण सहकारी सोसायटी को ऋण वापसी से जीवंत रखा क्योंकि मेरे भुगतान से सहकारी सोसायटी जीवित रही लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: केवल श्री शरद पवार ही इस बात को समझ सकते हैं।

श्री खारेबल स्वाईं: जी हां, केवल श्री शरद पवार ही इसे सही ढंग से समझ सकते हैं।

महोदय, मैं इस संप्रग सरकार और कांग्रेस पार्टी को यह बता दूं— श्रीमती गांधी जी यहां उपस्थित हैं— वे जनता के समक्ष जाएं और उसे कहें कि हमने 60,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए हैं और इसलिए कृपया हमें वोट दें। आप लोगों से ऐसा कहें और आपको पता चलेगा कि आपको कितने वोट मिलेंगे। आप जनता के समक्ष जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप उन्हें इन दो बातें एनआरईजीपी और ऋण माफी के बारे में कहिए। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

एनआरईजीपी और ऋण माफी योजनाएं पूर्णत: असफल कार्यक्रम हैं। आप इस देश में कहीं भी जाइए, एनआरईजीपी में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। सरकारी अधिकारियों द्वारा धनराशि में हेरा-फेरी की जा रही है। ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच तगड़ी सांठ-गांठ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप इनसे बंधे हुए नहीं हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, उन्होंने कहा है कि एनआरईजीपी में देश के प्रत्येक भाग में पूरा भ्रष्टाचार है। मैं उनसे इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि क्या उड़ीसा में भी ऐसा ही है।

श्री खारबेल स्वाईं: कुछ हद तक।

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होंने अभी-अभी कहा कि देश के प्रत्येक भाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं उड़ीसा से हूं कृपया इसलिए ऐसा मत कहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: क्या गुजरात में भी ऐसा ही है?

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मेरे भाषण को देखिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ की ओर देखिए।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरे भाषण को देखें। जिस दिन एनआरईजीपी को पारित किया गया था, ग्रामीण विकास संबंधी समिति के माननीय सभापति श्री कल्याण सिंह जी यहां उपस्थित हैं, शायद केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इसका विरोध किया था। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी वर्ष 1973 में महाराष्ट्र में शुरू की गई इसी प्रकार की परियोजना से नकल की गई है।

ग्रामीण विकास संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में महाराष्ट्र में वर्ष 1973 में शुरू की गई परियोजना के परिणाम के तृतीय चरण को बताया गया था। मैंने उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट भी दिखाई थी। यह भी बताया गया है कि उसी दिन यवतमाल जिले में जिले के कलेक्टर के जाली हस्ताक्षर करके इसी परियोजना से लगभग 9 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी की गई थी। मैंने इसे उनको दिखाया है। मैंने उन्हें बताया था कि ऐसा ही होगा क्योंकि मूलत: परियोजना में ही गड़बड़ी है क्योंकि वे चाहते हैं कि लोगों को केवल पैसा मिले, कोई गुणवत्ता नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कोई सृजित की जा रही आस्तियों की जानकारी नहीं लेगा, इसकी समीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार ने अन्य सभी परियोजनाएं रोक दी हैं।

अध्यक्ष महोदय: संसद सदस्यों को निगरानी समिति का सभापति बनाया जाता है। आप भी निगरानी समिति के सभापति हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: संसद सदस्य निगरानी समिति के सभापति बन चुके हैं, परंतु क्या वे जाकर मस्टर रोल तैयार कर सकते हैं?

क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)* मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब कार्ड मिलेगा। जब लोग उनसे पूछते हैं कि वे जॉब कार्ड का क्या करेंगे तो ठेकेदार कहता है कि उन्हें घर पर बैठकर 20 रुपये मिलेंगे।

ऐसा हो रहा है। ...*(व्यवधान)* आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और इसके बारे में पता चल जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप 15 मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, उन्हें तमिलनाडु आकर इस योजना का निरीक्षण करना चाहिए। तमिलनाडु में इसका समुचित कार्यान्वयन किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको अनुमति दूंगा। मुझे आपका नाम नहीं मिला है। श्री स्वाईं जी कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, द्रमुक के शासन काल में अब तमिलनाडु राम राज्य बन चुका है और राम राज्य में लोग बहुत ईमानदार हैं। ...*(व्यवधान)* परंतु हम रावण राज्य की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मेरे राज्य में इतने ज्यादा ईमानदार लोग नहीं हैं और तमिलनाडु में ही ईमानदार लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने एक उपयुक्त चुनावी भाषण दिया है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मुझे मुद्दे पर आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: हां, कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे बोलने के लिए थोड़ा और समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप 17 मिनट ले चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: आप इसे इसी तरह पारित कर सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसे इसी तरह पारित नहीं करूंगा। मैंने आपको बोलने के लिए कहा है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मेरे दल से कोई और वक्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपके दल से तीन और वक्ता हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: अब वे आ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: तब मैं अन्य सदस्यों को नहीं बुलाऊंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आप ब्याज दर का उदाहरण लीजिए। अब, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्या कहा? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमें ब्याज दर में वृद्धि करनी होगी ताकि कोई भी बैंकों या निवेश संस्थाओं से ऋण न लें।

अब क्या हुआ है? यदि माननीय वित्त मंत्री जी या माननीय प्रधान मंत्री जी यह कह रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक घटकर 1.8 प्रतिशत हो गया है। ऐसा ब्याज दर में वृद्धि की वजह से ही है। राजग के शासन में क्या हुआ? ब्याज दर 12.5 प्रतिशत थी। श्री यशवंत सिन्हा ने इसे घटाकर 6 प्रतिशत करने में भूमिका अदा की थी। क्या यह हमारे लिए श्रेय की बात नहीं है? राजग सकार के कार्यकाल में जब हमने ब्याज दर घटाई, यहां तक कि वरिष्ठ नागरिकों ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमने अपना पैसा बैंकों में रखा और हम जब मोटा ब्याज अर्जित कर रहे थे, अब इस सरकार ने इसे कम कर दिया है, हमारी आलोचना की गई। परंतु अब क्या हो रहा है? ब्याज दर सरकार ने ही बढ़ाई है; यही कारण है कि इससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। उद्योगों की ऋण लेने में रुचि नहीं है। उद्योगों की अपना विस्तार करने में रुचि नहीं है। यही कारण है कि 'आईआईपी' में कमी आ रही है और अंततः 'जीडीपी' में भी कमी होगी। लेकिन हमारे कार्यकाल के दौरान, क्योंकि हमने ब्याज दर को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था, निर्माण उद्योग और आवास क्षेत्र में तेजी आई थी। आप सीमेन्ट क्षेत्र में, इस्पात क्षेत्र में हो रहे विस्तार को देख ही रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कार्यकाल के दौरान हमने ब्याज दर कम कर दी थी। मैं संप्रग सरकार से ब्याज दर कम करने की अपील करता हूं ताकि कम से कम निर्माण क्षेत्र में तो तेजी आए और परिणामस्वरूप उद्योग में भी तेजी आए।

माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री सदैव कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार अत्यंत सुदृढ़ है। 1998 के दौरान पूर्वी एशियाई संकट भी आया था। पूर्वी एशियाई संकट के दौरान, उद्योग बंद हो गए थे, व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी थी और लोगों ने नदियों में कूदकर आत्महत्याएं भी की थी। यह सब हुआ। उस समय भी हमारा आधार सुदृढ़ था। लेकिन इसने भी हमें प्रभावित किया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में भी, अर्थव्यवस्था के आधार सुदृढ़ हैं लेकिन वे भलीभांति जानते हैं कि यदि तरलता की कमी होगी, तरलता का संकट होगा तो यह आधार को भी प्रभावित करेगा। इसलिए, उन्होंने कड़े उपाय किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उनकी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि व्यवस्था में तरलता के लिए 700 बिलियन डालर जारी किए जाएं। श्री गार्डन ब्राउन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का उदाहरण लें। इन्होंने भी इस संबंध

[श्री खारबेल स्वाईं]

में मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी उनका अनुसरण किया है। हमें भारत में इसी प्रकार के मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा संकट इस प्रकार का अवसर भी प्रदान करता है। भारत को अन्य देशों को रास्ता दिखाना चाहिए क्योंकि यह एक सीमा तक वैश्विक मंदी के कहर से बचा हुआ है। यही कारण है कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री को नेतृत्व करना चाहिए। उन्हें केवल यही नहीं कहना चाहिए कि हमारे आधार मजबूत हैं। मात्र यह कहने से कि आधार मजबूत है, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जो दो-तीन बातें कही हैं, उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। हम अभी संकट के पार नहीं पहुंचे हैं। आप फिर देखेंगे कि यदि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए अभी कड़े उपाय नहीं किए गए तो उद्योग बंद हो जाएंगे।

आप सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार की काफी कमी हो जाएगी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी आई हुई है। अब माननीय वित्त मंत्री पर संरक्षणवाद के लिए दबाव बनेगा। ऐसा अवश्य होगा। अब वे कहेंगे, किसी को मत आने दो, कोई धन मत आने दो।

निवेश का क्या होगा? इसकी आवश्यकता है अथवा नहीं? इसलिए, अब उन्हें संरक्षणवाद अपनाना चाहिए। वे कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बादी से बचाया जाएगा।

यह अच्छी बात है कि बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए 'सीआरआर' में कमी की गई है। पिछले छह वर्षों से, 'सीआरआर' में वृद्धि ही हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक पिछले छह वर्ष से क्या कर रहा था? यह केवल 'सीआरआर' में वृद्धि कर रहा था और यह नौ प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब, उन्होंने 'सीआरआर' में 200 आधार बिन्दुओं की कमी की है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसे पांच प्रतिशत पर लाने का अनुरोध करता हूं जैसे कि यह पहले था ताकि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता उपलब्ध हो और इसके कारण उद्योग भी समृद्ध होंगे।

अब, वित्त मंत्री ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि बैंक तेल कंपनियों को ऋण नहीं देना चाहते हैं। पहले तेल कंपनियां बैंकों से उधार लेती थी। अब, बैंक कह रहे हैं कि वे तेल कंपनियों को ऋण नहीं देंगे। माननीय वित्त मंत्री ने उन्हें हजारों करोड़ रुपए के बांड दिए हैं। उन्होंने ये बजट में नहीं दिए हैं। ये सब घाटे हैं। वर्ष के अंत में आप देखेंगे कि यह देश का राजकोषीय घाटा बनने जा रहा है। आप जानते हैं उन्होंने बजट में क्या अनुमान प्रस्तुत किए हैं और आप यह भी देखेंगे कि वर्ष के अंत में कितना राजकोषीय घाटा हुआ है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने हमारी भावी पीढ़ियों पर बहुत अधिक बोझ डाल दिया है और हमारी भावी पीढ़ियों को इसका भुगतान करना होगा क्योंकि उन्होंने यह बजट के माध्यम से नहीं दिया है और उन्होंने इसे भावी पीढ़ियों के लिए अस्थिर कर दिया है।

निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, वे नहीं समझेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही उन्हें बट्टे खाते में डाल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: अब, हमें और धन चाहिए। अनिवासी भारतीयों को भारत में ज्यादा धन लगाने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि भारतीय बैंक पूर्णत: सरकारी बैंक हैं और सरकार बैंकों में की गई जमाओं की 'गारंटर' है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए। मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला हूं।

मैं केवल इतना अनुरोध करता हूं कि अनिवासी भारतीयों द्वारा की गई जमाओं पर ब्याज दर की एक सीमा होनी चाहिए क्योंकि 'लिबोर' अर्थात् लंदन इंटर बैंक रेट से 75 आधार बिन्दु अधिक, और यह 300 अथवा 400 आधार बिन्दुओं तक जा सकती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा की जाने वाली जमाओं पर बैंकों को यथा संभव ब्याज देने की छूट होनी चाहिए।

महोदय, मैं केवल एक या दो बात और कहूंगा। ब्याज दर पर कृत्रिम बंधन न रखे जाएं। व्यवस्था में तरलता लाने के लिए केवल पिछले सप्ताह ही इस सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। पहले वे सोचते थे कि भारत में कुछ नहीं होगा और हम पूर्णत: सुरक्षित हैं। यह गलत सोच है। यह बहुत ही गलत सोच है। माननीय वित्त मंत्री के ढीले-ढाले और अहंकारी रवैये के कारण, अब भारत को भुगतान पड़ रहा है। उनकी गलत नीतियों के कारण, हम अब भुगत रहे हैं।

इसलिए, जितनी जल्दी यह सरकार जाए और नई सरकार आए, इस देश के लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2008-09 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसी वर्ष के अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री जी, वे आपका समर्थन कर रहे हैं। कृपया उन्हें सुनिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं सिर्फ दो बातों की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इस वर्ष के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने किसानों की आत्महत्याओं को लेकर जो लोन वेवर की मांग पर घोषणा की, उसका देश के किसानों और सभी ने समर्थन और स्वागत किया लेकिन आज भी यह स्थिति है कि आपके आदेश पर रिजर्व बैंक ने सारे बैंकों को आदेश तो दिये हैं कि जिनका कर्जा माफ हुआ है, उनकी लिस्ट डिसप्ले की जाए, उन्हें सर्टिफिकेट इश्यू किया जाए। यह तो लगभग सारे बैंकों में हुआ है लेकिन आज महाराष्ट्र में विशेषकर रबी का सीजन है। जिनके लिए लोन माफ हुआ है, उनकी लिस्ट लगी है, उनके नाम डिसप्ले किये हैं कि आपके लोन माफ किये हैं लेकिन नये कर्जे के लिए वे अर्जी नहीं दे सकते। इसके अलावा जिन्होंने अपने लोन का रेगुलर भुगतान किया है, जो डीफाल्टर नहीं हैं, बैंकों की ओर से उनको भी ऋण नहीं दिया जा रहा है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि यह घोषणा हुई है, हमें आदेश आए हैं लेकिन हमारे पास धन नहीं आया है। एक रुपया भी बैंकों तक नहीं गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिनको लोन वेवर मिला है, वे किसान 15-20 प्रतिशत हैं, वे ज्यादा नहीं हैं। जो 2007 तक डीफाल्टर थे, उनको ही हमने वेवर दिया है, वह संख्या केवल 15-20 प्रतिशत है जबकि 80 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो रेगुलर हैं, डीफाल्टर नहीं हैं - उन्हें भी लोन नहीं मिल रहा है। मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह मांग है कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र या पूरे महाराष्ट्र से ही आप जानकारी मंगाइए कि आपके द्वारा लोन वेवर की घोषणा के बाद कितने किसानों को बैंकों ने ऋण दिया है। जो कोआपरेटिव बैंक हैं, वे तो साफ तौर पर इंकार कर रहे हैं, वे सर्टिफिकेट भी इश्यू नहीं कर रहे हैं। यह फैक्ट है, आप इसकी जानकारी लें। कोआपरेटिव बैंकों का साफ-साफ कहना है कि हमने लिस्ट डिसप्ले की है, लेकिन सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करेंगे। वह तब इश्यू करेंगे जब बैंक को धन मिलेगा। सारे कोआपरेटिव बैंक विशेषकर डिस्ट्रिक्ट बैंकों की ओर से यह कहा जाता है और इसीलिए किसानों में भारी असंतोष है, भारी गुस्सा है कि आज फसल का पूरा सीजन उसके लिए खत्म होता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने हमारी इकोनामिक सिचुएशन के संबंध में यहां एक बयान दिया और अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमने किसानों को वेवर दिया है, वन टाइम सैटलमैंट का अवसर दिया है, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान परेशान हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं।

एक मुद्दा और मैं यहां पर उठाना चाहूंगा। महंगाई की ओर सरकार का ध्यान नहीं है कि महंगाई किस प्रकार से कम की जाए। वह कम हो सकती है या नहीं, यह चर्चा का विषय हो सकता है। इस पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन महंगाई रोकने के लिए प्रयास ही न हो, या सरकार की मानसिकता ही न हो, यह गरीबों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी और खिलवाड़ होगा। एक बयान हमने बीच में वित्त मंत्री जी का अखबारों में पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इनफ्लेशन को रोक सकते हैं। वह रोकने का प्रयास करेंगे तो उसका असर हमारे इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट पर होगा। हो सकता है कि औद्योगिक विकास पर उसका प्रभाव हो, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज भी इस देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और गरीब है। 38 प्रतिशत लोग इस देश में बिलो पावर्टी लाइन हैं और ऐसे में महंगाई एक अहम मुद्दा है। सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। महंगाई को रोकना चाहिए और यदि यह सरकार महंगाई को रोकने में असफल होती है तो उसके नतीजे जनता उन्हें दिखलाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: फिर तो मैं माननीय वित्त मंत्री को बुला सकता हूं। क्या कोई अन्य बोलना चाहता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि वे आपके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर देंगे। आप बाद में उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: श्री शिवन्ना अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री एम. शिवन्ना आप अपनी स्पीच लै कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वे बोलना चाहते हैं। वे भी मेरे जैसे विद्रोही लगते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का पुरजोर विरोध करता हूं।

मैं केवल मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास केवल कुछ मिनट का समय है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं आपको समय मिलेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इस सम्माननीय सभा में पहला मुद्दा इस देश में गिर रही कानून व्यवस्था के बारे में उठाना चाहता हूं। हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में किसी की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है। कल केरल का एक मलयालम भाषी व्यक्ति खाड़ी देश से यहां आया। उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। यह राष्ट्रीय राजधानी में हुआ। इतना ही नहीं कुछ दिन पूर्व हमें एक पत्रकार की घटना याद होगी जब वह अपने कार्यालय से घर लौट रही थी तो उसे नृशंसता से गोली मार दी गई। पुलिस इस अपराध के बारे में पता नहीं लगा सकी। अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है। एक अन्य मलयालमभाषी की भी हत्या हुई थी। केवल मलयालमभाषी ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य का व्यक्ति भयरहित होकर यहां जीने का साहस नहीं कर सकता। इस देश की राष्ट्रीय राजधानी की यह स्थिति है।

अब, अन्य राज्यों की स्थिति की चर्चा करें। उड़ीसा का हमारा अनुभव कटु है। हमारे संविधान की मूलभूत अवधारणा को भी चुनौती दी जा रही है। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। उनके साथ बलात्कार भी किए जा रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है। आप उड़ीसा के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए। *...(व्यवधान)* नहीं, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, कृपया शांत रहें। यह मेरा अधिकार है।

कानून व्यवस्था इतनी खराब होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने वहां की सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वित्तीय मामलों में यहां किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है।

श्री अनंत कुमार: नहीं, आप हमें भी यह छूट दीजिए। यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं उस बात की अनुमति दूंगा जिसके लिए आपने कभी मांग नहीं की। श्री अनंत कुमार मैं देखूंगा, यदि वे लक्ष्मण रेखा को पार करे तो मैं उन्हें वापस बुला लूंगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, यहां सप्लीमेंटरी डिमांड पर चर्चा हो रही है और इन्होंने इसे जीरो आवर बना दिया है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वहां जो कुछ हुआ है उससे माननीय सदस्य अवगत नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केवल उड़ीसा में ही नहीं बल्कि असम में अल्पसंख्यकों के साथ भी ऐसा हो रहा है, स्थिति बहुत ही खतरनाक है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप इसकी चिंता न करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। यहां तक कि पोप ने भी हस्तक्षेप किया है कि भारत सरकार को देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह सरकार किस प्रकार वहां की लोकतांत्रिक सरकार, एक चुनी हुई सरकार को अपदस्त करने में लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आज यही स्थिति है। कश्मीर की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अन्य राज्यों के साथ वहां चुनाव की भी घोषणा नहीं हो सकी। इसका साफ मतलब है कि केन्द्र सरकार एक अशांत राज्य में कानून व्यवस्था भी बनाए नहीं रख सकती। इतना ही नहीं सभी शहरों में बंगलौर के बम विस्फोट जैसे अनेक बम विस्फोट हमें याद हैं। इसे हम क्षण भर के लिए भी भूल नहीं सकते। राष्ट्रीय राजधानी में भी कई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए। हमारा खुफिया विभाग और आसूचना एजेंसियां चुप रहीं। उन्हें कोई कारण नहीं मिल पाया।

यही आज की स्थिति है। भारत के इतिहास में यह कभी नहीं सुना गया कि लोगों की नृशंष हत्या हुई और देश के हर हिस्से में बम विस्फोट हो रहे हैं। केवल राष्ट्रीय राजधानी में ही नहीं बल्कि बंगलौर, मुम्बई और कई अन्य शहरों में भी ऐसी घटनाएं दोहरायी जा रही हैं। हमें पता नहीं कि ये कैसे हो रही हैं। इसलिए हमें भय है कि जब सुबह मैं टहल रहा होता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं आप अवश्य लौटेंगे। आप मुझे अपना मार्ग बता दीजिए। मैं देखूंगा कि वहां पुलिस हो।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यही स्थिति है मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही दयनीय स्थिति है।

विधि और न्याय मंत्री तथा गृह मंत्रालय भी हर तरह से असफल रहा है। माननीय गृह मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं। स्थिति इतनी खराब हो रही है कि हमारा विश्वास, हमारी राष्ट्रीय ख्याति यहां तक कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों या अवधारणा को भी चुनौती दी जा रही है और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी का दावा नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)* संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जयंती, 2 अक्तूबर को शांति दिवस के रूप में मनाने का साहस किया। हमारे देश में क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उस दिन भी, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हमारे देश में विस्फोट हुए। यह कैसी दयनीय स्थिति है? क्या माननीय गृह मंत्री किसी समाधान का दावा कर सकते हैं? नहीं। यही स्थिति है।

मैं वास्तव में बहुत चिंतित हूं। इस सामान्य चर्चा में भाग लेते समय मैं बहुत चिंतित हूं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक राज्य के मुख्यमंत्री यहां आकर संसद के सामने धरना देते हैं। क्या हुआ? मुख्यमंत्री यहां क्यों आए और सत्याग्रह किया? *...(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, यह क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको आदर देना चाहिए-मुख्यमंत्री यहां आए हुए हैं। आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं। आप आदर करने का प्रयास कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, हमें केंद्र और राज्यों के संबंधों तथा मानदंडों का अवलोकन करना होगा।

महोदय, खाद्य आपूर्ति के मामले में केरल कमी वाला राज्य है। नेहरू जी के कार्यकाल और उससे भी काफी पहले जब राज्यों का विलय किया गया था तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहमति थी कि कमी वाला राज्य होने के कारण केरल को निर्धारित दरों पर चावल की आपूर्ति की जाएगी। केरल ऐसा एकमात्र राज्य है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया था और वह प्रणाली असफल हो चुकी है। केंद्र सरकार ने नियत कोटा देने से मना कर दिया। परंतु उन्होंने केरल की जनता को चावल का नियत कोटा नहीं दिया और उन्हें भूखा मरने दिया।

केन्द्र सरकार की गलत नीति के कारण राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विफल हो चुकी है। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों की प्रणाली का बिल्कुल गलत आकलन किया गया और उन्होंने राशन आपूर्ति लेने वाले लगभग 30 लाख व्यक्तियों को राशन देने से मना कर दिया। इन सब व्यक्तियों को खुले बाजार में जाकर भारी कीमत खर्च करके चावल खरीदना पड़ रहा है। यह स्थिति केंद्र सरकार की गलत नीति और केंद्र सरकार द्वारा चावल की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति से इनकार करने के कारण उत्पन्न हुई है।

अब, मैं विद्युत आपूर्ति पर आता हूं। केरल जलाशयों वाला ऐसा राज्य है जो जल विद्युत योजनाओं से विद्युत प्राप्त कर रहा है। जहां तक केरल का संबंध है तो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। पूर्वोत्तर मानसून भी नहीं आया। मानसून की वर्षा न होने के कारण राज्य में सारी विद्युत परियोजनाएं ठप्प हो गई हैं। जलाशयों में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। पानी की काफी कमी हो गई है।

महोदय, केरल ने पहले ही बिजली की कटौती आरंभ कर दी है। परंतु इसमें वृद्धि हो रही है। इस सरकार में दया की भावना नहीं है। इस निर्दयी सरकार ने केरल राज्य को बिजली और चावल की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। ऐसा केवल चावल की आपूर्ति में नहीं बल्कि विद्युत आपूर्ति में भी ये* व्यक्ति *...(व्यवधान)* इन्होंने विद्युत आपूर्ति करने से इनकार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय: इन शब्दों को हटा दिया जाएगा मुझे विश्वास है कि आपका अर्थ यह नहीं था।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह संदर्भ एक संस्था के बारे में है जो कि संसदीय है। यह संसदीय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें पसंद नहीं करते। आप ऐसा कहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इसे किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में प्रयोग नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इसे किसी संस्था के लिए प्रयोग कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परंतु आप जानते हैं कि आपको अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को स्वीकार करना होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह बात भली-भांति जानते हैं। आप पूर्व अध्यक्ष हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दुर्भाग्यवश, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष की बात नहीं सुनते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, पूरा मंत्रिमंडल यहां आया है और सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी यहां आए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। क्या आप वर्तमान अध्यक्ष पर थोड़ा ध्यान देंगे?

मुझे यकीन है कि एक राज्य विशेष के मुख्यमंत्री धरना देने के लिए दिल्ली आए हैं, भारत सरकार निसंदेह इस पर समुचित ध्यान देगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ आपके पक्ष में बोल रहा हूं और आप मेरी बात में व्यवधान डाल रहे हैं। कृपया यहां बैठे अपने मित्रो और साथियों से पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सुनेंगे? क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं सुन सकता हूं...

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे सुन सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब, मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। कृपया आधा मिनट प्रतीक्षा कीजिए और मुझे बोलने का थोड़ा अवसर दीजिए। मैंने कहा है कि जब एक राज्य विशेष के मुख्यमंत्री यहां आकर धरने पर बैठते हैं तो स्पष्ट रूप से यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मुझे यकीन है कि केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी। यह मैंने सिर्फ आपके पक्ष में कहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं?

अध्यक्ष महोदय: आप दो मिनट और बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसमें संदेह नहीं कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य का विषय है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): यह पूरी तरह से विफल हो चुकी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: परंतु संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति पर विचार नहीं किया जिसमें देश में केंद्रीय अपराधों की संख्या बहुत अधिक हैं।

अब, हमारे सामने चरमपंथियों द्वारा उत्पन्न किया गया खतरा है। इसलिए, केंद्रीय अपराध को परिभाषित करने में कुछ तरीके ढूंढने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर इस स्थिति से निपटने के लिए संशोधन करने और केंद्रीय अपराध को परिभाषित करने का उपयुक्त समय है। चरमपंथियों को अत्याधुनिक हथियार दिए जाते हैं और राज्य की पुलिस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। परंतु इसके कारण राज्य की शक्तियों को वापस नहीं लेना चाहिए और उन पर अतिक्रमण भी नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से शक्तियां प्रमुख रूप से राज्य सरकार के पास होनी चाहिए क्योंकि किसी राज्य विशेष में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए वे ही लोग जिम्मेदार हैं।

जहां तक राष्ट्रीय अपराधों का संबंध है और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों से निपटने का संबंध है तो हमें व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सकें।

अध्यक्ष महोदय: आप संघीय कानून चाहते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वे इन कदमों पर रोक न लगा दें। अन्यथा, हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं वह बना रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का पुरजोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2008-2009 का समर्थन करते हुए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं भारत-अमरीका परमाणु समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके परिणामस्वरूप, भारत को 34 वर्ष पश्चात्, संयुक्त राज्य, रूस और अन्य देशों से परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी मिलेगी।

सारे देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अंबुमणि रामदास को भी बधाई देना चाहता हूं। तथापि, माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ने सभी रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर यह प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिया था। मैं उनके प्रति भी अत्यंत आभारी हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आते हुए, मैं बाढ़ राहत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक केन्द्रीय दल ने कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित और अकाल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अकाल के लिए राहत उपाय शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से मदद के लिए हमने एक ज्ञापन भेजा था। लेकिन कर्नाटक को अब तक अनुदान नहीं मिला है।

मैं कर्नाटक में बिजली की स्थिति, जो नाजुक है, के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। किसानों को मुश्किल से कृषि के लिए न्यूनतम बिजली मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में कटौती सामान्य बात हो चुकी है। बिजली संकट के कारण उद्योग और साफ्टवेयर कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इसलिए केन्द्र (सरकार) को 'सेन्ट्रल पावर ग्रिड' से कर्नाटक को और बिजली देनी चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि केंद्र को कर्नाटक में कनकपुरा के निकट मेकेदातु में एक जल विद्युत परियोजना लगानी चाहिए।

दूसरी बात कर्नाटक में परिवहन समस्याओं की है। यह अपने चरम बिन्दु पर पहुंच चुकी है। पिछले तीन महीनों के दौरान, अकेले देवनहल्ली विमानपत्तन पर ही 60 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं। मेट्रो रेल का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। यदि यह इसी प्रकार चलता रहा तो इसे पूरा होने में 8 वर्ष और लग सकते हैं।

इसलिए केन्द्र सरकार को 'अंडर ब्रिज', 'ओवर ब्रिज' और 'फ्लाई ओवर ब्रिज' बनाने के लिए कर्नाटक को पर्याप्त निधियां दी जाएं ताकि परिवहन की समस्या हल हो सके।

मैं देश भर में विशेष रूप से बंगलौर, अहमदाबाद, दिल्ली आदि में हो रही आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा करता हूं। अनेक निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। यह एक गंभीर अपराध है। इसलिए, ऐसे अपराधों को तुरंत रोकने के लिए मैं गृह मंत्री से कड़े कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

पूरे विश्व में मंदी छाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बैंक जमाएं सुरक्षित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान वित्तीय स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार और कदम उठाएगी। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री गणेश सिंह** (सतना): महोदय, मध्य प्रदेश में 62 लाख परिवार गरीबी रेखा में हैं लेकिन खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल मात्र 42 लाख परिवारों को ही दिया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल प्रदान करने हेतु आबंटन देने का कष्ट करें।

महोदय, मध्य प्रदेश की सरकार गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के अन्नपूर्णा योजना के तहत तीन रुपये किलो गेहूं एवं 4.50 रुपये किलो चावल दे रही है। मैं चाहता हूं कि इस योजना में केन्द्र सरकार भी मदद करे। इसके साथ-साथ किसानों की प्राकृतिक आपदाओं में जो फसलें नष्ट होती हैं उसके तहत सूखे, पाले, कोहरे, आगजनी, बाढ़ से या अन्य कारणों से जो फसलें नष्ट होती हैं, उसके लिए किसानों को राहत राशि देने का भी प्रावधान किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें शिथिलता आई है। उसको और प्रभावशाली बनाने के प्रयास होने चाहिए। जिन किसानों के ऋण माफ किये गये हैं उन्हें पुनः ऋण उपलब्ध कराया जाये। साथ ही सभी किसानों के कर्ज माफ करने का भी प्रावधान किया जाये ताकि किसानों में जो भेदभावपूर्ण माहौल बन गया है उसे रोका जा सके क्योंकि जो किसान बड़ी खेती करता है उसे बड़ी हानि होती है, छोटे किसानों को छोटी हानि होती है। इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहा है।

*मूलतः कन्नड़ में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गणेश सिंह]

खेती के धंधे को फायदे का धंधा बनाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को खाद एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति दिलायी जाए।

***डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (खजुराहो): महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड पर निवेदन करना चाहता हूं।

1. खेद का विषय है कि किसानों के कर्ज माफ करने का ढकोसला किया गया, किंतु राज्य सरकारों को बैंकों में कर्जा माफी का पैसा नहीं भेजा गया।

किसान कठिनाई में पड़ गया है। उसे खाद, बीज नहीं प्राप्त हो रहा है। दोबारा कर्ज नहीं मिल रहा है। किसान कि स्थिति त्रिशंकु जैसी बन गई है।

2. रोजगार गारंटी की किस्तें न भेजे जाने के कारण कार्य अधूरे पड़े हैं। मजदूरों का भुगतान रूका पड़ा है।

3. खेती के लिए डीजल की कमी पड़ गई है। केन्द्र सरकार पक्षपात का रवैया अपना रही है। मध्य प्रदेश डीजल का कोटा प्रदान करें।

4. विद्युत भी एम.पी. में हिस्से की प्रदान नहीं की जा रही है जिससे कि प्रदेश के विकास में रुकावट आ रही है।

5. महंगाई पर आपका कोई अंकुश नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस की सरकार एवं महंगाई का कोई गहरा रिश्ता है।

6. किसान को लाभकारी मूल्य देने का कोई विचार ही नहीं किया गया। बाहर से महंगे दामों पर विदेशों से आयात करा रहे हैं जिससे किसान घाटे की खेती कर रहा है।

सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है। असम में, कश्मीर में एवं देश के अनेक सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ हो रही है। आतंकवादी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगा सके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय वित्त मंत्री।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में दो मिनट के लिए स्पष्टीकरण देने की मांग कर सकते हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

यह ठीक है कि हम एक बहुत बड़ी धनराशि की मांग कर रहे हैं। यह इतनी बड़ी धनराशि नहीं है कि इस पर आपका ध्यान जाए। आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हम इस सभा के समक्ष क्यों आए हैं और किस शीर्ष के अंतर्गत हम इस धनराशि की मांग कर रहे हैं? संभवत:, अधिकतर सदस्यों को मेरा शुरुआती भाषण सुनाई नहीं दिया। कुल 1,05,613 करोड़ रुपए के नकदी निर्गम में से 38,863 करोड़ रुपए उर्वरक राजसहायता के लिए दिए जा रहे हैं। यह सही है या गलत? क्या यहां कोई उर्वरक पर राजसहायता का विरोध कर रहा है? यदि हम यह 38,863 करोड़ की धनराशि न दें तो हमारे पास केवल उर्वरकों की कीमत बढ़ाने का रास्ता बचता है और मुझे विश्वास है कि इस सभा में कोई इसका समर्थन नहीं करेगा।

हम 38,863 करोड़ रुपए की नकद राजसहायता देने के लिए क्यों बाध्य हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई है, लागते बढ़ी हैं, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं और, इसलिए, नैफ्था ने आयातित उर्वरकों के मूल्यों में लगभग दोगुनी वृद्धि कर दी थी। इसलिए, हमारे किसानों की सहायता के लिए मैं इस सभा के सामने आने और यह कहने के लिए बाध्य हूं कि चूंकि हम उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ा सकते, अत: हमारे पास इस सभा से 38,863 करोड़ रुपए की धनराशि अधिकृत करने का आग्रह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

इसके अलावा, मैं 14000 करोड़ रुपए बंधपत्रों के माध्यम से दे रहा हूं। श्री स्वाईं ने कहा कि बंधपत्र जारी करके, हम अगली पीढ़ी पर भार डाल रहे हैं। यह बिल्कुल सत्य है। यदि हमारे पास धनराशि होती तो हम इसी वर्ष भुगतान कर देते। यदि हमारे पास धनराशि नहीं है तो, एकमात्र रास्ता इसे उधार लेना है और वह भी इस उम्मीद के साथ कि हम इस राशि का भुगतान आने वाले वर्षों में कर देंगे।

हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां खाद्यान्न संकट शुरू हुआ, ईंधन संकट आया और अब वित्तीय संकट है। हाल के समय में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये तीनों संकट एक साथ आए हों। सौभाग्यवश, हमारे किसानों द्वारा अनेक फसलों का रिकार्ड उत्पादन करने से हमने खाद्य संकट पर काबू पा लिया। आज खाद्यान्नों के मामले में हम कमोबेश आत्मनिर्भर हैं, अभी भी हमें कुछ दलहनों और तिलहनों का आयात करना पड़ता है। हमारे पास पर्याप्त बफर स्टाक है और हम गेहूं और चावल का आरक्षित भंडार बना रहे हैं। अब संप्रग सरकार के कार्यकाल की समाप्ति पर मैं खड़ा

होकर गर्व से यह दावा कर सकता हूं कि सरकार खाद्यान्न का एक महत्वपूर्ण भंडार बना रही है या बनाएगी। क्या आप कह सकते हैं कि किसी अन्य कार्यकाल में बफर स्टाक के अलावा ऐसा महत्वपूर्ण भंडार बना था।

मैं पुन: कहना चाहता हूं कि मुझे बैंकों को ऋण माफी के लिए भी भुगतान करना है। बजट में मैंने 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैंने कहा था कि मैं पुन: 15,000 करोड़ रुपये की मांग करूंगा। क्या यह गलत है। बैंकों ने 66,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। हमें बैंकों को भुगतान करना है। अन्यथा उनके पास नकदी की कमी हो जाएगी। इसलिए, मैं पुन: कहता हूं कि मुझे कृपया 15,000 करोड़ रुपये दीजिए। क्या कोई इसका विरोध कर रहा है। मैंने पाया कि अकेले श्री स्वाईं यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि यह ऋण माफी योजना असफल रही है, यह एक गलत योजना है। मैं पूछता हूं कि क्या सभा का कोई वर्ग, कोई भी राजनीतिक पार्टी, भाजपा सहित, ने इस ऋण माफी योजना का विरोध किया था। यदि हां, तो आपको अवश्य खड़ा होकर यह कहना चाहिए कि आपकी पार्टी इस ऋण माफी योजना के विरुद्ध है। यह पर्याप्त नहीं है कि किसी सदस्य को आप खड़ा करें और वे इस योजना के विरुद्ध बोलें। जब कि आप चारों ओर जाकर यह कहें कि मेरी पार्टी भी इस ऋण माफी योजना का समर्थन करती है।

जब विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की तो सभा के सभी वर्गों से किस बात की बार-बार मांग की जा रही थी? उनका ऋण माफ करने की मांग की जा रही थी। क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? आपने भी कहा था ''उनका ऋण माफ करो।'' फिर हम आगे आए और कहा कि ''ठीक है, देश विभिन्न भागों के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत ही दु:ख की बात है। यदि एक किसान भी आत्महत्या करता है तो यह इस राष्ट्र के नाम पर कलंक है, हम एक बार में किसानों के ऋण माफ कर दें और उनके ऋण को बट्टे खाते में डालें। हमने उनका ऋण माफ कर दिया है और इस 66,000 करोड़ रुपये की राशि से 3 करोड़ 60 लाख किसानों को राहत पहुंचायी है और मैंने पाया कि सभा में एकमात्र बहुत ही दबी जवान में व्यक्ति ने कहा कि यह ऋण माफी योजना गलत है। यदि भाजपा में साहस है तो खड़े होकर यह कहना चाहिए कि वे इस योजना का विरोध करते हैं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं और भाजपा में साहस है तो ऐसा कहे। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मंत्री महोदय, मैंने यह नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। आप बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: जब उन्होंने मुझे ऐसी अपेक्षा की थी मैंने उनको अवसर दे दिया था। मुझे पता है मंत्री जी बहुत ही होशियार वकील हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसी किसी योजना का विरोध करता हूं। मैंने उनसे केवल यह पूछा था कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पहले ही ऋण वापस कर दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं उसका जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री स्वाईं, आपने यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह योजना अपने आप में उन किसानों के लिए थी जो भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और जो ऋण नहीं चुका पाये थे। इस योजना को इसलिए नहीं बनाया गया था कि जिन लोगों ने ऋण का भुगतान कर दिया है उन्हें पैसा वापस किए जाएंगे ऐसी योजना कभी नहीं थी। हमने कहा था कि कोई भी किसान यदि उसने किसी विशेष तारीख तक ऋण लिया है और 31 दिसम्बर, 2007 तक यदि यह बकाया है और 29 फरवरी, 2008 तक भुगतान नहीं किया जा सका है तो इस माफी योजना का लाभ उसको मिलेगा। उस समय किसी ने इस योजना का विरोध नहीं किया। आज जब हमने 3,60,00,000 किसानों को लाभ पहुंचाया है तो कोई खड़ा होता है और कहता है कि ''उन किसानों का क्या होगा जिन्होंने भुगतान कर दिया है। हमने यह कभी नहीं कहा कि यह उन किसानों को पैसे वापस करने की योजना है जिन्होंने भुगतान कर दिया है।

जब मैं कहीं जाता हूं, जब चुनाव क्षेत्र में लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनको उत्तर देता हूं और वे संतुष्ट हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं, सुनिये, यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं और एक बच्चा स्वस्थ है, और दूसरा बीमार है, तो हम बीमार बच्चे को ही डाक्टर के पास ले जाते है। हम बीमार बच्चे को ही दवा देते हैं। हम स्वस्थ बच्चे को डाक्टर के पास नहीं ले जाते। मुझे खुशी होती है कि मेरा एक लड़का तो स्वस्थ है। मुझे दु:ख होता है कि मेरा एक लड़का बीमार है। मैं बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाता हूं और बीमार बच्चे को ही दवा देता हूं।

हमारे यहां बहुत से किसान हैं जो भुगतान करने में सक्षम हैं। इस सरकार द्वारा दिए गए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, उनकी उच्च उत्पादकता, बेहतर उत्पादन के कारण वे बैंकों को ऋण का भुगतान कर रहे हैं। मुझे उन पर गर्व है। उनके लिए, हमने ब्याजदर को घटाकर कम कर दिया है जो राजग के कार्य काल में 10 प्रतिशत थी, जब हमने कार्यभार संभाला था तब यह 9 प्रतिशत था, हमने इसे घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। बहुत से राज्यों ने इसे घटाकर 5 प्रतिशत तक कम कर दिया है। उनके लिए हम ब्याज राहत दे

[श्री पी. चिदम्बरम]

रहे हैं। अक्षम किसानों के लिए जो भुगतान करने में असमर्थ हैं, हम उनके लिए ऋण माफी तथा ऋण राहत दें रहे हैं। यह उत्तर अधिकांश किसानों को स्वीकार्य है। यह बहुत से किसानों जिनसे मैंने बात की है को यह स्वीकार्य है। दुर्भाग्य से, यदि श्री स्वाईं को यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है तो मैं उनके लिए केवल खेद ही व्यक्त कर सकता हूं।

श्री अनंत कुमार: मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री एक पल के लिए मौका दें।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऋण माफी योजना का विरोध नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय: हमने उनकी बात सुनी है।

श्री अनंत कुमार: मैं इसे रिकार्ड के लिए कह रहा हूं। यदि आपको याद है, तो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ही किसानों के ऋण माफ किए थे। जब वहां सुंदर लाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे। बहुत से राज्य सरकारों के रूप में हमने यह किया है। उन्हें भी ज्ञात है कि कर्नाटक राज्य सरकार जिसका नेतृत्व भा.ज.पा. कर रही थी, किसानों के लिए ब्याज दर मात्र 3 प्रतिशत है। इसलिए, हम केवल खामियों की ओर इशारा कर रहे हैं और ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य है क्योंकि हम विरोधी दल हैं। इस योजना के संबंध में श्री अनंत कुमार गीते ने बहुत ही संगत प्रश्न पूछे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री अनंत कुमार: इसलिए, आपको भाजपा को चुनौती नहीं देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे खुशी है कि श्री अनंत कुमार ने श्री स्वाईं की बात का खंडन कर अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है। किसी भी राज्य ने जिसने ऋण माफी को स्वीकार किया उस ऋण का भुगतान नहीं किया जिसका भुगतान किसानों ने कर दिया था। किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया है। केन्द्र सरकार के लिए ऐसा करने की मांग करना, मैं समझता हूं कि असामान्य बात होगी। हमने केवल उन किसानों के ऋण माफ किए हैं जो ऋण का भुगतान करने में अक्षम है या ऋण भुगतान नहीं कर पाए हैं। सभा में सभी वर्गों द्वारा इसे मोटे तौर पर स्वीकार किया गया है। मुझे खुशी है कि श्री अनंत कुमार ने श्री स्वाईं के हस्तक्षेप के साथ ही अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

जहां तक श्री गीते के प्रश्न का संबंध है, तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक बैंक ने उन किसानों के नाम, पते और गांवों के नाम तथा किसानों को दी गई ऋण राहत राशि या उनसे संबंधित बट्टे खाते में डाली गई राशि अपने-अपने वेबसाइट पर दर्शाई है।

प्रत्येक बैंक ने यह ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर दिया है। मेरे पास डीएलबीसी कन्वीनर बैंक द्वारा संकलित जिलावार आंकड़े की स्पष्ट कापी है। मेरे पास स्टेट लीड बैंक द्वारा संकलित राज्य-वार आंकड़े भी हैं। अत: यदि आपको जिला-वार आंकड़े चाहिएं तो मैं आपको इन्हें देने का इच्छुक हैं। यदि आपको राज्य-वार आंकड़े चाहिए तो मैं आपको इन्हें देने का इच्छुक हूं। यदि आप बैंक-वार आंकड़े देखना चाहते हैं तो आप कृपया बैंक की वेबसाइट देखिए ये वहां उपलब्ध हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): ये वहां उपलब्ध हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: श्री गीते द्वारा पूछा गया प्रश्न प्रमाण-पत्रों के बारे में है। मैंने इस बारे में चेयरमैन से पूछा है। हो यह रहा है कि लोग अब, उन्होंने अपने ऋण को बट्टे खाते में देखा है, इनमें से बहुत से लोग अपने प्रमाण-पत्रों को लेने के लिए वापस नहीं आए। बड़ी संख्या में लोगों को पहले से प्रमाण-पत्र मिल चुके हैं। प्रमाण-पत्र तैयार हैं। अब हमने बैंकों से कहा है कि उनके कर्मचारी गांवों में जाएं और उन लोगों को प्रमाण-पत्र वितरित करें जो अपने प्रमाण-पत्र लेने के लिए बैंक की शाखा में नहीं आए। अत: 12000 रुपये का ऋण लेने वाला किसान पाता है कि 12000 रुपये बट्टे खाते डाल दिए गए हैं। जहां तक उसका संबंध है तो उसे ऋण वापस करने की चिंता नहीं है। वह कहता है, ठीक है। मेरे 12000 रुपये का ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया है। मैं अब बैंक में क्यों जाऊं?

परंतु वह जब नए ऋण के लिए आता है तो वह प्रमाण-पत्र के लिए पूछता है। परंतु अब हमने बैंकों के चेयरमैन से कहा है कि कृपया गांवों में जाइए और प्रमाण-पत्र वितरित कीजिए यदि महाराष्ट्र के किसी विशेष भाग में यह कार्य समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है तो मैं इसकी जांच करने का इच्छुक हूं। हमें कोई समस्या नहीं है, प्रमाण-पत्र तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि प्रमाण-पत्र सारे किसानों को दिए जाएं।

जहां तक नए ऋणों का संबंध है तो यह सच है कि जुलाई और अगस्त के महीनों में ऋण माफी योजना के चलने के कारण नए ऋणों को देने के बारे में थोड़ी अनिश्चितता थी। अनुदेश जारी किए गए थे, खरीफ फसल के लिए नए ऋण दिए गए थे, ऋण अगस्त और सितंबर के महीने में ऋण योजना में तेजी आई है और वर्ष के अंत तक आप पाएंगे कि हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे और मैंने कृषि इस वर्ष 20.80 लाख के कृषि ऋण का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पुन:, यदि यह इस देश का विशेष भाग है जहां यदि कोई माननीय सदस्य सोचता है कि ऋण नहीं दिए जा रहे हैं तो कृपया इस विषय को मेरे ध्यान में लाइए, हम इसमें निश्चित रूप से सुधार करने का प्रयास करेंगे।

अनेक सदस्यों श्री मोहंती और अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बारे में बोला है, मेरे विचार से प्रधानमंत्री का वक्तव्य अति विस्तृत वक्तव्य है। परंपरागत रूप से, हम मुद्रास्फीति और विकास को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अब, ब्याज दरों, मौद्रिक नीति का पूरा आशय मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। चार वर्षों से मुद्रास्फीति अधिक नहीं रही है। पांचवें वर्ष में मुद्रास्फीति सभी सीमाएं पार कर गई और हम इसके कारणों को जानते हैं। इसके कारण कच्चे तेल, जिंसों और खाद्य वस्तुओं के उच्च मूल्य हैं। परंतु इन मूल्यों में कमी आ रही है। हमें विश्वास है कि इनमें कमी आती रहेगी और मुद्रास्फीति घटेगी।

अब, हमें नया कारक अर्थात् वित्तीय स्थिरता मिली है। इस पर हमने गत चार या पांच वर्षों में चर्चा नहीं की है। क्योंकि विश्व का वित्तीय तंत्र स्थिर था। दुर्भाग्यवश, गत कैलेंडर वर्ष समाप्त होते-होते वित्तीय अस्थिरता ने विश्व को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री का वक्तव्य वित्तीय अस्थिरता के मूल कारणों को स्पष्ट करता है। यह आवास बाजार से ऋण बाजार और अन्य बाजारों तक कैसे बढ़ी। आज हम वित्तीय अस्थिरता के परिणामी प्रभावों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, आज केवल मुद्रास्फीति केवल विकास पर ध्यान देने की नहीं बल्कि मौद्रिक नीति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक विश्व में अस्थिरता के कारण गत कुछ महीनों से चेतावनी दे रहा है, अपने वित्तीय तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। जब वित्तीय संस्थाएं धराशायी होते हैं तो थोड़े दिनों और सप्ताहों में गिरावट आती है। उसके पश्चात यह गैर-वित्तीय संस्थाओं तक बढ़ती है। हमारा वित्तीय तंत्र बहुत मजबूत है।

इस सरकार ने जो कार्य किए हैं उनमें से एक कार्य, यह बात मैं आलोचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं, यह वास्तविकता है कि जब हम सत्ता में आए तो हमने कहा था कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 33 प्रतिशत करने की राजग की नीति को औपचारिक रूप से छोडते हैं। यह आपकी नीति थी। हमने कहा कि यह गलत नीति है, हम इसे घटाकर 33 प्रतिशत नहीं करेंगे। मैंने यह सभा में कहा था, यह कभी 51 प्रतिशत से नीचे नहीं आएगा। यह तथ्य कि हमने सरकारी बैंकों का अच्छा विनियामक किया है, पर्याप्त पूंजी लगाई है। जिसमें सरकार की 51 प्रतिशत या अधिक इक्विटी है वह भारत में वित्तीय तंत्र को असाधारण रूप से स्थिर बनाने का एक कारण है। हम निजी बैंकों को भी प्रोत्साहित करते हैं, हम विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि सरकारी बैंकों, निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा है जिसने ऋण का विस्तार किया है और कई लाख लोगों को ऋण दिया है और इसके कारण उच्च विकास दर प्राप्त किया जा सकता है।

महोदय, ज्यादा विस्तार से न बोलते हुए मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहता हूं, उदाहरण के लिए श्री स्वाईं, जिन्हें सदैव यह कहने का शौक हैं कि यह सरकार सब कुछ गलत कर रही है। वास्तव में, उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए अपनी ही सरकार की प्रशंसा की। यादें थोड़े समय की होती हैं। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका क्या रिकार्ड रहा है। आपने आईआईपी के बारे में बोला था। हम एक मद लेते हैं। मैं आपके प्रत्येक मुद्दों का खंडन कर सकता हूं परंतु मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। मुझे पता नहीं है कि क्या श्री स्वाईं यह जानते हैं कि वर्ष 1988-89 और 2002-03 के 5 वर्षों के बीच जब उनकी सरकार का पहला वित्त मंत्री बना था। आईपीपी, औद्योगिक विकास दर किसी भी एक वर्ष में कभी भी 6.7 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ी थी। आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वह उच्चतम है। यदि आप सभी पांच वर्षों पर नजर डालें तो किसी वर्ष आपकी विकास दर 2.7 प्रतिशत, कभी 4.1 प्रतिशत, कभी 5 प्रतिशत, कभी 5.7 प्रतिशत और एक वर्ष में 6.7 प्रतिशत को छुआ। यह दर पांच वर्षों में प्राप्त की गई नई उच्चतम विकास दर थी।

अंतिम वर्ष 2003-04 में शायद आपके द्वारा किए बुद्धिमत्तापूर्ण परिवर्तन के कारण, औद्योगिक विकास दर ने 7 प्रतिशत को छुआ।

हमारा रिकार्ड क्या है? औद्योगिक विकास में हमारा रिकार्ड पहले वर्ष में 8.4 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 8.2 प्रतिशत, तीसरे वर्ष में 11.6 प्रतिशत था, चौथे वर्ष में 8.1 प्रतिशत और पांचवें वर्ष में हम देखेंगे। हम वर्ष के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें।

संप्रग सरकार के चार वर्षों में न्यूनतम आईआईपी 8.1 प्रतिशत था, राजग सरकार के छह वर्षों में उच्चतम आईआईपी 7 प्रतिशत था, विश्व यह निष्कर्ष निकाल लेगा कि औद्योगिक विकास को किसने बढ़ावा दिया है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं इस बात को नहीं मानता।

श्री खारबेल स्वाईं: यह अर्थव्यवस्था उन्हें आपसे विरासत में मिली है। यह कारण है कि ऐसा हुआ है। आपने उस समय स्वप्निल बजट दिया था और हमारे वित्त मंत्री को यह आपसे विरासत में मिला।

श्री पी. चिदम्बरम: ठीक है, उन्हें अर्थव्यवस्था मुझसे विरासत में मिली। उनकी सरकार को अर्थव्यवस्था मुझसे विरासत में मिली, मुझे अर्थव्यवस्था उनसे विरासत में मिली। लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें अर्थव्यवस्था मुझसे विरासत में न मिले; हम दोबारा आएंगे और इस अर्थव्यवस्था को चलाते रहेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: देखते हैं। वे एक अच्छे स्वप्न दृष्टा हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैंने यहां पर कही गई अन्य बातों पर गौर किया है।

हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारी बैंकिंग प्रणाली और वित्त प्रणाली स्थिर है; इस समय हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए; 'सीआरआर' और 'रेपोरेट' के संबंध में उठाए गए कदमों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही है, और इसके साथ-साथ हम मुद्रास्फीति पर भी ध्यान दे रहे हैं।

मैं मानता हूं कि मुद्रास्फीति अभी काफी ज्यादा है। लेकिन कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी के लाभ आगामी सप्ताहों और महीनों में नजर आएंगे। वस्तुत:, कच्चे तेल के मूल्यों में कमी से लाभ हुआ है लेकिन इतना लाभ नहीं हुआ है कि हम मूल्यों में कोई कटौती कर सकें।

पेट्रोल, डीजल, एल.पी.जी. और केरोसीन के हमारे नियंत्रित मूल्य एक भारतीय प्रणाली पर आधारित है जिसकी गणना 67 डालर प्रति बैरल पर की जाती है। निस्संदेह यह मूल्य 147 डालर प्रति बैरल था; यह घटकर 71 डालर प्रति बैरल आ गया। आज सुबह यह पुन: 75 डालर प्रति बैरल पर चला गया; जब मूल्य घटकर 67 डालर प्रति बैरल पर आता है तब हमें कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती है। 71-72 डालर प्रति बैरल पर भी, उसमें राजसहायता का अंश होता है और कम वसूली होती है। कम वसूली में गिरावट आई है; हम कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं, यह मानना कि तेल कंपनियों ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है, एक गलत अवाधारणा है। हमारे मूल्य 67 डालर प्रति बैरल पर अशांकित हैं, लेकिन हमें उम्मीद है-पूरी उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतें और भी नीचे आएंगी; जैसे कि जिन्सों के मूल्य नीचे आए हैं, कुछ खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे आए हैं, इसका लाभकारी प्रभावी आगामी सप्ताहों और महीनों में होगा; इस बीच, हम सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, तरलता उपलब्ध कराने के लिए यह सही समय है ताकि औद्योगिक गतिविधियां चल सकें और उत्पादन हो सके।

श्री अनंत कुमार: चूंकि कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, अत: क्या मैं जान सकता हूं कि कीमतें घटाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं सिर्फ इसे स्पष्ट कर रहा था। मैं इसे दोहराता हूं।

हमारी वर्तमान कीमतें 67 डालर प्रति बैरल आधार पर अशांकित हैं। कीमतें लगभग 70 डालर प्रति बैरल पर आई हैं, न कि 67 डालर प्रति बैरल पर। इसलिए, आज भी, बिक्री होने वाले प्रति लीटर पेट्रोल से, प्रति लीटर डीजल से, प्रत्येक गैस सिलिंडिर से और प्रति लीटर केरोसीन से, कम वसूली हो रही है। अत:, हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां कम-वसूली पूर्णत: समाप्त हो गई है।

इसलिए, आपको धैर्य रखना होगा। हमें उम्मीद है कि कीमतों में और भी कमी होगी और मुझे विश्वास है, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। वह निर्णय लेने के लिए यह उचित समय नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने श्री राधाकृष्णन को अनदेखा किया है।

श्री पी. चिदम्बरम: श्री राधाकृष्णन कानून और व्यवस्था के बारे में शिकायत कर रहे थे। मैं सच कहूं तो यदि कानून और व्यवस्था पर समुचित चर्चा हो तो मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री उत्तर देंगे। जो घटनाएं हुई हैं, हम उनसे खुश नहीं हैं। वस्तुत:, हम इन घटनाओं की निन्दा करते हैं। आपने सही कहा है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार आसूचना उपलब्ध कराती है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि फलां जगह पर फलां समय आतंकवादी हमला होगा। आप केवल सामान्य आसूचना, व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना, धनअंतरण के बारे में आसूचना और अंतरग्रहण के बारे में आसूचना दे सकते हैं। इन आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने और रोकने के लिए केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों और राज्य पुलिस का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

महोदय, यदि आप अनुमति दें तो कृषि मंत्री एक मिनट के लिए चावल की स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: स्वाभाविक रूप से, उन्हें अपने मुख्यमंत्री को बताना है। ठीक है, हम उनकी बात सुनते हैं। श्री राधाकृष्णन, अब देखिए, मैं कैसे आपकी सहायता कर रहा हूं लेकिन आप अब भी मुझसे नाराज हैं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, यह सभा इस बात से पूरी तरह अवगत है कि तीन वर्ष पूर्व इस देश में गेहूं और चावल, दोनों की कमी थी। दो वर्ष पूर्व कुछ गेहूं आयात करने का अत्यंत अप्रिय निर्णय लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बहुत अधिक थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में, पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे

बीपीएल कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम और अन्तोदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के अंतर्गत भी 35 किलोग्राम प्रति कार्ड की आपूर्ति जारी रखने के लिए सरकार ने सोच-समझकर एक निर्णय लिया और हमने इसे कार्यान्वित भी किया। अत:, 'बीपीएल' और 'एएवाई' श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं है। हमने आज भी आपूर्ति की है और हम कल भी आपूर्ति करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनें। वे आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री शरद पवार: जहां तक 'एपीएल' की बात है, हमने देखा है कि पिछले तीन वर्ष में सभी राज्यों का वास्तविक उठान कितना था। हमारी रिपोर्ट बताती है कि केरल सहित अधिकतर राज्यों को जितना 'एपीएल' कोटा मंजूर किया गया था, उन्होंने वह नहीं उठाया। इसलिए, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि गत तीन वर्ष तक उन्होंने आवंटित कोटे के अनुसार नहीं उठाया है तो हमने गत तीन वर्षों का औसत निकालकर उस औसत के अनुसार ही आबंटन आरंभ कर दिया है। हम आज भी वही आबंटित कर रहे हैं। केरल का अनुरोध था कि उन्हें ज्यादा आबंटन किया जाए। इसलिए, केरल की विशेष स्थिति के कारण, जो कुछ उपलब्ध है हम उसमें से केरल को कुछ ज्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने समाचार-पत्र में एक आरोप पढ़ा कि चूंकि हमारा समर्थन करने वाले दल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए हमने कोटा कम कर दिया है। लेकिन यह बिलकुल सत्य नहीं है। सरकार से समर्थन वापस लेने के बावजूद हमने कोटा बढ़ाया है। ओणम के त्यौहार के लिए हमने ज्यादा (कोटा) दिया है और हम ऐसा करते रहेंगे। दिसंबर तक, निश्चित रूप से हम आबंटन में वृद्धि कर देंगे और कल प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सौभाग्यवश, इस वर्ष पूरे देश में धान की अच्छी फसल हुई है। हमारी खरीद पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और खरीद पूरी कर लेने पर, हम निश्चित रूप से केवल केरल के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी कोटे में वृद्धि करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव: महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस देश में माननीय वित्त मंत्री की बुद्धिमत्ता और उनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक युवा सदस्य हैं और आप अच्छा कर रहे हैं। आप ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इससे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री तापिर गाव: वाद-विवाद में अपने उत्तर के अंतिम भाग में उन्होंने मूल्य वृद्धि के कारण स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संभव है कि इस सभा के सभी 545 सदस्य उनके तर्क से आश्वस्त हो जाएं, लेकिन हम उस धरातल पर एक व्यवहारिक उदाहरण चाहते हैं जहां गरीब आदमी इस तर्क को समझ सके और आय अर्जन कर सके और अपना दैनिक खर्च पूरा कर सकें। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस देश का सबसे गरीब आदमी कैसे अपना दैनिक खर्च पूरा कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दो चीजें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। पहली-किसानों को जो ऋण माफ किया गया है, उसके लिए निश्चित ही मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने पांच एकड़ तक भूमि वाले किसानों के लिए ऋण देने की बात कही है, लेकिन किसी-किसी राज्य में जो सीलिंग एक्ट है, उसमें मालियत अलग-अलग है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मालियत कहीं 18 एकड़ है तो कहीं 28 एकड़ है। आपने किसान को 5 एकड़ में बांध दिया है कि जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है, उन्हें यह सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन जहां सीलिंग एक्ट में 18 एकड़ या 28 एकड़ मालियत है, वहां क्या मालियत के हिसाब से एकड़ की क्षमता को बढ़ाएंगे?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ से ज्यादा भूमि है, उनका हम कर्ज माफ करेंगे और तीन किस्तों में वे अपने ऋण की अदायगी करेंगे और चौथी किस्त पर हम उन्हें ऋण से माफी दे देंगे, जैसे सितंबर में, दिसम्बर और मार्च में। पहले तो उत्तर प्रदेश में किसान सूखे की स्थिति से परेशान थे। हम लोग मांग करते रहे, तब आपने ऋण माफ किया। अब इतनी वर्षा वहां हो गई है कि किसान खरीफ की फसल नहीं बो पाया और सितम्बर माह में उसे अपनी किस्त जमा करनी थी। आज किसान के पास कुछ नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो किसान सितंबर माह की किस्त नहीं जमा कर पाए हैं, क्या उनको भी ऋण की माफी दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपकी बात हो गयी।

[अनुवाद]

आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया भाषण न दें।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय मंत्री जी उन्हें ऋण की माफी देना चाहिए। अगर किसान किन्हीं कारणों से सितम्बर माह

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

की किस्त जमा नहीं करा पाया और दिसम्बर माह में अगर दो किस्त जमा कर दे, तो क्या उनका ऋण माफ हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मेरा स्पष्टीकरण राहत के बारे में है। बजट घोषणा में कहा गया था कि यदि अन्य सभी शर्तें पूरी हैं तो 31.3.2007 से पूर्व लिए गए सभी कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे अथवा ऋण राहत दी जाएगी। लेकिन जब कार्यान्वयन दिशा-निर्देश आए तो उनमें कहा गया कि 31.03.1997 के पूर्व के सभी दीर्घावधि ऋण इस योजना से बाहर रहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि अनेक किसान, जिन्होंने दीर्घावधि ऋण लिए हैं, इस योजना से बाहर रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह उस योजना पर चर्चा नहीं है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह बिलकुल स्पष्ट है। अनेक किसानों ने, विशेषकर केरल में, दीर्घावधि ऋण लिए थे जो 14 अथवा 15 वर्ष के लिए थे और उनकी अदायगी ही 10 वर्ष पश्चात् आरंभ होती है। इसलिए, उनमें से अनेक इस योजना से बाहर हो गए हैं। क्या माननीय वित्त मंत्री यह बात स्पष्ट कर सकते हैं?

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि केरल के लिए 'एपीएल' कोटे में पिछले तीन वर्ष में कोई कटौती नहीं हुई है। लेकिन, केरल इस कटौती की वजह से राज्य सरकार पिछले तीन वर्ष से आबंटित कोटा नहीं उठा रही थी। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री किसी गलतफहमी के कारण ऐसा कह रहे हैं। सच्चाई क्या है? केन्द्र सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि केरल शुरू से खाद्य पदार्थों, विशेषत: खाद्यान्नों के मामले में अभावग्रस्त राज्य रहा है।

एक समझौता हुआ था कि केन्द्र सरकार केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। जब भी हमारे बाजार में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, तब संभव है कि हम आबंटित कोटा न उठाते हों। लेकिन केन्द्र सरकार को देश के सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जब भी हमें बाजार में कोई कठिनाई होती है, हम केन्द्र सरकार से सहायता मांगते हैं। त्यौहारों के मौसम के दौरान, 'एपीएल' कोटा पूर्णत: काट दिया गया था और लोगों को देने के लिए हमने यथाशक्ति पश्चिम बंगाल से चावल खरीदा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब काफी हो गया। आप अपनी बात कह चुके हैं। श्री वरकला राधाकृष्णन भी यह बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास, वे पहले ही कह चुके हैं कि वे देंगे।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): वित्त मंत्री ने अभी कहा कि वे उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपए की राजसहायता देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे यह राजसहायता सीधे उत्पादकों को देंगे। वे इसे किसानों को दे सकते हैं ताकि उन्हें सीधे फायदा हो। *...(व्यवधान)* अंत में, धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, उन्होंने सभा से वादा किया है कि वे इसे 1,000 रुपए प्रति क्विंटल कर देंगे। लेकिन हमारी मांग है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में नहीं है। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सभा के सभी वर्गों ने ऋण माफी योजना का स्वागत किया है। यह सच है लेकिन बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो ऋण पहले ही अदा किए जा रहे हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है। मान लिया। लेकिन माननीय वित्त मंत्री और सरकार को समझना चाहिए कि अनेक छोटे और मझौले किसानों द्वारा यह अदायगी कैसे की गई थी।

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा उस योजना पर है ही नहीं।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: अनेक वर्ग इस योजना से बाहर हैं। उदाहरणार्थ, देश के इलायची उत्पादक किसानों को छोड़ दिया गया है। इलायची केरल के इदुक्की जिले के छोटे से क्षेत्र में उगायी जाती है। इस पांच एकड़ की सीमा के कारण इलायची उत्पादक किसानों का समूचा वर्ग इससे बाहर हो गया है जो उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती थी।

अध्यक्ष महोदय: यह स्पष्टीकरण का विषय नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: सभी बातें महत्वपूर्ण हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: एक महत्वपूर्ण वर्ग इस योजना से बाहर छोड़ दिया गया है। यह छोटे और मझौले इलायची उत्पादक

किसानों के लिए चिन्ताजनक है। उनके पास पांच से 12.5 एकड़ तक भूमि है। पिछले कई वर्षों से इलायची के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण वे सभी कर्जग्रस्त हैं। बढ़ी हुई लागत से उनकी समस्याएं और भी बढ़ी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यहां मांगों पर कभी नहीं बोले। स्पष्टीकरण के नाम पर आप भाषण देना चाहते हैं। जब आप 20 मिनट तक बोल सकते थे, तब आप यहां नहीं थे।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, हमें बहिर्गमन करना पड़ा था और इसलिए मैं नहीं बोल पाया था। इसलिए, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया। आपको इससे ज्यादा अधिकार नहीं मिल सकता क्योंकि आपने बहिर्गमन किया था। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, 73,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है जिससे किसानों को विशेष फायदा होगा। मत्स्यन भी कृषि का ही अंग है जैसा कि कृषि मंत्री ने माना है। जैसे उर्वरक किसी भी फसल के लिए मुख्य आदान है उसी प्रकार मत्स्यन में मछली का चारा मुख्य आदान है। मेरा क्षेत्र मछली का मुख्य उत्पादक है जहां से आपके राज्य सहित पूरे देश में मछली की आपूर्ति होती है। मत्स्यपालकों को मछलियों के चारे पर माफी का लाभ नहीं दिया जा रहा है जो मत्स्यन का मुख्य आदान है जिसके लिए वे बैंकों से ऋण ले रहे हैं। सौभाग्यवश, कृषि मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या दोनों मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए कि मछलियों के चारे पर लिए गए ऋण को भी ऋण माफी में शामिल किया जाए, बैंकों को यह संदेश देंगे।

****डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन जैसे बड़े सामाजिक क्षेत्र वाले कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग 2008-09 के अंतर्गत आबंटन राशि में वृद्धि की गई है।

सरकार ने उस अतिरिक्त व्यय का ध्यान रखने में मंत्रालयों और विभागों की सहायता करने के लिए गैर-योजनागत श्रेणी के अंतर्गत आबंटन राशि में पर्याप्त वृद्धि की है जो व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कायिक निधि का सृजन करने के लिए 761.54 करोड़ रुपये मिलेंगे जिससे राष्ट्रीय साधन एवं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आबंटन राशि में वर्ष 2008-09 के दौरान योजना की प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए धनराशि भी सम्मिलित है।

गैर-योजनागत व्यय के अंतर्गत मंत्रालय के छठे वेतन आयोग के सुझावों का पालन करते हुए बढ़ी हुई मजदूरी और वेतन का भुगतान करने के लिए 281.35 करोड़ रुपये मिलेंगे। स्वायत्तशासी निकायों को वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते समय बढ़ने वाली अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए 539.63 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे। मंत्रालय को विद्यालय शिक्षा हेतु सहायता अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपये भी मिलेंगे। यह धनराशि नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय बाल भवन को दी जाएगी।

अपनी वचनबद्धता को पूरा करने का प्रयास करते हुए केंद्र ने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने और आईटीआई के उन्नयन के लिए योजना निधि के अंतर्गत राज्यों हेतु 50 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। देश में संबद्ध आईटीआई की संस्थान प्रबंधन समितियों को आसानी से ब्याज मुक्त ऋण दिलाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को भी 625 करोड़ रुपये मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इंदिरा आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कुल 10,850 करोड़ रुपये मिलेंगे जिससे 10500 करोड़ रुपये के कुल पैकेज की भारी बढ़ोत्तरी होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को लगभग 195 करोड़ रुपये मिलेंगे जिन्हें छठे वेतन आयोग के अंतर्गत बढ़े हुए वेतन पैकेजों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हम ऋण माफी योजना पर और अधिक वाद-विवाद नहीं करा सकते। जो कोई योजना की घोषणा करता है वह देखेगा कि योजना में दस तरीकों से सुधार किया जा सकता है। बजट में घोषित योजना में वित्त विधेयक पारित किए जाने तक वास्तव में सुधार किया जा चुका था। हमने कुछ छूट अवश्य दी, हमने पांच एकड़ से अधिक वाले व्यक्तियों को बड़े लाभ अवश्य दिए। परंतु मुझे यकीन है कि इस योजना में सुधार किया जा सकता है। यदि, कह लीजिए, श्री अनंत कुमार ने योजना बनाई थी, तो मैं उस योजना में सुधार कर सकता था। मुद्दा यह है कि हम केवल वही कार्य कर सकते हैं जो समर्थनीय और करने योग्य हो। मेरा विश्वास है कि हमने वही किया है जो समर्थनीय, करने योग्य, पारदर्शी और भेदभाव रहित है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

हमने तीन करोड़ साठ लाख किसानों को लाभ दिया है। हमें केवल 1,44,990 शिकायतें मिली हैं जो कि बहुत कम प्रतिशत है। इनमें से 33,205 शिकायतें सही पाई गई थी। उन्हें स्वीकार किया गया और उन्हें भी लाभ दिया गया। 85,648 शिकायतें गलत पाई गई और उन्हें स्पष्ट किया गया कि शिकायतकर्त्ता अपने दावों के लिए राहत के हकदार क्यों नहीं थे।

अत: कुल मिलाकर इस योजना को पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है। साढ़े तीन करोड़ से अधिक किसान प्रसन्न हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में इस समय योजना से छेड़छाड़ करना या इसमें सुधार करना संभव है। मेरे विचार से योजना लागू की गई है और किसान लाभान्वित हुए हैं।

आप देखेंगे कि जब आप पांच एकड़ क्षेत्रफल में बुआई इस वर्ष करते हैं तो उत्पादन भी इस वर्ष ही होगा। आप पाएंगे कि कई लाख किसानों को कृषि में बने रहने और देश के लिए और अधिक खाद्यान्न उगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

अब मैं वर्ष 2008-09 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए: मांग संख्या: 1 से 12, 14 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77, 79 से 95 और 97 से 105।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.13 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-09, की सेवाओं के लिए भारत सरकार की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत सरकार की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत सरकार की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत सरकार की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2, दिनांक 21.10.2008 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.15 बजे

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम दूसरी अनुपूरक कार्यसूची पर विचार करेंगे। श्री ऑस्कर फर्नांडीस।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.15$^{1}/_{2}$ बजे

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2008** के बारे में विवरण

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मैं कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2008 द्वारा तत्काल विधायन के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 4.16 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 4.17 बजे

राष्ट्रीय जूट बोर्ड, विधेयक, 2006

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 38 जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक पर और विचार करने से संबंधित है, पर विचार करते हैं।

श्री काशीराम राणा–उपस्थित नहीं।

श्री एस.के. खारवेनथन

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

देश में पश्चिम बंगाल में जूट एक महत्वपूर्ण फसल है। देश की अर्थव्यवस्था में जूट क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसके निर्यात से भारत सरकार को प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये की आय होती है। लगभग 1.4 लाख लोग इस क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं। जूट विनिर्माण विकास परिषद (जे.एस.डी.सी.) को जूट विनिर्माण परिषद अधिनियम, 1983 के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र एक पंजीकृत सोसायटी है जिसकी स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। हमारी संप्रग सरकार ने जे.एम.डी.सी. और एन.सी.जे.डी. दोनों के विलय के लिए कदम उठाए हैं और इस प्रकार एक बोर्ड अर्थात् राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन किया है।

यह विधेयक माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 26 मई, 2006 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् इसे श्रम संबंधी स्थायी संसदीय समिति को भेजा गया और इसने 24 नवम्बर 2006 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की है। इस विधेयक में जूट विनिर्माता विकास अधिनियम, 1983 के निरसन की भी बात है। प्रस्तावित राष्ट्रीय जूट बोर्ड का उद्देश्य जूट और जूट उत्पादों के संवर्धन को विकसित करना है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2, दिनांक 21.10.2008 में प्रकाशित।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 9006/2008

[श्री एस.के. खारवेनथन]

राष्ट्रीय जूट बोर्ड के गठन के बारे में खंड 3 में विस्तृत व्याख्या की गई है। प्रस्तावित बोर्ड में भारत सरकार द्वारा जूट क्षेत्र जूट उद्योग, जूट अनुसंधान और विभिन्न अन्य मंत्रालयों, जिनमें वस्त्र मंत्रालय, कृषि और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी सम्मिलित हैं, से नियुक्त किए गए 20 सदस्य होंगे। वस्त्र मंत्रालय के सचिव इसमें पदेन चेयरपर्सन होंगे। यह भारत सरकार का एक परामर्शदात्री निकाय होगा और जूट विकास, खेती और निर्यात से संबंधित सभी मामलों में सभी को परामर्श देगा।

उपयुक्त खंड 3 में राष्ट्रीय जूट बोर्ड में विभिन्न नियुक्तियों के संबंध में विस्तार से कहा गया है लेकिन जूट उत्पादकों को इससे दूर रखा गया है। जूट उत्पादकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तथापि, कयर बोर्ड, नारियल बोर्ड, रेशम बोर्ड जैसे राष्ट्रीय स्तर के बोर्डों में उत्पादकों को नामांकित किया गया है।

यहां तक कि स्थायी समिति ने भी जूट किसानों और जूट कामगारों को प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की है। लेकिन मंत्रालय किसानों और कामगारों को सम्मिलित करने हेतु विधेयक में उचित संशोधन करने में असफल रहा है। यह एक गंभीर चूक है। इसलिए इस बोर्ड में किसान समुदाय से एक या दो प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए एक माननीय मंत्री को कदम उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें जन प्रतिनिधियों जैसे लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अन्य बोर्डों में संसद सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जूट बोर्ड में लोक सभा के तीन और राज्य सभा के दो सदस्यों को सम्मिलित किया जाए।

पुन: इस विधेयक में जूट प्रौद्योगिकी की और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित नहीं किया जा सका। यद्यपि जूट विनिर्माण विकास परिषद अधिनियम, 1983 में जूट विनिर्माण विकास परिषद में ऐसे सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है और इस बोर्ड में विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। स्थायी समिति ने भी जूट बोर्ड में ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। खंड तीन, उप खंड (एफ) में जूट उद्योग में संगठित क्षेत्र से दो सदस्यों को नामित करने के बारे में कहा गया है और खंड जी में जूट उद्योग में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र से दो सदस्यों के नामांकन के बारे में बताया गया है। लेकिन खंड-2 में संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र का वर्णन नहीं है।

बोर्ड के कार्यकरण की बात करें तो इसमें भी जूट अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास, जूट क्षेत्र और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण शुरू करने के संबंध में प्रावधानों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए और जूट उत्पादकों और कामगारों के कल्याण में उनके हितों के रक्षार्थ कदम उठाये जाने चाहिए।

यह विधेयक एक जूट बोर्ड के गठन के लिए लाया गया है जो उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए एक वृहत्तर संगठन होगा और खंड-2 में 'जूट' शब्द के बारे में कोई उल्लेख या स्पष्टीकरण नहीं है।

भारतीय जूट निगम के संचालन के बारे में कृषक समुदाय के बीच भारी रोष है। क्योंकि उनके लिए देश में खरीद केन्द्रों की संख्या बहुत कम है। भारतीय जूट निगम क्षेत्र स्तरीय संगठन है जो सीधे तौर पर किसानों से खरीद करती है और जूट उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं के निदान के लिए इसे कदम उठाने होंगे।

दूसरी बात, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पूर्व में किराना और अन्य दुकानों में जूट के थैले सामान ढोने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। अब अधिकांश जगहों में अधिकांश दुकानों में केवल प्लास्टिक के बैग का सामान ढोने के काम में उपयोग किया जाता है जो पर्यावरण के नजरिए से ठीक नहीं है। इसलिए, जूट कारखानों में छोटे थैले बनाए जाने चाहिए तथा लोगों को प्लास्टिक थैलों जिनका आजकल बहुत उपयोग हो रहा है, की जगह कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

उसी प्रकार, पूर्व में सीमेंट जूट से बने थैलों में पैक किया जाता था। जिन्हें अब मोटे पेपर के थैलों में पैक किया जाता है। देश में सभी सीमेंट उद्योगों को निदेश दिया जाए कि वे सीमेंट के लिए जूट के थैलों का उपयोग करें।

अंत में, मैं माननीय वस्त्र मंत्री श्री शंकर सिंह बघेला, श्री ई.वी.के.एस. इलेनगोवन और उनके दल को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस जूट उद्योग को बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं वस्त्र मंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला द्वारा पुर:स्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। परंतु मुझे विधेयक के बारे में कतिपय आपत्तियां हैं।

महोदय, माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि श्रम संबंधी स्थायी समिति के रूप में मेरे पास विधेयक के बारे में विस्तार से जानने का अवसर था। हमारी पूरी समिति ने पटसन उगाने वाले लगभग सभी राज्यों का दौरा किया और सभी संबंधित पक्षों से साक्ष्य लिया। मेरी बगल में दो माननीय सदस्य हैं जो समिति में

भी हैं, जो पूरे विधेयक पर पूर्णत: चर्चा करने के लिए इसका पूरा अध्ययन कर रहे थे और तत्पश्चात इन्होंने इसमें संशोधन, आशोधन करने के लिए कुछ नए खंड सम्मिलित करने हेतु संसद से सिफारिश की थी ताकि विधेयक वास्तव में उस उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए इसे पुर:स्थापित किया गया है।

आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पटसन नीति की लंबे समय से मांग है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यद्यपि देर से ही सही तथापि वह संसद में विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए आगे आए। मैं कह रहा हूं कि इस पर सभा की कार्यवाही के अंत में विचार किया जा रहा है। इसके बाद भी पटसन उद्योग के महत्व पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं पश्चिम बंगाल राज्य से हूं जो हर संभव तरीके से राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि चालीस लाख किसान केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हैं। वे लगभग 2.6 लाख औद्योगिक कर्मकारों को प्रत्यक्ष रोजगार और तृतीयक क्षेत्र तथा संबद्ध कार्यालयों में अन्य 1.4 लाख व्यक्तियों को आजीविका देते हैं।

पटसन उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया विभिन्न कार्यकलापों से गुजरती है जिसमें कच्चे पटसन की कृषि, पटसन फाइबर का प्रसंस्करण, कताई, बुनाई, ब्लीचिंग, डाइंग, फिनिशंग और कच्चे पटसन तथा इसके तैयार उत्पादों दोनों का विपणन सम्मिलित है।

यह उद्योग श्रम साध्य है और इसका श्रम उत्पाद अनुपात भी अधिक है। सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इस उद्योग का क्षमता उपयोग लगभग 75 प्रतिशत है।

महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह उद्योग लगभग 1000 करोड़ रुपये के निर्यात का योगदान देता है।

जूट विनिर्मिति विकास परिषद अधिनियम, 1983 के अंतर्गत सम्मिलित जूट विनिर्मिति विकास परिषद और केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय में गठित और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र वर्तमान में पटसन क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रचालनों का समन्वयन कर रहे हैं।

मुद्दा यह है कि चूंकि विधेयक पटसन और पटसन का कृषि, उत्पादन और विपणन तथा इससे संबंधित और इसके जैसे मामलों के विकास हेतु राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है। अत: मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित विधेयक में कतिपय संशोधनों को पहले ही परिचालित कर चुके हैं। यह बिल्कुल सही है। मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं। इन्हें प्रस्तुत किए जाने पर मैं इनका समर्थन करूंगा।

परंतु मुख्य मुद्दा है कि हमें किसानों की स्थिति में सुधार करना है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन्हें लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं। मूल्य नीति क्या है? अनुसंधान कार्य किया गया है और बहुत सिफारिशें की गई है परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार में किसानों के हितों की रक्षा करने की राजनीतिक इच्छा का अभाव है। वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वे गंभीर आर्थिक विपत्ति में क्यों हैं? उन्हें पर्याप्त बैंक ऋण क्यों नहीं दिए जाते हैं? पूर्ण वैश्विक परिदृश्य पर विचार करते हुए, वैश्वीकरण के युग में उन्नत प्रौद्योगिकी की प्रणाली में, पटसन उद्योग में आधुनिकीकरण क्यों नहीं हुआ है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अनुसंधान कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

महोदय, हमने मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश का दौरा किया हमने विजियानगरम क्षेत्र में कुछ मिलों का दौरा किया, हमने कर्मकारों, आम किसानों से बात की और हमें पता चला कि उनके अधिकारों और सुविधाओं की समुचित रूप से रक्षा नहीं की जा रही है। इसलिए, इस विधेयक के माध्यम से, यदि सरकार गंभीर है तो हम राष्ट्र की थोड़ी सेवा कर सकते हैं।

देश में पटसन कर्मकारों की क्या स्थिति है? मुझे प्रसन्नता है कि स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर वाघेला जी ने प्रस्तावित पटसन बोर्ड में कर्मकारों और किसानों के कुछ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया है।

महोदय, मेरे राज्य में पटसन उद्योग को सट्टेबाजों और व्यापारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब व्यापारी और सट्टेबाज कच्चे पटसन को कम मूल्यों पर खरीद कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। जब कभी सरकार, मजदूर संघों और नियोक्ताओं के बीच त्रिस्तरीय समझौते किए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में पटसन के उद्योगपति उन पर बहुत कम ध्यान देते हैं। वर्तमान श्रम कानूनों की कुछ सीमाएं हैं जो नियोक्ताओं को ऐसे समझौते का पालन करने को बाध्य नहीं कर सकते। कर्मकार प्रशिक्षणार्थी के नाम पर 40 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर कार्यरत है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते।

पश्चिम बंगाल के पटसन कर्मकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश में पटसन उद्योग के अधिकारों, सम्मान और विकास का समर्थन करने के लिए एकजुट हैं। पश्चिम बंगाल इसमें आगे है, परंतु भारत सरकार को भी अड़ियल नियोक्ताओं, जन-विरोधी, कर्मकार-विरोधी नियोक्ताओं के विरुद्ध भी हस्तक्षेप करना

[श्री सांताश्री चटर्जी]

चाहिए ताकि उन्हें कारण समझ में आए। पश्चिम बंगाल सरकार ने हस्तक्षेप किया है परंतु यह पर्याप्त नहीं है, भारत सरकार की ओर से हस्तक्षेप अधिक आवश्यक है और यह पटसन बोर्ड पटसन कर्मकारों के सम्मानजनक जीवन-यापन, और वेतन के लिए सहायता करेगा जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति आंध्र प्रदेश में है।

पश्चिम बंगाल के कुछ उद्योगपतियों ने विशेष उद्योगपति का नाम लेना उचित नहीं है- दो यो तीन मिलों को बंद कर दिया है और स्वयं विजियानगरम में जाकर बस गए हैं। श्रम और वस्त्र संबंधी स्थायी समिति के माननीय सभापति श्री एस.एस. रेड्डी जो उस राज्य से हैं जब हम कर्मकारों से व्यक्तिगत रूप से मिले तो वे हमसे बात करने से डर रहे थे क्योंकि वहां कोई संगठित मजदूर संघ नहीं है।

महोदय, आप कामगारों की व्यथा सुनिए। उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। उनके लिए कोई कर्मचारी राज्य बीमा नहीं है, कोई भविष्य निधि नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जूट बोर्ड को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और किसानों तथा कामगारों की समस्याएं समाप्त करने के तरीके खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसे अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं सभा का ध्यान समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। यह अत्यन्त दुखदायी है और उसके बिना आप जूट बोर्ड को समुचित रूप से और दक्षतापूर्वक नहीं चला सकते। यदि भारतीय जूट निगम को राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक की परिधि से बाहर रखा जाता है तो उद्देश्य की प्राप्ति ही नहीं होगी।

अपराह्न 4.33 बजे

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन* हुए]

मैं स्थायी समिति की रिपोर्ट के पैरा 59, पृष्ठ 20 से उद्धृत करता हूं:

"समिति के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के अध्ययन दौरे के दौरान वहां के किसानों ने कड़े शब्दों में यह कहा है कि भारतीय जूट निगम का परिचालन अपर्याप्त है, विशेषकर उनके द्वारा कम संख्या में अधिप्राप्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा सभी राज्यों में इन अधिप्राप्त केंद्रों में तेजी से कार्य नहीं हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जेसीआई द्वारा बहुत ही कम मात्रा में कच्चा जूट अधिप्राप्त किया जा रहा है।

समिति का यह मत है कि भारतीय जूट निगम एकल संगठन है जो कि सीधे किसानों से संपर्क करता है और यदि उसी के कार्यकरण में कोई खामियां हैं, तो उसके फलस्वरूप जूट क्षेत्र के विकास तथा जूट किसानों के कल्याण संबंधी कार्यों पर असर पड़ेगा। अतः समिति सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड के गठन के पश्चात् स्थापित किए गए समुचित निकाय द्वारा पर्याप्त चल केंद्रों सहित पर्याप्त अधिप्राप्त केन्द्र खोले जाएं, ताकि किसानों से अधिकतम मात्रा में कच्चा जूट अधिप्राप्त किया जा सके। इस संबंध में समिति को प्रत्येक तीन महीने में की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाए।"

महोदय, यद्यपि मैंने आधिकारिक रूप से इस विधेयक के संबंध में कोई अधिकारिक संशोधन (सभा) पटल पर नहीं रखा है, मैं श्री वाघेला से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक में मुख्य अभिकरण, भारतीय जूट निगम को शामिल करने पर पुनः विचार करें जिससे किसानों के हितों की रक्षा होगी। यदि यह राष्ट्रीय जूट बोर्ड की परिधि से बाहर है तो मुझे डर है कि इस विधेयक का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा।

इसलिए, मैं श्री वाघेला से एक बार पुनः हमारे प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं, यद्यपि मैंने आधिकारिक रूप से इस विधेयक के लिए कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

इन शब्दों के साथ ही, मैं कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अनाधिकारिक रूप से मैं सरकार द्वारा विचार करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव करता हूं।

श्री ब्रह्मानंद पंडा (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक का समर्थन करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

आपको भलीभांति ज्ञात है कि उड़ीसा एक जूट उत्पादक राज्य है और मेरे राज्य के लोग और विशेषकर किसान, पिछले 100 वर्षों से द्वितीय फसल के रूप में अर्थात एक नकदी फसल के रूप में जूट उगा रहे हैं। लेकिन समुचित प्रोत्साहन के अभाव में, किसान जूट की खेती करने पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप अब हमारे राज्य के किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं।

मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जूट नीति से निस्संदेह जूट उत्पादों के विपणन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जूट उत्पादकों को खेती के लिए नई पारंपरिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसाकि आप जानते हैं संश्लिष्ट

(कृत्रिम) पदार्थ अर्थात प्लास्टिक और पोलिथीन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। यही उचित समय है कि हम जूट थैला जैसे उत्पादों को प्रोत्साहन दें। जूट उत्पादों में भी, हम हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हम इन उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं और काफी कमाई कर रहे हैं। लेकिन प्रोत्साहन के अभाव में यह व्यवस्था चरमरा रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि चूंकि उड़ीसा का जूट उत्पादक राज्यों में से एक के रूप में जूट की खेती के लिए अपना आधार है, इसलिए जूट की खेती के लिए किसानों को समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप जूट उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह भी देखा गया है कि जहां तक इसके निर्माण का संबंध है, उड़ीसा में एक भी औद्योगिक इकाई नहीं है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में सरकारी-निजी भागीदारी से जूट उद्योगों की स्थापना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हैं और लगभग 70 प्रतिशत जूट मिलें पिछले कुछ वर्षों में बंद हो चुकी हैं। अधिकतर लोग देश के विभिन्न हिस्सों से पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में कार्य कर रहे हैं और हम अपने राज्य से जूट की आपूर्ति कर रहे हैं। मेरे राज्य का एक जिला केन्द्रपाड़ा जूट का उत्पादन कर रहा था और अधिकतर किसान जूट की खेती पर निर्भर थे। लेकिन आजकल समुचित बाजार के अभाव में, किसान जूट की खेती नहीं कर रहे हैं। इसलिए, यह सही समय है; मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि एक राष्ट्रीय जूट नीति तैयार की जाए और एक नया कानून बनाया जाए ताकि संश्लिष्ट बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किसानों को जूट के थैले और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मैं विनम्रतापूर्वक यही अपील करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है जिसमें आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की बहुलता है और इस राज्य व अन्य राज्यों के किसानों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए यह सही समय है कि किसानों के विभिन्न हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय जूट नीति लागू की जाए।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जूट के थैलों और जूट का प्रयोग किया जाता है। अब, जूट उत्पादक किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। परिणामस्वरूप, राज्य में जूट उत्पादों का सही विपणन नहीं होता है।

हमें गर्व है कि हमारी सभ्यता कृषि उत्पादों पर आधारित है। किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आजकल, केन्द्रपाड़ा में विनाशकारी बाढ़ों के कारण, उस क्षेत्र के किसान सब कुछ गवा चुके हैं, वे भयभीत हैं। माननीय मंत्री को उनके नुकसान का आकलन करना चाहिए। नुकसान के लिए उनको समुचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। जब तक उनको समुचित मुआवजा नहीं मिलेगा, वे जूट की खेती के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं होंगे। ऐसा समय आएगा कि जूट उत्पादक किसानों की जूट की खेती करने में कोई रुचि नहीं बचेगी। जूट की खेती को आदिम काल से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसलिए, यह सही समय है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में संश्लिष्ट उत्पादों का विपणन न हो, एक कानून लागू किया जाए, और जूट उत्पादक किसानों तथा जूट विपणन को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए ताकि जूट उत्पादक इन सभी उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

इसके अलावा, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उड़ीसा में जूट उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में कुछ जूट उद्योग स्थापित किए जाएं और जूट की खेती के लिए यह उनके लिए एक नई पहल होगी।

अंतत: मैं इस प्रगतिशील विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि कृषि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि की जीवन रेखा है।

सभापति महोदय: अब, श्री महेश कनोडीया।

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, मैं सूचना के मुद्दे पर बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत सूचना के इस मुद्दे का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, वह नहीं मान रहे हैं, माननीय सदस्य और पूरी सभा की सूचना के लिए कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में सभी पटसन मिलें पूरी तरह से चल रही हैं; इस समय कोई मिल बंद नहीं है। कर्मकार पूर्णत: कार्य में संलग्न हैं। यह उनकी सूचना के लिए है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब चर्चा का कोई प्रश्न नहीं है।

अब, श्री महेश कनोडीया।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडीया (पाटन): महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका

[श्री महेश कनोडीया]

दिया, इसके साथ ही माननीय कपड़ा मंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो जूट के उत्पादन का कार्य है, वह बहुत अच्छा है। जूट का पूरे भारत में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि उससे बहुत सारे काम बनते हैं। जूट के इस विधेयक को मैं समर्थन देता हूं, इसके साथ ही मैं एक बात कहूंगा कि इसके कामों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें काम दिया जाए और किसानों का खास ध्यान रखा जाए। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि गुजरात में जहां-जहां पर इसके उद्योग हैं, गुजरात के ग्रामीण इलाकों में, छोटे-छोटे गांवों में, इसके उद्योग बढ़ाये जायें, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसका ज्यादा लाभ मिले और किसानों को भी इसका ज्यादा लाभ मिले, इसके साथ ही किसानों के काम को भी ज्यादा बढ़ावा मिले।

मैं एक बार फिर से आपके इस विधेयक को समर्थन देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): माननीय सभापति महोदय, मैं ''राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक'' नाम पद्धति के अंतर्गत विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं अपने माननीय मंत्री जी श्री शंकर सिंह वाघेला की सराहना अवश्य करूंगा उनके मार्गदर्शन में संप्रग सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय जूट नीति की घोषणा की है।

विधेयक का उद्देश्य मौजूदा जूट उत्पादक विकास परिषद और राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केंद्र का उनकी निधियों और जनशक्ति के साथ विलय करके जूट बोर्ड गठित करने का है। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों और संगठनों की अधिकता को समाप्त करना है ताकि राष्ट्रीय जूट बोर्ड पूरे जूट क्षेत्र के लिए एकमात्र निकाय के रूप में कार्य कर सके।

वर्तमान परिदृश्यों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम वर्ष के बाद से जूट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अधिनियमन द्वारा पूरे देश में जूट उत्पादकों और जूट कर्मकारों के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

महोदय, अधिकांशत: सिंथेटिक लाबी विभिन्न मंचों द्वारा अनिवार्य जूट पैकेजिंग तंत्र का विरोध कर रही है। तथापि, माननीय मंत्री और संप्रग सरकार संप्रग के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनिवार्य पैकेजिंग तंत्र को अब भी बनाए रखे हैं ताकि जूट उत्पादकों और जूट उद्योग को सहायता प्रदान की जा सके।

मुझे लगता है कि भारतीय जूट निगम के कर्मचारी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। अत:, मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि वे ऐसा तंत्र बनाएं ताकि भारतीय जूट निगम के कर्मचारियों की आशंका का निवारण हो सके। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जूट निगम का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से एक साधारण सा प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय जूट बोर्ड को दिनांक 22 मई, 2006 को लोक सभा में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने से पूर्व गठित कर दिया गया था? यदि यह संभव है तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जूट निगम को राष्ट्रीय जूट बोर्ड में सम्मिलित किया जाए। इसका कारण यह है कि इस विधेयक के माध्यम से मैं जो सोचता हूं कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन करने के लिए, जो विनियामक के बजाय सहायक के रूप में कार्य करेगा, जो कच्चे जूट की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, कच्चे जूट के बेहतर विपणन और मूल्य के स्थिरीकरण हेतु बढ़ावा देने, अथवा प्रबंध करने के लिए कच्चे जूट और जूट उत्पादकों के मानकीकरण को बढ़ावा देने, कच्चे माल की उत्पादकता के लिए मानदंडों को सुझाव देने के लिए, जूट उत्पादों का उत्पादन, कच्चे जूट के उत्पादकों और जूट उत्पादकों के लिए आयेगी। सूचना का प्रचार-प्रसार करने, कच्चे जूट और जूट उत्पादकों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बढ़ावा देने और उपाय करने; कच्चे जूट के ग्रेडिंग और पैकेजिंग के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, तकनीक में सुधार हेतु अध्ययनों और अनुसंधान को सहायता और प्रोत्साहन देने; कच्चे जूट और जूट उत्पादों संबंधी सांख्यिकी के संकलन और तैयारी के उद्देश्य से सर्वेक्षणों और अध्ययनों को बढ़ावा देने और उन्हें करने; जूट उद्योग की कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करके जूट उत्पादकों के उत्पादन वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु जूट उत्पादकों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने; जूट उद्योग में पहले से उपयोग किए जाने वाली सामग्रियों, उपस्कर आदि से संबंधित मामलों को प्रायोजित करने, सहायता प्रदान करने; जूट उत्पादों के उत्पादन और संवर्धन के प्रयोजनार्थ कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान आदि आयोजित करने, जूट उद्योग में कार्यरत कर्मकारों के लिए कार्य की बेहतर स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए जूट कृषि के समेकित दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाए।

यदि आप जेसीआई के कार्य का अध्ययन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जूट बोर्ड कहीं न कहीं जेसीआई की अतिव्याप्ति कर रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जेसीआई को सम्मिलित किए जाने पर विचार करें जिसके पास कच्चे जूट के बेहतर विपणन और स्थिरीकरण हेतु जूट किसानों के द्वार पर पहुंचने और संवर्द्धन करने तथा कर्त्तव्यभार लेने के लिए पर्याप्त अवसंरचना है। जैसा मुझे प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न तरीकों से राष्ट्रीय जूट बोर्ड और मौजूदा भारतीय जूट बोर्ड के कार्य एक

समान हैं। संभव है कि कुछ प्रकार की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आदि हों। परंतु मेरे विचार से सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि जिन कर्मचारियों ने लंबे समय तक हमारे देश की सेवा की है वे यह न सोचें कि उन्हें देय राशि से वंचित किया जा रहा है। मेरे विचार से सरकार इस पर विचार करेगी।

मैं पश्चिम बंगाल के जिले से आया हूं। मेरे जिले का नाम मुर्शिदाबाद है जिसमें देश में सबसे अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। परंतु सत्य यह है कि जूट कर्मकार वास्तव में निराश हैं। उनका अंतिम सहारा केवल भारतीय जूट निगम है। सरकार जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करके उन्हें उनकी आजीविका उपलब्ध करा रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गर्मी के मौसम में जूट उत्पादकों को पानी भी नहीं मिलता है। यह ताजा पानी नहीं बल्कि तालाबों, झीलों, नहरों आदि से मिलने वाला सामान्य पानी होता है। उन्हें जूट स्टिक्स को नरम करने के लिए अपेक्षित पानी नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इतनी उदासीन है कि वह जूट उत्पादकों को पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ है जिससे कि उत्पादक अपनी जूट स्टिक्स को नरम कर सकें। समस्त जूट उत्पादक, जूट उत्पादक व्यक्तियों का प्रमुख वर्ग पूर्वी क्षेत्र से था जहां पर एक समय भारत में उद्योग में जूट उद्योग के रूप में शुरुआत की थी। जूट नीति के अनुसार सरकार ने 5660 करोड़ रु. के जूट उत्पाद के निर्यात हेतु 2010 का लक्ष्य रखा है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि उन्होंने निर्यात किए जाने वाले जूट उत्पादों के पांच हजार करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के उपाय किए हैं? जूट नीति की वर्ष 2005 में घोषणा की गई थी। परंतु, अब तक जूट निर्यात की मात्रा लगभग एक हजार करोड़ के आस पास है। हम जानते हैं कि इस गोल्डन फाइबर के कारण स्वर्णिम अवसर है। विश्व में लोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इस संदर्भ में यह गोल्डन फाइबर हमारे देश के लिए एक स्थान बना सकता है बशर्ते कि हम इस अवसर का लाभ उठाने को तैयार हों।

जूट उद्योग अब भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव से जूझ रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जूट उद्योग अब भी अप्रचलित प्रौद्योगिकी के सहारे चल रहा है। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में, इस वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के युग में क्या हम इस प्रकार की प्राचीन प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्या हम विश्व के अन्य प्रतिस्पर्धाभागियों से स्पर्धा कर सकते हैं?

सरकार ने भी अपनी जूट नीति के अंतर्गत कहा था कि "चूंकि नीति उपाय करना तथा विशिष्ट कार्य योजना का सुझाव देना, डब्ल्यू.टी.ओ. मानकों के अनुरूप जूट उत्पादों के लिए ब्रांड इक्वीटी कोष का निर्माण करना एक बहु-आयामी तंत्र है तथा प्रस्तावित जूट बोर्ड में निर्यात संवर्धन परिषद को शामिल किया जाएगा।" मुझे ज्ञात नहीं है कि इस दिशा में किस प्रकार के उपाय अभी तक किए गए हैं।

अंत में यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से अवगत है कि इस समय पूरा देश जूट थैले आदि के उपयोग पर गंभीरता से सोच रहा है। इसका कारण है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गया है। मुझे पता नहीं कि यह इस विधेयक के संदर्भ में है अथवा नहीं। लेकिन मैं सरकार से प्रस्ताव करता हूं कि वह जूट उत्पादों के उपयोग के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान लाए ताकि एक ओर तो हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें तथा दूसरी ओर हम उत्पादकों और जूट किसानों को मदद करने के साथ-साथ जूट उद्योग को संवर्धित कर सकते हैं। इस तृतीयक क्षेत्र में 0.14 मिलियन मजदूरों के लगे होने के साथ ही कोई 42 लाख किसान इस काम में लगे हुए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का पुनः समर्थन करता हूं और यह इच्छा व्यक्त करता हूं कि सरकार तथा माननीय मंत्री महोदय जूट क्षेत्र को सतत आगे बढ़ने तथा इसके विकास के लिए सुसंगत कदम उठायें। जो हमारे लिए भविष्य में गर्व की बात होगी।

सभापति महोदयः धन्यवाद। मुक्त अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के अनिवार्य कदम उठाना बहुत कठिन है।

अब मैं श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): महोदय, आपको धन्यवाद। मुझे यहां से बोलने की अनुमति होगी?

सभापति महोदयः जी, हां।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचाः क्या मुझे क्षेत्रीय भाषा में बोलने की भी अनुमति है?

सभापति महोदयः क्या आपने सूचना दी है?

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचाः जी, महोदय।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अनुवाद उपलब्ध नहीं है।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): महोदय, अनुवाद उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय: क्या कोई अनुवाद के मामले को कोई देखेगा?

अपराह्न 5.00 बजे

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: यदि अनुवाद नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। मैं अंग्रेजी में बोलूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधान पर बोलने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ी हूं।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड बनाने की बात काफी समय से लम्बित पड़ी है। यह बोर्ड किसानों और श्रमिकों के हित में है। अब मैं उम्मीद करती हूं कि कयर बोर्ड, सूत बोर्ड और नारियल बोर्ड की भांति जूट बोर्ड भी समन्वय करेगा और जूट क्षेत्र के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा। इस विधेयक में जूट विनिर्माण विकास परिषद तथा राष्ट्रीय जूट विविधीकरण के विलय के साथ-साथ उनके कोष और कर्मचारियों के विलय की भी बात है। मैं इसका स्वागत करती हूं। इससे सामान्य रूप से पूरे देश में तथा विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में जूट विकास के प्रयासों में सहयोग मिलेगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जूट और जूट उत्पाद दोनों पर्यावरण अनुकूल हैं। आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। यह हमारे लिए भविष्य में चुनौती बनने जा रहा है। चूंकि जूट उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए इस उद्योग जैसा कोई भी उद्योग नहीं है। मैं माननीय मंत्री श्री वघेला को सुझाव देना चाहूंगी कि इस उद्योग को राजसहायता देकर बड़े पैमाने पर हमें इसका विकास करना चाहिए। जूट को पर्यावरण हितैषी उद्योग घोषित किया जाना चाहिए और जूट उद्योग से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

जूट उद्योग में काफी बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। अब राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना से मुझे विश्वास है कि इस उद्योग का और विकास होगा और लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैं संप्रग सरकार तथा माननीय वस्त्र मंत्री श्री वाघेला को उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद देती हूं।

जूट के उत्पादन में पूर्वी क्षेत्र के बाद उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। पश्चिम बंगाल को प्रथम स्थान प्राप्त है। आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र, बोब्बिली में तथा इसके आस-पास लगभग 24 जूट उद्योग हैं। इसलिए, मैं अक्सर कर्मचारियों तथा जूट उद्योग के नियोक्ताओं से बातें करती रहती हूं। लेकिन प्रौद्योगिकी उन्नयन के अभाव के कारण समय बीतने के साथ जूट उद्योग का विकास अन्य उद्योगों की तर्ज पर नहीं हुआ है।

जूट की खेती में प्रमुख समस्या जूट के बीजों की गुणवत्ता तथा जूट का सड़ना है। परिणामत:, जूट उत्पादक किसान इसकी खेती करने से कतरा रहे हैं। यदि जूट के लिए एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है तो जूट की खेती की ओर और अधिक किसान आकर्षित होंगे।

चीनी उद्योग की तरह जूट उद्योग को भी सहकारी क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है ताकि किसानों की मदद हो सके तथा जूट की खेती को बढ़ावा मिले। मेरा भी सुझाव है कि जूट की खेती के लिए रेशम कीट पालन और मछली पालन के तर्ज पर जूट संवर्धन मशीनरी को स्थापित किया जाना चाहिए तथा क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पुन:, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूर्व में मेरे चुनाव क्षेत्र में आई.जे.आई.आर.ए. की शाखा आंध्र प्रदेश की विजियानगरम जिले में थी लेकि ाचानक उन्होंने इसे अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया।

मुझे कारणों का पता नहीं है। जूट की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने तथा जूट के विनिर्माण और विपणन में समन्वयन स्थापित करने हेतु मंत्रालय विजियानगरम जिले की शाखा को पुनर्जीवित करेगी।

यद्यपि जूट पैकेज आदेश के माध्यम से खाद्य उद्योग, सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग के लिए जूट पैकेज को अनिवार्य बना दिया गया है फिर भी इसका बार-बार उल्लंघन हुआ है। इस आदेश का उल्लंघन करके ये उद्योग पैकेजिंग के लिए उच्च पौलिमर के प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जूट पैकेज आदेश को सख्ती से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य देशों से जूट की सामग्री के आयात को भारतीय जूट उद्योग को बचाने के लिए तुरंत स्थगित कर देना चाहिए।

महोदय, सरकार ने बहुत से उद्योगों को रियायती दर पर विद्युत उपलब्ध करायी है। मैं माननीय मंत्री से जूट उद्योग को भी रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति करने का अनुरोध करती हूं।

जूट उद्योग में जूट के उत्पादन में जे.बी. आयल का उपयोग होता है। जेबी आयल को भी डीजल के समान राजसहायता दी जानी चाहिए। यह भी एक मानक है। मंत्री जी को इसका मूल्य कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि जूट उत्पादन की लागत कम हो।

नए जूट संयंत्र शुरू करने के लिए मशीनरी पर राजसहायता 75 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। यह मशीनरी की कुल लागत के प्रतिशत जैसे 20 प्रतिशत के रूप में की जानी चाहिए। मशीनरी की कुल लागत का 20 प्रतिशत राजसहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। इससे नवीनतम मशीनरी से अपने संयंत्रों को उन्नत बनाने तथा उद्यमियों को उद्योग शुरू करने में एक अधिस्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग में मदद मिलेगी।

जूट की खेती, विनिर्माण और विपणन के प्रभावी समन्वय के लिए समेकित आयोजना की जानी चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्रस्तावित बोर्ड निश्चित रूप से इन उद्देश्यों को पूरा करेगा।

मैं राष्ट्रीय जूट बोर्ड की संरचना के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। जूट उत्पादकों, जूट उद्योग के कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें बोर्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। बोर्ड गठित करने का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा। इस समय बोर्ड में पहले से ही 30 सदस्य हैं। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि इस बोर्ड में किसानों और कामगारों को भी शामिल किया जाए।

एक और बात यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक रुग्ण उद्योग हैं जिनको 'बीआईएफआर' कहा जाता है। कृपया उनके मामलों पर विचार करे और उन उद्योगों की सहायता करें। कर्मचारियों (के हितों) की रक्षा और उन्हें अधिक लाभ देने के लिए कृपया एक 'साझा वेतन बोर्ड' का भी गठन करें।

इन चंद शब्दों के साथ ही, मैं राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006 का तहेदिल से समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय: अब, मैं श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु को बुलाता हूं जो अंतिम वक्ता हैं और उनके बाद माननीय मंत्री बोलेंगे।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, मैं राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक का समर्थन करता हूं जो इस सभा में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। हमने लंबे समय तक जूट क्षेत्र की उपेक्षा की है। वस्तुत:, हम कहते रहे हैं कि सरकार की नीति कृत्रिम रेशे, रासायनिक रेशे के पक्ष में है, न कि प्राकृतिक रेशे के पक्ष में। यह कपास के लिए सत्य है; यह जूट के लिए सत्य है; यह उन अनेक प्राकृतिक रेशों के लिए सत्य है जिनका हम भारत में उत्पादन करते हैं। वस्तुत:, कारखानों में उत्पादित गैर-जैव क्षरणीय पदार्थों के दुष्प्रभाव के संबंध में दुनियाभर में चिन्ता है। एक बार उनका उत्पादन हो जाने के पश्चात् वे सदा मौजूद रहते हैं क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां उनको अवशोषित नहीं कर सकती और इसलिए, वे संपूर्ण मानवता के लिए परेशानियां उत्पन्न करते हैं। इसके बावजूद, हम प्राकृतिक रेशे के विपरीत कृत्रिम रेशे का पक्ष लेते रहे हैं।

हम देख रहे हैं कि इसके परिणामस्वरूप अनेक लोग सूत्री वस्त्र नहीं पहनते हैं और कपास के पक्ष में नहीं है। हम संश्लिष्ट रेशों का प्रयोग करते हैं। यही स्थिति जूट के मामले में है। भारत के जूट उत्पादक क्षेत्रों को अतीत में काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, जूट क्षेत्र में कार्यरत लोग बेरोजगार हो गए हैं; संभवत: ऐसे किसानों को आजकल मिलने वाला पैकेज न मिलने के कारण जूट उत्पादकों ने आत्महत्याएं की हैं। इसलिए, मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं कि आप इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए अत्यंत सकारात्मक ढंग से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं।

जब आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं वास्तव में सोच रहा हूं कि हमें सीमाओं से बाहर निकल कर सोचने और करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस बिल में मूलत: एक जूट बोर्ड के गठन की बात कही गई है। मैं जूट बोर्ड की संरचना देख रहा था-इस जूट बोर्ड के सदस्य कौन होंगे? एक संयुक्त सचिव होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न पदाधिकारियों में से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा जो अकेला ही जूट उत्पादों का वृहत्तर समुदाय में विपणन में जूट बोर्ड की मदद कर सके। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस मुद्दे पर इसी दृष्टिकोण से देखने का अनुरोध करता हूं।

जूट बोर्ड में ऐसे लोग होने चाहिएं जो डिजाइनर हों, जो जूट के बेहतर उत्पाद 'डिजाइन' कर सकें ताकि उन्हें अधिक लोग खरीदना पसंद करें। निर्यात क्षेत्र के लोगों को भी शामिल करना चाहिए ताकि वे इस उत्पाद का निर्यात कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसे अनेक देश हैं जो ऐसे प्राकृतिक रेशों का आयात करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा बोर्ड गठित करते हैं जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो इसका बेहतर ढंग से विपणन कर सकें तो वे बाकी विश्व के सामने जूट को बेहतर स्थिति में रख सकेंगे और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए।

यह एक सीमित विधेयक है। इसमें सिर्फ एक जूट बोर्ड बनाने की बात कही गई है। जब तक सरकार जूट क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक नीति नहीं बनाएगी तब तक इस विधेयक का

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। ऐसा करने के लिए, जूट से प्रतियोगिता करने वाले उत्पादों पर कर लगाने के बारे में सोचने का सही समय है। आपको याद होगा कि लंबे समय तक महोदय, उन दिनों जब मैं युवा था और आप भी युवा रहे होंगे, हम कुछ भी ले जाने के लिए जूट के थैलों के बारे में सोचते थे। लेकिन अब हम जूट के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, जूट के थैलों का व्यापक प्रसार हो रहा है लेकिन वह समय गुजर चुका है। अब इस पर 'एचटीपी' थैले, 'एलटीपी' थैले आदि हावी हो चुके हैं। अब यह फैशन बन गया है। इसलिए, क्या अब हम प्रतियोगी उत्पादों पर कर लगाने के लिए नहीं सोच सकते? यदि आप उन उत्पादों पर कोई पर्यावरण कर लगा सकते हैं-क्योंकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं-तो जूट वास्तव में लाभदायक हो जाएगा।

इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा यही अनुरोध है; यह एक स्वागत-योग्य विधेयक है और हम इसका समर्थन करते हैं; लेकिन ऐसा करते हुए, हम उनसे इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति लाने का अनुरोध करते हैं ताकि इस समूचे क्षेत्र का पुनरुद्धार हो सके।

सभापति महोदय: मूल्य भी प्रतियोगी होंगे।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, आपकी चीनी सहकारिता सफल रही है क्योंकि आपने किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं जूट उत्पादक किसानों के बारे में सोच रहा हूं, न कि गन्ना उत्पादक किसानों के बारे में। हमें इसको इस प्रकार करने का प्रयास करना चाहिए कि अपने खेतों में जूट की खेती करने वाले किसानों को वास्तव में लाभ हो। मैं सचमुच माननीय मंत्री से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि आप सभी ने बहुत इंटरेस्ट के साथ इस बिल का स्वागत किया है। यह बिल वैसे लास्ट सैशन में आना था लेकिन नहीं आ पाया। जो रिकमेंडेशंस हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी की ओर से आए थे, उनमें से काफी रिकमेंडेशंस हमने इंक्लूड की हैं। सबसे बड़ा रिकमेंडेशन यह था कि प्रोपोज्ड बोर्ड में जो मैम्बर्स की संख्या 21 थी, इसे बढ़ाकर हम 34 करने जा रहे हैं। कई सदस्यों ने बताया कि एक्सपर्ट्स लोग भी इसमें शामिल हों, इसलिए 3 पार्लियामेंट के मैम्बर्स, 3 जूट फार्मर्स, 3 जूट वर्कर्स और 2 जूट एक्सपर्ट्स का इसमें समावेश किया गया है। इसके अलावा जो माइक्रो, स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैं, इसमें से भी 2 मैम्बर्स लिये गये हैं। जो पहले प्रपोज्ड 21 सदस्यों का था, उसमें अब 34 होंगे। यह सब बराबर होने के बावजूद इसमें एमपीज, जूट वरकर्स, जूट एक्सपर्ट्स, जूट फारमर्स की जो कमी थी, अब उसके लिये एक कमेटी होगी।

माननीय सभापति जी, जो रिकमैंडेशंस 7 थी, उनमें से 6 शामिल कर ली गयी हैं। अभी एक अम्ब्रेला की बात की गई है, लेकिन जे.सी.आई. के बारे में मैं बाद में कहूंगा। इंस्टीट्यूट आफ इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स लोगों की बाडी है, जिसे इसमें शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। हम जो ग्रांट हर साल देते हैं, उसमें 10-10 परसेंट कम करते जा रहे हैं। इसलिये वह ग्रांट नहीं रहेगी। वे इंडिपैंडेंटली रन करेंगे, क्योंकि यह रिसर्च एसोसिएशन प्राइवेट लोगों की है।

जहां तक जूट टैक्नोलोजी का सवाल है, वह कोलकाता यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट आफ वैस्ट बंगाल के एफिलिएशन में है। इसको इसमें शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ जूट फाइबर टैक्नोलोजी का रजिस्ट्रेशन सोसायटीज एक्ट के अंदर हुआ है। इसलिये इसे इसमें शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो बीजेएल है, उसकी मिल बंद है। अगर बीआईएफआर के लोग कहेंगे तो उसका आउटलैट सेल करने की बात होगी। जहां तक जेसीआई की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि इसका पूरा काम कामर्शियली है और उसके हिसाब से आज तक हमने जो प्रोक्योरमेंट दिया है, 2003-04 में एमएसपी 860 रुपये था, 2007-08 में 1055 रुपये हम लोग देने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन 1200 एम्पलाईज हैं। जब हम एमएसपी करते हैं तो जितने कैजुअल लैबर हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। पूरे देश में 172 ऐसे सैंटर्स है। इसके अलावा ऐसे 20 प्रपोज्ड सैंटर्स हैं। जब सीजन आता है तो उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। जेसीआई पूरी तरह से कामर्शियल है और मौका आने पर जब हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो एमएसपी का उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि जूट बोर्ड और जे.सी.आई. को हम इस अम्ब्रेला में शामिल करने के हक में हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं केवल श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के पैरा 52 को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि:

"समिति नोट करती है कि इस विधेयक का उद्देश्य पटसन और पटसन उत्पादों को उगाने, निर्माण करने और उनके विपणन का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना करना है। प्रस्तावित राष्ट्रीय पटसन बोर्ड संपूर्ण पटसन क्षेत्र, विशेषकर पटसन क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के प्रयासों और कार्यक्रमों के

दोहराव को रोकने की दिशा में एक अम्ब्रेला-निकाय के रूप में कार्य करेगा। हालांकि, उसके बाद, आगे वस्त्र मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि यह दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकता है। प्रारम्भ में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य जूट क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न संगठनों के विकासात्मक कार्यक्रमों को समन्वित और समेकित करना है।''

सभापति महोदय: आप केवल विशिष्ट हिस्से को ही पढ़ें।

श्री सांताश्री चटर्जी: इसमें आगे कहा गया है:

''इस क्षेत्र में भारतीय पटसन निगम, पटसन आयुक्त कार्यालय आदि जैसे अन्य संगठनों के विलय के संबंध में यह बताया गया है कि ये संगठन सौंपे गए कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं और इस स्तर पर इनके विलय में कानूनी और प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न होंगे तथा इस प्रकार के बड़े निर्णय से ये सुपुर्द की गई ड्यूटियों पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। प्रस्तावित राष्ट्रीय जूट बोर्ड में जूट क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का विलय न करने के संबंध में वस्त्र मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों को समिति स्वीकार नहीं करती क्योंकि विधेयक के उद्देश्यों अर्थात्, समग्र जूट क्षेत्र के लिए एक एकछत्र निकाय बनाने को केवल सभी घटकों को एक ही छत के नीचे लाकर प्राप्त किया जा सकता है। अतएव, समिति सिफारिश करती है कि जूट क्षेत्र के समेकित और प्रभावी विकास के लिए जूट क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का विलय करने के द्वारा राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना की जाए।''

समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला: मैं आपकी बात से सहमत हूं। पहले बोर्ड बन जाने दीजिए। जेसीआई का सारा कामकाज कामर्शियल है। उसके 1200 से ज्यादा इंप्लाइज हैं। अगर जेसीआई जूट बोर्ड में चला जाएगा तो जूट बोर्ड वायेबल नहीं बनेगा। इसका बजट अलग है, उसका बजट अलग है। जेसीआई पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज में है। उसके लिए फिर संसद में आना पड़ेगा, फिर फार्मैलिटी करनी पड़ेगी। न्यू कोर्स में जेसीआई को भी मैं इनक्लूड करने के पक्ष में हूं, लेकिन समय आ जाने दीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि एक अंब्रैला के नीचे आए तो वह कोई अच्छी बात है। इसके बाद मैं कहूंगा कि जूट पैकेजिंग एक्ट के तहत, यूपीए सरकार आने के बाद, शुगर और फूडग्रेन्स में सबसे ज्यादा बैग्ज का उपयोग होता है। पहले 80 प्रतिशत जूट हो, 20 प्रतिशत प्लास्टिक हो, ऐसा था। मैं प्लास्टिक के इलाके से आता हूं, फिर भी गोल्डन फाइबर, ईको फ्रैन्डली के हिसाब से 100 प्रतिशत इन दो कैटेगरीज में पैकेजिंग एक्ट के नीचे रखा। इनकी रेकमेंडेशन आई थी कि जूट कम रहे, फिर भी हमने कैबिनेट से फैसला लेकर 100 प्रतिशत जूट शुगर और फूडग्रेन्स में रखा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जूट प्रोडक्शन पूरा नहीं है। जूट के बैग्ज पूरे एवलेबल नहीं हैं। शुगर और फूडग्रेन्स में भी हमारे पास पूरा मैटीरियल नहीं है। हमारे इतना फेवर करने के बाद भी प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो सप्लाइ करने में एफसीआई को प्राब्लम होगी। जब गवर्नमैंट मांग रही है कि हमें भी बैग दीजिए तो हमारे पास जितने बैग स्टाक में होने चाहिए, वे नहीं हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके, जूट का फेवर हो। इतना ही नहीं, जूट के साथ हमने केनाफ और मेष्टा को भी इनक्लूड किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जूट की स्कीम्स का लाभ राज्य सरकारों के माध्यम से लिया जाएगा। हमारे पास जूट टैक्नोलाजी मिशन 1 और मिशन 2 कृषि मंत्रालय के पास है। इसका लाभ सीड्ज और दूसरी रिसर्च में किसान ले सकते हैं। मिनी मिशन-3 और 4 भी हमारे पास है। मिनी मिशन-3 में हमने 38.60 करोड़ रुपये अलाट किये हैं। मिनी मिशन-4 के लिए 260 करोड़ रुपये हमने अलाट किये हैं। कुल 298 करोड़ रुपये मिनी मिशन 3 और 4 के नीचे अलाटमैंट है। इसका लाभ सभी राज्य स्पेशली वैस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ले सकते हैं। हम परस्यू करते हैं राज्य सरकारों को कि वे इसका लाभ लें। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ सबको मिलेगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जूट बोर्ड का फार्मेशन इसके बाद हो जाएगा। इसके बाद अम्ब्रैला वाली बात जेसीआई की, चूंकि वह पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग है, इसलिए न्यू कोर्स में अलग से उस पर विचार किया जाएगा, इसकी कामर्शियल एक्टिविटीज पर विचार किया जाएगा।

इस बिल को जो समर्थन आपने दिया है, उसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस बिल का समर्थन करेंगे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति जी, हमारा भी उसमें नाम था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका नाम नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव: एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा।

सभापति महोदय: आपका जो भी सुझाव है, आप लिखित में दीजिए और टेबल पर ले कर दीजिए। हम उसको रिकार्ड पर मान लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: एक छोटा सा प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लिखित में दे दीजिए। हाउस का काम होता है। जिद करने से क्या लाभ है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जूट और जूट उत्पादों की खेती के विकास, विनिर्माण और विपणन के लिए एक राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेंगे।

खंड 2

परिभाषाएं

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

(घघ) "जूट" से जूट, केनफ और मेस्टा का पौधा अभिप्रेत है; (3)

(श्री शंकरसिंह वाघेला)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

बोर्ड का गठन और निगमन

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"(कक) तीन संसद सदस्य जिनमें से दो, लोक सभा के सदस्यों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित किए जाएंगे और एक, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित किया जाएगा;"। (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

'(ङक) जूट कृषकों में से तीन सदस्य जिनमें से एक, पश्चिम बंगाल राज्य से और दो, अन्य राज्यों से चक्रानुक्रम के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ङख) जूट कार्मिकों में से तीन सदस्य जिनमें से एक, पश्चिम बंगाल राज्य से और दो, अन्य राज्यों से चक्रानुक्रम के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ङग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, जूट प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्र से दो विशेषज्ञ;

(ङघ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, जूट उद्योग से व्यौहार करने वाले "सूक्ष्म उद्यम", "लघु उद्यम" और "मध्यम उद्यम" से दो सदस्य।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "मध्यम उद्यम", "सूक्ष्म उद्यम" और "लघु उद्यम" पदों के वही अर्थ होंगे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (ड) में हैं;'।

2006 का 27 (5)

(श्री शंकरसिंह वाघेला)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

बोर्ड का कार्य

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 5, पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"(17क) जूट बीज पर, गुण में सुधार करने के लिए और जूट फसल की सगर्भता अवधि को कम करने के लिए अनुसंधान करना;

(17ख) जूट सेक्टर में किए जा सकने वाले मानव संसाधन विकास के लिए उपायों को सम्मिलित करना और उनके लिए आवश्यक निधियों का प्रबंध करना;

(17ग) जूट सेक्टर और प्रौद्योगिकी विकास का आधुनिकीकरण;

(17घ) जूट उगाने वालों और कर्मकारों के हितों का संरक्षण करने के लिए उपाय करना और उनके आजीविका के साधनों में सुधार करके उनके कल्याण की अभिवृद्धि करना।"। (6)

(श्री शंकरसिंह वाघेला)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "2006" के स्थान पर, "2008" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री शंकरसिंह वाघेला)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "सतावनवें" के स्थान पर, "उनसठवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री शंकरसिंह वाघेला)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री शंकरसिंह वाघेला: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.29 बजे

भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि सामुद्रिक अध्ययनों तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उसे संवर्धित करने के लिए और सामुद्रिक विज्ञान तथा

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री टी.आर. बालू]

प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सामुद्रिक पर्यावरण और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापन तथा सहबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

भारत की लंबी सामुद्रिक परंपरा रही है और यह विश्व में 20वां सबसे बड़ा सामुद्रिक देश है। इस शानदार परंपरा का एकमात्र सबसे बड़ा अंशदायी कारक भारत में बड़ी संख्या में मर्चेंट नेवी के अधिकारियों की सशक्त, समर्पित, कुशल और विश्वसनीय उपस्थिति और रेटिंग्स हैं। वर्तमान में भारतीय और विदेशी ध्वज पोतों पर 27000 अधिकारी और 55000 रेटिंग्स नियुक्त हैं। पूरे विश्व में भारतीय नाविकों की निरंतर बढ़ती मांग भारत में प्राप्त शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्च स्तर का प्रमाण है। तथापि, भारत कुछ समय से इस संबंध में फिलीपींस, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से अपनी स्थिति के लिए चुनौती का सामना कर रहा है। अत:, हमें अपनी प्रशिक्षण क्षमता को और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि भारत इस क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों से आगे रहे और वर्ष 2015 तक 27000 अधिकारियों की लक्षित वैश्विक कमी को पूरा कर पाए। विश्व सामुद्रिक जनशक्ति बेड़े में भारत के लगभग 6 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर कम से कम 20 प्रतिशत करने की भी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक सहयोग और विकास संगठनों के देशों का 29 प्रतिशत हिस्सा इन देशों के युवाओं के इस कैरियर में कम रुचि लेने के कारण तेजी से घट रहा है और यह हमें अवसर देता है कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। देश में सामुद्रिक क्षेत्र जैसे पत्तन, पोत परिवहन, पोत निर्माण, अंतर देशीय जल परिवहन और अपतटीय अन्वेषण क्षेत्रों के विकास के साथ सामुद्रिक सुरक्षा, सामुद्रिक कानून, समुद्र विज्ञान, सामुद्रिक बीमा, समुद्र इंजीनियरी, पोत-निर्माण और अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे नए विषयों में जनशक्ति का विकास अनिवार्य हो गया है।

भारतीय ध्वज और विदेशी ध्वज पोतों के अंतर्गत भी मर्चेंट मैरीटाइम फ्लीट में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए पोत परिवहन महानिदेशालय, पोत परिवहन विभाग लाल बहादुर शास्त्री कालेज आफ एडवांस्ड मैरीटाइम स्टडीज एंड रिसर्च, मुंबई, ट्रेनिंग शिप चाणक्य, नवी मुंबई और मैरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता और मुंबई के माध्यम से इंजीनियरी और नौटिकल विषय में प्रीन्सी और पोस्टन्सी प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारत में सामुद्रिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थागत ढांचे को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने अपने द्वारा चलाए जाने वाली इन चार सरकारी सामुद्रिक संस्थाओं को इस सोसाइटी के अधीन लाते हुए दिनांक 6 जून, 2002 को भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान नामक सोसायटी की स्थापना करने का निर्णय लिया। सरकार ने पत्तन और पोत परिवहन उद्योग के कार्मिकों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय पोत प्रबंधन संस्थान जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चेन्नई रखा गया है और भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, कोलकाता की पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में स्थापना भी की।

भारत सरकार ने सामुद्रिक प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1997 में उदार दिशा-निर्देश जारी किए और इसके परिणामस्वरूप सरकारी और निजी क्षेत्र में लगभग 125 प्रशिक्षण संस्थान बने हैं जो प्रीन्सी और पोस्टन्सी दोनों प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं। पोत परिवहन महानिदेशालय, मुंबई निजी संस्थानों को मान्यता देता है।

ऐसा देखा गया है कि देश में शुरू किया गया वर्तमान सामुद्रिक प्रशिक्षण एक समान मानक सुनिश्चित नहीं करता है और अकादमिक कवरेज की अपनी अवधि के संबंध में अपर्याप्त है और इस प्रकार भावी विकास के अवसरों के साथ नहीं चल सकता। अत: तत्काल विश्वविद्यालय स्थापित करने के सहित प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है।

वर्ष 1991 में सरकार द्वारा गठित सामुद्रिक शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी समिति ने वर्तमान में सरकारी नियंत्रण में चल रही सामुद्रिक संस्थाओं का प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण करने और उन्हें निदेश देने तथा उनकी निगरानी करने के संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्वयात्तशासी निकाय की स्थापना की सिफारिश की थी जिसे भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके। इस मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसमें इस मंत्रालय के तत्वाधान में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अन्य बातों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना की पुरजोर सिफारिश करती है। व्यय सुधार आयोग ने भी अपने नौवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि आईआईएमएस को मानित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे पूर्ण स्वायत्त होना चाहिए।

आईएमयू की स्थापना सामुद्रिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामुद्रिक पर्यावरण, सामाजिक-आर्थिक, कानूनी और अन्य संबंधित क्षेत्रों सहित अध्ययनों के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सामुद्रिक अध्ययनों, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सहायता और बढ़ावा देगी और इन क्षेत्रों तथा संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने में भी सहायता मिलेगी। यह शिक्षा के ऐसे क्षेत्रों में संस्थागत और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उच्च स्तरीय ज्ञान को बढ़ावा देगा जिन्हें यह

उचित समझे, विज्ञान में समेकित पाठ्यक्रमों और सामुद्रिक प्रौद्योगिकी और संबद्ध विषयों के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु उपबंध करेगा। चूंकि हमारे यहां पर्याप्त संख्या में ऐसी निजी संस्थाएं हैं जो सामुद्रिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं इसलिए संबद्ध किए जाने और अकादमिक पर्यवेक्षण के माध्यम से विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर का मानकीकरण करेगा।

सरकार ने भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 को दिनांक 13 मार्च, 2007 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया। विधेयक को जांच और प्रतिवेदन के लिए दिनांक 19 मार्च, 2007 को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने विधेयक की जांच की और दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने उस पर विचार करके उसकी 24 सिफारिशें स्वीकार की।

समिति की अन्य सिफारिशों में से एक सिफारिश है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोच्ची में सरकार का मानना है कि ऐसे में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इस कार्य के लिए हमारे पास उपलब्ध अत्यधिक कौशल, मानव और वित्तीय संसाधनों से अधिक की आवश्यकता होगी और इससे उनकी कमी का संकट उत्पन्न होगा।

इससे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना प्राप्त शिक्षा और अनुभव का भी बाद के विश्वविद्यालयों में लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रशासनिक रूप से जल्दबाजी होगी क्योंकि युक्तिसंगत निवेश के निर्णय के लिए मांग, अवस्थिति और क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर पहले पर्याप्त अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई में भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अधिकांश कार्य किया जा चुका है। सरकार प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर उचित अवसर पर अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता की समीक्षा करेगी और भूमि संसाधनों की उपलब्धता और इस क्षेत्र में सामुद्रिक संस्थानों के होने आदि के समर्थनकारी कारकों के मद्देनजर निर्णय लिया जाएगा।

इसलिए, हम संसद के अधिनियम द्वारा चेन्नई में भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं जिनके परिसर कोलकाता, मुंबई और विशाखापट्टनम में हैं।

मौजूदा सात सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त समुद्री प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान नामत: सामुद्रिक इंजीनियरी और अनुसंधान संस्थान (एमईआरआई) कोलकाता, सामुद्रिक इंजीनियरी और अनुसंधान संस्थान (एमईआरआई) मुंबई, लालबहादुर शास्त्री कालेज आफ एडवांस्ड मैरिटाइम स्टडीज एंड रिसर्च, मुंबई, टी.एस. चाणक्य, नवी मुंबई, राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी (एनएमए), चेन्नई, भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम) कोलकाता और राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र (एनएसडीआरसी) विशाखापट्टनम का आईएमयू के साथ विलय किया जाएगा। आईएमयू को अंतरित किए जाने वाले चार प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के पास सरकारी शर्तों पर आईएमयू में मानित प्रतिनियुक्ति पर बने रहने और बारी के आधार पर सरकारी आवास को अपने पास रखने/प्राप्त करने और अपनी सेवानिवृत्ति तक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) सुविधाओं का भी विकल्प होगा। एनएमए, आईआईपीएम और एनएसडीआरसी के कर्मचारियों के पास अपनी सेवानिवृत्ति तक संबंधित संस्थानों की मौजूदा निबंधन और शर्तों पर आईएमयू में बने रहने का विकल्प होगा। सभी कर्मचारियों के पास विश्वविद्यालयों की सेवा शर्तों के अनुसार आईएमयू की सेवा में आने का विकल्प भी होगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 को विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं:

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सामुद्रिक अध्ययनों तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उसे संवर्धित करने के लिए और सामुद्रिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सामुद्रिक पर्यावरण और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापन तथा सहबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब, मैं श्री संतोष गंगवार को बुलाता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): मान्यवर सभापति जी, हमें ध्यान है *...(व्यवधान)*

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम): इतना इम्पोर्टेंट बिल है, लेकिन हाउस में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम कार्य करना चाहते हैं? क्या गणपूर्ति की मांग कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री अमिताभ नन्दी: महोदय, यदि सभा में गणपूर्ति नहीं है तो हम इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। हम गणपूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

घंटी बजाई जा रही है...

अपराह्न 5.39 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: सभा में गणपूर्ति न होने के कारण मैं सभा की कार्रवाई सायं 6.00 बजे तक स्थगित करता हूं।

अपराह्न 5.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं 6.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 6.05 बजे

लोक सभा सायं 6.05 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक—*जारी*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ रहा है जब यह बिल लोक सभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय काफी दिक्कत आई थी। आज मुझे लग रहा था कि इस पर चर्चा होने में फिर कहीं कोई दिक्कत न आए। वास्तव में इस बिल की अत्यंत आवश्यकता थी। सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान की समुद्री सीमा बहुत लम्बी है। उसके बाद भी समुद्र के द्वारा जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। हमें इस बात की भी जानकारी है कि पुराने समय में नदियों और समुद्र से काफी यातायात होता था और दूसरे देशों में हमारी जो प्रतिष्ठा थी, वह इसी रूप में मानी जाती थी।

सायं 6.06 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, जब मेरे क्षेत्र के एक बच्चे को इसमें दाखिला लेना था तो मैंने यह समस्या काफी महसूस की थी। इस क्षेत्र में जो निजी शिक्षण संस्थान काम कर रहे थे, वे बच्चों का शोषण करते थे। इसलिए आवश्यकता थी एक ऐसें विश्वविद्यालय की जो सरकार द्वारा संचालित हो। नौसेना का अपना अलग सिस्टम है, उसके द्वारा जो होता है, वह उसकी आवश्यकता है और उस पर निर्भर है कि वह कैसे इसमें आगे बढ़ कर काम करें।

यह एक व्यापक बिल है। यह बिल संसद की स्थायी समिति में भी भेजा गया था। वहां इस पर काफी विचार-विमर्श हुआ। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी संसद को पेश कर दी थी। उसमें मुम्बई को आदर्श जगह माना था, लेकिन वहां स्थान पर्याप्त नहीं था इसलिए उसने कहा था कि इस पर विचार किया जाए। यह विवाद का विषय नहीं है। उत्तर भारत के लोगों के लिए इस बात की चिंता नहीं है कि कहां यह विश्वविद्यालय बने। हम तो यह चाहते हैं कि देश में बने और सबको साथ लेकर बनाया जाए। इस बिल में इस विश्वविद्यालय के बारे में जो भी जानकारी दी गई है, उससे लगता है कि इसे तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। इस पर वैसे ही काफी देर हो चुकी है।

हमारा देश दुनिया में इस क्षेत्र में काफी पीछे है। दुनिया में जो वैसेल्स हैं, जिस ढंग से समुद्री यातायात होता है, जो कारगो की शिपिंग होती है, हमें लगता है कि हमें जिन अच्छे नौजवानों की उसके लिए आवश्यकता है, वे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री महोदय द्वारा सदन में यह बिल पेश किया गया है, हम महसूस करते हैं कि इस पर विवाद से ऊपर उठकर काम किया जाए और इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तीन जगह कोलकाता, मुम्बई और विशाखापट्टनम में इसकी शाखाएं रहेंगी, यह इस बिल में बताया गया है। जहां भी आवश्यकता होगी, वहां इसे प्राथमिकता दी जाए। इस बारे में हमारे अन्य साथी विस्तृत चर्चा करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): सभापति महोदय, धन्यवाद। हमारे माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू ने जबसे पोतपरिवहन और सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से तमिलनाडु में पोत परिवहन का तेजी से विकास हुआ है। तमिलनाडु, विशेषकर मद्रास बंदरगाह से विदेशों में प्रत्येक सप्ताह 3000 कारें निर्यात की जा रही हैं और इस सरकार को इससे करोड़ों रुपये का राजस्व मिल रहा है।

महोदय, वास्तव में यह सामुद्रिक विश्वविद्यालय इस देश के लिए अनिवार्य है। समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए चयनित छात्रों को हमें अद्यतन तकनीक प्रौद्योगिकी और समुद्र विज्ञान की शिक्षा देनी होगी। समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमें उन छात्रों को यह उपलब्ध करना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों को बुलाकर छात्रों को आपदा प्रबंधन की शिक्षा देनी होगी, उन्हें पढ़ाना होगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े और निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, बंदरगाहों का रख-रखाव कैसे किया जाए तथा निर्यात व्यापार के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए।

भारत के पास सबसे बड़ा जहाजरानी क्षेत्र है। बहुत से बंदरगाह हैं जिसमें दक्षिणी बंदरगाह अच्छे कर रहे हैं। सामुद्रिक परिवहन और निर्यात कई मिलियन टन बढ़ गया है। जहाजरानी निर्यात कई मिलियन टन बढ़ गया है तथा सरकार को इससे काफी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में, सामुद्रिक विकास में संस्थाओं की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए हमें सामुद्रिक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान कर समरूप अध्ययन पाठ्यक्रम लाना होगा तथा सामुद्रिक छात्रों को अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। हम केवल निर्यात से ही अधिक राजस्व नहीं कमा सकते हैं बल्कि हम आयात से भी अधिक राजस्व कमा सकते हैं। मैं सामुद्रिक विश्वविद्यालय की सराहना करता हूं। वे समाज के सभी वर्गों को उनकी जाति या धर्म का विचार किये बिना प्रत्येक अवसर प्रदान कर रहे हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि सामुद्रिक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को भी वरियता दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय इस विधेयक पर तत्काल बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सामुद्रिक समुद्री उत्पाद इस देश में आय के स्रोत हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। यह सामुद्रिक विश्वविद्यालय बनाकर हम निर्यात में अपनी उत्कृष्टता साबित कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): सभापति जी, सदन में जब यह बिल लाया गया था, उसी समय इसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करने के लिए भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद सारे सदस्यों ने सहमत होकर सरकार के पास, मिनिस्ट्री के पास अपनी रिकमेंडेशंस भेज दीं। इस बिल को इस बार मंत्री जी ने जब सदन के सामने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि स्टैंडिंग कमेटी की कितनी रिकमेंडेशंस को वे अमल में लाये और कितनी रिकमेंडेशंस को उन्होंने रिजैक्ट किया। रिजैक्ट करने की क्या वजह रही और रिकमेंडेशंस को ग्रहण करने की क्या वजह रही?

सर, हमारे देश के अंदर मेरीटाइम स्टडी पुराने जमाने से चल रही है लेकिन दुनिया में बहुत तेजी से तकनीकी विकास हुआ है और हमारे जो सीफेरर्स हैं, जो जहाज में काम करते हैं और दूसरी मेरीटाइम स्टडीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारी दुनिया में इंडियन सीफेरर्स को और इंडियन मेरीटाइम पर्सनल्स को एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। हमारे देश के अन्दर यह पोटेंशियल्स भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें और तकनीकी एडवांसमेंट के साथ हम अपनी स्टडी को भी आगे बढ़ाएं।

सर, यह हमारी बहुत पुरानी डिमांड है और स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को महसूस करते हुए, सबसे पहले मैरीन इंजीनियरिंग कॉलेज, कलकत्ता में स्थापित किया था जो आज मेरी के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। केवल यही एक इंस्टीट्यूट है जिसे सरकार चलाती है और उधर से जो कैडेट्स निकलते हैं पूरी दुनिया उनको मानती है। हमारी जो इंजीनियरिंग स्टडीज है पूरी दुनिया उसे मानती है। लेकिन आज की जो मेरीटाइम स्टडीज है उसके अंदर सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, उसके बहुत सारे पहलू हैं। उसके अंदर मेरीटाइम लॉ, मेरीटाइम इंश्योरेंस, ओसनोग्रॉफी, नेवल आर्किटेक्चर, शिप-बिल्डिंग आदि मेरीटाइम स्टडीज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के इतने साल बीत जाने के बाद भी देश के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर रिसर्च एंड डेवलेपमेंट का काम नहीं हो पाया है। सन् 1980 से हम लोग सदन के अंदर यह मांग कर रहे हैं कि इन सारी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी चाहिए। सर, मैं कुछ पीछे जाकर सन 1991 की बात करना चाहता हूं। कोई भी देश इतिहास से मुंह मोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है, इस बात को आप भी मानेंगे।

सभापति महोदय: आप आगे जाइये, पीछे मत जाइए।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, आप भी सहमत होंगे कि इतिहास को नजरअंदाज करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। सन्

[श्री समिक लाहिरी]

1991 में मुम्बई और कोलकाता में सरकार के जो मैरीटाइम स्टडी सेंटर्स थे, इन्हें प्राइवेटाइज करने की कोशिश हुई थी और सदन में बहुत से सदस्यों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। इन्हें प्राइवेटाइज करने के लिए एक सोसायटी भी बनी थी और सोसायटी के तहत जो सरकारी संस्थाएं थीं, जिनके जरिये सरकार मैरीटाइम स्टडी को आगे बढ़ाना चाहती थी, उन्होंने साजिश की थी कि इन्हें प्राइवेट सेक्टर में दे दें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसी समय एक कमेटी कोमेट भी बनी थी, जिसका जिक्र मंत्री जी ने भी किया है। कोमेट ने भी कहा था कि हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। खास कर कोलकाता और मुम्बई के सैंटर्स को अपग्रेड करके आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे आईआईटी के रूप में या यूनिवर्सिटी के रूप में, चाहे जिस भी रूप में लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट इस क्षेत्र में जरूर होना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में सन् 2015 में 27 हजार वैकेंसीज तैयार होगी और अगर हम अपने देश के नौजवानों को इस क्षेत्र में तैयार कर सकें तो इन 27 हजार वैकेंसीज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम लोग ले सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी ऐलान किया था कि पूरी दुनिया में जितना मैरिन सी फारेस्ट है, उसमें से 6 प्रतिशत हमारे देश में है। उसे अगर हम 20 प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स हम लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। जब बीच में मैरीटाइम स्टडी को लिब्रलाइज किया गया था, उस समय देश में 124 ऐसी संस्थाएं तैयार हो गईं, जो प्राइवेट सैक्टर में चलती थी। उसमें से कुछ संस्थाएं अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं। लेकिन जब इन्हें लिब्रलाइज किया गया तब इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया।

सभापति महोदय: आपने मुख्य बिंदु कह दिए हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, यह बहुत मुख्य डील है, इसलिए मुझे बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए। हमारे यहां जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, इनके ऊपर कोई भी कानून नहीं चलता था। 124 संस्थाएं तैयार हो गई। इन कैडेट्स के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। कैडेट्स निकल रहे हैं, लेकिन वे कहां ट्रेनिंग लेंगे, किस शिप में ट्रेनिंग लेगे, इसके साथ कोई तालमेल नहीं है। आज की तारीख में यही सरकार की समस्या है। सरकार एक होलिस्टिक व्यू ले कर सारे मैरीटाइम स्टडी को देख नहीं रही है। नैरो पोलिटिक्ल व्यू से इसे देखा जा रहा है। यह बहुत दुख की बात है कि इसे स्टडी के रूप से नहीं देखा जा रहा है। जब पिछली बार इस बिल को लाया गया था, तब इस अप्रोच से लाया गया था कि हमारे देश के अंदर जनता को दो हिस्सों में बांटा गया था। कौन इस बात के खिलाफ है कि हमारे देश के अंदर चाहे मुम्बई में हो, चाहे कोलकाता में हो या चेन्नई में हो? क्या हमारे तमिलनाडु के भाई कोलकाता में यूनिवर्सिटी के खिलाफ होंगे, क्या हम चेन्नई में यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं, क्या हम मुम्बई में यूनिवर्सिटी होने के खिलाफ हैं–कोई खिलाफ नहीं है। बार-बार यह मांग थी कि हमारे देश के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की जरूरत है, उसमें कम से कम हमारे जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें यूनिवर्सिटी का रूप दीजिए, नहीं तो इसे आईआईटी का स्टेटस आप दीजिए।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अपनी पार्टी की तरफ से केवल मैं ही बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह विषय सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री समिक लाहिरी: इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पा रही है। होलिस्टिक व्यू ले कर सरकार भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, यह बहुत ही दुख की बात है। नैरो पोलिटिकल व्यू के तौर पर इस विषय को लिया जा रहा है। अगर हमारा देश पूरी दुनिया में 20 प्रतिशत ह्यूमन रिसोर्स को सप्लाई करना चाहता है, तो यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आप जिस जगह पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बनाइए। साउथ की हमारी जो कास्ट लाइन है, उस कास्ट लाइन को डेवलप करना चाहिए। वेस्ट कोस्ट के साथ-साथ ईस्ट कोस्ट में भी कीजिए। इन तीन जगहों में से कम से कम दो ऐसी हैं, जहां 50 साल से भी ज्यादा समय से क्वालिटी मैरीटाइम स्टडी दी जा रही है। आप इन दो सैंटर्स को क्यों वंचित रख रहे हैं? क्यों आप कोलकाता में यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं? क्यों मुम्बई में आप यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं?

सन् 1950 में पंडित नेहरू ने कोलकाता में जिस मैरीटाइम स्टडीज को चालू किया था, उस मैरिन इंजीनियरिंग कालेज को आप यूनिवर्सिटी का स्टेट्स क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी नहीं है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे कम्पिटीटर्स हैं, मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारे कंपिटीटर्स चाइना, फिलिपीन्स और पोलैंड हैं। इस तरह से आप देखिए हर देश में तीन-चार मैरिटाइम यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप ह्यूमैन रिसोर्स डैवलप करना चाहते हैं तो सरकार को इसमें विनियोग करना पड़ेगा, विनिवेश करना पड़ेगा। अगर सरकार विनियोग नहीं करेगी तो कौन करेगा। यदि आप सारा प्राइवेट सैक्टर के हाथ में छोड़ देंगे तो जो स्थिति आज है, वही स्थिति रहेगी। आज हमारे देश में कुछ प्राइवेट सैक्टर में अच्छे कालेज भी हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन कोई रेगुलेटरी

अथॉरिटी नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि आप होलिस्टिक व्यू लीजिए।

दूसरी बात जो इस बिल में है, जब सरकार यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटी कैसे तैयार करनी है, सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है। यूनिवर्सिटी का मतलब है, जहां खुलेआम पढ़ाई होगी, रिसर्च होगी, डेवलपमेन्ट होगा, एक्जीक्यूटिव काउंसिल ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री लाहिरी, मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकारता हूं।

श्री समिक लाहिरीः महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। मैं पांच निमट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदयः नहीं आप एक मिनट में समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री समिक लाहिरीः इसमें एकेडेमिक काउंसिल, एक्जीक्यूटिव काउंसिल सब चुने हुए हैं, लेकिन कोई जनवादी व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक्जीक्यूटिव काउंसलि, कई जगह पर टीचर्स, फैकल्टी मेम्बर्स नहीं हैं। मंत्री जी तीन सेंटर्स बता रहे हैं। इधर आपने जो कानून तैयार किया है, इन तीन सेंटर्स के प्रिंसिपल बाई रोटेशन आपके एक्जीक्यूटिव काउंसिल में आयेंगे। लेकिन मुम्बई, कोलकाता और वाईजैग के प्रिंसिपल तीनों एक्जीक्यूटिव काउंसिल में क्यों नहीं आयेंगे। इसका मतलब है इन तीन सेंटर्स को आप छोटा करना चाह रहे हैं। आप इन्हें क्यों छोटा करना चाह रहे हैं? जब मुम्बई, कोलकाता में मैरिन है, जब इनके पास फैकल्टी मैम्बर्स हैं, इस मैरीटाइम स्टडीज में फैकल्टी मैम्बर्स मिलने बहुत मुश्किल हैं, आसान नहीं हैं, यह बात मंत्री जी को मालूम है। इसीलिए मेरा कहना है कि एक नैरो पोलिटिकल विल से सरकार चल रही है। खास कर हमने देखा है कि जब से हमने समर्थन वापस लिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

नहीं मैं बोलना बंद नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री समिक लाहिरी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री समिक लाहिरीः मैं यह भी कह रहा हूं कि जब सरकार ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था तो स्टैंडिंग मकेटी ने कम से कम 40 रिकमेंडेशंस दी थीं। परंतु क्या इन्होंने एक भी रिकमेंडेशंस पर ध्यान दिया। फिर आपने किस लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था, किसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने इतना काम किया? 74 अभ्यावेदनों पर विचार हुआ। क्यों इतने लोगों के साथ बातचीत की, क्यों छह महीने तक काम किया? उस स्टैंडिंग मकेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थीं और सारी पोलिटिकल पार्टीज ने मिलकर अपनी रिकमेंडेशंस दी थीं। उसमें किसी का भी दूसरा मत नहीं था, यह अनानिमस था। इसके बावजूद सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की एक भी रिकमेंडेशंस नहीं मानी। क्यों नहीं मानी?

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री लाहिरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री समिक लाहिरीः इस बात को सरकार को बताना पड़ेगा। मैं इस सदन में एक बात बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि इस सदन में सदन की नेता, जो अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, जब इस बिल को सदन में पेश किया गया था तो सदन की नेता ने हाउस के सामने आश्वासन दिया था कि इसे स्टैंडिंग मकेटी को भेजिए और स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी, उन्हें सरकार मान लेगी। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सरकार को बताना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः हम दूसरा नाम बुला रहे हैं, आप बैठ जाइए।

श्री समिक लाहिरीः एक बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि स्पीकर साहब ने यह कानून बनाया था कि हर मिनिस्ट्री को स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, उनके ऊपर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट इस सदन में पेश करनी चाहिए। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, इस बिल में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, दो-चार रिकमेंडेशंस को छोड़कर बाकी रिकमेंडेशंस को उन्होंने नहीं माना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः लहरी जी, अब आपका भाषण समाप्त हो गया है।

श्री समिक लाहिरी: देश के अंदर ...*(व्यवधान)* उपस्थिति कम से कम होनी चाहिए और सरकार को उसमें बता देना चाहिए।

मुम्बई और कलकत्ता को ऑटोनॉमस स्टेटस देना चाहिए। चेन्नई में भी यूनिवर्सिटी हो, हम चाहते हैं। कलकत्ता को ऑटोनॉमस स्टेटस दो, हम चाहते हैं। मुम्बई को ऑटोनॉमस स्टेटस दो, हम चाहते हैं। चेन्नई को भी ऑटोनामस दो, यह हमारी मांग है और यह मांग सरकार को पूरी करनी चाहिए। देश के साथ यह सरकार विश्वासघात नहीं कर सकती। यह बात कहकर इस बिल के खिलाफ इसीलिए मैंने अपनी बात रखी है और अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, इस बिल पर अभी 8 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं और जीरो ऑवर की लम्बी सूची है। इसलिए आप जैसा चाहें, मैं समझता हूं कि पांच-पांच मिनट यदि सभी माननीय सदस्य बोलें तो जल्दी से हो जाएगा। इसलिए आप सभी समय का जरा ध्यान रखें।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मैं सामान्य रूप से आप जो कहेंगे उसे मानूंगा। लेकिन इस सभा में ऐसा लगता है कि नियम उन्हीं पर लागू होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं। मैं हमेशा ही नियमों का पालन करता हूं। कृपया मुझे समय दीजिए। सामान्य रूप से, मैं जब भी समुद्र विज्ञान पर बोलता हूं तो होता यह है कि जो कुछ आप थोड़ा देख रहे हैं वह केवल एक-तिहाई है और दो-तिहाई पानी के अंदर है। कृपया मुझे भाषण समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: आफ एक विद्वान सदस्य है।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: नौवां-दसवां हिस्सा भाग नीचे है। *...(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): वह इतने विद्वान हैं कि वे जल्दी ही समाप्त कर देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, इस विधेयक के द्वारा भारत में समुद्री अध्ययन के लिए एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर, यदि आप पूरे जीव-जगत पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इसमें से अधिकांश समुद्र में रहते हैं। इसलिए समुद्र का अध्ययन करना मात्र समुद्र से संबंधित अध्ययन नहीं है बल्कि इसमें हम उन जीवों का भी अध्ययन करेंगे जो धरती पर हर समय दिखाई देते हैं। इसलिए जब हम सागर की खोज कर रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वयं की भी खोज कर रहे हैं। इसलिए, इस प्रकार का विश्वविद्यालय इस प्रकार का उत्तर शिक्षा केन्द्र खोलना स्वागत योग्य है। इसलिए मैं इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना का स्वागत करता हूं।

थर्मल तापमान के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। समुद्र विश्व का तापमान भी स्थिर रखते हैं। यदि तापमान घट जाता है या बढ़ जाता है तो इससे विश्व प्रभावित होता है। पोत परिवहन मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं। समुद्री घटनाओं से वर्षा भी प्रभावित होती है। इसलिए, समुद्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। अत:, मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री से एक और अनुरोध करना चाहता हूं। जब वे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो वे खंड 4 की बात कर रहे हैं जो इस विधेयक का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वे नए उभर रहे क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ये उभरते क्षेत्र क्या हैं जिनका उल्लेख उन्होंने किया है? उन्होंने समुद्र विज्ञान तथा समुद्र के इतिहास की बात की है। इतिहास तो सामान्य रूप से बीते हुए काल से जुड़ा होता है और उसमें उभरते क्षेत्र का उल्लेख नहीं होता। क्या यह सही है। खैर, हम उभरते क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसलिए, समुद्र विज्ञान ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में मानव जाति लम्बे समय से जानती है। इसलिए, समुद्र विज्ञान उत्पत्ति से संबंधित शब्द है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे हमें बतायें, कि वे समुद्र विज्ञान के किस रूप को उभरते हुए क्षेत्र के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं। इसका कारण है कि उभरते हुए क्षेत्र ऐसे बदलाव की नई सीमाएं हैं जो भविष्य में सामने आएंगी। वे कौन से क्षेत्र हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आप जोर देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं उनसे इनके बारे में विस्तार से बताने का अनुरोध करता हूं। ये दो बाते हैं।

महोदय, मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले सैंकड़ो वर्षों में समुद्र का स्तर लगभग आधा सेंटीमीटर उपर उठा है और ऐसा अनुमान है कि यदि विश्व स्तर पर उत्सर्जन 450 से 550 पी.पी.एम. के उपर हो जाता है तो तापमान में संभवत: दो प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी समुद्र में आएगा और समुद्र का स्तर संभवत: दो सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यदि ऐसा होता है तो हमारे पूर्वी तथा पश्चिमी तट का जीवन बहुत ही प्रभावित होगा। इससे बचने के लिए इस बात का अध्ययन जरूरी है कि इसका क्या प्रभाव होगा। क्या आप वास्तव में इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे मौसम परिवर्तन और समुद्र के तथा समुद्री जल स्तर से इसके संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यह केन्द्र बिंदु का क्षेत्र होगा। इसलिए, मैं ऐसा करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं।

चूंकि मैं इन उभरते क्षेत्रों पर सोच रहा था, मुझे मालूम नहीं कि माननीय मंत्री इन उभरते क्षेत्र में इस बात को सम्मिलित करेंगे कि नहीं कि समुद्र में डकैती को कैसे रोका जाए। यह ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान उन्हें करना होगा। वास्तव में मैं आश्चर्यचकित हूं और सरकार को हमें बताना चाहिए था कि लम्बे समय से हमारे जलयानों पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर रखा है। भारतीय जलयान और भारतीय नाविक वहां पड़े-पड़े सड़ रहे हैं। कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है।

मुझे ज्ञात नहीं कि प्रधान मंत्री ने किसी से बात की है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय राष्ट्रपति बुश के साथ उनके नए संबंध हैं। संभवत: उन्हें चालक दल और जलयान को निकालने में हमारी सहायता करनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं। इसमें क्या आप समुद्री डकैती से भी एक क्षेत्र के रूप में निपट रहे हैं?

मेरे मित्र एक से अधिक विश्वविद्यालय बनाने का पुरजोर अनुरोध कर रहे थे। मैं वास्तव में इसका समर्थन करता हूं। हम भारत जैसे विशाल देश के लिए केवल एक विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक पारित कर रहे हैं। हमारा पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, और अनेक ऐसे तटीय राज्य हैं जिनमें भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं, भिन्न-भिन्न अवस्थितियां हैं और अलग-अलग मुद्दे हैं। एक से अधिक विश्वविद्यालय क्यों बनाए जाएं।

मैं इसे चैन्नै में स्थापित करने का विरोध नहीं कर रहा हूं। एक से ज्यादा विश्वविद्यालय क्यों न हों? मैं इतना ही कह रहा हूं। चेन्नै भारत का अंग है और इसे होना चाहिए। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप विधेयक में चेन्नै, मुम्बई, कोलकाता आदि स्थानों का जिक्र क्यों करना चाहते हैं? मेरा अनुरोध है कि आपको राज्य यथा तमिलनाडु अथवा महाराष्ट्र आदि का जिक्र करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ग्रामीण विकास योजनाएं लाने की भी सोच रहे हैं। यह चेन्नै में स्थापित क्यों होनी चाहिए। ऐसा तूतीकोरीन अथवा किसी अन्य तटीय क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? यह मुंबई में क्यों स्थित हो? बल्कि मैं तो पुरजोर यह कहूंगा कि यह सिंधुदुर्ग जिले में स्थित होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, बल्कि ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को ज्ञात समुद्री जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। अत:, इसे वहां क्यों न स्थापित किया जाए? अत:, मैं यहां यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य का जिक्र करें, न कि स्थान का। इसके अलावा, यथासंभव इसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदि में संकेन्द्रित करने के बजाय आंतरिक क्षेत्रों और पृष्ठ प्रदेशों में विकेन्द्रीकृत करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम ऐसा पहले से ही कर रहे हैं।

मैं यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंत्री महोदय पहले से कार्यरत संस्थानों को इसमें शामिल करने, उनका विस्तार करने और उन्हें इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाने के लिए पहले से ही पांच स्थानों की योजना बना रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से इसे इस दृष्टिकोण से देखने का अनुरोध करूंगा। इनमें से प्रत्येक स्थान को विशेष क्षेत्रों में एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्हें अपने में शामिल करने और यह कहने का प्रयास न करें कि अब तक वे केवल महाविद्यालय थे और अब वे विश्वविद्यालय बन गए हैं। इसके स्थान आप ऐसे प्रत्येक स्थान को क्षेत्र विशेष में एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं करते? इसके परिणामस्वरूप हम इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में ज्यादा अनुसंधान और अधिक सोच विचार और ज्यादा ज्ञान का सृजन कर पाएंगे।

यह मेरा अंतिम मुद्दा है और मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके निर्देश का पालन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र शामिल कर लिए हैं? उभरते हुए क्षेत्रों में से एक है-यदि आप वास्तव में इसे देखें-चालक दल को प्रशिक्षण देना है, जो जलयान संचालन के लिए आवश्यक है। फिलीपीन्स और चीन ऐसे देश हैं जो चालक दल को प्रशिक्षण देकर भारी धनराशि अर्जित कर रहे हैं। वस्तुत: कुछ भारतीय ध्वज-पोतों को विदेशी कर्मचारी भर्ती करने पड़े थे। हम ऐसा संस्थान स्थापित क्यों नहीं करते जो पोत संचालन के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर सके?

आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब भारत एक मात्र ऐसा देश है वहां दुनिया भर से भेजा गया सबसे ज्यादा धन आता है। वे कौन लोग हैं जो यह धन भेज रहे हैं? ये केरल के लोग हैं जो विदेशों में कामगारों के रूप में कार्य कर रहे हैं और यहां धन भेज रहे हैं। अब, यदि हम उन लोगों से जो पोत पर काम करेंगे, धन प्राप्त करने के लिए, समुद्री सीमाओं में उपलब्ध संभाव्यताओं का दोहन करें तो कल्पना कीजिए कि हम कितना धन अर्जित करेंगे?

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आप यह विश्वविद्यालय केवल अनुसंधान के लिए स्थापित कर रहे हैं। आपको अधिकाधिक अनुसंधान के लिए और विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिएं, लेकिन ऐसा करते समय आपको ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जो भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमा सकें, एक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय भी स्थापित करना चाहिए और हमारी बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। स्थायी समिति इस पर पहले ही चर्चा कर चुकी है और

[श्री भर्तृहरि महताब]

इसे सरकार द्वारा विचार के लिए संस्तुत कर चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए उत्तर देंगे–कि क्यों कुछ सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है। समय आने पर हमें समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन भी मिल जाएगा। अत:, हमें पता चल जाएगा कि कुछ सिफारिशें स्वीकार क्यों नहीं की गई हैं।

हम सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही नौपरिवहन होता रहा है और इतिहास से ठीक ही उद्धृत किया जाता है कि भारत के नौपरिवहन अभियान केवल द्वारका तक ही सीमित नहीं थे बल्कि कोरोमंडल, कलिंग और पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग में कोंकण तक होते थे।

ये वे चार मुख्य क्षेत्र हैं जिन्होंने 2,300 वर्ष पूर्व अशोक को कलिंग साम्राज्य पर आक्रमण करने और पत्तनों तथा नौपरिवहन और समुद्री गतिविधियों पर अधिकार करने के लिए आकर्षित किया था। भारतीय प्रायद्वीप में चार मुख्य पत्तन और नौपरिवहन व समुद्री गतिविधियों के केन्द्र थे—द्वारका, कोंकण, कोरोमंडल और कलिंग। हमारा यह इतिहास है। मैं नहीं जानता कि आज जिस केन्द्रीय विश्वविद्यालय को हम इस सभा में मंजूरी देने जाने जा रहे हैं उसमें यह इतिहास पढ़ाया जाएगा अथवा नहीं–पल्लव राजाओं की प्राचीन समुद्री गतिविधियों का इतिहास, कलिंग के राजाओं की प्राचीन समुद्री गतिविधियों का इतिहास और भारतीय नाविकों की प्राचीन समुद्री गतिविधियां, जिन्होंने रोम साम्राज्य तक की यात्राएं की, जापान और चीन तक की यात्राएं की। मैं इस बारे में नहीं जानता क्योंकि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में जो कहा गया है वह यही है कि यह विश्वविद्यालय वर्तमान में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी पर जोर देगा और यहां पर ज्यादा विशेषज्ञता और अनुसंधान किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार और अधिक आधुनिक होना चाहिए। हमें अपने लोगों को, बच्चों को ज्ञान से सुसज्जित करना चाहिए, ताकि वे चीन, पोलैंड और फिलीपीन्स से मुकाबला कर सकें जैसा कि पहले उद्धृत किया गया है।

मेरा कहना है कि आज की दुनिया में भारतीय नाविकों ने दुनिया भर में कंपनियों में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। तथापि, आज जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, चाहे वह कुछ राज्य सरकारों द्वारा हो अथवा निजी उद्यमों द्वारा, उसे नियमित करने की आवश्यकता है। मैंने सभी 40 पृष्ठ पढ़े हैं और प्रतिवेदन भी पढ़ा है, यह विश्वविद्यालय विशिष्ट तरह की शिक्षा प्रदान करेगा। यह कोई नियामक निकाय नहीं है। अभी मैंने इस बारे में कुछ सुना अथवा पढ़ा नहीं है। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट कर सकते हैं। नाविकों को इस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाली विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम को नियंत्रित और नियमित करने के लिए एक नियामक निकाय आवश्यक है।

इस देश में समुद्री व्यापार प्रशिक्षण के लिए एक समान मानक नहीं हैं। यद्यपि हम विश्व में उत्कृष्ट हैं, हमारे नाविक अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, हमारे पास कोई एक समान पाठ्यक्रम और ऐसा नियामक निकाय नहीं है, जो पाठ्यक्रम को नियंत्रित कर सके और हमारे शिक्षा के माहौल को सुधार सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नाविकों की संख्या ज्यादा नहीं है। हमारी प्रशिक्षण क्षमताओं और योग्यताओं का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है ताकि भारत आगे रहे। यही कारण है कि यह एक दूरदर्शितापूर्ण विधेयक है। लेकिन इसके साथ ही, मेरा यह कहना है कि वर्तमान में देश में स्थापित समुद्री व्यापार प्रशिक्षण व्यवस्था एक समान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वस्तरीय एक समान मानक लाने के लिए सरकार अब क्या कदम उठा रही है। भावी विकास अवसरों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है, जिनके बारे में पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा था।

एक ऐसे नियामक की आवश्यकता है, जो इन मानकों की देखभाल कर सके। भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के चेन्नै, मुंबई, कोलकाता और विजाग में कैम्पस होंगे जैसा कि विधेयक में उल्लेख है। बीच में उड़ीसा को छोड़ दिया गया है।

गत 25 वर्षों से पारादीप में एक अकादमी है। आप पारादीप में कैम्पस बना सकते हैं। जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी कहा था, हमारी मंशा यही है कि इस क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। यह एक दूरदर्शितापूर्ण विधेयक है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक प्रकाश स्तंभ, एक मार्गदर्शक की भांति हो सकता है। लेकिन सरकार को ऐसे और विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके और बाहर से बेहतर संकाय सदस्य आकर हमारे लोगों को प्रशिक्षित कर सकें। स्वायत्तशासी संस्थाएं भी स्थापित हो जानी चाहिएं।

मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि सामुद्रिक अध्ययन के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इस उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान जरूरी है। बंगलौर, हैदराबाद और अन्य बड़े महानगरों में नए विधि विद्यालय स्थापित हुए हैं। उन विधि विद्यालयों में समुद्री विधियों के विशिष्ट अध्ययन के लिए विशेष संकाय स्थापित किए गए हैं। विधेयक में इस बात का उल्लेख है कि इस क्षेत्र से जुड़े विधिक पक्षों की भी पढ़ाई कराई जानी चाहिए।

मेरे पूर्व वक्ता ने यह उल्लेख किया है कि सोमालिया के तट पर क्या हुआ है। हिन्द महासागर के चारों ओर देश—दक्षिण अफ्रिका, भारत और आस्ट्रेलिया-समुद्र से लगे अन्य देशों की सहायता से हिन्द महासागर को नियंत्रित करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में भारत की बड़ी भूमिका है। इसलिए हमें प्रौद्योगिकीय क्षेत्र

में अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपने छात्रों और संकाय सदस्यों को समुद्री पर्यावरण के संदर्भ में तैयार करना होगा और विधिक पक्ष में यह बहुत ही आवश्यक है।

सरकार ने निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान की है। आप एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। क्या यह विश्वविद्यालय अकादमी पाठ्यक्रमों का पर्यवेक्षण तथा उन्हें सम्बद्धता प्रदान कर सकता है? यदि नहीं, तो मंत्री महोदय पुनः एक नया विधेयक लाएं-इस माह में नहीं तो दिसम्बर में ताकि विभिन्न निजी संस्थानों और अन्य अकादमियों, जो इस समय देश में चलाए जा रहे हैं, को एक विशिष्ट विनियामक तंत्र के माध्यम से नियंत्रण किया जा सके।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदय, मैं सशक्त समर्पित, दक्ष और विश्वसनीय अधिकारियों के एक समूह को विकसित करने के लिए एक समुद्री व्यापार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जरूरत की सराहना करता हूं। मैं समुद्री प्रौद्योगिकी पर्यावरण, विधिक और अन्य संबंधित विषयों के अध्ययन को शुरू करने तथा समुद्री विषयों के अध्ययन तथा अनुसंधान को सुकर बनाने की आवश्यकता की सराहना करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी की इस विधेयक को यथाशीघ्र पारित करवाने की उत्सुकता को समझ सकता हूं। यद्यपि देर हो चुकी है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तमिलनाडु के लोगों को उन्हें यह दिखाना है कि उन्होंने राज्य के लिए कुछ किया है। मैं वामपंथी दलों द्वारा इस विधेयक को रोकने के लिए किए जाने वाले हर प्रयास को भी समझता हूं क्योंकि यह कोलकाता में नहीं बन रहा है। मुझे याद है कि लगभग सात-आठ माह पूर्व जब माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहा था, तब वामपंथी दल के एक माननीय सदस्य ने उनके हाथों से इसे छिन लिया था। खैर मैं इस विवाद में नहीं उलझना चाहता। मैं बहुत खुश हूं कि मंत्री महोदय इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक लाए हैं। चाहे यह चेन्नै में हो या और कहीं मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं केवल कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा ताकि अपने उत्तर में मंत्री जी उनके बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकें।

इस विधेयक में हम चार परिसर मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता और विशाखापत्तनम में बनाने जा रहे हैं।

इन परिसरों का प्रधान कौन होगा? निदेशक का एक पद है। मुझे समझ में नहीं आता कि निदेशक की भूमिका क्या होगी। खंड 2(1) से भी मैंने यह पता लगाना चाहा कि इन परिभाषाओं में निदेशक की भूमिका क्या है? लेकिन ऐसी कोई परिभाषा या स्पष्टीकरण नहीं है जो यह बताता हो कि निदेशक क्या करना चाहता है। मैं समझता हूं कि संभवतः वह इन चारों स्थानों के संस्थानों का प्रधान होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे।

मुझे यह बहुत ही दिलचस्प बात लगी। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया कुलाध्यक्ष हैं। वह भी एक या दो व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती हैं, जो जाकर इस विश्वविद्यालय की संरचना की जांच कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। एक कुलपति और एक उप-कुलपति होगा, और एक सम-कुलपति होगा आदि। इस विश्वविद्यालय का उप-कुलपति जैसा अन्य जगहों में होता है, इस विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक होगा। यहां उप-कुलपति की क्या भूमिका है। जो इसमें लिखा हुआ है। मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूं। खंड-2 में लिखा हुआ है कि कुलपतियों की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की जाएगी जैसा कि संविधि में विहित होगा यद्यपि कुलपति इस पद के कारण इस विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा। उसका क्या काम है। कुलपति यदि उपस्थित हो, तो उपाधियां (डिग्रियां) प्रदान करते समय विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। उसका एकमात्र यही काम है। इस विधेयक में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि कुलपति का काम क्या है। इसमें लिखा है, कुलपति, यदि उपस्थित है, यदि वह उपस्थित नहीं है, तो उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। वह केवल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। माननीय मंत्री महोदय मुझे स्पष्ट रूप से यह बतायें कि कुलपति की क्या भूमिका है।

शांति निकेतन का ही उदाहरण लीजिए। वामपंथी साथी इससे परिचित हैं, जहां इस देश के प्रधानमंत्री कुलपति होते हैं और एक उपकुलपति होता है। इन दोनों के बीच और कोई नहीं होता है। यहां पर एक कुलाध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति है, एक उपकुलपति है और दोनों के बीच एक कुलपति का पद है। जिसका काम मात्र दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करना है। मंत्री महोदय, क्या आप कुछ ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिन्हें आप या सरकार चाहती है? क्या आपने इसी उद्देश्य से ये पद सृजित किए हैं? मैं इस बात पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

कुलाध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति महोदया परामर्श के लिए न्यायालय में जाएंगी और न्यायालय भी उनको परामर्श देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका अर्थ है कि इस मामले में कुलाध्यक्ष भी बहुत हद तक अनावश्यक है क्योंकि न्यायालय ही निदेश देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। विवाद कुलाध्यक्ष के पास भेजे जाने हैं। पुनः, कुलाध्यक्ष इसे न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय ही कोई निर्णय लेगा। मुझे पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है।

[श्री खारबेल स्वाईं]

दूसरी बात है और यह बहुत ही विचित्र बात है कि खंड-5, उपखंड-6 में उल्लिखित है कि डिग्री या डिप्लोमा वापस लिए जा सकते हैं। क्या आपने कहीं यह सुना है कि स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री देकर फिर विश्वविद्यालय द्वारा वापस ली गई हो। लेकिन इसमें एक ऐसा प्रावधान है कि इसे वापस लिया जा सकता है। इसने यह भी लिखा है कि ऐसा सही और पर्याप्त कारणों की स्थिति में होगा। सही और पर्याप्त कारणों का अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। किन सही और पर्याप्त कारणों के लिए एक व्यक्ति को दी गई डिग्री वापस ले ली जाएगी। माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि इसका अर्थ क्या है। पुनः, खण्ड-5 में एक अन्य प्रावधान किया गया है कि यदि सरकार ऐसा चाहती है तो अन्य देश में भी एक परिसर होगा। अर्थात् देश से बाहर होगा। देश के बाहर भी वे एक परिसर बनाएंगे। मुझे यह पता नहीं है कि वहां अध्ययन के लिए कौन जाएगा और भारत सरकार को इस विश्वविद्यालय का एक परिसर विदेश में क्यों चाहिए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय मुझे बताएं कि इसकी क्या आवश्यकता है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि इस देश के किसी विश्वविद्यालय का बाहर के दोनों में अर्थात देश से बाहर कोई परिसर है।

उन्होंने कहा कि सिफारिश की गई है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय को आई.आई.टी. का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि इस विश्वविद्यालय को आई.आई.टी. का दर्जा मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही उच्च तकनीकी संस्थान है और इसे यह दर्जा मिलना ही चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपील करता हूं कि उड़ीसा का समुद्री तट काफी लम्बा है; यहां समुद्री व्यापार की लम्बी परंपरा रही है। लोग इंडोनेशिया, कम्बोडिया और ऐसे ही अन्य देशों को जाते रहे हैं। इसलिए भविष्य में यदि वे और अधिक परिसर बनाते हैं तो उड़ीसा में भी ऐसा एक परिसर खोलने पर विचार करेंगे।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): मैं अपनी पार्टी पतामली मक्काल काची की ओर से भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं।

हमारे विचार में यह एक ऐतिहासिक विधेयक है क्योंकि हालांकि भारत एक सामुद्रिक देश रहा है फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद ही हम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। इतिहास ने ऐसा विधान किया है कि हमारे माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एक विधेयक लाएं। इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

मैं इस विधेयक को लाने संबंधी अड़चनों और तकलीफों को भी जानता हूं। उन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान हर अड़चन का डटकर सामना किया है। इसी अड़चन के कारण इस विधेयक को लाने में दो वर्षों का समय लगा और यह विश्वविद्यालय अब तक दो वर्ष पुराना हो चुका होता।

परन्तु फिर भी यह उनकी दक्षता और धैर्य का ही परिणाम है कि वे इस विधेयक को ला सके। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

माननीय मंत्री जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक संक्षिप्त परन्तु सारगर्भित पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। उन्होंने जो कहा यदि उसे सदस्यों ने सुना होता तो संभवतः उन्होंने इतनी आशंकाएं व्यक्त नहीं की होती। मेरे विचार से जहां तक इस विश्वविद्यालय की स्थापना का संबंध है इसके पीछे कोई राजनीतिक या सांप्रदायिक मत नहीं है। यह मांग जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप काफी समय से लंबित थी। आज की स्थिति के अनुसार इस देश में हमें इस क्षेत्र में 27,000 लोगों की आवश्यकता है। यह जनशक्ति कौन उपलब्ध कराता है, यह जनशक्ति इस देश में 100 से अधिक निजी विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जो भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं और इनके द्वारा प्रदान किए जा रहे मानक में विषमता है। कुछ संस्थान लिबरल आर्ट्स संस्थान से संबद्ध हैं कुछ तकनीकी विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं और इनके द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों में कोई मानक या समरूपता नहीं है। इसलिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की अत्यधिक आवश्यकता है, जो मानकों का उन्नयन करें और जिसमें एक समान मानक हों।

श्री महताब ने पूछा है कि क्या यह विश्वविद्यालय इन मानकों को विनियमित करेगा। इस विश्वविद्यालय को एक विनियामक के रूप में कार्य करना होगा। इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि विनियामक और विश्वविद्यालय को अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किया जाए। मान लीजिए एक विश्वविद्यालय 100 संस्थानों या 100 कालेजों को संबद्ध करता है, तो विश्वविद्यालय सभी 100 संस्थानों के लिए विनियामक के रूप में कार्य करेगा, जो पाठ्यक्रम की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सबकुछ एक जैसा हो। इस प्रकार सामुद्रिक विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पाठ्यक्रम संपूर्ण देश में एक समान होगा और यह एक विनियामक के रूप में कार्य करेगा।

लोग पूछ रहे हैं कि इसकी स्थापना चैन्ने में क्यों की जा रही है। यह सरकार द्वारा लिया गया समायोजित निर्णय है कि इसकी स्थापना यहां की जाए। तमिलनाडु सरकार ने 300 एकड़ भूमि दान करने में काफी उदारता दिखाई है, जोकि अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं

हो रही थी। हमें अन्य स्थानों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है और हम उन लोगों का इतिहास भी जानते हैं, जो किसी एक विशिष्ट राज्य से अन्य राज्य में भूमि की चाह हेतु आए थे।

चेन्नै भारत का भाग है और हम भारतीय हैं; हम अनेकता में एकता की अवधारणा के साथ रहते हैं; हम चेन्नै, चण्डीगढ़, पुडुचेरी और किसी अन्य स्थान के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? ऐसा हुआ है; लोग मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या विश्वविद्यालय केवल एक या पांच हो सकते हैं। 60 वर्षों के बाद हम पहली बार इस प्रकार के एक विश्वविद्यालय की स्थापना का परीक्षण कर रहे हैं।

अभी तक देश को इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुभव नहीं था। हमारे यहां सर्वत्र कला विश्वविद्यालय हैं और हमें इसका अनुभव भी है परन्तु हमें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। आइए पहले इस विश्वविद्यालय का परीक्षण करें और इसका अनुभव करें तथा इसके बाद हम अपनी सीमाओं, क्षेत्र और क्षेत्राधिकार को अन्य स्थानों में विस्तारित कर सकते हैं। संभवत: आने वाले कुछ समय में हमारे यहां पांच विश्वविद्यालय हो सकते हैं। मंत्री महोदय ने उन परिस्थितियों को सही ढंग से स्पष्ट किया है कि वह इस मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार पांच विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में असमर्थ क्यों हैं। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि मंत्री महोदय इस अवसर पर इस ऐतिहासिक विधेयक जोकि सामुद्रिक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करेगा को लाने के लिए बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय: प्रो. रामदास जी आपका धन्यवाद।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, कृपया मुझे थोड़ा समय और दीजिए। मैं इस विधेयक के आधार के बारे में बोल रहा हूं। मैं कुछ भी असंगत नहीं कह रहा हूं। मैं केवल संगत बातें ही कह रहा हूं। मैं एक शिक्षाविद हूं और मुझे कुछ बातें मंत्री महोदय को भी बतानी हैं। इसलिए कृपया मुझे चार से पांच मिनट का समय और दीजिए।

मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं क्योंकि विधेयक के उद्देश्य सुस्पष्टत रूप से तय किए गए हैं और ये समाज और वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप हैं। यह एक सम्यक विधेयक भी है। इसलिए वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

अब एक शिक्षाविद के रूप में मेरा सुझाव है कि यह विधेयक में स्थापित किए जा रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के बीच संबंध स्थापित नहीं करता है। यह इसलिए है क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय को राज्य सरकार और वहां से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि जिस कार्यकारी परिषद को आप बनाने जा रहे हैं उसमें आपने राज्य सरकार के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया है। सभी प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार से हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि स्थापित किए जा रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय उस राज्य सरकार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, जिसमें यह स्थापित किया जा रहा है। संभवत: अन्ना विश्वविद्यालय और अन्यत्र स्थानों पर समुद्र विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत किसी व्यक्ति को कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जोकि विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु एक शीर्ष निकाय है, की भी कार्यकारी परिषद में सदस्यता नहीं है। इसलिए आपको उसमें से भी एक व्यक्ति को शामिल करना चाहिए।

इस विधेयक में एक भारी चूक यह है कि परीक्षा नियंत्रक के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। आपने रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी का उल्लेख किया है, परन्तु उतना ही महत्वपूर्ण और सांविधिक पद परीक्षा नियंत्रक का है, जिसका उल्लेख न तो विधेयक और न ही संविधि में है। इसे शामिल किया जाना चाहिए।

पृष्ठ संख्या 9 पर मंत्री महोदय कृपया मद संख्या 15 नोट करें। वह निदेशकों के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि निदेशकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय की संविधि में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार की जाएगी। संविधियां यहां भी दी गई है परंतु संविधियां निदेशक के पद के संबंध में स्पष्टत: अनुपस्थित हैं। नियुक्ति की विधि और अन्य बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री स्वाईं जी ने यह प्रश्न सही ही पूछा है कि क्या ये निदेशक चेन्नै के बाहर मुम्बई या कोलकाता से आएंगे। इसका प्रशासन कौन करेगा? यदि निदेशक प्रशासन करेंगे, तो हमें इसके निबंधन और शर्तों के बारे में पता होना चाहिए जोकि संविधि और विधेयक में नहीं दी गई हैं। इन्हें शामिल किया ही जाना चाहिए।

विद्यार्थियों की प्रवेश नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। आप संकाय, कर्मचारियों और उन्हें दिए गए विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं, परन्तु विद्यार्थियों की प्रवेश नीति क्या होगी? क्या आप उस राज्य के विद्यार्थियों हेतु भी कुछ सीटें आरक्षित करेंगे जिस राज्य में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? आप कौन सी आरक्षण नीति अपनाने जा रहे हैं? इसका उल्लेख विधेयक में नहीं किया गया है। मेरा विचार है कि इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

[प्रो. एम. रामदास]

अब प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? आपने विश्वविद्यालय की संविधियों में अनुवर्ती उप कुलपतियों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। इसके अनुसार एक नियुक्ति समिति होगी। नियुक्ति समिति एक तीन सदस्यीय पैनल की सिफारिश करेगी, जिनमें से कुलाध्यक्ष एक व्यक्ति को उप-कुलपति के रूप में नियुक्त करेंगे। परन्तु प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति किस प्रकार होगी क्या कुलाध्यक्ष नियुक्ति समिति के मार्गदर्शन में या अपने विवेक से प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति करेंगे। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो भी उप-कुलपति नियुक्त हो वह ईमानदार, उत्कृष्ट और बुद्धिमान व्यक्ति हो। ऐसा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आजकल औसत दर्जे के व्यक्ति उप-कुलपति के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं।

सायं 7.00 बजे

यदि हम एक विश्वस्तरीय श्रेष्ठ विश्वविद्यालय चाहते हैं, तो जैसा कि पूरी उम्मीद से और ठीक ही उल्लेख किया गया है कि यह एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय होगा तो इसको संचालित करने वाला व्यक्ति अर्थात् इस विश्वविद्यालय का उप-कुलपति भी विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। उसकी नियुक्ति राजनीति से ऊपर उठकर की जानी चाहिए। विद्वान व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति कहे कि उप-कुलपति एक सक्षम व्यक्ति है। इस विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति में अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति से बचाना चाहिए।

इस विश्वविद्यालय को गुणवत्तापरक, रोजगारपरक और संगत पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए। इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा विधेयक में नहीं दिया जा सकता। केवल विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड, अकादमी परिषद और अन्य निकाय ही उभरते हुए क्षेत्रों का निर्णय करेंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि चिकित्सा इतिहास समाप्त हो गया है क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है वही कल इतिहास बन जाएगा। ...*(व्यवधान)*

महोदय, अंतत: इस विश्वविद्यालय को सुनामी जैसी आपदाओं से बचने के तरीकों और साधनों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यह विश्वविद्यालय एक समुद्री विश्वविद्यालय है और समुद्र विज्ञान भी इसके कार्यक्षेत्र में है। मैं विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रणाली के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। भारत सरकार ने विभिन्न पाठ्यक्रमों और मूल्यांकन विधियों के आकलन के लिए 'एनएसीसी' नामक एक संस्था स्थापित की है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन बिन्दुओं पर विचार करें और इन्हें विधेयक में शामिल करें और इस विधेयक को एक ऐसा उत्कृष्ट विधेयक बना दें जो माननीय मंत्री के लिए इतिहास रच दे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, समुद्री मामलों और अन्य संबद्ध मामलों से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना एक स्वागत-योग्य कदम है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, मैं भी यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा विश्वविद्यालय केवल एक ही नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक सामान्य विधेयक हो सकता था। लेकिन, यह विधेयक स्थान विशेष पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए है। मुझे इसकी स्थापना के स्थान विशेष पर कोई आपत्ति नहीं है। यह एक स्वागत-योग्य कदम है कि चेन्नै में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है क्योंकि चेन्नै इसके लिए पूर्णत: उपयुक्त है। लेकिन, निस्संदेह इस संबंध में स्थायी समिति ने सिफारिशें दी हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कुछ सिफारिशें स्वीकार क्यों नहीं की गई हैं। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुछ सिफारिशों को इस विधेयक में शामिल करने के लिए क्यों उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है।

महोदय, मैं विभिन्न स्थानों पर कैम्पस बनाने के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। कोचीन ऐसा स्थान है जिसे इस विधेयक की धारा (3) में शामिल किया जाना चाहिए था। जबकि कुछ क्षेत्र शामिल किए गए हैं, कोचीन को, जहां स्थायी समिति ने विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी, इस विश्वविद्यालय के कैम्पस बनाए जाने से भी बाहर रखा गया है। जहां तक कोचीन का संबंध है, इस स्थान पर विश्वविद्यालय का कैम्पस बनाने के काफी फायदे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री को भली-भांति ज्ञात है कि कोचीन में एक अंतर्राष्ट्रीय 'कंटेनर टर्मिनल' बन रहा है। कोचीन में एक अच्छा पत्तन भी है। कोचीन 'शिपयार्ड' में पोत निर्माण गतिविधियां और समुद्री विज्ञान मत्स्यन और समुद्र से संबंधित अन्य गतिविधियां भी चल रही हैं। यह पश्चिमी तट पर मुंबई की भांति एक मुख्य केन्द्र है और इसलिए यहां इस विश्वविद्यालय का एक कैम्पस बनाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस चरण में मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोचीन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार किया जाए क्योंकि यह विधेयक विशेष रूप से चेन्नै में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोचीन ऐसी जगह है जहां एक उत्कृष्ट 'मेरीटाइम एकेडमी' है और उस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह ऐसा स्थान है। जहां अनेक लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि कोचीन को अन्य सुविधाओं के साथ यह सुविधा भी मिली है। मैं उनका उल्लेख करके सभा का समय नहीं लूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि कैम्पस स्थापित करने के लिए कोचीन के नाम पर भी विचार किया

जाएगा और यदि ऐसा किया भी जाता है तो हम इस विधेयक का सर्वोत्तम ढंग से समर्थन कर सकेंगे।

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यह कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन के पदेन कुलपति हैं। यह सत्य नहीं है। प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति नहीं है। कुलपति पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात् वह कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैं सभा में यही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। अत:, जो उल्लेख किया गया है वह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत विश्व के सर्वाधिक समुद्री व्यापार वाले देशों में से एक है। हमारे देश में पर्याप्त संख्या में समर्पित, दक्ष और विश्वसनीय अधिकारी मौजूद हैं। भारतीय नाविकों की विश्वभर में लगातार बढ़ती हुई मांग भारत में दी जाने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का सबूत है। अत: हमारी प्रशिक्षण क्षमताओं का उन्नयन करने की आवश्यकता है ताकि भारत अन्य राष्ट्रों से आगे रहे।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि इस विधेयक में संकल्पना की गई है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का मुख्यालय चेन्नै में और कोलकाता, मुंबई और विशाखापत्तनम में इसके क्षेत्रीय कैम्पस होंगे। इसके साथ ही, हम सब को यह भी ज्ञात है कि गुजरात में देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक लंबी, लगभग 1600 किमी. की तटरेखा है। पश्चिमी तट रेखा पर वृहत पैमाने पर पत्तन विकास और पोत परिवहन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि समुद्री विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए गुजरात सर्वोत्तम स्थान है। गुजरात के लोगों का भी सपना है कि उनके राज्य में चेन्नै अकादमी जैसी अकादमी अथवा कैम्पस स्थापित हो जिसके लिए गुजरात सरकार सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

हम सभी जानते हैं कि गुजरात उत्तरी भारत के राज्यों यथा पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि के निकट है। ये सभी राज्य गुजरात के कच्छ पत्तन का प्रयोग करते हैं। गुजरात का पत्तन पूर्ण रूप से विकसित है। इसके अलावा समुद्री विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना गुजरात के लोगों का सपना भी है और गुजरात सरकार इसके लिए आवश्यक अवसंरचना यथा भूमि आदि प्रदान करने के लिए तैयार है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब वे उत्तर दें तो यह भी बताएं कि वे कैम्पस सूची में गुजरात को शामिल करेंगे अथवा नहीं।

इसके अलावा, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जब समिति ने इस विधेयक की जांच की तब कहा गया था कि यह (समिति) पूरे देश के लिए केवल एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के कारणों से आश्वस्त नहीं है। पूरे देश के लिए एक ही विश्वविद्यालय क्यों हो? जब वियतनाम, थाईलैंड, उक्रेन, जापान, तुर्की, रूस और चीन जैसे देशों में एक से अधिक समुद्री विश्वविद्यालय हैं तो हमारे देश में भी एक से अधिक समुद्री विश्वविद्यालय होने चाहिएं। जब मांग और व्यापार में वृद्धि हो रही है तो माननीय मंत्री से मेरा नम्र अनुरोध है कि वे गुजरात में एक समुद्री विश्वविद्यालय बनाने के बारे में सोचें क्योंकि गुजरात में सदियों से निर्यात-आयात गतिविधियां चल रही हैं।

हमारे नाविकों और व्यापारियों ने विश्व के अनेक हिस्सों में अपना व्यापार स्थापित किया है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान खंड 4(2) की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि "विद्या की ऐसी शाखाओं में जो ठीक समझे"। इस संबंध में, समिति ने कहा है कि वाक्यांश "विद्या की ऐसी शाखाओं में जो ठीक समझे" अस्पष्ट है और संबंधित प्राधिकारी की अतिरिक्त शक्तियां मिल सकती हैं। इसलिए, समिति ने सिफारिश की है कि विद्या की शाखाएं विधेयक में परिभाषित की जाएं जिससे समुद्र विज्ञान, समुद्र जीव-विज्ञान, पोत निर्माण और पोत मरम्मत, अंतर्जल इंजीनियरी, ड्रिलिंग और अपतटीय गतिविधियां, संभारिकी, पत्तन प्रौद्योगिक, समुद्र भौतिकी और मौसम विज्ञान उपयुक्त रूप से शामिल हो सकें ताकि यह विश्वविद्यालय संबंधित क्षेत्र में पाठ्यक्रम चला सके।

इसलिए, समिति की इन सभी सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए। जब आप उत्तर दें तो कृपया इन बातों का भी उत्तर दें। आप गुजरात के लोगों को उत्तर भारत के लोगों को, जो पश्चिमी तट से निर्यात और आयात कर रहे हैं, आश्वस्त करें कि गुजरात में एक कैम्पस स्थापित किया जाएगा।

कांडला एक महत्वपूर्ण और मुख्य पत्तन है। लेकिन कांडला पत्तन में नियमित अध्यक्ष नहीं है; नियमित उपाध्यक्ष नहीं है; मुख्य अभियंता नहीं है, सिविल अभियंता नहीं है। सभी पद खाली पड़े हैं। समझने का प्रयास कीजिए कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं।

[श्री पी.एस. गढ़वी]

यह बहुत अच्छी बात है कि आप यह विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही कांडला पत्तन पर और गुजरात राज्य में व्यापार को देखते हुए यह सुनिश्चित करें कि गुजरात में भी कैंपस स्थापित किया जाए।

श्री टी.आर. बालू: सभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं उन सभी नौ माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विषय पर अपना योगदान दिया जिसने वस्तुत: मुझे उत्साहित ही किया है।

यह विधेयक इस सम्मानीय सभा में 2007 में प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् यह स्थायी समिति के पास चला गया। स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस सम्मानीय सभा को अपनी 44 सिफारिशें दी। 44 सिफारिशों में से 24 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। दुर्भाग्यवश, विभिन्न कारणों से हम 20 सिफारिशें स्वीकार नहीं कर सके। इस विधेयक का उद्देश्य एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना है जो अब तक भारत में उपलब्ध नहीं है। इसे अब तक भारत में स्थापित नहीं किया गया है। श्रेष्ठ नाविक बनाने के लिए, प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पास समुचित गुणवत्ता अभिमुख प्रशिक्षण (कार्यक्रम) होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।

वस्तुत:, हमारे पास लगभग 27,000 अधिकारी हैं जो दुनिया भर में कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न ध्वज पोतों, भारतीय और विदेशी ध्वज पोतों में कार्य कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में श्रेष्ठ नाविक तैयार करने का पूरा ध्यान रखा जाए।

मैं, चर्चा में भाग लेने वाले मित्रों द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं का एक-एक करके उत्तर देना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संकाय में समुद्री बीमा, समुद्री विधि, पोत निर्माण, पोत प्रबंधन, पोत वित्तपोषण, अंतर्देशीय जल परिवहन, सामान्य प्रबंधन और प्रशासन, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, पत्तन और संभारिकी प्रबंधन आदि पाठ्यक्रम शामिल किए जाएं।

यह विशिष्ट गुणवत्ता अभिमुख संकाय विश्वविद्यालय का अनिवार्य अंग होना चाहिए। भारत में अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं, लगभग 125 संस्थाएं मौजूद हैं। ये प्रशिक्षण संस्थाएं इकट्ठी होनी चाहिए। हम इसी उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थान स्थापित करना चाहते हैं।

महोदय, मेरे अनेक मित्रो ने कहा है: 'यह चेन्नै में क्यों है अथवा यह कोलकाता में क्यों नहीं है अथवा आप यह विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित क्यों नहीं करते और इसी प्रकार की अन्य बातें।' मेरे निर्वाचन क्षेत्र अथवा चेन्नै के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय हथियाने जैसी कोई बात नहीं है। अनेक लोगों ने अनेक बातें कहीं हैं और राजनैतिक रूप से उन्होंने मेरे और मेरे मंत्रालय के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां की हैं। यह सत्य नहीं है और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं।

महोदय, यदि आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मैंने अनेक स्थानों की जांच की। मैंने कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम और अन्य अनेक स्थानों की जांच की। यह केवल 100 एकड़ और अधिक भूमि उपलब्ध होने की बात है वह केवल चेन्नै में उपलब्ध है और वह भी मौजूदा राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी से लगती हुई है। ...*(व्यवधान)* समुद्र भी उपलब्ध था और भूमि की उपलब्ध थी। जहां तक मुंबई का संबंध है, मैंने अनेक बार पूछा, मैं अपने अधिकारियों को भी वहां भेज चुका हूं और इसके बारे में पता करवाया है। आप जानते हैं कि मुंबई में (जमीन) बहुत महंगी है। कोलकाता में, एक संस्थान विशेष के निकट आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं है और केवल 30 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसलिए, इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे और सरकार ने चेन्नै में 300 एकड़ भूमि दी है। हमें केवल 100 एकड़ की आवश्यकता है और मुझे यह एक रुपया प्रति एकड़ की दर से मिली है। इस प्रकार, एक रुपया प्रति एकड़ की दर से हमें 300 एकड़ भूमि मिली है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री लाहिरी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: यह भारत में ही स्थापित होगा। आपको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री लाहिरी, यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। नहीं, यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: श्री संतोष गंगवार ने अपना समर्थन दिया है। वह भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय कहीं भी स्थापित करना चाहते थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री आपकी बात से सहमत नहीं हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: भूमि विकास और अन्य कार्य चल रहे हैं और यथाशीघ्र हम विश्वविद्यालय स्थापित कर देंगे।

श्री आरून रशीद ने इस विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने सुझाव दिया है कि यह विश्वविद्यालय शीघ्र स्थापित किया जाए और सामुद्रिक क्षेत्र को यह विश्वविद्यालय यथाशीघ्र मिलना चाहिए। हां, निस्संदेह, हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि यह विश्वविद्यालय शीघ्र स्थापित किया जाएगा जैसा कि माननीय सदस्य श्री संतोष गंगवार ने कहा है। इसलिए, मैं अपने दोनों प्रिय मित्रो को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह शीघ्र स्थापित किया जाएगा।

श्री लाहिरी ने अनेक बातें कही हैं। मैंने उन्हें बताया था कि 44 सिफारिशों में से सरकार ने 24 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। वे जानना चाहते थे कि कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और कितनी अस्वीकार की गई हैं। अत: यह उत्तर उनके लिए है।

उन्होंने पूछा है कि प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम में क्यों है। चक्रानुक्रम में प्रतिनिधित्व कार्यकारी परिषद को दुर्वह बनाए बिना समिति को व्यापक आधार देने के लिए है। अगली बात उन्होंने कही थी कि उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यही पूछा था और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसे हल किया जाना है।

यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे हल किया जाना है। यही कारण है कि मैंने भारतीय पोत परिवहन निगम से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके प्रत्येक पोत पर कम से कम 10 से 15 कैडेटों को प्रशिक्षण दिया जाए। अब इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में हैं। उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: शिव सेना के मेरे मित्र, श्री सुरेश प्रभु ने इस विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने उभरते क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताने के लिए मुझसे कहा था। उन्होंने पूछा कि उभरता क्षेत्र कौन सा है? यह उभरता क्षेत्र मौसम में परिवर्तन का है। जहां तक मौसम परिवर्तन का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय विशेष के विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरू करते समय हमें इस मुद्दे का समाधान करना होगा। समुद्री डकैती भी उभरता हुआ नवीनतम कार्य क्षेत्र है। सोमालिया में क्या हुआ? यह बहुत ही हृदय विदारक है। हमें हर रोज यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ रहे हैं कि किस विशेष क्षेत्र से हमारे समुद्री यात्री मुक्त कराये जाएं। हमारे कुछ पोत वहां हैं। उनका अपहरण कर लिया गया है और उन्हें बंधक बनाया गया है। सोमालिया के कुछ लुटेरे वहां फंसे हुए जलपोतों की निगरानी कर रहे हैं। एक सप्ताह पूर्व इस संबंध में हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने नौसेना का पोत यह देखने के लिए भेजा था हमारे पोतों की समुचित रखवाली हो रही है या नहीं। हमने पहले ही पोत भेज दिया है। निश्चित रूप से, हम इस मुद्दे पर ध्यान देंगे।

उन्होंने सम्बद्धता संबंधी प्रावधानों के बारे में भी पूछा है। खंड 23 में इस संबद्धता के बारे में कहा गया है।

दूसरे, श्री महताब जी ने पूछा कि कलिंग और अन्य राज्यों के समुद्री इतिहास को पढ़ाया जाएगा। मेरा कहना है कि समुद्री इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे यह पुराना हो या ऐतिहासिक हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए अकादमी के लोग निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है: विनियामक कौन है। मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय स्वयं ही विनियामक है। एक और बात है। उन्होंने विश्वविद्यालय की शक्तियों के बारे में जानना चाहा था। उन्होंने जानना चाहा था कि किस शक्ति के तहत अधीक्षण किया जाता है। यह बात इस विधेयक के खंड 5 और खंड 50 में पहले ही उल्लिखित है। कृपया इस विधेयक को पढ़िये। मैं नहीं समझता कि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

मेरे मित्र श्री स्वाईं जी ने कुलपति की भूमिका के बारे में पूछा था। उन्होंने पूछा था कि डिग्री वापस लेने की बात इसमें क्यों लिखी गई है। डिग्री वापस लेने के पीछे संस्थान को एक तरीके से सक्षम बनाना है। आजकल कुछ नकली प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। इसके लिए, हम एक विशिष्ट प्रावधान करना चाहते थे। एक कानूनी प्रावधान इसमें होना चाहिए, ताकि इसको और अधिक अधिकार मिल जाएं। इसी वजह से हमने इसमें इसे शामिल किया है।

वे कैंपस के बारे में भी जानना चाहते थे। उन्होंने यह प्रश्न भी पूछा था कि यह उड़ीसा में क्यों नहीं हो सकता। आवश्यकतानुसार हम कितने भी कैंपस बना सकते हैं। कैंपस स्थापित करने की जरूरत होनी चाहिए चाहे वह विजाग हो या उड़ीसा या कहीं और। गुजरात के बारे में भी मेरे मित्र ने पूछा है। गुजरात एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्रतटीय राज्य है। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। यदि और कैंपस शुरू करने की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से हम इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): कुलपति की भूमिका क्या है? मैंने विशेषरूप से यह प्रश्न पूछा था। वह केवल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने के लिए होता है या इसका कोई और काम भी होता है? *...(व्यवधान)*

श्री समिक लाहिरी: कुलाध्यक्ष का पद भी है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: कुलपति की भूमिका क्या है? क्या वह केवल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा?

श्री टी.आर. बालू: लगभग सभी विश्वविद्यालयों में चाहे वे मौजूदा विश्वविद्यालयों या जो भी हों, जो भी जिम्मेदारी कुलपति की होती है, उसी प्रकार वह भी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। कुलपति का कोई दैनंदिन कार्य नहीं होता। वह केवल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: राष्ट्रपति महोदया कुलाध्यक्ष हैं।

श्री टी.आर. बालू: कहीं भी कुलपति आकर प्रतिदिन का कार्य नहीं निपटाता है।

श्री खारबेल स्वाईं: प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति का कुछ दायित्व होता है। लेकिन इस मामले में उसका कोई दायित्व नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री लाहिरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय के उत्तर के सिवाए और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू: क्षेत्रीय कैंपस का प्रमुख कौन होगा? विधेयक के खंड 14(च) के अनुसार निदेशक विश्वविद्यालय कैंपस का प्रमुख होगा।

महोदय, मेरे मित्र प्रो. रामदास जी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने कुछ बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने छात्रों के प्रवेश संबंधी आरक्षण नीति के बारे में भी पूछा है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनायी जा रही मौजूदा परम्पराओं का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति का उल्लेख नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम नियम बनाएंगे, तब इसे अधीनस्थ विधान में सम्मिलित किया जाएगा।

उन्होंने पूछा है कि प्रथम कुलपति की नियुक्ति कैसे की जाएगी। उसकी नियुक्ति कुलाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी और यह बात इस विधेयक के खंड 46 में अभिकल्पित है। कुलाध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है और इससे इस नियुक्ति की पवित्रता सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा।

प्रो. रामदास ने यह भी पूछा था कि परीक्षाओं का नियंत्रण कौन करेगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि अकादमी परिषद परीक्षाओं के नियंत्रण हेतु अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

प्रो. एम. रामदास: सभापति महोदय, मैंने पूछा था कि परीक्षा नियंत्रक की स्थिति क्या होगी?

श्री टी.आर. बालू: मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और इसे नियमों में सम्मिलित किया जाएगा।

महोदय, श्री पी.सी. थामस ने पूछा था कि कोच्चि में किसी कैपंस की स्थापना क्यों नहीं की जा रही है। मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। श्री स्वाईं को दिया गया उत्तर उनके लिए भी लागू है।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदय, स्थायी समिति ने कोच्चि में एक कैंपस स्थापित करने की सिफारिश की है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। कुल 44 सिफारिशों में से हमने केवल 24 सिफारिशें स्वीकार की हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है।

श्री पी.एस. गढ़वी ने पूछा था कि गुजरात में कैंपस की स्थापना क्यों नहीं की जा रही है। उनके प्रश्न का भी यही उत्तर है।

उन्होंने यह भी पूछा था कि केवल एक ही विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की जा रही है। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि हम अभी पूरे देश में तत्काल चार-पांच विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते। इस समय हम केवल एक विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं। हम अनुभव प्राप्त करेंगे और अनुभव प्राप्ति के बाद हम देखेंगे कि ऐसे और विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है या नहीं। यदि आवश्यकता हुई, तो भविष्य में हम ऐसे और विश्वविद्यालय खोलेंगे। सर्वप्रथम, हमें अनुभव प्राप्त करना है और अनुभव प्राप्ति के बाद, हमें ऐसे और विश्वविद्यालय खोलने हैं या नहीं, इस बात का निर्णय भविष्य में आने वाली सरकार विशेष द्वारा किया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभा से मेरा अनुरोध है कि वह विधेयक को पारित करे।

श्री खारबेल स्वाईं: देश से बाहर विश्वविद्यालय कैंपस की क्या आवश्यकता है? *...(व्यवधान)*

श्री समिक लाहिरी: सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा कैंपस-कोलकाता और मुम्बई में स्थित समुद्री अभियांत्रिकी

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुसंधान संस्थानों को क्या स्वायत्तता मिलने जा रही है या हर चीज का नियंत्रण यहीं से होगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं। पुनः, मैं यह जानना चाहूंगा कि भविष्य में क्या वे देश के अन्य स्थानों में भी ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने की सोच रहे हैं। वे इस प्रश्न का भी उत्तर दें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय कैंपस खोल सकते हैं लेकिन इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह विश्वविद्यालय देश के विभिन्न भागों में कैंपस खोलने में सक्षम है, जिसने देश के बाहर स्थित कैंपस भी सम्मिलित हैं। फिर केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता भी प्राप्त की जा सकती है। मेरा प्रश्न यह था। हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी और अन्य, जहां तक इंजीनियरिंग कालेजों का संबंध है हमारे पास एक तकनीकी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया विस्तार से मत बताइये।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जहां तक समुद्र विज्ञान की शिक्षा का संबंध है, ये सभी प्रशिक्षण संस्थान एक ही समूह के अंतर्गत आएंगे।

श्री समिक लाहिरी: स्वायत्तता के बारे में क्या स्थिति है?

सभापति महोदय: नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, उन्होंने मौजूदा कैंपस की स्वायत्तता के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: ये मौजूद संस्थाएं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयेंगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इसके विरोध में बहिर्गमन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सायं 7.31 बजे

इस समय श्री समिक लाहिरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सामुद्रिक अध्ययनों तथा अनुसंधान को मुकर बनाने तथा उसे संवर्धित करने के लिए और सामुद्रिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सामुद्रिक पर्यावरण और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापन तथा सहबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2

परिभाषा

संशोधित किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 9, "या अनुसंधान" के स्थान पर, "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" प्रतिस्थापित करें। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 16, "शिक्षा" के स्थान पर, "शिक्षा और प्रशिक्षण" प्रतिस्थापित करें। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24, "संपर्क कार्यक्रम" के स्थान पर, "संपर्क कार्यक्रम, ई-लर्निंग" प्रतिस्थापित करें। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 27, "शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द" के स्थान पर, "प्रतिनियुक्त व्यक्तियों सहित शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द" प्रतिस्थापित करें। (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2, "शिक्षा" के स्थान पर, "शिक्षा और प्रशिक्षण" प्रतिस्थापित करें। (7)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 4

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 1, "सामुद्रिक अध्ययनों" के स्थान पर, "सामुद्रिक अध्ययनों, प्रशिक्षण" प्रतिस्थापित करें। (8)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 4

विश्वविद्यालय की शक्तियां

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 37, "जाते रहेंगे" के स्थान पर, "जाएंगे" प्रतिस्थापित करें। (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 37, "भारत सरकार द्वारा" के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार के अन्यथा विनिश्चित किए जाने तक भारत सरकार द्वारा" प्रतिस्थापित करें। (10)

पृष्ठ 5, पंक्ति 11, "अध्यापकों" के स्थान पर, "निदेशकों, प्राचार्यों और अध्यापकों" प्रतिस्थापित करें। (11)

पृष्ठ 6, पंक्ति 4, "कम्प्यूटर केन्द्र" के स्थान पर, "कम्प्यूटर केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र" प्रतिस्थापित करें। (12)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 8

विश्वविद्यालय की निधि

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 10, "पोत परिवहन कम्पनियों" के स्थान पर, "पोत परिवहन कंपनियों, अपतट संनिर्माण कंपनियों और निमज्जन-कंपनियों" प्रतिस्थापित करें। (13)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

कुलाध्यक्ष

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 31, "उपधारा (2)" के स्थान पर, "उपधारा (3)" प्रतिस्थापित करें। (14)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 30

अध्यादेश बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 15, पंक्ति 2, "अनुशासन" का लोप करें। (15)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 35

माध्यस्थम का अधिकरण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 20 से पंक्ति 21, "और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा" का लोप करें। (16)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम की प्रक्रिया

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 28, "यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति" के स्थान पर, "कुलपति" रखें। (17)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 37 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 46

संक्रमणकालीन उपबंध

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 18, पंक्ति 11, "पांच वर्ष" के स्थान पर, "तीन वर्ष" रखें। (18)

पृष्ठ 18, पंक्ति 13, "तीन वर्ष" के स्थान पर, "दो वर्ष" रखें। (19)

पृष्ठ 18, पंक्ति 16, "तीन वर्ष" के स्थान पर, "दो वर्ष" रखें। (20)

पृष्ठ 18, पंक्ति 18, "तीन वर्ष" के स्थान पर, "दो वर्ष" रखें। (21)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 47 और 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 49

संपत्ति का अंतरण और कर्मचारियों के विकल्प

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 18 से पंक्ति 29 के स्थान पर "सामुद्रिक अध्ययन, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, मुंबई, राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चेन्नई, भारतीय पत्तन प्रबंधन, संस्थान, कोलकाता और भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के विलय के परिणामस्वरूप सभी संपत्तियां और कर्मचारी विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और ऐसे कर्मचारी निम्नलिखित विकल्प रखेंगे:-

(1) भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान के अधीन चार प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारी जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय को अंतरित किए जाएंगे, केन्द्रीय सरकार में प्रवृत्त निबंधनों और शर्तों पर भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय में समझी गई प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का और सरकारी निवास स्थान को सतत रखने या बारी पर आबंटित किए जाने का तथा उनकी सेवानिवृत्ति तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रसुविधाओं के उपभोग का भी विकल्प रखेंगे;

(2) राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चेन्नई, भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, कोलकाता और राष्ट्रीय पोत डिजाइन और

अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तन के कर्मचारी, उनकी सेवानिवृत्ति तक अपने-अपने संस्थानों के निबंधनों और शर्तों पर बने रहने का विकल्प रखेंगे; और" रखें। (22)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 50

केन्द्रीय सरकार और पोत परिवहन महानिदेशक की भूमिका

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 35 से पंक्ति 37 का लोप करें। (23)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 50, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 20, पंक्ति 4, "विद्या संबंधी" के स्थान पर "विद्या संबंधी, सामुद्रिक, लोक प्रशासन के क्षेत्र में" प्रतिस्थापित करें। (24)

पृष्ठ 20, पंक्ति 14, "तीन से अन्यून व्यक्तियों" के स्थान पर "मानव संसाधन प्रबंधन, सामुद्रिक, लोक प्रशासन, समुद्री या पत्तन प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले तीन से अन्यून व्यक्तियों" प्रतिस्थापित करें। (25)

पृष्ठ 20, पंक्ति 20 से पंक्ति 21, "तीन व्यक्तियों में से, दो व्यक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे" के स्थान पर "तीन व्यक्तियों में से, एक व्यक्ति कार्य परिषद् द्वारा, एक व्यक्ति सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे" प्रतिस्थापित करें। (26)

पृष्ठ 23, पंक्ति 17 के पश्चात्-

"परन्तु सभा के नामनिर्देशिती को चयन समिति में भी सम्मिलित किया जाएगा" अंत:स्थापित करें। (27)

पृष्ठ 27, पंक्ति 34 से पंक्ति 35, "संबद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य" के स्थान पर "संबद्ध महाविद्यालयों और विद्या संस्थाओं के तीन प्राचार्य" प्रतिस्थापित करें। (28)

पृष्ठ 27, पंक्ति 36 के पश्चात्-

"(ङ) उस राज्य की सरकार का एक प्रतिनिधि जहां विश्वविद्यालय अवस्थित है" अंत:स्थापित करें। (29)

पृष्ठ 30, पंक्ति 1 के पश्चात्-

"(6) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

पदेन सदस्य:

(1) कुलपति;

(2) प्रतिकुलपति;

(3) विभागों के संकायाध्यक्ष;

(4) अध्यापन विभागों के प्रमुख जो संकायाध्यक्ष नहीं है;

(5) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(6) कुल सचिव;

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(8) कुलानुशासक;

(9) वित्त अधिकारी;

अध्यापकों के प्रतिनिधि:

(10) ऐसे सभी आचार्य जो अधायपन विभागों के प्रमुख नहीं हैं;

(11) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले ऐसे दो उपाचार्य जो अध्यापन विभागों के प्रमुख नहीं हैं;

(12) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले दो प्राध्यापक।

अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द के प्रतिनिधि:

(13) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य, एक समूह 'घ' कर्मचारिवृन्द में से और अन्य शेष में से होगा;

विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि:

(14) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, संबद्ध संस्थाओं से एक ऐसा प्रतिनिधि जो संस्था का प्रमुख होगा।

संसद के प्रतिनिधि:

(15) संसद के पांच प्रतिनिधि, जिनमें से तीन, लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा और दो, राज्य सभा के सभापति द्वारा उनके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। तथापि संसद के किसी सदस्य के मंत्री या लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपाध्यक्ष बन जाने के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय की सभा में उसका नामनिर्देशन या निर्वाचन समाप्त किया गया समझा जाएगा।

उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति:

(16) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सामुद्रिक उद्योगों को प्रतिनिधित्व करने वाले ग्यारह व्यक्ति जिनमें इंडियन नेशनल शिप ओनर्स, एसोसिएशन, मेरीटाइम एसोसिएशन आफ शिप ओनर्स एंड शिप मैनेजर्स एसोसिएशन, फारेन ओनर्स रिप्रिजेन्टेटिव्स एंड शिप मैनेजर्स एसोसिएशन, पोत निर्माण उद्योग, झमाई उद्योग, अपतट उद्योग, नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ, भारत के बहुरूपात्मक परिवहन प्रचालकों का संगम, भारतीय पोत परिवहन, मुख्य और लघु पत्तन रजिस्ट्रार, में से प्रत्येक से एक होगा।

(17) सामुद्रिक राज्यों के दस प्रतिनिधि, जिनमें राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक से एक प्रतिनिधि होगा।

अन्य सदस्य:

(18) कार्य परिषद के ऐसे सदस्य जो सभा के प्राधिकृत नहीं हैं।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, सभा के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। परंतु संसद का सदस्य तीन वर्ष के लिए या जब तक उस सदन का, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सदस्य बना रहता है, इनमें से जो भी कम हो" अंत: स्थापित करें। (30)

पृष्ठ 33, पंक्ति 28 के पश्चात्–

"(5) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कम से एक-एक व्यक्ति" अंत:स्थापित करें। (31)

पृष्ठ 41, पंक्ति 28 के पश्चात्--

"(8) संबद्ध किए जाने तथा मान्यता दिए जाने वाले बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेश द्वारा विहित की जाएगी" अंत:स्थापित करें। (32)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "2007" के स्थान पर, "प्रतिस्थापित करें। (2)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "अठाबनवें" के स्थान पर, "उनसठवें" प्रतिस्थापित करें। (1)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: *प्रश्न यह है:*

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम 'शून्य काल' शुरू करते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन - उपस्थित नहीं।

श्री रामजीलाल सुमन - उपस्थित नहीं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता - उपस्थित नहीं।

श्री गणेश सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी - कृपया दो मिनट में अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहे:

अब श्री श्रीचन्द कृपलानी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने देश के अफीम किसानों की समस्या रखना चाहता हूं। अफीम की पॉलिसी भारत सरकार बनाती है। एनडीए के राज में जब पालिसी बनती थी तो उस समय किसानों के हित में, किसानों की समस्याओं का ध्यान रखने के लिए अफीम उत्पादन क्षेत्र के सभी सांसदों को बुलाया जाता था, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद वित्त मंत्री जी ने पिछले चार वर्षों में एक बार भी मीटिंग नहीं बुलाई और अफीम काश्तकारों के विपरीत पालिसी बनाई गई। इस पालिसी के कारण पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। हमारे चित्तौड़गढ़ में भी किसान संघ की तरफ से आंदोलन चलाया जा रहा है। बारा में आंदोलन चल रहा है, झालावाड में आंदोलन चल रहा है। इससे काश्तकारों को बहुत नुकसान हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अफीम काश्तकारों के हित में आपने पालिसी तो नहीं बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ संशोधन तो उसमें आप कर सकते हैं जिससे पिछले चार वर्षों में अफीम काश्तकारों के जो पट्टे कटे हैं, वे पट्टे वापस मिल सकते हैं। मैं दो-तीन पाइंट निवेदन करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हो गया। आप अपनी डिमांड करिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: एक तो सरकार ने गाढ़ता का सिद्धांत लागू कर दिया। अफीम नीति में 55 प्रतिशत गाढ़ता का सिद्धांत लागू करने की वजह से पिछले चार वर्षों में 40,000 पट्टे कट गए हैं। मेरा निवेदन है कि जिन किसानों के पट्टे इस गाढ़ता के सिद्धांत की वजह से पिछले चार वर्षों में कटे हैं, उनको वे पट्टे तुरंत वापस दिये जाएं और गाढ़ता का सिद्धांत बिल्कुल समाप्त किया जाए। पिछले 10 वर्षों से जो पट्टे मिलावट की वजह से या किसी मौसमी मार जैसे ओलावृष्टि या अतिवृष्टि की वजह से जिन किसानों के पट्टे कटे हैं, वे उनको वापस दिये जाएं। अफीम का भाव 10 हजार रुपये प्रति किलो किया जाए। 10-10 आरी के नए पट्टे काश्तकारों को, नए गांवों को तथा पुराने मोजो में भी दिए जाएं। नए मोजो भी खोले जाएं। जिन गांवों में पांच से कम पट्टे काट दिये गये हैं, वे पट्टे तुरंत वापस किए जाएं। वर्षों से जो किसान अफीम बो रहे थे, गांव की सीमा पर या पड़ोस के गांव में बो रहे थे। उनको पट्टे बोने से रोक दिया गया है, उसको फिर से शुरू किया जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका मैटर आ गया है। जीरो ओवर में केवल मेंशन किया जाता है। आपका मेंशन आ गया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: मेरा अंतिम निवेदन यह है कि जो काश्तकार अपनी अफीम हकवाना चाहता है, उनको अफीम हकवाने से पहले डोडा पोश्त निकालने की इजाजत दी जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री खारवेनथन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री खारवेनथन के निवेदन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। श्रीलंका में तमिलों के कल्याण के लिए राजीव गांधी का 1987 करार लागू करने के बजाय श्रीलंका सरकार अपनी सेना से श्रीलंका महाद्वीप से सभी तमिलों को निकालने के मद्देनजर उन्हें कलीनोचाई, बावुनई, मुनाधीसू, पुडुकट्टईपूप्पू, मानाइथेरू, विश्वामेड थारमापुरम और अन्य क्षेत्रों में बेदर्दी से मार रही है। लगभग 5 लाख तमिल जारी जातीय हिंसा के कारण श्रीलंका छोड़ गए हैं और तमिलनाडु और अन्य स्थानों पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। श्रीलंका में रह रहे तमिल जल, खाद्यान्न, आश्रय, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए तरस रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीलंका में जनसंहार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए, श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत शुरू करे और युद्ध विराम के लिए उनपर दबाव डाले। महाद्वीप राष्ट्र की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु से सभी दलों के सांसदों के एक प्रतिनिधिमण्डल को श्रीलंका भेजे।

इसके अलावा, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें पर्याप्त राहत सामग्री प्रदान करे और श्रीलंका में रह रहे तमिलों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करे और श्रीलंका सेना के हमले से बचायें।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला, भारत में हो रहे धर्मान्तरण के बारे में है जिसे मैं इस सभा में उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: नहीं। आपकी सूचना "भारत में धर्मान्तरण में विदेशी धन की भूमिका की जांच करने की आवश्यकता" के बारे में हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं इस पर ही बोल रहा हूं। यह भारत में हो रहे धर्मान्तरण के बारे में है और धर्मान्तरण में मदद कर रहे विदेशी धन की भूमिका की जांच करने की आवश्यकता के बारे में है।

भारत में न केवल हिन्दूओं ने बल्कि बौद्धियों ने भी मंगोलिया, भूटान, श्रीलंका, थाइलैण्ड, म्यांमार और तिब्बत में कार्य कर रही "वर्ड विजन" और अन्य ईसाई धर्म सम्बधी निकायों जैसे गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किये हैं जो एशिया में धर्मान्तरण के लिए धर्मार्थ संगठनों के रूप में अनैतिक तरीके अपना रहे हैं।

महोदय, आस्ट्रेलिया के मुख्य समाचार पत्र 'आस्ट्रेलियन' ने बताया है कि 'वर्ड विजन' गुप्त रूप में सुनामी प्रभावित जनसंख्या में काम करते हुए इंडोनेशिया के एसीईएच में मुसलमानो और पश्चिमी सहायता प्राप्त कामगारों को धर्मान्तरित करने का प्रयास कर रहा है।

महोदय, विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित संघीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध सूचना में बताया गया है कि विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को मिल रही विदेशी सहायता पिछले तीन वर्ष में यूपीए सरकार के गठन के बाद से तिगुनी अथवा चौगुनी हो गई है।

हमारा संविधान हमें अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है। लेकिन विदेशी धन के माध्यम से किए जाने वाला धर्मान्तरण गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना पर बुरा प्रभाव डालता है।

अत: मैं विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाले विदेशी अंशदान को विस्तृत व्यय की उपयुक्त जांच करने की मांग करता हूं। केन्द्र सरकार को इस संबंध में विदेशी धन की भूमिका की जांच करने के लिए शीघ्र राष्ट्रीय आयोग गठित करना चाहिए। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि गृह मंत्रालय की वेबसाइट में सूचना उपलब्ध है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): आपने गैर-सरकारी धार्मिक संगठनों के बारे में पूछा है। आप सभी गैर-सरकारी संगठनों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: मैं सभी गैर-सरकारी संगठनों के बारे में पूछ रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं सभी गैर-सरकारी संगठनों के बारे में कह रहा हूं जो विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री महताब आप एक वरिष्ठ सदस्य है। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, सबसे अधिक राशि प्राप्त करने वाला संगठन 'वर्ड विजन' ने 256 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। केरीटस इंडिया 193 करोड़ रुपये और 'ग्रामीण विकास ट्रस्ट' ने 127 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 'गोस्पेल फार एशिया' आदि ने भी 100 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए है। जब भारत में सरकारी इसाई जनसंख्या मात्र 3 प्रतिशत है तो गैर-सरकारी ईसाई संगठनों को विदेशी धन का सबसे बड़ा भाग क्यों मिल रहा है?

इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठनों को ईसाई संगठनों से धन प्राप्त होता है जो एशिया के देशो में ईसाई धर्मों पदेश प्रचार के संबंध में मदद के लिए जाने जाते हैं।

सभापति महोदय: श्री महताब, कृपया समाप्त कीजिए। आपकी मांग क्या है?

श्री भर्तृहरि महताब: मेरी मांग यह है कि इस बात का पता लगाने के लिए कि इस धन का उपयोग कैसे किया गया है, केन्द्र सरकार के किसी आयोग द्वारा इसकी एक राष्ट्रीय स्तर की जांच करायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: अब, श्री मधुसूदन मिस्त्री बोलेंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): यह तो अति है। श्री महताब, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री, सिर्फ एक मिनट। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): माननीय सदस्य ने अंकों की एक श्रृंखला तथा कुछ अन्य बातों को उद्धृत किया है। मुझे यह पता नहीं कि उन्होंने इसे किसी विदेशी रिपोर्ट से उद्धृत किया था। कुछ भी प्रमाणित नहीं है। उड़ीसा से माननीय सदस्य का एकमात्र प्रयास ईसाइयों पर अत्याचार को छुपाना है। वे इसे छुपाना चाहते हैं। यही कारण है कि वे ऐसा बयान दे रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: नहीं, यह सत्य नहीं है। यह आपका आरोप है। मैंने यह गृह मंत्रालय की वेबसाइट से उद्धृत किया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री मधुसूदन मिस्त्री के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सभापति महोदय, हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स और शिक्षिकाओं के लिए बजट के अंदर जो पांच सौ रुपए इन्क्रीस किये गये थे, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी मांग यह है कि इन हजारों आंगनवाड़ी टीचर्स और कार्यकर्त्ताओं को पांच सौ रुपये महीना वेतन हर महीने बढ़ाने का निर्णय हुआ था, यह बजट में एनाउंस हुआ था तथा वर्कर्स को ढाई सौ रुपये देने का एनाउंस हुआ था, वे पैसे उन्हें जल्दी से मुहैया कराए जाएं। इनका जो डिफरेंस है, यानी एरियर्स है, वह भी उन्हें जल्दी दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान अन्य आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में भी दिलाना चाहता हूं। कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स आंगनवाड़ी अपने स्टेट के अंदर चला रही हैं। जैसे मेरा स्टेट गुजरात है, उसमें प्राइवेट ट्रस्ट के चलाने की एक मुहिम सरकार की ओर से चल रही है, जिसका आंगनवाड़ी टीचर्स भरपूर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह प्राइवेट ट्रस्ट को हैंडओवर की जाएगी तो उनको तनख्वाह भी समय से नहीं मिलेगी। इन्हें जो ग्रांट मिलेगी, वह भी प्राइवेट ट्रस्ट वाले छः-छः, आठ-आठ महीने तक बैंक एकाउंट में रख कर उससे पैसा कमाने का तरीका ढूंढेंगे और फिर उससे ज्यादा से ज्यादा शोषण होगा।

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर किसी भी सरकार ने, खास करके गुजरात सरकार ने ये आंगनवाड़ी किसी प्राइवेट ट्रस्ट को देने की मुहिम की हो तो उसे मना कर दिया जाए। इतना ही नहीं, ऐसी कोई भी मुहिम देश के अंदर शुरू हुई हो तो उसे रोका जाए और आंगनवाड़ी टीचर्स का जो शोषण होता है, खास करके समय एवं छुट्टियों के बार म और उन्हें जो काम दिये जाते हैं, उन्हें थ्रेट किया जाता है कि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम कभी भी इन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। उसके बारे में अगर कोई रूल हो तो उसे एप्लाई करें और नहीं हो तो इनके लिए रूल बनाए जाएं तथा नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उनके जो हित हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाए।

सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार और जो वूमैन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वे इनकी तरफ बहुत ध्यान देंगे। यहां जो इश्यू रेज किया गया है, इस बारे में हमें भी जानकारी दें।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): हमारे साथी मिस्त्री जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। देश में 18 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो आंगनवाड़ी कर्मी हैं, वे यहां इन्हीं समस्याओं को लेकर दस तारीख से तीन दिन का अनशन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग यह है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हैं, उन्हें ग्रेड-तीन और सहायक को ग्रेड-चार में नियुक्ति दी जाए। आईसीडीएस को स्थायी किया जाए और सभी बड़े शहरों में भी आंगनवाड़ी कर्मियों की आवश्यकता रहती है, वहां भी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाएं।

महोदय, अभी जैसा कहा गया है कि एक हजार रुपए और पांच सौ रुपए के मानदेय पर ये लोग काम नहीं कर सकते। इनके लिए इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। इनमें चूंकि महिलाएं ज्यादा होती हैं और इनका शोषण इतना ज्यादा होता है कि कहा नहीं जा सकता। ...*(व्यवधान)* जब कि श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित है, लेकिन इनके वेतन उससे बहुत कम हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी कर्मी 10-11-12 तारीख को यहां इस बात को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। वे श्रीमती रेणुका चौधरी जी से मिलेंगे। उनसे आग्रह है कि इनकी समस्याओं पर ध्यान दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मिस्त्री जी के विषय के साथ संतोष गंगवार जी को भी एसोसिएट किया गया। गंगवार जी को भी मिस्त्री जी के विषय के साथ एसोसिएट किया जाता है।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, आज मैं बेंगलूरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन में पाई गई खामियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं।

महोदय, बेंगलूरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने मई, 2008 में काम करना शुरू किया था। छह माह के बाद ही हमने पाया कि कि इस हवाई अड्डे पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाई अड्डे के कार्यकरण पर विदेशी पर्यटक भी असंतोष व्यक्त कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं:-

1. यहां सतत विद्युत की आपूर्ति नहीं होती,
2. सामान उठाने वाले श्रमिक नहीं हैं,
3. सुरक्षा का अत्यंत अभाव है,
4. वायु यातायात नियंत्रण ए.टी.सी. सही ढंग से काम नहीं कर रहा है,
5. ध्वनि प्रसारण इतना खराब है कि किसी को कोई घोषणा सुनाई नहीं देती है।

हवाई अड्डे के पास के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटनाओं में अब तक 60 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। यातायात जाम रोज की समस्या है और आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। इसलिए माननीय नागर विमानन मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि क्या वे नए बेंगलूरू हवाई अड्डे की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे यहीं से बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: जी हां।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीलंका के लाखों लोग श्रीलंकाई सेना द्वारा लगातार मारे जा रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा उन्हें तत्काल समुचित खाद्य, वस्त्र और आश्रय उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। श्रीलंकाई सेना के सैन्यबल तमिल लोगों को परेशान करते रहे हैं और उन्होंने सैन्यबल के माध्यम से तमिलों को अपने घर-मकान, परिसम्पत्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया है तथा वे अपने सभी संबंधियों को छोड़कर जा रहे है और जहां-तहां बिखर गए हैं तथा वे बिना समुचित आश्रय के खुले स्थानों में रह रहे हैं। ऐसे लाखों लोग वहां पर मौजूद हैं।

तमिल लोग अपने अधिकारों, न्याय के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं। आज एल.टी.टी.ई. के नाम पर श्रीलंकाई सेना श्रीलंका के तमिल लोगों पर हमला कर रही है। वहां के तमिल लोग हमारे भारत के अभिन्न अंग है जो सदियों पहले वहां जाकर बस गए थे।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

महोदय, यदि किसी भारतीय पर मलेशिया में हमला होता है तो यहां पर हम शोर मचाते हैं, यदि पड़ोसी देशों में किसी मुसलमान पर हमला होता है तो हम आवाज उठाते हैं और यदि किसी ईसाई पर कहीं भी हमला होता है तो हम आवाज उठाते हैं। लेकिन जब तमिल लोगों, जो मूलरूप से भारतीय हैं पर हमारे पड़ोसी देश में हमला होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। हम, तमिल लोग सरकार से जोरदार शब्दों में मांग करते है कि सरकार तत्काल वहां हस्तक्षेप करे और श्रीलंका के राष्ट्रपति से वार्ता करके श्रीलंका सेना को वापस बुलाए।

तमिल लोग इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हमने एक सर्वदलीय बैठक की थी और हमने 24 तारीख को डा. के. करुणानिधि तथा गठबंधन के अन्य नेताओं के नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा, 100 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने के लिए आयोजन किया है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तत्काल श्रीलंका सरकार के साथ हस्तक्षेप करे और तमिल लोगों के साथ न्याय करे। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे लोग जो सम्बद्ध होना चाहते हैं, पर्ची भेजें।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): महोदय, मैं माननीय सदस्य से सम्बद्ध होना चाहता हूं।

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध होना चाहता हूं।

श्री के.सी. पल्लानी शामी (करूर): महोदय, मैं माननीय सदस्य से सम्बद्ध होना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री ए.के.एस. विजयन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन, श्री ई.जी. सुगावनम और श्री के.सी. पल्लानी शामी को इस विषय पर अपने को सम्बद्ध होने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति जी, मैं धान की फसल बोने वाले किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा और गोंदिया जिलों में बड़े पैमाने पर धान की फसल लगाई जाती है। इस वर्ष धान की फसल पर करपा नामक बीमारी तथा गाध मरुखी की वजह से फसल को नष्ट किया जा रहा है। इन फसलों में जिन किसानों का 80 से 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान होने से ये सब किसान भविष्य के प्रति चिन्तित हैं। इनकी पूरी फसल बर्बाद होने से इनके दिल में भय है। राज्य सरकार इनकी मदद करने के लिए पहल नहीं कर रही है, गम्भीर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है, अपनी मांग बोलिए।

रात्रि 8.00 बजे

श्री हंसराज गं. अहीर: राज्य सरकार बहाना करती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कहकर वह टाल रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि इन किसानों को हुए नुकसान के लिए आर्थिक मदद करें। वहां आगे चलकर भविष्य में ऐसी बीमारियां न हों, ...*(व्यवधान)* बड़े अधिकारियों को भेजकर इसकी रिसर्च की जाए। मैं यह मांग करता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में पिछली बार से हम यहां इस इश्यू को उठाते रहे कि यहां चार साल से सूखे की स्थिति थी, लेकिन अभी इस साल वहां इतनी वर्षा हुई कि किसानों ने जो खरीफ की फसल बोई थी, वह सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। खरीफ की फसल के बाद अभी रबी की फसल बोने के लिए किसान तैयार हो रहा है, तो वहां उसे खाद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि केन्द्र सरकार के द्वारा पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान के ऋण में जो माफी दी गयी थी, वहां बैंकों के द्वारा उसे नो ड्यूज नहीं दिया जा रहा है। वहां को-आपरेटिव बैंकों के द्वारा उन्हें नो ड्यूज नहीं दिया जा रहा है। वहां किसानों को जानकारी नहीं हो पा रही है, इसलिए वे अपनी खाद को-आपरेटिव बैंक से नहीं ले पा रहे हैं और इधर-उधर भटक रहे हैं। पांच एकड़ भूमि के ऊपर जो किसान थे, उन्हें ऋण माफी के लिए तीन किस्तों सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में पैसा जमा करने के लिए कहा गया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी डिमांड कहिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, बेमौसम बरसात की वजह से उनकी सारी फसल नष्ट हो गयी है, जिससे वे सितंबर की अपनी किस्त जमा नहीं कर पाए। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जो सितंबर माह में उन्हें ऋण माफी के लिए अपनी किस्त जमा करनी थी, जिसके बाद उन्हें पूरी ऋण माफी मिलेगी, उस सितंबर माह की किस्त को दिसंबर में जमा करने का निर्देश दिया जाए, जिससे वे किस्त जमा कर सकें। ...*(व्यवधान)* किसानों को जो खाद प्राप्त नहीं हो पा रही है, वह किसानों को प्राप्त हो सके। जिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके लिए जांच करायी जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, आपको धन्यवाद। भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान (आई.आई.एस.ई.) की स्थापना के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

देश में गुजरात के महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास तथा इसकी पारिस्थितिकीय और पर्यावरण संबंधी अनिवार्यता को देखते हुए मूलभूत विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान पर आधारित एक अनुसंधान संस्थान बहुत जरूरी है। इसलिए, गुजरात में आई.आई.एस.ई. की स्थापना की बहुत आवश्यकता है। इस संबंध में गुजरात सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सितम्बर, 2007 में गुजरात में आई.आई.एस.ई. की स्थापना का अनुरोध किया था।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि गुजरात में आई.आई.एस.ई. की स्थापना की दिशा में तेजी लायी जाए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, हाल ही में देश में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर योजनाबद्ध और सोचे-समझे ढंग से आक्रमण हुए हैं और ये अब भी हो रहे हैं। यह सब उड़ीसा में 24 अगस्त को माओवादियों द्वारा स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती जी की हत्या के बाद आरंभ हुआ। यह एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति के प्रति विशेषत:, समाज का बड़ा भाग जिसका सम्मान करता है और उसको पूजता है, घोर निन्दनीय और जघन्य आपराधिक कृत्य था। इसके जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संगठन पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए।

लेकिन उसके पश्चात् जो कुछ हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक था। यह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व बात थी अर्थात् स्वामीजी की हत्या के पीछे ईसाई समुदाय के होने का आरोप। संघ परिवार के संगठनों ने उस राज्य में लोगों को मारकर और घरों को, धार्मिक स्थानों, संस्थाओं और अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से संबंधित हर चीज को जलाकर खूनी खेल शुरू कर दिया था। अब, उड़ीसा में ईसाई समुदाय का कुछ नहीं बचा है। उड़ीसा में पहले भी हिंसा हुई है और मुझे इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह हिंसा अन्य राज्यों यथा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में भी फैल गई है।

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है? कृपया मुद्दे पर आएं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, कृपया मुझे मुद्दे पर आने दें। कृपया मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय और दें। *...(व्यवधान)* उड़ीसा में लगभग 50,000 लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): वे वहां की वास्तविक स्थिति नहीं बता रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: इसके अलावा, 60 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और महिलाओं का बलात्कार किया गया है। यह सिद्ध हो चुका है और वे कह रहे हैं कि स्वामीजी की हत्या ईसाइयों द्वारा की गई है। माओवादी लगातार दावा कर रहे हैं कि यह उन्होंने किया है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: वे केवल एक जिले तक सीमित हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: हमने आप लोगों की बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी है। इसलिए, कृपया इंतजार करें। *...(व्यवधान)* हम भी इस देश का हिस्सा हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आप जानते हैं कि 'फोरेन्सिक रिपोर्ट' आ चुकी है? बलात्कार का कोई संकेत नहीं है। *...(व्यवधान)* आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? पुलिस वहां गई थी लेकिन कहा गया कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जार्ज के निवेदन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: हम कहां जा सकते हैं? हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है।

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: अब, उड़ीसा में सरकार जैसी कोई चीज है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में बुरी तरह विफल हुए हैं। लोकतंत्र में, निर्वाचित सरकारें लोगों की जान-माल की हिफाजत करने के लिए बाध्य हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप 'सरकार जैसी कोई चीज' क्यों कह रहे हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: प्रत्येक लोकतंत्र अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत करता है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: वह 'नन' नहीं मिल रही है और वह पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री जार्ज, आपकी क्या मांग है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: उड़ीसा सरकार बुरी तरह विफल रही है। जब राज्य अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में विफल रहता है तो केन्द्र सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: केन्द्र सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि यह हिंसा और न फैले। हम मांग करते हैं कि उड़ीसा सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। अपना सब कुछ खो चुके लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन तथ्यों की सुनिश्चितता के लिए उड़ीसा में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा के निवेदन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यदि आप संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि फिर सभी को वास्तविक तथ्यों का पता लग जाएगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी, आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं; श्री स्वाईं, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा के निवेदन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): सभापति महोदय, आज हरियाणा और उसके साथ लगते हुए प्रदेशों का किसान एक भयंकर परिस्थिति का सामना करने पर मजबूर हो रहा है, खास तौर पर धान की पैदावार करने वाला क्षेत्र, जो अपनी धान की पैदावार करके हिन्दुस्तान के पूरे मुल्क के धान की पूर्ति करता है, उस किसान के सामने बहुत भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। धान के अंदर एक नई किस्म का कीड़ा बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। इस कीड़े का अलग-अलग नाम दिया जा रहा है। कोई इसे काला मच्छर कह रहा है, कोई इसे छोटा टिड्डा कह रहा है, कुछ साईंटिस्ट इसे व्हाइट बैक्ड प्लांट हौपर कह रहे हैं। इसका जो भी नाम हो, यह हमारे क्षेत्र में पहली बार देखा गया है। बासमती की वैरायटी हो, पूसा 1121 की वैरायटी हो, मुच्छल की वैरायटी हो, मोटे की वैरायटी हो, धान की अलग-अलग वैरायटीज में अलग-अलग तरीके का नुकसान हुआ। यदि मैं केवल हरियाणा की बात करूं, अभी यह एस्टीमेट अधूरा है, एक हफ्ते का एस्टीमेट यह है कि एक लाख 12 हजार 750 हैक्टेयर के अंदर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी केन्द्र सरकार से क्या डिमांड है?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह इस परिस्थिति का जायजा ले। कृषि मंत्रालय एक स्पैशल टीम भेजे। दुर्भाग्य की बात है कि कैलेमिटी रिलीफ फंड, जिसका संचालन कृषि मंत्रालय करता है, उसके अंदर बाढ़ कवर होती है, ओला वृष्टि कवर होती है, लेकिन यदि कीड़े से फसल का नुकसान हो तो वह कवर नहीं होती। यदि आप आज किसान से पूछें तो बाढ़ और ओला वृष्टि से भी ज्यादा भयानक स्थिति है। मैं आज मांग करता हूं कि कृषि मंत्रालय एक टीम भेजकर और कैलेमिटी रिलीफ फंड में स्पैशल प्रोवीजन करके हमें राशि उपलब्ध करवाए। हर एकड़ का मुआवजा किसान तक पहुंचाने का काम केन्द्र सरकार करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान पर पहाड़ टूटा हुआ है। आप और मैं यहां से जाकर खाना खाकर सो जाएंगे, मगर जब मेरे किसान की फसल बर्बाद होती है तो वह अपने घर पर जाकर सो नहीं सकता, किसान सारी-सारी रात जाग रहा है। मैं आपके माध्यम से संरक्षण प्राप्त करते हुए भारत सरकार के सामने अपनी यह मांग रखता हूं।

श्री जय प्रकाश (हिसार): सभापति महोदय, मैं भी श्री हुड्डा के साथ अपने को एसोसिएट करता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, श्री जयप्रकाश को भी इनके साथ एसोसिएट किया जाता है।

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, मैं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र श्रीगंगानगर से आता हूं। राजस्थान प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र श्रीगंगानगर पूरा कृषि पर निर्भर है। एनडीए सरकार ने सन् 2003 में श्रीगंगानगर स्वरूपसर तक मीटरगेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में स्वीकृत किया था। एनडीए सरकार ने उसको वर्ष 2006 तक कंप्लीट करने का भरोसा दिलाया था। 115 किलोमीटर लंबी यह लाइन जिसके लिए एक अरब 12 करोड़ रुपये का बजट भी बना था, केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। वर्तमान सरकार ने इसके लिए मात्र 70 करोड़ रुपये जारी किये हैं। मेरा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस रेलवे लाइन के लिए बचे हुए पैसे जारी करके, इसे पूरा कराया जाए। इसके अलावा श्रीगंगानगर से जयपुर की जो मीटरगेज लाइन है, जिसे वर्ष 2008 के बजट में शामिल किया गया था, उसे इस बजट में भी पैसा जारी करके, स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, केन्द्र सरकार उड़ीसा की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को हटाने के लिए एक राजनैतिक षडयंत्र रच रही है। यह राजनैतिक कारणों से प्रेरित होकर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रही है।

भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसके लिए आधार तैयार कर रहा है और उड़ीसा सरकार को धमकी भरे पत्र भेज रहा है। केन्द्र सरकार झूठी और मनगढ़ंत खबरें और सूचनाएं फैलाकर राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को डरा रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय अनिश्चितता, झूठ और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। केन्द्र सरकार उड़ीसा सरकार के अनुरोध के अनुसार केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) न भेजकर राज्य सरकार के साथ सहयोग करने की अपनी संवैधानिक बाध्यता और कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रही है। लगता है कि इसका उद्देश्य कंधमाल हिंसा के संकट के दौरान राज्य प्रशासन का मनोबल कमजोर करना है।

कुछ सदस्य इसका संदर्भ दे रहे थे और कह रहे थे कि सभा को यह पता होना चाहिए कि वहां क्या हुआ है। स्वामी लक्ष्मणानंद एक धार्मिक नेता थे और 23 अगस्त को उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने तुरंत केन्द्र सरकार से अनुरोध किया। *...(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): अन्य कितने लोग मारे गए? आपको उनका भी जिक्र करना चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप कृपया मेरी बात सुनें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी सभा को पता होना चाहिए कि क्या हुआ है।

23 अगस्त को स्वामी लक्ष्मणानंद के साथ चार व्यक्तियों की हत्या हुई थी। उसी शाम को उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्वयं गृह मंत्री से बात की और तत्पश्चात् तुरंत 'सीआरपीएफ' कार्मिक भेजने का अनुरोध किया। भारत सरकार ने हिंसा से निपटने के लिए 'सीआरपीएफ' भेजने में पांच दिन लिए। एक धार्मिक नेता की हत्या के पश्चात् वहां स्वाभाविक रूप से हिंसा हुई। एक धार्मिक नेता की हत्या के पश्चात्, स्वाभाविक रूप से हंगामा और भावनात्मक उन्माद फैला। जो भी हिंसा हुई है हम उसकी निंदा कर रहे हैं। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या की गई थी। उसके पश्चात् जो कुछ हुआ है हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम उसकी निंदा कर रहे हैं। परंतु इस सबमें केंद्र सरकार का क्या कर्त्तव्य है?

राज्य सरकार ने हेलीकाप्टर के लिए अनुरोध किया था परंतु इसे समय पर नहीं भेजा गया। के.रि.पु.ब. कर्मियों को भेजने का अनुरोध किया गया परंतु केंद्र सरकार ने इस कार्य में पांच दिन लगाए। सुरक्षा बल वास्तव में 28 को पहुंचे और हिंसा 28 तारीख से पहले के इन पांच दिनों अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी थी। अक्तूबर के बाद से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और स्थिति सामान्य हो चुकी है।

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं इस सब मामले में केन्द्र सरकार द्वारा निभाई जा रही भूमिका का उल्लेख करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को धमकी भरे पत्र भेज रही है। केंद्र सरकार के.रि.पु.ब. कार्मिकों को समय पर भेजने के अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार अपने संवैधानिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने से बच रही है।

सभा को इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। अपराध शाखा इसकी जांच कर रही है। इस एक महीने के दौरान लगभग एक हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अकेले कंधमाल जिले में 600 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने इसकी न्यायिक जांच आरंभ की है और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी जांच कर रहे हैं। तथापि, जब जांच पहले से ही प्रगति पर है तो लोग राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहां जो कुछ हुआ है प्रत्येक को राज्य प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। यदि जांच एजेंसियों को पीड़ितों से लिए जाने वाले बयानों से वंचित किया जाएगा और कुछ इच्छुक पक्षकार पीड़ित व्यक्तियों को छुपाएंगे तो स्वाभाविक है कि मामले की समुचित जांच नहीं की जा सकती। *...(व्यवधान)*

राज्य सरकार ने 20,000 व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है?

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं समाप्त कर रहा हूं। यह सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप शून्य काल में उल्लेख कर सकते हैं। शून्य काल में भाषण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे।

श्री चंद्रकांत खैरे के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सभापति महोदय, आप सभा के बाहर सामूहिक चर्चा करा सकते हैं ताकि माननीय सदस्य उसमें भाग ले सकें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कोई अवांछित बात होगी, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: यदि माननीय सभापति सामूहिक चर्चा कराएं तो माननीय सदस्य उसमें बोल सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं बाहर राजनीतिक बैठक नहीं करा सकता। केवल श्री खैरे के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल: यदि माननीय सदस्य लंबे भाषण देते हैं तो इससे शून्य काल के मुख्य उद्देश्य में विघ्न उत्पन्न होगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खैरे, कृपया श्री त्रिपाठी से संबद्ध कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हिन्दुस्तान के कुछ इलाकों में जो धार्मिक उत्पात और हिंसक वारदातें हो रही हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: किसी भाषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री महोदय, भाषण का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य केवल उल्लेख कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, माननीय सदस्यों से कहा जाना चाहिए कि वे कुछ टिप्पणी करने तक सीमित रहें और लम्बे भाषण न दें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: किसी भाषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाषण का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य केवल उल्लेख कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: यदि माननीय सदस्य कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को सभा के ध्यान में ला रहे हैं तो ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज देश मे जो भी धार्मिक उत्पात और हिंसक वारदातें हो रही हैं ....

सभापति महोदय: आपका मैटर सेम है इसलिए आप त्रिपाठी जी के साथ एसोसिएट करें।

श्री चंद्रकांत खैरे: सभापति महोदय, मेरा मुद्दा अलग है। देश में जो धर्म के नाम पर हिंसक वारदातें हो रही हैं और दलित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हिन्दुओं को लालच देकर ईसाई धर्म स्वीकार करने का काम हो रहा है, इसका उदाहरण उड़ीसा का कंधमाल जिला है। वहां पर पहले छः प्रतिशत इसाई थे, जो अब 37 प्रतिशत हो गए हैं। इतनी आबादी उनकी कैसे हो गई, यह समझ से बाहर है। पिछले दिनों वहां जो हिंसक वारदातें हुई, जिनमें स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई ....

सभापति महोदय: आप सारी बात रिपीट कर रहे हैं, त्रिपाठी जी यह कह चुके हैं। आपकी क्या मांग है, यह बताएं।

श्री चंद्रकांत खैरे: मेरे क्षेत्र में भी यह हो रहा है और ठाणे जिले में भी इस तरह की बात हो रही है। जैसे वहां लक्ष्मणानद जी थे, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में जगतगुरु नरेन्द्र जी महाराज हैं। उन्होंने एफिडेविट दाखिल करके 50,000 हिन्दुओं को वापस हिन्दू धर्म में शामिल कराया है। वह हिन्दुओं के धार्मिक गुरु हैं। उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इन दंगों के फसाद की जड़ हैं, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अबु अयीश मंडल के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): महोदय, हमें दिनांक 30.8.2007 को इस सम्माननीय सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिए गए माननीय रेल मंत्री के वक्तव्य से पता चला है कि रेल भूमि और एयरस्पेस के वाणिज्यिक विकास हेतु रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में बंडेल-कटवा रेलवे की 'साइडों' पर कई वर्षों से रेलवे भूमि का इस्तेमाल करते हुए रह रहे हैं। पूर्वस्थली, कल्ना, खाभारगाछी आदि जैसे स्थानों पर अधिकांश परिवार वर्ष 1947 में भारत में विभाजन के समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से आए।

मैं रेल मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उनके लिए कृपया वाणिज्यिक बस्ती की व्यवस्था करें जिसके होने से चालू रेल विकास कार्यों अथवा चलाए जाने वाले विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। अथवा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: धन्यवाद। कुछ दिनों पूर्व सिनेमा कलाकारों और निर्देशकों ने रैली निकाली थी। जिसके निर्देशक श्री सीमन, श्री शेखरन और निर्माता आमिर ने जन सभा करके प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन लिट्टे के पक्ष में भड़काऊ भाषण दिए थे और यह कहते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे श्रीलंका जाने के लिए तैयार थे और वे श्री राजपक्षे की हत्या करने के लिए भी तैयार थे; आगे उन्होंने आदरणीय महोदया सोनिया जी पर आरोप लगाया और राजीव गांधी के हत्यारे लिट्टे प्रमुख वी. प्रभाकरन की प्रशंसा की तथा आईबी को यह नोट करने के लिए कहा कि वे किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं; उन्होंने यह भी कहा कि क्या आईबी उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। आगे वे यह कहते रहे कि प्रभाकरन उनका नेता है और यदि आईबी चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अतः, सरकार को उनके उपर्युक्त भाषणों की टेप मांगनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन भड़काऊ भाषणों को देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। यदि यह कार्य तत्काल नहीं किया जाता है तो यह सर्वत्र जारी रहेगा और केंद्र सरकार को राज्य सरकार के माध्यम से इस पर पूर्णतः रोक लगानी होगी। तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री भी इससे अवगत हैं और वह भी कार्रवाई कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित संगठन की प्रशंसा करने वाले इस प्रकार के भाषण देना अनुचित है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अमरीका ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। हम कांग्रेसियों को तमिलों की चिंता है। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। हम राजीव गांधी के हत्यारे लिट्टे के विरुद्ध हैं परंतु हम श्रीलंका में रह रहे तमिलों के पक्ष में हैं। उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हम इस संबंध में श्रीलंका में दूत भेजकर और श्रीलंका के राजदूत को बुलाकर की गई कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के लिए उचित निदेश दे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, कांग्रेस पार्टी देश में प्रचार कर रही है कि हमने बहुत सुंदर काम किया है। लेकिन भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अपना जितना शेयर देने की घोषणा की थी, उसे न देने के कारण राजस्थान के कई स्थानों में योजनाएं ठप पड़ी हैं। पिछले छह माह से 875 करोड़ रुपया इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अभी तक नहीं दिया गया है। प्रदेश के सात जिले डुंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर में भी 770 करोड़ रुपया नहीं दिया गया है। भारत सरकार से मेरी मांग है कि

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से जो 875 करोड़ रुपये की राशि मांगी जा रही है, उसे तुरंत दें, जिसमें कि राज्य सरकार अपना शेयर मिलाकर प्रदेश के जिलों में तत्काल कार्य कर सके। राजस्थान सरकार तत्पर है और केन्द्रीय सरकार सो रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारा पैसा इन योजनाओं के तहत राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए, वह पैसा तुरंत दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पन्नियन रवीन्द्रन (तिरुवनन्तपुरम): महोदय, केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में फाइलिंग अथारिटी के साथ केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग आधी शताब्दी पुरानी है। आपको ज्ञात होगा कि केरल राज्य विधान सभा ने इस मांग पर सर्वसम्मति से दो बार संकल्प पारित किए थे। इस मामले को प्रश्नों और हस्तक्षेपों के अन्य तरीकों के माध्यम से संसद में कई बार उठाया गया है।

राजधानी में अधिवक्ता और न्यायालय के कर्मचारी पिछले 250 दिनों से लगातार आंदोलन पर हैं। राज्य में सभी राजनीतिक दलों और आम व्यक्ति द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य के विधि मंत्री और राज्य के संसद सदस्यों के साथ मिलकर इस संबंध में माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकात की है। यदि राजधानी में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की जाती है तो राज्य सरकार एक वर्ष में 200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत कर सकती है। परंतु केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य की राजधानी में खंडपीठ स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं। अब केरल की विधान सभा की इस सर्वसम्मत मांग पर निर्णय लेना केन्द्र सरकार पर निर्भर है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह और विलंब किए बिना राज्य की राजधानी विवेंद्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी सभा को देश के कुछ भागों में हो रही निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की निंदा करे। किसी न किसी बहाने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सदस्य उड़ीसा के कंधमाल जिले में हुई घटना की पहले ही निंदा कर चुके हैं। श्री सेठी ने भी स्वामीजी की हत्या के बाद हुई घटना की निंदा की है। वास्तव में पहले स्वामी जी की हत्या की निंदा की जानी चाहिए और इसके पीछे सम्मिलित व्यक्तियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि उन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की गई होती तो अन्य घटनाएं न होती। ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। यह देखकर मन को बड़ा दुख होता है कि अपनी झोपड़ियों में रह रहे गरीब व्यक्तियों को हत्या की जा रही है। ये व्यक्ति इसाई या हिंदू अथवा किसी और धर्म के हो सकते हैं। क्या उन्हें इस प्रकार मारा जा सकता है। यदि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो जनप्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? क्या इस सभा को इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार को उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या केन्द्र सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? यह केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। यदि यह केवल कानून और व्यवस्था का मामला है तो हम कह सकते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है। परंतु यह मामला इससे ऊपर है। यह गरीब व्यक्तियों पर हमला है। यह मानवाधिकारों का मुद्दा है। यह अल्पसंख्यकों से संबंधित मामला भी है। अल्पसंख्यकों से संबंधित मंत्रालय केंद्र सरकार में है। यदि अल्पसंख्यक व्यक्तियों की उनके धर्म अथवा उनकी भाषा के आधार पर हत्या की जाती है तो मेरे विचार से पूरी सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए और केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

यहां यह निवेदन किया गया है सुरक्षा बलों को समय पर नहीं भेजा गया था। यदि के.रि.पु.ब. कार्मिकों को समय पर नहीं भेजा गया था तो केंद्र सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। यदि केंद्र सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं तो उसे इसका उत्तर देना चाहिए। मैंने सुना है कि एक केन्द्रीय मंत्री और उनका दल वहां जा रहे हैं। यदि यही निर्णय है तो संसद सदस्यों को भी वहां जाने की अनुमति देनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या संसद से एक दल जिसमें सभी दलों के सदस्य हों ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से कंधमाल जिलों में जहां स्थिति अभी भी ठीक ढंग से नियंत्रण में नहीं आयी है, जा सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार न केवल उड़ीसा बल्कि देश के कुछ अन्य भागों में जहां अल्पसंख्यकों और गरीबों का नरसंहार हुआ है और इनके घरों में हुई लूटखसोट के मामलों पर वक्तव्य देना चाहिए। आगजनी जैसी अनेक घटनाएं भी हो रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चा ईसाई इस प्रकार के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की बात को स्वीकार नहीं करेगा। बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन के मामले में कार्यवाही करने हेतु कानून है। आप उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। निमर्म हत्याएं धर्म परिवर्तन का उत्तर नहीं हो सकती।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाचा): महोदय, श्रीलंका के तमिल मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विश्वभर के तमिलों के नेता, मारुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कजगम के अध्यक्ष हमारे प्रिय नेता थिरु वाइको की ओर से बोल रहा हूं।

हम श्रीलंका में तमिलों और समुद्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर मछली पकड़ने वाले तमिलनाडु के मछुआरों की अंधाधुंध हत्याओं के बारे में अत्यंत चिंतित हैं।

भारत सरकार को निर्दोष जातीय तमिलों की हत्याओं को रोकना चाहिए। जातीय तमिल वे लोग हैं जो वहां हजारों साल से रह रहे हैं। श्रीलंका की बर्बर सेना ने तमिलों के खिलाफ ऐसा जोरदार हमला किया है मानो युद्ध आरंभ हो गया है।

श्रीलंका में तमिल भुखमरी और दवाई के अभाव में बीमारी से मर रहे हैं। भारत ने तमिलनाडु में मानवीय आधार पर संग्रहित भोजन और दवाईयां भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास को अनुमति देने से इन्कार किया है।

अब तक, श्रीलंका सरकार के सुरक्षा बलों द्वारा चार तमिल संसद सदस्यों की हत्या की जा चुकी है। भारत सरकार संसद सदस्यों की इन हत्याओं की निन्दा करने के अपने कर्त्तव्य निभाने में विफल रही हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत ने तमिलों के विरुद्ध सैन्य आक्रमण जारी रखने के लिए श्रीलंका सरकार को राडार और सैन्य सामान की आपूर्ति की है।

मैं भारत सरकार से वहां तैनात राडार विशेषज्ञों सहित वे राडार वापस मंगवाने का अनुरोध करता हूं। श्रीलंका की सेना प्रमुख सरथ फोन्सेका, जिनके हाथ तमिलों के खून से सने हैं, का भारत सरकार द्वारा जोरदार स्वागत किया गया जिसके वे पात्र नहीं हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा है तमिल विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए हम भारत के मजबूत संभार-तंत्र (लोजिस्टिक सपोर्ट) की मदद से अपने सैन्य आक्रमण तेज करेंगे। यह सत्य है। आज तक, भारत सरकार ने इससे इंकार नहीं किया है। इसके अलावा, यह भी अचम्भित करने वाली बात है कि श्रीलंका के सैन्य कर्मियों को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और भारतीय वायु सेना के पाइलट श्रीलंका वायु सेना के पाइलटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है?

डा. सी. कृष्णन: केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और श्रीलंका की सेना और पाइलटों को दिए जा रहे प्रशिक्षण को रोकना चाहिए। यह हमारे बच्चों की पीठ में स्वयं अभिभावकों द्वारा छुरा घोंपने के समान है। निर्दोष तमिलों को मारने के लिए सिंहली सरकार को मदद देकर केन्द्र सरकार ने तमिलों को धोखा दिया है।

महोदय, इसलिए मैं भारत सरकार से श्रीलंका को आपूर्ति किए गए राडार वापस लेने की पुरजोर अपील करता हूं और इस बात पर जोर देता हूं कि आगे से श्रीलंका की नस्लभेदी सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता रोक दी जाये और वहां रहने वाले तमिलों की सुरक्षा की जाये और तमिल नागरिकों के विरुद्ध युद्ध रुकवा दिया जाये ताकि देश के उस भाग में शांति रह सके।

सभापति महोदय: श्री सिप्पीपारई रविचन्द्रन भी इस मामले से संबद्ध हैं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं पट्टाली मक्काल काची और इसके संस्थापक अध्यक्ष की ओर से भारत सरकार का ध्यान श्रीलंका की गंभीर और चिंताजनक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जहां निर्दोष तमिलों का नरसंहार हो रहा है।

महोदय, लाखों तमिलों का जीवन संकट में है और यह तमिलनाडु की 6.1 करोड़ की जनसंख्या के लिए आत्मसम्मान का प्रश्न है क्योंकि श्रीलंका में हमारे अपने पूर्वजों से हमारा संपर्क समाप्त किया जा रहा है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कहते हैं कि संपूर्ण तमिल जाति को समूल नष्ट कर देना चाहिए। यह बात वहां के सेनाध्यक्ष ने भी दोहराई है जिन्होंने कहा है कि श्रीलंका सिंहलियों की है और तमिल केवल अल्पसंख्यक हैं और यदि वे चाहें तो देश छोड़कर जा सकते हैं। यह केवल यही दर्शाता है कि वे तमिलों का सह-अस्तित्व नहीं चाहते और इस जाति को समाप्त करने का निर्णय कर चुके हैं।

मैं भारत सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां रहने वाले तमिलों का भारत से अति प्राचीन संबंध है। वे भारतीय संस्कृति, भारतीय जातीयता, भाषा और नस्ल का अंग हैं और वे सभी प्रकार से भारत से संबंधित हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने जैन आयोग के सम्मुख साक्ष्य दिया था कि श्रीलंका के तमिलों का भारतीयों के साथ स्थायी संबंध है। उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। यही कारण है कि इस देश में भारत का गहरा लगाव है। हमारी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सहानुभूतिपूर्ण ढंग से तमिलों को जीवन की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। पूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिलों की सहायता का भरसक प्रयास किया। हमने 1987 में भारत-श्रीलंका समझौता किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि तमिलों के अधिकार का आदर किया जाना चाहिए और तमिलों को निर्णय और वहां शासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद श्रीलंका में नरसंहार जारी है और इसे रोका जाना चाहिए।

भारत सरकार को इसे किसी अन्य देश का आंतरिक मामला नहीं समझना चाहिए। ऐसी बात नहीं है क्योंकि जहां भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का आदर नहीं किया जाता है, भारत ने हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठायी है।

[प्रो. एम. रामदास]

हाल के समय में, जैसा नरसंहार श्रीलंका में हुआ है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान के मामले में भी, हमने हस्तक्षेप किया और बंग्लादेश बनवाया। आज, हम दलाई लामा का समर्थन कर रहे हैं और उनकी निष्कासित सरकार है। इसीलिए, हमने इन सब बातों की छूट दी है और जब श्रीलंका के साथ भाईचारे में भारत की रुचि है तो इसे सक्रिय रूप से हस्तक्षेप भी करना चाहिए और हस्तक्षेप किया जायेगा यह भी कहना चाहिए। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसे हमें स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से नकार देना चाहिए और उन्हें यह बता देना चाहिए कि हम निर्दोष तमिलों की हत्या की अनुमति नहीं दे सकते। श्रीलंका सरकार को युद्ध रोकने और राजनैतिक समाधान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहना चाहिए। श्रीलंका सेना को सभी प्रकार की सहायता रोक देनी चाहिए। इस समय वहां तमिलों का पुनर्वास ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब तक श्रीलंका से लगभग 5 लाख लोग बाहर आ चुके हैं। वे सब जगह शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। उन्हें भोजन, दवाईयों और अन्य वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत को यह सामान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से भेजना चाहिए और भारत सरकार को भी तमिलनाडु के मछुआरों की हत्याएं रोकने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव डालना चाहिए। श्रीलंका की सेना लगभग 400 मछुआरों की हत्या कर चुकी है। हमें तमिलों के अधिकार को समझना चाहिए और हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन्हें उस देश में हमारी सहायता की आवश्यकता है।

भारत सरकार मामले पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है लेकिन श्रीलंका में रोज हजारों लोग मारे जा रहे हैं। निर्णय लेने में हो रहे विलंब से हम तमिलों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे हमारे भाई हैं और उनका भारत से संबंध है और हमें वही साहस तथा सहानुभूति दर्शानी चाहिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी ने दर्शाई थी। हमें श्रीलंका के तमिलों के समान अधिकारों का आदर करना चाहिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम): महोदय, मैं स्वयं को प्रो. रामदास से संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: उनसे संबद्ध होने के लिए आप पर्ची भेज सकते हैं।

अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 अक्तूबर, 2008/30 आश्विन, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एल. राजगोपाल	41
2.	श्री सुग्रीव सिंह श्री उदय सिंह	42
3.	श्री सर्वे सत्यनारायण श्रीमती सुमित्रा महाजन	43
4.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री पंकज चौधरी	44
5.	श्री रनेन बर्मन श्रीमती मिनाती सेन	45
6.	श्री मो. ताहिर डा. अरुण कुमार शर्मा	46
7.	श्री नवीन जिन्दल श्री पी. करूणाकरन	47
8.	श्री कीरेन रिजीजू प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	48
9.	श्री प्रसन्न आचार्य श्री काशीराम राणा	49
10.	मो. मुकीम	50
11.	श्री के.एस. राव	51
12.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी श्री महेश कनोडीया	52
13.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्रीमती करूणा शुक्ला	53
14.	योगी आदित्यनाथ श्री किन्जरपु येरननायडु	54
15.	श्री चन्द्रभान सिंह श्री बृज किशोर त्रिपाठी	55
16.	श्री के. सुब्बारायण	56
17.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	57
18.	श्री परसुराम माझी श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	58
19.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	59
20.	श्री रामदास आठवले	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	598
2.	आदित्यनाथ, योगी	475, 484, 565
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	435, 447, 526, 547, 587
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	428, 450, 520, 539, 599
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	440
6.	अजय कुमार, श्री एस.	446
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	412
8.	अर्गल, श्री अशोक	417, 494
9.	आठवले, श्री रामदास	435, 539, 581, 602
10.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	409
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	488, 558, 591, 608
12.	बर्मन, श्री हितेन	435, 526, 533
13.	बर्मन, श्री रनेन	505
14.	भगोरा, श्री महावीर	400, 445, 502, 533, 597
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	434
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	461, 544, 585 605, 617
17.	बोस, श्री सुब्रत	404, 517
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	472, 521, 533
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	532
20.	चन्द्र कुमार, प्रो.	533
21.	चन्द्रप्पन, श्री के.सी.	442, 532
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	449, 527, 538, 599

1	2	3
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	454
24.	चौधरी, श्री पंकज	506, 566
25.	चौधरी, श्री अधीर	433, 524, 525
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	419
27.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	452
28.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	443, 534
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	416, 500, 579
30.	गढ़वी, श्री पी.एस.	446, 465, 540
31.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	456, 542, 551, 567, 584
32.	गांधी, श्रीमती मेनका	422, 499, 561, 603, 616
33.	गंगवार, श्री संतोष	413, 492, 506, 527, 583
34.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	475, 484, 487, 570
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	435, 439, 526
36.	जयाप्रदा, श्रीमती	463, 545, 565
37.	जिन्दल, श्री नवीन	480, 555, 589, 607
38.	जोगी, श्री अजीत	445, 478, 523, 551
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	451
40.	कनोडीया, श्री महेश	512
41.	करूणाकरन, श्री पी.	515
42.	खां, श्री सुनील	528
43.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	433, 436
44.	खन्ना, श्री अविनाश राय	475
45.	खारवेनथन, श्री एस.के.	405, 489, 559, 592, 609

1	2	3
46.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	401, 424, 485, 556, 569
47.	कृष्ण, श्री विजय	479, 552
48.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	497
49.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	519, 532
50.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	514
51.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	474
52.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	452
53.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	521
54.	महरिया, श्री सुभाष	457, 540, 543
55.	महतो, श्री नरहरि	429, 513, 571
56.	महताब, श्री भर्तृहरि	437, 528
57.	माझी, श्री परसुराम	522, 572, 597, 613
58.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	483, 509, 530
59.	मंडल, श्री सनत कुमार	493, 600
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	456, 542, 551, 567, 569
61.	मनोज, डा. के.एस.	418
62.	मिश्रा, डा. राजेश	464
63.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	462
64.	मुकीम, मो.	510, 568, 596
65.	मो. ताहिर, श्री	430, 507, 567, 595
66.	मंडल, श्री अबु अयीश	431, 518
67.	मोरे, श्री वसंतराव	458
68.	मुर्मू, श्री हेमलाल	504, 565
69.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	477
70.	नन्दी, श्री अमिताभ	453

1	2	3
71.	नायक, श्री अनन्त	433, 476, 509, 523, 588
72.	निखिल कुमार, श्री	432, 524
73.	ओराम, श्री जुएल	402, 439, 498, 580, 601
74.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	414, 493, 573
75.	पाण्डा, श्री प्रबोध	470, 521, 523, 548, 619
76.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	570
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	407, 506
78.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	446, 512, 540
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	449, 508
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	421, 501, 562, 619, 621, 622
81.	पाठक, श्री हरिन	425, 446, 540
82.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	473, 549
83.	पाटिल, श्री डी.बी.	444
84.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	403
85.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	398, 430, 439, 506, 620
86.	पिंगले, श्री देविदास	430, 439, 537, 567
87.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	427, 450, 455, 538
88.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	438
89.	राई, श्री नकुल दास	393
90.	राजगोपाल, श्री एल.	445, 481, 554, 610
91.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	526
92.	राजेन्द्रन, श्री पी.	411, 491

1	2	3
93.	रामदास, प्रो. एम.	420, 478, 496, 615
94.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	395, 435, 446, 533
95.	राणा, श्री काशीराम	527, 575
96.	राव, श्री ई. दयाकर	406, 439, 471, 523, 603
97.	राव, श्री के.एस.	511, 569
98.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	466
99.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	460
100.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	448
101.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	468, 571
102.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	467, 533, 546, 586
103.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	407, 410, 442, 477, 532
104.	रैंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	433, 455, 575, 597
105.	रिजीजू, श्री कीरेन	483, 509
106.	साई प्रताप, श्री ए.	399
107.	साय, श्री नन्द कुमार	421, 501, 562, 593, 611
108.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	523, 574, 598, 614
109.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	503, 564
110.	सत्पथी, श्री तथागत	397
111.	सेन, श्रीमती मिनाती	521
112.	सेनथिल, डा. आर.	424, 535, 576, 578
113.	सेठी, श्री अर्जुन	435

1	2	3
114.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	426, 502, 563, 594, 612
115.	शर्मा, श्री मदन लाल	420, 478, 496, 615
116.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	430, 447, 537
117.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	506, 549
118.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	396, 482, 553, 600, 615
119.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	520
120.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	423, 577
121.	सिंह, श्री चन्द्रभान	516
122.	सिंह, श्री दुष्यंत	445, 527, 536, 597
123.	सिंह, श्री गणेश	454, 469
124.	सिंह, श्री मोहन	523
125.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	454, 541, 582, 604
126.	सिंह, श्री रेवती रमन	433, 475, 550
127.	सिंह, श्री सुग्रीव	501, 562, 593, 611
128.	सिंह, श्री उदय	514
129.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	512
130.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	394, 486, 557, 590
131.	सुब्बारायण, श्री के.	519, 571
132.	सुगावनम, श्री ई.जी.	415, 495, 543, 560, 611
133.	सुमन, श्री रामजीलाल	514
134.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	408, 490, 602
135.	थामस, श्री पी.सी.	441, 531
136.	दुम्मर, श्री वी.के.	427, 508
137.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	506, 549
138.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	547, 587, 606, 618
139.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	433
140.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	423, 459
141.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	417, 494
142.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	447, 501, 576, 593, 599
143.	यादव, श्री गिरिधारी	428
144.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	430, 439, 529, 576, 599
145.	यादव, श्री मित्रसेन	471
146.	यादव, श्री राम कृपाल	565
147.	यास्खी, श्री मधु गौड	456, 542, 551, 567, 569
148.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	435, 526

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	41, 49, 50, 56
पृथ्वी विज्ञान	:	
गृह	:	42, 44, 45, 47, 48, 53, 54
मानव संसाधन विकास	:	46, 51, 52, 55, 57
सूचना और प्रसारण	:	43
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	58
खान	:	60
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	59

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	394, 395, 399, 410, 425, 434, 441, 445, 456, 462, 467, 476, 486, 489, 490, 492, 495, 497, 498, 507, 523, 524, 527, 528, 531, 535, 564, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 580, 581, 583, 584, 586, 590, 591, 592, 596, 598, 601, 607, 608, 618
पृथ्वी विज्ञान	:	396, 403, 409, 493
गृह	:	393, 398, 401, 413, 415, 417, 422, 428, 433, 442, 446, 448, 452, 455, 458, 461, 463, 471, 475, 481, 491, 494, 499, 500, 505, 506, 509, 511, 513, 514, 515, 519, 521, 522, 525, 530, 540, 541, 544, 545, 546, 556, 557, 561, 562, 565, 566, 579, 582, 587, 603, 604, 609, 614
मानव संसाधन विकास	:	404, 405, 406, 407, 408, 419, 421, 426, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 439, 449, 450, 453, 454, 468, 469, 472, 473, 474, 477, 480, 482, 484, 487, 488, 501, 502, 503, 504, 512, 517, 520, 526, 532, 533, 536, 537, 543, 549, 550, 553, 554, 558, 560, 563, 567, 571, 576, 585, 589, 593, 594, 597, 599, 600, 602, 606, 610, 611, 612, 613, 616
सूचना और प्रसारण	:	400, 411, 424, 444, 447, 451, 459, 460, 466, 470, 485, 508, 538, 547, 551, 577, 595, 617
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	412, 416, 418, 420, 427, 465, 478, 479, 496, 552, 555, 570, 605, 615
खान	:	397, 402, 443, 457, 464, 483, 516, 534, 539, 588
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	414, 423, 438, 440, 510, 518, 529, 542, 548, 559, 578.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.–48/34/22/2008 (1930 शक) (एन०)

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।